लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पंद्रहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. 025
Block 'G'
Acc. No. 26-5
Dated 26.04.2010

(खंड 37 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक–I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक–II

राकेश कुमार
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्निहित अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 37, पन्द्रहवां सत्र, 2009/1930 (शक)

अंक 5, बुधवार, 18 फरवरी, 2009/29 माघ, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर 41 से 45	1-58
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 46 से 60	59-98
अतारांकित प्रश्न संख्या 148 से 282	98-362
सभा पटल पर रखे गए पत्र	363-393
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में लौटाया गया विधेयक	393-394
लोक लेखा समिति	
81वां और 82वां प्रतिवेदन	394
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
(एक) 35 वां प्रतिवेदन	395
(दो) की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण	395
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
36वां प्रतिवेदन	395
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
22वां प्रतिवेदन	396
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
46वां प्रतिवेदन	396
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	396-399
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
31वां प्रतिवेदन	399
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
213वां प्रतिवेदन	399

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित (+) चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

34वां प्रतिवेदन 399

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

33वां और 34वां प्रतिवेदन 400

मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्रीलंका की स्थिति

श्री प्रणब मुखर्जी 400-402

'पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय' के बारे में दिनांक 10.12.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1742 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

श्री प्रणब मुखर्जी 403

कार्य मंत्रणा समिति के 52वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव 403-404

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2008-09

श्री पवन कुमार बंसल 404

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हजारद्वारी एक्सप्रेस को प्रतिदन चलाए जाने तथा पश्चिम बंगाल के दमदम और बैरकपुर में उसका ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी 404-405

(दो) गुजरात के ऊंझा में 'आश्रम मेल' का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल 405

(तीन) तमिलनाडु के पलानी हिल और कोडईकेनाल हिल को जोड़ने वाली रोप कार परियोजना के लिए निधियां मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

श्री एस. के. खारवेनथन 405-406

(चार) बगलिहार परियोजना के कारण सड़कों के जलमग्न होने की समस्या का सामना कर रहे जम्मू और कश्मीर के डोडा, रामबन, किश्तवाड़ जिलों को बी. आर. ओ./जी. आर. ई. एफ. द्वारा वैकल्पिक सड़क मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह 406

(पांच) आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लाल मिर्च आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना किए जाने तथा राज्य में लाल मिर्च उत्पादकों के लिए कल्याणकारी उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रायापति सांबासिवा राव 406-407

(छह) गुजरात के साबरकंठा जिले के हिम्मतनगर में आकाशवाणी केन्द्र से प्रसारण शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 407

(सात) वैश्विक आर्थिक मंदी का सामना कर रहे गुजरात के सूरत हीरा उद्योग के पुनरुत्थान के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री काशीराम राणा 407-408

(आठ) गुजरात में पोरबंदर और राजकोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 8–ख पर सर्विस रोड, उपरिपुल और अन्य विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डा. वल्लभभाई कथीरिया 408

(नौ) राजस्थान के अजमेर में एक हवाई अड्डा स्थापित किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत 408-409

(दस) ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम (डीईपीबी) का लाभ कॅयर क्षेत्र को दिए जाने की आवश्यकता

डा. के. एस. मनोज 409

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भरवारी और सिराथू रेलवे स्टेशनों पर ठहराव सहित इलाहाबाद और मुम्बई के बीच बरास्ता कानपुर एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 409

(बारह) बिहार के बांका संसदीय क्षेत्र के बीड़ी कर्मकारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरिधारी यादव 410

(तेरह) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का लाभ देश के ग्रामीण डाक सेवकों को दिए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी 410-411

(चौदह) भारतीय रिजर्व बैंक से नवम्बर, 1997 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत गंगाराम गीते 411

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पर्यटन अवसंरचना विकसित किए जाने हेतु निधि मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक 411-412

(सोलह) पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित सुवर्ण रेखा बैराज परियोजना के लिए पर्याप्त बजटीय आबंटन किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा 412

(सत्रह) उड़ीसा के बारगढ़ जिले के पदमपुर सब–डिवीजन में ओंग नदी बांध परियोजना के लिए अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य 412-413

(अठारह) देश में जी. एम. चावल के फील्ड परीक्षण पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार 413

श्रीलंका की स्थिति के बारे में 419-422

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 422-538

डा. टोकचोम मैन्या 423-426

श्री एस. के. खारवनेथन 426-431

श्री खगेनदास 431-434

डा. के. एस. मनोज 434-436

श्री फ्रांसिस के. जार्ज 436-439

श्री विजय बहुगुणा 439-440

डा. सिबैस्टियन पॉल 440-441

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 441-444

श्री एम. शिवन्ना 444-446

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा 446-451

श्री फ्रांसिस फैन्थम 451-453

श्री किरिप चालिहा 453-456

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा 456-459

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 459-466

श्री सूरज सिंह 466-469

श्री रामजीलाल सुमन 469-473

श्री ए. वी. बेल्लारमिन 473-475

श्री असादूद्दीन ओवेसी 475-477

श्री कीरेन रिजीजू 477-478

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 478-479

श्रीमती रंजीत रंजन 479-482

श्री जे. एम. आरून रशीद 482-483

श्री मोहन रावले 483-484

श्री पी. सी. थामस 485

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील 485-488

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 488-489

श्री किशन सिंह सांगवान 489-492

श्री हरिसिंह चावड़ा 492-494

डा. सी. कृष्णन 494-496

श्री हंसराज गं. अहीर 496-498

श्री नवीन जिन्दल 498-503

श्री प्रणब मुखर्जी 503-539

अंतरिम बजट (रेल)-2009-10;
लेखानुदानों की मांगें (रेल)-2009-10;
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)- 2008-09;
अतिरिक्त अनुदानोंकी मांगें (रेल) - 2006-07

श्री सैयद शहनवाज़ हुसैन 556-567

श्री राम सिंह कस्वां 568-570

श्री हरिकेवल प्रसाद 570-573

श्री महावीर भगोरा 573

श्री नवीन जिन्दल 573-577

श्री रूपचंद पाल 578-580

श्रीमती मिनाती सेन 580-584

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य 584-586

श्री भर्तृहरि महताब 587-593

श्री किशन सिंह सांगवान 593-595

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 595-598

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे 598-599

श्री पी. करूणाकरन 599-604

प्रो. बसुदेव बर्मन 604-605

श्री काशीराम राणा 605-606

श्री रामजीलाल सुमन 606-609

श्री रमेश दूबे 609-611

श्री भंवर सिंह डांगावास 611

श्री घुरन राम 611-612

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव 612-621

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया 622-623

डा. सुजान चक्रवर्ती 623

श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधू यादव 623-624

डा अरविन्द शर्मा 625-627

श्री के. सी. सिंह "बाबा" 627-630

श्री जय प्रकाश 630

श्री के. सी. पल्लानी शामी 630-633

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई 633-636

श्री प्रसन्न आचार्य 636-638

श्री अनंत परांजपे 638-641

श्री ए. के. एस. विजयन 641-643

श्री ई. जी. सुगावनम 643-645

श्री ब्रह्मानंद पंडा 645-649

श्री प्रबोध पाण्डा 649-652

श्री कीरेन रिजीजू 653-656

श्री प्रकाश बी. जाधव 656-657

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा 660-661

श्रीमती सी. एस. सुजाता 660-661

श्री रेवती रमन सिंह 662-663

श्री संतोष गंगवार 663-665

श्री वरकला राधाकृष्णन 665-666

श्री सुनील खां 666-668

चौधरी लाल सिंह 668-677

श्री हंसराज गं. अहीर 677-680

श्री के. फ्रांसिस जार्ज 680-683

श्री एम. शिवन्ना 683-686

श्री तापिर गाव 686-688

श्री जे. एम. आरून रशीद 688-691
श्री पी. एस. गढ़वी 691-694
श्री पी. राजेन्द्रन 694
श्री सीताराम यादव 694-697
श्री हितेन बर्मन 697-698
श्रीमती पी. सतीदेवी 698-702
श्री राकेश सिंह 702
चौधरी विजेन्द्र सिंह 708
श्री सी. के. चन्द्रप्पन 708-712
श्री अबु अयीश मंडल 712
श्री निखिल कुमार चौधरी 713-717
श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा 717-722
श्री रवि प्रकश वर्मा 723
श्रीमती सुस्मिता बाउरी 723-724
श्री डी. बी. पाटील 724-726
श्री एस. के. खारवेनथन 726-730
श्री निहाल चन्द 730-733
श्री सुभाष महरिया 733-734
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील 734-736
श्री महेश कुमार कनोडिया 736-738
श्री मोहन रावले 738-748
अनुबंध-I 749-754
तारांकित प्रश्न की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 749
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका..... 750-754
अनुबंध-II 755-756
तारांकित प्रश्न की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 755-756
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 755-756

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 18 फरवरी, 2009/29, माघ, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मुझे आपका नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं आपके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे के महत्व को समझता हूं। मैं आपको उचित समय दूंगा। आज जैसे ही यह चर्चा समाप्त होती है, मैं आपको समय दूंगा।

श्री एस. के. खारवेनथन (पलानी) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। वकील उत्तेजित हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आज सभी एक घंटे की अनुमति मांगेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं लेकिन

[हिन्दी]

लॉयर्स को वोट नहीं मिलेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस. के. खारवेनथन : महोदय, आप भी एक वरिष्ठ वकील हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खुशी है कि मैं अब वकील नहीं रहा।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

वन्य जीवों का विलुप्त होना

*41. **श्री हेमलाल मुर्मू :**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में वन्य जीवों के मारे जाने की घटनाएं जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में आए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या देश में जीवों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) समय-समय पर राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों से वन्य जीवों के मारे जाने की घटनाओं की सूचना मिली है। वन्य जीवों के मारे जाने की ऐसी घटनाएं सामान्यतया अवैध शिकार, विद्युतमारण, जहर देने, मानव-पशु भिड़त के विरुद्ध प्रतिशोध के कारण होती हैं। राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मारे गए वन्य जीवों की प्रमुख फ्लैगशिप प्रजातियों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है। राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें ऐसे मामलों में वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करती हैं।

(ग) और (घ) वन्यजीवों की संख्या में कमी-बेशी विभिन्न प्राकृतिक घटकों के साथ-साथ मानवजनित घटकों जैसे वास-स्थलों की क्षति और अवक्रमण, अवैध शिकार, खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थों का समावेश होने आदि के कारण होती है। ऐसी कोई विशिष्ट वैज्ञानिक रिपोर्ट नहीं है जो यह दर्शाती हो कि भारत में वन्यजीव लुप्त होने के कगार पर हैं। तथापि, गिद्ध, ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड आदि जैसी कुछ प्रजातियां हैं जिनकी संख्या सीमित है।

सरकार द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा और वन्य पशुओं की हत्या की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

1. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची में संकटापन्न वन्यजीव प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिससे उन्हें उच्चतम श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।

2. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में समय-समय पर संशोधन किया गया है तथा इसे वन्यजीवों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध और अधिक कड़ा बनाया गया है।

3. दुर्लभ पशुओं सहित वन्यजीवों और उनके पर्यावासों को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

4. वन्यजीवों और उनके उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

5. राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों से वन्यजीवों से समृद्ध क्षेत्रों में और उनके आस–पास फील्ड फोर्मेशनों को सुदृढ़ करने तथा गहन पेट्रोलिंग करने के लिए अनुरोध किया गया है।

6. वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे कि 'वन्य जीवों के वास स्थलों के समेकित विकास', 'बाघ परियोजनाओं तथा 'हाथी परियोजनाओं' के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है।

7. केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम–'वन्यजीवों का समेकित विकास' के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों और उनके वास स्थलों के लिए पुनः बहाली कार्यक्रम हेतु एक नया घटक जोड़ा गया है।

अनुबंध

बाघों के मारे जाने के ब्यौरे

वर्ष	अवैध शिकार	अन्य कारण*	कुल
2006	5	1	6
2007	15	8	23
2008	9	0	9
2009 (13.02.2009 तक)	0	1	1

*विद्युत मारण और दुर्घटनाएं आदि शामिल हैं।

शेरों के मारे जाने का ब्यौरे

वर्ष	अवैध शिकार	अन्य कारण**	कुल
2006	1	0	1
2007	8	7	15
2008	0	0	0
2009 (13.02.2009 तक)	0	0	0

**विद्युतमारण और दुर्घटनाएं आदि शामिल हैं।

गैंडों के मारे जाने के ब्यौरे

वर्ष	मारे गए पशुओं की संख्या
2006	9
2007	22
2008	16
2009	2

हाथियों के मारे जाने की संख्या

वर्ष	अवैध शिकार	अन्य कारण***	कुल
2005–06	16	30	46
2006–07	23	44	67
2007–08	18	72	90
2008–09	15	54	69

***विद्युतमारण और दुर्घटनाएं आदि शामिल हैं।

श्री हेमलाल मुर्मू : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि देश में वन्यजीवों की संख्या एवं स्थिति ज्ञात करने के लिए तैनात राज्य एवं केन्द्र सरकार की एजेंसी का पूर्ण ब्यौरा और विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान वन्यजीव अधिनियम, 1972 के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई एवं दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री एस. रघुपति : महोदय, गत तीन वर्षों के लिए राज्यवार सूची अनुबंध में ही दी गई है। यह समवर्ती सूची में है। इसलिए हमने राज्य सरकार से इस मामले पर कार्य करने के लिए अनुरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने राज्य सरकारों से क्या करने का अनुरोध किया है?

श्री एस. रघुपति : हमने उनसे आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जो जवाब आ रहे हैं, वे संतोषप्रद नहीं हैं।

मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री यह है कि क्या वर्ष 1977 के बाद देश में चिड़ियों की संख्या 80 प्रतिशत से भी अधिक खत्म हो गई है, जिसका कारण कीटनाशकों व रसायनों आदि का प्रयोग और पर्याप्त दवा एवं चिकित्सकों की कमी है? यदि हां, तो देश के प्रत्येक राज्य में गिद्ध एवं

ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड आदि जैसी विलुप्त प्रजातियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न वाइल्ड ऐनीमल्स के बारे में है लेकिन आप चिड़ियों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री हेमलालू मुर्मू : वन्य जीवों में पक्षी भी आते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संभवतः बाज या उस तरह की कोई और।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विलुप्त प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा गठित विभाग, कार्मिकों की तैनाती एवं इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा खर्च की जा रही राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

अध्यक्ष महोदय : पूरा ब्यौरा नहीं, छोटा ब्यौरा दीजिए।

[अनुवाद]

श्री एस. रघुपति : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड का संबंध है, वे वन भूमि परिस्थितिकी प्रणाली पर निर्भर हैं। भारत में बुस्टर्ड की चार प्रजातियाँ हैं। एक ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड है, दूसरी लेसर फ्लोरिकन, एक अन्य बंगाल फ्लोरिकन तथा चौथी हौबारा बुस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड की वर्तमान जनसंख्या लगभग 1000 है, लेसर फ्लोरिकन की लगभग 2500 तथा बंगाल फ्लोरिकन की 400 से 500 के बीच है।

इन प्रजातियों की संख्या में कमी मुख्यतः वनभूमि के अपरदन के कारण हुई। इन प्रजातियों का पुनरुद्धार वनभूमि के स्वास्थ्य तथा रख रखाव पर निर्भर है। देश में बुस्टर्ड के रहने के स्थान के रूप में तीन समर्पित सरक्षित क्षेत्र हैं तथा सी सी एस के अंतर्गत संरक्षण हेतु सरकार द्वारा सहायता दी जाती है।

महोदय, गिद्धों के संबंध में, भारत में गिद्ध की नौ प्रजातियां रिकार्ड की गई हैं जिनमें से पांच 'जिप्स' वंश की हैं। तीन 'जिप्स' गिद्ध, यथा, ओरियंटल रम्पड गिद्ध, लांग बिल्ड गिद्ध तथा स्लेंडर–बिल्ड गिद्ध विलुप्त प्राय हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 'जिप्स' गिद्धों की जनसंख्या गत दो दशकों में लगभग 97 प्रतिशत कम हुई है। सरकार विद्यमान गिद्धों के संरक्षण हेतु कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने गिद्धों के संरक्षण हेतु कार्य योजना तैयार की है। सरकार ने पशु चिकित्सा क्षेत्र में 'डायक्लोफेनेक' के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है तथा अन्य कदम उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि आप मोर की भी देखभाल करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हेमलाल मुर्मू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कुछ ब्यौरा नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यही ब्यौरा है। उनके पास और कुछ नहीं है।

डा. धीरेंद्र अग्रवाल जी, मंत्री जी के इतने लंबे उत्तर के बाद क्या आपको कोई अन्य प्रश्न पूछना है?

डा. धीरेंद्र अग्रवाल : जी हां, मेरे पास प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत में लगभग 560 वन्य प्राणी लुप्त होने के कगार पर हैं। देश में इनको बचाने के लिए कई कानून बने हैं, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरी, संरक्षण एवं रिजर्व एरिया बने हैं। कई केन्द्रीय योजनाएं भी बनी हैं, लेकिन इनके सबके बावजूद वन्य प्राणी लुप्त होने के कगार पर हैं। आप जानते हैं कि वर्ष 1977–78 के दौरान ग्रेट इंडियन बुस्टर्ड का जितना प्रचार किया गया, उतना ही लोगों में उसके मांस को खाने की इच्छा जागृत हुई। ग्रेट इंडिया बुस्टर्ड का जितना प्रचार हुआ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इतना लंबा न बोलकर क्वैश्चन पूछिए।

डा. धीरेंद्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कभी–कभी ही बोलता हूं इसलिए आप मुझे बोलने का थोड़ा टाइम दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बाकी समय में बोलिए। अभी तो क्वैश्चन ऑवर है।

डा. धीरेंद्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, उतना ही लोगों में उसका मांस खाने की इच्छा जाहिर हुई। वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट वर्ष 1972 से लागू है। इसके तहत दोषियों को सजा मिल रही है या नहीं, हमें यह जानकारी नहीं हो पा रही है। बहुत से कारण हैं, जैसे जानवरों के अवैध शिकार हो रहे हैं, जंगलों की अवैध कटाई हो रही है। मेरे लोक सभा क्षेत्र में बेतला नैशनल फॉरेस्ट है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

डा. धीरेंद्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने वहां अपनी आंखों से देखा कि सांगवान के पेड़ काटे जा रहे हैं, कच्चे पेड़ काटे जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके पांच वर्षों से जमा समय का इसी समय उपयोग नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

डा. धीरेंद्र अग्रवाल : मैंने वहां के वन प्राधिकारी की खुद एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे प्रूफ देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा पूरक प्रश्न यह है कि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के तहत कितने मुकद्मे न्यायालयों में तीन वर्षों से ज्यादा समय से लंबित है और गत तीन वर्षों के दौरान इस कानून के तहत कितने लोगों को सजा हुई है, कितने लोग दोषमुक्त हुए हैं तथा वन विभाग के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध मिलीभगत के कारण कार्रवाई की गई है या केस दर्ज करवाये गए हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आपके पास ब्यौरा है?

श्री एस. रघुपति : मैं पहले स्पष्ट करूंगा कि लुप्त होना क्या है। किसी प्रजाति को तब लुप्त माना जाता है जब कोई संदेह नहीं रह जाता कि अंतिम जीव मर चुका है। अन्य प्रजातियों को तब लुप्त प्राय माना जाता है जब उनकी संख्या कम हो और इसलिए उनको खतरा हो। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों ने उचित कार्रवाई की है। मैं जानकारी एकत्रित करके उन्हें भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, खासतौर से जो वन्य प्राणी हैं, वे वर्तमान समय में राजस्थान में बहुत ज्यादा हैं। जिस कौम से मैं संबंध रखता हूं, बिश्नोई जाति के लोग इनके लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें सिर्फ चार वन्य प्राणियों का हवाला दिया गया है। पिछले तीन वर्ष में राजस्थान में चिंकारा, काले हिरन और नील गाय का शिकार कई दफा हुआ है, लेकिन उसका कोई हवाला नहीं दिया गया है। वर्ष 1972 का जो वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट है, उसमें सिर्फ ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट का प्रोविजन है, जिसमें मुजरिम कई बार पूरी एवीडेंस न होने के कारण बरी हो जाते हैं, उनको सजा नहीं होती। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट में कम से कम कठोर सजा और ट्रायल बाय सैशन का प्रोविजन होना चाहिए। दूसरे, वहां कर्मचारियों के पास व्हीकल नहीं है। आज स्थिति यह है कि राजस्थान में वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जो भी कर्मचारी काम करते हैं, उनके पास एक टूटी–फूटी जीप है जिसको वे चला भी नहीं सकते। क्या आप उनको बढ़िया संसाधन देने की व्यवस्था करेंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनको जवाब देने का टाइम दीजिए।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, उनको बचाने के लिए जब तक हम संसाधन नहीं देंगे तब तक वाइल्ड लाइफ के तहत जो सरकारी कर्मचारी काम में लगे हुए हैं, वे वन्य प्राणियों को नहीं बचा सकते। यही मैं आपसे जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वेहिकल वगैरह की मांग है।

[अनुवाद]

श्री एस. रघुपति : महोदय, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित तीन योजनाएं हैं। इनमें बाघ परियोजना और हाथी परियोजना है। इन योजनाओं के अंतर्गत हम राज्य सरकारों को धन मुहैया करा रहे हैं और राज्य सरकारों को वाहन तथा अन्य चीजें खरीदनी हैं। हम उन्हें इन तीन योजनाओं के माध्यम से धन मुहैया करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है?

श्री एस. रघुपति : महोदय, धनराशि जारी कर दी गयी है। कुछ राज्यों से हमें उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं और कुछ राज्यों से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यही समस्या है।

श्री विश्वजित चटर्जी : महोदय, मंत्री जी के उत्तर से ही पता चलता है कि गत दो या तीन वर्षों के दौरान जंगली हाथी तथा गैंडों की मौत की घटनाएं बढ़ी हैं। वस्तुतः गत दो या तीन वर्षों के दौरान असम में आदमी और हाथी के बीच का संघर्ष इतना गहराया है कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें जंगली हाथी ग्रामीणों द्वारा मारे गये हैं। ऐसी घटनाएं मुख्यतः वन क्षेत्र में कमी के कारण हो रही हैं। हमारे पास वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जैसे अधिनियम हैं। हम हाथी परियोजना कार्यक्रम तथा केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं से भी परिचित हैं। किंतु निगरानी प्रक्रिया के बारे में क्या हो रहा है? एक नई परिस्थिति पैदा हो रही है, वह है कि हाथी मानव बस्तियों में जा रहे हैं। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा और कौन से कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है?

श्री एस. रघुपति : भारत में लगभग 560 जानवरों की प्रजातियां तथा पादप संकटापन्न हैं। इस बारे में उत्तर अपेक्षित है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वन तथा पर्यावरण मंत्रालय वन्य जीव संरक्षण तथा प्रबंधन जिसमें मानव–पशु संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से किये जाने वाले कार्यकलाप शामिल हैं, के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है। ऐसे कार्यकलापों में उचित पशु बाड़ लगाना शामिल

है। अतः इन योजनाओं के अंतर्गत हम मानव–पशु संघर्ष को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं वन्य जीवों के प्रति माननीय सदस्य की चिन्ताओं की प्रशंसा करता हूं।

डा. सुजान चक्रवर्ती : महोदय, सुन्दरवन देश तथा पूरे विश्व के अत्यंत सुन्दर अभयारण्यों में से एक है। हम सब जानते हैं कि बाघ अभयारण्य क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण हैं। गत 15–20 वर्षों से बाघों के गांवों में घुस आने और उत्पात मचाने की घटनाएं बढ़ी हैं। ग्रामीणों को कई परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। निश्चय ही, इसका अर्थ है कि बाघों के पास भोजन इत्यादि की कमी है। अतएव वह बाहर आ रहे हैं। बाघों का आरक्षित क्षेत्रों के भीतर संरक्षण किया जाना चाहिए। बाघों के बाहर निकल आने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या इसके कारणों तथा उन का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, के बारे में मंत्रालय के पास कोई रिपोर्ट है? मंत्रालय तथा राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

श्री एस. रघुपति : महोदय, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि बाघ संरक्षित क्षेत्र से बाहर आ रहे हैं और जब वह ऐसे संरक्षित क्षेत्रों से बाहर आते हैं तब मानव–पशु संघर्ष तथा अन्य बातें होती हैं। उस समय हो सकता है कि ग्रामीणों ने पशु को मारा हो या पशु ने ग्रामीणों को मारा हो। इस बारे में हमने राज्य सरकारों से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। बाघ परियोजना भी है। बाघ परियोजना के अंतर्गत उन्हें केन्द्रीय सहायता दी जाती है ताकि जब संरक्षित क्षेत्रों से बाघ बाहर आएं तो लोगों को बचाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं लगता कि वन्य जीवों के बारे मे और अधिक रूचि है चूंकि वे मतदाता नहीं हैं!

संवेदनशील घटनाओं का सीधा प्रसारण

42. **श्री रायापति सांबासिवा राव :**
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा मुंबई आतंकी हमले जैसी संवेदनशील घटनाओं के सीधे प्रसारण के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टेलीविजन प्रसारकों/मीडियाकर्मियों से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और संबंधित सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों सहित अनेक स्टेकहोल्डरों के साथ इस संबंध में परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार ने वचन दिया है कि सभी संबंधित स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापकतम संभव परामर्शों के पश्चात ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी प्रकार की पहल की जाएगी।

श्री रायापति सांबासिवा राव : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा इस बात से सहमत होगी कि कतिपय घटनाओं का मीडिया में बार–बार प्रसारण किए जाने से दर्शकों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि वह मीडिया से संबंधित लोगों से इस संबंध में बातचीत पहले ही शुरू कर चुके हैं। परंतु इसमें अधिक समय नहीं लगना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिएं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिशा निर्देश यथा–शीघ्र तैयार किए जाएं। क्या मंत्री जी इस संबंध में आश्वासन दे सकते हैं?

श्री आनन्द शर्मा : महोदय, सदस्य का प्रश्न संवेदनशील घटनाओं के प्रसारण विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा मुम्बई आतंकी हमलों के प्रसारण के संबंध में है। जब सतत 24 घंटे सीधा प्रसारण किया जा रहा था तो कतिपय मुद्दे उठे थे। सुरक्षा एजेन्सियों तथा इस परिस्थिति से निपटने और बचाव कार्य में जुटी अन्य सरकारी एजेंन्सियों द्वारा चिन्ताएं व्यक्त की गयी थीं। इसलिए, सरकार ने 27 नवम्बर को ही मीडिया से संबंधित सभी व्यक्तियों, सुरक्षा एजेन्सियों, आंतरिक सुरक्षा, रक्षा और ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए शामिल किए जाने वाले सरकार के अन्य अधिकारियों, उद्योग से जुड़े अग्रजी लोगों, सम्पादकों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मालिकों की बैठक बुलाने की पहल की। इस बैठक का प्रयोजन आमने–सामने बैठकर बातचीत करना था ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग तथा सरकारी एजेन्सियां विशेषकर सुरक्षा और रक्षा एजेन्सियां अपनी संबंधित चिन्ताओं के बारे में एक–दूसरे को अवगत करा सकें।

सुरक्षा एजेन्सियों ने घटनाओं के सीधे प्रसारण पर प्रश्न उठाया, जिससे कार्रवाई में बाधा पहुंच रही थी। समाचार प्रसारकों की दो एसोसिएशन हैं। पहली न्यूज ब्रॉडकॉस्टर्स एसोसिएशन और दूसरी

इंडियन ब्रार्डकास्टर्स फेडरेशन है। हमारे पास दोनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे लोग इन संस्थाओं में घटनाओं के जिम्मेदाराना प्रसारण हेतु प्रोटोकॉल और नैतिक संहिता लाएंगे। तत्पश्चात्, इस परिस्थिति के मद्देनजर और अधिक बैठकें की गई थीं। एक बैठक दिसंबर के पहले सप्ताह में और उसके बाद दो और बैठकें हुईं। हमने सुरक्षा संबंधी तथा रक्षा और नागरिकों की चिन्ताओं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अवगत कराया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको और आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने संवेदनशील परिस्थिति का प्रसारण करते हुए स्वयं को विनियमित करने वाली एक आचार व मानक संहिता तैयार की है। यहां हम मात्र गंभीर आतंकवादी हमले जैसे आपातकालीन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक आपातकालीन प्रोटोकॉल भी तैयार किया है। सरकार ने इस पहल का तथा भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता के तहत स्व–विनियमन संहिता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना किए जाने का स्वागत किया है।

श्री रायापति सांबासिवा राव : माननीय मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि जहां तक मुम्बई की घटनाओं का प्रश्न है नुकसान पहले ही हो चुका है।

दूसरी महत्वपूर्ण घटना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पारिताला रवि हत्या मामले को बार–बार टेलीविजन पर दिखाया गया है। यहां तक कि उनकी मृत्यु के एक वर्ष बाद तक भी वे इसे दिखा रहे हैं। यह अन्य दलों के लिए काफी नुकसानदेह होगा।

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यक्ति मार गया और इसे बार–बार दिखाया जा रहा है।

श्री रायापति सांबासिवा राव : उनकी हत्या की गयी थी। वे इसे आज भी दिखा रहे हैं। एक वर्ष के बाद भी वे इस घटना को दिखा रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्रवाई हेतु एक सुझाव है। मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

श्री आनन्द शर्मा : हमने इन सभी पहलुओं पर चर्चा की है क्योंकि न्यायपालिका द्वारा भी 26/11 से पहले और 26/11 के बाद कतिपय मुद्दों पर विचार किया गया था।

हमने आमने–सामने बहस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्थिति से अवगत कराया है। जहां तक अपराध की रिपोर्टिंग का प्रश्न है, सरकार का किसी भी प्रकार से न्यूज की रिपोर्टिंग अथवा न्यूज की विषयवस्तु को सीमाबद्ध करने का कोई इरादा नहीं है। किसी अपराध का नाट्य रूपांतर दिखाया जाना एक मुद्दा था और हमने इस मामले पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने मन्तव्यों से अवगत करा दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वे समुचित कदम उठाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालासोवरी वल्लभनेनी – उपस्थित नहीं।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, जैसा कि अब बहुत अच्छी तरह पता चल चुका है कि घटनाओं विशेषकर मुम्बई में आंतकी हमले के दौरान घटनाओं के अति उत्साही सीधे प्रसारण से काफी नुकसान हुआ है। अब यह पता चल चुका है कि इससे सुरक्षा एजेन्सियों और स्वयं राष्ट्र के लिए किस प्रकार से गंभीर सुरक्षा चिंताएं उभरी हैं। परन्तु मात्र इस कारण कि मीडिया से मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, मीडिया की स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए, यह बात भी बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने ही स्व–विनियमन करने का निर्णय लिया है।

इसलिए क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन न करने तथा मीडिया को पर्याप्त स्वतंत्रता देने के मामले में कोई संतुलित मार्ग निकालने हेतु मीडिया के प्रतिनिधि संगठनों और सरकार के बीच कोई समझौता हुआ? मैं संतुलनकारी निर्णय के बारे में बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यही बात कही है।

श्री आनन्द शर्मा : महोदय, जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं सरकार का न्यूज की विषयवस्तु को नियंत्रित करने का कोई इरादा नहीं है और सरकार ने किसी भी चरण पर इस संबंध में विचार नहीं किया। सरकार ने मीडिया के साथ आमने–सामने की बैठक तभी की जब संबंधित एजेन्सियों, सिविल सोसायटी और न्यायपालिका द्वारा मौखिक व लिखित दोनों रूप में कतिपय चिन्ताएं व्यक्त की गईं। आपातकालीन प्रोटोकॉल का मुद्दा उठाया जा रहा था। हमने न्यूज ब्रॉडकॉस्टर्स एसोसिएशन और मीडिया को अपनी स्वयं की संहिता व आपातकालीन प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

महोदय, मैं यहां एक बात जोड़ना चाहूंगा कि संसार में कहीं भी, किसी भी लोकतंत्र में जब कभी ऐसी गंभीर स्थिति पैदा होती है तो प्रोटोकॉल और व्यवस्थायें मौजूद होती हैं – चाहें आतंकवादी हमले लंदन में हुए हों अथवा मैड्रिड में ऐसे विनिमय विद्यमान थे। प्रशासन ने भी कतिपय खामियां स्वीकार की हैं। हमले के तुरंत बाद कुछ कदम उठाए जाने चाहिएं थे विशेषकर उस क्षेत्र की घेराबंदी करने तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए समान रूप से अवसर दिए जाने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए थे जहां कोई अधिकृत प्रवक्ता सभी ब्यौरे और सूचना उपलब्ध कराता। हमने इन सभी बातों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अग्रणी लोगों से चर्चा की थी। पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। एक विनियमन अच्छी बात है और हम यह देखेंगे और आशा करेंगे

कि यह प्रभावी रूप से सफल हो। लेकिन पहले ब्राडकास्टर्स एसोशिएसन को निर्णय लेना है और हम यह आशा करते हैं कि वे अपनी स्व–विनियामक संहिता को कार्यान्वित करेंगे अन्यथा भूतपूर्व न्यायाधीश के अंतर्गत समाधान के लिए प्राधिकरण कार्यवाही करेगा जिसके बारे में हमें आश्वासन दिया गया है।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, माननीय मंत्री महोदय, यह कह रहे हैं कि हमारे लिए स्वयं विनियमित होने वाला समाचार मीडिया सर्वोत्तम विकल्प है। मामला केवल 26/11 से संबंधित नहीं है। मुझे स्मरण है और मेरे विचार से सभा मुझसे सहमत होगी कि कारगिल युद्ध के दौरान एक खास चैनल ने, जिसका नाम मैं नहीं लूंगा, यह प्रसारित किया था कि कारगिल में एक विशेष गन का उपयोग किस प्रकार किया गया था और इससे एक प्रकार से रक्षा बल बचाव की मुद्रा में आ गए थे। इसलिए यह मामला केवल 26/11 का नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनका प्रसारण किया गया है।

इससे हमारे रक्षा बल प्रतिकूल स्थिति में आ गए हैं ...*(व्यवधान)* लेकिन न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएसन ने पूर्व में एक विशेष दिशानिर्देश तैयार किया है। यह नया नहीं है। 26/11 की घटना के बाद एक नया दिशा निर्देश तैयार किया गया है। लेकिन पहले भी एक विशेष दिशा निर्देश तैयार किया गया था जिसका अनुपालन कभी–कभार ही किया गया है। मैं सरकार से उत्तर चाहूंगा। जिस प्रकार प्रिंट मीडिया की देखभाल के लिए आज प्रेस परिषद है, क्या उसी प्रकार उदाहरणार्थ एक परिषद अथवा मीडिया परिषद का गठन किया जाएगा जो कि प्रभावित पक्षों की शिकायतों की भी जांच करेगा? प्रेस परिषद का गठन प्रिंट मीडिया के लिए किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मीडिया परिषद के गठन के बारे में है।

श्री आनन्द शर्मा : माननीय सदस्य ने एक आधारभूत मुद्दा उठाया है। यह सत्य है कि प्रिंट मीडिया के लिए भारतीय प्रेस परिषद के माध्यम से शिकायतों के निपटान के लिए एक तंत्र है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए इस प्रकार का कोई निकाय नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रेस परिषद के पास शक्तियां नहीं हैं।

श्री आनन्द शर्मा : जी, हां महोदय। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ दोनों एसोसिएशन–द न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन तथा आई. बी. एफ. के साथ परामर्श कर रहे हैं। प्रथम कदम के रूप में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया गया है जिसमें एडीटर्स गिल्ड, एन. बी. ए., आई. बी. एफ., नागरिक समाज तथा अन्य हित धारकों के प्रतिनिधि सदस्य बनाए गए हैं ताकि नियमित रूप से विचार–विमर्श सुनिश्चित किया जा सके। शिकायत निपटान तंत्र से संबंधित दूसरे मुद्दे के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्व–विनियमन प्रभावी सिद्ध होगा–एन.बी.ए. ने सरकार को वचन दिया है। इसके साथ ही परामर्श की प्रक्रिया चल रही है। प्रसारण हेतु विषय वस्तु संहिता को अंतिम रुप दिए जाने सहित, जिस पर सरकार सक्रिय रूप विचार कर रही है, जो भी प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाएगा वह व्यापक परामर्श के उपरांत ही किया जाएगा। इसके साथ ही इस मामले की ओर माननीय उच्चतम न्यायालय का ध्यान आकृष्ट हुआ है। सरकार ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की है और यह आश्वासन दिया है कि जो भी प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाएगा वह व्यापक परामर्श के उपरांत ही किया जाएगा।

महोदय, यहां मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि इस प्रकार के मामलों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए दिशानिर्देश हैं ये दिशानिर्देश तथा अधिनियम पुराने पड़ चुके हैं। वर्ष 1995 के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तीव्र गति से विकास हुआ है। आज, 417 चैनल हैं जिसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं। 200 से अधिक चैनलों को समाचार एवं समसामरिक घटनाओं वाले चैनल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब इस प्रकार की घटना होती है, जब इस प्रकार का विस्तार होता है, जब नई प्रौद्योगिकी आती है–तब प्रौद्योगिकियों का कन्वर्जेन्स भी होता है जो कि प्रसारण तथा दूरसंचार के क्षेत्र में हो रहा है इसके लिए उनकी प्रोटोकॉल, व्यवस्था, विनियामक दिशानिर्देश की आवश्यकता होगी। सरकार मीडिया के परामर्श से इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दे रही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अध्यक्ष महोदय, जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, एक तरफ आंतरिक सुरक्षा की बातें हैं, जो यहां मंत्री जी ने उत्तर दिया है, मेरा आग्रह है कि इन चैनल्स के कारण व्यक्तिगत जीवन भी प्रभावित होता है, न्यायिक जीवन भी प्रभावित होता है और चैनल्स के कारण परिवार के बीच बैठ कर हम कोई भी ऐसा मनोरंजक कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं, चाहे जिस तरह का भी चैनल हो, चाहे एम टीवी हो या वी टीवी हो, उनमें लगातार अर्द्धनग्न मिक्स गाने चलते रहते हैं। क्या मंत्री जी ने ऐसी चीजों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए हैं जिससे परिवार और समाज पर बुरा असर न पड़े तथा किसी का व्यक्तिगत जीवन प्रभावित न हो? मंत्री जी ने क्या ऐसी किसी आचार संहिता को लागू करने का काम किया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक संवेदनशील मामला है, लेकिन यह सामाजिक दृष्टि से भी संवेदनशील है।

[हिन्दी]

श्री आनन्द शर्मा : सर, यह समाज के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कि माननीय सदस्य ने अभी बात रखी। केबल टी.वी. नैटवर्क के तहत कुछ गाइडलाइन्स हैं। उनके अंतर्गत अश्लील या कोई भी ऐसा चित्र दिखाने पर पाबन्दी लगती है, जिससे समाज पर और विशेषकर युवा पीढ़ी और बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता हो। उन गाइडलाइन्स को मजबूत करना, उनको अमल में लाने के लिए जो भी कार्रवाई आवश्यक है, सरकार उस पर ध्यान करती है। इस संदर्भ में एक इंटर-मिनिस्ट्रीयल कमेटी बनी थी। वह इंटर-मिनिस्ट्रीयल कमेटी वर्ष 2006 में बनी थी। उस कमेटी ने मार्च, 2008 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। इस कमेटी के अंदर जहां सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव मुख्य थे, वहीं उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय,

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास मंत्रालय, नागरिक समाज संगठन, बाल मनोवैज्ञानिक तथा समाजशास्त्री सभी समिति के अंग थे। उन्होंने एक व्यापक रिपोर्ट दी है और एक प्रारूप संहिता विचाराधीन है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने कार्यवाही की है।

[हिन्दी]

अभी ये प्रावधान हैं। इन गाइडलाइन्स के तहत 263 मामलों में शो-कॉज नोटिस दिया गया था, 106 मामलों में लिखित वॉर्निंग और एडवाइजरी दी गई थी और कई ऐसे किस्से हैं जिनमें चैनल्स को कुछ दिन के लिए बंद किया गया या कई जगह पर पूरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। मैं पूरा ब्यौरा माननीय सदस्य को भेज सकता हूं।

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर हम सब लोगों का विश्वास भी है और अपने देश के संविधान के मुताबिक सभी को आजादी भी मिलनी चाहिए। हमारे जैसे आम कार्यकर्ताओं को निपुण बनाने का काम भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने किया है। *...(व्यवधान)* हम इलैक्ट्रानिक मीडिया का आदर करते हैं, लेकिन जहां तक मुम्बई पर हुए हमले का सवाल है और उस हमले में जिस तरह से आतंकवादी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरी जानकारी देख रहे थे, मेरा कहना इतना ही है कि अगर इस तरह का हमला होता है तो रेगुलर और इस तरह का प्रसारण नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर पाबन्दी होनी चाहिए और ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है। दूसरे, मेरा यह कहना है कि कलर टी.वी. के बिग बॉस ने 545 की गिनती में से मुझ अकेले को बुलाया था और मेरा नाम वहां लेने के बाद मेरा नाम कैंसिल कर दिया गया। यह पार्लियामेंट, लोक सभा का अपमान था। *...(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि क्या कलर टी.वी. पर आप कोई कार्रवाई करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने पहले मुझे क्यों बुलाया था? *...(व्यवधान)* मैं भी वहां जाकर बिग बॉस बनने वाला था। *...(व्यवधान)* उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए।

श्री आनन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं लोक सभा टेलीविजन पर आपके आने की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन केवल दो मिनट के लिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इतना गुस्सा मत कीजिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों के ऐसे ही एपीसोड की बात करूंगा जब प्रणब जी ने पाकिस्तान के ऊपर सख्ती की बात की और कुछ आर्मी का मसला सामने आया तो दिखाया गया कि उधर पाकिस्तान में कैम्प लग रहे हैं, मीडिया ने उसमें स्पेशली हमारी आर्मी दिखाई और बताया कि हमारी यह चीज कम है, हमारी स्ट्रैन्थ कम है, हमारी आर्म्स एंड एम्युनिशंस कम है और हमारे जहाज ठीक नहीं है। मैं सब पर्सनली देख रहा था। मुझे कष्ट हुआ कि मीडिया हमारी आर्मी को डाउन क्यों दिखाना चाहता है? पाकिस्तान को क्यों मजबूत दिखा रहा है? इसका देश भर में सीरियस नोट लिया गया। सरकार इसके लिए क्या करना चाहेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह वही है। आप उत्तर दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री आनन्द शर्मा : महोदय, इस विषय पर सरकार का ध्यान दिलाया गया था। मैंने जिस बैठक का जिक्र किया, उसमें रक्षा मंत्रालय की सुरक्षा एजेंसियों से मीडिया की बात कराई और उन्हें सेंसिटिव करार दिया गया था कि इस मामले की रिपोर्टिंग देश के हित में नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दो प्रश्नों पर 35 मिनट लिया जा चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 43 लेंगे।

[हिन्दी]

रक्षित कोयला ब्लाकों का आबंटन रद्द करना

*43. **श्रीमती रूपाताई डी. पाटील :**

श्रीमती करूणा शुक्ला :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ रक्षित कोयला ब्लाकों का आबंटन रद्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ये रक्षित कोयला ब्लाक आबंटित किए गए थे; और

(घ) चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) आबंटन की शर्तों के अनुरूप कोयला ब्लाक के आबंटितियों को निर्धारित समय सीमा के अनुसार ब्लाकों को विकसित करना अपेक्षित होता है। कोयला ब्लाकों के विकास में असंतोषजनक प्रगति अथवा लिंक्ड अन्त्य उपयोग परियोजना की स्थापना में असंतोषजनक प्रगति अथवा आबंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में कोयला ब्लाकों का आबंटन रद्द किया जा सकता है। ब्लाकों की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और अपेक्षित होने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) आज की तारीख तक 136 कंपनियों को केप्टिव उपयोग हेतु 138 कोयला ब्लॉकों का आबंटन किया गया है।

(घ) अब तक 7 कोयला ब्लाकों का आबंटन रद्द किया गया है तथा एक मामले में खनन पट्टे को अमान्य घोषित कर दिया गया है।

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के पहले भाग का उत्तर सही नहीं दिया। उन्होंने जवाब में सात कोल ब्लॉक का आबंटन रद्द करने के बारे में बताया है, लेकिन आबंटन रद्द क्यों किया गया, इसका उत्तर नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कैप्टिव कोल ब्लॉक्स का आबंटन क्यों रद्द किया गया इसके क्या कारण हैं, इस बारे में विस्तृत विवरण दें।

अध्यक्ष महोदय : डिटेल कैसे देंगे?

[अनुवाद]

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, मेरे पास सभी सातों ब्लॉकों का पूरा विवरण है कि उनका आबंटन रद्द क्यों किया गया। आबंटन रद्द तब किया जाता है जब काम में आने वाला अंतिम उत्पाद समय पर नहीं आ रहा हो या आबंटन के समय निर्धारित किए मानदंडों का पार्टी द्वारा पालन नहीं किया जा रहा हो। उदाहरण के लिए कलिंगा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आबंटन रद्द किया गया है। इसका आबंटन रद्द किए जाने का कारण विद्युत संयंत्र में लगने वाले समय के बारे में अनिश्चितता और आबंटन के बाद नौ वर्ष व्यतीत हो जाना रहा। इसी प्रकार, तालचेर खनन के मामले में ...

अध्यक्ष महोदय : सभी ब्यौरे नहीं दिए जा सकते हैं।

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, मैं विवरण उन्हें भिजवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हां, विवरण उन्हें भिजवा दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील : महोदय, रक्षित कोल ब्लॉक आबंटन के कारण राज्य सरकार को राजस्व हानि हो रही है। इसे देखते हुए क्या उसकी नीति द्वारा आबंटन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? निजी क्षेत्र को आबंटित रक्षित कोयला ब्लॉकों द्वारा कोयले का अनुमानित उत्पादन कितना है, इसका विवरण दें।

[अनुवाद]

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, जहां तक ब्लॉकों के आबंटन का संबंध है, उसके बारे में नीति यह है कि यह आबंटन रक्षित खनन के लिए योग्य पाई गई इकाइयों को संवीक्षा समिति के जरिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य देश में कोयले का आबंटन बढ़ाना है।

चूंकि वह चाहती है कि यह आबंटन नीलामी प्रक्रिया से किया जाए, जैसे ही मैं मंत्री बना, केबिनेट में सबसे पहले इस बात पर चर्चा हुई थी। यह बात अनुमोदित हो गई है। मैं समझता हूं कि यह विधेयक इस सत्र में आ रहा है या हो सकता है कि बाद में आए क्योंकि यह खान मंत्रालय के जरिए आएगा। यदि विधेयक आता है तो हम यह प्रक्रिया अपनाएंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती करूणा शुक्ला – उपस्थित नहीं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : महोदय, मेरे अच्छे मित्र के उत्तर से थोड़ा आश्चर्य हो रहा है, माननीय मंत्री जी वस्तुतः वास्तविक मुद्दे से बच रहे हैं।

महोदय, भारत में, कोयला ऊर्जा क्षेत्र भी एक आवश्यकता है तथा लगभग 63 प्रतिशत बिजली कोयले से उत्पादित होती है। कोल इंडिया लिमिटेड जिसका कोयले क्षेत्र में एकाधिकार है, ने गत वर्षों में पांच से छह प्रतिशत वृद्धि दर से कोयले का उत्पादन किया है जबकि भारत में कोयले की अत्यधिक कमी है जिससे अब भारत में लगभग 15 से 20 प्रतिशत कोयला आयात करने की आवश्यकता है तथा योजना आयोग के अनुदानों के अनुसार कुछ ही वर्षों में इसके बढ़ने की संभावना है। अतः प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप कोयले की आवश्यकता वाली विद्युत कंपनियों या इस्पात कंपनियों का वास्तव में किसको रक्षित ब्लॉकों की आवश्यकता होगी।

महोदय, इस मामले में मुद्दा वास्तव में यह था, जैसा कि मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा है कि रक्षित ब्लॉकों का आबंटन करने के बाद भी उनसे कोयले का उत्पादन क्यों नहीं हुआ तथा इसके बावजूद भी वे कोयले का उत्पादन नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोल इंडिया से इतने उत्पादन की आशा नहीं थी इसलिए रक्षित ब्लॉकों का आबंटन किया गया था। फिर भी वे कोयले का उत्पादन कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द करने के लिए क्या कार्रवाई की है और वह किस प्रकार से एक तंत्र बनाएंगे जिससे ये रक्षित ब्लॉक कोयले का वास्तव में उत्पादन कर सकें। ये रक्षित खण्ड अपना वह उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए इनका आबंटन किया गया था।

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र तथा माननीय सदस्य को आश्चर्य हुआ है लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि वह अच्छे मित्र हैं।

मुख्य मुद्दे पर आते हुए कि यह आबंटन क्यों किया गया था तथा उत्पादन क्यों नहीं हो रहा है, जब एक कोयला ब्लॉक का आबंटन किया जाता है तो इसमें तीन से पांच वर्ष लगते हैं। इतनी समय सीमा हम देते हैं। अधिकांश आबंटन 2003 के बाद किए गए हैं। 23 कोयला ब्लॉकों में वास्तव में उत्पादन शुरू भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि कोयला ब्लॉकों में उत्पादन शुरू नहीं हुआ है बल्कि इनका कुल उत्पादन 21.638 मिलियन टन है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य यह था कि इन रक्षित खानों तथा आबंटित कोयला ब्लॉकों से हमें लगभग 100 मिलियन टन कोयला प्राप्त होगा। हमें आशा है कि हम यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। कोयले की कमी है लेकिन प्रत्युत्तर में आपने आयातों के बारे में जो पूछा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लगभग 50 मिलियन टन कोयले का आयात किया है। इसमें से 25 मिलियन टन कोकिंग कोयला है। यह कोकिंग कोयला देश में उपलब्ध नहीं है। शेष 22 या 23 मिलियन टन में से लगभग 10 से 12 मिलियन टन ऐसा कोयला है जिसकी विशेषरूप से विद्युत उत्पादन इकाइयों तथा पत्तनों को आवश्यकता होती है। अतः अब शेष लगभग 10 मिलियन टन कोयला ही बचता है। वह भी हमारे पास स्टॉक में है। गत वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात् 1 अप्रैल 2008 तक हमारे पास 47 मिलियन टन कोयला था जिसे हम इस बार लगभग 30 मिलियन टन तक ले आए हैं। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि इतनी ज्यादा कमी नहीं जितनी की लग रही है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत इकाइयां कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं रखती हैं। मानदण्डों के अनुसार जो विद्युत इकाइयों खदान के मुहाने से दूर हैं उन्हें 21 दिन का स्टॉक रखना चाहिए। खदान के मुहाने पर स्थित इकाइयों को 15 दिन का स्टॉक रखना चाहिए। लेकिन इतना कोयला उपलब्ध नहीं है। यह वास्तविकता है। योजना आयोग ने भी कोयला आयात करने की सलाह दी है। उन्होंने कोयले का आयात नहीं किया है। जब तक वे कोयले का आयात नहीं करते, तब तक वे स्टॉक नहीं बढ़ा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : दोनों पक्ष संक्षेप में अपनी बात कहें।

डा. बाबूराव मिडियम : उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि लगभग 138 कोयला ब्लॉक 136 कंपनियों को आबंटित किए गए हैं।

महोदय, कोयला खानों का आबंटन मुख्यतः निजी कंपनियों को दिया गया है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में ब्राह्मनी स्टील को इसके आरंभ समय से ही रक्षित खान का आबंटन हो गया था, जबकि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट पांच वर्षों से इसकी मांग कर रहा है, लेकिन उन्हें अब तक यह आबंटित नहीं किया गया है। रक्षित खान के आबंटन में विलम्ब क्यों हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय : सरकारी क्षेत्र के लिए?

डा. बाबूराव मिडियम : हां, महोदय।

श्री संतोष बागड़ोदिया : ये खानें न केवल सरकारी क्षेत्र को आबंटित की गई हैं बल्कि सहकारी क्षेत्र को भी आबंटित की गई हैं। दो प्रकार के आबंटन किए गए हैं। पहला खनन एवं बिक्री के लिए। यह केवल सरकारी क्षेत्र को दिया गया है, इसके लिए निजी क्षेत्र को अनुमति नहीं है। केवल रक्षित उपयोग के लिए, इसे निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है। यदि हम रिकॉर्ड देखें तो मैं आपको सभी ब्यौरे दे सकता हूं। यदि आप चाहें तो ये मैं आपको भिजवा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के बारे में ब्यौरा दीजिए।

श्री संतोष बागड़ोदिया : विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के बारे में फिलहाल सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं इसे भिजवा दूंगा। ऐसा इसलिए कि एक विनिर्दिष्ट प्रश्न है जो इससे उठता भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह आपको भिजवा देंगे,

[हिन्दी]

उसके बाद क्या होगा, हम नहीं जानते हैं।

डा. धीरेंद्र अग्रवाल: सर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है। वहां भी यही समस्या है। इसलिए आप मुझे भी एक मिनट बोलने का अवसर दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

आपको पता होना चाहिए कि दूसरा अवसर नहीं दिया जाता है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, बहस के लिए आप नोटिस दीजिए।

[अनुवाद]

पंचायतों में ज्ञान केन्द्र

***44. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण लोगों विशेषकर महिलाओं और गरीबों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पंचायतों में ज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। सरकार पंचायती राज संस्थाओं में ई–शासन (ई–पी.आर.आई.) की प्रस्तावित केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के माध्यम से देश की ग्रामीण जनसंख्या के सभी वर्गों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी) के लाभों को पहुंचाने का प्रस्ताव करती है। प्रस्तावित स्कीम पंचायतों के जरिए बेहतर शासन व बेहतर सेवा सुपुर्दगी लाएगी एवं समुदाय व अन्य प्राधिकरणों के लिए पंचायती राज संस्थाओं की बृहत्तर जवाबदेही को सुलभ बनाएगी। परियोजना से स्कीमों का बेहतर कार्यान्वयन व मॉनिटरिंग होगी, निधियों का प्रभावी व पारदर्शी उपयोग होगा तथा उससे ग्रामीण लोग बाहर की जानकारी की दुनिया व बाजार तक की पहुंच से जुड़ने में समर्थ होंगे। पंचायत स्तर पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को इतने बड़े पैमाने पर शामिल किए जाने से अंततः आम जनता में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की संस्कृति का विकास होगा। इस प्रकार सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 'समावेशी शासन' के माध्यम से 'समावेशी विकास' में अपना अवदान करेगी।

(ख) प्रस्तावित स्कीम में सभी ग्राम व प्रखंड पंचायतों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की आधारभूत सुविधाएं (कम्प्यूटर, प्रिंटर, यू. पी. एस. एवं वेब कैमरा) तथा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। उपयुक्त सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को भी लगाया जाएगा जिससे कि पंचायतें विभिन्न स्टेकहोल्डरों जैसे नागरिकों, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों व केंद्र सरकार की सेवा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में समर्थ हो सकें।

(ग) परियोजना के पूर्ण रूप से प्रसार के लिए तीन वर्षों का टाईम लाईन प्रस्तावित है।

(घ) सचिव, पंचायती राज की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम समिति (एन. पी. सी.) का गठन किया गया है। राष्ट्रीय कार्यक्रम समिति पर परियोजना के मिशन व विज़न के निर्माण; ई–पंचायती राज संस्था के तहत परियोजनाओं को अनुमोदित करने; आवधिक अंतरालों पर परियोजना के मॉनिटर व मूल्यांकन के लिए उपयुक्त उपकरणों व तंत्रों की व्यवस्था करने; तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय कार्यक्रम समिति की सिफारिशों के आधार पर, परियोजना की अभिकल्पना तथा कार्यान्वयन के ब्यौरे को प्रारूपित किया जा रहा है।

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, सूचना और संचार प्रणाली को सुदृढ करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नोलेज पार्क और नोलेज किओस्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जून 2007 में गठित एक विशेषज्ञ दल ने तीन वर्ष की समय–सीमा के साथ 6700 करोड़ रुपए की परियोजना लागत का अनुमान लगाया है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस वर्ष के साथ–साथ आगामी वर्ष के लिए धनराशि आबंटित की गई है ताकि इस परियोजना का कार्य में तेजी लाई जा सके।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर हम इस बात की आंतरिक जांच कर रहे हैं कि क्या इसकी लागत में कमी लाई जा सकती है इसके अतिरिक्त हम विशेषज्ञ दल की

सिफारिशों पर गहन विचार कर रहे हैं। हम इसकी लागत को कम करके 4600 करोड़ रुपए तक लाने में सफल हुए हैं। अब यह दस्तावेज व्यय वित्त समिति की जांच के लिए तैयार हैं। अतः इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही हम इसे वास्तविक रूप में लागू करेंगे और इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि हम इसे ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान ही पूरा करने में सफल होंगे।

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : महोदय, पंचायतों से लेकर संसद तक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश जो कि एक संवेदनशील क्षेत्र है, के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आंध्र प्रदेश को उसका हिस्सा मिल जाएगा। वर्तमान में हमारे पास एक प्रस्ताव है जिसे हम ई पी आई आर के नाम से जानते हैं राष्ट्रीय ई–गर्वनेन्स के अंतर्गत 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट में से एक मिशन मोड़ प्रोजेक्ट पंचायती राज संस्थाओं के लिए एम एम पी के मिशन मोड़ प्रोजेक्ट के रुप में चलाया जाएगा। इस कार्य को करने का मूल उद्देश्य पंचायतों को निर्णय लेने में सहायता करने संबंधी प्रणाली, पारदर्शिता हेतु एक उपकरण, नागरिकों को सूचना प्रदान करना और नागरिकों को बेहतर और सुगम सेवाओं के परिदान के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा, पंचायतों के आंतरिक प्रबंधन और कार्यकुशलता में वृद्धि करना, पंचायतों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों की क्षमता निर्माण करना और ई–प्रापण का माध्यम प्रदान करना है। इसके लिए हमारे कार्यक्रम में सात घटक हैं (एक) सूचना और सेवा आवश्यकताएं आकलन (दो) प्रसंस्कृत री इंजीनियरिंग; (तीन) संगणना सुविधाओं, डाटा केन्द्र और कनेक्टिविटी सहित सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना; (चार) सिस्टम सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर सहित साफ्टवेयर, (पांच) प्रशिक्षण और जागरूकता उत्पन्न करने सहित क्षमता निर्माण; (छह) डाटा डिजीटाइजेशन; और (सात) कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन।

मुझे आशा है कि अब जबकि हमारे पास पूरा प्रस्ताव तैयार है इसलिए हमें अपेक्षित अनुमोदन मिल जाएंगे और हम इस परियोजना को बहुत जल्दी शुरू करने में सफल होंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पंचायतों को इक्कीसवीं शताब्दी के अनुकूल बनाने की तुलना में इस परियोजना को मंजूरी दिलाना सबसे महत्वपूर्ण काम है।

अध्यक्ष महोदय : डा. मनोज कृपया संक्षिप्त अनुपूरक प्रश्न पूछिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है।

डा. के. एस. मनोज : मैं यह जानकर बहुत खुश हूं कि सरकार का विचार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से देश में ग्रामीण जनसंख्या के सभी वर्गों तक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने का है।

महोदय, केरल में ई–गर्वनेन्स और पंचायती राज संस्थाओं के अतिरिक्त 'अक्षय' नाम की एक कंप्यूटरीकरण परियोजना भी है जिसके माध्यम से केरल सरकार राज्य में शत–प्रतिशत कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या पंचायती राज मंत्रालय केरल की संपूर्ण जनसंख्या को शत–प्रतिशत कम्प्यूटर साक्षरता प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए "अक्षय" कंप्यूटरीकरण परियोजना को सहायता प्रदान करने पर विचार कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग प्रश्न है।

श्री मणि शंकर अय्यर : हमारा उद्देश्य भारत के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, जोकि संविधान के भाग नौ के अंतर्गत आते हैं, में लगभग 2,38,000 पंचायतों में आई सी टी सुविधाएं प्रदान करना है। इसके लिए हमें अनेक राज्यों में पहले से ही चल रही योजनाओं के साथ अपनी योजनाओं को चलाने का प्रयास करेंगे। अक्षय कार्यक्रम हमारा एक प्रायोगिक कार्यक्रम है और यह हमारा ऐसा कार्यक्रम है जिसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी इस संबंध में काफी काम किया जा रहा है। हमारे लिए आदर्श स्थिति तो यही होगी कि हम ऐसा कर पाएं।

कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ज्ञान केन्द्रों की स्थापना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत इग्नू के केन्द्रों की स्थापना के लिए सुलभ प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में राज्यों द्वारा भी पहल की जा रही है। हम केन्द्र के स्तर इन सभी को साथ लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसका कुछ कारण यह है कि हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं इसलिए हम इसकी अनुमानित लागत 6000 करोड़ रुपए से घटाकर इसे 4600 करोड़ रुपए तक ले आए हैं।

हम 'अक्षय' कार्यक्रम को आगे भी अपना समर्थन देते रहेंगे बशर्ते की केरल सरकार हमारी सहायता लेने की इच्छा रखती हो।

श्रीमती एम. एस. के. भवानी राजेन्द्रीरन : महोदय, पंचायतों में नोलेज किआस्क की स्थापना की योजना बहुत ही प्रशंसनीय है। आज यह समय की मांग है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी यही स्वप्न था।

उत्तर में स्पष्ट तौर पर यही बताया गया है कि बडी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तीन वर्ष की अवधि का प्रस्ताव है। अब तक हमें जो कुछ पता चला है उसके अनुसार एक पंचायत ब्लॉक में एक इंटरनेट कनेक्शन दिया गया है जबकि एक ब्लॉक में अनेक गांव हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या मंत्रालय के पास उपर्युक्त सुविधाएं प्रत्येक गांव में प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि तभी हम निर्धारित समय में लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं पूछे गए प्रश्न को समझता हूं। लेकिन चूंकि इसका निर्धारण राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों

पर छोड़ दिया गया है कि एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में कितनी बसावटें शामिल की जाएंगी, यह मुद्दा राज्य दर राज्य अलग–अलग हो जाता है। मेरे विचार से, पंजाब ऐसा राज्य है, जहां न्यूनतम जनसंख्या वाली पंचायतें हैं और केरल में, अविश्वसनीय रूप से, एक एकल ग्राम पंचायत में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं।

इसलिए, बंद करने के समय हमें इसको ध्यान में रखना पड़ता है। किंतु वास्तव में यह एक ई पी आर आई योजना है। इसलिए, हम प्रत्येक पंचायत राज संस्था में ई–सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते और यदि अधिक बसावटें होती हैं, तो हमें यह देखना पड़ता है कि हम ग्राम स्तर के कियोस्कों के साथ किस प्रकार इसे जोड़ सकते हैं, जो कि पंचायत स्तर के कियोस्कों की तरह नहीं होते। यदि किसी राज्य विशेष के विशिष्ट पंचायत क्षेत्र में इसके विस्तार की आवश्यकता होगी तो निश्चित तौर पर हम इस पर विचार करेंगे किंतु केवल तभी जब हम इस परियोजना के लिए योजना आयोग की स्वीकृति पाने और वित्त मंत्रालय से धनराशि प्राप्त करने में सफल हो जाएं। तत्पश्चात, इसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के संबंध में अनेक अनुपूरक प्रश्न पूछे गए थे। किंतु अब कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है।

[हिन्दी]

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम कॉरीडोरों की स्थिति

*45. **श्री महावीर भगोरा :**
श्री तथागत सत्पथी :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम (एन एस ई डब्ल्यू) कॉरीडोरों के अंतर्गत सड़कों के विभिन्न खंडों का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो खंडवार स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्धारित से अधिक समय लगने के कारण लागत में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परियोजनाओं को पूरा करने में हुए विलंब और निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता के लिए जिम्मेवार–ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा अधूरे कार्य को बिना और विलंब के पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व–पश्चिम महामार्ग परियोजना के कार्यान्वयन की खंडवार स्थिति का ब्यौरा संलग्न अनुबंध–I में दिया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कुल 5846 किमी. लंबाई में से 5713 किमी. लंबाई (97.72%) पहले ही पूरी कर ली गई है। उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व–पश्चिम महामार्ग परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 7142 किमी. में से 3291 किमी. (46.00%) लंबाई पूरी की जा चुकी है जबकि 3030 किमी. लंबाई (42.42%) में कार्य चल रहा है। परियोजना खंड जिनमें विलंब हुआ है उनमें विलंब के विभिन्न कारणों में शामिल हैं–ठेकेदारों का धीमी गति से कार्य निष्पादन जिसके कारण ठेके रद्द करने पड़े और ठेके पुनः सौंपने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी और इसी के साथ भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण से संबंधित समस्याएं तथा कुछ राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति।

(ग) संबंधित करार के प्रावधानों के अनुसार मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाता है। यदि ठेकेदार की ओर से गलती के कारण परियोजना में विलंब होता है तो परिसमापन क्षति लगाई जाती है और किसी मूल्य वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाता। केवल ऐसे मामले में ही मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाता है जिनमें गलती ठेकेदार के नियंत्रण से परे होती है। समग्र लागत वृद्धि यदि कोई हो, की जानकारी परियोजना के पूरा हो जाने के बाद ही मिल पाती है।

(घ) और (ङ) जिन मामलों में ठेकेदार द्वारा धीमी गति के कार्यनिष्पादन के कारण विलंब हुआ है उनमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ठेके समाप्त कर दिए गए हैं। कार्यान्वयन में विलंब के कारण स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व–पश्चिम महामार्ग से जुड़े कुल 19 ठेके समाप्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 7 विदेशी और 11 भारतीय ठेकेदारों को नॉन परफॉर्मिंग ठेकेदार घोषित किया गया है और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना में निविदा देने से रोक दिया गया है। समाप्त किए गए ठेकों की सूची संलग्न अनुबंध–II में दी गई है तथा नॉन परफॉर्मिंग ठेकेदार के रूप में घोषित ठेकेदारों की सूची संलग्न अनुबंध–III में दी गई है।

(च) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास अनुबंध–IV में दिए गए हैं।

अनुबंध-I

क्र.सं.	रारा सं.	खंड	लंबाई (किमी.)	पूरी हो चुकी लंबाई (किमी.)	वर्तमान स्थिति	कार्य प्रारंभ होने की तारीख	पूरा होने की संभावित तारीख	एनएचडीपी चरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाएं								
1	2	वाराणसी–मोहनिया (जीटीआरआईपी/IV-ए)	76	73.97	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च-2002	जून-2009	एनएचडीपी चरण I
2	6	पुल खंड (डब्ल्यूबी-III)	1.732	0.48	ठेका समाप्त	जन.-2001	-	एनएचडीपी चरण I
3	2	आगरा–शिकोहाबाद (जीटीआरआईपी/I-ए)	50.83	49.89	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च-2002	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण I
4	2	गोरहर–बरबा अड्डा (टीएनएचपी/V-सी)	78.75	73.45	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2001	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण I
5	2	इलाहाबाद बाइपास ठेका-II	38.987	38.987	कार्यान्वयन के अधीन	जून.-2004	जून-2009	एनएचडीपी चरण I
6	2	इलाहाबाद बाइपास ठेका-II	44.708	41.15	कार्यान्वयन के अधीन	नव.-2004	जून-2009	एनएचडीपी चरण I
7	5	बालासोर–भद्रक (ओआर-III)	62.64	35.56	ठेका नवं. 08 में फिर सौंपा गया	दिसं.-2008	दिसं.-2010	एनएचडीपी चरण I
8	5	भुवनेश्वर–खुर्दा (ओआर-I)	26.3	26.3	कार्यान्वयन के अधीन	जन.-2001	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण I
9	5	सुनखला–गंजम (ओआर-VIII)	55.713	21.202	ठेका समाप्त	अग.-2001	-	एनएचडीपी चरण I
10	5	गंजम–इच्छापुरम (ओआर-VIII)	50.8	20.89	कार्यान्वयन के अधीन	जुलाई-2006	जन.-2009	एनएचडीपी चरण I
11	4	हावेरी–हरिहर	56	46.85	ठेका सितं. 08 में फिर सौंपा गया	नव.-2008	जुलाई-2010	एनएचडीपी चरण I
12	4	हरिहर–चित्रदुर्ग	77	62.92	ठेका सितं. 08 में फिर सौंपा गया	अक्तू.-2008	जून-2010	एनएचडीपी चरण I
13	4	चित्रदुर्ग बाइपास	18	18	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2007	जून-2009	एनएचडीपी चरण I
14	4	तुमकुर बाइपास	13	9.7	ठेका समाप्त	दिस.-2001	-	एनएचडीपी चरण I
15	2	फतेहपुर–खागा (टीएनएचपी/II-सी)	77	75.35	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च-2001	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण I

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर-दक्षिण								
1	7	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-12)	42.6	0	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च-2007	सितं.-2009	एनएचडीपी चरण II
2	7	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-13)	40	0	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च-2007	सितं.-2009	एनएचडीपी चरण II
3	7	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-14)	42	0	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च-2007	अग.-2009	एनएचडीपी चरण II
4	75, 3	ग्वालियर बाइपास (एनएस-1/बीओटी/एमपी-1)	42	0	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2007	अक्तू.-2010	एनएचडीपी चरण II
5	7	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-15)	45.6	0	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च--2007	अग.-2009	एनएचडीपी चरण II
6	7	महा./आंध्र. सीमा से इस्लाम नगर (एनएस-2/बीओटी/एपी-6)	55	17.25	कार्यान्वयन के अधीन	मई-2007	नव.-2009	एनएचडीपी चरण II
7	7	कादल से अरमूर (एनएस–2बीओटी/(एपी-8)	31	21	कार्यान्वयन के अधीन	मई-2007	नव.-2009	एनएचडीपी चरण II
8	1ए	कुंजवानी से विजयपुर (एनएस-15/जे. एंड के)	17.2	16	कार्यान्वयन के अधीन	जन.-2002	दिस.-2009	एनएचडीपी चरण II
9	1	पंछी गुजरान से कसमपुर (सोनीपत) (एनएस-17/एचआर)	21.7	21.7	कार्यान्वयन के अधीन	जन.-2006	जन.-2009	एनएचडीपी चरण I
10	1	हरियाणा/दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक तक 8 लेन बनाना (एनएस–18/डीएल)	12.9	4.6	कार्यान्वयन के अधीन	दिस.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण I
11	7	तौपुरघाट से तुम्पीपाड़ी (एनएस–25/टीएन)	16.6	13.67	कार्यान्वयन के अधीन	मई-2005	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
12	7	तुम्पीपाड़ी से सलेम (एनएस–26/टीएन)	19.2	18.1	कार्यान्वयन के अधीन	सित.-2001	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण I
13	7	बोरखेडी–जाम (एनएस–22 एमएच)	27.4	25.7	कार्यान्वयन के अधीन	जून-2005	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
14	7	गुंडला पोचमपल्ली से बावनपल्ली शिवरामपल्ली से से टोंडापल्ली (एनएस–23/एपी)–शेष कार्य	23.1	15.9	कार्यान्वयन के अधीन	दिस.-2005	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण I
15	7	फारुखनगर से कोट्टाकाटा (एनएस–2/एपी–3)	46.162	44.4	कार्यान्वयन के अधीन	अग.-2006	फर.-2009	एनएचडीपी चरण II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	7	फारुखनगर से कोट्टाकाटा (एनएस-2/एपी-4)	55.74	53.78	कार्यान्वयन के अधीन	अग.-2006	फर.-2009	एनएचडीपी चरण II
17	1ए	जम्मू–उद्यमपुर खंड (एनएस-2/जे. एंड के).	15.48	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
18	1ए	जम्मू–उधमपुर खंड को 4 लेन का बनाना (एनएस–102/जे. एंड के.)	33.86	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
19	1ए	श्रीनगर–खानबल–बनिहाल (केवल सुरंग) – एनएस–93ए/जे एंड के	7	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
20	1ए	उधमपुर–बनिहाल (केवल सुरंग)–एनएस–99ए जे एंड के	9	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
21	1ए	उधमपुर–बनिहाल–एनएस–96/जे एंड के.	21	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
22	1ए	उधमपुर–बनिहाल–एनएस–95/जे एंड के.	20	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
23	1ए	तवी पुल और नगरौता बाइपास सहित जम्मू बाइपास के किमी. 15 से किमी. 19 तक जम्मू–उद्यमपुर खंड को चार लेन का बनाना (एनएस–101/जे एंड के)	20.1	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
24	7	इस्लाम नगर से कदतल (एनएस-2/बीओटी/एपी-7)	78	0	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च-2007	मार्च-2010	एनएचडीपी चरण II
25	7	अरमूर से कदलूर येलोरेड्डी (एनएस-2/एपी-1)	60.25	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
26	7	कदलूर येलोरेड्डी से गुंडला पोचमपल्ली (एनएस–2/बीओटी/एपी–2)	85.74	81	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2006	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
27	7	हैदराबाद बंगलौर खंड (एनएस–2/बीओटी/एपी–5)	74.65	59.49	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2006	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
28	7	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-10)	40	0	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च-2007	अग.-2009	एनएचडीपी चरण II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	7	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-11)	42.4	0	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च-2007	अग.-2009	एनएचडीपी चरण II
30	1ए	उधमपुर–बनिहाल–एनएस–97/जे एंड के	21	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
31	1	पानीपत से पंछीगुजरान (एनएस–89/एचआर)	20	20	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2006	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
32	1ए	श्रीनगर बाइपास (सड़क खंड) (एनएस-30)	17.8	11	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2003	सितं.-2009	एनएचडीपी चरण II
33	1ए	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) (एनएस-30ए)	1.23	0	कार्यान्वयन के अधीन	जून-2006	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
34	1ए	श्रीनगर–खानबल–बनिहाल (मैदान) - (एनएस–88/ जे एंड के)	30	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
35	1ए	श्रीनगर–खानबल–बनिहाल एनएस–92/जे एंड के	30	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
36	1ए	श्रीनगर–खानबल–बनिहाल (सुरंगों को छोड़कर) - एनएस–93/जे एंड के	32	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
37	47	वालयार–वदक्कनचेरी खंड को चार लेन का बनाना	58	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
38	47	त्रिसूर से अंगमाली (केएल-I)	40	25	कार्यान्वयन के अधीन	सितं-2006	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
39	7	आंध्र/कर्नाटक सीमा–नंदीहिल क्रासिंग एवं देवनहल्ली से मीनूकुंटे गांव	61.38	41	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च-2007	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
40	7	काम्पटी कानून और नागपुर बाइपास सहित मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा से नागपुर खंड को चार लेन का बनाना	95	0	सौंपे जाने के लिए			एनएचडीपी चरण II
41	7	जाम–वाडनेर (एनएस-59/एमएच)	30	27.085	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2005	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
42	7	बुटीबोरी आरओबी (एनएस-29/एमएच)	1.8	0	कार्यान्वयन के अधीन	जून-2005	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	75	ग्वालियर–झांसी	80	0	कार्यान्वयन के अधीन	जून-2007	दिस.-2010	एनएचडीपी चरण II
44	26	सागर–राजमार्ग चौराहा (एडीबी-II/सी-6)	44	0	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2006	दिसं.-2010	एनएचडीपी चरण II
45	26	राजमार्ग चौराहा से लखंडन (एडीबी-II/सी-8)	54	10	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2006	दिसं.-2010	एनएचडीपी चरण II
46	7	लखंडन से मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-3)	56.475	5	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.-2007	जून-2010	एनएचडीपी चरण II
47	1ए	उद्यमपुर–बनिहाल–एनएस–94/जे एंड के	17	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
48	3	धौलपुर–मुरैना खंड (चंबल पुल सहित) एनएस–1/आरजे–एमपी/1	10	0	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2007	सितं.-2010	एनएचडीपी चरण II
49	7	सलेम से करूर (एनएस-2/टीएन-2)	41.55	24.7	कार्यान्वयन के अधीन	अग.-2006	अप्रैल-2009	एनएचडीपी चरण II
50	7	सलेम से करूर (एनएस-2/टीएन-3)	33.48	24.7	कार्यान्वयन के अधीन	जुलाई-2006	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
51	7	करूर से मदुरै (टीएन-4)	68.125	28.85	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2006	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
52	7	करूर से मदुरै (टीएन-5)	53.025	32.7	कार्यान्वयन के अधीन	जुलाई-2006	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
53	7	मदुरै बाइपास सहित मदुरै से मदुरै किमी. 120–तिरुनेलवेली खंड (एनएस–39)	42	40	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2005	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
54	7	मदुरै–कन्याकुमारी खंड (एनएस-40/टीएन)	38.86	29.4	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2005	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
55	7	मदुरै–कन्याकुमारी खंड (एनएस-41/टीएन)	39.51	34.3	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2005	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
56	47	सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन-6)	53.525	27.88	कार्यान्वयन के अधीन	जुलाई-2006	अप्रैल-2009	एनएचडीपी चरण II
57	7	मदुरै–कन्याकुमारी खंड (एनएस-42/टीएन)	42.7	27	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2005	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	7	मदुरै का किमी. 120–तिरुनेलवेली खंड से पानागुडी (किमी. 203) (एनएस–43)	43	35.15	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2005	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
59	7	कन्याकुमारी–पानागुड़ी (एनएस–32)	30.6	6	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2008	अप्रैल-2010	एनएचडीपी चरण II
60	47	सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन-7)	48.51	39	कार्यान्वयन के अधीन	जुलाई-2006	अप्रैल-2009	एनएचडीपी चरण II
61	47	सलेम से किमी. 100 और सलेम–कोयम्बटूर–केरल सीमा खंड	82	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
62	2, 3	चार लेन का नया आगरा बाइपास (एनएस–1/यूपी–1)	32.8	0	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2007	अक्तू.-2010	एनएचडीपी चरण II
63	26	झांसी से ललितपुर (एनएस–1/बीओटी/यूपी–3)	49.3	9	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च-2007	सितं.-2009	एनएचडीपी चरण II
64	26	ललितपुर–सागर (एडीबी-II/सी-4)	55	0	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2006	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
65	26	सागरपुर बाइपास (एडीबी-II/सी-5)	26	3	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2006	दिसं.-2010	एनएचडीपी चरण II
66	1ए	जम्मू से कुंजवानी (जम्मू बाइपास) एनएस-33/जे एंड के	15	0	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
67	1ए	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-34/जे एंड के)	33.65	0	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
68	1ए	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-35/जे एंड के)	30	0	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
69	1ए	पठानकोट से जम्मू और कश्मीर सीमा (एनएस-36/जे एंड के)	19.65	0.6	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
70	1ए	जम्मू–उधमपुर खंड (तीन सुरंगों सहित) को चार लेन का बनाना (एनएस-102/जे एंड के)	8.5	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
71	1ए	पठानकोट से मोगपुर (एनएस-38/पीपी)	44	1.5	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	1ए	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-38/पीबी)	40	0.15	ठेका समाप्त	नवं.-2005		एनएचडीपी चरण II
73	7	वाडनेर–देवधारी (एनएस-60/एमएच)	29	0	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
74	7	देवधारी–केलापुर (एनएस-61/एमएच)	30	28.1	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2005	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
75	7	केलापुर–पिंपलकाठी (एनएस-62)	22	0	कार्यान्वयन के अधीन	मई-2006	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
76	47	वदक्कनचेरी–त्रिसूर खंड को 6 लेन का बनाना	30	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
77	26	राजमार्ग चौराहा से लखंडन (एडीबी-II/सी-9)	54.7	3	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2006	दिसं.-2010	एनएचडीपी चरण II
78	26	सागर राजमार्ग चौराहा (एडीबी-II/सी-7)	42	36.03	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2006	अप्रैल-2009	एनएचडीपी चरण II
79	26	ललितपुर सागर (एडीबी-II/सी-3)	38	0	कार्यान्वयन के अधीन	मई-2006	मार्च-2010	एनएचडीपी चरण II
80	25, 26	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-2)	49.7	18	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च-2007	सितं.-2009	एनएचडीपी चरण II
81	7	लखंडन से मप्र./महाराष्ट्र सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2)	49.35	25	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च-2007	सितं.-2009	एनएचडीपी चरण II
पूर्व पश्चिम								
1	25	गंगा पुल से रमादेवी क्रासिंग (यूपी -6)	5.6	0	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.-2005	सितं.-2009	एनएचडीपी चरण II
2	31	पूर्णिया से गयाकोटा (ईडब्ल्यू–12/बीआर)	28	24	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2001	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण I
3	56ए एंड बी	लखनऊ बाइपास (ईडब्ल्यू–15/यूपी)	22.85	10	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2001	जून-2008	एनएचडीपी चरण I
4	57	फारबिसगंज–सिमराही (बीआर-3)	40	2	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2006	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
5	28	कोटवा से देवापुर (एलएमएनएचपी–10)	38	0	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
6	28	दीवापुर से यूपी/बिहार (एलएमएनएचपी–9)	41.085	0	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	57	सिमराही से रिंग बंड (मिसिंग लिंग) (बीआर-4)	15	3	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2006	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
8	57	पहुंच मार्ग और गाइडबंद एवं एफ्लक्स बंड सहित कोसी पुल (बीआर-5)	10	0	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2007	अप्रैल-2010	एनएचडीपी चरण II
9	57	रिंग बंड से झंझारपुर (बीआर-6)	45	4	कार्यान्वयन के अधीन	जन.-2006	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
10	57	झंझारपुर से दरभंगा (बीआर-7)	40	0	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2006	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
11	57	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बीआर-8)	40	5.5	कार्यान्वयन के अधीन	जन.-2006	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
12	57	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बीआर-9)	30	14	कार्यान्वयन के अधीन	जन.-2006	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
13	28	मुजफ्फरपुर से मेहसी (एलएमएनएचपी-12)	40	0	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
14	28	मेहसी से कोटवा (एलएमएनएचपी-11)	40	0	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
15	31	नलबारी से बिजनी (एएस-6)	25	0	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
16	31	नलबारी से बिजनी (एएस-7)	27.3	0	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
17	31	नलबारी से बिजनी (एएस-8)	30	0	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
18	31	नलबारी से बिजनी (एएस-9)	21.5	0	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
19	31	ब्रह्मपुत्र (एएस-28)	5	0	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू-2006	अप्रैल-2010	एनएचडीपी चरण II
20	31सी	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-10)	33	0	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
21	31सी	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-11)	30	0	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
22	31सी	बिजनी से असम/पश्चिम बंगाल सीमा (एएस-12)	30	0	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	जून–2009	एनएचडीपी चरण II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	28	गोरखपुर–अयोध्या (एलएमएनएचपी-6)	43.7	0	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
24	31	सिलीगुडी से इस्लामपुर (डब्ल्यूबी-7)	26	11.8	कार्यान्वयन के अधीन	जन.-2006	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
25	31	गुवाहाटी से नलबारी (एएस-4)	28	0	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
26	31	गुवाहाटी से नलबारी (एएस-5)	28	0	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
27	28	गोरखपुर–अयोध्या (एलएमएनएचपी-5)	44	0	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
28	28	गोरखपुर–अयोध्या (एलएमएनएचपी-4)	29	1	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
29	28	अयोध्या–लखनऊ (एलएमएनएचपी-3)	41.925	17.5	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
30	54	सिलचर–उदरबंद (एएस-1)	32	0	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2004	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
31	54	उदरबंद से हरनगाजो (एएस-14)	31	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
32	54	हरनगाजो से मैबंग (एएस-21)	26	0	कार्यान्वयन के अधीन	जन.-2007	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
33	54	हरनगाजो से मैबंग (एएस-22)	24	0	कार्यान्वयन के अधीन	जन.-2007	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
34	54	हरनगाजो से मैबंग (एएस-23)	16	0	कार्यान्वयन के अधीन	अग.-2006	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
35	54	मैबंग से लमूडिंग (एएस-27)	21	0	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2006	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
36	54	लंका से डबोका (एएस-16)	24	0	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
37	54	मैबंग से लमूडिंग (एएस-26)	23	0	कार्यान्वयन के अधीन	मई-2006	नवं-2009	एनएचडीपी चरण II
38	54	मैबंग से लमूडिंग (एएस-25)	28	0	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2006	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
39	54	मैबंग से लमूडिंग (एएस-24)	15	0	कार्यान्वयन के अधीन	मई-2006	नवं.-2009	एनएचडीपी चरण II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	54	लमूडिंग से डबोका (एएस-15)	18.5	0	कार्यान्वयन के अधीन	फर.-2008	सितं.-2010	एनएचडीपी चरण II
41	36	डबोका से नागांव (एएस-17)	30.5	0	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
42	37	धर्मातुल से सोनापुर (एएस-19)	25	0	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
43	37	धर्मातुल से सोनापुर (एएस-20)	22	0	कार्यान्वयन के अधीन	नवं-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
44	37	सोनापुर से गुवाहाटी (एएस-3)	19	0	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
45	37	नगांव बाइपास (एएस-18)	23	0	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
46	37	नगांवा से धर्मातुल (एएस-2)	25	0	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
47	28	अयोग्या–लखनऊ (एलएमएनएचपी-2)	47	21.5	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
48	28	अयोग्या–लखनऊ (एलएमएनएचपी-1)	36	17.5	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
49	28	गोरखपुर बाइपास	32.6	0	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल-2007	अक्तू.-2009	एनएचडीपी चरण II
50	31सी	असम/पश्चिम बंगाल सीमा से गैरकाटा (डब्ल्यूबी-1)	32	0	कार्यान्वयन के अधीन	जून-2006	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
51	31, 31सी	धोसुकूर (रारा 31 का किमी. 351) से सलसलाबारी (रारा 31 सी का किमी.) वाया फुलबारी–मैनागिरि–धुम्पगिरि–फलकाता (3 पैकेज)	201	0	सौंपे जाने के लिए शेष			एनएचडीपी चरण II
52	57	पूर्णिया–फारगिसगंज (बीआर-1)	41	29.5	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	अप्रैल-2009	एनएचडीपी चरण II
53	57	पूर्णिया–फारगिसगंज (बीआर-2)	38	17	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	अप्रैल-2009	एनएचडीपी चरण II
54	76	राज./म.प्र. सीमा से कोटा (आर.जे-10)	59.85	59.5	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	76	गज./म.प्र. सीमा से कोटा (आर.जे-9)	43.15	37	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
56	76	कोटा बाइपास (आर.जे-4)	25	0	कार्यान्वयन के अधीन	मई-2006	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
57	76	बाकरिया से गोगुंडा (आर.जे-2)	44	41	कार्यान्वयन के अधीन	नव.-2005	फर.-2009	एनएचडीपी चरण II
58	76, 14	स्वरूपगंज से बाकरिया (आर.जे-1)	43	39	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.-2005	फर.-2009	एनएचडीपी चरण II
59	14	पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान–42 किमी. एवं गुजरात–34 किमी.)	76	70	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2006	जून-2009	एनएचडीपी चरण II
60	76	गोगुंडा से उदयपुर (आर.जे-3)	31	25	कार्यान्वयन के अधीन	जन.-2006	फर.-2009	एनएचडीपी चरण II
61	2,25	बारा से उरई	62.8	23	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2006	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
62	76	चंबल पुल (आर.जे-5)	1.4	0	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2006	सितं.-2010	एनएचडीपी चरण II
63	25	लखनऊ–कानपुर (डब्ल्यू/3ए)	16	15	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.-2003	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
64	25	उरई से झांसी (यूपी-4)	66	0	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
65	25	उरई से झांसी (यूपी-5)	50	0	कार्यान्वयन के अधीन	सितं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
66	25	झांसी बाइपास (यूपी-3)	15	0	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.-2005	दिसं.-2009	एनएचडीपी चरण II
67	25	झांसी से शिवपुरी (उप्र/मप्र–1) (उ.प्र.–11 किमी. एवं मप्र–30)	41	38	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तू.-2005	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
68	8ए	गरमोरे से बामनबोरे (पैकेज–III)	71.4	67	कार्यान्वयन के अधीन	फर.-2005	मार्च-2009	एनएचडीपी चरण II
69	15, 8ए	गगोधर से गरमोरे (पैकेज–IV)	90.3	83	कार्यान्वयन के अधीन	फर.-2005	जून-2009	एनएचडीपी चरण II

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	28	उप्र/बिहार सीमा से कसिया (एलएमएनएचपी-8)	41.115	5.5	कार्यान्वयन के अधीन	दिस.-2005	दिस.-2009	एनएचडीपी चरण II
71	28	कसिया से गोरखपुर (एलएमएनएचपी-7)	40	5	कार्यान्वयन के अधीन	दिस.-2005	दिस.-2009	एनएचडीपी चरण II

अनुबंध-II

स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम कॉरीडोरों में समाप्त किए गए ठेकों की सूची

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई	कब समाप्त किया गया
1	चित्रदुर्ग बाइपास	4	18	अप्रैल-2006
2	गंजम से इच्छापुरम (ओआर-VIII)	5	50.8	जन-2004
3	शिकोहाबाद से इटावा (जीटीआरआईपी I-बी)	2	59.02	जून-2004
4	श्रीकाकुलम–चंपावती (एपी-1)	5	48	दिसं.-2004
5	इटावा बाइपास	2	13.6	अप्रैल-2005
6	हावेरी–हरिहर	4	56	जन.-2007
7	हरिहर–चित्रदुर्ग	4	77	जन.-2007
8	बालासोर–भद्रक (ओआर-III)	5	82.64	दिसं.-2007
9	सुमखला–गंजम(ओआर-VII)	5	55.71	अप्रैल-2008
10	तुमकुर बाइपास	4	13	मई-2008
11	पुल खंड (डब्ल्यूबी-III)	6	1.732	अग.-2008
12	पंछी गुजरान से कसमपुर (सोनीपत) तक 6 लेन बनाना (एनएस–17/एचआर)	1	21.7	दिस.-2004
13	हरियाणा/दिल्ली सीमा के मुकरबा चौक तक 8 लेन बनाना (एनएस–18/डीएल)	1	12.9	दिसं.-2004
14	गुंडला पोचमपल्ली–बावनपल्ली/464 से 474 किमी. और 9.20 से 22.30 किमी. (एनएस–23)	7	23.1	दिसं.-2004
15	कन्याकुमारी–पानागुडी (एनएस–32)	7	30.6	जन.-2007
16	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-38/पीबी)	1ए	40	सितं.-2008
17	लखनऊ–कानपुर (ईडब्ल्यू/3ए)	25	16	अक्तू. 2002
18	लखनऊ–बाइपास (ईडब्ल्यू-15/यूपी)	56 ए एवं बी	22.85	मार्च-2008
19	दीवारपुर–उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा (एलएमएनएचपी–9)	28	41.085	फर.-2009

अनुबंध-III

गैर-निष्पादनक ठेकेदार और इन फर्मों द्वारा विलंबित परियोजनाएं (विदेशी एवं भारतीय)

क्र.सं.	फर्म का नाम	विलंबित परियोजनाएं
1	2	3
विदेशी फर्म		
1.	भूमिहाइवे तेंचर बरहद, मलेशिया	भोगपुर से जालंधर (एनएस-16/पीबी) गंजम-इच्छापुरम
2.	सेंट्रोडोस्ट्रोय रूस	फतेहपुर-खागा (टीएनएचपी/II-सी)
3.	चाइना कोल कंस्ट्रक्शन ग्रुप कारपोरेशन, चीन	शिकोहाबाद-इटावा
4.	डोलामाइट इंडस्ट्रीज कं. एसडीवी, बरहद मलेशिया	चित्रदुर्ग बाइपास
5.	स्टीको, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया	सुनखला-गंजम (ओआर-VII)
6.	यूईएम बिल्डर्स (6551-के) मलेशिया	हावेरी-हरिहर हरिहर-चित्रदुर्ग चित्रदुर्ग-सीरा
7	यूवन इंजीनियरिंग कंस्ट्र. कंपनी लि., कोरिया	श्रीकाकुलम से चंपावती हरियाणा/दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक तक 8 लेन बनाना गुंडला पोचमपल्ली से बावनपल्ली
भारतीय फर्म		
1	अश्विनी कंस्ट्रक्शन कंपनी भारत	इटावा बाइपास
2	ए एल सुदर्शन कंस्ट्र. कंपनी लि., भारत	तुमकुर बाइपास कलकल्लू गांव से गुंडला पोचमपल्ली (एनएस-8)
3	एपीआईएल (एफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. की सहायक कंपनी), भारत	हुबली-हावेरी
4	भगीरथ इंजीनियरिंग लिं. भारत	पुल खंड (डब्ल्यूबी-III) तुम्पीपाड़ी से सलेम (एनएस-26/टीएन) अमरावती नदी पर अतिरिक्त पुल सहित करूर बाइपास को चार लेन का बनाना गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद इटावा बाइपास
5	डीडी बिल्डर्स लि., भारत	गंजम-इच्छापुरम
6	मैसर्स एस्सार ग्रुप भारत	हावेरी-हरिद्वार (समाप्त) हरिहर-चित्रदुर्ग (समाप्त) चित्रदुर्ग-सीरा
7	लैंको कंस्ट्रक्शन भारत	डलकोला-इस्लामपुर उप खंड 2 (ईडब्ल्यू/6) पूर्णिया-गयाकोटा (ईडब्ल्यू-12/बीआर)
8	रानी कंस्ट्रक्शन भारत	पूर्णिया-गयाकोटा (ईडब्ल्यू-12/बीआर)
9	भारत प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि.	रारा 28 को 360.915 से 402 किमी. (डब्ल्यूबी-9) 402 से 440 किमी. (डब्ल्यूबी-10), 480 से 520 किमी. (डब्ल्यूबी-12) तक चार लेन बनाना (एलएमएनएचपी-ईडब्ल्यू-II पैकेज) रारा 2 का वाराणसी-मोहनिया खंड जीटीआरआईपी/IVए
10	मैसर्स मुधकॉन प्रोजक्ट्स लि.	रारा 28 को 440 से 480 किमी. तक चार लेन का बनाना एलएमएनएचपी-ईडब्ल्यू-II (डब्ल्यूबी-12) पैकेज
11	मैसर्स एम वेंकट राव इंजीनियरिंग	रारा 28 को 402 से 440 किमी. (डब्ल्यूबी-10) 480 से 520 किमी. तक चार लेन बनाना (डब्ल्यूबी-12) (एलएमएनएचपी-ईडब्ल्यू-II पैकेज)

विवरण-IV

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास

(क) पर्यवेक्षण परामर्शदाता, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे विभिन्न स्तरों पर ठेकों की नियमित निगरानी की जाती है। अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग के स्तर पर भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित समस्याओं जैसे भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, वन/प्रदूषण/पर्यावरण स्वीकृति आदि के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। ये नोडल अधिकारी परियोजनाओं की समीक्षा के लिए समय-समय पर बैठकें करते हैं तथा समस्याओं के समाधान के लिए कार्रवाई करते हैं।

(ग) भूमि अधिग्रहण, सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण संबंधी अनुमोदन, सड़क उपरि पुलों की स्वीकृत आदि जैसे अंतर-मंत्रालयी और केंद्र-राज्य मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति का गठन किया गया है।

(घ) भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाएं जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है। पहले राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अंतर्गत सभी अधिसूचनाओं की विधीक्षा विधि मंत्रालय द्वारा की जाती थी। हाल ही में कार्य आबंटन नियमावली में एक संशोधन किया गया है जिसके द्वारा इन अधिसूचनाओं की विधि मंत्रालय को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होती। विधि मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं की समान प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न अधिसूचनाओं के मानक फार्मेट अनुमोदित कर दिए हैं।

(ङ) सड़क उपरि पुलों के शीघ्र निर्माण के लिए रेलवे के एक अधिकारी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में तैनात किया गया है ताकि रेल मंत्रालय के साथ समन्वय किया जा सके। कुछ सड़क उपरि पुलों के निर्माण के लिए मैं इरकोन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(च) गैर-निष्पादक ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और उन्हें तब तक भावी परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक वे विद्यमान ठेकों में अपने निष्पादन में सुधार नहीं कर लेते।

(छ) ठेकेदार के अनुरोध पर ब्याजमुक्त विवेकाधीन अग्रिम प्रदान करके, समान राशि की बैंक गारंटी पर रिटेंशन मनी जारी करके, अग्रिम की वसूली (ब्याज आधार पर) स्थगित करके तथा न्यूनतम अंतरिम भुगतान प्रमाणपत्र (आई पी सी) राशि में छूट प्रदान करके ठेकेदारों की नकदी उपलब्धता से जुड़ी समस्या में सुधार लाने के उपाय किए गए हैं।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम महामार्ग परियोजना का 46 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और 42.42 प्रतिशत भाग में कार्य चल रहा है लेकिन बाकी 11.58 प्रतिशत कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया है। उन कार्यों का क्या हुआ, उन मार्गों का क्या हुआ या उस लम्बाई का क्या हुआ, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस परियोजना का कार्य कब प्रारंभ हुआ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा टाईम नहीं है।

श्री महावीर भगोरा : यह परियोजना कब पूरी होगी, इसकी आज क्या स्थिति थी, उसकी जानकारी चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : लिखित उत्तर में पहले ही समस्त ब्यौरा दे दिया गया है।

श्री टी. आर. बालू : जी हां। महोदय, समस्त ब्यौरा दे दिया गया है। लेकिन साथ ही, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि 1951 में भारतीय वाहनों की संख्या 3.06 लाख थी, जबकि 2004 में यह 727 लाख तक पहुंच गई। अर्थात 53 वर्षों में 237 गुना वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : 237 गुना वृद्धि?

श्री टी. आर. बालू : जी हां। महोदय इसीलिए, भारत सरकार ने यह देखने का एक उपयुक्त निर्णय लिया है कि हमारी सड़कें विकसित हों और इन्हें चौड़ा किया जाए। इसी के अंतर्गत समस्त विकासात्मक कार्य अर्थात स्वर्णिम चतुर्भुज एन एच डी पी चरण I और II, एन एच डी पी चरण-III, एन एच डी पी चरण-IV, एन एच डी पी चरण-V, एन एच डी पी-VI और एन एच डी पी चरण-VII शुरू किए गए हैं। यू पी ए सरकार ने एन एच डी पी-I और एन एच डी पी-II का शेष कार्य पूरा करने के साथ-साथ एन एच डी पी चरण-III, एन एच डी पी चरण-IV, एन एच डी पी चरण-V, एन एच डी पी चरण-VI और एन एच डी पी चरण-सात के लिए विशेष रुप से लगभग 2,35,690 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

जहां तक, उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारों का संबंध है, इनमें अनेक अड़चनें थीं। किंतु साथ ही साथ, मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि उत्तर-दक्षिण गलियारे में हमने 3,699 कि.मी.

पर कार्य शुरू किया है। हम पहले ही 1687 कि.मी. का कार्य पूरा कर चुके हैं और 1423 कि.मी. पर कार्य चल रहा है। अर्थात इस कार्य में कुछ प्रगति हुई है। विभिन्न कारणों से हम लगभग 589 कि.मी. के संबंध में कुछ भी नहीं कर पाए। मैं एक–एक करके उनका उल्लेख करूंगा। लगभग 264 कि.मी. जम्मू और कशमीर की तरफ का–सात कि.मी. से अधिक लंबाई की दो सुरंगों की और हम यह लक्ष्य समय पर हासिल नहीं कर पाए।

अतः, इसमें विलम्ब हुआ। तत्पश्चात्, हमने निविदा आमंत्रित की है। कुछ जगहों पर और कुछ क्षेत्रों में यह 40 प्रतिशत से अधिक हो गया। अतः, हम निविदा तय नहीं कर पाए। अब हम सरकार की नीति के अनुसार पहले (वी ओ टी टाल) अपनाने और तत्पश्चात् बी ओ टी (एन्यूटी) अपनाने की बजाय सीधे तौर पर बी ओ टी (एन्यूटी) अपनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं।

अगला प्रश्न 155 कि.मी. के बारे में है। 155 कि.मी. में से, 95 कि.मी. महाराष्ट्र का हिस्सा है और 60 कि.मी. हिस्सा आंध्र प्रदेश में है। बोलियां आमंत्रित की गई थीं। कम रूचि दिखाने की वजह से हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ पाए। इसीलिए, बी ओ टी पर पुनः बोली की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इस प्रकार अनेक चीजें हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास ताजा ब्यौरे हैं, तो आप उन्हें इनके पास भिजवा सकते हैं। वैसे, आपने यहां सभी चीजों का उल्लेख कर ही दिया है।

श्री टी. आर. बालू : किंतु, एक बात है। विपक्ष के कुछेक सदस्यों ने कल यहां कार्य की धीमी गति और अन्य बातों के संबंध में हो हल्ला किया था। जहां तक सड़क परिवहन का संबंध है, यू. पी. ए. इस संबंध में कभी भी ढ़िलाई नहीं बरत सकती। दोनों सरकारों ने कुल मिलाकर कुल 10,705 कि.मी. सड़क का चार लेन का कार्य पूरा किया है। इसमें से, एन डी ए ने केवल 2390 कि.मी. सड़क का कार्य पूरा किया जबकि यू.पी.ए. ने 7094 कि.मी. सड़क का कार्य पूरा किया है। इसके अतिरिक्त, स्वर्णिम चतुर्भुज के विषय में कहें तो, वे 5846 कि. मी. के स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में चिंतित हैं ...*(व्यवधान)*। 5846 कि. मी. में से हमने 5713 किमी. का कार्य पूरा कर लिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चुनाव निकट हैं।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, केवल 133 कि.मी. शेष है ...*(व्यवधान)*। इसमें से, उन्होंने केवल 33.44 प्रतिशत कार्य पूरा किया है। उन्होंने केवल एक तिहाई परियोजना पूरी की है, जबकि हमने 49. 78 प्रतिशत कार्य पूरा किया है...*(व्यवधान)* महोदय हमारे द्वारा 49.78 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है। हमें यह उनसे विरासत में मिला है। उन्हें हमें बधाई देनी चाहिए। 24 मई, 2004 को उनका कार्यकाल समाप्त होने तक वे इस लक्ष्य को पूरा कर सकते थे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर गौर करुंगा।

श्री टी. आर. बालू : वे लक्ष्य पूरा नहीं कर सके ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : ...*(व्यवधान)* पूरी तरह फ्लॉप हुए हैं। सड़क के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के मेम्बर प्रश्न पूछ रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इन्होंने उत्तर भारत का एक बार भी दौरा नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : जी. क्यू भाग 5846 किलोमीटर लंबा है। इसमें से 5713 किलोमीटर पूरा कर लिया गया है। इसमें से 847 किलोमीटर एनएचडीपी की शुरूआत से पहले ही पूरा कर लिया गया था ...*(व्यवधान)* जीक्यू में से उन्होंने केवल 1955 किलोमीटर पूरा किया था जबकि हमने 2911 किलोमीटर पूरा किया है ... उत्तर दक्षिण–पूर्व पश्चिम के भाग में से उन्होंने केवल 226 कि.मी. का कार्य पूरा किया जबकि हमने 2695 कि.मी. का कार्य पूरा किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे सुबह से ही अपनी बारी की प्रतिक्षा कर रहे हैं।

श्री टी. आर. बालू : इसकी प्रतिशतता कितनी है? यह 49.75 प्रतिशत है जबकि उन्होंने केवल 38 प्रतिशत कार्य ही पूरा किया था। ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, इन्होंने कोई काम नहीं किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे शांतिपूर्वक सुबह से इंतजार कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : भगोरा जी आप अपना सेकेंड सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछिए।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि कार्य समय पर पूर्ण न होने का कारण बताएं। इन्होंने 19 ठेकेदारों का उल्लेख किया है जिन्होंने समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया है। इनमें सात विदेशी हैं और 12 भारतीय हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप नाम छोड़िए।

श्री महावीर भगोरा : इसमें एक ठेकेदार का उल्लेख नहीं है। वह कहां गायब हो गया है, उसका उल्लेख क्यों नहीं है? इन ठेकेदारों ने समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया तो मंत्री जी ने उन पर कितनी पेनाल्टी लगायी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कार्य कौन–कौन से राज्यों में पूर्ण नहीं हुआ है?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास कोई सही जानकारी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : सामान्यतौर पर जो ठेकेदार कार्य–निष्पादन नहीं करते हम उन्हें कार्य–निष्पादन नहीं करने वाला घोषित कर देते हैं और उन्हें अन्य ठेका देने से वंचित कर देते हैं।

श्री तथागत सत्पथी : कितने ठेकेदार?

श्री टी. आर. बालू : 19 ठेकेदार हैं जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। 7 विदेशी और 11 भारतीय फर्मों को कार्य–निष्पादन नहीं करने वाला घोषित किया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखिए।

श्री तथागत सत्पथी : ...* मंत्री जिन्होंने दल बदल किया है वे यहां इन सज्जनों के साथ बैठे थे जब वे उस ओर थे।

अध्यक्ष महोदय : अपने प्रश्न पर आएं।

श्री तथागत सत्पथी : अब वे राजग पर ऊंगली उठा रहे हैं...*

अध्यक्ष महोदय : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मुद्दावरों की कोई आवश्यकता नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी : महोदय, यह प्रश्नकाल है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे हटा दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी : कृपया बैठ जाएं।

आप कई बार दल बदल चुके हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अपना सवाल संक्षेप में रखें।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, अगर आप ...*(व्यवधान)* महोदय, क्रम संख्या 7, 8, 9 और 10 में मंत्री जी द्वारा दिए गए जवाब उड़ीसा से संबंधित हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो चुका है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लिए जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, आप ऐसे कर रहे हैं कि ...*... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसी प्रकार हम इस संस्था को बदनाम करते हैं। यह व्यवहार का सही तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे इस ओर घड़ी है और मैंने यहां भी घड़ी रख रखी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके व्यवहार की पूर्णतः भर्त्सना करता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी : मैं आपकी भर्त्सना स्वीकार करता हूं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अगर आपके पास घड़ी है तो उसे इस घड़ी से मिला लें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की टीका विनिर्माण इकाइयां

*46. **श्री एस. के. खारवेनथन :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र की टीका विनिर्माण इकाइयों को बंद करने संबंधी अपने पहले वाले निर्णय को बदलने का है, जैसाकि 22 फरवरी, 2009 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार टीकों का विनिर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इसका विनिर्माण कब तक शुरू होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (घ) सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तीन वैक्सीन विनिर्माण इकाइयों नामतः केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, हिमाचल प्रदेश, भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर, तमिलनाडु और बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई, तमिलनाडु को बन्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। इन तीनों संस्थानों के विनिर्माण लाइसेंसों को भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा जनवरी, 2008 में निलम्बित कर दिया गया था क्योंकि वे औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची एम के अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार उत्तम विनिर्माण पद्धतियों के अनुरूप नहीं पाये गये थे।

सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ इन संस्थानों में उपलब्ध मौजूदा आधारभूत ढांचे/सुविधाओं का अध्ययन करने और मौजूदा प्रयोगशालाओं को परीक्षण प्रयोगशालाओं में बदलने, आवासीय प्रशिक्षण सुविधा की स्थापना करने के लिए मौजूदा सुविधाओं के उपयोग और उत्तम निर्माण पद्धति का अनुपालन करने वाले इन संस्थानों में कुछ वैक्सिनों/रोधी सेरम का उत्पादन करने की संभावना का पता लगाने के लिए भारत के औषध महानियंत्रक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी।

विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जहां तक भारतीय पाश्चर संस्थान का संबंध है, समिति ने टिश्यू कल्चर रेबीज रोधी सेरम जैसेकि सर्प विष रोधी सेरम, टेटनस रोधी सेरम, डिफ्थिरिया रोधी सेरम, रेबीज रोधी सेरम आदि का उत्पादन करने की अनुशंसा की है। समिति ने इस संस्थान को चिकित्सा उपकरणों की जांच के लिए केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला और रोधी सेरम आदि के उत्पादन और जांच में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के रुप में विकसित करने की अनुशंसा भी की है। जहां तक केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान का संबंध है, समिति ने येलो फीवर वैक्सीन, इन्फ्लूएन्जा वैक्सीन (मौसमी और अन्तर्राष्ट्रीय महामारी), ऐसीटोन किल्ड टाइफाइड वैक्सीन और टिश्यू कल्चर रेबीज रोधी वैक्सीन, नई रोधी सेरम सुविधा के लिए, नई विनिर्माण सुविधाओं, मौजूदा पोलियों, इन्फ्लूएन्जा और रेबीज निगरानी केन्द्र के अलावा खसरा निगरानी केन्द्र विकसित करने, राष्ट्रीय पशु जनन केन्द्र के रुप में मौजूदा पशु गृह का विस्तार एवं आधुनिकीकरण, वैक्सीनों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त क्षेत्र का उपयोग करके बैक्टिरिया और वायरल वैक्सिनों के लिए पृथक खंडों हेतु केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला का विस्तार, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के लिए केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला की अनुशंसा की है। जहां तक बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला का संबंध है, समिति ने केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला कसौली के अंतर्गत बीसीजी वैक्सनी जांच हेतु केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला में परिवर्तन, प्रसाधन सामग्री की जांच के लिए केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में विकास, देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों को पशुओं की आपूर्ति के लिए मौजूदा पशु गृह का विस्तार और आधुनिकीकरण, बीसीजी उत्पादन एवं जांच के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की अनुशंसा की है।

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में उत्तम विनिर्माण पद्धति के अनुरूप सुविधाओं का उन्नयन करने संबंधी प्रस्ताव अब प्राप्त हो गया है। इस समय सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

कोयला खानों से प्रभावित लोगों का पुनर्वास

*47. **श्री टेक लाल महतो :**
श्री हंसराज गं. अहीर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कंपनी द्वारा कंपनीवार कितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और उनका पुनर्वास किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत आबंटित और खर्च की गई धनराशि का कंपनीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में पेश आ रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पेश आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आरएंडआर) नीति में परिवर्तन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) शेष विस्थापित व्यक्तियों को कब तक पुनर्स्थापित और पुनर्वासित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की सहायक कंपिनयों द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगारों की संख्या एवं पुनर्वासित किए गए विस्थापित परिवारों की संख्या के कंपनीवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

कंपनी	विवरण	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09*	*अवधि
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)	रोजगार	41	173	172	131	दिस., 2008 तक
	पुनर्वासित	104	94	272	41	
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लि. (बीसीसीएल)	रोजगार	शून्य	22	62	16	जन. 2009 तक
	पुनर्वासित	140	140	54	0	
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	रोजगार	16	05	19	133	जन, 2009 तक
	पुनर्वासित	47	51	346	21	
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)	रोजगार	62	24	61	70	दिस. 2008 तक
	पुनर्वासित	280	125	108	0	
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	रोजगार	0	0	1	23	जन., 2009 तक
	पुनर्वासित	76	38	29	0	
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	रोजगार	64	133	160	171	जन., 2009 तक
	पुनर्वासित	134	150	86	112	
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एम सीएल)	रोजगार	289	545	497	455	जन., 2009 तक
	पुनर्वासित	100	34	183	146	

(ख) भूमि अधिग्रहण हेतु बजट आबंटन के तहत पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर एंड आर) के लिए निधियां शामिल की जाती हैं। 2005–06, 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 (जनवरी 2009 तक) की अवधि के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना हेतु किया गया वास्तविक व्यय तथा 2008–09 का बजट आबंटन निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

कंपनी	2005–06 (वास्तविक)	2006–07 (वास्तविक)	2007–08 (वास्तविक)	2008–09 (बजट)	व्यय, जनवरी, 2009 तक (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	426.40	331.21	447.85	636.00	310.88
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	43.00	4.00	156.00	200.00	47.00
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	23.00	15.49	14.50	–	–

1	2	3	4	5	6
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	138	282.00	283.00	435.00	112.00
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	537.58	506.65	140.21	338.00	70.00
महानदी कोलफील्ड्स लि.	47.84	964.80	239.31	50.00	23.00
भारत कोकिंग कोल लि. बीसीसीएल**	52.00	665.00	21.00	1050.00	954.00

** बीसीसीएल के लिए व्यय और बजट आबंटन भूमि तथा आर एंड आर योजना दोनों के लिए है।

(ग) परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बारे में कोयला कंपनियों को निम्नलिखित कठिनाइयां पेश आ रही हैं :–

i) सीआईएल की पुनर्वास और पुनर्स्थापन की नीति में निर्धारित मानदण्डों के बाहर रोजगार तथा अन्य पुनर्वास लाभों की मांग।

ii) कास्तकारों के दावों की प्रमाणिकता सिद्ध करने मे विलंब।

iii) वैध मालिकाना अधिकार के दस्तावेजों का उपलब्ध न होना।

iv) भू–वचितों के बीच विवाद तथा संबंधित न्यायिक मामले।

v) भूमि तथा मकानों के मुआवजे की पूरी राशि प्राप्त करने के बाद भी पुनर्स्थापन स्थल पर स्थानांतरण के प्रति विरोध।

vi) भूमि अधिग्रहण के संगत अधिनियमों में निर्धारित राशि की तुलना में भूमि के मुआवजे के अधिक राशि की मांग करना।

(घ) तथा (ङ) परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन में होने वाली कठिनाइयों सहित सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सीआईएल ने राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति (एनआरआरपी), 2007 की घोषणा के बाद 2008 में अपनी पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति को संशोधित किया है तथा इस समय 2008 में तैयार की गई पुनर्वास और पुनरर्थापन नीति का सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

(च) पुनर्वास और पुनर्स्थापन एक सतत प्रक्रिया है। जिन विस्थापित व्यक्तियों/परिवारों की वासभूमि/संरचना का कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया गया है, उनका पुनर्स्थापन पहले ही कर दिया गया है। वास्तविक विस्थापन की निर्भरता पर चरणबद्ध रूप से खनन क्रियाकलाप की प्रगति के अनुसार अन्य पहचान किए गए परिवारों का पुनर्वास किया जा रहा है।

[अनुवाद]

मातृ मृत्यु और नवजात शिशुओं की मृत्यु की बढ़ती घटनाएं

*48. **श्री गुरुदास दासगुप्त :**
श्री पी. के. चन्द्रप्पन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिलड्रेन 2009" शीर्षक की यूनिसेफ की एक रिपोर्ट की ओर गया है, जिसमें भारत में मातृ मृत्यु और नवजात शिशुओं की मृत्यु होने की बढ़ती घटनाओं का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) मातृ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर वर्ष 2009 में प्रकाशित "द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रेन" नामक यूनिसेफ की रिपोर्ट में यह अन्तर्राष्ट्रीय अनुमान दर्शाया गया है कि भारत में वर्ष 2005 में मातृ मृत्यु दर प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 450 और वर्ष 2004 में नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 39 थी। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन दोनों सूचकों के आंकड़ों में विगत वर्षों में कमी आई है।

मंत्रालय मातृ मृत्यु, नवजात शिशु मृत्यु के बारे में अनुमानों के लिए भारत के महापंजीयक द्वारा जारी रिपोर्टों पर निर्भर करता है। वर्ष 2006 में प्रकाशित भारत के महापंजीयक–नमूना पंजीकरण प्रणाली की नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर वर्ष 1997–98 में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 398 से कम होकर 2001–03 में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 301 रह गई है। नवजात शिशु मृत्यु दर

के लिए भारत के महापंजीयक की रिपोर्ट में नवजात शिशु मृत्यु दर वर्ष 1997 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 46 से कम होकर वर्ष 2007 में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 36 रह गई बताई गई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और इसके छत्र के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किए गए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चरण–II में खराब जन स्वास्थ्य सूचकों और कमजोर आधारभूत सुविधा वाले 18 राज्यों पर विशेष जोर देते हुए देश भर में विशेषकर ग्रामीण लोगों के लिए, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने की बात की कही गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में उच्चतर ओपीडी, आईपीडी, संस्थागत प्रसवों, रोग प्रतिरक्षण, नैदानिकों और रेफरल एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रणालियों को सुदृढ़ कर दिया गया है। कुशल मानव संसाधनों, औषधों एवं आपूर्तियों, बेहतर साफ–सफाई सुविधाओं की उपलब्धता ने सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली में नागरिकों के विश्वास को पुनः जीवित कर दिया है। मातृ–मृत्यु दर, शिशु एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए भारत सरकार सम्पूर्ण देश में निम्नलिखित प्रमुख कार्यनीतियों एवं कार्यकलाप कार्यान्वित कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों द्वारा यथा सूचित प्रगति निम्नलिखित है:–

- गर्भवती महिलाओं सहित समुदाय की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक गांव हेतु मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के रूप में 6.50 लाख आशाओं/संपर्क कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 39,233 एएनएम, 22,007 स्टाफ नर्स, 7999 एमबीबीएस डाक्टर, 1883 विशेषज्ञ, 8645 पराचिकित्सक, 5024 आयुष डाक्टर, 934 आयुष पराचिकित्सा स्टाफ संविदा आधार पर जोड़े गए हैं।
- 26,262 रोगी कल्याण समिति स्थापित की गई है। देश में 90 प्रतिशत से अधिक जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास अपनी रोगी कल्याण समितियां है जिनको असम्बद्ध अनुदान प्राप्त होते हैं।
- 12,385 एपीएचसी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य उप जिला स्वास्थ्य केन्द्र सातों दिन चौबीसों घंटे कार्य करते हैं जोकि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के शुरू होने से पहले इनकी संख्या से लगभग 3 गुणा है।
- 2295 संस्थान प्रथम रेफरल एककों के रूप में कार्य करते हैं जिनमें जिला अस्पताल, उप–जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य संस्थान शामिल हैं।
- देश में 3.61 लाख ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियां गठित की गई हैं।
- उप–केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फ्लेक्सी निधियों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रणालीगत सुदृढ़ीकरण।

मातृ–मृत्यु–दर, शिशु एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए किए जा रहे कुछ कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:–

- सुविधा आधारित नवजात शिशु परिचर्या।
- स्तनपान और सम्पूरक आहार को बढ़ावा देना।
- नवजात शिशु एवं बाल्यावस्था रूग्णता का एकीकृत प्रबंधन।
- गंभीर श्वसीनय संक्रमणों और अतिसार रोगों से होने वाली मौतों पर नियंत्रण।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों: विटामिन ए और आयरन का सम्पूरण।
- व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम।
- जननी सुरक्षा योजना जो कि गरीबी रेखा से नीचे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने वाली एक नकद लाभ योजना है।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों में ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन। ग्राम स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।
- विभिन्न कुशलता आधारित प्रशिक्षणों के जरिए कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढाना अर्थात जन्म के समय कुशल परिचर प्रदान करना।
- जीवन रक्षक एनेस्थेटिक कौशलों और सिजेरियन सेक्शन सहित आपाती प्रसूति परिचर्या में एमबीबीएस डाक्टरों का प्रशिक्षण;
- आयरन और फॉलिक अम्ल की सम्पूरक खुराक द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में रक्ताल्पता की रोकथाम और उपचार।

राष्ट्रीय कैंसर कोष की स्थापना

*49. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के कैंसर मरीजों के सभी खर्चों को वहन करने के लिए राष्ट्रीय कैंसर कोष की स्थापना करने का है, जैसाकि 15 जनवरी, 2009 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस राष्ट्रीय कैंसर कोष की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (ग) सरकार ने चिरकारी कैंसर रोग के उपचार के लिए जिसका उपचार अत्यधिक महंगा और लम्बा होता है, गरीबी की रेखा से नीचे के कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "स्वास्थ्य मंत्री की कैंसर रोगी निधि (सीपीएफ)" स्थापित की है। यह कैंसर रोगी निधि राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम हेतु अनुमोदित योजना आबंटन के भीतर 100 करोड़ रुपए के कुल व्यय से राष्ट्रीय आरोग निधि के भीतर एक पृथक कोर्पस के रूप में स्थापित की गई है जिसे विशिष्ट तौर पर देश में गरीबी की रेखा से नीचे के कैंसर के रोगियों के उपचार हेतु उपयोग किया जाएगा। इस निधि की व्यवस्था राष्ट्रीय आरोग्य निधि की प्रबंध एवं तकनीकी समिति के माध्यम से की जाएगी। प्रत्येक व्यक्तिगत रोगी को अधिकतम 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार/छः लेन का बनाया जाना

*50. **श्री चंद्रकांत खैरे :**

श्री एम. रामा मोहन रेड्डी :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य–वार राष्ट्रीय राजमार्गों के कितने लंबे भाग को चार लेन और छः लेन में बदला गया है;

(ख) राजमार्गों के कितने लंबे भाग को अब तक राज्य–वार और खंड–वार चार लेन और छः लेन में बदला गया है;

(ग) शेष कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को राज्य–वार कितनी धनराशि आबंटित की गई और उनके द्वारा अब तक कितनी–कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) आगामी वर्षों में राज्य–वार राजमार्गों के कितने लंबे भाग को चार लेन और छः लेन में बदला जाएगा?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लंबाई जिसे वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन द्वारा चार लेन और 6 लेन का बनाए जाने का लक्ष्य है, 51.00 किमी. है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के सभी चरणों में 3401 किमी. में चार लेन बनाए जाने और 118 किमी. में 6 लेन बनाए जाने संबंधी निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य नियत किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ये लक्ष्य राज्यवार नियत नहीं किए जाते।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लंबाई जिसे अब तक 4 लेन और 6 लेन में परिवर्तित किया गया है, संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का चरण–I काफी हद तक पूरा किया जा चुका है। चरण–II को दिसंबर, 2009 तक काफी हद तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना–V (6500 किमी. में 6 लेन बनाया जाना) को दिसंबर, 2012 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना –VI (1000 किमी. एक्सप्रेस मार्गों का विकास) को दिसंबर, 2015 तक और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना – VII (चयनित सड़क खंडों में रिंग रोड, फ्लाईओवर तथा बाइपासों का निर्माण कार्य) को दिसंबर, 2014 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 4/6 लेन बनाए जाने सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्यवार आबंटन/व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को धनराशि का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है।

(ङ) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के अंतर्गत चरणबद्ध रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन की योजना तैयार की है। 4/6 लेन में परिवर्तित किए जाने के लिए इस योजना में शामिल की गई राष्ट्रीय राजमार्गों की संभावित लंबाई और कार्य पूरा किए जाने की लक्ष्य तारीख का ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं किए गए हैं, को चार लेन और 6 लेन का बनाने के बारे में निर्णय यातायात की सघनता, धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है और यह कार्य चरणबद्ध रूप में पूरा किया जाता है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लंबाई जिसे वर्ष 2008–09 के दौरान चार लेन और 6 लेन का बनाए जाने का लक्ष्य है

क्र.सं.	राज्य का नाम	चार लेन चौड़ीकरण (किमी.)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	3.00
2	असम	2.00
3	दिल्ली	7.00
4	हरियाणा	10.50
5	जम्मू और कश्मीर	1.00
6	कर्नाटक	6.00
7	मणिपुर	4.50
8	पंजाब	6.00
9	राजस्थान	5.00
10	उत्तर प्रदेश	2.00
11	उत्तराखंड	4.00
	कुल	51.00

विवरण-II

राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लंबाई जिसे अब तक (31.01.2009 तक) 4 लेन और 6 लेन में परिवर्तित किया गया है

क्र. सं.	राज्य का नाम	रारा सं.	चार लेन चौड़ीकरण (किमी.)	6/8 लेन चौड़ीकरण (किमी.)
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	5, 7, 9, 18, 202	1266.49	25.90
2	असम	37	28.50	0.00
3	बिहार	2,19,31	213.15	0.00
4	चंडीगढ़	21	2.66	12.62
5	छत्तीसगढ़	6, 43, 78, 200	34.00	0.00
6	दिल्ली	1, 2, 8, 10, 24	34.70	33.50
7	गोवा	17, 17बी	20.00	0.00
8	गुजरात	6, 8, 8ए, 8बी, 8सी, 8डी, 8ई, 14, 15, 59 113, 228, एनई-I	1294.86	0.00
9	हरियाणा	1, 2, 8, 10, 64, 65, 71, 71बी, 72, 73, 73ए	361.07	0.00
10	जम्मू और कश्मीर	1ए	1.97	0.00
11	झारखंड	2	113.00	0.00
12	कर्नाटक	4, 7, 63, 206, 209	505.90	0.00
13	केरल	47	54.60	0.00

1	2	3	4	5
14	मध्य प्रदेश	3, 12, 25, 76, 86	217.40	0.00
15	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 6, 7, 8, 50	677.55	0.00
16	मणिपुर	39, 53, 150	17.93	0.00
17	उड़ीसा	5, 60, 203	255.86	0.00
18	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21, 22, 64, 70, 71, 72, 95	470.19	6.15
19	राजस्थान	3, 8, 11, 11सी, 12, 15, 65, 76, 79, 79ए, 89, 112, 114	1178.36	0.00
20	तमिलनाडु	4, 5, 7, 45, 46	549.70	0.00
21	उत्तराखंड	72, 74, 87	9.87	0.00
22	उत्तर प्रदेश	2, 3, 24, 24ए, 25, 27, 28, 29, 56, 58, 73, 86, 91, 93, 119	767.15	14.91
29	पश्चिम बंगाल	2, 6, 31, 60, 117	475.18	0.00

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राज्यवार आवंटन/व्यय

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	31.1.2009 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	70.00	69.65	58.41	58.06	76.00	75.89	138.00	143.24
2	अरुणाचल प्रदेश	6.00	6.00	8.30	8.29	6.00	5.65	6.00	1.10
3	असम	58.00	58.00	77.25	76.49	86.00	85.24	86.00	41.89
4	बिहार	65.00	64.92	97.20	97.13	83.00	82.89	80.00	70.37
5	चंडीगढ़	1.00	0.89	1.00	0.96	2.00	2.00	3.50	1.51
6	छत्तीसगढ़	49.70	49.08	37.00	36.19	39.00	38.78	47.00	49.72
7	दिल्ली	1.00	0.50	3.00	1.47	9.00	8.30	15.00	12.13
8	गोवा	6.00	6.00	2.95	2.64	15.00	15.00	22.70	23.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	गुजरात	94.50	94.50	60.00	60.00	62.00	62.00	81.00	61.76
10	हरियाणा	57.42	57.42	64.00	64.00	81.25	81.24	93.00	82.46
11	हिमाचल प्रदेश	39.00	39.00	39.50	39.44	57.00	57.00	67.00	59.65
12	झारखंड	40.00	39.97	34.86	35.00	57.25	57.24	89.00	71.68
13	कर्नाटक	84.00	84.00	85.00	84.84	99.50	99.48	181.00	173.43
14	केरल	66.00	65.99	55.00	54.44	50.00	50.00	63.00	42.62
15	मध्य प्रदेश	74.07	73.58	84.09	82.92	65.00	64.98	77.00	65.44
16	महाराष्ट्र	112.00	111.93	148.75	148.75	133.79	133.79	169.00	168.64
17	मणिपुर	20.00	20.00	14.65	14.65	12.00	10.24	40.00	13.60
18	मेघालय	24.00	24.18	24.50	24.31	22.00	22.33	36.50	27.67
19	मिजोरम	15.75	15.75	15.53	15.53	15.00	15.00	23.50	10.84
20	नागालैंड	11.25	11.25	11.82	11.81	12.00	10.20	27.00	14.96
21	उड़ीसा	66.00	65.77	72.00	72.00	137.50	137.50	228.00	137.62
22	पुडुचेरी	2.65	2.64	5.00	4.99	7.55	7.49	9.00	1.51
23	पंजाब	62.50	62.50	72.00	72.00	82.90	82.90	142.00	127.66
24	राजस्थान	83.00	83.00	75.00	74.38	99.00	98.98	166.00	176.14
25	तमिलनाडु	86.00	81.80	82.00	79.40	91.25	91.25	121.00	104.61
26	उत्तर प्रदेश	186.00	185.97	91.40	91.32	130.00	130.00	191.00	183.80
27	उत्तराखंड	40.00	40.00	52.75	52.64	38.95	38.94	78.00	83.97
28	पश्चिम बंगाल	56.00	55.75	47.00	46.77	58.00	57.99	94.50	72.70

विवरण-IV

आगामी वर्षों में 4 लेन एवं 6 लेन में परिवर्तित किए जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों की संभावित लंबाई

क्र.सं.	कार्यक्रम	परियोजना का नाम और लंबाई	पूरा करने की लक्ष्य तारीख
1	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I और II	स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर–दक्षिण एवं पूर्व–पश्चिम महामार्गों को पूरा किया जाना, 14,145 किमी.	दिसंबर, .2009
2	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण -III	12,109 किमी. में चार लेन बनाया जाना	दिसंबर, 2013
3	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V	राष्ट्रीय राजमार्गों के 6500 किमी. लंबे चयनित खंडों को 6 लेन का बनाया जाना	दिसंबर, 2012
4	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-VI	1000 किमी. एक्सप्रेस मार्गों का विकास	दिसंबर, 2015

देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर

*51. **श्री रामदास आठवले :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के प्रदूषित शहरों की सूची में अपनी रैंकिंग और अपने स्थान के अनुसार देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों के नाम क्या हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक शहर का मौजूदा प्रदूषण स्तर कितना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है/कराये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुंबई सहित इन शहरों में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोनारायन मीना) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस पी सी बी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी सी सी) के सहयोग से देश के चुनिन्दा स्थानों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की मानीटरी कर रहा है। श्वसनीय विविक्य कण पदार्थ (आर एस पी एम) की तरह सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) के स्तर और कोलकाता को छोड़कर, नाईट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) के स्तर, (एन ए ए क्यू एस) के भीतर हैं। वर्ष 2007 में आर एस पी एम के संदर्भ में लगभग 85 शहर/कस्बे राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एन ए ए क्यू एस) का उल्लंघन करते हुए पाये गए हैं। आर एस पी एम के घटते हुए क्रम में उनकी रैंकिंग संलग्न विवरण–I में दी गई है।

विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों को रैंक देने के लिए कोई मानक प्रणाली नहीं है तथापि, विभिन्न संगठनों ने विभिन्न मानकों के आधार पर विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की अपनी रैंकिंग प्रकाशित की गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरी कार्यक्रम (एन ए एम पी) के तहत राष्ट्र–व्यापी परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरी नेटवर्क स्थापित किया है। एन ए एम पी के अंतर्गत, 26 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में 128 शहरों/कस्बों को कवर करते हुए 345 स्टेशनों की मानीटरी की जा रही है। इसके अतिरिक्त 6 शहरों, अर्थात् दिल्ली, बेंगलुरू, पुणे, कानपुर, मुंबई और चेन्नई में आर एस पी एम हेतु स्रोत संविभाजन अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों के एक सीजन डाटा के विश्लेषण के आधार पर अंतरिम रिपार्ट के निर्णयों का सार संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ङ) सरकार द्वारा मुंबई सहित इन शहरों में प्रदूषण के बढ़ते हुए स्तरों को नियंत्रित करने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

(i) पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्त्राव और उत्सर्जन मानकों की अधिसूचना;

(ii) पर्यावरण निगरानी स्क्वाड (ई एस एस) कार्यक्रम के माध्यम से सर्वाधिक प्रदूषित उद्योगों की 17 श्रेणियों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(iii) 24 अत्यधिक प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य योजना का कार्यान्वयन;

(iv) उद्योगों और विकास परियोजनाओं के लिए अधिदेशात्मक पर्यावरणीय स्वीकृतियां (ई सी)

(v) ताप विद्युत संयंत्रों में लाभकारी कोयले का प्रयोग शुरु करना;

(vi) उद्योगों में स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों की शुरुआत करना;

(vii) देश में मास रेपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम (एम आर टी एस) को बढ़ावा देना;

(viii) वाहनों में सी एन जी जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग की शुरुआत करना;

(ix) दिनांक 1.4.2005 से 11 बड़े नगरों में अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु अहमदाबाद, हैदराबाद/सिकन्दराबाद/कानपुर, पुणे, सूरत और आगरा में भारत स्टेज III उत्सर्जन मानदंडों का कार्यान्वयन करना जबकि देश के बाकी हिस्सों में भारत स्टेज II उत्सर्जन मानदंड लागू किए गए हैं;

(x) उद्योगों का पता लगाने के लिए जोनिंग एटलस तैयार करना;

(xi) डीजल से चलने वाले जेनरेटर सेटों के लिए वायु प्रदूषण मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना; और

(xii) 16 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य योजनाओं को तैयार करना और उन्हें कार्यान्वित करना।

विवरण-I

अत्यधिक प्रदूषित शहरों में घटते क्रम में आवासीय क्षेत्रों में पाए गए आर एस पी एम स्तर (माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर वार्षिक औसत स्तर सांद्रण)

क्रम	राज्य	शहर	आवासीय क्षेत्रों में 2007 के दौरान आर एम पी एम स्तर (प्रति घन मीटर माइक्रोग्राम में वार्षिक औसत सांद्रण)
1	2	3	4
1	पंजाब	गोबिन्दगढ़	252
2	पंजाब	लुधियाना	201
3	उत्तर प्रदेश	खुर्जा	201
4	पंजाब	खन्ना	196
5	उत्तर प्रदेश	कानपुर	193
6	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	187
7	झारखंड	झरिया	180
8	उत्तर प्रदेश	फिरोजाबाद	175
9	महाराष्ट्र	चन्द्रपुर	173
10	उत्तर प्रदेश	आगरा	167
11	झारखंड	जमशेदपुर	166
12	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	166
13	उत्तर प्रदेश	झांसी	165
14	उत्तर प्रदेश	नौएडा	162
15	दिल्ली	दिल्ली	159
16	पंजाब	जलंधर	157
17	हरियाणा	फरीदाबाद	146
18	कर्नाटक	हुबली–धारवाड़	145
19	झारखंड	रांची	136
20	राजस्थान	जोधपुर	132
21	राजस्थान	अलवर	130
22	छत्तीसगढ़	रायपुर	125
23	बिहार	पटना	123
24	मध्य प्रदेश	सतना	122
25	राजस्थान	कोटा	121
26	उत्तर प्रदेश	मेरठ	120
27	हरियाणा	हिसार	114
28	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	114
29	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	112
30	महाराष्ट्र	पुणे	109
31	मध्य प्रदेश	इंदौर	108
32	झारखंड	धनबाद	107
33	मध्य प्रदेश	जबलपुर	107
34	उत्तराखंड	देहरादून	105
35	गुजरात	जामनगर	103
36	पश्चिम बंगाल	हावड़ा	103
37	उड़ीसा	राउरकेला	101
38	छत्तीसगढ़	कोरबा	100
39	असम	गुवाहाटी	99
40	महाराष्ट्र	नागपुर	99
41	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	99
42	राजस्थान	जयपुर	98
43	मध्य प्रदेश	उज्जैन	96
44	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टणम	95
45	महाराष्ट्र	शोलापुर	95
46	पंजाब	नया नंगल	94
47	चंडीगढ़	चंडीगढ़	93
48	महाराष्ट्र	मुम्बई	92
49	असम	शिव सागर	90
50	गुजरात	अंकलेश्वर	90

1	2	3	4
51	छत्तीसगढ़	भिलाई	88
52	गुजरात	सूरत	87
53	गुजरात	अहमदाबाद	86
54	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	85
55	मध्य प्रदेश	भोपाल	84
56	मध्य प्रदेश	नागदा	84
57	गुजरात	वड़ोदरा	83
58	महाराष्ट्र	लोटे	82
59	उड़ीसा	कटक	82
60	हिमाचल प्रदेश	पॉटा साहिब	81
61	आंध्र प्रदेश	कुरनूल	80
62	तमिलनाडु	तूतीकोरिन	78
63	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	77
64	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	77
65	गुजरात	राजकोट	76
66	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर	74
67	राजस्थान	उदयपुर	72
68	उड़ीसा	अंगुल	71
69	उड़ीसा	भुवनेश्वर	71
70	हिमाचल प्रदेश	दमतल	68
71	नागालैंड	दीमापुर	68
72	असम	गोलाघाट	67
73	मेघालय	शिलांग	67
74	असम	तेजपुर	66
75	महाराष्ट्र	कोल्हापुर	66
76	आंध्र प्रदेश	रामागुंडम	65
77	केरल	त्रिवेन्द्रम	65
78	गुजरात	वापी	63
79	कर्नाटक	बंगलूर	63
80	मध्य प्रदेश	सिंहरौली	63
81	महाराष्ट्र	अमरावती	63
82	हिमाचल प्रदेश	परवाणु	62
83	कर्नाटक	हासन	62
84	उड़ीसा	बेरहामपुर	62
85	उड़ीसा	बालेश्वर	62

नोट : राष्ट्रीय परिवेशी आवासीय क्षेत्रों के लिए आर एस पी एम के लिए वायु गुणवत्ता मानक (वार्षिक औसत) = 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर

विवरण-II

एक डाटा सीजन के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित अंतरिम निष्कर्ष निकाले गए हैं:

1. स्थल के स्तर का ध्यान रखे बिना परिवेशी वायु में विविक्य पदार्थ $_{10}(PM_{10})$ और विवित पदार्थ 2.5 ($PM_{2.5}$) का स्तर बहुत ऊंचा है इन प्रदूषकों के संकेद्रण किनारे/सड़क के किनारे स्थलों पर साक्षेप रूप से बहुत अधिक हैं (PM_{10}:-99277 ug/M³;$PM_{2.5}$:36-212 ug/M³)

तालिका : निर्देशात्मक मुख्य स्रोत

शहर	निर्देशात्मक स्रोत
1	2
बेंगलूरू	* वाहन/डीजी सेट
	* सड़क की धूल/पुनः निलम्बित मृदा
	* विनिर्माण कार्य
	* बायोमास/ज्वलन तेल अवशिष्ट
	* गौण विविक्त
चेन्नई	* वाहन/दहन
	* सड़क की धूल/पुनः निलम्बित मृदा
	* विनिर्माण कार्य
	* समुद्री/गौण विविक्त
दिल्ली	* वाहन
	* दहन/डीजी सेट
	* सड़क की धूल/पुनः निलम्बित मृदा
	* विनिर्माण कार्य

1		2
कानपुर	*	सड़की की धूल/पुनः निलम्बित मृदा
	*	दहन/वहन
	*	तेल दहन
मुम्बई	*	सड़क की धूल/पुनः निलम्बित मृदा
	*	दहन/वहन
	*	समुद्री/गौण विविक्त
	*	बायोमास ज्वलन
पुणे	*	सड़क की धूल
	*	वाहन
	*	कृषि/बायोमास ज्वलन
	*	विनिर्माण कार्य

2. पृष्ठभूमि स्थल विविक्त कणों के महत्वपूर्ण स्तरों की मौजूदगी को इंगित करते हैं, जो प्राकृतिक रुप से और/अथवा शहरों के आस पास अन्य बस्तियों से महीन धूल कणों के फैलने के कारण उत्पन्न होते हैं।

3. यद्यपि, स्त्रोतों की प्रमुखता के बीच शहर–विशिष्ट भिन्नताएं हैं, वाहनों और डीजल जेनरेटर सेटों सहित ज्वलनशील स्रोत और सड़क के धूल कणों का पुनः निलम्बन सभी शहरों में विविक्त कण पदार्थों के लिए प्रमुख स्त्रोतों के रुप में सामने आए हैं।

4. विभिन्न जानपदिक रोग विज्ञान अध्ययनों ने PM10 और विशेष रुप से PM 2.5 को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के साथ जोड़ा है। PM 2.5 विशेष चिंताजनक है क्योंकि इसमें टॉक्सिन का अधिक अनुपात है और वायुगतिकी से यह फेफड़ों में गहराई से प्रवेश कर सकता है। अतः नियंत्रण रणनीतियों की योजना बनाते समय, PM 2.5 और विविक्त कणों के विषैले घटकों को कम करने पर अधिक बल दिया जाना है।

5. पक्की और कच्ची सड़कों पर वाहनों की आवाजाही से सड़क की धूल और विनिर्माण गतिविधियों से मुख्य स्रोत से पुन उठने वाली धूल से बड़े पैमाने पर PM 10 कोर्सर फ्रैक्शन पैदा होने में बढ़ावा देते हैं और वाहनों और डी जी सेटों सहित कम्बयूशन स्रोत कण पदार्थ शुद्ध आकार में (PM 2.5) छोड़ेंगे। अतः PM 10 और PM 2.5 को कम करने के लिए रणनीतियों के लिए विभिन्न प्रकार के स्त्रोत शामिल होंगे।

6. PM 10 में PM 2.5 के उच्चतर घर्षण और ई सी और ओ सी (जिनमें अत्यधिक गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव हैं) के उच्चतर मूल्य उपांताश्म स्थलों पर यह संकेत करते हैं कि वाहन एग्जास्ट का नियंत्रण, किसी रणनीति अथवा वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्य योजना और जन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व होगा।

7. SO_4 और NO_3 के उच्च स्तरों की मौजूदगी यह अनिवार्य रुप से इंगित करती है कि फाइन डस्ट स्तरों को नियंत्रित करने की दृष्टि से नाइट्रोजन और सल्फर के आक्साइड के उत्सर्जन जो कम्बयूशन स्त्रोतों से उत्सर्जित होते हैं, उन स्त्रोतों से जो कि दूरस्थ स्थलों पर स्थित हैं, कम किए जाने की आवश्यकता है।

8. एक प्रभावकारी नियंत्रण रणनीति को इंजीनियरिंग और गैर–इंजीनियरिंग समाधानों के संयोजन की जरुरत है। इनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं। यह आवश्यक रुप से प्राथमिकता के क्रम में नहीं हैं:

* डीजल कम्बयूशन को कमतर करना:

क. पर्याप्त बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करके डी जी सेटों के उपयोग में कमी करना, डी जी सेट उत्सर्जनों के लिए कड़े मानदण्ड।

ख. निजी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा न देना, विशेष रुप से डीजल से चलने वाले वाहनों को–परिवहन क्षेत्र के लिए गैसोलीन और डीजल में कीमतों के अंतराल को कम करना।

* कर नीतियों में सुधार करना–मार्ग कर, उत्सर्जन स्तरों, ईंधन सक्षमता पर आधारित होना।

* बेहतर वाहन इंजन प्रौद्योगिकी और उत्सर्जन मानदंड

* ईंधन गुणवत्ता में सुधार करना

* अनिवार्य आवधिक निरीक्षण और रख रखाव अपेक्षाएं – प्राधिकृत सर्विस स्टेशनों द्वारा किए गए निरीक्षण का ब्यौरा सहित प्रमाणपत्र जारी करना

* शहरों में प्रदूषण फैला रहे ट्रकों और भारी माल वाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करना

* यातायात प्रबंध के समाधान में आई टी का अनुप्रयोग करना।

* सड़कों का बेहतर रखरखाव, कच्ची सड़कों को पक्की बनाना, अधिक यातायात वाली सड़कों सहित प्रमुख सड़कों के साथ–साथ कच्ची सड़कों पर फुटपाथ अथवा कम–ऊंचाई तक कंकरीट डालना

* स्वच्छतर ईंधनों का उपयोग, शहरों और उनके आस पास अवस्थित उद्योगों के लिए कड़े उत्सर्जन मानदंड

* कुछ अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों को कम उत्सर्जन परिक्षेत्र के रुप में पहचान की जा सकती है और कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित अधिक विशिष्ट मानदंड अनुप्रयुक्त किए जा सकते हैं।

ऐसे बहुत सी नियंत्रण कार्रवाईयां हो सकती हैं; इन सभी का उनकी व्यवहार्यता के संबंध में, प्रत्याशित प्रभावों के संबंध में मात्रात्मक आकलन किया जाना अपेक्षित है और वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए प्राथमिकता के क्रम में रैंकिंग दिया जाना अपेक्षित है।

विकास दर में संशोधन

*52. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2008–09 के वार्षिक विकास दर अनुमानों में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक नीति विवरण (अप्रैल, 2008) में 2008–09 के लिए समग्र वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.0–8.5 प्रतिशत के बीच अनुमानित की है जिसे पहली तिमाही की समीक्षा (जुलाई 2008) में कम करके 8.0 प्रतिशत और मध्यावधिक समीक्षा (अक्तूबर 2008) में और कम करके 7.5–8.0 प्रतिशत कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी तीसरी तिमाही समीक्षा (जनवरी 2009) में 2008–09 के लिए समग्र वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान और कम करके 7.0 प्रतिशत कर दिए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के इन दस्तावेजों में इन सब संशोधनों का कारण विस्तृत रूप से बताया गया है: वार्षिक नीति विवरण (अप्रैल 2008), मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा (जुलाई, 2008), मध्यावधिक समीक्षा (अक्तूबर, 2008) तथा संबंधित बृहद आर्थिक और मौद्रिक घटनाक्रमों के साथ मौद्रिक नीति की तीसरी तिमाही समीक्षा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वृद्धि दरों के अनुमानों में संशोधनों के कारणों में अन्य बातों के साथ, वैश्विक आर्थिक मंदी, चक्रीय गिरावट के कारण औद्योगिक विकास में कमी होना और घरेलू एवं विदेशी मांग में कमजोरी के कारण सेवा क्षेत्र में मंदी आना शामिल है।

ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण

*53. **श्री जी. एम. सिद्देश्वर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में ग्रामीण बैंकों द्वारा राज्यवार कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं;

(ख) क्या इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि किसानों को इन बैंकों से समुचित लाभ नहीं मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बैंकों के माध्यम से किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2008–09 (30.9.2008) की स्थिति के अनुसार) के दौरान जारी किए गए ऋणों और बकाया ऋणों की राज्य–वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके अपने स्वयं के स्रोतों के अलावा, सभी पात्र किसानों को आवश्यक ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड से पुनर्वित व्यवस्था द्वारा सहायता भी दी जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह ने लगातार वृद्धि दर्शाई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

(राशि लाख रु.)

सभी आरआरबी की स्थिति	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*
कुल प्रदत्त ऋण	1557904.69	2108247.31	2542697.12	3304349.44	3858197.49
कुल ऋणों में, कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋण	717497.06	1192683.5	1522290.00	2043465.00	2481365.00

* अनन्तिम आंकड़े

विवरण

आरआरबी द्वारा पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2008–09 (30.9.2008 तक) तक जारी किए गए कुल ऋण और बकाया ऋण की राज्य–वार स्थिति

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2005-06		2006-07		2007-08*		2008-09*	
		बकाया ऋण	संवितरित ऋण	बकाया ऋण	संवितरित ऋण	बकाया ऋण	संवितरित ऋण	बकाया ऋण	संवितरित ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	522247.80	447915.76	628599.11	659795.01	799533.92	694500.11	884102.55	350406.18
2	अरुणाचल प्रदेश	2867.00	385.17	2757.11	585.32	2612.00	935.78	3083.22	625.81
3	असम	91362.43	32055.23	112175.14	39676.61	131609.82	42021.25	153328.81	21179.14
4	बिहार	222456.74	73911.13	290408.22	137041.28	367761.11	158025.73	426733.72	80165.08
5	छत्तीसगढ़	62775.34	35672.27	72181.67	36994.86	82894.66	43042.08	92210.10	25219.16
6	गुजरात	94299.54	68261.10	124047.21	93038.20	151844.56	102623.48	169375.38	81281.33
7	हरियाणा	129179.85	99658.00	155402.01	139600.00	206694.00	179190.00	226981.00	81629.00
8	हिमाचल प्रदेश	26557.20	16154.26	32671.20	20372.62	38557.58	25475.03	40973.60	10600.79
9	जम्मू और कश्मीर	28282.07	14712.33	35052.32	19355.42	45522.63	23434.64	48015.80	9287.85
10	झारखंड	58665.48	23885.77	60289.27	18494.94	68460.47	25737.29	74587.36	13344.56
11	कर्नाटक	470410.08	286055.59	589296.92	369507.47	708157.17	435857.84	729374.89	188940.75
12	केरल	229589.33	216673.07	289604.76	266607.44	345863.82	305194.00	388726.00	185354.00
13	मध्य प्रदेश	243761.57	156665.10	297672.38	187369.14	357018.28	234524.88	370089.29	127025.05
14	महाराष्ट्र	101805.91	49370.03	128735.83	76652.03	157485.15	80824.57	164872.06	31358.43
15	मणिपुर	3443.69	1407.47	3809.10	678.42	3282.57	249.28	3201.53	103.49
16	मेघालय	6667.00	3366.23	8253.57	4126.99	9733.16	4681.80	9951.10	1758.90
17	मिजोरम	10854.27	4306.62	12833.07	5431.27	16106.42	6400.48	16859.96	4091.43
18	नागालैंड	705.99	288.22	774.99	185.80	792.18	129.66	817.75	206.60
19	उड़ीसा	241136.63	108749.19	283965.68	124232.14	319077.05	125478.91	355825.49	51895.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	पंजाब	65878.21	63061.40	83914.33	80253.91	107836.37	109813.54	117896.36	59201.17
21	राजस्थान	258026.47	159380.42	328070.07	222745.51	414712.43	283611.85	436048.31	153977.58
22	तमिलनाडु	101620.3	121516.33	134798.78	146227.59	165287.38	184785.13	188446.53	112447.74
23	त्रिपुरा	37528.95	19034.77	46795.64	19220.65	54914.42	19445.17	58916.09	9347.08
24	उत्तर प्रदेश	29322.15	16821.93	859756.76	509234.05	1031304.05	610282.45	1094232.72	297686.46
25	उत्तराखंड	725732.09	419434.32	35662.83	19995.97	46994.84	27644.56	52196	9264.36
26	पश्चिम बंगाल	206081.12	103955.41	231731.42	106926.80	264370.57	134287.98	277186.40	54172.22
	कुल	3971257.21	2542697.12	4849259.39	3304349.44	5898426.61	3858197.49	6384012.02	1960569.55

* आंकड़े अनन्तिम। उपयुक्त स्थिति जारी किए गए और बकाया कुल ऋण (कृषि क्षेत्र सहित) दर्शाता है।

एच आई वी/एड्स रोगियों को निःशुल्क औषधियां

*54. **श्री नन्द कुमार साय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में एच आई वी/एड्स रोगियों को जीवनरक्षक औषधियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में ऐसी औषधियों की मांग और आपूर्ति में अभी भी भारी अंतर है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में एच आई वी/एड्स रोगियों को निःशुल्क औषधियां उपलब्ध कराने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(च) क्या कुछ निजी कंपनियां भी देश में एच आई वी/एड्स रोगियों को सस्ती एच आई वी औषधियां उपलब्ध कराने के लिए आगे आई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) से (छ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन चरण–III के अंतर्गत एचआईवी/एड्स से ग्रस्त लोगों को एंटीरिट्रोवाइरल उपचार (एआरटी) केन्द्रों, जो चुनिंदा मेडिकल कालेजों एवं जिला अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं, के जरिए जीवन रक्षक दवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रथम आठ एआरटी केन्द्र अप्रैल, 2004 में स्थापित किए गए थे और फिलहाल 197 एआरटी केन्द्रों द्वारा पात्र एचआईवी/एड्स रोगियों को निःशुल्क जीवन रक्षक औषधें प्रदान की जा ही हैं।

2003 से करीब 12 लाख व्यक्तियों को एचआईवी संक्रमण से ग्रस्त पाया गया है जिनमें से अब तक 6,11,754 रोगियों को 31.12.08 तक की स्थिति के अनुसार एआरटी केन्द्रों में पंजीकृत किया जा चुका है। इन सभी रोगियों का सीडी 4 काउंट सहित विस्तृत नैदानिक मूल्यांकन एवं जांचें कराई जाती हैं। डब्ल्यूएचओ नैदानिक चरण–IV रोग अथवा 250 कोशिकाएं/सीएमएम से कम सीडी4 काउंट वाले रोगी एआरटी प्राप्त करने के लिए तकनीकी रूप से पात्र होते हैं। फिलहाल तकनीकी रूप से पात्र (1,99,237) रोगियों को इन केन्द्रों द्वारा मुफ्त उपचार प्रदान किया जा रहा है। एचआईवी परिचर्या में पंजीकृत व्यक्तियों एवं वर्तमान में एआरटी पर रखे गए रोगियों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2012 तक 3,00,000 वयस्कों एव 40,000 बच्चों को उपचार प्रदान करने का लक्ष्य है।

एआरटी केन्द्रों की स्थापना जिले में एचआईवी की व्याप्तता एवं एचआईवी पोजिटिव पाए गए रोगियों की संख्या के आधार पर की जाती है। एंटी रिट्रोवाइरल औषधों का प्रापण अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के जरिए किया जाता है जिससे हम उन्हें प्रचलित बाजार कीमतों की करीब आधी कीमत पर प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं।

विवरण

वर्तमान में एआरटी प्राप्त कर रहे रोगी (दिसम्बर, 2008)

क्र.सं.	राज्य	एआरटी केन्द्रों की संख्या	एआरटी पर रखे गए रोगियों की संख्या		
			वयस्क	बच्चे	कुल
1	2	3	4	5	6
1	तमिलनाडु	27	26930	1950	28880
2	महाराष्ट्र	37	43924	3357	47281
3	आंध्र प्रदेश	28	40903	2646	43549
4	कर्नाटक	27	19448	1928	21376
5	मणिपुर	6	4294	406	4700
6	नागालैंड	4	921	65	986
7	दिल्ली	9	4743	417	5160
उपयोग जीएफटीएम (दौर-IV)		138	141163	10769	151932
8	चण्डीगढ़	1	1075	135	1210
9	राजस्थान	4	3966	283	4249
10	गुजरात	7	6798	416	7214
11	पश्चिम बंगाल	4	3315	136	3451
12	उत्तर प्रदेश	7	6710	353	7063
13	गोवा	1	646	37	683
14	केरल	5	2920	171	3091
15	हिमाचल प्रदेश	1	434	63	497
16	पांडिचेरी	1	267	43	310
17	बिहार	4	2998	124	3122
18	मध्य प्रदेश	3	2156	161	2317
19	असम	3	537	18	555
20	अरुणाचल प्रदेश	1	25	0	25
21	मिजोरम	1	297	24	321
22	पंजाब	3	2982	193	3175
23	सिक्किम	1	18	1	19
24	झारखंड	2	828	38	866
25	हरियाणा	1	965	51	1016
26	उत्तराखंड	1	318	29	347
27	जम्मू और कश्मीर	2	417	29	446
28	उड़ीसा	3	779	39	818
29	छत्तीसगढ़	1	893	96	989
30	त्रिपुरा	1	44	1	45

1	2	3	4	5	6
31	मेघालय	1	33	1	34
जीएफटीएम (दौर-IV) वाले कुल राज्य		59	39421	2442	41863
नाको केन्द्रों में कुल रोगी		197	180584	13211	193795
नाको द्वारा सहायता प्राप्त ए आर टी केन्द्र					193795
अंतरक्षेत्रीय भागीदार					2479
जीएफटीएम दौर II केन्द्र					2489
गैर सरकारी संगठन क्षेत्र					474
	महायोग				1999237

कोयला खान कामगारों की घटिया चिकित्सा सुविधा

*55. **श्री सुग्रीव सिंह** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ सहित देशभर में स्थित विभिन्न कोलफील्ड्स के कामगारों से घटिया चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कोलफील्ड्स में कामगारों को उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) जी, हां। चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में व्यक्तियों, संघों और जन प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन/शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती हैं। शिकायतें सामान्यतया निम्नलिखित से संबंधित हैं:-

- बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- कोयला खानों के सेवानिवृत्त गैर-कार्यपालकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना।
- कोयला खान क्षेत्रों के निवासियों के लिए अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा जांच सुविधा का प्रावधान।
- अस्पतालों का उन्नयन और आधुनिकीकरण।
- चिकित्सा सुविधाओं/कार्मिकों की अपर्याप्तता।

(ग) कोयला उद्योग के लिए संयुक्त द्विपक्षीय समिति (जेबीसीसीआई), राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यूए) और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) द्वारा तय मानदंडों के अनुसार कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और वे पर्याप्त हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने और कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को अद्यतन चिकित्सा उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से अस्पतालों में विशेषज्ञता तथा परम विशेषज्ञता सेवाएं प्रदान करने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने गंभीर मामलों में उपचार के लिए लगभग सभी महानगरों में विशेषज्ञता तथा परम विशेषज्ञता अस्पतालों का पैनल बनाया है।

बेलआउट/स्टीमुलस पैकेज

*56. **डा. के. एस. मनोज** :
श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान आर्थिक संकट के दृष्टिगत केंद्र सरकार द्वारा घोषित बेलआउट स्टीमुलस पैकेजों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक संकट के प्रभाव को कम करने

के लिए सरकार द्वारा 7 दिसम्बर, 2008 और 2 जनवरी 2009 को उपायों के दो पैकेजों की घोषणा की गई थी जो मुख्यतया वृहत तौर पर अर्थव्यवस्था–व्यापी परिप्रेक्ष्य से मांग को बढ़ावा देने के लिए तथा इस मंदी से प्रभावित होने वाले अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए भी हैं। घोषित किए गए ये उपाय अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के लिए हैं। महत्वपूर्ण ग्रामीण, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस), इंदिरा आवास योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को शामिल करते हुए 20,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आयोजना–व्यय इस पैकेज में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त घोषित किए गए कर संबंधी उपायों में, अन्य बातों के साथ–साथ ये शामिल हैं: सैनवेट से समग्र रुप से 4 प्रतिशतांक की कटौती जिससे सभी क्षेत्रों को लाभ होगा; संरक्षण के स्तरों को बहाल करते हुए इस्पात एवं सीमेंट जैसे क्षेत्रों पर सीमाशुल्क विषयक विशिष्ट उपाय; सेवा कर में रियायतें और निर्यातों पर वापसी दरों में बढ़ोतरी। किए गए अन्य विशिष्ट उपायों में ये शामिल हैं: वस्त्र, चमड़े, रत्न एवं आभूषण, कालीन और हस्तशिल्प जैसे श्रम प्रधान निर्यातों के लिए लदान–पूर्व और लदान–पश्च ऋण पर ब्याज–सहायता; आवास–निर्माण क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को 4000 करोड़ रुपये और अति लघु, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 7,000 करोड़ रुपये की पुनर्वित सुविधाएं; कर मुक्त बांडों के जरिए 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को प्राधिकार प्रदान करना। वित्त सचिव की अध्यक्षता में गठित शीर्ष समिति इस संबंध में उद्योग जगत से प्राप्त हुए सुझावों पर बराबर विचार कर रही है।

पर्यावरणीय स्वीकृतिक मानदंडों का उल्लंघन

***57. श्री के. एस. राव** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी डेवलेपरों तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा विकसित/कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के संबंध में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृतियों के निबंधन एवं शर्तों का उल्लंघन करने के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ख) उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास संबंधी विभिन्न परियोजनाओं से जुड़ी पर्यावरणीय शर्तों के उल्लंघन से संबंधित 86 मामले जानकारी में आए हैं। अनुबद्ध पर्यावरणीय शर्तों के कार्यान्वयन के लिए कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की गई हैं।

नैदानिक परीक्षण

***58. श्री निखिल कुमार :**
श्री विजय कृष्णा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश में अनुसंधान के कारण होने वाली क्षति के लिए भागीदारों को मुआवजा देने हेतु हाल ही में दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भी स्टेम सेल का उपयोग कर नैदानिक परीक्षण करता रहा है और शीघ्र ही इसका विचार पार्किन्सन रोग के मरीजों के लिए एक नया परीक्षण बैच शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार नैदानिक परीक्षण के भागीदारों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), भारत में आचार संहिता समीक्षा समितियों हेतु मंच (एफईआरसीआई) और भारतीय नैदानिक अनुसंधान सोसायटी (आईएससीआर) ने टिप्पणियों हेतु भारत में अनुसंधान संबंधी चोट हेतु प्रतिभागियों को मुआवजा देने हेतु दिशानिर्देशों का प्रारुप जारी किया है। ये दिशानिर्देश भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की वेसाइट www.icmr.nic.in पर उपलब्ध है। तथापि, इन दिशानिर्देशों से उद्धरण संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भारत में आटोलोगस बोन का उपयोग करते हुए नैदानिक परीक्षण कर रहा है।

(ङ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम (2005 में संशोधित) की अनुसूची वाई के अनुसार संस्थागत आचार संहिता समिति सभी परीक्षण व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने, सुरक्षा, कल्याण के लिए उत्तरदायी है। जैव–प्रौद्योगिकी विभाग एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा स्टेम कोशिका अनुसंधान और चिकित्सा हेतु जारी किये गये दिशानिर्देशों (2007) के अनुसार किसी भी स्टेम कोशिका से सभी नैदानिक परीक्षणों के लिए स्टेम कोशिका अनुसंधान एवं चिकित्सा हेतु

संस्थागत समिति (आईसीएससीआरटी), संस्थागत आचार संहिता समिति (आईईसी) और भारत के औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई) से बाजार में बेचे जाने योग्य उत्पाद हेतु पूर्वानुमोदन लेना होगा।

विवरण

* **दिशानिर्देशों का क्षेत्र**

– ये दिशानिर्देश सभी नैदानिक अनुसंधान पर लागू होते हैं चाहे वे फार्मास्यूटीकल अथवा चिकित्सीय युक्ति उद्योग, सरकार अथवा अकादमियों अथवा वैयक्तिक अन्वेषकों द्वारा प्रायोजित हो।

– ये दिशानिर्देश पोस्ट मार्किटिंग निगरानी और सहायक परिचर्या पर लागू नहीं होते हैं।

* **मूल सिद्धान्त**

– जब नैदानिक अनुसंधान में भाग लेने के कारण अस्थायी अथवा स्थायी क्षति पहुंचती है तो अनुसंधान प्रतिभागियों को मुआवजा प्रदान किया जाए।

– नैदानिक अनुसंधान में माता–पिता की सहभागिता के माध्यम से गर्भाशय के भीतर क्षतियस्त हुए बच्चे को मुआवजा दिया जाए।

– यदि कोई क्षति किसी क्रियाविधि के कारण हुई हो जिसे अनुसंधान के दौरान हुई प्रतिकूल अनुक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया गया हो तो उसके लिए मुआवजा दिया जाए।

निम्नलिखित की ओर ध्यान दिये बिना मुआवजा दिया जाए:

– चाहे वह क्षति पहले से पता थी/पहले से बताई गई थी अथवा नहीं।

– यह तथ्य कि अनुसंधान प्रतिभागी ने अनुसंधान में भाग लेने हेतु स्वतंत्र रूप से लिखित रूप में अपनी सहमति दी थी।

– यह तथ्य कि यह क्षति नैदानिक अनुसंधान में जांच के अधीन किसी कम्पेरेटर उत्पाद (दों) द्वारा पहुंची हो।

* इस तथ्य का ध्यान रखे बिना कि क्षति किसी स्वीकृत नयाचार से हटने, अन्वेषक द्वारा वैज्ञानिक दुराचरण अथवा लापरवाही के कारण हुई हो, मुआवजा दिया जाए।

* धारा 5.4 में वर्णित घटकों के प्रकाश में मुआवजा छोड़ा जा सकता है।

* अनुसंधान से संबंधित सभी क्षतियों के लिए उनके उत्तरदायी कारणों तथा व्यक्तियों/अभिकरणों का ध्यान रखे बिना मुआवजा दिया जाए।

बंजर वन भूमि का उपयोग

*59. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में बंजर वन भूमि का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार बंजर वन भूमि का उपयोग करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा देश की बंजर भूमि का आकलन वर्गीकरण के रूप में नहीं किया गया है। तथापि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित राज्य वन स्थिति रिपोर्ट, 2005 के अनुसार 10 प्रतिशत से कम छतरीदार घनत्व वाली अवक्रमित वन भूमि को झाड़ीदार भूमि के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है, जिसका क्षेत्र 38475 वर्ग किमी. है। ऐसी भूमि का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय अवक्रमित वनों और उनसे जुड़े क्षेत्रों के पुनरुद्धार तथा पारि–विकास के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एन ए पी) नामक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम का कार्यान्वयन वन प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसी तथा ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के द्वि–स्तरीय विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा है। दिनांक 13.02.2009 की स्थिति के अनुसार 1857.82 करोड़ रु. की लागत से 30560 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से 1.546 मिलियन हेक्टेयर के क्षेत्र का उपचार करने के वास्ते 795 वन विकास एजेंसी परियोजनाएं प्रचालित की गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	झाड़ीदार भूमि (वर्ग कि.मी.)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	275,069	9,862
अरुणाचल प्रदेश	83,743	128
असम	78,438	146
बिहार	94,163	129
छत्तीसगढ़	135,191	91
दिल्ली	1,483	0.62

1	2	3
गोवा	3,702	2
गुजरात	196,022	1,495
हरियाणा	44,212	165
हिमाचल प्रदेश	55,673	383
जम्मू और कश्मीर	222,236	2,821
झारखंड	79,714	733
कर्नाटक	191,791	3,151
केरल	38,863	70
मध्य प्रदेश	308,245	2,172
महाराष्ट्र	307,713	4,248
मणिपुर	22,327	39
मेघालय	22,429	181
मिजोरम	21,081	0
नागालैंड	16,579	13
उड़ीसा	155,707	4,743
पंजाब	50,362	15
राजस्थान	342,239	4,527
सिक्किम	7,096	363
तमिलनाडु	130,058	1,808
त्रिपुरा	10,486	59
उत्तर प्रदेश	240,928	738
उत्तराखंड	53,483	320
पश्चिम बंगाल	88,752	68
अंडमान और निकोबार	8,249	3
चण्डीगढ़	114	1
दादर और नगर हवेली	491	0
दमन और दीव	112	0
लक्षद्वीप	32	0
पाण्डिचेरी	480	0
कुल	3,287,263	38,475

इन्साइडर ट्रेडिंग

*60. **श्री रमेश दूबे :**

श्री वाडिगा रामकृष्णा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को विभिन्न कंपनियों विशेषतः तेल आधारित कंपनियों के प्रोमोटरों तथा एसोसिएट्स द्वारा इन्साइडर ट्रेडिंग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) इन्साईडर ट्रेडिंग सेबी अधिनियम, 1992 और सेबी (इन्साईडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992 के तहत एक दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम और विनियमों में इन्साईडर ट्रेडिंग की घटनाओं को कम करने तथा इन्साईडर में संलिप्त कंपनियों के विरुद्ध उपयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए सेबी को सशक्त बनाने संबंधी प्रावधान हैं। सेबी, इस प्रयोजनार्थ विवर्जन के आदेश पारित करके, मौद्रिक शास्ति लगातार और अभियोजन शुरु करके, अधिक निवेशक संरक्षण संबंधी सकारात्मक उपाय करता रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा इस वर्ष 31 जनवरी, 2009 तक, सेबी को शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 19 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में इन्साईडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया गया है, जिनमें से एक शिकायत रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, तेल आधारित कंपनी के विरुद्ध है। निम्नलिखित सारणी में इन शिकायतों का वर्षवार ब्यौरा दिया गया है:

वर्ष	कंपनियों की संख्या
2006	9
2007	6
2008	3
2009 (31.01.2009 तक)	1

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति

148. डा. के. एस. मनोज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस नीति की मुख्य बातें क्या–क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार करने वाले चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाल्लमराजू रत्नम्मा) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित नीति को कवर करती है। इस नीति के अनुरूप, केन्द्र सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है जिसके तहत सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के एक भाग के रूप में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इस संबंध में, केन्द्र सरकार जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सरकारी मेडिकल कालेजों/सामान्य अस्पतालों की मनस्चिकित्सीय विंगों के उन्नयन और राज्य चलित मानसिक अस्पतालों को थेराप्यूटिक एकक बनाने हेतु उनके सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करती है। आत्महत्या रोकथाम सेवाओं, कार्यस्थल चिन्ता प्रबंधन, विद्यालयों एवं कालेजों में जीवन कुशलता प्रशिक्षण एवं परामर्श जैसे अतिरिक्त घटकों के साथ देश के और अधिक जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को पुनः कार्यनीतिक बनाने का प्रस्ताव किया है।

देश में योग्य मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायियों की भारी कमी को पूरा करने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य सुविधाकेन्द्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षण विभागों में उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जनशक्ति विकास योजनाओं पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए चिकित्सा अधिकारियों एवं स्वास्थ्य स्टाफ को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। अवधि एवं आवृत्ति दोनों के संबंध में मानक प्रशिक्षण मॉडयूलों का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षण को गहन बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग

149. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्रीमती रूपताई डी. पाटील :

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान सरकारी–निजी भागीदारी के माध्यम से विकास हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई नया मार्ग–खंड जोड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक इन परियोजनाओं पर विकास कार्य शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी–निजी भागीदारी के माध्यम से चालू विकास कार्यों की स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान सार्वजनिक–निजी–भागीदारी विधि के अंतर्गत 4/6 लेन का बनाए जाने के लिए सौंपे गए खंडों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) रियायत करार के अनुसार, कार्य सौंपे जाने के पश्चात् 180 दिनों की अवधि में वित्तीय व्यवस्था पूरी करनी होती है तथा कार्य प्रारंभ किए जाने से पहले रियायतग्राही द्वारा निर्माण पूर्व कार्यों संबंधी सभी दायित्व पूरे किए जाने होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत पिछले एक वर्ष के दौरान सौंपे गए सभी खंडों के मामले में कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक–निजी–भागीदारी विधि से चल रहे विकास कार्यों की स्थिति विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–III/VII के अंतर्गत सौंपे गए खंड

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई किमी.
1.	दिल्ली–हरियाणा सीमा से रोहतक	10	63.49
2.	बंगलौर–होसूर खंड को 6 लेन का बनाना	7	14.38
3.	रारा 48 और रारा 4 के नीलमंगला जंक्शन से देवीहल्ली	48	81
4.	खलघाट–मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा	3	82.8
5.	अमृतसर–वाघा सीमा	1	36.22
6.	पिंपलगांव–नासिक–गोंडे	3	60
7.	मध्य प्रदेश–महाराष्ट्र सीमा–धुले	3	97
8.	पुणे–शोलापुर (पैकेज 1)	9	110
9.	गुजरात–महाराष्ट्र सीमा–सूरत–हजीरा	6	133
10.	चेन्नै पत्तन से मदुरावोयल	चरण–VII	19

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–V के अंतर्गत सौंपे गए/शामिल किए गए खंड

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	लंबाई किमी.
1.	चेन्नै–टाडा	5	43.40
2.	गुडगांव–कोटपुतली–जयपुर	8	225.60
3.	सूरत–दहीसर	8	239.00
4.	चिल्कालूरीपेट–विजयवाड़ा	5	82.50
5.	पानीपत–जालंधर	1	291.00

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान पीपीपी मोड के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	से	रारा सं. लंबाई (कि.मी.)	पूर्ण हो चुकी लंबाई (कि.मी.)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये)	बीओटी मोड	वर्तमान स्थिति	पूरा होने की तारीख/ पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण I						
1	अंकापल्ली – तुनी	5	58.947	58.947	283.2 वार्षिकी	4 लेन	जून 2005
2	तुनी–धर्मावरम (एपी–16)	5	47	47	231.9 वार्षिकी	4 लेन	अगस्त–2005
3	धर्मावरम–राजमूंदरी (एपी–15)	5	53	53	206 वार्षिकी	4 लेन	मार्च–2005
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II						
1	कडलूर येल्लारेड्डी से गुंडला पोचमपल्ली (एनएस–2/बीओटी/एपी–2)	7	85.74	81	490 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
2	महा./आं.प्र. सीमा से इसलामनगर (एनएस–2/बीओटी/एपी–6)	7	55	17.25	360.42 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	नवं–2009
3	इसलाम नगर से कदतल (एनएस–2/बीओटी/एपी–7)	7	48	0	546.83 वार्षिकी	कार्यान्यन के अधीन	मार्च–2010
4	कादल से अरमूर (एनएस–2/बीओटी/एपी–8)	7	31	21	271.73 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	नवं–2009
5	हैदराबाद बंगलौर खंड (एनएस–2/बीओटी/एपी–5)	7	74.65	59.49	592 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
6	फरूखनगर से कोटाकाटा (एनएस–2/एपी–4)	7	55.74	53.78	302 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
7	फरूखनगर से कोटाकाटा (एनएस–2/एपी–3)	7	46.162	44.4	255 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण V						
1	चिल्कलूरीपेट – विजयवाड़ा (छः लेन)	5	82.5	0	572.3 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं. 2012

1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II						
	1 पहुंच मार्गों सहित कोसी पुल और गाइड बांड और अप्लक्स बांड (बीआर–5)	57	10	0	418.04 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल–2010
छत्तीसगढ़							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III						
	1 दुर्ग बाइपास के अंतिम छोर से छत्तीसगढ़/ महाराष्ट्र सीमा	6	82.685	0	464 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जून–2011
	2 औरंग–रायपुर	6	45	0	190 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तूबर–2009
दिल्ली (9.7)/हरियाणा (18)							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण I						
1	दिल्ली–गुड़गांव खंड (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन)	8	27.7	27.7	710 बीओटी (पथकर)	8 लेन	जून–2008
गुजरात							
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II							
1	राजकोट बाइपास और गोंडल जेतपुर (पैकेज–VIII)	8बी	36	36	388.09 बीओटी (पथकर)	4 लेन	मार्च–2008
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण V						
1	भरूच से सूरत पैकेज बीओटी–II (छः लेन)	8	65	30.52	492 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जुलाई–2009
2	वडोदरा से भरूच पैकेज बीओटी–I (छः लेन)	8	83.3	47.27	660 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जुलाई–2009
गुजरात (118.2)/महाराष्ट्र (120.77)							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-V						
	1 सूरत–दहिसर (छः लेन)	8	239	0	1405.57 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं. 2012

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II						
	1 पानीपत उत्थापित राजमार्ग	1	10	10	270 बीओटी (पथकर)	4 लेन	जून–2008
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III						
	1 दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक	10	63.49	0	486 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मई–2010
हरियाणा (116)/पंजाब (175.1)							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण V						
	1 पानीपत–जालंधर (छः लेन)	1	291	0	2288 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.2012
हरियाणा (20)/हिमाचल							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-III						
	1 जीरकपुर–परवानु	22	28.69	0	295 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	अगस्त–2010
हरियाणा (6)/पंजाब (30)							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III						
	1 अंबाला–जीरकपुर	21, 22	36	36	298 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
हरियाणा (64.3)/राजस्थान (161.3)							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण V						
	1 गुड़गांव–कोटपुतली–जयपुर (छः लेन)	8	225.6	0	1673.7 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं. 2012
कर्नाटक							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II						
	1 आं.प्र./कर्नाटक सीमा नंदी हिल्स क्रासिंग और देवनहल्ली से मीनूकुंटे गांव	7	61.38	41	402.8 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009

1	2	3	4	5	6	7	8
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III							
1	रारा 48 और रारा 4 के नीलमंगला जंक्शन से देवलहल्ली तक	48	81	0	441 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जुलाई–2010
2	बंगलौर–होसकोटे–मुदबगल खंड	4	79.724	6	565 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जुलाई–2010
3	बंगलौर–नीलमंगला	4	19.5	0	445 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	नवं.–2009
4	सिल्क बोर्ड जंक्शन से इलेक्ट्रोनिक सिटी जंक्शन तक उत्थापित राजमार्ग	7	9.98	9	450 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जून–2009
केरल							
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III							
1	त्रिसूर से अंगामाली (केएल–I)	47	40	25	312.5 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
मध्य प्रदेश							
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II							
1	लखनादून से म.प्र./महा. सीमा (एनएस–1/बीओटी/एमपी–2)	7	49.35	25	263.17 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	सित.2009
2	ग्वालियर बाइपास (एनएस–1/बीओटी/एमपी–1)	75, 3	42	0	300.93 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	अक्तूबर–2010
3	लखनादून से म.प्र./महा. सीमा (एनएस–1/बीओटी/एमपी–3)	7	56.475	5	407.6 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	जून–2010
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III							
1	गुना बाइपास	3	14	14	46 बीओटी (पथकर)	4 लेन	दिसं–2007
2	इंदौर–खालघाट	3	80	37	472 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	सित–2009
3	खालघाट–म.प्र./महाराष्ट्र सीमा	3	82.8	0	549 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मई–2011

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश (68.5)/उत्तर प्रदेश							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II						
	1 ग्वालियर–झांसी	75	80	0	604 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं.2010
महाराष्ट्र							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण I						
	1 सतारा–कागल	4	133	133	600 बीओटी (पथकर)	4 लेन	मार्च–2006
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III						
	1 गोंडे–वडापे (थाणे)	3	100	45	579 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल–2009
	2 छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा–वैनगंगा पुल	6	80.055	0	424 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	सितं–2010
	3 कोंधली–तेलेगांव	6	50	50	212 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
	5 धुले–पिंपलगांव	3	118	105	556 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
	6 नागपुर–कोंधली	6	40	14.8	168 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	नवं–2009
पंजाब							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III						
	1 अमृतसर–वाघा सीमा	1	36.22	0	205.88 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	जून–2010
	2 कुराली–कीरतपुर	21	42.9	0.5	309 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जून–2010
	3 जालंधर–अमृतसर	1	49	35	263 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	सित–2009
राजस्थान							
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण I						
	1 महापुरा (जयपुर के निकट) – किशनगढ़ (6 लेन)	8	90.38	90.38	644 बीओटी (पथकर)	4 लेन	मार्च–2005
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III						
	1 महुआ–जयपुर	11	108	103.4	483 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
	2 भरतपुर–महुआ	11	57	56.06	250 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
राजस्थान (42)/गुजरात (34)							

1	2	3	4	5	6	7	8
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II						
	1 पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान–42 किमी और गुजरात – 32 किमी)	14	76	70	498 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
	तमिलनाडु						
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण I						
	1 तंबारम–टिंडीवनम	45	93	93	375 वार्षिकी	4 लेन	जन–2005
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II						
	1 टिंडीवनम–उलून्डरूपेट (पैकेज– VI–ए)	45	71.25	62.89	480 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
	2 सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन–6)	47	53.525	27.88	469.8 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल–2009
	3 कृष्णागिरी से थोपुरघाट (एनएस–2/टीएन1)	7	62.5	62.5	372.7 बीओटी (पथकर)	4 लेन	जन–2009
	4 सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन–7)	47	48.51	39	379.8 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल–2009
	5 उलून्डरूपेट–पडलूर (पैकेज–VI बी)	45	92.75	76.96	460 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
	6 करूर से मदुरै (टीएन–5)	7	53.025	32.7	283.5 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
	7 करूर से मदुरै (टीएन–4)	7	68.125	28.85	327.2 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
	8 सलेम से करूर (एनएस–2/टीएन–3)	7	33.48	24.7	205.6 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
	9 पडलूर – त्रिची (पैकेज–VI–सी)	45	40	29	320 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
	10 सलेम से करूर (एनएस–2/टीएन–2)	7	41.55	24.7	253.5 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	अप्रैल–2009
	राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III						
	1 पुडुचेरी–टिंडीवनमं	66	38.61	4.5	285 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जुलाई–2010
	2 सलेम–उलून्डरूपेट (बीओटी–1/टीएन–06)	68	136.35	0	941 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जन.–2011
	3 त्रिची–डिंडीगुल	45	88.273	0	576 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जुलाई–2010

1	2		3	4	5	6	7	8
	4	त्रिची–करूर	67	79.7	0	516 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जुलाई–2010
	5	तंजावूर–त्रिची	67	56	6	280 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जून–2009
	6	मदुरै–अरुपुकोट्टई–तूतीकोरीन	45बी	128.15	0	629 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जून–2010
		राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण V						
	1	चेन्नै टाडा (छः लेन)	5	43.4	0	353.37 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं–2012
उत्तर प्रदेश								
		राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण II						
	1	गोरखपुर बाईपास	28	32.6	0	600.24 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	अक्टूबर–2009
	2	बारा से उरई	2,25	62.8	23	485 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	दिसं–2009
	3	झांसी से ललितपुर (एनएस–1/बीओटी/यूपी–3)	26	49.3	9	276.09 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	सितं–2009
	4	झांसी से ललितपुर (एनएस–1/बीओटी/यूपी–2)	25, 26	49.7	18	355.06 वार्षिकी	कार्यान्वयन के अधीन	सितं–2009
		राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III						
	1	सीतापुर–लखनऊ	24	75	0	322 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	जून–2009
	2	मेरठ–मुजफ्फरनगर	58	79	63.5	359 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
उत्तर प्रदेश (24.75)/राजस्थान (20.25)								
		राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण III						
	1	आगरा–भरतपुर	11	45	33	195 बीओटी (पथकर)	कार्यान्वयन के अधीन	मार्च–2009
पश्चिम बंगाल								
		राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-I						
	1	पलसित–दनकुनी	2	65	65	432.4 वार्षिकी	4 लेन	जुलाई–2005
	2	पानागढ़–पलसित	2	64.457	64.457	350 वार्षिकी	4 लेन	जून–2005
	3	विवेकानंद पुल और पहुंच मार्ग	2	6	6	641 बीओटी (पथकर)	4 लेन	जून–2007

जननी सुरक्षा योजना

150. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जननी सुरक्षा योजना को महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कौन-कौन से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार तथा वर्ष-वार कुल कितनी राशि जारी की गई; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने लोग लाभान्वित हुए?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी, हां।

(ख) जननी सुरक्षा योजना तथा मुख्य दिशा-निर्देशों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) व्यय के पिछले रूझानों के आधार पर बजट अनुमानों में पर्याप्त धन प्रदान किया जाता है और उसे इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य फ्लेक्सी पूल के भाग के रूप में जारी किया जाता है। यदि आबंटित धन का पूरी तरह से उपयोग कर लिया जाता है तो संशोधित अनुमानों के माध्यम से अतिरिक्त धन भी प्रदान किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों (चालू वर्ष की दिसम्बर, 2008 को समाप्त होने वाली तीसरी तिमाही तक शामिल) के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन पर किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों (चालू वर्ष की दिसम्बर, 2008 को समाप्त होने वाली तीसरी तिमाही तक शामिल) के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार और लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

जननी सुरक्षा योजना

जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक सुरक्षित मातृत्व से संबंधी कार्यकलाप है। इस योजना को 12 अप्रैल, 2005 को गर्भवती महिलाओं मे संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इस योजना को सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना एक शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है।

2. यह योजना कम संस्थागत प्रसव दर वाले राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए गर्भवती महिला पर ध्यान केन्द्रित करती है। यद्यपि इन राज्यों को कम कार्यनिष्पादन वाले राज्यों (एलपीएस) के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथापि, शेष राज्यों के उच्च कार्य निष्पादन वाले राज्यों के रूप में नामित किया गया है। मातृ परिचर्या के अतिरिक्त यह योजना सभी पात्र माताओं को प्रसव परिचर्या के लिए नकद सहायता प्रदान करती है।

3. इस योजना में 10 कम कार्य-निष्पादन वाले राज्यों अर्थात् 8 (ईएजी)-अधिकार प्राप्त कार्य दल वाले राज्यों और असम तथा जम्मू-कश्मीर एवं शेष पूर्वोत्तर राज्यों में सरकार तथा गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच एक कारगर कड़ी के रूप में आशा-मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पहचान की गई है। इसकी मुख्य भूमिका गर्भवती महिलाओं की मातृ परिचर्या की सेवाओं का लाभ उठाने तथा उसके लिए रेफरल परिवहन की व्यवस्था करने में सहायता करना है।

4. नकद सहायता की पात्रता:

कम कार्य निष्पादन वाले राज्यों में	सभी महिलाएं, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों की महिलाएं भी शामिल हैं, जो उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रथम रेफरल एककों जिला और राज्य अस्पतालों अथवा मान्यता-प्राप्त निजी संस्थाओं के सामान्य वार्डों जैसे सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव करवाती हैं।
उच्च कार्य-निष्पादन वाले राज्यों में	19 वर्ष और इससे अधिक आयु की गरीबी रेखा से नीचे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाएं।

5. संस्थागगत प्रसव के लिए नकद सहायता (रुपए में) पैमाना:

श्रेणी	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	माता का पैकेज	आशा का पैकेज	माता का पैकेज	आशा का पैकेज
कम कार्य–निष्पादन वाले राज्यों में	1400	600	1000	200
उच्च कार्य–निष्पादन वाले राज्यों में	700		600	

6. संस्थागत प्रसव हेतु नकद सहायता की सीमाएं:

कम कार्य–निष्पादन वाले राज्यों में	स्वास्थ्य केन्द्र – सरकारी अथवा मान्यता–प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में कराए गए सभी प्रसव/जन्म
उच्च कार्य–निष्पादन वाले राज्यों में	02 जीवित जन्मों तक

7. मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) का पैकेज कम कार्य–निस्पादन वाले राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों तथा सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों के आदिवासी जिलों में उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, इस पैकेज में निम्नलिखित तीन संघटक शामिल हैं:–

- गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव हेतु सबसे पास के स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाने के लिए रेफरल परिवहन हेतु नकद सहायता।
- आशा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उसको भुगतान की जाने वाली शेष धनराशि।

8. यह योजना सरकारी/जहां सरकारी संस्थाओं में विशेषज्ञ कार्यरत न हों, ऐसी स्थिति में सीजेरियन सेक्शन अथवा प्रासविक जटिलताओं के उपचार हेतु 1500/– रुपए प्रति प्रसव तक की सहायता देती है।

9. कम कार्य–निस्पादन और उच्च कार्य–निस्पादन वाले राज्यों में 19 वर्ष और इससे अधिक आयु की ऐसी सभी महिलाएं जो घर पर ही प्रसव करवाना चाहती हों तो वे दो जीवित जन्मों तक 500/– रुपए प्रति प्रसव की नकद सहायता पाने की हकदार हैं।

विवरण-II

31 दिसम्बर, 2008 तक (वर्ष 2005-06 से 2008–09 के दौरान) जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत वित्तीय कार्य–निस्पादन का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क.	उच्च ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले राज्य	2005–06 व्यय	2006–07 व्यय	2007–08 व्यय	2008–09 व्यय	कुल व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	बिहार	0.77	4.42	0.00	108.18	113.37
2	छत्तीसगढ़	2.23	4.90	10.20	14.76	32.10
3	हिमाचल प्रदेश	0.02	0.35	0.58	0.50	1.44
4	जम्मू–कश्मीर	0.14	1.22	2.80	0.68	4.85
5	झारखंड	0.00	2.21	7.79	32.03	42.02
6	राजस्थान	4.15	48.64	194.31	129.15	376.25
7	उड़ीसा	2.54	24.44	71.60	58.80	157.38
8	राजस्थान	0.22	30.57	130.05	139.39	300.23
9	उत्तर प्रदेश	2.58	19.64	118.56	189.99	330.77
10	उत्तराखंड		1.91	8.32	7.87	18.26
	उप योग	12.81	138.28	544.21	681.36	1376.66

1	2	3	4	5	6	7
ख.	पूर्वोत्तर राज्य					
11	अरुणाचल प्रदेश	0.24	0.12	0.45	0.31	1.12
12	असम	1.14	29.94	54.73	41.40	127.21
13	मणिपुर	0.00	0.57	0.44	0.56	1.57
14	मेघालय	0.01	0.4	0.65	0.66	1.78
15	मिजोरम	0.28	0.59	0.91	10.99	2.77
16	नागालैंड	0.60	0.42	1.35	1.29	3.06
17	सिक्किम	0.06	0.10		0.15	0.54
18	त्रिपुरा	0.50	0.33		1.22	3.18
	उप योग	2.23	32.54	59.89	46.58	141.24
	उच्च ध्यान केन्द्रित न किए जाने वाले राज्य					
19	आंध्र प्रदेश	15.38	26.19	38.50	138.76	218.82.
20	गोवा	0.00	0.03	0.07	0.03	0.141
21	गुजरात	2.12	8.92	9.55	7.48	28.07
23	हरियाणा	0.19	2.15	2.40	1.95	6.68
24	केरल	1.69	3.28	14.83	9.42	29.22
25	महाराष्ट्र	2.03	3.78	16.69	9.70	32.19
26	पंजाब	0.35	1.05	1.64	1.69	4.73
27	तमिलनाडु	0.00	20.03	21.04	13.14	54.21
28	पश्चिम बंगाल	0.11	12.10	27.15	17.62	56.97
	उप योग	23.21	87.18	150.15	222.36	482.91
घ.	छोटे राज्य/संघ क्षेत्र					
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06
30	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
31	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	दिल्ली	0.00	0.01	0.45	1.08	1.54
34	लक्षद्वीप	0.01	0.00	0.02	0.11	0.14
35	पुडुचेरी	0.03	0.15	0.29	0.21	0.68
	उप योग	0.03	0.22	0.76	1.45	2.47
	कुल योग	38.29	258.22	755.01	951.75	2003.27
		39.07%	190.56%	302.00%	74.27%	113.50%

आव[illegible]र व्यय की प्रतिशतता

एम[illegible] के अनुसार व्यय

विवरण-III

वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08 और 2008–09 (दिसम्बर, 2008 को समाप्त तीसरी तिमाही तक) के दौरान जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09
1	2	3	4	5	6
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	314	600	354	0
2	आंध्र प्रदेश	167000	429000	56340	35800
3	अरुणाचल प्रदेश	794	1433	7689	8000
4	असम	17523	190334	30474	21500
5	बिहार	–	89839	83848	80000
6	चंडीगढ़	0	14	1215	1000
7	छत्तीसगढ़	3190	76677	.17597	94000
8	दादरा और नगर हवेली	146	76	270	0
9	दमन और दीव	0	0	0	0
10	दिल्ली	0	242	7238	16000
11	गोवा	57	483	898	0
12	गुजरात	0	1211	18595	48000
13	हरियाणा	1825	2312	35441	9000
14	हिमाचल प्रदेश	1585	630	10371	7000
15	जम्मू–कश्मीर	2134	1312	10568	0
16	झारखंड		1239	25186	431000
17	कर्नाटक	505421	2331	28300	243000
18	केरल	0	5607	16205	74000
19	लक्षद्वीप	114	42	200	0
20	मध्य प्रदेश	68252	4011	1115941	500000
21	महाराष्ट्र		9739	37500	182000
22	मणिपुर	–	760	8664	5000
23	मेघालय		425	1003	0

1	2	3	4	5	6
24	मिजोरम	1056	746	13371	9000
25	नागालैंड		130	8457	6000
26	उड़ीसा	26407	2272	490657	309000
27	पुडुचेरी	379	228	4389	0
28	पंजाब	11595	1607	9917	25000
29	राजस्थान	10085	317484	774877	515000
30	सिक्किम	1128	171	1616	2000
31	तमिलनाडु	321567	288224	229609	66000
32	त्रिपुरा	2247	320	15547	13000
33	उत्तर प्रदेश	12127	1686	797505	871000
34	उत्तराखंड	1360	2387	69679	51000
35	पश्चिम बंगाल	31363	224863	572651	317000
	कुल योग	738914	315831	732860	517500

[अनुवाद]

कुपोषण के शिकार बच्चे

151. श्री स्वदेश चक्रवर्ती : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो अध्ययन के क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए उपचारात्मक कदमों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा देश में बच्चों की पोषण संबंधी स्थिति का पता लगाया गया है। उपलब्ध अद्यतन राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार तीन वर्ष तक की आयु अनुसार वजन वाले बच्चों की प्रतिशतता राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–2 (1998–99) के अनुसार 43 प्रतिशत से कम होकर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3 (2005–2006) के अनुसार 40 प्रतिशत हो गई है। इसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कुल मिलाकर लड़कियां और लड़के लगभग समान रूप से अल्पपोषित हैं।

(ङ) सरकार जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से देश में बच्चों की समुचित वृद्धि, विकास और उत्तर जीविता के लिए विभिन्न कार्यकलाप कार्यान्वित कर रही है। ये कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

(i) गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त संवर्द्धन।

(ii) जन्म के पहले चार घंटे में स्तनपान की शुरूआत।

(iii) जन्म के पहले छह महीने तक केवल स्तनपान।

(iv) छह माह के बाद पूरक आहार और निरंतर स्तनपान।

(v) 5 वर्ष की आयु तक 9 माह के अन्तराल से 6 महीने के बच्चों के विटामिन ए सहित मानदंडों और बच्चों के लिए आयरन फोलिक सहित सूक्ष्म पोषक पूरक आहार।

(vi) आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरक आहार और विकास की देखभाल और

(vii) जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में स्थापित पोषण पुनर्वास केन्द्रों के माध्यम से कुपोषण का उपचार। अब तक देश में 582 पोषण पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

विवरण

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–III (2005–06) के अनुसार बच्चों की पोषक स्थिति

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयु अनुसार वजन वाले बच्चों की प्रतिशतता
1	2	3
	संपूर्ण भारत	42.5
	बड़े राज्य	
1	आंध्र प्रदेश	32.5
2	असम	36.4
3	बिहार	55.9
4	छत्तीसगढ़	47.1
5	गुजरात	44.6
6	हरियाणा	39.6
7	झारखंड	56.5
8	कर्नाटक	37.6
9	केरल	22.9
10	मध्य प्रदेश	60.0
11	महाराष्ट्र	37.0
12	उड़ीसा	40.7
13	पंजाब	24.9
14	राजस्थान	39.9
15	तमिलनाडु	29.8
16	उत्तर प्रदेश	42.4
17	पश्चिम बंगाल	38.7
	छोटे राज्य	
1	अरुणाचल प्रदेश	32.5
2	दिल्ली	26.1
3	गोवा	25.0
4	हिमाचल प्रदेश	36.5
5	जम्मू–कश्मीर	25.6
6	मणिपुर	22.1
7	मेघालय	48.8
8	मिजोरम	19.9
9	नागालैंड	25.2
10	सिक्किम	19.7
11	त्रिपुरा	39.6
12	उत्तराखंड	38.0

असमिया क्षेत्रीय भाषा चैनल

152. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक 24 घंटे चलने वाला असमिया क्षेत्रीय भाषा चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब से इसका परिचालन कब से शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार के पास उत्तर–पूर्व पैकेज के अंतर्गत चल रही डीडी–13 (24 घंटा) को नया रूप देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन ट्रांसमिशन की स्थलीय पद्धति के विस्तार के लिए भारत सरकार के पूर्वोत्तर विशेष पैकेज के एक भाग के रूप में दो पूर्वोत्तर चैनलों का मई 2006 में अनुमोदन कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में वनभूमि का अन्य उपयोग

153. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सतारा जिले में पवनचक्की स्थापित करने के लिए वन–भूमि का अन्य उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अन्य उपयोग से कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(घ) क्या पवनचक्की कंपनियों द्वारा वन–भूमि के बदले में प्रतिपूरक भूमि प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये कहां–कहां स्थित है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ङ) जी, हां। महाराष्ट्र के सतारा जिले में पवनचक्कियां स्थापित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वनभूमियों के वनेतर उपयोग के लिए 127.6216 हैक्टेयर वनभूमि से जुड़े चार प्रस्तावों को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वानिकी संबंधी स्वीकृति के लिए पवनचक्की परियोजनाओं पर प्रस्तावों को दर्शाने वाला ब्यौरा

13.2.2009 के अनुसार

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	प्रस्तावित प्रतिपूरक भूमि का विवरण	यूजर एजेंसियों द्वारा जमा कराई गई राशि (रुपयों में)
1	सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के पक्ष में पवन विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए 37.46 हैक्टेयर भूमि का वनेतर उपयोग	37.46 हैक्टेयर गैर–वन भूमि (क्र.सं. 2, गट नं. 52,53,54, और 61/पी, गांव कडोली, जिला–सतारा)	2,15,44,648/–
2.	मै. एनकॉन इंडिया लि. के पक्ष में पवन ऊर्जा परियोजना के विनिर्माण हेतु 4.8176 है. भूमि का वनेतर उपयोग	4.87 है. गैर–वनभूमि (गट न. 19/1 और 20/1, गांव–खैरगांव जिला सतारा)	42,83,144/–
3.	मै. सुजलोन एनर्जी लि. के पक्ष में पवन विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए 83.62 है. भूमि का वनेतर उपयोग	83.87 है. गैर–वनभूमि (क्र.सं./गट न. 311,312,319,320,323,326 और 327 गांव पाटन जिला सतारा)	3,84,75,493/–
4.	मै. श्रीराम ईपीसी लि. के पक्ष में निजी भूमि पर स्थित पवन विद्युत परियोजना को जोड़ने के लिए मेटल रोड के निर्माण हेतु 1.67 है. भूमि का वनेतर उपयोग	1.70 है. गैर–वनभूमि (गट नं. 22, गांव रामेश्वर, जिला–सतारा)	10,85,771/–

यूजर एजेंसियों में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशि जमा कराई है। निवल मौजूदा मूल्य, लीज किराया, औषधीय पौधों की खेती के लिए खर्च, मृदा और आर्द्रता संरक्षण का खर्च, डिमार्केशन का खर्च वृक्ष कटाई का खर्च तथा ओल्ड प्लांटेशन पर किया गया खर्च।

बी. पी. एल. आर. निर्धारित करने में पारदर्शिता

154. श्री एस. राजगोपाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट (बीपीएलआर) निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाए गए मानदण्ड का ब्यौरा क्या है; और

(ख) बीपीएलआर निर्धारित करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशा–निर्देशों के अनुसार, बेंचमार्क मूल उधार दर तय करते समय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनकी निधि की वास्तविक लागत,

परिचालन व्यय और प्रावधान/पूंजी शुल्क और लाभ–मार्जिन की विनियामक आवश्यकता को कवर करने के लिए एक न्यूनतम मार्जिन को ध्यान में रखना चाहिए। 2 लाख रुपए की ऋण सीमा तक अधिकतम ब्याज दर, जो बीपीएलआर से अधिक नहीं होनी चाहिए, को छोड़कर, शेष सभी उधार दर, अवधि प्रीमियम और जोखिम प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए बीपीएलआर के अनुसार तय किए जा सकते हैं। पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, ग्राहकों को सभी वांछित सूचना प्राप्त करने को सहज बनाने के लिए ब्याज दरों एवं सेवा प्रभारों की जानकारियों को प्रदर्शित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक प्रारुप तैयार किया गया है। बैंकों को इस प्रारुप के अनुसार सूचना प्रदर्शित करने की भी सलाह दी गई है।

दरों तथा शुल्क ढांचे का युक्तिसंगत बनाना

155. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से औषधि तथा भेषज उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के संबंध में दरों तथा शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के संबंध में अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अधिकतम खुदरा मूल्य से जुड़े उत्पाद शुल्क ने गुजरात के लघु उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है जिसके परिणामस्वरूप इकाइयां या तो बंद हो गई हैं या उन राज्यों में स्थानांतरित हो गई हैं जहां उत्पाद शुल्क में छूट उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो गुजरात के लघु उद्योग क्षेत्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वर्ष 2005 में गुजरात के मुख्य मंत्री ने (i) औषधियों के लिए खुदरा मूल्य में छूट को 40% से बढ़ाकर 50% करने और (ii) औषधियों तथा भेषज उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती को 16% से घटाकर 8% करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा था।

(ख) अनुरोध की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि दवाओं पर उत्पाद शुल्क ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। तथापि, वर्ष 2008–09 के बजट में औषधियों और भेषज उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के मुद्दे पर पुनः विचार किया गया है और क्षेत्र आधारित छूट स्कीम के कारण छूट नहीं प्राप्त करने वाले राज्यों में स्थित भेषज यूनिटों को होने वाले नुकसान सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए औषधियों और भेषज उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% कर दिया गया था। जहां तक छूट में वृद्धि का संबंध है राहत समिति ने मामले की जांच की थी और यह पाया था कि रिकार्ड सामग्रियों पर एस एस आई द्वारा विनिर्मित औषधियों के लिए पृथक रूप से छूट की अधिक दर न्यायोचित नहीं है।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार गुजरात में औषधियां और भेषज उत्पादों का विनिर्माण करने वाली एस एस आई यूनिटों के बंद होने अथवा स्थानांतरित होने के उदाहरण बहुत अधिक नहीं है।

(घ) वर्ष 2008–09 के बजट में औषधियों और भेषज उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती को 16% से घटाकर 8% करने से कर छूट नहीं प्राप्त करने वाले राज्यों से कर छूट प्राप्त करने वाले राज्यों में भेषज उद्योग के स्थानांतरण पर नियंत्रण होने की सूचना मिली है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

156. श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के उन गैर–सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जो इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अनुदान प्रदान कर रहे हैं;

(ख) योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक योजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या धनराशियों के दुरुपयोग के संबंध में अनियमितताओं के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीना) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण–I, II एवं III में दी गई है।

(ग) और (घ) जी हां, पिछले तीन वर्षों के दौरान, पीपल फॉर एनिमल्स, भुवनेश्वर, उड़ीसा नामक एक पशु कल्याण संगठन द्वारा निधियों के दुरुपयोग की शिकायत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई थी। शिकायत के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

पशु जन्म नियंत्रण (ए.बी.सी) योजना के अंतर्गत

उपर्युक्त संगठन के खिलाफ जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके अनुदान राशि का उपयोग करने संबंधी निधि के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त की गई थी।

पीपल फॉर एनिमल्स, भुवनेश्वर, उड़ीसा के श्री जीबन बल्लवदास उर्फ जे.बी. दास के विरुद्ध खराबेला नगर पुलिस स्टेशन, खुर्दा, उड़ीसा में आई पी सी की धारा 468/471/420 के अंतर्गत एक एफ आई आर पी.एस. केस सं. 142 दिनांक 29.05.2007 दर्ज की गई है।

शेल्टर हाउस स्कीम के अंतर्गत

उपर्युक्त संगठन को जारी किए गए रु. 22.50 लाख के अनुदान के दुरुपयोग के बारे में सी.बी.आई., ए.सी.बी. चेन्नई द्वारा जांच शुरू की गई है।

विवरण-I

योजना कार्यक्रम का नाम	उड़ीसा में गैर-सरकारी संगठनों का नाम	मंजूर/जारी किए गए सहायता अनुदान की राशि	
		वर्ष	राशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4
पर्यावरण शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण	भारतीय पशु कल्याण समाज भुवनेश्वर	2005-06	
		2006-07	14.00*
		2007-08	18.54*
		2008-09	24.18*
	ग्रामीण विकास सामाजिक कल्याण संगठन (एसडब्ल्यूओआरडी) डांडीलो, अनाखिआ, जिला-जगतसिंहपुर, उड़ीसा	2005-06	0.20
		2006-07	
		2007-08	
		2008-09	
	द संपर्क जिला ढेंकनाल उड़ीसा	2005-06	0.25
		2006-07	
		2007-08	
		2008-09	
	युवा शक्ति पीओ डेंगीभाडी, जिला सुन्दरगढ़-770001 उड़ीसा	2005-06	0.25
		2006-07	
		2007-08	
		2008-09	
	इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एप्लिकेशन्स पी.ओ. भोई नगर, भुवनेश्वर-751022, उड़ीसा	2005-06	0.16
		2006-07	
		2007-08	
		2008-09	
	स्वयं प्रभा, चेतना भवन, एट ए/एल-1, बसंती नगर, राउरकेला, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा	2005-06	0.25
		2006-07	
		2007-08	
		2008-09	

1	2	3	4
	सोसायटी ऑफ संस्कृति विकास	2005–06	0.50
	परिषद्, उड़ीसा	2006–07	
		2007–08	
		2008–09	
	माई–हार्ट भुवनेश्वर, उड़ीसा	2005–06	0.50
		2006–07	
		2007–08	
		2008–09	
	राजीव युवक संघ, जाजपुर, उड़ीसा	2005–06	
		2006–07	0.40
		2007–08	0.10
		2008–09	
	द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड	2005–06	
	एन्वायरनमेंटल स्टडीज (आई.ए.टी.ई.एस.)	2006–07	0.30
	भुवनेश्वर, उड़ीसा	2007–08	0.54
		2008–09	
	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्यूनिटी एंड	2005–06	
	चाइल्ड डेवलपमेंट (एनआईसीसीडी),	2006–07	0.74
	खुर्दा, उड़ीसा	2007–08	
		2008–09	0.06
	ऑर्डर एम.बी.–58, जीजीपी कॉलोनी,	2005–06	
	रसूलगढ़, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2006–07	0.30
		2007–08	
		2008–09	
	सोरबॉन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन लैंग्वेजिस	2005–06	
	(एसआईएफएल), भुवनेश्वर, उड़ीसा	2006–07	0.50
		2007–08	
		2008–09	
	एसोसिएशन फॉर सोशल इंटरवेंशन एंड	2005–06	
	डेवलपमेंट (एएसआईएडी),	2006–07	0.24
	भुवनेश्वर, उड़ीसा	2007–08	
		2008–09	
	रूरल ओर्गेनाईजेशन ऑफ सोशल सर्विसिज	2005–06	
	(आर ओ एस एस), उड़ीसा	2006–07	

1	2	3	4
		2007–08	0.25
		2008–09	
	अबाहाना, जिला खुर्दा, उड़ीसा	2005–06	
		2006–07	
		2007–08	0.40
		2008–09	0.10
	बसंती ट्रस्ट, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2005–06	
		2006–07	
		2007–08	0.30
		2008–09	
	अलाप, भुवनेश्वर, उड़ीसा	2005–06	
		2006–07	
		2007–08	0.40
		2008–09	0.10
	एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाईल्ड एनीमल्स (एपीओडब्ल्यूए) उड़ीसा	2005–06	
		2006–07	
		2007–08	
		2008–09	0.49

* गैर सरकारी संगठनों को दी गई अनुदान राशि वार्षिक राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान में भाग लेने वाले संगठनों में वितरित करने के लिए है।

विवरण-II

हरित भारत स्कीम के अंतर्गत उड़ीसा के एनजीओ को प्रदान की गई वित्तीय सहायता/सहायता अनुदान का ब्यौरा

क्रम सं.	वीए का नाम (जीआईए के अंतर्गत अनुदान)	जारी की गई कुल धनराशि
1	2	3
	जीआईए के अंतर्गत उड़ीसा के लिए वर्ष 2005-06 के लिए सहायता अनुदान	
1	धरमपाड़ा युवक संघ, पी.ओ. मलिकापुर, जाजपुर जिला	1240000
2	संस्कार युवक संघ, मुंडापाड़ा, बौद्ध	550000
3	लाइफ अकादमी ऑफ वोकेशनल स्टडीज, भुवनेश्वर	1232300
4	युवा शक्ति पो.ओ. डेंगीमाड़ी बाया सुन्दरगढ़–770001	891000

1	2	3
5	गांधियन इंस्टिट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, पो.ओ. लमतापुट, जिला कोरापुट–770001	1240000
6	मां मंगला प्रतिष्ठान, मिर्जापुर	1240000
7	नारी मंगल महिला समिति, जिला–पुरी	1240000
8	संकल्प, कुंहाकांटा, जिला–ढेंकनाल	1240000
9	आंचलिक युवा परिषद, गांव लक्ष्मीनारायण हाट, पी. ओ. संखेश्वर, वाया तिरटोल, जिला–जगतसिंहपुर–754137	992000
10	रूरल आर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल सर्विस (आर ओ एस एस) एट कापसिरा, पी.ओ. टीलेबानी, जिला देवगढ़–768119	1240000
11	रूरल आर्गेनाइजेशन फॉर पावर्टी इरेडिकेशन (रोप) पी.ओ. बलरामपुर, तालागढ़ वाया–जेनापुर, जिला जाजपुर	992000
12	कुशी आदिवासी सेल्फ हेल्प सोसायटी पो.ओ. बतिरा, जिला–केन्द्रपाड़ा–754140	550000
	कुल	12647300
	जीआईए के अंतर्गत उड़ीसा के लिए वर्ष 2006-07 के लिए सहायता अनुदान	
1	नेशनल रूरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन, भुवनेश्वर	525000
2	सोसायटी फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट एंड रूरल एडीकेशन, ढेंकनाल	1255000
3	गांधी जी सेवा परिषद, मल्कानगिरी	1255000
4	तोतासाही महिला समिति, सम्बलपुर	1255000
5	जागरण, मिशन रोड, सुन्दरगढ़–I	1255000
6	चेतना, ढेंकनाल	1255000
7	सांस्कृतिक विकास परिषद, शक्ति नगर, बाकु, निराकारपुर, पुरी–752019	517300
8	प्रगति युवक संघ, भद्रक	525000
	कुल	7842300
	जीआईए के अंतर्गत उड़ीसा के लिए वर्ष 2007-08 के लिए सहायता अनुदान	
1	सोसायटी फोर रूरल इंटीग्रेटिड एंड यूथ एसोसिएशन (एसआरआईवाईए)	525000
	स्कीम को वित्तीय वर्ष 2008-09 से बंद कर दिया गया है। (ग) एवं (घ)	शून्य

विवरण-III

भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, चेन्नई–41

उड़ीसा के उन जीव्र–जंतु संगठनों की सूची जिन्हें वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान अनुदान जारी किया गया

क्रम सं.	नया कोड	नाम	पता	शहर	जारी धन राशि
1	2	3	4	5	6
			(क) नियमित अनुदान (आवारा जानवरों के रख-रखाव हेतु)		
1	ओ आर 005/1997	असुरेश्वर गौमंगल समिति	डाक असुरेश्वर	जिला कटक 753004	25000
2	ओ आर 006/1998	उड़ीसा राज्य जीव जन्तु कल्याण परिषद्	एम–VI/122 शैलाश्री विहार, चंद्रशेखरपुर	भुवनेश्वर 751 021	25000
3	ओ आर 007/1998	मैत्री क्लब	सीआरएसी कम्प्यूटर कालेज के समीप	वाया नौगांव जिला गंजाम 761111	25000
4	ओ आर 009/1999	एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनीमल्स (APOWA)	हतापटना, डाक कदली वन	जिला केन्द्रपाड़ा 753004	25000
5	ओ आर 016/2001	पीपल फॉर एनीमल – भुवनेश्वर	222/1, शास्त्री नगर,	भुवनेश्वर 751 001	25000
6	ओ आर 017/2001	श्री राम गौशाला ट्रस्ट	बलराम कोटमट, खाजापट्टी	पुरी 752 002	25000
7	ओ आर 023/2002	जीव हितैषी संघ	हरीप्रिया भवन	डोलमुडई, जिला कटक 753 009	25000
8	ओ आर 025/2002	जीवन विकास	गोपीनाथपुर, डाक लैंडो, वाया निराकारपुर	जिला खुर्दा 752 019	25000
9	ओ आर 028/2002	भागावाट पाथगढ़	डाक सालेपाली, वाया जरसिंघा	जिला बालनगिर–767 067	25000
10	ओ आर 029/2002	ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन अध्ययन संस्थान	प्लाट नं. 473, कटिंगा मार्किट नयापल्ली	भुवनेश्वर, खुर्दा 751 012	25000
11	ओ आर 036/2003	जीवन ज्योति	डाक कामगुरु, वाया सिंगीपुर	जिला खुर्दा 752 021	25000
12	ओ आर 037/2004	जिला एस.पी.सी.ए. नयागढ़	सीडीवीओ कार्यालय	डाक जिला नयागढ़ 752 069	25000
				कुल	300000
			(ख) शेल्टर हाउस (पशुओं की देखभाल के लिए शेल्टर हाउस का निर्माण)		
1	ओ आर 016/2001	पीपल फॉर एनीमल्स	प्लाट नं. 222/1 दूसरी मंजिल, शास्त्रीनगर, भुवनेश्वर–751001, उड़ीसा		1125000
2	ओर आर 038/2005	पीपल फॉर एनीमल्स, केन्द्रपाड़ा	चुदीया, डाक देऊलापाड़ा, जिला केन्द्रपाड़ा, उड़ीसा		1300000
3	ओ आर 030/2002	पीपल फॉर एनीमल्स, राउरकेला	केनसारा, डाक–मस्मा–770025, जिला सुन्दर गढ़, उड़ीसा		629145

1	2	3	4	5	6
4		राष्ट्रीय समुदाय और बाल विकास संस्थान	मंगलानगर, खुर्दा, डाक–खुर्दा–752055–जिला खुर्दा (उड़ीसा)		839173
				कुल 3893318	
			(ग) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम (एबीसी ऑपरेशन करने के लिए)		
1	ओ आर 030/2002	पीपल फॉर एनीमल्स	दालपोश, डाक जावाघाट, सुन्दरगढ़, राउरकेला–770036		95000
2	ओ आर 033/2002	पीपल फॉर एनीमल्स, बेहरामपुर	मिनाक्षीनगर, पहली लेन, न्यू मैंगो मार्किट के सामने, गंजाम, बेहरामपुर, उड़ीसा–760002		222900
3	ओ आर 016/2001	पीपल फॉर एनीमल्स भुवनेश्वर	222/1, शास्त्रीनगर, भुवनेश्वर–751 001		222500
				कुल	540400
			(घ) प्राकृतिक आपदा (प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान पशुओं को राहत पहुंचाने के लिए)		
1	ओ आर 016/2001	पीपल फॉर एनीमल्स	222/1, शास्त्रीनगर, भुवनेश्वर–751 001		500000
2	ओ आर 009/1999	एपीओडब्ल्यूए	हतपटना, डाक कदलीवन, जिला केन्द्रपाड़ा–754 222		340120
3	ओ आर 007/1998	मैत्री क्लब	सीआरएसी, कम्प्यूटर कालेज के समीप वाया नौगांव जिला गंजाम–761 111		500000
				कुल	890120

भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, चेन्नई-41

उड़ीसा के उन जीव जन्तु संगठनों की सूची जिन्हें वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान अनुदान जारी किया गया

(क) 2005-06 में स्वीकृत तथा 2006-07 में जारी नियमित अनुदान (आवारा जानवरों के रख-रखाव हेतु)

क्रम सं.	कोड सं.	ए डब्ल्यू ओ का नाम	पता	शहर	जारी धन राशि
1	ओ आर 015/2001	कल्याणी	मैत्रात्रिलोचनपुर, डाक लैंडो, निराकारपुर वाया	जिला पुरी–752 019	25000
2	ओ आर 033/2002	पीपल फॉर एनीमल	गोदावरी स्ट्रीट, उत्तकल सिनेमा के सामने	बेहरामपुर, पिन–760 002	25000
			(ख) वर्ष 2006-07 में संस्वीकृत और जारी नियमित अनुदान (आवारा जानवरों के रख-रखाव हेतु)		
1	ओ आर 003/1991	रैरंगपुर गौशाला समिति	अनलाडुका, पोस्ट रैरंगपुर	जिला मयूरभंज 757 043	40000
2	ओ आर 005/1997	असुरेश्वर गौमंगल समिति	पोस्ट असुरेश्वर	जिला कटक 753004	40000
3	ओ आर 007/1998	मैत्री क्लब	सीआरएसी कम्प्यूटर्स कालेज एसक्यू एयसकेए	वाया नौगांव जिला गंजम	25000

1	2	3	4	5	6
4	ओ आर 009/1999	एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनीमल्स (एपीओडब्ल्यूए)	हाटापाटना पोस्ट कडाली वन	जिला केन्द्रपारा 754 222	30000
5	ओ आर 015/2001	कल्याणी	मैत्रात्रिलोचनपुर, डाक लैंडो, निराकारपुर वाया	जिला पुरी 752 019	30000
6	ओ आर 016/2001	पीपल फॉर एनीमल भुवनेश्वर	222/1, शास्त्रीनगर	भुवनेश्वर 751 001	50000
7	ओ आर 017/2001	श्री राम गौशाला ट्रस्ट	बलराम कोटमट, खाजापट्टी	पुरी 752 002	40000
8	ओ आर 023/2002	जीव हितैषी संघ	हरीप्रिया भवन	डोलमुडाई, जिला कटक	10000
9	ओ आर 030/2002	पीपल फॉर एनीमल, राउरकेला	बेसरा पोस्ट भस्मा	जिला सुन्दरगढ़ 770 025	40000
10	ओ आर 033/200	पीपल फॉर एनीमल	गौदावरी स्ट्रीट उतकल सिनेमा के सामने	बेहरामपुर, पिन–760 022	30000
11	ओ आर 037/2002	जिला यूसपीसीए नयागढ़	सी.डी.वी.ओ. कार्यालय	पो. जिला नयागढ़ 752 069	10000
12	ओ आर 038/2004	पीपल फॉर एनीमल	चण्डीयापल्ली, दौलापारा	पीएस मोहाकलपारा, केन्द्रपाड़ा	30000
13	ओ आर 039/2005	आदर्श सेवा संगठन	एपीओ खामर वाया पल्लाहारा	अंगूल – 795 118	10000
14	ओ आर 040/2006	सोला पुआ मा युनाइटेड कल्चरल एसोसिएशन	सौपुत्रा, एपीओ, अनलो, वाया बेरोई	कटक – 754 010	10000
				कुल	395000
		(ग) शेल्टर हाऊस (पशुओं की देखभाल के लिए शेल्टर हाऊस का निर्माण)			
1	ओ आर 041/2006	गुरुकुल आश्रम, अमसेना	अमसेना जिला नूआपाड़ा, उड़ीसा 766 109		1966869
				कुल	1966869
		(घ) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम (एबीसी ऑपरेशन करने के लिए)			
1	ओ आर 016/2001	पीपल फॉर एनीमल भुवनेश्वर	222/1, शास्त्रीनगर, भुवनेश्वर 751 001		667500
2	ओ आर 033/2002	पीपल फॉर एनीमल बेहरामपुर	गढ़ेवरी स्ट्रीट, बेहरामपुर जिला गंजम 760 002		445000
3	ओ आर 030/2002	पीपल फॉर एनीमल राउरकेला	कैंनसारा, पोस्ट भस्मा, जिला सुन्दरगढ़ 770 025		33100
				कुल	1145600
		(ङ) प्राकृतिक आपदा (प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों के दौरान पशुओं को राहत पहुंचाने के लिए)			
1	ओ आर 015/2001	कल्याणी	मैत्रात्रिलोचनपुर, पोस्ट लैंडो, निराकारपुर, पुरी–752019		100000
2	ओ आर 055/1997	असुरेश्वर गौमंगल समिति	पो. असुरेश्वर, जिला कटक–754 209		20000
3	ओ आर 018/2001	जिला एसपीसीए	के.आफ चीफ डिस्टिक वेटी ऑफिस, पो./जिला पुरी– 752 002		10000

1	2	3	4	5	6
4	ओ आर 040/2006	सोला पुआ या युनाइटेड कल्चरल एसोसिएशन	पो. पीओअनलो वाया–बेरोई जिला कटक, सौपुत्रा, उड़ीसा 754 010		20000
				कुल	150000

उड़ीसा के उन जीव-जंतु संगठनों की सूची जिन्हें वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान अनुदान जारी किया गया

(क) वर्ष 2007-08 में मंजूर और जारी किया गया नियमित अनुदान (आवारा जानवरों के रख-रखाव हेतु)

1	ओ आर 005/1997	असुरेश्वर समिति	पो. असुरेश्वर	जिला कटक 753004	40000
2	ओ आर 007/1998	मैत्री क्लब	सीआरएसी कम्प्यूटर्स कालेज के पास यसक्यू एएसकेए	वाया नौगांव, जिला गंजम 761 111	40000
3	ओ आर 009/1999	एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायल्ड एनीमल्स (एपीओडब्ल्यूए)	हाटापाटना, पो. कड़ाली वन	जिला केन्द्र पारा 754 222	30000
4	ओ आर 017/2001	श्री राम गौशाला ट्रस्ट	बलराम कोट, मेट, खाजा पट्टी	पुरी 752 002	40000
5	ओ आर 023/2002	जीव हितैषी संघ	हरीप्रिया भवन	दालमुढाई, जिला कटक 753 009	10000
6	ओ आर 026/2002	श्री कृष्ण गौशाला	ओगा स्ट्रीट	बेहरामपुर–9	50000
7	ओ आर 033/2002	पीपल फॉर एनीमल	गोदावरी स्ट्रीट उतकल सिनेमा के. सामने	बेहरामपुर, पिन–760 002	20000
8	ओ आर 038/2005	पीपल फॉर एनीमल	चण्डीयापल्ली, दोलापारा	मोहाकलपारा, केन्द्रपारा–754 212	30000
9	ओ आर 040/2006	सोला पुआ मा यूनाइटेड कल्चरल एसोसिएशन	सौपुत्रा, एपीओ, अनलो, वाया बेरोई	कटक–754 010	50000
10	ओ आर 041/2006	गुरूकुल आश्रम	अमसेना, पो. खरीया रोड	नुआपारा 766 109	40000
11	ओ आर 042/2007	मधुसूदन आर्गेनाइजेशन पुअर एण्ड मेरीटोरियस	नीलकण्ठपुर, पो. ओलाकना	केन्द्रपारा–754 207	10000
12	ओ आर 043/2007	मयूर भंज जिला एसपीसीए	चीफ डिस्टिक वेटी अधिकारी, बरीपाड़ा	मयुरभंज 757 001	10000
13	ओ आर 045/2007	बालासोर जिला, एसपीसीए	चीफ डिस्टिक वेटी, अधिकारा	पो. बालासोर	10000
14	ओ आर 046/2007	गंजम जिला आथोपीडीकली हैंडिकेप्ड वेलफेयर एसोसिएशन	नेताजी सुभाष मार्ग एसपी निवास के पास पो. चत्रपुर	गंजम–761020	10000
15	ओ आर 047/2007	जिला एसपीसीए भद्रक	भद्रक	पिन 756 100	10000

1	2	3	4	5	6
16	ओ आर 052/2007	पीपल फॉर एनीमल, बालासोर	कालीवासपुर, पो. हरीपुर	बालासोर–756001	10000
17	ओ आर 056/2007	वेलफेयर वर्ल्ड	नाखौर (कुमार विहा)	गोपीनाथ पुर, पीएस लिंग राज, खुर्दा, भुवनेश्वर–2	10000
				कुल	35000
			(ख) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम (एबीसी ऑपरेशन करने के लिए)		
1	स्थानीय निकाय	कटक नगर निगम	कटक पो. चौधरी बाजार, कटक		500000
2	ओ आर 033/2002	पीपल फॉर एनीमल, बेहरामपुर	गाड़वरी स्ट्रीट, बेहरामपुर, जिला गंजम 760 002		445000
				कुल	945000
			उड़ीसा के उन जीव जंतु संगठनों की सूची जिन्हें वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान अनुदान जारी किया गया		
			(क) वर्ष 2008-09 में मंजूर और जारी किया गया नियमित अनुदान (आवारा जानवरों के रख रखाव हेतु)		
1	ओ आर 037/2004	जिला एसपीसीए नयागढ़	सी.डी.वी.ओ. कार्यालय	पो.आ. जिला नयागढ़ 752 069	5000
2	ओ आर 015/2001	कल्याणी	मैत्रात्रिलोचनपुर, डाक लैंडो, निराकारपुर वाया	जिला पुरी–752 019	30000
				कुल	35000
			(ख) वर्ष 2008-09 में मंजूर और जारी किया गया नियमित अनुदान (आवारा जानवरों के रख रखाव हेतु)		
1	ओ आर 043/2007	मयूर भंज जिला एसपीसीए	चीफ डिस्टिक वेटी अधिकारा, बरीपाड़ा	मयूरभंज 757 001	5000
2	ओ आर 065/2008	सोशल एम्पावरमेंट एंड एग्रीकल्चर डबलमेंट एजेंसी	पो. जलेश्वरपुर	वाया डेहरदा, जिला बालासोर 756036	30000
				कुल	35000
			(ग) पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम (एबीसी ऑपरेशन करने के लिए)		
1	ओ आर 033/2002	पीएफए राउरकेला	बेनसरा, पो. भस्मा	जिला सुन्दरगढ़ 770 025	44500
				कुल	44500
			(घ) प्राकृतिक आपदा (प्राकृतिक आपदाओ और अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि प्राकृतिक आपदा, सूखा, आदि के दौरान पशुओं को राहत पहुंचाने के लिए)		
1	ओ आर 009/1999	एपीओडब्ल्यूए	हाटपटना, पो. कडालीवन	जिला केन्द्रपाड़ा 754 222	300000
				कुल	300000

[अनुवाद]

अति-विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा उपहार प्राप्त करने हेतु दिशा-निर्देश

157. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में अति–विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उपहारों के संबंध में सरकार ने कतिपय दिशा–निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उपहार उन्हें पाने वाले व्यक्ति की निजी संपत्ति हो जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान अति–विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए गए उपहारों का वर्ष–वार और देश–वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) जी हां। विदेशों से अति विशिष्ट व्यक्तियों को प्राप्त उपहार समय–समय पर यथा–संशोधित विदेशी अंशदान (उपहार अथवा भेंट की प्राप्ति अथवा प्रतिधारण) विनियम 1978 द्वारा शासित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) प्राप्तकर्ता 5000/– रु. तक के उपहार अपने पास रख सकता है। यदि उपहार का मूल्य 5000/– रु. से अधिक है, तो प्राप्तकर्ता सरकार को अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करके उपहार रख सकता है अन्यथा ये उपहार विदेश मंत्रालय के तोशाखाना में जमा करना अपेक्षित है। उपहार के मूल्य का आकलन सीमा शुल्क के मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाता है, जिसे आवधिक रुप से ऐसा आकलन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्राप्त उपहारों का विवरण इस प्रकार है:–

वर्ष	प्राप्त उपहारों की कुल संख्या
2006	39
2007	63
2008	43

प्राप्त उपहारों के देशवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

प्राप्त उपहारों का देशवार और वर्षवार ब्यौरा

वर्ष 2006

क्रम सं.	देश का नाम	प्राप्त उपहारों की संख्या
1	श्रीलंका	2
2	रूस	2
3	सऊदी अरब	4
4	कतर	4
5	पाकिस्तान	1
6	यूएसए	1
7	जोर्डन	4
8	चीन	3
9	अफगानिस्तान	2
10	साइप्रस	1
11	मलेशिया	2
12	सीरिया	1
13	बांग्लादेश	1
14	नेपाल	1
15	कुवैत	3
16	भूटान	1
17	तजाकिस्तान	1
18	म्यांमार	3
19	तुर्की	1
20	मिस्र	1
	कुल	39

वर्ष 2007

क्रम सं.	देश का नाम	प्राप्त उपहारों की संख्या
1	2	3
1	अफगानिस्तान	2
2	अल्जीरिया	1

1	2	3
3	स्लोवेनिया	1
4	दक्षिण अफ्रीका	1
5	रूस	2
6	चीन	3
7	श्रीलंका	4
8	मलेशिया	1
9	बांग्लादेश	7
10	वियतनाम	6
11	तुर्की	1
12	बहरीन	1
13	यूएई	3
14	पाकिस्तान	3
15	कम्बोडिया	2
16	मिस्र	1
17	थाईलैण्ड	1
18	ब्राजील	2
19	इटली	3
20	बुल्गारिया	1
21	जापान	1
22	यूएसए	2
23	इथोपिया	1
24	सूडान	1
25	फिलीपीन्स	2
26	डेनमार्क	1
27	नीदरलैंड	1
28	पुर्तगाल	1
29	नेपाल	1
30	ओमान	6
	कुल	63

वर्ष 2008

क्रम सं.	देश का नाम	प्राप्त उपहारों की संख्या
1	बुल्गारिया	1
2	सउदी अरब	2
3	पाकिस्तान	1
4	भूटान	2
5	सीरिया	2
6	लाओपीडीआर	1
7	नेपाल	1
8	न्यूजीलैंड	1
9	फिलिर:ान	1
10	बेल्जियम	1
11	श्रीलंका	1
12	बांग्लादेश	1
13	तुर्की	1
14	मिस्र	4
15	मॉरीशस	2
16	अरब राज्य के से. जनरल	1
17	फ्रांस	1
18	तुर्कमेनिस्तान	1
19	मालदीव	1
20	रूस	4
21	अफगानिस्तान	2
22	म्यांमार	5
23	चीन	2
24	दक्षिण अफ्रीका	1
25	बुर्किनाफासो	1
26	ईरान	1
27	यूएसए	1
	कुल	43

कोयले का मूल्य

158. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का विचार अपने बढ़ते घाटे तथा देनदारियों को पूरा करने के लिए कोयले का मूल्य बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वृद्धि का ताप विद्युत उत्पादन पर अनुवर्ती प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपुर्यक्त पैरा (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

डी.टी.एच. लाइसेंसधारकों द्वारा उल्लंघन

159. श्री वाडिगा रामकृष्णा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डायरेक्ट-टु-होम (डी.टी.एच.) लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट मानदंड तथा इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इन मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने डी.टी. एच. लाइसेंसिंग शर्तों का उल्लंघन किया है;

(घ) क्या इन कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) डी.टी.एच. के दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि आवेदक कम्पनी में एफ.डी.आई./एन.आर.आई./ओ.सी. बी./एफ.आई.आई. की कुल विदेशी इक्विटी धारिता 49% से अधिक न हो, और विदेशी इक्विटी के भीतर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का घटक 20% से अधिक न हो। प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी और एफ.डी.आई./एन.आर. आई./ओ.बी.सी. निवेशों के जरिए विदेशी निवेशों की धारिता या नियंत्रित भारतीय संवर्धक कम्पनी की कुल जारी इक्विटी पूंजी के समानुपात की प्रतिनिधिक प्रमात्रा 20% की उपर्युक्त एफ.डी.आई. सीमा का भाग होगी। सरकार की एफ.डी.आई. नीति के अनुसार किसी डी. टी.एच. कम्पनी में विदेशी निवेश के लिए एफ.आई.पी.बी. के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

(ख) जी, हां।

(ग) मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड।

(घ) और (ङ) मैसर्स भारती टेलीमीडिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए अंशधारिता पैटर्न से पता चला कि डी.टी.एच. लाइसेंसधारक ने निवेशक कम्पनियों के माध्यम से प्राप्त होने वाले विदेशी निवेश के लिए एफ.आई.पी.बी. का कोई अनुमोदन नहीं लिया था, जो कि मौजूदा एफ.डी.आई. नीति के अनुसरण में नहीं है। इसलिए लाइसेंसधारक द्वारा यह कारण बताया जाना आवश्यक है कि डी.टी.एच. लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के आधार पर उसे लाइसेंसधारक कम्पनी को प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अलग से एफ.आई.पी.बी. अनुमोदन प्राप्त करने की सलाह दी गई थी। एफ.आई.पी.बी. ने दिनांक 9.1.2009 को हुई अपनी बैठक में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा-निर्देश के अनुपालन और उल्लंघन के संयोजन के अध्यधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है।

निवेशकों की शिकायतों पर सुनवाई

160. श्री रमेश दूबे : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबी ने हाल में कंपनियों को निवेशकों की शिकायतें तेजी से निबटाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन कंपनियों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक कंपनी के खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) निवेशकों की शिकायतें निबटाने के लिए क्या समय-सारणी निर्धारित की गई है;

(घ) निदेशों का पालन नहीं करने के लिए कौन-कौन सी दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है; और

(ङ) निवेशकों का विश्वास बनाने के लिए अन्य कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) निवेशकों की शिकायतें निपटाने के लिए समय–सीमा, शिकायत की किस्म और उसकी प्रकृति के आधार पर अलग–अलग होती है।

(घ) सेबी अधिनियम, 1992 में निवेशकों की शिकायतों का निपटान न करने के लिए विभिन्न दांडिक उपायों की व्यवस्था की गई है, जिसमें अधिनियम की धारा 15ग के तहत न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू करना शामिल है।

(ङ) निवेशकों का विश्वास बनाने के लिए सेबी ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

(i) प्रतिभूमि बाजार को विनियमित करने और प्रतिभूति बाजार में सुरक्षा, पारदर्शिता और सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विनियम और दिशा–निर्देश निर्धारित करना।

(ii) बाजार निगरानी, निरीक्षण तथा जांच तथा पूंजी बाजार संबंधी मानदंडों के उल्लंघन के मामलों में प्रवर्तन उपाय करना।

(iii) सूचकांकों के स्तरों को ध्यान में रखे बिना बाजार पर सतत् निगरानी रखना और जहां भी उचित हो, वहां कार्रवाई करना।

(iv) स्टॉक एक्सचेंजों और निक्षेपागारों के पदाधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करना और उन्हें अपने स्वयं के निगरानी उपाय शुरू करने और जहां भी उचित हो, शीघ्रकारी निर्देशात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है जिससे निवेशकों के हितों की रक्षा और स्टॉक बाजार का सुव्यवस्थित कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके।

(v) पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि दलाल स्पष्ट रूप से ग्राहक व्यापार और मार्जिन देयता दर्शाते हुए अपने प्रत्येक ग्राहक को दैनिक रिपोर्ट दें।

(vi) प्रचलित मार्जिन प्रणाली पर विशेष ध्यान देते हुए जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें मार्जिनों का परिकलन और अधिरोपण शामिल है। अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के मानदंडों को सुदृढ़ करने के लिए पैन अनिवार्य बना दिया गया है जिससे प्रतिभूति बाजार में लेनदेनों की दुरुस्त लेखापरीक्षा अनुमार्गणीयता सुकर हो जाती है। यह प्रतिभूमि बाजार में संभावित जोखिमों का समाधान करके और पारदर्शिता सुनिश्चित करके बाजार को सुरक्षित और अधिक भरोसेमंद बनाएगा। स्टॉक एक्सचेंजों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि दलाल केवाईसी को आवधिक रूप से अद्यतन करे।

(vii) इसके अतिरिक्त, स्टॉक एक्सचेंज भी समय–समय पर प्रमुख अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचारपत्रों के माध्यम से निवेशकों के लिए सूची जारी करते हैं कि प्रतिभूतियों के संव्यवहार के संबंध में 'क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए।' आवधिक रूप से निवेशक शिक्षा कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

(viii) निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए एकल स्थल उपाय के रूप में निवेशक सहायता तथा शिक्षा कार्यालय की स्थापना की गई है जहां, निवेशक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई तथा कोलकाता स्थित चार कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में मध्यवर्तियों अथवा सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ix) संपूर्ण देश से निवेशक संघों को मान्यता दी गई है जो प्रतिभूति बाजार के संबंध में निवेशक जागरुकता को बढ़ाने के लिए शहरों तथा नगरों में कार्यशालाओं का संचालन करते हैं। ये कार्यशालाएं, जिनमें विषय विशेषज्ञ भाग लेते हैं, पूर्व अनुभव प्राप्त निवेशकों तथा साथ ही भावी निवेशकों, दोनों के लिए सहायक होती है।

(x) सेबी द्वारा विभिन्न विषयों पर मुद्रित शिक्षा सामग्री तथा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को निवेशकों के प्रयोग हेतु सेबी की निवेशक वेबसाईट http://investor.sebi.gov.in पर प्रविष्ट किया है।

(xi) हाल ही में, सूचीबद्ध कंपनियों के प्रवर्तकों और प्रर्वतक समूहों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे उनके द्वारा धारित शेयरों की गिरवी रखने के ब्यौरे प्रकट करें।

(xii) बाजार मध्यवर्तियों जैसे स्टॉक ब्रोकर, निक्षेपागार भागीदार, अंतरण एजेंट तथा निर्गम के पंजीयक, मर्चेंट बैंकर आदि का निरीक्षण करना, जिसमें निवेशक शिकायत निवारण के पहलू को भी शामिल किया जाता है। निरीक्षणों के अवलोकनों के आधार पर, उपर्युक्त चूककर्ता मध्यवर्तियों के विरुद्ध, जहां भी उचित है दांडिक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार की गतिशील परिस्थितियों को देखते हुए, सेबी समय–समय पर मध्यवर्तियों द्वारा अनुसरित की जाने वाली जोखिम प्रबंधन और अन्य पद्धतियों को अद्यतन करने के लिए उपयुक्त प्रावधान करता है।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	01.04.2006 से 31.01.2009 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	31.01.2009 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों की कुल संख्या
1	2	3	4
1	आशी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	35	418
2	एईसी इंटरप्राइज़ेज लिमिटेड	29	61
3	आकार लैमिनेटर्स लिमिटेड	34	74
4	अल्पाईन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	14	74
5	आंबिक प्रोटीन्स लिमिटेड	33	238
6	बीटा नैपथोल लिमिटेड	23	151
7	भुवन त्रिपुरा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	29	69
8	बिनाका सिन्थैटिक रेंजिस लिमिटेड	5	57
9	ब्लू इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड	4	89
10	बॉम्बे सिल्क मिल्स लिमिटेड	6	213
11	बोनान्जा फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड	8	83
12	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1789	73
13	केमोक्स केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	37	116
14	शिकागो सॉफ्टवेयर लिमिटेड	3	83
15	कोर हेल्थकेयर लिमिटेड	48	138
16	डी.आर. इंडस्ट्रीज लिमिटेड	8	94
17	दवे पेंट्स लिमिटेड	5	77
18	धारनेन्द्र इंडस्ट्रीज लिमिटेड	22	103
19	धारनेन्द्र ओवरसीज़ लिमिटेड	20	121
20	एनके टेक्सोफूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	31	302
21	एस्सार ऑयल लिमिटेड	568	53
22	एस्सार स्टील लिमिटेड	173	40
23	फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स लिमिटेड	2408	34
24	गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड	42	19
25	गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड	18	84
26	गुडअर्थ सिन्थेटिक्स लिमिटेड	10	56
27	गुजरात अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड	180	33
28	गुजरात इन्वेस्टमेंट कास्टिंग्स लिमिटेड	20	89
29	गुजरात ऑप्टिकल कम्युनिकेशन लिमिटेड	31	118
30	गुजरात टेलीफोन केबल्स लिमिटेड	25	62
31	हैमको माइनिंग एंड स्मेलटिंग लिमिटेड	43	202
32	हनील ऐरा टेक्सटाईल लिमिटेड	86	456
33	हेक्सोन फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड	6	65
34	हिको प्रोडक्ट्स लिमिटेड	11	108
35	हिन्दुस्तान इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड	87	192
36	हिन्दुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड	125	20
37	हाइटसाई सन मैगनेटिक्स लिमिटेड	6	76
38	आईसीईएस सॉफ्टवेयर लिमिटेड	38	57
39	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	1265	38
40	इंडीटालिया रेफकॉन लिमिटेड	15	154
41	इंडो–अमेरिकन क्रेडिट कॉरपोरेशन लिमिटेड	3	85
42	इंडो–अमेरिकन ऑप्टिक्स लिमिटेड	10	71

1	2	3	4
43	इंडसीस सर्विसज़ लिमिटेड	45	36
44	इन्दु निस्सान ऑक्सो केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	36	58
45	इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड	466	84
46	ईश्वर मेडिकल सर्विस लिमिटेड	19	146
47	जेएफ लेबोरेटरीज़ लिमिटेड	62	257
48	जय कॉर्प लिमिटेड	271	87
49	जयंत विटामिन्स लिमिटेड	19	174
50	जयंती बिजनेस मशीन्स लिमिटेड	12	172
51	जिलीकेम लेबोरेट्रीज (इंडिया) लिमिटेड	8	72
52	जिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	38	42
53	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	546	85
54	कनेल ऑयल एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	13	66
55	कोलर इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजिज लिमिटेड	7	59
56	कृष्णा फिलामेंट्स लिमिटेड	18	87
57	कृष्णा प्लास्टो केम लिमिटेड	6	94
58	लॉयड्स फाइनेन्स लिमिटेड	64	161
59	महाराष्ट्र कृष्णा वैली डवे. कॉर्प.	146	365
60	मलानपुर स्टील लिमिटेड	352	2006
61	मन्ना ग्लास टेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	16	62
62	मार्क ओमेगा ऑरगैनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	7	71
63	मेयो हॉस्पिटल्स लिमिटेड	10	87
64	मोटोरोल इंटरप्राइज़ लिमिटेड	16	114
65	मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनोमिक जोन लिमिटेड	4503	24
66	नाथ सीड्स लिमिटेड	47	66
67	नेक्सस सॉफ्टवेयर लिमिटेड	16	57
68	ओजस टेक्नोकेम प्रोडक्ट्स लिमिटेड	18	230
69	पाल प्यूगोट लिमिटेड	171	661
70	पंजवानी पैकेजिंग लिमिटेड	13	146
71	पंकज एग्रो प्रोटिनेक्स लिमिटेड	15	62
72	पाठेजा फॉरजिंग्स एंड ऑटो पार्टस	20	189
73	पायनीयर एम्ब्रोइडरीज़ लिमिटेड	26	38
74	प्रकाश फोर्टन साफ्टेक लिमिटेड	5	124
75	राने कम्पयूटर्स कंसलटेंसी लिमिटेड	11	78
76	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1493	46
77	रिलायंस पावर लिमिटेड	25542	415
78	रोसेल फाइनेन्स लिमिटेड	25	432
79	सबेरो ऑरगेनिक्स गुजरात लिमिटेड	8	74
80	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड	189	166
81	सेरेन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	21	63
82	स्काइलाईन एनईपीसी लिमिटेड	49	212
83	सॉलिड कारबाईड टूल्स लिमिटेड	7	61
84	साउंटक्रॉफ्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड	18	241
85	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	615	56
86	स्टीलको गुजरात लिमिटेड	68	133

1	2	3	4
87	स्टरलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड	294	72
88	सनस्टार सॉफ्टवेयर सिस्टम्स लिमिटेड	22	435
89	सूरज डायमंड्स एंड जवैलरी लिमिटेड	51	59
90	टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड	1216	118
91	दूहील फार्माकेम लिमिटेड	0	79
92	टापलाइन शूज़ लिमिटेड	10	84
93	यूनिमर्स इंडिया लिमिटेड	169	325
94	वत्सा कॉरपोरेशन्स लिमिटेड	150	931
95	वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड	185	44
96	वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	181	81
97	विटारा केमिकल्स लिमिटेड	9	72
98	वेस्ट कोस्ट ब्रूयर्स एंड डिस्टीलर्स लिमिटेड	36	238
99	वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड	229	389
100	रॉस मुरारका फाइनेन्स ईस्ट लिमिटेड	56	59

सांविधिक चेतावनी के बिना सिगरेट की बिक्री

161. श्री उदय सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवार्य सांविधिक चेतावनी के बिना शुल्क मुक्त दुकानों पर सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार ने दिनांक 15 मार्च, 2009 की जीएसआर संख्या 182 के अंतर्गत "सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2008" अधिसूचित किया है। ये नियम 31 मई, 2008 से प्रभावी हुए। इन नियमों के अनुसार, देश में बिकने वाले सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पाद, जिनमें शुल्क रहित दुकानों के माध्यम से बिकने वाले पदार्थ भी शामिल हैं, के प्रत्येक पैकेट पर यथा विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी उल्लिखित होगी। विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के घटकों में शामिल हैं: स्वास्थ्य चेतावनियां (धूम्रपान जानलेवा है या तम्बाकू जानलेवा है), तम्बाकू के दुष्प्रभावों का चित्रों के माध्यम से प्रस्तुतीकरण और एक स्वास्थ्य संदेश।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कर बचत बांड जारी करना

162. श्री मिलिन्द देवरा : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कर बचत बांड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बांड की प्रकृति क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में वित्त मंत्रालय की सहमति ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विभिन्न बैंकों द्वारा जारी बांड से ये बांड किस प्रकार भिन्न होंगे?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांडों की वर्ष वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत पूंजी लाभ कर छूट बांड जारी करता है। बांड की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

(i) प्रत्येक बांड का मूल्य 10,000 रुपए है और लॉक इन अवधि तीन वर्ष है।

(ii) न्यूनतम 5 बांडों और अधिकतम 500 बांडों के लिए आवेदन किया जा सकता है।

(iii) किसी वित्त वर्ष में इन बांडों में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया निवेश 50 लाख से अधिक नहीं होगा।

(iv) ये बांड अहस्तांतरणीय हैं और प्रतिभूति के तौर पर इन्हें नही दिया जा सकता; इसलिए ये बांड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

(v) ब्याज का भुगतान प्रति वर्ष की 31 मार्च को किया जाता है।

(vi) इस समय ब्याज की दर 6.25% प्रति वर्ष (01.11.2008 से) है।

(ग) और (घ) वित्त अधिनियम, 2008 में केंद्र सरकार द्वारा 54 ईसी पूंजी लाभ बांडों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है।

(ङ) इस समय केवल दो संगठनों अर्थात् ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 54 ईसी बांड जारी करके धनराशि जुटाने की अनुमति दी गई है और इन्हें जारी करने के लिए किसी बैंक को अधिकृत नहीं किया गया है।

विवरण

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए 54 ईसी बांडों की वर्षवार स्थिति

वर्ष	धनराशि (करोड़ रु.)	क्या भुना लिए गए हैं
2000-01	656.62	हां
2001-02	804.44	हां
2002-03	5592.94	हां
2005-06	1289.00	मार्च, 09 में भुनाए जाने के लिए नियत
2006-07	1500.00	अभी भुनाए जाने हैं
2007-08	305.18	अभी भुनाए जाने हैं
2008-09	3700.00 (लक्ष्य) (10.02.2009 तक वास्तविक 1330 करोड़ रु.)	

विदेश सचिव का श्रीलंका दौरा

163. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 2009 में भारत के विदेश सचिव ने श्रीलंका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) दौरे के समय हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां, भारत के विदेश सचिव ने 16–17 जनवरी, 2009 को श्रीलंका की यात्रा की थी।

(ख) और (ग) इस यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने श्रीलंका के राष्ट्रपति, श्रीलंका के विदेश मंत्री तथा श्रीलंका के विदेश सचिव, रक्षा सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों, श्रीलंका में स्थिति तथा क्षेत्र के घटनाक्रमों पर विचार–विमर्श किया। विदेश सचिव को श्रीलंका में हाल के घटनाक्रमों के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने श्रीलंका के उत्तरी भाग में मानवीय स्थिति पर भारत की चिंता से अवगत कराया तथा श्रीलंका सरकार से अनुरोध किया कि वह शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए राजनीतिक समाधान के लिए कार्य करे। उन्होंने आंतरिक रूप से विस्थापित आम नागरिकों की संरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्रीलंका सरकार ने श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन को लागू करने की अपनी मंशा जाहिर की। विदेश सचिव ने विश्वस्तरीय आर्थिक स्थिति पर भी विचार विमर्श किया।

विदेश सचिव ने प्रभावित नागरिकों के लिए दवाओं तथा आश्रय सहित और राहत सहायता प्रदान करने के संबंध में भारत के आशय की घोषणा भी की। दवाओं की पहली खेप श्रीलंका सरकार को सौंप दी गयी।

झीलों का संरक्षण

164. श्री मदन लाल शर्मा :

प्रो. एम. रामदास :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में झीलों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने झीलों के संरक्षण के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित एवं प्राप्त किये गये हैं; और

(च) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उन झीलों का ब्यौरा क्या है जिन का संरक्षण किया जाएगा/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : (क) से (ङ) मंत्रालय द्वारा जून 2001 से देश के शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और डिग्रेडिड झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) की केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय ने अब तक राज्यों द्वारा पहचान की गई 57 झीलों के संरक्षण के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसकी अनुमानित लागत 856. 76 करोड़ रु. है। 11वीं योजना में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना स्कीम के लिए कुल परिव्यय 440 करोड़ रु. है। जहां तक राज्यों में झीलों की संख्या में कमी का संबंध है, सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(च) 11वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत संरक्षण के लिए नई झीलों में शिवपुरी झील (मध्य प्रदेश), मगाडी झील, (बेंगलूर ग्रामीण) और अमानीकेरे झील, टुमकूर (कर्नाटक), सिदेश्वर झील, शोलापुर (महाराष्ट्र), आदि गंगा, दक्षिण 24 परगना (पश्चिम बंगाल), अनासागर झील और पुष्कर सरोवर अजमेर (राजस्थान) और फतेहसागर झील एवं पिंचोला झील प्रणाली उदयपुर (राजस्थान) शामिल हैं। नई झीलों के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के दिशा–निर्देशानुसार उनकी पात्रता, प्रदूषण स्तर, प्राथमिकता और योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अनुसार उन पर विचार किया जाता है।

न्याय पंचायत विधेयक

165. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्याय पंचायत विधेयक को अंतिम रुप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) संसद में इस विधेयक को कब तक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं। न्याय पंचायत बिल का मसौदा समिति द्वारा तैयार किए गए प्रारूप बिल को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों व संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रसारित किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर प्रारूप बिल को नया रूप दिया गया तथा उसे संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित किया गया था। प्राप्त टिप्पणियां विचाराधीन हैं।

(ख) प्रस्तावित न्याय पंचायत बिल का उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर सामुदायिक संलिप्तता द्वारा मध्यस्थता एवं सुलह के माध्यम से विवादों का वैकल्पिक हल निकालने के लिए एक बढ़िया सांस्थानिक मंच उपलब्ध कराना है। न्याय पंचायतों का लक्ष्य औपचारिक न्याय प्रणाली तक पहुंचने से पहले विवादों का समाधान करना होगा, लेकिन इससे विवाद से जुड़ा कोई भी पक्ष यदि वैकल्पिक विवाद निपटान के परिणामों से संतुष्ट नहीं हो तो उसके न्यायिक फोरम में जाने का अधिकार समाप्त नहीं होता।

प्रारुप न्याय पंचायत बिल प्रत्येक ग्राम पंचायत अथवा ग्राम पंचायतों के समूह के स्तर पर न्याय पंचायतों की स्थापना का प्रावधान करना है। न्याय पंचायतों का गठन न्याय पंचायतों के क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों द्वारा न्याय पंचों के चुनाव के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। न्याय पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के प्रावधानों को भी प्रस्तावित किया गया है। प्रारूप बिल न्याय पंचायतों के दीवानी, फौज़दारी तथा अतिरिक्त क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। प्रारूप बिल में सुलह को विवाद निपटाने के बुनियादी साधन के तौर पर प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा, न्याय सहायक, जो न्याय पंचायतों को उनके विवाद निपटान के कार्य–निष्पादन में सहायता पहुंचाएंगे, का प्रस्ताव किया गया है। न्याय पंचायतों से अलग पृथक व स्वतंत्र विवाद–निपटान निकायों के तौर पर प्रस्तावित किया गया है।

(ग) इस संबंध में कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती क्योंकि न्याय पंचायत बिल का प्रारूप विचाराधीन है।

आई एफ सी आई

166. श्री अनन्त नायक :
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) में किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आईएफसीआई को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आईएफसीआई को दी गई वित्तीय सहायता माफ कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) 31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई) द्वारा यथा सूचित, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा आईएफसीआई में किए गए निवेश के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

(करोड़ रुपए में)

सुविधा	सरकारी क्षेत्र के बैंक	वित्तीय संस्थाएं	कुल
अपरिवर्तनीय डिबेंचर्स	200.00	200.00	400.00
ऐच्छिक परिवर्तनीय डिबेंचर्स	-	155.22	155.22
बांड्स	2940.82	986.62	3927.44
अवधि ऋण	325.00	100.00	425.00
अधिमान शेयर्स	266.19	7.65	273.84
कुल	3732.01	1449.49	5181.50

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा आईएफसीआई को प्रदान की गई सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2005-06	300.00
2006-07	220.31
2007-08	शून्य
2008-09	शून्य

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अल्ट्रासाऊंड केन्द्रों का अवैध कार्यकरण

167. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अल्ट्रासाऊंड केन्द्र अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं जैसा कि 24 जनवरी, 2009 के "द ट्रिब्यून" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) सरकार को हरियाणा में गर्भधारण पूर्व और प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य कर रहे अल्ट्रासाऊंड केन्द्रों का पता चला है।

(ग) समाचार रिपार्ट ने उपयुक्त प्राधिकारी की नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया है। हरियाणा सरकार ने सूचित किया है कि दिनांक 18.2.1996 के हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित उनकी अधिसूचना संख्या 1/19/88–2एचबी–II–96 के माध्यम से उन्होंने जिले में उपयुक्त प्राधिकारी के रुप में सिविल सर्जन को नियुक्त किया है।

विदेशी जेलों में भारतीय

168. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों की जेलों में प्रवासी भारतीयों सहित भारतीयों की देश–वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उनको छुड़ाने के लिए संबंधित देशों के साथ इस मुद्दे को उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (घ) अपेक्षित ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

अनिवासी भारतीयों के लिए विश्वविद्यालय

169. श्री किन्जरपु येरनायडु : क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनिवासी भारतीयों के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच की गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) भारतीय मूल के लोगों/अनिवासी भारतीयों के प्रस्तावित विश्वविद्यालय की बैंगलोर में स्थापना कार्य मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट को सौंपा गया है।

(ख) और (ग) मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए गठित सलाहकार बोर्ड की बैठक 16.1.2009 को हुई थी। बोर्ड की अगली बैठक मार्च, 2009 के पहले सप्ताह में होती है।

(घ) समय सीमा सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

बैंकों द्वारा कृषि ऋण माफ करना

170. श्री के. सुब्बारायण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा छोटे और सीमान्त किसानों का श्रेणी–वार तथा बैंक–वार कितने प्रतिशत और कितनी राशि के कृषि ऋण माफ किए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रिलायंस एनर्जी लि.

171. डा. राजेश मिश्रा :
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पहले रिलायंस एनर्जी लि.) ने अपने बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी)/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड्स (एफसीसीबी) प्राप्तियों की म्युचुअल फंड में निवेश कर और बाद में संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए उस पैसे को विदेश भेजकर इसका दुरुपयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईसीबी/एफसीसीबी का दुरुपयोग विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) तथा ईसीबी दिशा–निर्देश से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन है; और

(घ) यदि हां, तो फेमा, ईसीबी तथा आरबीआई दिशा–निर्देश और अन्य संबंधित कानूनों का उल्लंघन करने के लिए रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है (i) मैसर्स रिलायंस एनर्जी लिमिटेड–अब रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (आरआईएल) नाम से जाना जाता है, ने स्वचालित मार्ग के अंतर्गत जुलाई, 2006 में 360 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी वाणिज्यिक उधार जुटाया था। यह सम्पूर्ण राशि 15 नवम्बर, 2006 को आहरित कर ली गई थी और विदेश में यूएसबी, लंदन में रखी गई। 26 अप्रैल, 2007 को 360 मि. अमरीकी डालर में से 300 मि. अमरीकी डालर (1265.87 करोड़ रुपए) भारत लाए गए और घोषित अंतिम उपयोग के लिए इस्तेमाल न किए जाने तक उन्हें ऋण म्यूच्यूअल फंड में निवेशित किए रखा गया। कंपनी ने मार्च, 2008 में 500 मिलियन अमरीकी डालर की राशि (भारत में लाई गई 300 मि. अमरीकी डालर की प्राप्तियों सहित) विदेशी अनुषंगी कंपनी में निवेश हेतु प्रेषित कर दी।

(ii) आरआईएल ने अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत भी 150 मि. अमरीकी डालर के ईसीबी प्राप्त किए थे और संपूर्ण राशि आहरित करके नवम्बर, 2006 में भारत लाई गई थी। मासिक ईसीबी 2 विवरणियों में यह पाया गया था कि कंपनी ईसीबी प्राप्तियों के कुछ भाग को नियमित रूप से, घोषित अंतिम उपयोग हेतु उपयोग में ला रही थी, और उपयोग न किए जाने तक शेष राशि को सावधि जमा/ऋण म्यूच्यूअल फंडों में रख रही थी।

(ग) जी, हां।

(घ) उस समय लागू ईसीबी दिशा–निर्देशों के अनुसार ईसीबी की प्राप्तियों को भारत में उनकी वास्तव में आवश्यकता होने तक विदेशों में रखना अपेक्षित होता था। उसके अतिरिक्त, ईसीबी की प्राप्तियों का पूंजी बाजार में निवेश के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, (i) 360 मिलियन अमरीकी डालर के ईसीबी से संबंधित उल्लंघन के लिए कंपनी के संयोजित आवेदन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा (यौगिक प्राप्तियां) नियम, 2000 के अनुसार एक संयोजित आदेश से पारित किया गया और कंपनी पर 124.68 करोड़ का दंड लगाया गया। तथापि, आरआईएल ने दंड का भुगतान नहीं किया और 25 अगस्त, 2008 को एक संशोधित आवेदन प्रस्तुत करते हुए 360 मिलियन अमरीकी डालर और 150 मिलियन अमरीकी डालर दोनों के ईसीबी में हुए उल्लंघन के प्रशमन की मांग की है। प्रशमन का यह आवेदन सही नहीं पाया गया और 30 सितम्बर, 2008 को इसे आवेदक को वापस कर दिया गया। आरआईएल को एक विकल्प दिया गया कि वह दूसरे ईसीबी से संबंधित उल्लंघन के प्रशमन के बारे में आवेदन करे लेकिन कंपनी ने उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क नहीं किया। इसलिए, भारत रिजर्व बैंक ने दोनों ईसीबी के संबंध में हुए फेमा के उल्लंघन के मामले को आवश्यक कार्रवाई हेतु 7 नवम्बर, 2008 को प्रवर्त्तन निदेशालय भेज दिया।

पूर्वोत्तर विशेष पैकेज के अंतर्गत आकाशवाणी/ दूरदर्शन को आबंटित धनराशि

172. श्री अनवर हुसैन :
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटित धनराशि जारी कर दी है जिससे कि पूर्वोत्तर विशेष पैकेज के अंतर्गत आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र का विकास तथा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को प्राप्त किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष सहित उक्त योजना अवधि के दौरान वर्ष–वार, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी–वार एवं संघटक–वार कुल आबंटित तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित ब्यौरा निम्नानुसार है:–

करोड़ रुपए में

वर्ष		आकाशवाणी		दूरदर्शन	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
2007-08	सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण	1.00	1.18	15.00	15.00
	हार्डवेयर	4.00	2.02	40.00	43.73
2008-09 (दिसम्बर, 08 तक)	सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण	3.03	0.43	13.53	12.49
	हार्डवेयर	36.00	6.76	15.00	6.88

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर विशेष पैकेज हेतु आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए कुछ धनराशि का आबंटन क्रमशः 150.00 करोड़ रुपए और 219.83 करोड़ रुपए है।

विश्व बैंकों के साथ समझौता

173. श्री मधुगौड यास्की :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के भारत प्रमुख ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का उद्देश्य क्या था;

(ग) भारत सरकार तथा विश्व बैंक के बीच कोई समझौता/सहमति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) मि. राबर्टो एन. जागा ने 1 जनवरी, 2009 से विश्व बैंक में भारत के कंट्री निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वे 23 जनवरी, 2009 को एक सप्ताह के दौरे पर भारत पहुंचे और उन्होंने भारत सरकार के अधिकारियों से भेंट की। दौरे का मकसद भारत सरकार के अधिकारियों से इस मुद्दे पर विचार–विमर्श करना था कि किस तरह से विश्व बैंक एक विकास सहभागी के तौर पर सर्वाधिक कारगर तरीके से कार्य कर सकता है।

(ग) और (घ) दौरे के दौरान, भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 27 जनवरी, 2009 को निम्नलिखित करार हस्ताक्षरित किए गए :–

क्रम सं.	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (मि. अमरीकी डालर)
1.	विद्युत प्रणाली विकास परियोजना–IV अतिरिक्त वित्त पोषण	400.0
2.	उड़ीसा राज्य सड़क परियोजना	250.0
3.	उड़ीसा सामुदायिक टैंक प्रबंध परियोजना	112.00
4.	उड़ीसा ग्रामीण आजीविका परियोजना	82.4

[हिन्दी]

सीमा और उत्पाद शुल्क में कमी

174. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री सूरज सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008–09 के वार्षिक बजट में की गई घोषणा के पश्चात् विभिन्न मदों पर सीमा और उत्पाद शुल्क में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुमानतः राजस्व में कितनी कमी आएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में ऐसी कटौतियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

ये वित्तीय उपाय तेजी से परिवर्तित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक माहौल तथा घरेलू अर्थ व्यवस्था पर इसके प्रभाव के कारण किए गए।

वित्तीय वर्ष के पूर्वार्ध में, इनका उद्देश्य अपरिष्कृत पेट्रोलियम, खाद्य वस्तुओं तथा धातुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि से उत्पन्न मुद्रा स्फीति से लड़ना था। बाद में, विकसित देशों में वित्तीय संकट की अनुक्रिया में भारतीय अर्थव्यवस्था में आई मंदी से निपटने के लिए उनकी जरूरत थी। इस प्रकार, उपर्युक्त सूचीबद्ध शुल्क कटौतियां मुख्यतः सरकार की वित्तीय प्रेरणा पैकेज का हिस्सा थीं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान इन परिवर्तनों का राजस्व निहितार्थ लगभग 33000 करोड़ रुपए है।

विवरण

क्रम सं.	मद का वर्णन	कम किया गया शुल्क		परिवर्तन के लागू होने की तिथि
		से	तक	
1	2	3	4	5
	सीमा शुल्क			
	सेमी मिल्ड एवं पूर्णतः मिल्ड राइस	70%	शून्य	
	क्रूड पाम आयल एवं क्रूड पामोलीन	45%	20%	
	आरबीडी पाम आयल/पामोलीन	52.5%	27.5%	
1	सूर्यमुखी का तेल (क्रूड)	40%	20%	21.3.2008
	सूर्यमुखी का तेल (रिफाइंड)	50%	27.5%	
	रेपसीड/कैनोला/कोल्जा/सरसों का तेल (क्रूड)	75%	20%	
	रेपसीड/कैनोला/कोल्जा/सरसों का तेल (रिफाइंड)	75%/45% (टीआरक्यू के तहत)	27.5%	
2	सोयाबीन तेल (क्रूड)	40%	शून्य	
	सोयाबीन तेल (रिफाइंड) बी	40%	7.5%	
	क्रूड पाम आयल (क्रूड पामोलीन सहित)	20%	शून्य	
	आरबीडी पाम आयल (आरबीडी पामोलीन सहित)	27.5%	7.5%	
	क्रूड सूर्यमुखी तेल	20%	शून्य	
	रिफाइंड सूर्यमुखी तेल	27.5%	7.5%	01.04.2008
	क्रूड कैनोला रेपसीड/सरसों	20%	शून्य	
	रिफाइंड कैनोला/रेपसीड/सारसों	27.5%	7.5%	
	अन्य सभी विविध खाद्य तेल (क्रूड) जैसे नारियल तेल, मुंगफली, तिल, सीसेम, अरंडी, महुआ, कोकुम, क्रूड, पाम, केरनेल आयल, ऑलिव इत्यादि	100%-40%	शून्य	
	अन्य सभी विविध खाद्य तेल (रिफाइंड) जैसे नारियल तेल, मुंगफली, तिल, सीसेम, अरंडी, महुआ, कोकुम, क्रूड पाम, केरनेल आयल, ऑलिव इत्यादि	100%-40%	7.5%	

1	2	3	4	5
	वनस्पति, मार्गेरिन, पीनट, बटर, साल, फैट्स एवं तेलों (वनस्पति से तैयार) के रूप में ज्ञात वनस्पति वसा एवं तेल	80%	7.5%	
	मक्खन एवं घी	40%	30%	
	मेज (5 लाख मै. टन प्रतिवर्ष टी आर क्यू के लिए)	15%	शून्य	
3	(आयरन और नान एलाय स्टील (कस्टम टैरिफ शीर्षक 7203 और 7205 से 7217)	5%	शून्य	
	पिग आयरन और स्पिजलेशन	5%	शून्य	
	मेटकोक, जिंक और फेरो एलाय	5%	शून्य	29.4.2008
	टी एम टी बार्स एवं स्ट्रक्चरल्स पर सी वी शुल्क	14%	शून्य	
4	पोस्ता दाना	70%	40%	26.05.2008
5	क्रूड पेट्रोलियम	5%	शून्य	
	पेट्रोल एवं डीजल	7.5%	2.5%	04.6.2008
	अन्य पेट्रोलियम उत्पाद	10%	5%	
6	गैर–एलाय स्टील, हाट रोल्ड, नाट क्लैड, प्लेटेड या कोटेड के फ्लैट रोल्ड उत्पादों पर निर्यात शुल्क	15%	शून्य	
	गैर–एलाय स्टील, कोल्ड रोल्ड (कोल्ड–रिड्यूस), नाट क्लैड, प्लेटेड या कोटेड के फ्लैट रोल्ड उत्पादों पर निर्यात शुल्क	10%	शून्य	13.6.2008
	आयरन या गैर–एलाय स्टील के जिंक प्लेटेड या कोटेड के फ्लैट रोल्ड उत्पादों पर निर्यात शुल्क	5%	शून्य	
	आयरन या स्टील के ट्यूब और पाइपों पर निर्यात शुल्क	10%	शून्य	
7	कच्चा काटन	10%	शून्य	08.7.2008
8	एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ए.टी.एफ.)	5%	शून्य	31.10.2008
9	निर्यात शुल्क से छूट प्राप्त लौह एवं इस्पात मद	15%-10%	शून्य	31.10.2008
10	लौह अयस्क, बढ़िया पर निर्यात शुल्क	15%	200 रु. प्रति मी. टन	31.10.2008
11	लौह अयस्क, बढ़िया, पर निर्यात शुल्क	200 रु. प्रति मी. टन	8% मूल्यानुसार	7.11.2008
12	विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नेफ्था (31.3.2009 तक)	5%	शून्य	7.12.2008
13	लौह अयस्क बढ़िया पर निर्यात शुल्क	8%	शून्य	7.12.2008
14	लौह अयस्क लम्प्स पर निर्यात शुल्क	15%	5%	7.12.2008
15	बासमती चावल पर निर्यात शुल्क	8000 रु. प्रति मी. टन	शून्य	02.02.2009
16	पोस्त बीज	40%	20%	03.02.2009
17	जिंक ऐश, जिंक अवशिष्ट, तांबा अवशिष्ट	7.5%	5%	10.02.2009
18	न्यूज प्रिंट एवं ग्लेज्ड न्यूज प्रिंट	3%	शून्य	
	पत्रिकाओं के मुद्रण में प्रयुक्त लाइट वेट कोटेड पेपर	5%	शून्य	11.02.2009

1	2	3	4	5
		उत्पाद शुल्क		
1	अनब्राण्डेड मोटर स्पिरिट (एम.एस)	6.35 रु. प्रति लीटर	5.35 रु. प्रति लीटर	04.06.2008
	अनब्राण्डेड हाई स्पीड डीजल (एचएसडी)	2.6 रु. प्रति लीटर	1.6 रु. प्रति लीटर	
2	शटल लेस प्रोजेक्टाइल लूम्स	14%	शून्य	29.04.2008
3	विद्युत चालित वाहन, जिनमें दो या तीन पहिये वाले विद्युत चालित वाहन भी शामिल हैं।	8%	शून्य	29.04.2008
4	शीर्ष संख्या 1905 के बेकर्स वेयर को तैयार करने के लिए डफ	14%	शून्य	28.05.2008
5	बूरा, मखाना, मिश्री, हर्दास और बतासा (पताशा)	71 रु. क्विंटल	शून्य	5.12.2008
6	गैर–पेट्रोलियम मदों पर उत्पाद शुल्क की मूल्यानुसार दर	सर्वसम्पत्ति से 4 प्रतिशत		7.12.2008
	सभी माल, जो लघु सीमेंट संयंत्र में विनिर्मित हों और पैक्ड फार्म में क्लीयर किए गए हों, जिनका खुदरा बिक्री मूल्य 190 रु. प्रति 50 किलो के बैग से अधिक न हो या जिनका प्रतिटन समतुल्य खुदरा बिक्री मूल्य 3800 रु. से अधिक न हो	220रु प्रति टन	145 रु. प्रति टन	7.12.2008
	सभी माल, जो लघु सीमेंट संयंत्र में विनिर्मित हों और पैक्ड फार्म में क्लीयर किए गए हों, जिनका खुदरा बिक्री मूल्य 190 रु. प्रति 50 किलो के बैग से अधिक न हो या जिनका प्रतिटन समतुल्य खुदरा बिक्री मूल्य 3800 रु. से अधिक न हो	370 रु. प्रति टन	250 रु. प्रति टन	
	सभी माल, जो लघु सीमेंट संयंत्र में विनिर्मित हों, जो पैकेज्ड फार्म में क्लीयर किए गए हों, उनसे भिन्न	250 रु. प्रति टन	170 रु. प्रति टन	
	सभी माल, जो लघु सीमेंट संयंत्र में विनिर्मित हो अथवा नहीं और जो उपर्युक्त में शामिल न किए गए हों और पैकेज्ड फार्म में क्लीयर किए गए हों जिनका खुदरा बिक्री मूल्य 190 रु. प्रति 50 किलो के बैग से अधिक न हो या जिनका प्रतिटन समतुल्य खुदरा बिक्री मूल्य 3800 रु. से अधिक न हो	350 रु. प्रति टन	230 रु. प्रति टन	
	सभी माल, जो लघु सीमेंट संयंत्र में विनिर्मित हों अथवा नहीं और उपर्युक्त में शामिल न किए गए हों और पैकेज्ड फार्म में क्लीयर किए गए हों, जिनका खुदरा बिक्री मूल्य 190 रु. प्रति 50 किलो के बैग से अधिक न हो या जिनका प्रतिटन समतुल्य खुदरा बिक्री मूल्य 3800 रु. से अधिक न हो	खुदरा बिक्री मूल्य का 12%	खुदरा बिक्री मूल्य का 8%	
	बहुतायत सीमेंट	14% या 400 रु. प्रति टन जो भी अधिक हो	10% या 290 रु. प्रति टन जो भी अधिक हो	
8	सीमेंट क्लिंकर्स	450 रु. प्रति मी. टन	300 प्रति मी. टन	24.12.2008

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा भंडार

175. डा. टोकचोम मैन्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार कितना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार भारी मात्रा में उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार का इष्टतम उपयोग कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) विदेशी मुद्रा भंडार जिसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (एफसीए), स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित ट्रांश स्थिति शामिल हैं, 30 जनवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार 248.6 बिलियन अमरीकी डालर था। इसमें विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का घटक 238.9 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का था।

(ख) से (घ) विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के अंतर्गत प्रतिलाभ की सुरक्षा, नकदी की स्थिति और उन्हें इष्टतम बनाने के मार्गदर्शी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का प्रतिभूतियों में निवेश करके तथा अन्य केन्द्रीय बैंकों, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि में जमा करके बहु-मुद्रा एवं बहु-परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में निवेश करता है।

[हिन्दी]

जीवन प्रत्याशा

176. श्री अनुराग सिंह ठाकुर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता के पश्चात् देश में जीवन प्रत्याशा दर में काफी बढ़ोत्तरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोगों की जीवन प्रत्याशा दर को और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) प्रचलित मृत्यु की परिस्थितियों के तहत "जन्म के समय जीवन प्रत्याशा" से एक व्यक्ति के प्रत्याशित जीवन के औसत वर्षों का पता चलता है। गृह मंत्रालय, भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद पुरुष और महिला की जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि हुई है और पिछले वर्षों में दिए गए अनुमानों का विवरण संलग्न है।

(ग) भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुणवत्ता स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता में सुधार लाने तथा उसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत समाज के गरीब और असुरक्षित वर्गों के लिए भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों, आन्तरिक और अन्तर समानिरूपता में सुधार करके जिला स्तर पर कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण प्रत्यापित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संवर्ग के सृजन और संसाधनों की प्रभावी उपयोगिता के माध्यम से उन्नत अस्पताल परिचर्या उपाय के माध्यम से सुगम, वहनीय, जवाबदेह, प्रभावी, विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सभी स्तरों पर जन स्वास्थ्य प्रदानगी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है।

विवरण

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्षों में)

क्रम संख्या	अवधि	पुरुष	महिला
1	1941–50	32.5	31.7
2	1951–60	41.9	40.6
3	1961–70	46.4	44.7
4	1970–75	50.5	49.0
5	1981–85	55.4	55.7
6	1990–94	59.4	60.4
7	2000–04	62.1	63.7
8	2001–05	62.3	63.9
9	2002–06	62.6	64.2

स्रोत:

i) क्रम संख्या 1–3, भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय।

ii) क्रम संख्या 4–9, नमूना पंजीकरण प्रणाली, भारत के महापंजीयक, गृह मंत्रालय।

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय दिवस

177. श्री ई. दयाकर राव : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेन्नई में हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस (पी.बी. डी.) कन्वेंशन, 2009 हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सातवां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन चेन्नई व्यापार केन्द्र में 7.1.2009 से 9.1.2009 तक तमिलनाडु सरकार की साझेदारी में आयोजित किया गया था। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) संस्थागत साझीदार था।

सम्मेलन का उद्घाटन 8.1.2009 को प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था। 9.1.2009 को राष्ट्रपति जी ने समापन समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति जी ने 13 अतिविशिष्ट भारतीय मूल के व्यक्तियों/अनिवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सुशोभित किया। सूरीनाम के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री रामदीन सरजोई मुख्य अतिथि थे।

उद्घाटन सत्र में प्रधान मंत्री घोषणा की कि प्रवासी भारतीय नागरिकता कार्ड धारक जो सुरक्षित व्यावसायिक–डाक्टर, दंतचिकित्सक, फार्मेसिस्ट, इंजीनियर, वास्तुकार और चार्टर्ड एकाउन्टेंट हैं उन्हें भारत में अपने व्यवसाय को चलाने में लाभ होगा। उन्होंने एक 'वास्तविक चिन्तन सागर' के रूप में कार्य करने और विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे विषयों पर नये विचारों को जुटाने के लिए 'वैश्विक ज्ञान नेटवर्क का शुभारंभ किया। उन्होंने उत्प्रवास संबंधी एक व्यापक ई–प्रशासन परियोजना भी शुरू की जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रवासी कामगार को एक 'स्मार्ट कार्ड' जारी करने का प्रस्ताव है जिसमें उसकी कार्य संविदा, उसके नियोक्ता, उसके बीमा आदि के बारे में विस्तृत आंकड़े निहित होंगे जो कठिन परिस्थितियों में उसकी सहायता करेंगे।

सम्मेलन का और ब्यौरा तथा चर्चा के विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

डायस्पोरा को जोड़ने की दिशा में बढ़ता कदम

7–9 जनवरी, 2009 : चेन्नई व्यापार केन्द्र, चेन्नई

सम्पूर्ण कार्यक्रम

मंगलवार 6 जनवरी, 2009

1000-1800 बजे (ली रॉयल मेरिडियन, चेन्नई) — प्रतिनिधियों का पंजीकरण

बुधवार, 7 जनवरी, 2009

1000-2300 बजे (ली रॉयल मेरिडियन, चेन्नई) — प्रतिनिधियों का पंजीकरण

1500 बजे (चेन्नई व्यापार केन्द्र) — **संसदीय कार्य और योजना राज्य मंत्री श्री वी. नारायणसामी के करकमलों द्वारा व्यापार और उद्योग प्रदर्शनी का शुभारम्भ**

1830 बजे (चेन्नई व्यापार केन्द्र) — **सांस्कृतिक कार्यक्रम**

1830-1850 बजे — **मोहिनीअट्टम** गोपिका वर्मा द्वारा

1900-2000 बजे — **'सर्वेशम भारत'** दक्षिण जोन सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा

2000 - 2130 बजे (चेन्नई व्यापार केन्द्र) — **स्वागत/रात्रि भोज श्री प्रणब मुखर्जी**, विदेश मंत्री, भारत सरकार द्वारा

गुरुवार, 8 जनवरी, 2009

0910-0949 बजे	**उद्घाटन सत्र (सम्मेलन केन्द्र)** **(आमंत्रिती और अतिथिगण 0830 बजे तक अपना स्थान ग्रहण करेंगे)**	
	दीप प्रज्जवलन	
	स्वागत भाषण	**के. मोहनदास** सचिव प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
	भाषण	**वायालार रवि** प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री, भारत सरकार
	भाषण	**डा. कालेइगनार एम करुणानिधि** मुख्यमंत्री तमिलनाडु की सरकार
	मुख्य अतिथि द्वारा भाषण	**महामहीम श्री रामदीन सरजोय** सूरीनाम के उपराष्ट्रपति
	स्वागत भाषण	**डा. मनमोहन सिंह** भारत के प्रधान मंत्री
	प्रधानमंत्री द्वारा डायस्पोरा ज्ञान नेटवर्क का शुभारम्भ और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के प्रकाशनों का विमोचन	
	धन्यवाद प्रस्ताव	**के वी कामथ** अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ
1000 - 1030 बजे	**चाय/काफी अन्तराल**	
1030-1230 बजे	**सम्पूर्ण सत्र 1 (सम्मेलन केन्द्र)** **एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भारत : डायस्पोरा के परिप्रेक्ष्य में**	
	सत्र अध्यक्ष द्वारा आरंभिक टिप्पणी	**शशी थरूर** अध्यक्ष, अफ्रास वेन्चर, संयुक्त राज्य अमेरिका
	मुख्य अतिथि द्वारा भाषण	**प्रणब मुखर्जी** विदेश मंत्री, भारत सरकार
	सम्मानित अतिथि द्वारा भाषण	**'डातो' सेरी एस्त सामी वेलू** अध्यक्ष, मलेशियन इंडियन कांग्रेस, मलेशिया
	मुख्य टिप्पणी भाषण	**सैम जी पित्रोदा** अध्यक्ष सी–सेम इंक. संयुक्त राज्य अमेरिका
सूचीबद्ध महानुभावों की लिखित टिप्पणियां	**प्रो. सुगाता बोस** गारडिनर प्रोफेसर ऑफ ओशनीक हिस्ट्र एंड डायरेक्टर आफ द साउथ एशिया इनिशिएटिव हारवर्ड यूनिवर्सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका	

सतपाल खट्टर
अध्यक्ष
खट्टर होल्डिंग, सिंगापुर

डा. लवी डब्ला
संसद सदस्य, कनाडा

आर एल लक्षीन्न
फाउन्डर एंड एक्सीक्यूटिव अध्यक्ष
नीदरलैंड – इंडिया चेम्बर ऑफ कामर्स, द नीदरलैंड

चर्चा

निष्कर्ष टिप्पणी

1230 -1400 बजे **लंच-डा. अश्विनी कुमार**, राज्य मंत्री, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

1400-1530 बजे **सम्पूर्ण सत्र - 2 (सम्मेलन केन्द्र)**
वर्तमान आर्थिक संकट पर प्रभाव : डास्पोरा की चिन्ताएं

सत्र अध्यक्ष द्वारा आरंभिक टिप्पणी	**तरुण दास** मुख्य परामर्शदाता–सीआईआई
वक्ता	**प्रो. के नारायनन नैय्यर** निदेशक सेन्टर फॉर डवेलपमेंट स्टडीज, केरल, भारत
वक्ता	**आर सीथारामन** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दोहा बैंक ग्रुप, कतर
मुख्य वक्ता	**प्रो. सी. के प्रहलाद्** प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन बिजनेस स्कूल, संयुक्त राज्य अमेरिका

चर्चा

निष्कर्ष टिप्पणी

1530 - 1615 बजे **चाय/कॉफी अन्तराल**

1615-1730 बजे **संवर्ती-सत्र - 1 (इंडियन बैंक हाल नं. 3) व्यापार और निवेश में सेतु निर्माण**

आरंभिक टिप्पणी	**वेनू श्रीनिवासन** उपाध्यक्ष, सीआईआई और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टीवीएस मोटर कम्पनी लिमिटेड

	मुख्य अतिथि द्वारा भाषण	**डा. अश्विनी कुमार** राज्य मंत्री, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
सूचीबद्ध महानुभावों की लिखित टिप्पणियां	**गोपीनाथ पिल्लै** एम्बेसडर–एट–लार्ज चेयरमेन, इंस्टीटयूट ऑफ साउथ एशियन, स्टडीज, सिंगापुर	
	हरी पाण्डेय प्रेसिडेंट, आईसीआईसीआई ग्रुप, नार्थ अमेरिका रीजन, कनाडा	
	डा. रवि पिल्लै मेनेजिंग डायरेक्टर नासर एस. अल–हाजरी कार्पो., मानामा, बहरीन	
	जयदेव गाला मेनेजिंग डायरेक्टर अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड, हैदराबाद भारत	
	चर्चा	
	निष्कर्ष टिप्पणी	
1615-1730 बजे	**संवर्ती सत्र - 2 (हाल नं. 5)**	
	सत्र अध्यक्ष द्वारा आरंभिक टिप्पणी	**के मोहनदास** सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
	मुख्य अतिथि द्वारा भाषण	**मणि शंकर अय्यर** पंचायती राज मंत्री डेवलपमेंट ऑफ नोर्थ ईस्ट रीजन, भारत सरकार
	विशेष अतिथि भाषण	**पी टी ऊषा** प्रेजिडेंट, ऊषा स्कूल ऑफ एथलीटस, केरल, भारत
	मुख्य टिप्पणी भाषण	**राजेन्द्र पॉल खन्ना** एकजीक्यूटिव चेयरमेन, रिन्कू ग्रुप, ब्रिटेन
		प्रोफेसर दयारव चेट्टी प्रो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वाजूलू–नाटल, दक्षिण अफ्रीका

सूचीबद्ध महानुभावों की लिखित सूची

इंद्र सिंह
प्रेजिडेंट, जीओपीआईओ, संयुक्त राज्य अमेरिका

कासी वी पी राव
कंसलटेंट, कनाडा

चर्चा

निष्कर्ष टिप्पणी

1615-1730 बजे

संवर्ती सत्र - 3 (हाल 1)
सेतु निर्माण : शिक्षा और डायस्पोरा ज्ञान नेटवर्क

सत्र अध्यक्ष द्वारा आरंभिक टिप्पणी — **रेनू खाटोर**
प्रेजिडेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ हाउसटन एंड चांसलर, यूएच सिस्टम, संयुक्त राज्य अमेरिका

मुख्य अतिथि द्वारा भाषण — **डी. पुरन्देश्वरी**
मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार

विशेष अतिथि द्वारा भाषण — **डातो डा. एस सुब्रामणियम**
मानव संसाधन मंत्री, मलेशिया

मुख्य टिप्पणी भाषण — **एस रामादोरई**
चीफ एक्जीक्यूटीव आफिसर, टाटा कंसलटेंसी सर्विस, भारत

सूचीबद्ध महानुभावों द्वारा लिखित टिप्पणियां

लार्ड दिलीजीत सिंह राणा, एमबीई
फाउन्डर एंड चेयरमेन
एंड्रास हाऊस लिमिटेड, ब्रिटेन

डा. रवि सीथापथी
चेयर
केनेडियन एडवाइजरी काउन्सिल, शास्त्री इंडो–केनेडियन इंस्टीटयूट
कनाडा

डा. राज वारियर
वाइस चांसलर
मनीपाल यूनिवर्सिटी, मनीपाल इंडिया

पी किशोर
मैनेजिंग डायरेक्टर
एवरोन सिस्टम इंडिया लिमिटेड

चर्चा

निष्कर्ष टिप्पणी

1615-1730 बजे

संवर्ती सत्र - 4 (हाल 4)
सेतु निर्माण : मीडिया और मनोरंजन

	सत्र अध्यक्ष द्वारा आरंभिक टिप्पणी	**एन. रवि** एडिटर, द हिन्दु
	मुख्य अतिथि द्वारा भाषण	**पी. रामासामी** उपमुख्य मंत्री, पेनाग्ग, मलेशिया
सूचीबद्ध महानुभावों द्वारा लिखित टिप्पणियां	**शान चन्दसेकर** प्रेसिडेन्ट एण्ड चीफ एक्जीक्यूटीव ऑफिसर **लोगानाथन नायडू** एक्जीक्यूटीव काउन्सेलर एण्ड डिप्टी मेयर ऑफ ई थेक्वीनी म्यूनीसिपालिटी (डरबन) साऊथ अफ्रीका **वैंकट रमन** कोरेपोन्डेन्ट–द नेशनल बिजनेस रिव्यू एडिटर, इण्डियन न्यूजलिंक, न्यूजीलैण्ड **प्रकाश एम. स्वामी** इण्डियन–अमेरिकन जर्नेलिस्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका **रणवीर नायर** मैनेजिंग डायरेक्टर, मीडिया इंडिया, पेरिस चर्चा निष्कर्ष टिप्पणी	
1615-1730 बजे	**संवर्ती सत्र - 5 (हाल नं. 6)** **डायस्पोरा महिलाओं के साथ अधिकाधिक चर्चा**	
	सत्र अध्यक्ष द्वारा आरंभिक टिप्पणी	**सुबुलक्ष्मी जगदीसन** सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
	मुख्य अतिथि द्वारा भाषण	**रेणुका चौधरी** महिला बाल विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार
सूचीबद्ध महानुभावों द्वारा लिखित टिप्पणियां	**मीरा रवि** एडिटर सतम बहरीन, बहरीन **जस्टीस मोहिनी मुलगेसन** जज, हाई कोर्ट ऑफ क्वाजुलू नेटाल, दक्षिण अफ्रीका **लीला पुजाधुर सत्यम** प्रेजिडेंट, आर्गेनाइजेशन फॉर डायस्पोरा इनीशिएटिव (ओडीआई), मारिशस **अनीता रत्नम** कल्चरल एक्टीविस्ट अरंघम ट्रस्ट, चेन्नई भारत चर्चा निष्कर्ष टिप्पणी	

1615-1730 बजे	**संवर्ती सत्र - 6 (हाल नं. 2)**	
	सभी के लिए स्वास्थ्य : डायस्पोरा की भूमिका	
	सत्र अध्यक्ष द्वारा आरंभिक टिप्पणी	**डा. प्रताप सी रेड्डी** चेयरमेन, अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, चेन्नई, भारत
	मुख्य अतिथि द्वारा भाषण	**डा. अंबुमणि रामदास** स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री, भारत सरकार
	मुख्य टिप्पणी भाषण	**डा. नरेश त्रेहान** चेयरमेन एंड मेनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल हेल्थ प्रा. लि., नई दिल्ली, भारत
सूचीबद्ध महानुभावों द्वारा लिखित टिप्पणियां	**डा. संकु एस राव** प्रेजिडेंट, एएपीआई	
	डा. रमेश मेहता प्रेजिडेंट, बीएपीआईओ, ब्रिटेन	
	डा. रजनी कानावार चेयरमेन, रीजेन्सी मेडिकल सेन्टर, तंजानिया	
	डा. जोर्जी अब्राहम प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, पाण्डिचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, पुडुचेरी, भारत	
	चर्चा	
	निष्कर्ष टिप्पणी	
1900-2000 बजे	सांस्कृतिक कार्यक्रम "कलई थामिज' पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग, तमिलनाडू सरकार के प्रबंध से	
2000-2130 बजे	रात्रि–भोज–डा. कालिंनार एम. करुणानिधि, मुख्यमंत्री तमिलनाडू	
शुक्रवार 9 जनवरी, 2009		
0930-11 00 बजे	**सम्पूर्ण सत्र - 3 (सम्मेलन केन्द्र)** **राज्यों के साथ डायस्पोरा की चर्चा**	
	सत्र अध्यक्ष द्वारा आरंभिक टिप्पणी	**डा. मोनटेक सिंह अहलूवालिया** डिप्टी चेयरमेन, योजना आयोग
	भाषण	**व्यालार रवि** केन्द्रीय प्रवासी भारतीय कार्य और संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार
	भाषण	**डा. वाई एस राजशेखरा रेड्डी** आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री

	भाषण	**नरेन्द्र मोदी** गुजरात के मुख्य मंत्री
	भाषण	**सुशील कुमार मोदी** उप मुख्य मंत्री, बिहार
	भाषण	**ले. जे. (सेवा निवृत) भूपिन्द्र सिंह** ले. गवर्नर, अण्डमान और निकोबार
	भाषण	**आर्कोट एन वीरास्वामी** बिजली मंत्री, तमिलनाडु
	भाषण	**रनदीप सुरजेवाला** विद्युत, जल सप्लाई और स्वच्छता तथा संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा
	भाषण	**इलामारम करीम** उद्योग मंत्री, केरल
	भाषण	**मनोरंजन कालिया** उद्योग और स्थानीय शासन मंत्री, पंजाब
	भाषण	**सुरेश शेट्टी** परिवहन राज्य मंत्री, महाराष्ट्र
	चर्चा	
	निष्कर्ष टिप्पणी	
1100-1130 बजे	**चाय/काफी अन्तराल**	
राज्यों के अलग-अलग सत्र		
राज्य सत्र 1 : बिहार - हाल नं. 4		
11.30–12.00 बजे	**सत्र अध्यक्ष द्वारा आरंभिक भाषण**	**सत्यजीत सिंह** काउन्सिल चेयरमेन, बिहार
	भाषण	**अशोक कुमार सिंह** प्रिंसिपल सचिव, उद्योग विभाग
	मुख्य अतिथि द्वारा भाषण	**सुशील कुमार मोदी** बिहार के माननीय उप मुख्य मंत्री
	फिल्म:	
	• बदला बिहार	
	• बिहार में खाद्य संसाधन के अवसर	
	प्रतिनिधियों के साथ खुली चर्चा/विचार विमर्श	
	निष्कर्ष/टिप्पणी	**अंशुली आचार्य** प्रबंध निदेशक, बीआईएपीडी

राज्य सत्र 2 : गुजरात - हाल 5

1130-1230 बजे	स्वागत भाषण	**बी बी स्वैन** सचिव (एनआरआई एंड एआरटीडी), गुजरात की सरकार
		गुजरात की फिल्म की प्रस्तुति
	भाषण	**जय नारायण व्यास** स्वास्थ्य और कल्याण के माननीय मंत्री, टूरिज्म एंड एनआरजी, गुजरात की सरकार
	भाषण	नरेन्द्र मोदी गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री

राज्य सत्र-3 : कर्नाटक हाल 7

1130-1230 बजे	स्वागत भाषण	**वी वेणूगोपाल** प्रबंध निदेशक, कर्नाटक उद्योग मित्रा
		डा. राज कुमार खत्री आयुक्त, औद्योगिक विकास एवं निदेशक, वाणिज्य एवं उद्योग, कर्नाटक सरकार
		के विश्वानाथ रेड्डी निदेशक, पर्यटन विभाग, कर्नाटक की सरकार
	भाषण	**कैप्ट. गणेश कार्निक** डिप्टी चेयरमेन एनआरआई फोरम
	भाषण	**मुरूगेश आर नीरानी** माननीय मंत्री वृहत एवं लघु उद्योग कर्नाटक सरकार
	चर्चा	
	निष्कर्ष टिप्पणी	

राज्य सत्र 4 : केरल - हाल 6

1130-1230 बजे	स्वागत भाषण	**शीला थोमस** मुख्य मंत्री और सचिव की सचिव एनओआरकेए विभाग, केरल सरकार
	भाषण	**युसुफाली एम ए** वाइस चेयरमेन, नोरका–रूटस
	भाषण	**डा. एम अनीरूधन** निदेशक, नोरका–रूट
		टी बालाकृष्णन प्रमुख सचिव–उद्योग केरल की सरकार

	भाषण	डा. रतन यू केलकर निदेशक, आईटी मिशन
	मुख्य अतिथि द्वारा भाषण	इलामाराम करीम माननीय मंत्री उद्योग, केरल सरकार
	चर्चा	
	निष्कर्ष टिप्पणी	मनोज जोशी प्रबंध निदेशक, केएसआईडीसी
राज्य सत्र - 5 : राजस्थान - हाल 3		
1130-1230 बजे	सत्र अध्यक्ष द्वारा स्वागत भाषण	टी भास्कर निदेशक, वित्त एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेंट गोबेन ग्लास इंडिया लि.
	सभापति	सुभाष चन्द्र गर्ग आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड राजस्थान फाउन्डेशन
सत्र - 6 : तमिलनाडु - सम्मेलन केन्द्र		
1130-1230 बजे	स्वागत भाषण	एम एफ फारूकी प्रमुख सचिव उद्योग तमिलनाडु सरकार
	तमिलनाडू पर लघु फिल्म	
		तमिलनाडु में निवेश के अवसर एम वेलमुरूगन, निदेशक, तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल गाइडेंस ब्यूरो
	एसाईजेड एंड न्यू इन्सेंटिवस ऑफ टीआईडीसीओ	एस रामासुन्दरम प्रबंध निदेशक, टीआईडीसीओ
	सूचना प्रौद्योगिकी के अवसर और आईटीईएस	डा. संतोष बाबू प्रबंध निदेशक इलैक्ट्रानिक कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि.
	पर्यटन में अवसर	डा. एन. राजाराम आयुक्त–पर्यटन निदेशालय, तमिलनाडु सरकार
	मुख्य टिप्पणी भाषण	आर्कोट एन. वीरसामी विद्युत मंत्री, तमिलनाडु सरकार
	चर्चा	
	निष्कर्ष टिप्पणी	
1230 -1330 बजे	सीआईआई द्वारा लंच	
1330-1500 बजे	संपूर्ण 4 (सम्मेलन केन्द्र)	
	सत्र अध्यक्ष द्वारा भाषण	के कोणीगोडी संसद सदस्य, राज्य सभा, भारत सरकार

	मुख्य सचिव द्वारा भाषण	**डा. पी. सी. एलेक्जेंडर** महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल
	सम्मानीय अतिथि द्वारा भाषण	**के शानमुगम** विधि मंत्री और गृह मंत्रालय के द्वितीय मंत्री, सिंगापुर सरकार
	मुख्य टिप्पणी भाषण	**एन राम** एडीटर–इन–चीफ द हिन्दू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन
सूचीबद्ध महानुभावों द्वारा लिखित टिप्पणियां	**प्रो. राजेश चन्द्रा** वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पेसिफिक, फीजी द्वीप	
	डा. टी पी नायडू अध्यक्ष, इंडियन एकेडमी ऑफ साउथ अफ्रीका जर्नेलिस्ट, पब्लिशर एंड पब्लिक रिलेशनस कंसलटेंट, साउथ अफ्रीका	
	डा. अलोक मुखर्जी चेयर, टोरेन्टो पोलिस सर्विस बोर्ड	
	डा. एम. के. गौतम वाइस चांसलर एण्ड प्रेसिडेंट यूरोपीयन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट एंड ईस्ट नीदरलैंड	
	शैरीन सरोजिनी पुदाली पुनसामी लेखक और इतिहासकार, दक्षिण अफ्रीका	
	चर्चा	
	निष्कर्ष	
1505-1620 बजे	**क्षेत्रीय सत्र**	
	क्षेत्रीय कार्य सत्र-1 : आफ्रीका	
1505-1620 बजे	सत्र अध्यक्ष द्वारा भाषण	**श्यामल गुप्ता** चेयरमैन, टाटा इंटरनेशनल लि., मुम्बई, भारत
	सम्मानीय अतिथि द्वारा भाषण	**अमीचन्द राजबंसी** मिनिस्टर ऑफ स्पोर्टस एंड रिक्रिएशन क्वाजुलू नेटाल प्रोविंस, साउथ अफ्रीका
सूचीबद्ध महानुभावों द्वारा लिखित भाषण	**भाइयेन्द्रा सतचानाह** अध्यक्ष, जीओपीआईओ, मॉरिशस	
	जीन रीगीस रामासमी अध्यक्ष ओडीआई–रीयूनियन आईलैंड	

जोस पारावंकन
चेयरमेन एंड मेनेजिंग डायरेक्टर,
मोजाम्बिक होल्डिंगस, मोजाम्बिक

जस्टिस एम एम इब्राहिम
सिनियर काउन्सिल एंड सेवानिवृत जज,
सुप्रीम कोर्ट, जिम्बावे

चर्चा

निष्कर्ष टिप्पणी

क्षेत्रीय कार्य सत्र - 2 : एशिया पेसिफिक

1505-1620 बजे	**सत्र अध्यक्ष द्वारा भाषण**	**एम कुमार** वाइस चांसलर, सनमान ग्रुप
	सम्मानीय अतिथि द्वारा भाषण	**महेन्द्र चौधरी** संसदीय लीडर, फीजी लेबर पार्टी
सूचीबद्ध महानुभावों द्वारा लिखित भाषण	**विजय आवंगर** चेयरमेन सिंगापुर इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, सिंगापुर	
	बरीवन रोबर्ट ड्रेक्स चेयरमेन, ऑस्ट्रेलिया–इंडिया बिजनेस काउन्सिल, आस्ट्रेलिया	
	दातुक डा. डेनिसन जयसूरी प्रिंसिपल रिसर्च फेलो इंस्टीटयूट फॉर एथनीक स्टडीज यूनिवर्सिटी केबेनगसान, मलेशिया	
	दातो सलीम जहमत निदेशक, इंडो–थाई बिजनेस एसोसिएशन, थाईलैंड	
	चर्चा	
	निष्कर्ष टिप्पणी	

क्षेत्रीय कार्य सत्र-3 - कनाडा

1505-1620 बजे	**सत्र अध्यक्ष द्वारा भाषण**	**वी श्रीनिवासन** चेयरमेन, डब्ल्यू एस इंडस्ट्री लि.
	मुख्य अतिथि द्वारा भाषण	**हरिन्द्र टक्कर** लघु व्यापार और उपभोक्ता सेवा मंत्री, ओनटेरियो सरकार, कनाडा

	सम्मानीय अतिथि द्वारा भाषण	**दीपक ओबराय** सचिव, विदेश मंत्रालय कनाडा
सूचीबद्ध महानुभावों द्वारा लिखित भाषण	**राजदूत के. के. भार्गवा** सदस्य इंडो–केनेडियन शास्त्री इंस्टीटयूट, कनाडा	
	जया सुब्रामनियम एक्सीक्यूटिव निदेशक लुम्बीनी आर्टस सोसायटी, ओटावा, कनाडा	
	आशा लुथरा अध्यक्ष, इंडो कनाडा चेम्बर ऑफ कामर्स, कनाडा	
	चर्चा	
	निष्कर्ष टिप्पणी	
	क्षेत्रीय कार्य सत्र - 4 : केरेबियन	
1505-1620 बजे	**सत्र अध्यक्ष द्वारा भाषण**	**अशोक रामसरन** सेक्रेटरी जनरल, जीओपीआईओ, संयुक्त राज्य अमेरिका
	मुख्य अतिथि द्वारा भाषण	**जी के वासन** सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री, भारत सरकार
सूचीबद्ध महानुभावों द्वारा लिखित भाषण	**एच ई के बेजनाथ** राजदूत, सूरीनाम गणराज्य	
	डा. प्रेम मिसीर प्रो. चांसलर, गुयाना यूनिवर्सिटी	
	डा फिलोमेना अन मोहिनी हेरिस होनरेरी कन्सूल फॉर इंडिया इन बारबादोस वेस्ट इंडीज	
	आनन्द रामलोगन बेरिस्टर त्रिनिदाद एंड टोबेगो	
	चर्चा	
	निष्कर्ष टिप्पणी	
	क्षेत्रीय कार्य सत्र-5 : यूरोप	
1505-1620 बजे	**सत्र अध्यक्ष द्वारा भाषण**	**चन्द्रजीत बनर्जी** महानिदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ

	सम्मानीय अतिथि द्वारा भाषण	**ब्रोनेरा शरीला पलेदर** शिक्षक एवं ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ब्रिटेन
सूचीबद्ध महानुभावों द्वारा लिखित भाषण	**प्रो. नारान्ना सिन्हल कोइसोरो** प्रोफेसर यूनिवर्सिडाड लॉसोफोना, लिसबन	
	वाहीद सालेह मेम्बर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस, यूरोप ऑफ इंडिया, चेम्बर ऑफ कामर्स, बोर्ड मेम्बर नीदरलैंडस फाउन्डेशन फॉर बिजनेस प्रोसेस इनोवेशन द नीदरलैंड	
	अरुण अमीरथम अध्यक्ष, इंडियन ऐसोसिएशन, स्वीटजरलैंड	
	किरन मल्होत्रा अध्यक्ष, इंडो–जर्मन बिजनेस फोरम, जर्मनी एंड एमडी, एलायंस लि. कोलोगने, जर्मनी	
	क्षेत्रीय कार्य सत्र-6 : खाड़ी	
1505-1620 बजे	**सत्र अध्यक्ष द्वारा भाषण**	**यूसुफाली एम ए** प्रबंध निदेशक, ईएमकेई, ग्रुप, संयुक्त अरब अमीरात
	मुख्य अतिथि द्वारा भाषण	**व्यालार रवि** प्रवासी भारतीय कार्य और संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार
	सम्मानीय अतिथि द्वारा भाषण	**ई अहमद** विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार
	सम्मानीय अतिथि द्वारा भाषण	**मोहम्मद शब्बर अली** अल्पसंख्यक, ऊर्जा और अनिवासी भारतीय मामलों के मंत्री, आंध्र प्रदेश सरकार
	सम्मानीय अतिथि द्वारा भाषण	**इलाम्बारान करीम** उद्योग मंत्री, केरल सरकार
सूचीबद्ध महानुभावों द्वारा लिखित भाषण	**सोमन बेबी** एसोसिएट एडीटर गल्फ डेली न्यूज, बहरीन	
	मम्मुन्नी (सन्नी) मेम्मू अध्यक्ष, इंडियन आर्ट सर्कल, कुवैत	
	एस के बिरम्मानी प्रबंध निदेशक, बाहवान इंजीनियरिंग ग्रुप, ओमान	
	अब्दुंपु शीहाबुद्दीन प्रवाजी रीहेबिलिटेशन सेन्टर, सऊदी अरब	
	चर्चा	
	निष्कर्ष टिप्पणी	

क्षेत्रीय कार्य सत्र-7 : संयुक्त राज्य अमेरिका

1505-1620 बजे

सत्र अध्यक्ष द्वारा भाषण — **टी पी श्रीनिवासन**
पूर्व राजदूत, भारत

मुख्य अतिथि द्वारा भाषण — **ए राजा**
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री,
भारत सरकार

सूचीबद्ध महानुभावों द्वारा लिखित भाषण

थॉमस अब्राहम
चेयरमेन,
जीओपीआईओ इंटरनेशनल, संयुक्त राज्य अमेरिका

अशियन पटेल
चेयरमेन, एशियन अमेरिकन होटल ओनर एसोसिएशन

चर्चा

निष्कर्ष टिप्पणी

1700-1800 बजे

समापन सत्र (सम्मेलन केन्द्र)
(आमंत्रित और अतिथिगण 16.30 बजे तक अपना स्थान ले लें)

राष्ट्रीय गान

स्वागत भाषण — **के मोहनदास**
सचिव
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय,
भारत सरकार

भाषण — **व्यालार रवि**
केन्द्रीय प्रवासी भारतीय कार्य एवं संसदीय
कार्य मंत्री, भारत सरकार

भाषण — **सुरजीत सिंह बरनाला**
राज्यपाल, तमिलनाडु

महामहिम भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों का वितरण

अनुमोदन भाषण — **महामहिम श्री अंगिदी वीराह चेतियार**
उपराष्ट्रपति, मॉरिशस

समापन भाषण — **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल**
राष्ट्रपति, भारत

धन्यवाद प्रस्ताव — **के एस श्रीपति**
मुख्य सचिव
तमिलनाडु सरकार

राष्ट्रीय गान

1900-2000 बजे — कलेडियोस्कोप द्वारा 'कहन, द वारियर सन ऑफ द सन' का मंचन

2000-2130 बजे — रात्रिभोज, श्री व्यालार रवि, केन्द्रीय प्रवासी भारतीय कार्य और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा

जेसोर रोड का चौड़ा किया जाना

178. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बांग्लादेश से जोड़ने वाली मुख्य सड़क जेसोर रोड को चौड़ा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस परियोजना को अनुमानतः किस समय–सीमा के भीतर पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) बारासात से बानगांव तक जैसोर रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग 35) को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (पथकर) आधार पर चार लेन का बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय विकास परियोजना चरण–III के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्रस्तावित परियोजना बारासात और पेट्रापोल सीमा के बीच विद्यमान संरेखण के उत्तरी ओर एक नए संरेखण पर बनाए जाने की योजना है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू किया गया है परंतु स्थानीय विरोध के कारण इसमें बाधा पहुंची है। ऐसी स्थिति में चौड़ीकरण के काम को पूरा करने की संभावित तारीख अभी बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा से विद्युत

179. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंतरिक और बाह्य स्रोतों से कितनी मात्रा में परमाणु ईंधन की खरीद की जा रही है और इस पर कितनी लागत आ रही है; और

(ख) परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु भावी कार्य योजना और कार्यान्वयन कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) स्वदेशी रिएक्टरों के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन की आपूर्ति परमाणु ऊर्जा विभाग के सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम (पीएसयू) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से किया जाना जारी है। इसके अलावा, सुरक्षोपायों के अधीन रखे जाने वाले रिएक्टरों में उपयोग के लिए 'अरेवा', फ्रांस से 300 टन प्राकृतिक यूरेनियम और एक रूसी उद्यम जेवीसी–टीवीईएल से 2000 टन प्राकृतिक यूरेनियम, जिसकी सुपुर्दगी कई वर्षों तक की जाएगी, प्राप्त किया जा रहा है। तारापुर स्थित रिएक्टरों (2x160 मेगावाट–ई वाले टीएपीएस–1 और 2) हेतु 60 टन कम समृद्ध यूरेनियम के लिए भी जेवीसी–टीवीईएल को क्रयादेश दिए गए हैं। इस समय निर्माणाधीन कुडलकुलम (2x1000 मेगावाट–ई वाले केके–1 और 2) के लिए ईंधन की आपूर्ति जेवीसी–टीवीईएल द्वारा की जा रही है।

(ख) ग्यारहवीं योजना के प्रस्तावों में 700 मेगावाट–ई की क्षमता वाले 8 स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों और 1000 मेगावाट–ई क्षमता वाले 10 साधारण पानी रिएटरों, 300 मेगावाट–ई की क्षमता के एक प्रगत भारी पानी रिएक्टर पर कार्य और 500 मेगावाट–ई की क्षमता वाले दो फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों हेतु परियोजना–पूर्व के कार्य शुरू करने की परिकल्पना की गई है। ग्यारहवीं योजना से आगे और भी रिएक्टरों पर काम शुरू करने की योजना है।

[अनुवाद]

सी.जी.एच.एस. औषधालयों में उपचार

180. श्री नरहरि महतो : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के सभी सी.जी.एच.एस. औषधालयों में होम्योपैथी और आयुर्वेदिक उपचार शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन औषधालयों में इन सुविधाओं को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों में नकदी

181. श्री सूरज सिंह :

श्री अनंत कुमार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक और गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियां नकदी की समस्या से जूझ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सितम्बर 2008 से बैंकिंग प्रणाली में कितना धन डाला गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण हेतु विश्व बैंक से तीन बिलियन डालर का ऋण लेने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) में नकदी को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त उपाय किए गए हैं; और

(च) इन उपायों के परिणामस्वरूप व्यक्तियों, लघु उद्योगों (एस. एस.आई.) तथा माइक्रो लघु और मध्यम उद्यमों को कितनी धनराशि का ऋण/अग्रिम दिया गया है/दिया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क), (ख) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने, घरेलू वित्तीय बाजारों पर बढ़ते वैश्विक वित्तीय संकट के मंदी के प्रभाव स्वरूप अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में सतत एवं पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करने के लिए सितम्बर, 2008 के मध्य से कई उपाय किए हैं। भारत सरकार ने भी 7.12.2008 तथा 2.1.2008 को दो प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है। सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर), सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर), रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, आदि में वृद्धिशील कटौती करके घरेलू चलनिधि में वृद्धि करना, बैंकों को म्युचुअल फंड तथा गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी), आदि की चलनिधि अपेक्षाओं को पूरा करने में समर्थ बनाने हेतु एसएलआर प्रतिभूतियों के बदले 9% वार्षिक पर एक विशेष स्थायी दर रेपो का संचालन;

(ii) एफसीएनआर (बी) एवं एनआर (ई) आरए जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा में ऊपरी आशोधन करके विदेशी मुद्रा चलनिधि में वृद्धि करना, बैंकों को अपनी विदेशी शाखाओं एवं सम्पर्की बैंकों से निधियां उधार लेने की अनुमति देना, सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष बाजार परिचालन, सर्वांगी महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एसआई–एनडी–एनबीएफसी) को अल्पावधि विदेशी मुद्रा उधार राशियां जुटाने के लिए अनुमति प्रदान करना, आदि;

(iii) दिनांक 2.1.2009 को सरकार ने एक और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ, अर्थव्यवस्था के लिए अतिरिक्त उपायों जैसे (क) सर्वांगी महत्वपूर्ण जमा स्वीकार नहीं करने वाली गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों को निवेश श्रेणी के दस्तावेज पर नकदी प्रदान करने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) की स्थापना करना। भारतीय रिजर्व बैंक से कुल सहायता और 5,000 करोड़ रुपए बढ़ाने के विकल्प के साथ 20,000 करोड़ रुपए तक सीमित होगी। (ख) अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों का ऋण लक्ष्य में उत्तरोत्तर सुधार करना।

सितम्बर, 2008 के मध्य से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों से 3,88,000 करोड़ रुपए से अधिक वास्तविक/संभावित नकदी की वृद्धि हुई। इसके अलावा, एसएलआर में एनडीटीएल के 1.0 प्रतिशत की स्थायी कमी से ऋण विस्तार के उद्देश्य से 40,000 करोड़ रुपए जैसी नकदी निधि की उपलब्धता हुई।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विस्तृत अधिसूचना/प्रेस विज्ञप्ति उनकी वेबसाइट www.pib.nic.in और www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

(ग) और (घ) जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात विनियामक के साथ स्वस्थ और सहज स्तर बनाए रखते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार ने विश्व बैंक की सहायता के माध्यम से इन बैंकों को पूंजी निधि का प्रस्ताव किया है। पीएसबी को उपलब्ध करवाई जाने वाली पूंजी की सही राशि का अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) पीएसबी का कुल सकल अग्रिम दिसम्बर, 2007 के अंत में 15,30,181 करोड़ रुपए से बढ़कर दिसम्बर, 2008 के अंत में 19,60,769 करोड़ रुपए हो गया है, जो 28.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

ऋणों के लिए निबंधन और शर्तें

182. श्री सुभाष महरिया :
श्री भरतसिंह माधवसिंह सोलंकी :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों ने विभिन्न क्षेत्रों यथा लघु उद्योग, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि हेतु ऋण मुहैया कराने के लिए कठोर निबंधन और शर्तें रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में शिक्षा ऋणों से राजस्थान सहित राज्यवार/बैंकवार कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, जिसमें पशुपालन सहित कृषि एवं संबद्ध कार्य–कलाप, कमजोर वर्ग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), शिक्षा इत्यादि को ऋण शामिल है, को ऋण देने के लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुख्य दिशा–निर्देशों का पालन आवश्यक है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा सूचित मार्च 2005, 2006 और 2007 (नवीनतम उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए शिक्षा ऋण में बकाए खातों की कुल राजस्थान सहित राज्यवार संख्या, संलग्न विवरण में दी गई है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए तदनुरुपी बैंक–वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

मार्च, 2005, 2006 और 2007 के अंत की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा ऋण में बकाए खातों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम		बकाया खातों की संख्या		
		2005	2006	2007
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र		45227	59613	84183
1	हरियाणा	7250	10115	13334
2	हिमाचल प्रदेश	1735	2331	3673
3	जम्मू और कश्मीर	1370	1992	3101
4	पंजाब	9105	12289	16870
5	राजस्थान	9933	14137	20524
6	चंडीगढ़	2113	2965	7800
7	दिल्ली	13721	15840	21881
पूर्वोत्तर क्षेत्र		2116	3481	6110
8	असम	1319	2421	4186
9	मणिपुर	124	225	472
10	मेघालय	240	270	438
11	नागालैंड	27	24	129
12	त्रिपुरा	189	406	462
13	अरुणाचल प्रदेश	25	25	71
14	मिजोरम	38	33	123
15	सिक्किम	154	77	229
पूर्वी क्षेत्र		36275	47599	103319
16	बिहार	6240	7482	29235
17	झारखंड	5187	6696	13449
18	उड़ीसा	9762	12700	25325
19	पश्चिम बंगाल	15008	20624	35152
20	अंडमान और निकोबार द्वीप	78	97	158
मध्य क्षेत्र		53180	66510	104604
21	मध्य प्रदेश	21053	25303	38861
22	छत्तीसगढ़	2846	3551	6109
23	उत्तर प्रदेश	25456	32682	50755
24	उत्तरांचल	3825	7974	8879
पश्चिमी क्षेत्र		58751	75241	105172
25	गुजरात	16248	17689	26700
26	महाराष्ट्र	41181	55834	45927
27	दमन और दीव	8	12	44
28	गोवा	1305	1664	2443
29	दादरा और नगर हवेली	9	42	58
दक्षिणी क्षेत्र		293896	412886	622827

1	2	3	4	5
30	आन्ध्र प्रदेश	88014	105636	149257
31	कर्नाटक	46273	64964	87229
32	केरल	68583	106944	156061
33	तमिलनाडु	88707	132426	225337
34	पांडिचेरी	2318	2912	4937
35	लक्षद्वीप	1	4	6
	अखिल भारत	489445	685330	1026215

[अनुवाद]

विदेशी ऋण की सीमा

183. श्री पी. कलन्नाकरन : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कंपनियों हेतु विदेशी ऋण की वर्तमान सीमा कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में विदेशी ऋण की सीमा को बढ़ाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमत अंतिम उपयोगों के लिए होटल, अस्पताल और साफ्टवेयर क्षेत्रों से संबंधित कंपनियों के अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित भारतीय कंपनियों के लिए वर्तमान विदेशी उधार की सीमा रुपये में व्यय और/या विदेशी मुद्रा में व्यय के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 500 मिलियन अमरीकी डालर है। ऐसी कंपनियां कतिपय शर्तों के अधीन अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 250 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त राशि के विदेशी वाणिज्यिक उधार भी प्राप्त कर सकती हैं, जिनकी औसत परिपक्वता अवधि 10 वर्ष होगी।

(ख) और (ग) सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विदेशी उधारों के लिए समग्र सीमा सहित विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति की उभरती हुई वृहत आर्थिक स्थिति, बदलती हुई बाजार की परिस्थितियों, क्षेत्रक आवश्यकताओं, विदेशी क्षेत्र घटनाक्रमों और अनुभव की सीखों को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से पुनरीक्षा करती है। ऐसी पुनरीक्षा के परिणामस्वरूप सरकार ने जनवरी, 2009 में ईसीबी नीति में कुछ संशोधन घोषित किए हैं लेकिन विदेशी उधारों की सीमा में ऐसी कोई वृद्धि नहीं की गई है।

रेडियोलॉजिस्ट की कमी

184. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेडियोलॉजिस्ट्स की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) वर्तमान स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न चिकित्सा कालेजों में विकिरण विज्ञानियों की वार्षिक नामांकन क्षमता 302 है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें पर्याप्त प्रशिक्षण और अवसंरचना सुविधाओं आदि की आवश्यकता और उपलब्धता के आधार पर विभिन्न स्नातकोत्तर/सुपर स्पेशियलिटी पाठयक्रमों को शुरू करने के लिए चिकित्सा कालेजों/संस्थानों को अनिवार्यता प्रमाण–पत्र जारी करती रही हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अनुसंशाओं के आधार पर केन्द्रीय सरकार स्नातकोत्तर डिग्री/सुपर स्पेशियलिटी पाठयक्रमों को शुरु करने के लिए चिकित्सा कालेजों/संस्थानों को अनुमति प्रदान कर रही है।

सत्यम घोटाला

185. डा. के. धनराजू :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सत्यम घोटाले पर कोई जांच बिठायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) सरकार को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में कुल कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय तथा राज्य आसूचना निदेशालय ने भी इस मामले की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में आगे क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी नहीं।

(ख) विभिन्न अभिकरण, जिनमें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, आंध्र प्रदेश राज्य सीआईडी आदि शामिल हैं, संबद्ध अभिकरणों द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों, नियमों और विनियमों के संभावित उल्लंघन की जांच कर रहे हैं। सेबी विशेष रुप से सेबी अधिनियम, 1992 सेबी (धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार पद्धतियों का निषेध), विनियम, 2003 और सेबी (भीतरी कारोबार का निषेध) विनियम, 1992 के संभावित उल्लंघनों की जांच कर रहा है। सेबी ने लेखापरीक्षकों के पास उपलब्ध दस्तावेजों के निरीक्षण का आदेश भी दिया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की बहियों, रिकार्डों और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सेबी ने दोनों राजू भाईयों (प्रवर्तकों) के विवरणों की जांच और रिकार्डिंग पूरी कर ली है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जांच के निष्कर्ष जांच के पूरा होने के बाद ही सामने आएंगे।

पुरानी बीमारियों का खतरा

186. श्रीमती जयाप्रदा :
श्री उदय सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में असाध्य रोगों से ग्रस्त लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे असाध्य रोगों से ग्रस्त मरीजों के उपचार हेतु वर्तमान स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सम्पूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, हां। रिपोर्टें दर्शाती हैं कि देश में असाध्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। देश में गैर-संचारी रोगों की घटनाओं का कोई बुनियादी आंटा नहीं रखा जाता है।

तथापि, रोगों पर ग्लोबल बर्डन पर विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन दर्शाता है कि गैर-संचारी रोगों के कारण होने वाली मौतें वर्ष 1990 के दौरान 37,88,000 (कुल मौतों का 40%) से बढ़ कर वर्ष 2000 में 49,50,000 (51.2%) हो गई हैं।

(ग) से (ङ) देशभर में जनता हेतु विभिन्न रोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों, राज्य चिकित्सा कालेजों और राष्ट्रीय स्तरीय संस्थानों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवेस्कुलर रोग एवं स्ट्रोक कार्यक्रम के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत समय समय पर इन सुविधाओं की पुनरीक्षा की जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवेस्कुलर रोग एवं स्ट्रोक कार्यक्रम के लिए 1650.50 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है। प्रायोगिक आधार पर, राष्ट्रीय मधुमेह, कार्डियोवेस्कुलर रोगों एवं स्ट्रोक कार्यक्रम को 10 राज्यों के 10 जिलों में आरंभ किया गया है।

मुम्बई आतंकी हमलों के बारे में सूचना

187. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने मुम्बई में हुए आतंकी हमलों के संबंध में और अधिक सूचना मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे भारत के "मोस्ट वांटेड" व्यक्तियों को उसे सौंपने हेतु पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। हमने 5 जनवरी, 2009 को पाकिस्तान स्थित अपराधी तत्वों को मुम्बई आतंकवादी हमले से जोड़ने वाली सामग्री का डोजियर उपलब्ध कराया था, जिसके जवाब के बारे में पाकिस्तान के विदेश सचिव ने 12 फरवरी, 2009 को सरकारी तौर पर पाकिस्तान स्थित हमारे उच्चायुक्त को सूचित किया था। पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने अपनी सरकारी प्रतिक्रिया में यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान स्थित ये तत्व मुम्बई आतंकवादी हमले में शामिल थे। यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है। पाकिस्तान ने जांच से संबंधित और सामग्री एवं सूचना भी मांगी है।

(ग) और (घ) अगस्त, 2004 से भारत में आतंकवादी कृत्यों के संबंध में वांछित तथा पाकिस्तान में मौजूद व्यक्तियों की सूची 10 बार पाकिस्तान सरकार को सौंपी जा चुकी है।

(ङ) विगत में जब भी पाकिस्तान सरकार के साथ ऐसे भगोड़ों के प्रत्यर्पण का प्रश्न उठाया गया है, तो पाकिस्तान ने हमें यह सूचना दी थी कि पाकिस्तान सरकार को उनके ठिकाने मालूम नहीं हैं।

डी.ए.वी.पी. के पैनल में मीडिया यूनिटें

188. श्री अबु असीस मंडल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष तक विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) के पैनल में कुल कितने समाचार–पत्रों और श्रव्य–दृश्य मीडिया यूनिटों को शामिल किया गया है;

(ख) वर्ष 2009–2010 के दौरान डी.ए.वी.पी. के पैनल पर कितने प्रिंट और श्रव्य–दृश्य मीडिया यूनिटों को शामिल किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर तथा सीमा क्षेत्रों के समाचार–पत्रों ने वर्ष 2008 के पैनल में नए सिरे से शामिल किए जाने हेतु आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान दिनांक 11.02.2009 तक विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) के पैनल में शामिल किए गए समाचार–पत्रों और श्रव्य–दृश्य माध्यम इकाइयों की संख्या निम्नानुसार है:–

(i) प्रिंट मीडिया (समाचार पत्र) : 4179

(ii) श्रव्य–दृश्य माध्यम (दूरदर्शन और आकाशवाणी को छोड़कर):

टी.वी. चैनल 167

रेडियो चैनल 33

(ख) वर्ष 2009–10 के दौरान डी.ए.वी.पी. के पैनल में शामिल किए जाने के लिए संभावित प्रिंट एवं श्रव्य–दृश्य माध्यमों की संख्या पैनल में शामिल किए जाने के लिए आवेदन करने वाले/अर्हता प्राप्त समाचार–पत्र/श्रव्य–दृश्य माध्यमों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रिंट मीडिया को पैनल में शामिल करने का कार्य पैनल सलाहकार समिति द्वारा वर्ष में दो बार अर्थात मई एवं नवंबर में किया जाता है। श्रव्य–दृश्य चैनलों को पैनल में शामिल करने संबंधी आवेदन प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्तूबर में आमंत्रित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दिनांक 01.01.2008 से 31.12.2008 के दौरान डी.ए.वी.पी. के नए पैनल में शामिल करने के लिए आवेदन करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर और सीमावर्ती क्षेत्रों में समाचार–पत्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	डी.ए.वी.पी. के पैनल में शामिल करने हेतु आवेदित मामलों की संख्या	अनुमोदित मामलों की संख्या
1	जम्मू और कश्मीर	61	18
2	असम	32	8
3	सिक्किम	7	0
4	मेघालय	1	1
5	अरुणाचल प्रदेश	1	1
6	मिजोरम	1	1
7	त्रिपुरा	3	0
8	नागालैंड	3	2
9	मणिपुर	6	3

अमरीका के साथ संबंधों की समीक्षा

189. श्री असादुद्दीन ओवेसी :
श्री मोहन सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की नई सरकार ने भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों में अभिरुचि दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारतीय विदेश नीति के किस हद तक प्रभावित होने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रपति बराक ओबामा, जिन्होंने 20 जनवरी, 2009 को अपना कार्यभार ग्रहण किया था, के नेतृत्व में नए अमेरिकी प्रशासन ने भारत अमरीकी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में काफी अभिरुचि दर्शायी है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर 25 जनवरी, 2009 को भारत के राष्ट्रपति के नाम संदेश में मानव प्रयासों के प्रत्येक क्षेत्र में भारत एवं अमरीका के मध्य व्यापक व उत्साहजनक साझेदारी एवं साझा दृष्टिकोण की सराहना की थी तथा यह कहा था कि "भारत के लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि उनका कोई भी मित्र व सहभागी अमरीकी जनता से बढ़कर नहीं है।" अमरीकी विदेश मंत्री ने अपना कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात विदेश नीति संबंधी अपने प्रथम वक्तव्य में भारत के साथ वर्तमान आर्थिक एवं राजनैतिक साझेदारी का विकास करने तथा वर्तमान द्विपक्षीय संबंधों को नए स्तर तक ले जाने के लिए नए अमरीकी प्रशासन की इच्छा व्यक्त की थी।

(ग) भारत की विदेश नीति एकमात्र अपने राष्ट्रहितों से निर्देशित होती है।

अफगानिस्तान के साथ लघु विकास परियोजनाओं के संबंध में समझौता ज्ञापन

190. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अफगानिस्तान ने लघु विकास परियोजनाओं के संबंध में किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां। भारत सरकार ने 28 अगस्त 2005 को अफगानिस्तान सरकार के साथ लघु विकास परियोजनाओं (एसडीपीज) के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

(ख) लघु विकास परियोजनाएं अल्पकालिक होती हैं और उनका प्रभाव सीधे सामुदायिक जीवन पर होता है। सूचना और प्रौद्योगिकी अंतरण के अलावा इस योजना में सबसे निचले स्तर पर भागीदारी होगी और स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, धर्मार्थ न्यासों तथा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं की संलिप्तता से इनमें समुदाय का स्वामित्व होगा। ये परियोजनाएं मुख्यतः स्वास्थ्य देख-भाल, शिक्षा, बागवानी, जल और साफ-सफाई के क्षेत्रों की हैं। इन परियोजनाओं को संबंधित स्थानीय निकायों के परामर्श से अफगानिस्तान सरकार द्वारा चिह्नित किया गया है।

(ग) अभी तक इस योजना के अंतर्गत 65 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर बाईपास सड़कों और रेल ऊपरि पुलों की स्थिति

191. श्री संतोष गंगवार : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और लखनऊ के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर किन-किन स्थानों पर बाईपास सड़कों और रेल ऊपरि पुलों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है अथवा वे निर्माणाधीन हैं; और

(ख) प्रस्तावित निर्माणों के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 पर दिल्ली और लखनऊ के बीच निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित अथवा निर्माणाधीन बाइपास सड़कों और रेल ऊपरि पुलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 पर दिल्ली और लखनऊ के बीच निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित बाइपास सड़कों का ब्यौरा

राज्य सं.	स्थिति कि.मी.	कस्बा	वर्तमान स्थिति	पूरा करने की नियत तारीख
1	2	3	4	5
24	149.168	मुरादाबाद	पहले ही पूरा हो चुका है	जून, 2002
	181.550–190.890	रामपुर	इन बाइपासों का	चूंकि ये बाइपास अभी प्रारंभिक स्तर
	206.525–21.900	मिलक	प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर	पर हैं। इन परियोजनाओं के पूरा
	215.000–217.250	मीरगंज	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	होने की संभावित तारीख बता पाना
	230.345–232.785	फतेहगंज	में किया गया है। सार्वजनिक	अभी संभव नहीं है।

1	2	3	4	5
	236.050–262.100	बरेली	निजी भागीदारी मूल्यांकन	
	268.400–272.300	रऊजा	समिति से इन परियोजनाओं को	
	331.000–334.600	जंग बहादुरगंज	अनुमोदन मिलने के पश्चात्	
	354.850–357.200	मैगलगंज कस्बा	इनका निर्माण किया जा	
	372.300–376.400	महोली	सकता है।	
	386.300–391.000			

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 पर दिल्ली और लखनऊ के बीच निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित अथवा निर्माणाधीन रेल ऊपरि पुलों का ब्यौरा

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति कि.मी.	रेलवे क्रासिंग सं.	वर्तमान स्थिति	पूरा करने की नियत तारीख
24	181	404बी (रामपुर)		
	159.75	मुरादाबाद बाइपास – चंदौसी लाइन	इन आरओबी का प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में किया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति से इन परियोजनाओं को अनुमोदन मिलने के पश्चात् इनका निर्माण किया जा सकता है।	चूंकि ये आरओबी अभी प्रारंभिक स्तर पर हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है।
	165.700	मुरादाबाद बाइपास – मुरादाबाद रामपुर मुख्य लाइन		
	180.300	मुख्य लाइन – रामपुर		
	190.135	मुख्य लाइन – लखनऊ		
	217.955	मुख्य लाइन – लखनऊ		
	235.255	मुख्य लाइन – लखनऊ		
	245.100	मुख्य लाइन – लखनऊ		
	289.750	फतेहगंज पूर्वी		
	399.350	अमीरपुर		
	332.050	रऊजा		
	407.600	सीतापुर		

अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव

192. श्री मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तेरह महीनों के दौरान मुद्रास्फीति की दर माह–वार कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान मुद्रास्फीति की बढ़ती दर ने देश की वार्षिक आर्थिक वृद्धि–दर को कितना प्रभावित किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) पिछले तेरह महीनों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में माह–वार मुद्रास्फीति तथा उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक दर नीचे दी गई है:

सारणी 1: माह–वार मुद्रास्फीति दर

माह/वर्ष	मुद्रास्फीति दर (%)
1	2
जनवरी, 2008	4.5
फरवरी, 2008	5.3
मार्च, 2008	7.5
अप्रैल, 2008	8.0
मई, 2008	8.9
जून, 2008	11.8

1	2
जुलाई, 2008	12.4
अगस्त, 2008	12.8
सितंबर, 2008	12.3
अक्तूबर, 2008	11.1
नवंबर, 2008	8.5
दिसंबर, 2008 (अ.)	6.5
जनवरी, 2009 (अ.)	5.2

अ : अनंतिम

सारणी 2: सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दरें

वर्ष	उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (%)	
	वर्तमान मूल्य	स्थिर मूल्य
2007–08 (त्व.अ.)	14.3	9.0
2008–09 (अ.अ.)	15.5	7.1

कच्चे तेल, लौह अयस्क, धातुओं और कुछ खाद्य वस्तुओं की वैश्विक कीमतों में हुई बढ़ोत्तरी तथा उपलब्धता की अपेक्षा घरेलू मांग अधिक होने के परिणामस्वरूप वर्ष, 2008 में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। तथापि, सरकार उच्च आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के साथ–साथ मुद्रास्फीति को काबू में रखने को प्राथमिकता देती है। सरकार की मुद्रास्फीति–रोधी नीतियों में कठोर राजकोषीय अनुशासन अपनाना, आवश्यक वस्तुओं के शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना, उदार टैरिफ एवं व्यापार नीतियों के जरिए आवश्यक वस्तुओं का कारगर आपूर्ति–मांग प्रबंधन करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाना शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय माहौल में व्याप्त अनिश्चितताओं से उभरी स्फीतिकारी संभावनाओं पर काबू पाने के साथ–साथ विकास में सहायक होते हुए सरकार के प्रयासों की अनुपूर्ति करती है। हालांकि, 2008–09 में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक दर में आई गिरावट 2008 के उत्तरार्ध में आई वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभाव के कारण अधिक रही है। हाल ही के महीनों के दौरान मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण गिरावट आई जब यह अगस्त, 2008 के अपने 12.8 प्रतिशत के शिखर से गिरकर जनवरी, 2009 में 5.2 प्रतिशत पर आ गई। गिरावट की यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रहने की संभावना है। सरकार ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सामान्य एवं क्षेत्र–विशिष्ट प्रोत्साहन पैकेज के माध्यम से प्रत्युपाय किए हैं।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा रिहा किए गए भारतीय मछुआरे

193. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा कुछ भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तान की जेलों में अभी तक कितने मछुआरे बंद हैं तथा पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा कितनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त किया गया है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) 26 नवंबर, 2008 को पाकिस्तान ने 99 भारतीय मछुआरों को रिहा किया।

(ग) 10 फरवरी, 2009 की स्थिति के अनुसार पाकिस्तानी प्राधिकारियों की अभिरक्षा में 407 भारतीय मछुआरे और 392 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाएं थीं।

बाघों की मौत

194. श्रीमती मेनका गांधी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकारियों द्वारा बाघों को विद्युत प्रवाहित तारों का प्रयोग करके मारा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस जांच के क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश के कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र में दिनांक 2.11.2008 को अवैध शिकारियों द्वारा बिजली के करेन्ट से एक बाघ के मारे जाने के बारे में राज्य सरकार ने सूचना दी है। दी गई सूचना के अनुसार इस संबंध में 10 अपराधियों को कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किया गया है।

(ङ) बाघों और अन्य जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बाघों और अन्य जंगली जानवरों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय:–

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध उपलब्ध कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ आरक्षित क्षेत्र में अपराध के मामलों में दण्ड और अधिक कड़े कर दिए गए हैं। अधिनियम में वन्यजीव अपराधों के लिए प्रयोग में लाए गए उपकरणों, वाहनों अथवा हथियारों को जब्त करने का भी प्रावधान है।

प्रशासनिक उपाय

2. राज्यों से यथा–प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती।

3. भूतपूर्व सैनिक कार्मिक और स्थानीय कार्यबल को शामिल करते हुए बाघ संरक्षण बल को तैनात करने के लिए 17 बाघ आरक्षित क्षेत्रों को 100% अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गई है।

4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है जिसके द्वारा बाघ रिजर्व प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाऊंडेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण सुदृढ़ किया जा सकेगा।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों, वन, कस्टम और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों को शामिल करते हुए 6.6.2007 से बहुआयामी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. आठ नए बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए मंजूरी दी गई है

7. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों के पुर्नवास, वनों के बाहार बाघ आरक्षित क्षेत्र में जीविका हेतु मुख्य धारा में लाने और वन्यजीव सरोकार पर्यावास अवक्रमण करने वाले को गिरफ्तार करने के लिए रेस्टोरेटिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग कारीडोर संरक्षण शामिल है।

8. बाघ (सह–परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए) आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित की गई है और उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण रणनीति के लिए बेंचमार्क है।

9. 14 बाघ राज्यों द्वारा (17 राजयों में से) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 जिसे 2006 में संशोधित किया गया था, की धारा 38V के अंतर्गत कोर क्षेत्र क्रिटीकल टाइगर हैबिटेट के रूप में 26749.097 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अधिसूचित किया गया है (ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल) तीन बाघ बहुल राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश) ने कोर अथवा क्रिटीकल टाइगर हैबिटेट्स के रुप में (4264.282 वर्ग किलोमीटर) अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश राज्य ने अपने नये गठित बाघ रिजर्व (संजय नेशनल पार्क और संजय डुबरी वन्यजीव अभयारण्य) में कोर/क्रिटीकल टाइगर हैबिटेट अभिनिर्धारित/अधिसूचित नहीं किया है।

10. बाघ रिजर्व राज्यों के माध्यम से संरक्षण संबंधी इनपुट्स को बेहतर/समन्वित ढंग से कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन तैयार किया गया है।

वित्तीय उपाय

11. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में बढ़ोत्तरी के लिए राज्यों में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना तथा राष्ट्रीय उद्यानों

और अभयारण्यों को विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

12. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

13. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

14. साइट्स (सी आई टी ई एस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान भारत ने चीन, नेपाल और रुसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर आपरेशन्स, ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके जो केवल अन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बड़े बाघों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

सरिस्का बाघ रिजर्व में बाघ छोड़ा जाना

15. भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा सुझाई गई रिकवरी रणनीति के आधार पर सरिस्का बाघ रिजर्व (राजस्थान) में एक नर बाघ और एक बाघिन छोड़ी गई है। रेडियो टेलीमेट्री द्वारा बाघों की गहन मानीटरी की जा रही है।

विशेष बाघ सुरक्षा बल (एस टी पी एफ) का गठन

16. वित्त मंत्री द्वारा अपने 29.2.2008 के बजटीय अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु शामिल है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन टी सी ए) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन, हथियारों से लैस करने और तैनाती के लिए 50.00 करोड़ रु. का एकमुश्त अनुदान मंजूर किया गया था। उक्त बल से संबंधित प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 13 बाघ रिजर्वों के मामले में मंजूर किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता सहित दुधवा, रणथम्भौर और कार्बेट बाघ रिजर्व में सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए कदम उठाने हेतु उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखण्ड राज्यों को सलाह भेजी गई है।

[हिन्दी]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की समीक्षा

195. श्री जीयाभाई ए. पटेल :
श्री वी.के. दुग्गर :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु एक अध्ययन करने की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र अभिकरण को सौंपी है। यह अध्ययन अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सार्क सोशल चार्टर, 2004

196. डा. आर. सेल्वमणि : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्क सोशल चार्टर, 2004 के उपबंधों का क्रियान्वयन करने हेतु किसी राष्ट्रीय समन्वयन समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्क सोशल चार्टर, 2004 के उपबंधों का क्रियान्वयन करने हेतु तैयार की जाने वाली राष्ट्रीय योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां, भारत सरकार ने सार्क सोशल चार्टर, 2004 के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु सितम्बर, 2005 में सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समन्वयन समिति (एनसीसी) का गठन किया है। राष्ट्रीय समन्वयन समिति (एनसीसी) ने सार्क सदस्य देशों के लिए भारत में अनेक क्षमता विकास कार्यक्रमों के आयोजन का समन्वयन किया है ताकि सार्क क्षेत्र में तत्काल चिंता के मूल क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सके।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय समन्वयन समिति के सार्क सोशल चार्टर के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना के व्यापक ढांचे के रुप में भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के निगरानी योग्य सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की पहचान की है। शिक्षा, निर्धनता, स्वास्थ्य, महिलाएं और बच्चे, अवसंरचना और पर्यावरण कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार सार्क सामाजिक चार्टर के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए वचनबद्ध है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये लक्ष्य सार्क विकास उद्देश्यों (एसडीजी) के पर्याप्त रूप से संरूप है। सरकार ने एनसीसी की सिफारिशों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए जागरूकता, सुग्राह्यता बढ़ाने और उचित ढंग से नीति निर्माण किए जाने पर भी बल दिया है।

[हिन्दी]

कोयले की दुलाई

197. श्री दरोमा प्रसाद सरोज : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के गेवारा और दीपिका क्षेत्रों में कोयले की दुलाई का कार्य पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित कंपनियों द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों को संशोधित दर पर भुगतान 10 टन की लोडिंग क्षमता वाले डम्परों/ट्रकों के आधार पर 'प्राइस वाटर हाउस' द्वारा किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के गेवरा और दीपिका क्षेत्र में कोयले की दुलाई का कार्य पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित कंपनियों द्वारा किया जाता है। आज की तारीख के अनुसार, गेवरा तथा दीपिका क्षेत्रों में केवल मुहाने से सतह तक कोयले की दुलाई का कार्य निम्नलिखित पूर्व सैनिक कंपनियों द्वारा किया जा रहा है :

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्व सैनिक कंपनी का नाम
1.	दीपिका	छत्तीसगढ़ कोल ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि.
2.	दीपिका	स्वास्तिक कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.
3.	दीपिका	साहनी कोल ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि.
4.	दीपिका	अर्जुन कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.
5.	दीपिका	निरपेंदर लाजिस्टिक (प्रा.) लि.
6.	दीपिका	वी.एस. कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.
7.	गेवरा	वीएन ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि.
8.	गेवरा	अनुपमा कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.
9.	गेवरा	गेवरा कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.
10.	गेवरा	एच.एन. कोल ट्रांसपोर्ट (प्रा.) लि.
11.	गेवरा	निशांत कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.
12.	गेवरा	सक्षम कोल कैरियर्स (प्रा.) लि.

(ग) से (ङ) प्राइस वाटर हाउस के मानदंडों तथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डीजल, टायरों और लुब्रिकेन्ट्स की वृद्धि के साथ) की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्टडी (आईईडी) के अनुसार 10 टन टिपरों की पूर्व-संशोधित दरों पर भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रत्येक स्लैब के अंतर्गत, जो भी न्यूनतम हो, एमसीएल द्वारा पहले से की गई वृद्धि के 15% की वृद्धि की शर्त पर, एसईसीएल की पूर्व सैनिक एजेंसियों के लिए लागू कोयला दुलाई की मौजूदा नियामक दरों में 1.4.2008 (पूर्व सैनिक एजेंसियों के लिए एमसीएल में कोयला दुलाई की नई दरों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख) से तदर्थ वृद्धि उच्च क्षमता के टिपरों द्वारा कोयला परिवहन की नई दरों की अंतिम स्वीकृति के लंबित रहने तक की जा रही है।

[अनुवाद]

कर्नाटक के शिरडी घाट से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का रख-रखाव

198. श्री अनंत कुमार : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के शिरडी घाट से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुरक्षण कार्य की स्थिति क्या है; और

(ख) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) शिरडी घाट से गुजरने वाले रारा 48 पर बड़े मरम्मत कार्य शुरू किए जाने के लिए आकलन किया जा रहा है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में रखने के लिए तात्कालिक स्वरूप के अनुरक्षण और मरम्मत कार्य पहले ही शुरू कर दिए गए हैं जिनके मार्च, 2009 के अंत तक पूरे हो जाने की संभावना है।

सीआईएल द्वारा कलपुर्जों की खरीद

199. श्री चन्द्र शेखर दुबे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा जनवरी से अप्रैल, 2008 के दौरान कई करोड़ रुपए मूल्य के कलपुर्जों एवं उपकरणों की भारी मात्रा में खरीद की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति किए गए कलपुर्जों/उपकरणों की जांच/सत्यापन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) जैसा कि कोल इंडिया लि. (सीआईएल) द्वारा सूचित किया गया है, सीआईएल की सहायक कंपनियों ने उपकरण की अतिरिक्त आवश्यकता और प्रतिस्थापन आवश्यकता के लिए पुराने उपकरण के सर्वे आफ के मुकाबले परियोजना रिपोर्ट प्रावधान (पीआरपी) के अनुसार अनुमोदित आवश्यकताओं के आधार पर उपकरणों की खरीद की है। इसी प्रकार, उपकरण के रखरखाव की अनुमोदित आवश्यकता के लिए कलपुर्जों की खरीद की गई है। जनवरी, 2008 से अप्रैल, 2008 के दौरान सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा खरीदे गए उपकरण और कलपुर्जों का कुल मूल्य 1288.26 करोड़ रुपए है।

उक्त अवधि के दौरान उपकरणों और कलपुर्जों की खरीद का सहायक कंपनीवार ब्यौरा निम्नवत है:

(लाख रु.)

क्र.सं.	सहायक कंपनी	उपकरण	कलपुर्जे	योग
1.	एसईसीएल	853.18	7.53	860.71
2.	एनसीएल	71.50	60.02	131.52
3	डब्ल्यूसीएल	93.19	38.07	131.26
4.	बीसीसीएल	34.08	28.80	62.88
5.	ईसीएल	52.49	6.02	58.51
6.	सीसीएल	6.44	20.23	26.67
7.	एमसीएल	11.00	5.71	16.71
	कुल	1121.88	166.38	1288.26

(ग) और (घ) अनुमोदित आदेशों पर आपूर्तित कलपुर्जों/उपकरणों को आदेश के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उनकी जांच/सत्यापन किए जाने के बाद ही स्वीकार किया गया। उपकरणों के मामले में, आपूर्तिकता के परिसर में प्रेषण-पूर्व निरीक्षण भी किया जाता है। कलपुर्जों के मामले में, प्रेषिती के यहां पर तकनीकी विभागों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। कलपुर्जों और उपकरणों के प्रत्येक प्रेषण की निरीक्षण रिपोर्टों को संबंधित लेखा भंडारों में रखा जाता है।

[हिन्दी]

सूरत में पासपोर्ट कार्यालय का निर्माण

200. श्री काशीराम राणा :

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूरत में नए पासपोर्ट कार्यालय भवन का निर्माण कार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्माण परियोजना का कार्य किस कंपनी को दिया गया है;

(ग) उक्त निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या गुजरात राज्य में स्थित पासपोर्ट कार्यालयों में अत्यधिक संख्या में पासपोर्ट संबंधी आवेदन छह मास से अधिक समय से लंबित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आवेदकों को शीघ्र पासपोर्ट जारी करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) से (ग) जी हां। मार्च, 2008 में विदेश मंत्रालय ने सूरत में पासपोर्ट कार्यालय भवन के निर्माण हेतु गुजरात सरकार से 3000 वर्गमीटर के एक भूखंड की खरीद की। निर्माण कार्य जनवरी, 2009 में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. (भारत सरकार का एक उद्यम) को सौंपा गया है। परियोजना के पूर्ण होने में लगभग 18 माह का समय लगने का अनुमान है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। गुजरात राज्य में स्थित पासपोर्ट कार्यालयों में वर्ष 2008 तथा जनवरी, 2009 में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या की तुलना में 31.01.2009 की स्थिति के अनुसार छह मास से अधिक समय से लम्बित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:–

क्रम सं.	पासपोर्ट कार्यालय का नाम	जनवरी–दिसंबर, 2008 के दौरान जारी पासपोर्ट	1 जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2009 तक जारी पासपोर्ट	31.01.2009 की स्थिति के अनुसार छह माह से अधिक समय से लंबित आवेदनों की संख्या	अभ्युक्तियां
1.	अहमदाबाद	2,80,415	20,537	396	ये सभी आवेदन या तो प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट या अपूर्ण पुलिस रिपोर्ट या आवेदक द्वारा अपर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की श्रेणी के हैं जिनके संबंध में या तो अभी आवेदकों की ओर से उत्तर प्राप्त होना है या पुलिस द्वारा फिर से सत्यापन शुरू किया गया है लेकिन वह पूर्ण नहीं हुआ है।
2.	सूरत	89,479	6,659	368	

(च) सरकार ने समय–समय पर अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) लम्बित मामलों को समाप्त करने के लिए अभियान चलाना;

(ii) पुलिस प्राधिकारियों के साथ समन्वयन करके पुलिस सत्यापन प्रक्रिया को तेज करना;

(iii) जिन आवेदकों को पुलिस सत्यापन बाद में जारी किए जाने के आधार पर पासपोर्ट दिया जा सकता है उनकी संख्या बढ़ाना;

(iv) जिन आवेदकों के मौजूदा पासपोर्टों के संबंध में अनुकूल पुलिस रिपोर्ट है और उनके पासपोर्ट रिकार्ड में कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, उनके पासपोर्ट का पुलिस सत्यापन के बगैर नवीकरण;

(v) वरिष्ठ नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों और अवयस्कों को कतिपय औपचारिकताएं पूरी करने पर पुलिस सत्यापन के बगैर पासपोर्ट जारी करना;

(vi) पासपोर्ट संबंधी पुराने मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा नियमित अंतराल पर पासपोर्ट अदालतों/शिविरों का आयोजन।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पासपोर्ट जारी करने की व्यवस्था जिसमें उसके सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े पहलू भी हैं, संबंधी एक समय–बद्ध अध्ययन करने का कार्य नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) को सौंपा है जिसका उद्देश्य नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं समय से, पारदर्शी, अधिक सुग्राह्य और भरोसेमंद तरीके से उपलब्ध कराना है। सरकार ने एनआईएसजी की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है जिसके परिणामस्वरूप "पासपोर्ट सेवा परियोजना" शुरू की गई है।

पूरे देश में 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का प्रस्ताव है जहां पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में शामिल गैर सरकारी कार्य जैसे आवेदन फार्मों की शुरूआती जांच करना, शुल्क स्वीकार करना, दस्तावेजों की तफ्तीश करना, फोटो लेना आदि चुनिंदा सेवा प्रदाताओं द्वारा किए जाएंगे। संवेदनशील कार्रवाइयां जैसे पुलिस सत्यापन, पासपोर्टों का मुद्रण और प्रेषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाएंगी। इस परियोजना के परिणामस्वरूप तीन दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिए जाने और जहां पूर्व पुलिस सत्यापन वांछित है वहां सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद तीन दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिये जाने की आशा है। यह परियोजना 2010 के शुरू तक पूरे देश में कार्यान्वित किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

गुजरात में फिजियोथैरेपी और दन्त चिकित्सा महाविद्यालय

201. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार गुजरात राज्य में और अधिक संख्या में फिजियोथैरेपी संस्थानों और दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संस्थानों और महाविद्यालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) इस समय केन्द्र सरकार की गुजरात राज्य में फिजियोथैरेपी संस्थान और दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है। केन्द्र सरकार दन्त चिकित्सक अधिनियम 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के तहत नए दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने की अनुमति देती है। उपरोक्त उपबंधों के तहत गुजरात में भरूच, सूरत, दाहोद, वड़ोदरा, अहमदाबाद और भावनगर प्रत्येक में एक–एक दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने के छः प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव को स्वीकृत करना, विनियमों में निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने, अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता और भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

बीमारियों से निपटने हेतु वैश्विक निधि सहायता

202. श्री एकनाथ महादेव गावकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न भयंकर बीमारियों से निपटने हेतु वैश्विक में कमी आ रही है जैसाकि 4 फरवरी, 2009 के मिन्ट में छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) देश में तीन रोगों अर्थात् एच. आई. वी./एड्स, क्षयरोग और मलेरिया के बचाव के लिए वैश्विक निधियों में निधियों की कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता

203. श्री नवीन जिन्दल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए चालू वर्ष के दौरान कोई नई पहल की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं; और

(ग) इन्हें दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य बनने हेतु भारत के लिए समर्थन जुटाने में सक्रियता से लगी हुई है। इस प्रयोजन के लिए भारत अलग–अलग और साथ ही जी–4 देशों (भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान) के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा

परिषद सुधार के संबंध में विभिन्न अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। सुरक्षा परिषद सुधार संबंधी संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक अनौपचारिक पूर्ण सत्र में 19 फरवरी, 2009 को बातचीत शुरू होने की आशा है। समान दृष्टिकोण रखने वाले देशों के साथ मिलकर भारत अन्य बातों के साथ–साथ स्थायी और अस्थायी सदस्यता दोनों में सुरक्षा परिषद के विस्तार हेतु जोर डालेगा।

महाराष्ट्र में एफएम स्टेशन

204. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में एफएम स्टेशनों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र एफएम प्रसारण के अंतर्गत आता है;

(ख) क्या अन्य क्षेत्रों तक एफएम का कवरेज बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) इस समय, महाराष्ट्र राज्य में आकाशवाणी के 16 एफ एम स्टेशन हैं। आकाशवाणी के एफ एम सिगनल महाराष्ट्र में 24.30% क्षेत्र को और 44.15% आबादी को कवर करते हैं। इसके अतिरिक्त, निजी एफ एम रेडियो प्रसारण के चरण–II के अंतर्गत महाराष्ट्र में 31 चैनलों को परिचालित किया गया है।

(ख) से (घ) जी, हां। दसवीं योजना की विस्तार स्कीम के अंतर्गत शोलापुर, अमरावती और ओरस में आकाशवाणी के एफ एम स्टेशनों की स्थापना करने का अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त, चरण–III में निजी एफ एम प्रसारकों के जरिए एफ एम कवरेज का विस्तार करने का प्रस्ताव है जिसमें महाराष्ट्र के 21 शहरों को कवर किए जाने की आशा है।

नाबार्ड का कार्यनिष्पादन

205. श्री जशुभाई धनाभाई बारड : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में नाबार्ड द्वारा देश में राज्य–वार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत एवं अनुमोदित की गई हैं;

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारत सरकार रिजर्व बैंक जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के दो शेयर–धारक, नाबार्ड के कार्य–कलाप का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय स्थिति के संदर्भ में 21.01.2008 से 11.03.2008 की अवधि के दौरान नाबार्ड का वित्तीय निरीक्षण किया था।

(ग) और (घ) परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सभी राज्यों में बाधित करने वाले सामान्य कारक हैं, जैसे, राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन में विलंब, भूमि अधिग्रहण संबंधी कठिनाईयां, मंजूरी एवं निविदा प्रक्रियाओं में विलंब, राज्य स्तर पर अपर्याप्त बजट सहायता, कार्यान्वयन विभागों के बीच समन्वयन की कमी, इत्यादि। गुजरात का कार्य निष्पादन औसत से काफी अच्छा रहा है।

कार्य की गति को सुचारु करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की समय–समय पर, वर्ष में न्यूनतम चार बार, बैठकें होती हैं। परियोजना कार्यान्वयन के संचालन के लिए एक बहु–स्तरीय समीक्षा और निगरानी तंत्र की व्यवस्था है।

विवरण

आरआईडीएफ के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं और संवितरण की राज्य–वार संख्या 2005-06 से 2008-09
(31 दिसंबर, 2008 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	आरआईडीएफ XI 2005-06			आरआईडीएफ XII 2006-07			आरआईडीएफ XIII 2007-08			आरआईडीएफ XIV 2008-09			कुल राज्य 2005-06 से 2008-09		
	परि– योजनाओं की संख्या	संस्वीकृत	संवितरित	परि– योजनाओं की संख्या	संस्वीकृत	संवितरित	परि– योजनाओं की संख्या	संस्वीकृत	संवितरित	परि– योजनाओं की संख्या	संस्वीकृत	संवितरित	परि– योजनाओं की संख्या	संस्वीकृत	संवितरित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
गुजरात	423	859.47	596.13	272	987.60	238.28	789	649,03	308.54	4023	985.06	197.01	5507	3481.16	1339.96
आंध्र प्रदेश	2539	1285.98	821.95	2181	756.98	336.36	3471	1277.09	381.06	3206	1109.20	221.84	11397	4429.25	1761.21
अरुणाचल प्रदेश	7	136.00	37.48	15	139.21	34.58	2	29.22	8.76	3	28.82	4.00	27	333.25	84.82
असम	256	402.44	254.67	150	282.74	103.60	84	88.49		112	113.23	0.00	602	886.90	358.27
बिहार	4145	459.41	236.19	204	589.80	141.43	1686	621.68	207.32	45	392.40	47.10	6080	2063.29	632.04
छत्तीसगढ़	36	116.84	62.90	23	51.00	15.33	13	66.29	13.92	13	71.88	7.99	85	306.01	100.14
गोवा	0	0.00	0.00	0	0.00		3	27.27	5.35	0	0.00	0.00	3	27.27	5.35
हरियाणा	53	157.20	155.69	230	255.88	141.66	133	310.49	117.64	116	301.32	61.23	532	1024.89	476.22
हिमाचल प्रदेश	266	224.67	145.78	651	273.48	117.66	370	299.40	88.49	1741	374.76	112.43	3028	1172.31	464.36
जम्मू और कश्मीर	91	79.55	45.46	256	461.05	212.93	382	602.13	202.33	223	376.84	103.06	952	1519.57	563.78
झारखंड	1253	107.44	82.20	398	331.03	214.33	2893	406.86	140.87	111	265.20	44.38	4655	1110.53	481.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
कर्नाटक	1750	449.46	326.63	3204	497.54	192.59	5335	958.08	50.87	435	78.03		10724	1983.11	570.09
केरल	342	205.09	95.34	163	260.50	110.93	401	287.03	62.68	36	449.89	89.98	942	1202.51	358.93
मध्य प्रदेश	667	396.62	231.51	83	728.72	504.36	165	1264.97	375.43	2	974.92	189.94	917	3365.23	1301.24
महाराष्ट्र	1	100.81	33.94	1215	513.09	341.06	8717	1083.71	398.05	680	895.17	33.50	10613	2592.78	806.55
मणिपुर	2452	27.59	0.00	1	6.89	5.49	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2453	34.48	5.49
मेघालय	35	32.03	14.17	26	31.96	8.51	116	56.85	29.42	0	0.00	0.00	177	120.84	52.10
मिजोरम	12	19.41	19.33	9	8.19	8.19	23	22.33	2.21	3	1.07	0.00	47	51.00	29.73
नागालैंड	10	34.47	17.19	102	24.60	16.89	11	14.57	10.31	11	237.94	0.00	134	311.58	44.39
उड़ीसा	7059	396.95	217.80	16635	497.93	139.23	2037	508.96	12.24	29248	680.91	0.00	54979	2084.75	369.27
पंजाब	649	283.30	190.22	390	552.66	418.22	457	418.07	141.66	889	400.94	35.07	2385	1654.97	785.17
राजस्थान	3317	605.13	463.15	2772	766.99	432.23	2405	824.97	334.87	913	948.10	98.92	9407	3145.19	1329.17
सिक्किम	70	6.33	5.81	62	16.21	11.30	117	42.16	16.31	277	77.09	0.00	526	141.79	33.42
तमिलनाडु	1929	603.56	460.08	2858	827.06	537.41	2906	956.83	354.37	2972	905.42	181.08	10665	3292.87	1532.94
त्रिपुरा	0	0.00	0.00	304	161.30	38.65	84	153.69	15.37	176	305.03	0.00	564	620.02	54.02
उत्तर प्रदेश	953	788.09	469.82	6713	1035.38	368.90	781	1091.59	329.53	12624	898.30	0.00	21071	3813.36	1168.25
उत्तराखंड	128	49.85	38.28	50	31.82	18.26	137	138.41	50.66	451	63.69	19.11	766	283.77	126.31
पश्चिम बंगाल	1443	459.22	280.96	3315	513.36	240.36	3441	583.89	128.99	21329	655.45	128.39	29528	2211.92	778.70
कुल योग	29886	8286.91	5302.68	42282	10602.97	4948.74	36959	127 84.06	3787.25	79639	11590.66	1575.03	188766	43264.60	15613.70

अफगानिस्तान में कार्य कर रहे भारतीयों पर हमले की घटनाएं

206. श्री एस. के. शारवेनन : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के लिए कार्य करने वाले भारतीयों पर हमले की बढ़ती घटनाएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा अफगानिस्तान में कार्य कर रहे भारतीयों की पर्याप्त सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) 2008 के दौरान घटनाओं में आईटीपीबी के तीन कार्मिक और सीमा सड़क संगठन के दो कार्मिक मारे गए थे जिनमें उग्रवादियों ने 'प्रोजेक्ट झारंज' के कार्मिकों को निशाना बनाया था। परियोजना सितम्बर, 2008 में पूरी हो गई थी और आईटीपीबी के कार्मिकों सहित सीमा सड़क संगठन के सभी कार्मिक भारत लौट आए हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) काबुल में हमारा दूतावास भारत से संबंधित सुरक्षा मामलों पर अफगान की इस्लामिक गणराज्य की सरकार के आंतरिक मंत्रालय के साथ सीधा संपर्क रखता है।

(ङ) लागू नहीं होता।

विवरण

2008 के दौरान अफगानिस्तान में सीमा सड़क संगठन के लिए काम कर रहे भारतीयों पर हमले के बारे में ब्यौरा

क्र.सं.	घटना की तारीख	घटना का ब्यौरा	मारे गए भारतीय का नाम
1	2	3	4
1.	3 जनवरी, 2008	गुरगुरी शहर के पास झारंज–देलाराम सड़क का निर्माण कर रही सीमा सड़क संगठन की परियोजना झारंज कानवाई पर आत्मघाती हमला हुआ था। हमले में आईटीबीपी के दो कार्मिक मारे गए थे और पांच अन्य गंभीर रुप से घायल हुए थे।	1. इंस्पेक्टर/जीडी मनोज कुमार सिंह (निवासी गांव फतेहपुर, पीओ रघुपुर, तहसील हाजीपुर, जिला वैशाली, बिहार–844508) 2. सिपाही/जीडी देशासिंह (निवासी गांव मिहा, पीओ अमीर कोठी, तहसील और जिला फिरोजपुर, पंजाब)
2.	12 अप्रैल, 2008	सीमा सड़क संगठन के कर्मियों की एक कानवाई (जिसमें पायलट एस्कोर्ट, दो टाउन एस, रोड रोलर और अर्थपेर्विंग उपकरण शमिल थे) (बर्म भरने/सड़क बनाने के लिए) मीनार कैम्प से देलाराम की ओर जा रही थी, देलाराम–झारंज सड़क पर 59,500 किलामीटर पर (निमरोज प्रोविंस में) देलाराम की ओर सीमा सड़क संगठन के कैम्प से 500 मीटर आगे एक आत्मघाती बम्बर ने अपने को उड़ाते हुए कानवाई को निशाना बनाया।	इस हमले में सीमा सड़क संगठन का कार्मिक सुपरिटेंडेंट (बीआर–II) श्री महेंद्र प्रताप सिंह मौके पर मारे गए और सीमा सड़क संगठन का एक अन्य कार्मिक मजदूर श्री जी. गोविंदास्वामी ने गुलगुरी में चिकित्सा जांच कक्ष में ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया

1	2	3	4
3.	5 जून, 2008	16.20 बजे परियोजना कानवाई जब रजाईक कुवेरी स्थल पर अपना काम पूरा करने के बाद कैम्प (गुरगुरी काम्पलेक्स) लौट रही थी, गुरगुरी काम्पलेक्स से लगभग 100 मीटर पहले सिपाही देव कुमार अपने वाहन से उतरे और सड़क पर सिविल वाहनों के आवागमन को रोकने के लिए तैनात हो गए। इसी बीच अचानक देव कुमार ने देखा कि एक टोयटा करोला वाहन तेज गति से विपरीत दिशा से आ रही थी। उसने वाहन को रुकने का सिग्नल दिया और जब यह देखा कि यह वाहन नहीं रुकेगा तो उसने वाहन पर तीन गोलियां दागी। इसी बीच आईटीबीपी के कार्मिक ने भी वाहन पर एक गोली दागी। करोला वाहन में आत्मघाती मानव बम किसी प्रकार कानवाई के वाहन के निकट आ गया और उसने अपने वाहन में विस्फोट कर दिया। देव कुमार वाहन के निकट ही था और इस भारी विस्फोट में मौके पर ही मौत हो गई।	सिपाही/जीडी देव कुमार सुपुत्र श्री दान सहाय, (जन्म तिथि 3.8.68) (आईटीबीपी) में आठवीं बटेलियन में सिपाही संख्या 880185704) ने विस्फोट में अपनी जान गवां दी।

प्रमुख पत्तनों के चैनलों का तलकर्षण

207. श्रीमती जयाबहन डी. ठक्कर : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात सहित देश के प्रमुख पत्तनों के चैनलों का तलकर्षण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ पत्तन-वार कितनी राशि का आबंटन किया गया है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) महापत्तनों के जलमार्गों की ड्रेजिंग महापत्तन न्यासों द्वारा की जाती है। बड़े पैमाने की ड्रेजिंग की परियोजनाएं महापत्तनों द्वारा स्वयं अपने आंतरिक संसाधनों के माध्यम से अथवा केन्द्र सरकार से बजटीय सहायता के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। महापत्तनों की कुछ प्रमुख ड्रेजिंग परियोजनाएं और उनके लिए वर्ष 2008-09 में धन के आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया। जहां तक महापत्तनों से इतर पत्तनों का संबंध है, उन्हें संबंधित समुद्री राज्यों द्वारा प्रशासित किया जाता है।

विवरण

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	पत्तन का नाम	बड़े पैमाने की ड्रेजिंग परियोजनाएं	वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजना शीर्ष के अंतर्गत धन का आबंटन
1	2	3	4
1.	पारादीप पत्तन न्यास	जलमार्ग को गहरा बनाया जाना	200.25
2.	विशाखापट्टणम पत्तन न्यास	अंदरुनी बंदरगाह प्रवेश जलमार्ग और टर्निंग सर्किल को 10.06 मीटर डुबाव से 11 मीटर डुबाव तक गहरा और चौड़ा बनाया जाना-पहला चरण	1.80

1	2	3	4
3.	चेन्नई पत्तन न्यास	जलमार्ग, बेसिन और घाटों को गहरा बनाया जाना	10.00
4.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास	12.80 मीटर डुबात वाले जलयानों की मांग पूरी करने के लिए डॉक बेसिन और जलमार्ग का गहरा बनाया जाना।	38.00
5.	कोचीन् पत्तन न्यास	क) मट्टनचेरी जलमार्ग को गहरा बनाया जाना	0.10
		ख) जलमार्गों की बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग चरण–II	40.00
6.	मुरगांव पत्तन न्यास	बड़े पैमाने की ड्रेजिंग (–) 14.10 मीटर जलमार्ग और (–) 15.1 मीटर घाट	0.10
7.	मुंबई पत्तन न्यास	क) 18 से 21 आई डी बंदरगाह भित्ति घाटों पर अपेक्षाकृत बड़े जहाजों की संभलाई हेतु ड्रेजिंग और अवसंरचनात्मक विकास	20.00
		ख) मुख्य बंदरगाह जलमार्ग को गहरा गहरा बनाया जाना	10.00
8.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	जवाहरलाल नेहरू पत्तन को जाने वाले पहुंच मार्ग को को गहरा और चौड़ा करना	6.00
9.	कांडला पत्तन लि.	क) कांडला क्रिक की ओर जाने वाले पहुंच मार्गों के जलमार्गों को गहरा और चौड़ा बनाया जाना (चरण I)	10.00
		ख) सोगल जलमार्ग को 12.8 मीटर से 13 मीटर की गहराई तक गहरा बनाया जाना पर ड्रेजिंग	23.00
10.	इन्नौर पत्तन लि.	बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग–चरण I और चरण II	50.50

एलआईसी के एजेंट

208. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम का विचार निकट भविष्य में काफी संख्या में एजेंटों की नियुक्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वरिष्ठ/उच्च प्रोफाइल वाले बीमा एजेंटों के निजी बीमा क्षेत्र में जाने के कारण जीवन बीमा निगम के एंट्रीशन दर में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया जाता है कि वह 3 से 4 वर्षों की अवधि में अपनी एजेंसी क्षमता को दोगुना कर रही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एलआईसी ने विकास अधिकारियों की भर्ती में वृद्धि की है तथा मुख्य जीवन बीमा सलाहकारों (सीएलआईए) के नए पदों का सृजन किया है। एलआईसी ने सूचित किया है कि दिनांक 31.01.2009 की स्थिति के अनुसार, उनकी नामावली में कुल अभिकर्ताओं की संख्या 13,09,711 है। चालू वर्ष में, दिनांक 31.3.2009 तक, एलआईसी ने कुल 1,15,967 अभिकर्ताओं की बढ़ोतरी की सूचना दी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अभयारण्यों तथा वन्य जीव पार्कों का पर्यवेक्षण

209. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अभयारण्यों तथा वन्यजीवन पार्कों का सर्वेक्षण कराने का है ताकि इन अभयारण्यों तथा पार्कों में उपस्थित वन्यजीवों की वास्तविक संख्या तथा उनके घनत्व की जानकारी मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अभयारण्यों/वन्यजीव पार्कों का गणना सर्वेक्षण कराने के लिए विभिन्न खंडों/सोसायटियों/क्षेत्रों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय उद्यानों अभयारण्यों के भीतर और बाहर वन्य बाघों और हाथियों के अखिल भारतीय संख्या आकलन को सामान्यतः चार और पांच वर्ष की अवधि में समन्वित और सुसाध्य बनाती है। बाघों, सह-परभक्षियों और इनके शिकार का पिछला अखिल भारतीय आकलन 2006 और 2008 के बीच किया गया था। इसी प्रकार देश में वन्य हाथियों की पिछली गणना अखिल भारतीय 2007-08 में की गई थी। देश के वन्यजीव अभयारण्यों और उद्यानों में अन्य महत्वपूर्ण संख्या सर्वेक्षण को आयोजित करने के संबंध में, केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रायोजित स्कीमों, यथा "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास", बाघ परियोजना, हाथी परियोजना" के अंतर्गत राज्य/संघ शासित सरकारों को उनके द्वारा संचालन की वार्षिक योजना के रुप में प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इन प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियों की उपलब्धता, स्थल विशिष्ट आवश्यकताओं और आवश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने की शर्त पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

जैतपुर परमाणु विद्युत संयंत्र

210. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने महाराष्ट्र के जैतपुर में प्रस्तावित परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रौद्योगिकी में विदेशी सहयोग की मांग की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित परमाणु विद्युत संयंत्र की उत्पादन लागत एवं परिपक्वता अवधि का ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार ने विदेशी विक्रेताओं के सहयोग से साधारण पानी रिएक्टर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र में जैतपुर स्थित स्थल हेतु, जिसमें भूमि अधिग्रहण और परियोजना-पूर्व के कार्य शुरू करना शामिल है, 'सिद्धांततः' अनुमोदन दे दिया है।

(ग) फ्रांस के साथ असैन्य नाभिकीय सहयोग हेतु एक अंतर्सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग के एक सरकारी क्षेत्र के उद्यम न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और फ्रांस की 'अरेवा' नामक एक बड़ी वैश्विक नाभिकीय कम्पनी इस समय जैतपुर में 1650 मेगावाट-ई क्षमता वाले दो से छः तक रिएक्टर स्थापित करने के बारे में बातचीत कर रही है।

(घ) इस चरण पर उत्पादन लागत और गेस्टेशन अवधि संबंधी विवरण की जानकारी नहीं है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को ऋण

211. श्री रमेश दूबे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों (बीपीएल) को ऋण प्रदान करने के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत इन लोगों को प्रदान किए गए ऋणों की राशि एवं प्रकार का राज्य-वार एवं बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को ऋण मंजूर करते समय मानदंड निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उधार देने के लिए अपनाए जाने योग्य कुछ मानदंड रखे हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

(i) बैंको को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी शाखाएं आवेदकों/हिताधिकारियों को पूरा सहयोग प्रदान करें।

(ii) बैंकों को हिताधिकारी से मीयादी जमा में राशि जमा करने पर जोर नहीं देना चाहिए।

(iii) बैंकों को सरल तथा पारदर्शी कार्यपद्धति अपनानी चाहिए और आवेदनों को तुरंत निपटान करना चाहिए।

(iv) 25,000/– रुपए की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर और 25,000/– रुपए से अधिक वाले आवेदनों को 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

(v) प्राप्त तथा निपटाए गए सभी आवेदनों का उचित रिकार्ड रखना चाहिए।

(vi) मामूली आधार पर आवेदन रद्द नहीं किए जाने चाहिए।

(vii) सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत बैंकों के कार्य निष्पादन की समय–समय पर समीक्षा अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों पर, एसएलबीसी की बैठकों आदि में की जानी चाहिए।

(viii) हिताधिकारियों को उधार देने को बढ़ावा देने के लिए बैंक के स्टाफ को शिक्षित किया जाना चाहिए तथा उनकी मनोवृत्ति में बदलाव लाने के लिए उनके व्यवहार को अनुकूल बनाना चाहिए।

(ix) बैंकों को लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी मंजूरी पूर्व संवीक्षा में सुधार करना चाहिए और संवितरण पश्चात् अनुवर्तन को कड़ा करना चाहिए।

(ख) बैंकों द्वारा, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली (बीपीएल), जनसंख्या के लिए बनाई गई सरकार द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान किए जाते हैं:–

(1) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई): ग्रामीण बीपीएल जनसंख्या हेतु। एसजीएसवाई एक पूर्ण योजना है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलू जैसे गरीबों को स्वसहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण प्रौद्योगिकी, अवसंरचना एवं विपणन। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया ऋण संमिश्र ऋण होता है जिसमें मीयादी ऋण एवं कार्यशील पूंजी ऋण शामिल है।

(2) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई): अनियोजित अथवा अल्पनियोजित शहरी गरीब (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले) को स्वरोजगार उद्यम स्थापित करके अथवा मजदूरी रोजगार का प्रावधान करके लाभप्रद रोजगार प्रदान करने हेतु। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत संवितरित ऋण का राज्यवार तथा बैंक–वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण–I तथा II में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत संवितरित राज्य–वार ऋण

संवितरित कुल ऋण* (लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09**
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	9171.15	8233.38	7307.83	2047.83
2	असम	3192.47	2631.74	1956.97	1649.25
3	बिहार	15979.03	11875.67	9043.88	1680.42
4	गुजरात	4664.08	3257.29	3708.94	1484.82
5	हरियाणा	2038.05	2140.90	2019.65	661.93
6	हिमाचल प्रदेश	1226.73	1088.42	660.73	353.54
7	जम्मू और कश्मीर	1125.93	1335.99	1423.67	200.74
8	कर्नाटक	2996.67	3510.58	3777.10	1638.40
9	केरल	3516.26	2747.09	3059.10	1737.71
10	मध्य प्रदेश	6951.41	6743.47	7393.96	1307.40

1	2	3	4	5	6
11	महाराष्ट्र	8025.83	7629.54	8708.37	3218.84
12	मणिपुर	118.72	62.67	81.22	49.81
13	मेघालय	101.41	86.10	21.23	33.08
14	नागालैंड	190.22	68.44	24.25	70.31
15	उड़ीसा	5646.17	7838.24	11508.78	1011.01
16	पंजाब	1241.02	1491.35	1282.33	380.67
17	राजस्थान	4235.47	5464.82	5529.38	840.14
18	सिक्किम	81.44	227.49	142.16	85.54
19	तमिलनाडु	9452.95	11734.47	14163.33	2899.09
20	त्रिपुरा	385.05	373.23	505.32	75.52
21	उत्तर प्रदेश	14195.34	15898.94	25442.40	5277.35
22	पश्चिम बंगाल	6474.48	7763.31	6552.16	2699.94
23	अंडमान और निकोबार	10.53	39.98	16.73	3.22
24	अरुणाचल प्रदेश	108.00	89.90	69.56	55.28
25	चंडीगढ़	0.38	0.60	55.20	0.00
26	दादरा और नगर हवेली	18.00	1.00	8.88	0.00
27	गोवा	141.74	97.95	117.43	49.98
28	मिजोरम	41.00	41.24	19.50	12.11
29	पांडिचेरी	208.94	83.58	262.60	132.59
30	लक्षद्वीप	0.00	11.85	27.30	11.28
31	दमन और दीव	4.50	1.33	0.60	0.00
32	दिल्ली	24.57	18.18	0.00	0.00
33	झारखंड	6334.77	5515.66	6243.92	2257.73
34	छत्तीसगढ़	2793.90	3518.45	4477.05	651.37
35	उत्तरांचल	1846.23	2498.42	1672.89	629.45
	कुल	112542.44	114121.27	127284.62	33206.35

* व्यक्ति विशेष तथा स्व-सहायता समूहों को संवितरित ऋण सहित

** सितम्बर, 2006 तक

वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत संवितरित बैंक–वार ऋण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र के नाम	संवितरित कुल ऋण (लाख रुपए)			
	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09*
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
हरियाणा	708.10	712.27	670.46	183.70
हिमाचल प्रदेश	107.89	115.32	74.58	7.04
जम्मू और कश्मीर	797.71	361.53	465.53	56.60
पंजाब	78.23	62.16	89.27	37.01
राजस्थान	1518.79	1913.97	1999.07	245.56
चंडीगढ़	12.79	40.85	56.30	12.65
दिल्ली	82.87	120.75	109.94	47.94
पूर्वोत्तर क्षेत्र				
असम	105.52	98.34	299.75	56.86
मणिपुर	1.25	1.25	0.00	0.00
मेघालय	12.12	29.52	45.21	9.20
नागालैंड	22.81	18.87	65.84	15.66
त्रिपुरा	92.17	70.95	105.16	39.85
अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.30	34.00	10.00
मिजोरम	2.60	10.30	13.30	21.18
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	495.58	412.56	341.02	88.53
झारखंड	140.15	151.96	188.44	86.53
उड़ीसा	592.06	667.99	956.71	183.07
पश्चिम बंगाल	445.68	533.92	915.17	344.13
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2.40	8.20	14.62	0.80
सिक्किम	12.84	30.12	34.43	4.04
मध्यवर्ती क्षेत्र				
छत्तीसगढ़	316.22	487.07	639.73	249.26

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	1815.51	1660.55	2640.55	408.57
उत्तरांचल	261.36	501.25	539.12	163.83
उत्तर प्रदेश	3700.89	4699.47	5566.64	1821.31
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	863.47	1118.37	1208.07	590.22
महाराष्ट्र	1644.12	1325.03	1651.53	879.39
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	9.19	16.95	13.17	8.91
दादरा और नगर हवेली	5.00	0.00	0.00	0.00
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	2201.21	2111.14	2092.35	458.81
कर्नाटक	873.56	792.11	962.22	730.55
केरल	1003.41	1100.80	611.54	304.40
तमिलनाडु	429.39	838.17	1267.04	419.98
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
पांडिचेरी	71.82	29.33	50.23	2.81
विनिर्दिष्ट नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
अखिल भारत	18426.71	20043.37	23720.99	7488.39

* सितम्बर 2008 तक

विवरण-II

वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत संवितरित बैंक–वार ऋण

क्रम सं.	बैंकों के नाम	संवितरित कुल ऋण *(लाख रुपए) 2005–06	2006–07	2007–08	2008–09**
1	2	3	4	5	6
	सरकारी क्षेत्र के बैंक				
1	भारतीय स्टेट बैंक	35905.01	31583.27	41811.83	5758.26
2	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1808.00	2818.36	2319.19	374.04

1	2	3	4	5	6
3	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2889.20	1556.70	2548.76	0.00
4	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	888.19	629.74	1614.52	171.24
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	414.00	798.00	766.00	267.00
6	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	489.00	717.00	447.47	288.83
7	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	305.28	247.08	393.42	0.00
8	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	813.00	392.82	673.20	223.28
9	इलाहाबाद बैंक	5699.28	6750.36	6025.55	2042.70
10	आन्ध्र बैंक	2322.95	5557.19	5489.48	1675.63
11	बैंक ऑफ बड़ौदा	5720.38	5125.80	6222.91	2505.66
12	बैंक ऑफ इंडिया	7552.17	7533.30	11224.86	3824.93
13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1045.76	1677.42	1622.57	1708.41
14	केनरा बैंक	3993.86	2666.78	3666.68	1786.17
15	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	7612.03	12708.31	8636.39	2656.02
16	कारपोरेशन बैंक	199.23	220.23	366.80	135.59
17	देना बैंक	1425.02	1205.12	1618.01	732.53
18	इंडियन बैंक	3436.70	2647.10	3653.26	1062.53
19	इंडियन ओवरसीज बैंक	2875.60	4120.07	5018.90	846.30
20	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	664.86	590.62	649.44	129.44
21	पंजाब नेशनल बैंक	10010.31	9349.85	7333.07	2424.99
22	पंजाब एंड सिंध बैंक	650.60	526.00	465.00	195.00
23	सिंडिकेट बैंक	2302.99	2160.77	1819.84	953.63
24	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3696.46	3066.20	2698.53	602.29
25	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2407.00	1831.59	1973.791	336.14
26	यूको बैंक	4006.24	4721.90	4385.54	1557.20
27	विजया बैंक	379.76	398.33	777.79	123.43
28	आईडीबीआई बैंक	0.00	140.42	190.10	0.00
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	109514.88	111740.33	124412.70	32381.24

1	2	3	4	5	6
	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक				
28	आईसीआईसीआई बैंक लि.	0.00	0.00	0.00	0.00
29	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	139.11	290.54	319.87	28.64
30	भारत ओवरसीज बैंक लि.	5.92	7.46	0.00	0.00
31	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	117.10	129.93	132.36	89.63
32	धनलक्ष्मी बैंक लि.	232.87	103.67	135.52	26.38
33	फेडरल बैंक लि.	594.44	383.00	495.00	191.00
34	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	789.83	833.69	998.07	181.09
35	कर्नाटक बैंक लि.	109.60	43.17	19.93	20.05
36	करूर वैश्य बैंक लि.	19.94	13.35	49.50	55.05
37	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	65.91	54.79	61.52	14.46
38	रत्नाकर बैंक लि.	3.54	5.45	27.89	0.25
39	सांगली बैंक लि.	32.03	12.86	0.00	0.00
40	साऊथ इंडियन बैंक लि.	115.33	133.29	89.01	19.37
41	तमिलनाडु मर्कंटाइल बैंक लि.	109.40	48.56	71.67	114.66
42	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	200.59	0.00	0.00	0.00
43	यूटीआई बैंक लि./एक्सिस बैंक लि.	0.00	0.00	27.92	0.99
44	वैश्य बैंक लि.	408.38	173.85	202.69	11.70
45	नैनीताल बैंक लि.	59.00	83.61	67.00	27.14
46	सिटी यूनियन बैंक लि.	16.65	60.39	172.22	44.70
47	लॉड कृष्णा बैंक लि.	7.92	3.33	0.00	0.00
48	सेन्चुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	0.00	0.00	1.75	0.00
	गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	3027.56	2380.94	2871.92	825.11
	सभी बैंकों का कुल	112542.44	114121.27	127284.62	33206.35

* व्यक्ति विशेष तथा स्व–सहायता समूहों को संवितरित ऋण सहित

** सितम्बर, 2006 तक

वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान एसजेएसआरवाई के अंतर्गत संवितरित बैंक–वार ऋण

क्रम सं.	बैंकों के नाम	संवितरित कुल ऋण *(लाख रुपए)			
		2005–06	2006–07	2007–08	2008–09*
1	2	3	4	5	6
सरकारी क्षेत्र के बैंक					
1	भारतीय स्टेट बैंक	3981.51	3852.18	4321.09	781.44
2	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	531.00	771.80	850.25	61.43
3	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	929.25	872.44	612.66	468.28
4	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	175.98	99.65	391.53	63.46
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	177.70	148.20	179.00	67.32
6	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	174.23	205.09	220.57	65.03
7	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	1.00	1.28	1.75	0.00
8	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	254.48	321.00	227.00	122.10
9	इलाहाबाद बैंक	1049.01	833.00	1453.10	323.43
10	आन्ध्र बैंक	425.07	348.46	551.67	30.32
11	बैंक ऑफ बड़ौदा	862.56	1341.42	1363.59	576.02
12	बैंक ऑफ इंडिया	1131.16	1053.81	1625.85	509.42
13	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	430.96	374.42	582.68	493.53
14	केनरा बैंक	684.12	826.82	1072.01	271.68
15	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1531.23	1518.52	2286.20	697.40
16	कारपोरेशन बैंक	73.23	147.05	197.08	103.81
17	देना बैंक	423.96	503.10	638.41	368.19
18	इंडियन बैंक	380.24	444.19	377.88	282.20
19	इंडियन ओवरसीज बैंक	328.12	445.51	562.08	37.30
20	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	320.91	444.75	466.37	100.32
21	पंजाब नेशनल बैंक	1255.41	1735.74	1718.97	614.10
22	पंजाब एंड सिंध बैंक	92.53	109.40	107.00	31.05

1	2	3	4	5	6
23	सिंडिकेट बैंक	384.61	1242.17	708.94	457.40
24	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	765.64	899.35	974.67	303.63
25	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	228.02	172.11	183.31	63.34
26	यूको बैंक	1083.74	525.77	1109.56	336.42
27	विजया बैंक	189.28	167.96	173.17	51.51
28	आईडीबीआई बैंक	0.00	26.06	94.08	0.00
	सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	17864.95	19431.25	23050.47	7280.13
गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक					
28	आईसीआईसीआई बैंक लि.	0.20	0.65	0.00	5.00
29	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	53.88	161.92	163.64	33.05
30	भारत ओवरसीज बैंक लि.	2.03	0.00	0.00	0.00
31	एचडीएफसी बैंक लि.	0.00	0.00	1.99	3.19
32	यूटीआई बैंक लि.	0.47	9.02	38.08	8.10
33	कैथोलिक सीरियन बैंक लि.	1.34	9.60	11.96	2.75
34	धनलक्ष्मी बैंक लि.	23.81	27.39	4.19	4.75
35	फेडरल बैंक लि.	30.61	38.16	31.16	24.20
36	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लि.	237.25	166.75	228.58	33.72
37	कर्नाटक बैंक लि.	67.19	56.53	40.41	58.78
38	करूर वैश्य बैंक लि.	22.13	24.46	18.08	1.38
39	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	5.90	10.73	4.24	2.44
40	रत्नाकर बैंक लि.	3.34	2.10	1.05	0.00
41	सांगली बैंक लि.	3.54	3.01	0.00	0.00
42	साऊथ इंडियन बैंक लि.	15.38	7.28	5.08	3.92
43	तमिलनाडु मर्कंटाइल बैंक लि.	2.11	21.47	18.67	6.88
44	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	35.80	0.00	0.00	0.00
45	वैश्य बैंक लि.	32.76	38.16	29.40	2.43
46	नैनीताल बैंक लि.	16.52	25.38	40.73	16.00

1	2	3	4	5	6
47	सिटी यूनियन बैंक लि.	6.70	8.78	33.26	1.6
48	लॉड कृष्णा और सेन्चुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि.	0.80	0.73	0.00	0.00
	गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	561.76	612.12	670.52	208.26
	सभी बैंकों का कुल	18426.71	20043.37	23720.99	7488.39

* दिसम्बर 2008 तक

[अनुवाद]

विलुप्त होने के कगार पर औषधीय पौधे

212. श्री गिरिजा कुमार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधीय पौधे विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, औषधीय पादप, पादपों और पशुओं के अन्य समूहों की भांति विविध मानवकृत कारकों के चलते वनों के निम्नीकरण के कारण मुख्यतः संकटापन्न हैं।

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय वनों के संरक्षण हेतु नीतियों का निर्धारण करता है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में औषधीय पादपों सहित वनों और वन्य जीव के संरक्षण संबंधी प्रावधान है। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 औषधीय पादपों सहित वन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (एमपीसीए) की स्थापना करते हुए संरक्षण पर अनेक परियोजनाओं को सहायता भी प्रदान कर रहा है जो मुख्य रुप से वन क्षेत्रों में अवस्थित है। निम्नीकृत वन भूमि में औषधीय पादपों का रोपण राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि–विकास बोर्ड (एनएईबी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्कीमों के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार ने धारणीय आधार पर उद्योग को गुणवत्ता युक्त औषधीय पादपों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य पणधारियों के साथ औषधीय पादपों से संबंधित मामलों का समन्वय करने हेतु औषधीय पादप बोर्ड की भी स्थापना की है।

बोर्ड ने औषधीय पादपों के संरक्षण एवं विकास हेतु विविध कार्यक्रमों को शुरू किया है। केंद्रीय सहायता निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाती है:

i) **"औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और धारणीय प्रबंधन हेतु केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम"**

ये क्रियाकलाप जिनके लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है, निम्नानुसार है:

- औषधीय पादपों की दुर्लभ, विलुप्त प्राय और संकटापन्न प्रजातियों का सर्वेक्षण, सूचीकरण और अंतः स्थाने संरक्षण तथा औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (एमपीसीए) की स्थापना।
- उच्च मांग वाले दुर्लभ, विलुप्त प्राय और संकटापन्न (आरईटी) एवं प्राथमिकताकृत प्रजातियों का बाह्य–स्थान संरक्षण/संसाधन संवर्धन।
- मूल्य संवर्धन, भंडारण और विपणन हेतु संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी)/पंचायतों/वन पंचायतों को सहायता।
- अनुसंधान, विकास, गुणवत्ता और प्रमाणन।
- संवर्धनात्मक क्रियाकलाप जैसे स्कूल जड़ी बूटीय उद्यानों, गृह जड़ी बूटीय उद्यानों की स्थापना करना।
- प्राथमिक संग्रहकों, कृषकों और अन्य पणधारियों हेतु क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम।

ii) **"औषधीय पादप राष्ट्रीय मिशन संबंधी केंद्रीय प्रायोजित स्कीम"**

ये क्रियाकलाप जिनके लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है, निम्नानुसार है:

- नर्सरी विकास
- उद्योग द्वारा अपेक्षित प्राथमिकताकृत पादपों की कृषि
- फसल पश्चात कटाई प्रबंधन

- विपणन
- गुणवत्ता युक्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना
- जड़ी बूटीय मंडियों की स्थापना/उन्नयन
- फसल बीमा
- आर्गेनिक प्रमाणन

कुवैत युद्ध पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति

213. श्री सुरेश अंगड़ि : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत युद्ध पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति से संबंधित काफी अधिक आवेदन अभी भी विदेश मंत्रालय में गठित विशेष प्रकोष्ठ में लंबित है;

(ख) यदि हां, तो लंबित आवेदनों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पीड़ितों को क्षतिपूर्ति के त्वरित भुगतान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) विशेष कुवैत प्रकोष्ठ (एसकेसी) ने संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग (यूएनसीसी) के जरिए भारतीय दावेदारों के दावों का तेजी से निपटान किए जाने के लिए व्यापक उपाय किए थे। एसकेसी के ठोस प्रयासों, जिनमें व्यापक प्रचार–प्रसार, भारत में राज्य और जिला प्रशासन को सक्रिय करना, यूएनसीसी के साथ प्रभावी संपर्क स्थापित करना इत्यादि शामिल हैं, के जरिए एसके सी के यूनएनसीसी द्वारा निर्धारित अंतिम समय–सीमा जनवरी, 2008 के पूर्व 1.47 लाख वैध भारतीय दावों के निपटान का कार्य सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है। इसके फलस्वरूप उन्हें लगभग 1 बिलियन अमरीकी डालर की राशि का भुगतान किया गया है।

अब यूएनसीसी ने दावा संवितरण संबंधी अपने कार्यों को बंद कर दिया है और सूचित किया है कि भारत सरकार अथवा भारतीय दावेदारों का अब कोई दावा बकाया नहीं है।

वर्ष 2008-09 हेतु हज कोटे में वृद्धि

214. श्री रशीद मसूद : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2008–09 के दौरान बड़ी संख्या में हज यात्री हज यात्रा नहीं कर पाए हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 2008–09 के दौरान कितने हज यात्रियों द्वारा हज यात्रा की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) और (ख) हज, 2008 के दौरान लगभग 1,000 हजयात्री हज नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने हज आरंभ होने के पूर्व अंतिम 10 दिनों के दौरान अपनी यात्रा रद्द कर दी थी और साथ ही इस अवसर पर यात्रा के लिए वे प्रस्थान नहीं कर पाए।

(ग) हज 2008 के दौरान 1,22,116 हजयात्रियों ने हज किया।

[हिन्दी]

'ग्लोबल वार्मिंग

215. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007 में बैंकाक में हुई इंटर–गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेंट चेंज (आईपीसीसी) की बैठक में लिए गए निर्णयों के पश्चात् देश में ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना) : इंटर–गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की वर्ष 2007 में बैंकाक में आयोजित बैठक में न्यूनीकरण से संबंधित आईपीसीसी की वर्किंग ग्रुप–III की रिपोर्ट, जो आईपीसीसी की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट का एक भाग है, पर विचार किया गया और इसे अंगीकार किया गया। इस रिपोर्ट में सरकारों द्वारा अनुसरण करने हेतु कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई हैं। तथापि, इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण से संबंधित पीअर–समीक्षा शोध पत्रों का मूल्यांकन किया गया है।

भारत सरकार इस रिपोर्ट के विवरणों से अवगत है और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी रणनीति को रेखांकित करने के लिए जून, 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। राष्ट्रीय कार्य योजना एक रणनीति का समर्थन करती है जो प्रथमतः जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को प्रोत्साहित करती है और द्वितीयतः भारत के विकास पथ की पारिस्थितिकीय सततता में और बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करती है। आठ राष्ट्रीय मिशन जो राष्ट्रीय कार्य

योजना का प्रमुख भाग हैं, जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुमुखी, दीर्घकालिक और समेकित रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका केन्द्र बिन्दु जलवायु परिवर्तन संबंधी समझ के विकास, अनुकूलन और न्यूनीकरण, ऊर्जा कुशलता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण पर है। यद्यपि, इनमें से अनेक कार्यक्रम पहले से चल रहे कार्यों का हिस्सा हैं, फिर भी इस कार्य योजना के कार्य क्षेत्र में और प्रभावीपन में वृद्धि तथा इन्हें समयबद्ध योजनाओं के माध्यम से त्वरित तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

श्रीलंका में निर्दोष तमिलों की हत्या

216. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री मधु गौड यास्की :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंकाई सरकार तथा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के बीच चल रहे सशस्त्र संघर्ष में निर्दोष तमिल नागरिक मारे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस मुद्दे को विदेश मंत्री के श्रीलंका के हाल के दौरे के दौरान श्रीलंकाई सरकार के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यात्रा के दौरान किन अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई; और

(ङ) श्रीलंका में रहने वाले नागरिक तमिलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री और वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) भारत सरकार उत्तरी श्रीलंका में चालू संघर्ष और आम नागरिकों तथा आम नागरिकों तथा आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की मानवीय स्थितियों पर इसके प्रभाव की कड़ी निगरानी कर रही है।

भारत के विदेश मंत्री ने 27 जनवरी, 2009 को श्रीलंका की यात्रा की। उनकी चर्चा में द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों एवं आपसी हितों के क्षेत्रीय विषयों को शामिल किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति महिन्द राजपक्षे के साथ आम नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के संबंध में भारत की चिंताओं को भी उठाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि श्रीलंका की सरकार के लिए यह जरूरी है कि आम नागरिकों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को लिट्टे के कब्जे वाले क्षेत्रों से निकलने का एक अवसर दिया गया।

उन्हें आश्वस्त किया गया कि श्रीलंका की सरकार तमिल नागरिकों पर संघर्ष के प्रभाव को न्यूनतम करने के सभी उपाय करेगी, जिसमें निर्बाध राहत सामग्रियों की आपूर्ति सुरक्षित स्थानों का सम्मान किया जाना और उनका विस्तार किया जाना और आम नागरिकों की हत्या को रोका जाना भी शामिल है। इसके पश्चात् 29 जनवरी, 2009 को राष्ट्रपति राजपक्षे ने आम नागरिकों को संघर्ष वाले स्थानों को छोड़ने के लिए 24 घंटे की अवधि की घोषणा की और लिट्टे से अपील की कि आम नागरिकों को जाने दिया जाए और जिन नागरिकों ने ऐसा किया उनकी सुरक्षा और संरक्षा का आश्वासन दिया। भारत सरकार ने अब तक आम नागरिकों को मानवीय सहायता की दो खेपें भेजी हैं।

विदेशी मंत्री ने जोर देकर कहा कि संघर्ष का शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए राजनैतिक हल खोजे जाने की जरूरत है, जो तमिल समुदाय सहित सभी समुदायों को स्वीकार्य हो और श्रीलंका सरकार से आग्रह किया कि श्रीलंका के संविधान के 13वें संशोधन का पूरी तरह कार्यान्वयन किया जाए।

[अनुवाद]

चीनी मिलों, कताई मिलों, सहकारी सोसाइटियों के लिए पुनर्वास पैकेज

217. श्री के. सुब्बारायण : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी सोसाइटियों द्वारा चलाई जा रही रूग्ण मिलों, कताई मिलों के पुनरुद्धार के लिए पुनर्वास एवं क्रियात्मक पैकेज प्रदान करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक विधान का अधिनियम करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त पैकेज के लिए प्रस्तावित विशिष्ट वजटीय आबंटन का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की

जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

एचआईवी/एड्स की रोकथाम करने के लिए धनराशि

218. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एचआईवी/एड्स की रोकथाम करने के लिए आबंटित तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एचआईवी/एड्स की रोकथाम करने के लिए आबंटित एवं खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(रुपए करोड़)

वर्ष	आबंटित धनराशि	खर्च की गई धनराशि
2005-06	533.50	532.69
2006-07	705.67	682.63
2007-08	943.34	917.56
2008-09 (09.02.2009 तक)	1123.00	683.00

चेक रिपब्लिक के शिष्टमण्डल द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा

219. श्री अनवर हुसैन : क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेक रिपब्लिक के उद्योग मंत्री की अगुवाई में किसी व्यापार शिष्टमण्डल ने हाल ही में देश के पूर्वोत्तर भाग का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके दौरे के दौरान चर्चा किए गए मुद्दों तथा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) चेक रिपब्लिक का एक व्यापार शिष्टमण्डल उनके उद्योग और व्यापार मंत्री श्री मार्टिन रिमन की अगुवाई में और चेक सरकार के अनेक प्रतिनिधियों के साथ 11 चेक कंपनियों के प्रमुखों ने 15–16 नवंबर, 2008 को असम का दौरा किया।

(ग) असम के मुख्य मंत्री श्री तरुण गोगोई और ऊर्जा, उद्योग और व्यापार मंत्री, श्री प्रद्युत बोरदोलोई के साथ चर्चा के दौरान शिष्टमण्डल ने उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के विकास में विशेष तौर पर जल–विद्युत, अवसंरचना, हवाईपत्तन उपस्कर, लघु एयरक्राफ्ट और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में स्वयं को और चेक उद्यमियों को उसमें शामिल करने के लिए अपनी रुचि दिखाई। इस चेक व्यापार शिष्टमण्डल का दौरा चेक शिष्टमण्डल द्वारा अप्रैल, 2008 में उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के पिछले दौरे के क्रम में था जब उन्होंने उत्तर–पूर्वी विकास वित्त निगम लि. (नेडफी) के साथ इन सेक्टरों पर चर्चा की थी।

असम सरकार अपनी ओर से विकास के लिए जल विद्युत, खाद्य प्रसंस्करण, तेल और गैस उद्योग, भेषज उद्योग, पर्यटन विकास और हवाई संपर्क में उपलब्ध अवसरों के बारे में बताया।

[हिन्दी]

बैंकों में भ्रष्टाचार

220. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत करने के संबंध में बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान बैंक–वार प्राप्त ऐसी शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विगत में उन्हें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें अग्रिमों की संस्वीकृति/पुनर्व्यवस्थित/माफ करने के समय बैंक के कर्मचारियों पर अपनी जिम्मेवारी का ठीक तरह से निर्वाहन नहीं करने का आरोप था। यदि शिकायतकर्ता आरोपों के बारे में विशिष्ट ब्यौरा देते हैं तो वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई) के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अथवा विशेष संवीक्षा के द्वारा इसकी जांच की जाती है। अभी तक बैंक के अधिकारियों की संलिप्तता, जिनकी एएफआई रिपोर्टों/संवीक्षाओं में निश्चयकारी साक्ष्यों से पुष्टि हुई है, का कोई मामला नहीं है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को दिए जाने वाले अपने तिमाही विवरणों में भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध, भ्रष्ट आचरणों के मामलों के उनकी संलिप्तता के लिए, की गई कार्रवाई की जानकारी देते हैं। वर्ष 2006, 2007 और 2008 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उनके भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध की गई ऐसी कार्रवाई का ब्यौरा निम्नवत है:–

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध, भ्रष्ट आचरणों के मामलों में उनकी संलिप्तता के लिए की गई कार्रवाई

वर्ष	दोष सिद्ध कर्मचारियों की संख्या	बड़ा/छोटा जुर्माना किए गए कर्मचारियों की संख्या	II में से बर्खास्त/ विमुक्त/हटाए गए	दोषसिद्ध कर्मचारियों की संख्या	उन कर्मचारियों, जिनके विरुद्ध अभियोजन– न्यायालय में लंबित है की संख्या (31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित है (31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार)
	I	II	III	IV	V	VI
2006	34	529	82	22	262	592
2007	77	437	60	16	268	429
2008	88	450	75	6	273	686

[अनुवाद]

प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की दसवीं रिपोर्ट

221. श्री एल. राजगोपाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) की दसवीं रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशों में सिविल सेवाओं में भर्ती, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, कार्यनिष्पादन प्रबंध, मध्यम और शीर्ष स्तर पर स्थापन, जवाबदेही और अभिप्रेरण, अनुशासनिक कार्यवाहियों, सिविल सेवा कोड और सिविल सेवा विधि को व्यापक रूप में शामिल किया गया है।

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों तथा संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों से परामर्श किया गया है।

एलटीटीई प्रमुख का भारत को प्रत्यर्पण

222. डा. टोकचोम मैन्या : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने एलटीटीई के प्रमुख वी. प्रभाकरण के प्रत्यर्पण के लिए श्रीलंका सरकार से अधिकारिक रूप से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) लिट्टे प्रमुख वी. प्रभाकरण के प्रत्यर्पण हेतु जून, 1995 में श्रीलंका की सरकार से औपचारिक अनुरोध किया गया था। वी. प्रभाकरण के प्रत्यर्पण का अनुरोध श्रीलंका की सरकार से समय–समय पर दोहराया जाता है, सबसे हाल का अनुरोध 26 नवंबर, 2008 को किया गया।

(ग) श्रीलंका की सरकार ने हमें सूचित किया है कि हमारे अनुरोध पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सम्यक ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

कोयला खनन क्षेत्रों में विकास कार्य

223. श्री टेकलाल महतो : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी आई एल) द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए नीति के अनुसार झारखण्ड सहित विभिन्न राज्यों में कोयला खानों के आसपास विकास कार्य शुरू नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके राज्यवार एवं खानवार कारण क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सीआईएल की नीति/दिशा–निर्देश का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विद्यमान नीति में कोई बदलाव करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की कोयला खानों के सामुदायिक क्षेत्रों में विकास कार्य भारत सरकार द्वारा अनुमोदित "सीआईएल सामुदायिक एवं परिधीय विकास नीति 2005" के अनुसार किए जा रहे हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) में किए गए उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं।

(ग) सीआईएल की सामुदायिक और परिधीय विकास नीति वर्ष 2005 से लागू है। ब्यौरे संबंधी युक्त नीति की एक प्रति विवरण के रुप में संलग्न में है।

(घ) मौजूदा नीति में परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

विवरण

सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों में सामुदायिक और परिधीय विकास की नीति

1. **उद्देश्य:**

इस नीति का मुख्य उद्देश्य उनके खनन प्रचालन के क्षेत्र में विकास तथा कल्याण क्रियाकलापों (सामुदायिक विकास) को शुरू करने के लिए कोयला कंपनियों हेतु दिशा निर्देशों को निर्धारित करना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में आम जनता हेतु सामुदायिक विकास घटकों के अलावा विशेष घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप–योजना (टीएसपी) के घटक शामिल होंगे।

2. **वित्त का स्रोत:**

कल्याण बोर्ड द्वारा विधिवत जांच के बाद क्षेत्र तथा प्रस्तावित आवश्यकता के आधार पर कारपोरेट मुख्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को सामुदायिक विकास क्रियाकलापों के लिए निधि का आबंटन किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ एक समर्पित निधि का सजृन करने के लिए कंपनियों की सहायता हेतु सभी सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले का प्रति टन 1 रुपए की राशि अलग रखी जा सकती है। घाटे में चल रही सहायक कंपनियों (बीआईएफआर) को उत्पादित कोयले के प्रति टन 1 रुपए की दर से सीआईएल द्वारा अनुदान दिया जाएगा।

3. **शामिल किए जाने वाले परिधीय क्षेत्र :**

शामिल क्षेत्र की परिधि आमतौर पर 8 किलोमीटर के भीतर होगी। तथापि, निदेशक मंडल इस परिधि में विस्तार कर सकता है अथवा विशेष परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाओं, महामारी आदि में गैर समीपस्थ क्षेत्र में सामुदायिक विकास की विशिष्ट परियोजनाएं शुरू कर सकता है। खान के जिला कस्बे अथवा कारपोरेट मुख्यालय के इर्द–गिर्द कुछ क्रियाकलाप शुरू किए जा सकते हैं। बशर्ते कि सहायक कंपनी के कल्याण बोर्ड द्वारा उनकी संस्तुति की जाए और/अथवा निदेश मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए। 8 किलोमीटर के बाद क्रियाकलापों पर होने वाले खर्च को वर्ष के लिए किए गए कुल आबंटन के 5% तक सीमित किया जाएगा। तथापि, प्राकृतिक विपदा अथवा आपदा के मामले में कंपनी के बोर्ड के परामर्श से विशिष्ट घटना हेतु इस सीमा को बढ़ाया जा सकता है।

4. **कार्यक्रमों का प्रकार :**

(i) पेयजल के लिए प्रावधान, स्कूल भवनों, चेक बांधों, गांव की सड़कों/सम्पर्क मार्गों तथा पुलियों, डिस्पेंशरी एवं स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों, बाजार स्थलों के निर्माण आदि जैसी सामुदायिक परिसम्पत्तियों (अवसंरचना) का सृजन।

(ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कौशल विकास तथा क्षमता, आय सृजन कार्यक्रमों और उद्यमशील विकास कार्यक्रम का निर्माण।

(iii) साक्षरता कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, ग्राम कार्यदल (वीडब्ल्यूजी), महिला मंडल का गठन आदि।

(iv) जागरूकता कार्यक्रम तथा सामुदायिक क्रियाकलाप जैसे स्वास्थ्य शिविर, चिकित्सा सहायता, परिवार कल्याण शिविर, एड्स जागरूकता कार्यक्रम, टीकाकरण शिविर, खेल तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप, पौध रोपण आदि।

उपर्युक्त सूची उदाहरणस्वरूप है न कि विस्तृत है। लोगों के लिए आकलित आवश्यकता के अनुसार क्रियाकलाप ग्राम विशिष्ट होंगे। जहां तक संभव होगा, कोल इंडिया के क्षेत्र में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐसे विकासात्मक कार्यक्रमों के साथ समन्वित करने के प्रयास किए जाएंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अधीन सभी

क्रियाकलाप पर्यावरण अनुकूल तथा स्थानीय लोगों के सामाजिक तौर पर स्वीकार्य होने चाहिए।

कोल इंडिया की सामुदायिक विकास नीति के अनुरूप निम्नलिखित को पुनर्वास स्थलों पर भी लागू किया जाएगा।

(क) अवसंरचना सुविधाएं

आकार की आवश्यकता के आधार पर पुनर्वास स्थल पर निम्नलिखित की व्यवस्था की जाएगी:

- स्कूल भवन
- सड़क
- पक्का नाला
- स्वच्छ पेयजल हेतु कुंआ अथवा हैण्डपम्प की व्यवस्था करना
- सामुदायिक केंद्र आदि।

(ख) स्वास्थ्य

कम से कम सप्ताह में एक बार पुनर्स्थापन स्थलों पर डाक्टरों/नर्सों की व्यवस्था करके स्थलों के निवासियों के लिए चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। कभी कभी विभिन्न रोगों के प्रति टीकाकरण अभियान तथा स्वास्थ्य लाभ पर जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। जहां संसाधन उपलब्ध होंगे, वहां छोटे–छोटे स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माणार्थ कुछ नकद सहायता देने पर भी विचार किया जा सकता है।

(ग) शिक्षा

एक छोटा स्कूल भवन कोयला कंपनियों द्वारा मुहैया किए गए पुनर्स्थापन स्थल का अभिन्न अंग होगा। जनसंख्या की निर्भरता पर उच्चतर शिक्षा हेतु स्कूल भवन के निर्माण हेतु नकद सहायता पर विचार किया जा सकता है।

(घ) सामाजिक/सांस्कृतिक क्रियाकलाप

खेल तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों को आयोजित करके पुनर्स्थापन स्थलों के निवासियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ङ) पौधरोपण

स्थलों के निवासियों की भागीदारी से पौध रोपण क्रियाकलाप शुरू किए जाएंगे। आर्थिक मूल्य/वाणिज्यिक मूल्य वाले पेड़ों को प्राथमिकता दी जाए जैसे महुआ, करच, नीम, गमार, शीशम, आम आदि। मौजूदा महिला स्वयं सहायता समूह को पौधरोपण कार्य को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(च) कौशल उन्नयन

स्वरोजगार योजनाओं को शुरू करने के लिए पहचान किए गए लोगों के वास्ते फार्मिंग, हस्तकला तथा अन्य उपयोगी कौशल से संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण को उपलब्ध कराया जाएगा।

(छ) गांव को अपनाना

सहायक कंपनी एक माडल गांव के रूप में प्रत्येक क्षेत्र में एक गांव को अपनाए। इस गांव को एक स्कूल भवन, एक स्वास्थ्य केंद्र एक तालाब तथा पर्याप्त पौधरोपण जैसे न्यूनतम अवसंरचना मुहैया की जाए।

5. लक्ष्य लाभभोगी :

लाभभोगियों में सभी समुदाय शामिल होंगे, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, विकलांगों और वृद्ध लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

6. संस्थागत व्यवस्था :

1. क्षेत्र स्तर पर इस प्रयोजनार्थ गठित क्षेत्रीय सामुदायिक विकास समिति (एसीडीसी) कार्यान्वयन के दौरान कार्यकलापों की पहचान करने, बजट तैयार करने, कार्य योजना की समीक्षा और अनुमोदित करने तथा कार्यकलापों की मानीटरिंग करने के संबंध में निर्णय लेगी। इस समिति में क्षेत्रीय मुख्य महा प्रबंधक/महा प्रबंधक अध्यक्ष के रूप में होंगे जिनकी सहायता वित्त, सिविल और कार्मिक विभागों के सदस्यों द्वारा की जाएगी तथा क्षेत्रीय सीजीएम/जीएम और/अथवा संघों के प्रतिनिधि कुछ अन्य सदस्यों को नामित कर सकते हैं। स्थानीय लोगों के प्रतिनिधि की एक समिति जिला कलेक्टर के परामर्श से गठित की जाएगी। इस समिति को भी ग्राम/क्षेत्र विशिष्ट कार्यकलापों की पहचान करने में सम्बद्ध किया जा सकता है। वास्तविक आयोजना और कार्यान्वयन की जिम्मेवारी सीडी/आर एंड आर अधिकारियों अथवा जिम्मेवारी सौंपे गए अन्य पदनाम वाले अधिकारियों के पास रहेगी।
2. सहायक कंपनी मुख्यालय स्तर पर, कल्याण बोर्ड सीडी कार्यकलापों की देखरेख करेगा।
3. बेसलाइन डाटा, सीडी योजनाओं को तैयार करने तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी के लिए, यदि आवश्यक

हो, गैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जा सकती है। इस प्रयोजनार्थ केवल राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त अथवा अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जाएगा।

7. **सृजित परिसम्पत्तियों का रखरखाव और अनुरक्षण :**

सृजित अवसंरचनात्मक सुविधाओं/परिसम्पत्तियों का प्रचालन और अनुरक्षण पूरा हो जाने पर ग्राम कार्य समूहों (वीडब्ल्यूजी), स्थानीय पंचायतों अथवा इसी प्रकार की स्थानीय राज्य निकायों को सौंपा जाना चाहिए।

इन परिसम्पत्तियों के रखरखाव की जिम्मेवारी स्थानीय समुदाय की होनी चाहिए। कोई पूंजीगत निवेश किए जाने से पहले स्थानीय समुदाय से यह वचन लिया जाना चाहिए कि वे परिसम्पत्तियों का रखरखाव करेंगे।

8. **निष्कर्ष :**

(1) उपर्युक्त दिशानिर्देश ढांचे के स्वरूप में होंगे जिसके इर्दगिर्द समुदाय विकास कार्यकलापों को किया गया है। कोल इंडिया लि. प्रत्येक पांच वर्षों के बाद समीक्षा करेगी तथा समुचित संशोधन करेगी, जैसा कि अनुभव के आधार पर आवश्यक हो।

(2) कंपनी द्वारा किए गए सभी कार्यकलापों की वार्षिक लेखापरीक्षा स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी तथा कल्याण के रूप में किए गए कार्य का सामान्य विवरण कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

गाजा में इज़राइल द्वारा आक्रमण

224. श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री सी. के. चन्द्रप्पन :
श्री स्वदेश चक्रवर्ती :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई इज़राइल–फिलिस्तीन सशस्त्र लड़ाई में नागरिकों विशेषकर बच्चों सहित बड़ी संख्या में फिलिस्तिनियों के मारे जाने की खबर है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी हां।

(ख) 26.12.2008 से 18.01.2009 की अवधि में 1200 से अधिक फिलीस्तीनियों, जिनमें आम नागरिक और बच्चे शामिल थे, की कथित तौर पर हत्या हुई। 13 इजराइलियों की भी हत्या किए जाने की जानकारी दी गई है।

भारत सरकार उपरोक्त घटनाक्रमों पर पैनी नजर रखे हुए है। 27.12.2008, 02.01.2009, 04.01.2009 और 09.01.2009 को इस विषय पर आधिकारिक वक्तव्य दिए गए, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ खासतौर पर आम नागरिकों पर अत्यधिक और भर्त्सनापूर्ण बल प्रयोग को तुरंत बंद करने और शांति को बहाल किए जाने का आह्वान किया गया।

(ग) भारत ने सदैव पश्चिम एशिया में संघर्ष के शांतिपूर्ण हल का समर्थन किया है, जिसके द्वारा एक संप्रभु, स्वाधीन, सक्षम और अखंड फिलीस्तीन राज्य का निर्माण हो, जो एक सुरक्षित एवं मान्य सीमाओं के भीतर इजराइल के साथ–साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 242, 338, 1397 और 1515 का भी समर्थन किया है। भारत ने अरब शांति पहल का भी समर्थन किया है। भारत ने अधिकृत फिलीस्तीनी भूक्षेत्र में इजराइली बस्तियों के विस्तार को समाप्त करने और फिलीस्तीन के भीतर व्यक्तियों और सामग्रियों की मुक्त आवाजाही पर लगे प्रतिबंध को शीघ्र और महत्वपूर्ण ढंग से बंधनमुक्त करने का भी आह्वान किया था। विगत वर्षों में भारत सरकार पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित देशों के साथ इस मामले में परामर्श लेती रही हैं। भारत ने सदैव ही संयुक्त राष्ट्र और गुटनिरपेक्ष आंदोलन सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलीस्तीनी हितों का समर्थन किया है।

हाल में हुए संघर्ष के दौरान, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण अभिकरण (यूएनआरडब्ल्यू) की ओर से की गई 'चित्ताकर्षण अपील' के उत्तर में 02.01.2009 को भारत सरकार ने रिहायशी मकानों, नगद सहायता, जरूरी घरेलू सामग्रियों आदि की व्यवस्था के लिए यूएनआरडब्ल्यू को एक मिलियन अमरीकी डालर की सहायता की घोषणा की। यह धनराशि, जिसे अब हस्तांतरित किया जा चुका है, फिलीस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण को भारत सरकार की ओर से दी जा रही सहायता जिससे भारत सरकार के उपहार स्वरूप नई दिल्ली में फिलीस्तीनी चांसरी–सह–आवास परिसर का निर्माण और प्रत्येक वर्ष यूएनआरडब्ल्यूए को भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला योगदान भी शामिल है, के अतिरिक्त है।

व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाता

225. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोचेम ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) से विभिन्न म्यूचुअल फंडों के माध्यम से बड़ी संख्या में परिवारों को इक्विटी बाजार में निवेश कराने में सक्षम बनाने के लिए व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाता (आईआरए) शुरू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) म्यूचुअल फंड योजना के माध्यम से दीर्घावधि आधार पर निवेश करने में परिवारों को सक्षम बनाकर इक्विटी में दीर्घावधि अंतर्वाह को संवर्धित करने के लिए सेबी को एसोचेम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में प्रस्तावित व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाता योजना मोटे तौर पर अमरीकी और अन्य देशों में मौजूद ऐसी योजना के अनुरूप होगी। निवेशक को अपनी इच्छा के अनुसार इक्विटी और ऋण के संयोजन में निवेश करने की नम्यता होगी और ऐसा निवेश निर्धारित न्यूनतम लॉक–इन अवधि के अध्यधीन होगा।

(ग) पीएफआरडीए (पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण) ने देश के सभी नागरिकों को पहली अप्रैल, 2009 से शुरू की जाने वाली नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाते खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा है। तथापि, पीएफआरडीए वर्तमान में म्यूचुअल फंडों को एनपीएस स्कीमों की पेशकश करने की अनुमति देने पर विचार नहीं कर पा रहा है।

शिक्षा क्षेत्र में सरकारी-निजी भागीदारी

226. श्री बालासोयरी वल्लभनेनी : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश में शिक्षा क्षेत्र में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत परियोजनाएं शुरू करने के लिए कोई आदर्श योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्तावित आदर्श–योजना को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) शिक्षा क्षेत्र में सरकारी–निजी भागीदारी मॉडल के संबंध में एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।

(ग) इसे अंतिम रूप देने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

कश्मीर के बारे में ब्रिटेन के विदेश मंत्री का बयान

227. श्री किन्जरपु येरननायडु :
श्री पंकज चौधरी :
श्री मणी कुमार सुब्बा

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कश्मीर समस्या को आतंकवादी हमलों के मूल कारणों से जोड़ते हुए ग्रेट ब्रिटेन के विदेश मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए बयान की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में मामले को ग्रेट ब्रिटेन सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ग्रेट ब्रिटेन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार को ग्रेट ब्रिटेन के विदेश मंत्री द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की जानकारी है। उनके साथ हुई आधिकारिक वार्ताओं में स्पष्ट कर दिया गया था कि मुम्बई हमलों और अन्य आतंकवादी घटनाओं को कश्मीर के साथ जोड़कर देखना झूठ एवं गलत है। विदेश मंत्रालय के सरकारी प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि श्री मिलिबैंड अपना विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं जो स्पष्ट रूप से उनका अपना विचार है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और यदि हम उनके विचारों से सहमत नहीं भी हों तो भी वे अपना विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि हमें जम्मू और कश्मीर जैसे भारत के आंतरिक मामले में बिना मांगे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है।

भारत-चीन सीमा विवाद पर वार्ता

228. श्री नन्द कुमार साय :
श्री सुग्रीव सिंह :
श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितंबर, 2008 माह में बीजिंग में भारत–चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत–चीन प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता के बारहवें दौर का आयोजन 18 से 19 सितम्बर, 2008 तक बीजिंग में किया गया। दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री एम. के. नारायणन और स्टेट काउन्सिलर श्री दाई बिंगुओं के बीच 11 अप्रैल, 2005 को हस्ताक्षरित भारत–चीन सीमा प्रश्न के समाधान के लिए राजनैतिक मानदंडों और दिशा निर्देशों सिद्धांतों संबंधी करार के आधार पर भारत–चीन सीमा प्रश्न के समाधान की रूपरेखा पर उपयोगी एवं सकारात्मक चर्चा हुई। दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनैतिक संदर्भ से आगे बढ़ते हुए समानता आधारित परामर्शों के जरिए सीमा प्रश्न का एक उचित, न्यायसंगत और आपसी स्वीकार्य हल निकालने की सहमति की पुनः पुष्टि की। दोनों पक्षों ने वार्ता के अगले दौर का आयोजन दिल्ली में करने पर सहमति व्यक्त की। सही–सही तारीखों का निर्धारण राजनयिक माध्यमों से किया जाएगा।

भारतीय निवेशकों को बचाना

229. श्री पी. करुणाकरन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा यूरोप के हाल ही के आर्थिक संकट का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अमरीका तथा ब्रिटेन के उन बैंकों एवं बीमा कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनकी भारत के बैंकों एवं बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी है; और

(घ) ऐसे संकट से भारतीय निवेशकों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (घ) पिछले पांच वर्षों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की 8.8 प्रतिशत की अच्छी–खासी औसत वार्षिक विकास दर रहने के बाद 2008–09 में विकास दर के थोड़ा कम रहने की संभावना है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा 9 फरवरी, 2009 को जारी किए गए अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2008–09 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि होने का अनुमान है। इसके लिए वस्तुओं विशेषतः तेल की उच्च वैश्विक कीमतें तथा चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्ध में घरेलू मुद्रास्फीति में हुई बढ़ोतरी और सितंबर 2008 से वैश्विक वित्तीय संकट के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव जैसे कारक जिम्मेदार हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के अपने प्रभाव पड़े हैं, जो मुख्यतः पूंजी अंतर्वाहों, वित्तीय बाजारों तथा व्यापार में आई कमी के रुप में सामने आए हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आई मंदी के कारण भारत के निर्यात प्रभावित हुए हैं। विदेशी मांग पर निर्भर अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में मांग में विदेशी क्षेत्र का योगदान कम है और इसीलिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ा है। वैश्विक वित्तीय संकट का प्रत्यक्ष प्रभाव मुख्यतः पूंजी प्रवाहों में कमी आने के रूप में प्रकट हुआ है जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू नकदी पर दबाव पड़ता है तथा इक्विटी बाजार सूचकांकों में गिरावट आती है। इक्विटी बाजार सूचकांकों में आई कमी मुख्यतः इस वर्ष विदेशी संस्थागत निवेशों के निवल बहिर्वाहों के कारण है। संकटग्रस्त वैश्विक परिसंपत्तियों के संदर्भ में भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं का जोखिम सीमित है और भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मापदण्ड पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं।

औषध अवशिष्टों के पाटन के कारण जल प्रदूषण

230. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा :
श्री के. सी. सिंह 'बाबा' :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध कंपनियों द्वारा अवशिष्टों का पाटन किए जाने से आंध्र प्रदेश के मेडक जिले के पट्टनचेरु में जल प्रदूषित हुआ है जैसा कि 27 जनवरी, 2009 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में जल प्रदूषण के स्तर का पता लगाने के लिए कोई शोध किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) टाइम्स ऑफ इण्डिया के अंक दिनांक 27.1.2009 में "ड्रग वेस्ट क्रिएट्स डिजास्टर जोन–वर्ल्डस हाईएस्ट फार्मालेवल्स इन आंध्र स्ट्रीम्स' और डिस्चार्ज फ्राम वेस्ट वाटर प्लांट्स कुड स्पान ड्रग

रेजिस्टेन्स; स्टडी' नामक एक लेख प्रकाशित हुआ है जो स्वीडन के पर्यावरणीय वैज्ञानिक श्री जे. लारसन की रिपोर्ट पर आधारित है, जो 6 जुलाई, 2007 में जनरल ऑफ हेजारडस मैटीरियल्स" में प्रकाशित हुआ था। उक्त रिपोर्ट में पाटनचेरू साझा बहिस्त्राव शोधन संयंत्र के बहिस्त्राव में 'सक्रिय भेषज संघटक' ए पी आई के उच्च स्तरों का उल्लेख है जिससे कि सतही जल धाराओं तथा भू जल के संदूषित होने की आशंका है। पाटनचेरू सी ई टी पी अपशिष्ट जल को पर्याप्त रूप से शोधित करने में अक्षम है जिससे कि बायोकेमिकल्स आक्सीजन डिमान्ड (बी ओ डी) केमिकल्स आक्सीजन डिमान्ड (टीडीएस) क्लोराइडस सल्फेटस कुल घुलनशील ठोस (टी डी एस) और एमोनिकल नाइट्रोजन के मानकों को नियमितरूप से पूरा किया जा सके। सीईटीपी से शोधित बहिस्त्राव को इसाका वगु स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है।

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

(i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ए पी पी सी बी) को निदेश जारी किए गए हैं।

(ii) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(iii) सी ई टी पी ऑपरेटर पर 2,32,62,000/– रु. का दण्ड लगाया गया है और सी ई टी पी आपरेटर द्वारा दी गई 50 लाख रु. की बैंक गारण्टी की आंध्र प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा मांग की गई है।

(iv) आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सी ई टी पी को निदेश दिया गया है कि दिनांक 1.2.09 के बाद 5000 एमजी/लीटर से अधिक टी डी एस युक्त कोई औद्योगिक अपशिष्ट जल स्वीकार न करे।

(v) सी ई टी पी से अम्बेरपट मलजल शोधन संयंत्र तक 18 किलोमीटर की पाइप लाईन पूरी की जा चुकी है।

अनिवासी भारतीय बच्चों को छात्रवृत्ति

231. श्री डी. जे. एस. पी. रेड्डी : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्य देशों में रह रहे भारतीयों के बच्चों को दी जाने वाली स्नातक छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खाड़ी देशों सहित विभिन्न देशों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि) : (क) डायस्पोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीयों के बच्चों के लिए स्नातक छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शैक्षिक वर्ष 2009–10 के लिए खाड़ी देशों सहित विभिन्न देशों से प्राप्त आवेदनों की संख्या 421 है जिसमें 331 अनिवासी भारतीयों से और 90 भारतीय मूल के व्यक्तियों से प्राप्त हुई है।

(घ) डायस्पोरा बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम–2009 के लिए पात्र आवेदकों के चयन के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 26 अक्तूबर, 2008 को भारत के अलग–अलग दूतावासों/उच्चायोगों/काउन्सुलेटों में आयोजित की गई थी। योजना के अंतर्गत सामान्य प्रवेश परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर 126 उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति दी गई है।

ऋण माफी की योजना

232. श्री के. एस. राव :
श्री संतोष गंगवार :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण माफी योजना से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऋण माफी योजना को लागू किए जाने के बाद किसानों पर राज्य–वार और बैंक–वार कितनी ऋण राशि बकाया है;

(घ) ऐसे लघु और सीमांत किसानों की राज्य–वार संख्या कितनी है जिन्हें उक्त योजना के योग्य होने के बावजूद भी उसका लाभ नहीं मिल सका; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी, हां। लेखापरीक्षा नहीं

की गई अंतिम रिपोर्टों के अनुसार, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना, 2008 से 3.6 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं जिसमें 65,300 करोड़ रुपए की ऋण माफी और ऋण राहत राशि सम्मिलित है, जो उन्हें ऋण संस्थानों से नए ऋण प्राप्त करने के लिए पात्रता प्रदान करती है।

(ग) कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 में 01 अप्रैल, 1997 और 31 मार्च, 2007 के मध्य संवितरित किए गए ऋणों, जो कि 29 फरवरी, 2008 तक अदा नहीं किए गए का केवल अतिदेय भाग, और न कि कुल बकाया सम्मिलित किए गए हैं।

(घ) और (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी किसान ऋण माफी/ऋण राहत लाभ प्राप्त करें, ऋण संस्थानों ने पीड़ित किसानों से अभ्यावेदन प्राप्त करने और उन पर उचित आदेश पारित करने के लिए शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) को नियुक्त किए हैं। अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार शिकायत निवारण अधिकारियों द्वारा कुल 1,67,256 शिकायतें प्राप्त की गईं जिनमें से 1,53,203 शिकायतों का निपटान किया गया है।

गैलीलियो कार्यक्रम के साथ भारत की सम्बद्धता

233. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को गैलीलियो कार्यक्रम के साथ संबद्ध किया गया है जोकि यूरोपियन आयोग और यूरोपियन अंतरिक्ष अभिकरण की एक संयुक्त पहल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। भारत ने गैलीलियो कार्यक्रम से संबद्ध रहने की रुचि दिखाई है और इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) उक्त परियोजना के लिए 2005–06 के बजट प्राक्कलन में 300 करोड़ रुपए तथा 2006–07 के बजट प्राक्कलन में 340 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। फिर भी, कार्यान्वयन–समय–ढांचा सहित गैलीलियो कार्यक्रम को अंतिम रूप न देने के कारण और गैलीलियो कार्यक्रम में भारतीय सहभागिता की भूमिका स्पष्ट न होने के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

ग्रामीण बैंक संघ

234. श्री संतोष गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण बैंक संघ से राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को दिए जा रहे वेतन तथा भत्तों के समतुल्य वेतन एवं भत्तों की मांग संबंधी ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) सरकार को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विभिन्न संगठनों/संघों से वेतन और भत्तों के लिए समय–समय पर अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के दिनांक 6.10.2005 के पत्र द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) कर्मचारियों के वेतनमान, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते बैंकों के कर्मचारियों की तदनुरूपी श्रेणियों के समान संशोधित कर दिए गए हैं जो 1 नवम्बर, 2002 से लागू हैं। जहां तक भत्तों का संबंध है, प्रायोजक बैंक विशेष को, उनके द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ विमर्श किया जाना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना

235. श्री मोहन सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में राज्य–वार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कार्यकरण की देखरेख के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य कर रहे कर्मचारियों की राज्य–वार संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या	
		31.03.2007 (प्रकाशित)	31.03.2008 (अनंतिम)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	5642	5628
2.	अरुणाचल प्रदेश	60	74
3.	असम	1937	1915
4.	बिहार	6140	6067
5.	छत्तीसगढ़	1763	1742
6.	गुजरात	1579	1566
7.	हरियाणा	1556	1663
8.	हिमाचल प्रदेश	571	568
9.	जम्मू और कश्मीर	1204	1191
10.	झारखंड	1581	1571
11.	कर्नाटक	5791	5727
12.	केरल	2525	2516
13.	मध्य प्रदेश	4367	4332
14.	महाराष्ट्र	2390	2366
15.	मणिपुर	88	88
16.	मेघालय	176	212
17.	मिजोरम	169	233
18.	नागालैंड	26	37
19.	उड़ीसा	4112	4075
20.	पंजाब	708	730
21.	राजस्थान	4263	4222
22.	तमिलनाडु	1061	1038
23.	त्रिपुरा	683	675
24.	उत्तर प्रदेश	14161	14056
25.	उत्तराखण्ड	610	636
26.	पश्चिम बंगाल	5126	5077
27.	पुदुचेरी	0	0
	कुल	68289	68005

डीटीएच ऑपरेटरों से राजस्व

236. श्री वाडिग्ग रामकृष्णा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डायरेक्ट–टू–होम (डी टी एच) ऑपरेटरों से नियमित रूप से राजस्व प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसे राजस्व में हार्डवेयर लागत तथा विभिन्न टी.वी. चैनलों से संग्रहित कैरिज शुल्क भी सम्मिलित है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) जी, हां। सरकार को डी.टी.एच. सेवाओं के लिए लाइसेंस करार के निबंधन एवं शर्तों की अनुसूची के अनुच्छेद 3 के अनुसार डी.टी.एच. सेवा लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदत्त वार्षिक लाइसेंस शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डी.टी.एच. सेवा लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदत्त लाइसेंस शुल्क निम्नानुसार है:–

डी.टी.एच. लाइसेंसधारक का नाम	वित्त वर्ष के लिए प्रदत्त लाइसेंस शुल्क (रुपये)			
	2004-2005	2005-06	2006-07	2007-08
डिश टी वी इंडिया लिमिटेड	2,04,87,187	2,50,00,000	14,38,35,433	14,69,60,763
टाटा स्काई लिमिटेड	–	–	8,84,90,206	13,10,28,968
सन डायरेक्ट टी वी प्राइवेट लिमिटेड	–	–	–	6,57,05,871
रिलायंस बिग टी वी लिमिटेड	–	–	–	19,35,656

(ग) लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार किसी भी डीटीएच लाइसेंसधारक को किसी विशेष वित्त वर्ष में अपने सकल राजस्व की 10% की राशि के समकक्ष वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान, उस वर्ष के समाप्त होने से एक माह के भीतर करना होता है। लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तों के खंड 3.1.1 में सकल राजस्व को परिभाषित किया गया है जब कि लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तों के खंड

3.1.2 के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले निर्देशात्मक और निदर्शी मदों का निर्धारण किया गया है लेकिन लेखापरीक्षकों को सकल राजस्व से संबंधित सभी आय शीर्षों को शामिल करना पड़ता है भले ही उन्हें फार्म में विशेष रूप से शामिल न किया गया हो। एकत्रित प्रसारण शुल्क और हार्डवेयर से एकत्रित राजस्व को सकल राजस्व के भाग के रूप में शामिल किया जाना होता है।

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

237. श्री विजय कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम चलाने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के उद्यमियों को ऋण संवितरण में प्राथमिकता देने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में बैंकों द्वारा इन समुदायों को बिहार सहित राज्य–वार कितना ऋण संवितरित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) अल्पसंख्यक समुदायों को विभिन्न सरकार प्रायोजित विशेष कार्यक्रमों से निष्पक्ष एवं पर्याप्त मात्रा में लाभ देना सुनिश्चित कराने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक ऋण का सुगम प्रवाह सुनिश्चित कराने की सलाह दी है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का दिनांक 1 जुलाई 2008 का परिपत्र सं. आरपीसीडी. सं. एसपी. बीसी. 6/09.10.01/2008–09 बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा अक्तूबर 2007 में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अल्पसंख्यक समुदायों को अगले तीन वर्षों अर्थात 2009–2010 तक प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का 15% देने में बढ़ोतरी करें।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यह अल्पसंख्यक समुदायों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत दिए गए ऋणों का अलग–अलग मिलान नहीं करता है। तथापि, अल्पसंख्यक समुदायों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल ऋण (अतिदेय) का बिहार सहित राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मार्च 2006, 2007 तथा 2008 के अन्त की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को दिया गया अतिदेय ऋण का राज्य–वार ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य का नाम	बकाया ऋण (करोड़ रु.)		
		मार्च-06	मार्च-07	मार्च-08
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र		15605.24	19245.89	17867.28
1	दिल्ली	1015.71	1230.18	2677.27
2	पंजाब	8608.24	10581.43	9325.42
3	हरियाणा	2011.10	2489.68	2182.84
4	चंडीगढ़	1066.87	1465.99	769.54
5	जम्मू और कश्मीर	1503.13	1879.59	646.83
6	हिमाचल प्रदेश	508.87	410.29	288.96
7	राजस्थान	891.32	1188.73	1976.42
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र		625.74	797.57	1328.42
8	असम	350.03	446.55	729.02
9	मिजोरम	45.27	62.61	97.84

1	2	3	4	5
10	मेघालय	79.40	84.01	125.06
11	अरुणाचल प्रदेश	9.85	18.78	38.77
12	नागालैंड	49.79	67.41	117.41
13	मणिपुर	31.32	40.14	59.48
14	सिक्किम	35.44	39.65	99.19
15	त्रिपुरा	24.64	38.42	61.65
पूर्वी क्षेत्र		2681.86	3667.87	6820.48
16	बिहार	449.34	648.39	1081.43
17	झारखण्ड	270.56	367.63	789.52
18	उड़ीसा	1521.49	2089.86	3810.24
19	पश्चिम बंगाल	428.41	548.84	1115.31
20	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.06	13.15	23.98
मध्य क्षेत्र		5599.49	7133.39	9547.88
21	उत्तर प्रदेश	4278.85	5258.20	6054.87
22	उत्तराखंड	276.53	405.52	844.04
23	मध्य प्रदेश	909.25	1298.23	2097.38
24	छत्तीसगढ़	134.86	171.44	551.59
पश्चिमी क्षेत्र		3386.28	4464.47	7173.24
25	गुजरात	461.32	711.07	1323.92
26	महाराष्ट्र	2604.87	3341.61	5317.48
27	दमन और दीव	1.13	2.02	8.43
28	गोवा	317.82	408.07	517.63
29	दादरा और नगर हवेली	1.14	1.70	5.78
दक्षिणी क्षेत्र		17591.97	18232.20	29743.95
30	आंध्र प्रदेश	2106.93	2170.44	4727.62
31	कर्नाटक	2079.61	2874.67	4690.23
32	लक्षद्वीप	11.17	7.73	20.65
33	तमिलनाडु	5712.75	3512.88	6405.18
34	केरल	7607.17	9598.19	13805.72
35	पुदुचेरी	74.34	68.29	94.55
	अखिल भारत	45490.58	53541.39	72481.25

प्रबंध संस्थानों में कार्मिकों को प्रशिक्षण

238. श्री अनंत कुमार : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपने कार्मिकों को देश के प्रमुख संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कार्मिकों के लिए न्यूनतम अवधि तक विद्यमान सेवा में बने रहने और निजी क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध को अनिवार्य बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार अपने कार्मिकों को 2002–03 से लोक नीति और प्रबंधन में भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, ऊर्जा और संसाधन संस्थान नई दिल्ली तथा प्रबंध विकास संस्थान गुडगांव में प्रशिक्षण दिलवाती आ रही है। उपर्युक्त संदर्भित संस्थाओं में आज की तारीख तक प्रशिक्षित किए गए कर्मचारियों की संख्या 337 है।

(ग) और (घ) प्रत्येक प्रतिभागी अधिकारी को एक वचनपत्र भरना होता है जिसमें यह शर्त होती है कि उनके द्वारा ड्यूटी पर नहीं आने अथवा सेवा से त्यागपत्र देने अथवा सेवानिवृत्त होने अथवा प्रशिक्षण की अवधि के समाप्त होने अथवा खत्म कर दिए जाने के पश्चात् अथवा ड्यूटी पर नहीं लौटने पर अथवा तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय सेवा छोड़ने पर प्रतिभागी अधिकारी को उसके प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा वहन किया गया सारा खर्च सरकार को लौटाना होगा।

कंपनियों को ऋण

239. श्री मधु गौड यास्की :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कमी तथा नकदी में वृद्धि किए जाने के बावजूद भी सरकारी बैंक कंपनियों को ऋण नहीं दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) विगत में बाजार की कठिन नकदी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कुछ बैंक कार्यशील पूंजीगत सीमाएं और सावधि ऋणों (अल्पावधि ऋण सहित) को संस्वीकृत सीमाओं के अंतर्गत अपने ग्राहकों को संवितरित करने के अनिच्छुक थे।

(ग) नगदी स्थिति में सुधार होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी संबंधित बैंकों को उनके सामान्य वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार सभी ऐसे मामलों की समीक्षा करने और संस्वीकृत ऋण सीमाओं में आहरण की अनुमति प्रदान करने की सलाह दी गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को लघु और मध्यम उद्यमों की बकाया राशि को गुण–दोषों और अग्रिमों की पुनर्संरचना के संशोधित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार विचार करने की भी सलाह दी है।

सहकारी बैंकों की शाखाएं

240. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई भाडम : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सहित अनेक राज्यों से सहकारी बैंकों की और अधिक शाखाओं की स्थापना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त शाखाओं की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 [(सहकारी समितियों यथा लागू (एएससीएस)] के अंतर्गत शाखाएं खोलने के लिए गुजरात राज्य सहकारी बैंक सहित विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्य सहकारी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (एएसीएस) के अंतर्गत अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी करने संबंधी नीति की समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के उपरांत नीति बन जाने पर, शाखाएं खोलने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर आशोधित नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

जहां तक मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (सीसीबी) की शाखाएं खोलने का संबंध है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि चूंकि सीसीबी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (एएसीएस) के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, अतः शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है।

विवरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 (एएसीएस) के अंतर्गत शाखाएं खोलने के लिए विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा

क्रम सं.	उन राज्य सहकारी बैंकों के नाम जिनसे शाखाएं खोलने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं	खोले जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं का ब्यौरा
1.	हरियाणा स्टेट को–आपरेटिव अपेक्स बैंक लि., चंडीगढ़	(i) सहकारिता भवन, सेक्टर–2, पंचकुला में विस्तार पटल
2.	गुजरात स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद अहमदाबाद	(i) उस्मानपुर, अहमदाबाद (ii) सेटेलाइट, अहमदाबाद (iii) ड्राइव इन एरिया अहमदाबाद
3.	तमिलनाडु स्टेट अपेक्स को–ओपरेटिव बैंक लि. चेन्नई	(i) एजीएस कालोनी (ii) अम्बात्तूर (iii) चिन्मय नगर (iv) माधवाराम (v) मेडावक्कम (vi) पल्लीकरनई (vii) वेडाचेरी तथा (viii) पश्चिम सैदापेट (सभी चेनन्ई से)
4.	महाराष्ट्र स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि., मुंबई	(i) नासिक सिटी
5.	बिहार स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि., पटना	(i) मुजफ्फरपुर तथा (ii) पूर्णिया
6.	कर्नाटक स्टेट को–आपरेटिव अपेक्स बैंक लि., बैंगलोर	(i) एनजीईएफ (पूर्वी) तथा (ii) थानिसांद्रा (दोनों बेंगलूर में)
7.	आन्ध्र प्रदेश स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि., हैदराबाद	(i) विशाखापट्टनम
8.	केरल स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि., तिरूवनंतपुरम	(i) कासरगोड (ii) कोट्टायम तथा (iii) गुरुवायूर
9.	वेस्ट बंगाल स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि., कोलकाता	(i) मेटल एवं स्टील फेक्टरी, इच्छापोर में विस्तार पटल (ii) 507, आर्मी बेस वर्कशॉप, कन्किनारा में विस्तार पटल (iii) सिलीगुड़ी में विलय तथा खोलना तथा (iv) साल्टलेक में अपग्रेडेशन

खाद्य नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना

241. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्राधिकरण को क्या कार्य सौंपे गए हैं;

(ग) इस प्राधिकरण द्वारा क्या सुझाव/सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (घ) सरकार ने 5 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना का.आ. संख्या 2165 (अ) के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना की है जिसमें खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित 23 सदस्य हैं। खाद्य प्राधिकरण को दिया गया अधिदेश खाद्य पदार्थों तथा उनके विनिर्माण, भण्डारण, संवितरण, बिक्री और आयात के विनियमन के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित कर रहा है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पोष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य प्राधिकरण अधिदेश को प्रभावी करने के लिए नियम, विनियम और क्रियाविधियां बनाने पर कार्रवाई कर रहा है।

इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क

242. श्री नवीन जिन्दल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने एक प्रभावी डीप स्पेस नेटवर्क (आई डी एस एन) विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चंद्रयान–प्रथम अभियान में आई डी एस एन ने कितना योगदान दिया है;

(घ) क्या अन्य देशों ने आई डी एस एन के उपयोग में रुचि दिखाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप भारत को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पैंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अक्तूबर 22, 2008 को चंद्रयान–1 के प्रमोचन से पहले बेंगलूर के पास बैलालू ग्राम में भारतीय गहन अंतरिक्ष नेटवर्क चालू किया है।

(ग) चन्द्रयान–1 मिशन के दूरमिति, दूरादेश नेटवर्क और आंकड़ा संग्रहण कार्यों के लिए आईडीएसएन (भा.ग.अं.ने.) का प्रयोग किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) आपसी सहयोग के आधार पर अन्य अंतरिक्ष अभिकरणों के गहन अंतरिक्ष मिशनों की सहायता करने के लिए आईडीएसएन (भा.ग.अं.ने.) का प्रयोग किया जा सकता है। फिलहाल इस संबंध में कोई पूछताछ प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता अनुदान

243. डा. के. एस. मनोज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एन सी सी पी) के अंतर्गत अस्पतालों को सहायता अनुदान में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को किसी राज्य से उसे एन सी सी पी में शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें एन सी सी पी में शामिल किया जा रहा है; और

(ङ) इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कोई भी सरकारी मेडिकल कालेज/अस्पताल संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की सिफारिश के साथ सहायता अनुदान लेने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। इस तरह प्राप्त हुए प्रस्तावों पर स्थायी समिति द्वारा विचार किया जाता है और उनकी सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सहायता अनुदान जारी किया जाता है।

अवैध कोयला खनन की घटनाएं

244. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से अवैध कोयला खनन की घटनाओं में वृद्धि होने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र और झारखंड सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खानों में नियोजित कर्मचारियों की राज्यवार और खानवार संख्या क्या है; और

(घ) इन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागरोदिया) : (क) और (ख) अवैध खनन अधिकांशतः पुरानी तथा परित्यक्त खानों, छोटे तथा अलग–थलग पड़े टकड़ों, खनित क्षेत्रों एवं उन क्षेत्रों जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पट्टाधारी क्षेत्रों के अधीन नहीं हैं, में होता है। गुप्त रूप से अवैध गतिविधियों के कारण इस प्रकार से खनित कोयले की सही मात्रा का पता नहीं चल सकता है।

तथापि, संबंधित कोयला कंपनियों के सुरक्षा कार्मिकों द्वारा मारे गए छापों तथा संबंधित राज्य सरकार के कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ मारे गए संयुक्त छापों की वजह से पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वसूल किए गए कोयले एवं उसके मूल्य (अनुमानित) (राज्यवार) नीचे दिए अनुसार हैं:–

राज्य	2005-2006		2006-2007		2007-2008		2008-09, दिसं. 08 तक (अनंतिम)	
	वसूली गई मात्रा (लगभग) (टन)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपए)	वसूली गई मात्रा (लगभग) (टन)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपए)	वसूली गई मात्रा (लगभग) (टन)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपए)	वसूली गई मात्रा (लगभग) (टन)	अनुमानित मूल्य (लाख रुपए)
प. बंगाल	2460.00	24.104	2389.00	23.890	2055.00	20.550	2861.81	29.260
झारखंड	1192.81	16.277	1606.00	16.399	1002.90	14.003	3043.33	41.285
मध्य प्रदेश	59.50	0.655	519.81	6.717	81.00	1.400	00	00
महाराष्ट्र	00	00	00	00	00	00	11.00	0.110
छत्तीसगढ़	9.50	0.095	60.00	0.840	00	00	00	00

(ग) चूंकि अवैध खनन गुप्त रूप से किया जाता है, अतः लगाए गए श्रमिकों की संख्या बताना संभव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन तथा आकाशवाणी प्रसारण कवरेज

245. श्री जसुभाई धानाभाई बारड : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और गुजरात के भागों सहित देश का बड़ा भाग अभी तक भी दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण द्वारा कवर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को कर्नाटक और गुजरात सहित देश के विभिन्न शहरों में दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रम खराब गुणवत्ता में प्राप्त होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के स्थानों पर कवरेज में सुधार करने और प्रसारण सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) आकाशवाणी के सिगनल देश की 99.16% आबादी को उपलब्ध हैं। गुजरात और कर्नाटक में आकाशवाणी की आबादी–वार कवरेज क्रमशः 99% और 97.3% है। स्थलीय पद्धति में दूरदर्शन की कवरेज देश की लगभग 92% आबादी को उपलब्ध है। गुजरात और कर्नाटक में दूरदर्शन की

आबादी–वारी कवरेज क्रमशः 97% और 82% है। तथापि, स्थलीय प्रसारण द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों को दूरदर्शन की फ्री–टु–एयर डी. टी.एच. सेवा के माध्यम से बहु–चैनल टी.वी. कवरेज मुहैया करायी गई है। जिसके सिगनल देश भर में (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ग) देश के विभिन्न भागों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के अभिग्रहण की गुणवत्ता संतोषजनक है। तथापि, कुछ ट्रांसमीटरों के ठीक ढंग से कार्य न करने की शिकायतें समय–समय पर प्राप्त होती रहती हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा इन शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

(घ) सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और इस संबंध में समय–समय पर स्कीमें तैयार की जाती हैं और कार्यान्वित की जाती हैं।

प्लास्टिक के मानदण्ड तय करने के लिए समिति का गठन

246. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने जैव अपघटनीय और अनअपघटनीय प्लास्टिक हेतु मानदण्ड तय करने के लिए केन्द्र सरकार को एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालयम में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) जी हां। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वस्तुओं संबंधी प्रोटोकाल को सत्यापित करने के लिए डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर एक विशेषज्ञ समिति को गठन किया गया था। समिति ने 7 नवंबर, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के प्रतिनिधियों को मानकों के प्रकाशन में शीघ्रता करने के लिए कहा था। काम्पोस्टेबल प्लास्टिक (आई एस/आई एस ओ 17088:2008) संबंधी विशिष्टियों के मानक, बी आई एस द्वारा नवंबर, 2008 में अधिसूचित किए गए हैं।

[हिन्दी]

वन्यजीवन और वन क्षेत्र की क्षति

247. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में प्रानहिता–पावेला लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना के कारण वन्यजीव और वन क्षेत्र को होने वाली क्षति का मूल्यांकन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश की प्रानहिता–पावेला लिफ्ट इरिगेशन परियोजना, पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति के लिए इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (च) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में एम्स जैसा संस्थान

248. श्री रमेश दूबे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में एम्स जैसे एक नए संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के दूसरे चरण में उपचर्या महाविद्यालय सहित एम्स जैसे संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है। संस्थान में 39 विशिष्टता/अतिविशिष्टता की विधाओं में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्पर 960 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा। मेडिकल कालेज में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के प्रतिमानकों पर प्रधानतः आधारित विविध विधाओं में स्नातकोत्तर/डाक्टरल पाठ्यक्रमों में शिक्षा देने की सुविधाओं और उपचर्या परिषद् के प्रतिमानकों के अनुरूप उपचर्या महाविद्यालय के अलावा स्नातकपूर्व 100 दाखिले होंगे। एम्स जैसे संस्थान की अनुमानित लागत 823 करोड़ रुपए है।

मंत्रिमंडलीय अनुमोदन 5.2.2009 को प्राप्त हुआ।

उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम 100 एकड़ निशुल्क विकसित भूखंड और पानी, बिजली, मल-जल व्यवस्था, सड़क सम्पर्क जैसी अवसंरचागत सुविधाएं इन संस्थानों की स्थापना और संचालन के लिए मुहैया कराएगी। प्रस्तावित संस्थान के स्थल के बारे में राज्य सरकार के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा।

मुम्बई हमले में पाकिस्तानी संगठनों की संलिप्तता

249. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री कीरेन रिजीजू :
श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में हुए मुम्बई हमले में पाकिस्तानी लोगों/संगठनों की संलिप्तता के संबंध में पाकिस्तान सरकार को पर्याप्त सबूत सौंप दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर पाकिस्तान सरकार के जवाब सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पाकिस्तानी जवाब के आलोक में आगे क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) 5 जनवरी, 2009 को पाकिस्तान सरकार को 26-29 नवंबर, 2008 को हुए मुंबई हमले में पाकिस्तानी तत्वों के शामिल होने से जुड़ी जानकारी दी गई थी। इन जानकारियों में शामिल हैं:-

पुलिस की कैद में पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अजमल कसाब की पूछताछ से प्राप्त जानकारी।

मुंबई हमले के दौरान पाकिस्तानी तत्वों के साथ आतंकवादियों की बातचीत के ब्यौरे;

बरामद हथियार एवं उपकरण तथा अन्य वस्तुएं; और

बरामद जीपीएस और सेटेलाइट फोन से प्राप्त आंकड़े।

यह जानकारी पाकिस्तानी तत्वों से संबंधित हैं। पाकिस्तानी सरकार को यह बता दिया गया था कि हमारी आशा है कि पाकिस्तान सरकार तत्काल पाकिस्तान में आगे जांच करेगी और इसके परिणामों से हमें भी अवगत कराएगी, ताकि अपराधियों पर मुकदमा, चलाया जा सके। हमने यह आशा भी व्यक्त की कि पाकिस्तान अपने नियंत्रणाधीन भूक्षेत्र से किसी भी प्रकार के आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए अपने द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को क्रियान्वित करेगा। 12 फरवरी, 2009 को पाकिस्तान में हमारे उच्चायुक्त को पाकिस्तान के विदेश सचिव द्वारा पाकिस्तान को 5 जनवरी, 2009 को उपलब्ध कराई गई जानकारी, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा मुंबई में किए गए हमले से संबंधित थी, पर पाकिस्तान के उत्तर से अवगत कराया। अपने शासकीय उत्तर में पाकिस्तान के प्राधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में मौजूदा तत्व ही मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में संलिप्त थे। उक्त जांच के संबंध में पाकिस्तान ने और सूचनाएं एवं सामग्री भी मांगी है।

(ग) मुंबई के आतंकी हमलों के अपराधियों को दंडित करना और इस प्रक्रिया को परिणति तक ले जाना ही भारत का उद्देश्य है। हम यह आशा भी करेंगे कि पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान स्थित आतंकवाद की अवसंरचना को नष्ट करने के लिए विश्वसनीय कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

वायु प्रदूषण

250. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री महावीर भगोरा :
श्री मदन लाल शर्मा :
प्रो. एम. रामदास :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके बढ़ते स्तर के मद्देनजर सरकार वायु प्रदूषण पर निगरानी करने के लिए मौजूदा नीति में कोई परिवर्तन करना चाहती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में विशिष्ट कार्यक्रम चलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मुहैया करायी गयी निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनके अब तक क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वायु गुणता मानीटरिंग कार्यक्रम (एन ए

एम पी) के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणता देश के 342 स्थलों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एस पी सी बी) प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पी सी सी) और राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान सहित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित रूप से मानीटर की जाती है। पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि सल्फर डाइआक्साइड (SO_2) तथा आक्साइड आफ नाइट्रोजन के संबंध में मानीटर की गई वायु गुणना कुछ स्थानों को छोड़कर सभी स्थलों पर अधिसूचित परिवेशी वायु गुणता मानकों के भीतर है। हालांकि श्वसनीय निलम्बित कणिकीय पदार्थ (आर एस पी एम) के स्तर कई स्थानों पर बढ़ रहे हैं।

विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद, जनसंख्या में बढ़ोत्तरी, वाहनों और डीजी सेटों की बढ़ती संख्या, तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, निर्माण कार्यों और कृषि पद्धतियों के कारण अनेक स्थलों पर परिवेशी वायु की बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।

(ग) और (घ) एन ए एम पी के अंतर्गत परिवेशी वायु गुणता को मानीटर करने वाले स्टेशनों की संख्या बढ़ रही है 11वीं योजना के अंत तक मौजूदा मैन्युअल स्टेशनों को बढ़ाकर 700 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। परिवेशी वायु गुणता की निरंतर मानीटरिंग सुदृढ़ की गई है।

(ङ) परिवेशी वायु गुणता मानीटंरिग के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण द्वारा प्रदत्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एन ए ए पी कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए गए हैं:–

1. राष्ट्रीय स्तर पर परिवेशी वायु गुणता को मानीटर करने के लिए व्यापक नेटवर्क है।

2. वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निवारक और सुधारात्मक कार्य नीतियां विकसित करने के लिए वायु गुणता की स्थिति और प्रवृत्ति उपलब्ध है।

विवरण

राष्ट्रीय वायु गुणता मानीटंरिग कार्यक्रम (एन ए एम पी) के अंतर्गत विभिन्न मानीटंरिग एजेंसियों को जारी निधियां

(धनराशि रुपयों में)

क्रम सं.	मानीटंरिग एजेंसी का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (अब तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश एस पी सी बी	927917	573750	शून्य	9335917
2.	असम एस पी सी बी	शून्य	368334	2025834	991667
3.	बिहार एस पी सी बी	2598000	394305	शून्य	शून्य
4.	चण्डीगढ़ पी सी सी	शून्य	1615000	920833	शून्य
5.	छत्तीसगढ़ ई सी बी	658750	871250	शून्य	682500
6.	गुजरात एस पी सी बी	1381250	4324583	1884167	2110000
7.	गोआ एस पी सी बी	शून्य	1190000	शून्य	495833
8.	झारखण्ड एस पी सी बी	शून्य	1728333	2406667	1185833
9.	जम्मू और कश्मीर एस पी सी बी	शून्य	1376000	1747000	शून्य
10.	हरियाणा एस पी सी बी	शून्य	शून्य	441527	शून्य
11.	हिमाचल प्रदेश एस ई पी और पी सी बी	2147666	2295000	3992056	शून्य
12.	कर्नाटक एस पी सी बी	935000	3105000	538333	1625417

1	2	3	4	5	6
13.	केरल एस पी सी बी	1281667	1097917	942083	1922916
14.	महाराष्ट्र एस पी सी बी	1023485	1133333	5581667	2799583
15.	मेघालय एस पी सी बी	शून्य	524167	शून्य	897667
16.	मणिपुर एस पी सी बी	शून्य	225000	शून्य	शून्य
17.	मध्य प्रदेश एस पी सी बी	3319861	510000	शून्य	2155695
18.	मिजोरम एस पी सी बी	शून्य	शून्य	425000	472500
19.	नागालैंड एस पी सी बी	शून्य	1586590	198333	623334
20.	उड़ीसा एस पी सी बी	545416	1211250	892500	186708
21.	पंजाब एस पी सी बी	1416667	250000	1133333	586000
22.	पाण्डिचेरी पी सी सी	शून्य	255000	1020000	405000
23.	राजस्थान एस पी सी बी	2699167	2871250	3143333	1385000
24.	तमिलनाडु एस पी सी बी	1175833	1112084	शून्य	शून्य
25.	त्रिपुरा एस पी सी बी	शून्य	345000	शून्य	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश एस पी सी बी	शून्य	4016250	904306	3819445
27.	उत्तरांचल ई पी और पी सी बी	115694	288055	690000	368333
28.	पश्चिम बंगाल एस पी सी बी	1112083	शून्य	1501667	1960416
29.	नीरी	शून्य	5986171	6324306	शून्य
	कुल = .	21338456	39253622	36712945	35690140

टिप्पणी :-

1. एस पी सी बी – राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एस ई पी और पी सी बी – राज्य पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; ई पी और पी सी बी – पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; पी सी सी – प्रदूषण नियंत्रण समितियां।
2. वर्ष 2006–07 के लिए विश्वविद्यालयों को भुगतान महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया।
3. नीरी इस समय 5 विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों नामतः दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 6 शहरों में मानीटरिंग कर रहा है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की रिपोर्ट

251. श्री अनवर हुसैन :

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एन पी सी) को प्रसार भारती के समक्ष आ रही समस्याओं पर अध्ययन करने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो एन पी सी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आकाशवाणी (एआईआर) और दूरदर्शन (डीडी) में रिक्त पदों का पदवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विशेष भर्ती अभियान चलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में रिक्त पदों सहित आकाशवाणी और दूरदर्शन में रिक्त पदों को भरने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये पद कब तक भरे जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गृह ऋण

252. श्री एल. राजगोपाल : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक/निजी/विदेशी क्षेत्र के बैंकों को गृह ऋण प्राथमिकता पर प्रदान करने के दिशा–निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले निम्नलिखित प्रकार के आवास ऋण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किये जाने के लिए पात्र हैं:–

(i) बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदत्त ऋणों के अलावा, प्रति परिवार एक आवासीय इकाई के क्रय/निर्माण के लिये, स्थान पर ध्यान दिये बिना, 20 लाख रुपए तक के ऋण।

(ii) परिवारों की क्षतिग्रस्त आवासीय इकाइयों की मरम्मत के लिये दिये जाने वाले, ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में 1 लाख रुपए तक और शहरी एवं महानगरी क्षेत्रों में 2 लाख रुपए तक के ऋण।

(iii) प्रति आवासीय इकाई 5 लाख रुपए की ऋण राशि की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, आवासी इकाइयों के निर्माण अथवा गंदी बस्तियों को हटाने तथा वहां के निवासियों के पुनर्वास हेतु किसी सरकारी अभिकरण को दी गई सहायता।

(iv) प्रति आवासीय इकाई 5 लाख रुपए के ऋण घटक की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, आवासीय इकाइयों के निर्माण/पुनर्निर्माण अथवा गंदी बस्तियों को हटाने तथा वहां के निवासियों के पुनर्वास के लिये पुनर्वित्त के प्रयोजन से, राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) द्वारा अनुमोदित गैर–सरकारी अभिकरण को दी गई सहायता।

इसके अलावा, आरबीआई द्वारा एससीबी को 8 दिसंबर, 2008 को परामर्श दिया गया था कि आवासीय इकाइयों के क्रय/निर्माण के लिये व्यक्तियों को और आगे ऋण देने के लिए पुनर्वित्त के प्रयोजन से एनएचबी द्वारा अनुमोदित, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को प्रदत्त ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने के लिए पात्र हैं बशर्ते एच एफ सी द्वारा प्रदत्त आवास ऋण प्रति परिवार प्रति आवासीय इकाई 20 लाख रुपए से अधिक न हो। तथापि, इसके तहत पात्रता, सतत आधार पर, किसी एक बैंक के कुल प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के पांच प्रतिशत तक सीमित रहेंगी। बैंकों को यह परामर्श दिया गया है कि उपरोक्त शर्त एचएफसी को बैंकों द्वारा 31 मार्च 2010 तक प्रदत्त ऋणों पर लागू होगी। 31 मार्च 2010 तक प्रदत्त ऐसे ऋण तब तक प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाते रहेंगे जब तक उनकी वापसी अदायगी नहीं हो जाती।

कजाकिस्तान के राष्ट्रपति का भारत दौरा

253. डा. टोकचोम मैन्या :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे के दौरान हुई बातचीत और संधियों/करारों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी हां। कजाकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री नूरसुल्तान नजरबायेव ने भारत गणराज्य की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील के निमंत्रण पर 23 से 26 जनवरी, 2009 तक भारत का राजकीय दौरा किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। उनके साथ एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल भी आया था जिसमें तीन काबीना मंत्री और व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों का एक समूह शामिल था।

(ख) राजकीय यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर चर्चा की। उप राष्ट्रपति विदेश मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की।

यात्रा के दौरान पांच दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। ये हैं– विश्व व्यापार संगठन में कजाकिस्तान की पहुंच पर प्रत्यर्पण संधि,

द्विपक्षीय प्रोतोकोल, कजाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम और एनपीसीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन, इसरो और कजाकिस्तान की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन तथा ओएमईएल (ओएनजीसी मित्तल ऊर्जा लिमिटेड) और कजाकिस्तान मुनाय गैस के प्रमुखों के बीच करार। भारत और कजाकिस्तान के बीच सामरिक भागीदारी पर एक संयुक्त घोषणा को भी 24 जनवरी, 2009 को अपनाया गया।

[हिन्दी]

डी.आर.डी.ए. में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

254. श्री टेकलाल महतो : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड में दामोदर नदी डायवर्जन एरिया (डीआरडीए) परियोजना में विस्थापित हुए व्यक्तियों को सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा पुनर्वासित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देरी यदि कोई है, के कारण क्या हैं;

(ग) इस परियोजना के लिए आबंटित राशि सहित उसमें से खर्च हुई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मार्च, 2008 में परिकल्पित विस्तृत संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त परियोजना के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष बागड़ोदिया) : (क) और (ख) चलकारी, जरीडीह तथा फुसरो गांव से 96 परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किया गया है और सेंट्रल कोलफील्ड् लि. द्वारा 631 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया।

(ग) दामोदर नदी डायवर्जन के अग्रिम कार्य प्रस्ताव को 1983 में सरकार द्वारा 2 करोड़ रु. के पूंजी परिव्यय तथा 1993 में 5.59 करोड़ रु. के संशोधित लागत अनुमान के साथ अनुमोदित किया गया था। मार्च 2008 तक पूंजी व्यय 9.274 करोड़ रु. है।

(घ) और (ङ) दामोदर नदी डायवर्जन (डीआरडी) ओसी क्षमता–15 मि.ट. प्रतिवर्ष, खान के लिए अनुमानित पूंजी 2182.56 करोड़ रु. (विभागीय विकल्प) और खान के प्रचालन से लिंक्ड फुसरो–जरांगडीह रेल डायवर्जन (पीजेआरडी) एवं दामोदर नदी डायवर्जन (डीआरडी) की गैर खनन परियोजनाओं के लिए 1400 करोड़ रु. (लगभग) की एक प्रारूप परियोजना रिपोर्ट सीएमपीडीआई द्वारा हाल ही में तैयार की गई है।

(च) उपर्युक्त परियोजना रिपोर्ट को अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

[अनुवाद]

भा.रा.रा.प्रा. द्वारा निधियों का अल्प उपयोग

255. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) चालू वित्त वर्ष के दौरान अपने लक्षित व्यय का एक तिहाई भाग खर्च कर पाने में असमर्थ है और नई परियोजनाएं प्रदान करने में भी पीछे चल रहा है जैसा कि दिनांक 27 जनवरी, 2009 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लक्षित परियोजनाओं को पूरा करने और समय–सीमा के अनुसार नई परियोजनाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) और (ख) 23409 करोड़ रु. के बजट प्राक्कलनों (2008–09) में से जनवरी के अंत तक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर 14501 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना विकास–III और इससे आगे के चरणों के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को वरीयतन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर सौंपा जाएगा। सरकार द्वारा अर्हता हेतु मॉडल अनुरोध (आरएफक्यू) और प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेजों के अनुमोदन के बाद निविदा प्रक्रिया में अधिक समय लगा है। अर्हता हेतु मॉडल अनुरोध के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव हेतु अनुरोध आवेदनों के मूल्यांकन में प्रारंभिक कठिनाइयों को हल करने के पश्चात 05 परियोजनाओं अर्थात् पिंपलगांव–नासिक–गोंडे (लंबाई 60 किमी.), मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा–धुले (लंबाई 97 किमी.), पुणे–शोलापुर (लंबाई 110 किमी.), महाराष्ट्र–गुजरात सीमा–सूरत–हजीरा (लंबाई 133 किमी.) और चेन्नै पत्तन से मदुरावोयल (लंबाई 19 किमी.) के लिए कार्य सौंप दिए गए हैं।

(ग) परियोजना/साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के समय से विभिन्न इनपुट की लागत में हुई भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को 2007 और 2006 में तैयार की गई परियोजनाओं के संबंध में परियोजनाओं की विपणीयता में सुधार करने के लिए कुल परियोजना लागत को क्रमशः 10% और 20% बढ़ाने की अनुमति प्रदान की है। सरकार ने निर्माण चरण के दौरान ही संपूर्ण अर्थ क्षमता अंतर वित्तपोषण जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार ने राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा की है जिसमें सड़कों सहित अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आईआईएफसीएल द्वारा बांड जारी किए जाने का प्रावधान शामिल है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 को भी अनुमोदन प्रदान कर दिया है और इसे 05 दिसंबर, 2008 को अधिसूचित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

राज्यों द्वारा लिया गया ऋण

256. श्री रामदास आठवले : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार से लिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कौन से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं जिन्होंने चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार से अतिरिक्त ऋण देने का अनुरोध किया है; और

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त ऋण कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त केन्द्रीय ऋण के लिए कोई अनुरोध किसी भी राज्य सरकार से वित्त मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

31.01.2009 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य पर बकाया केन्द्रीय ऋण (वित्त मंत्रालय)

(करोड़ रुपए)

क्रम संख्या	राज्यों के नाम	राशि
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	15226.38
2	अरुणाचल प्रदेश	405.85
3	असम	2135.53
4	बिहार	8214.57
5	छत्तीसगढ़	2262.07
6	गोवा	681.47
7	गुजरात	10639.94
8	हरियाणा	2043.14
9	हिमाचल प्रदेश	962.68
10	जम्मू और कश्मीर	1851.55
11	झारखंड	2488.51
12	कर्नाटक	9699.61
13	केरल	5982.21
14	मध्य प्रदेश	9380.17
15	महाराष्ट्र	8503.61
16	मणिपुर	921.89
17	मेघालय	314.00
18	मिजोरम	307.50
19	नागालैंड	323.40
20	उड़ीसा	8681.13
21	पंजाब	3358.32
22	राजस्थान	7671.61
23	सिक्किम	175.66
24	तमिलनाडु	7486.24
25	त्रिपुरा	454.31
26	उत्तरांचल	379.87
27	उत्तर प्रदेश	21048.09
28	पश्चिम बंगाल	14254.37
	कुल	145853.68

[अनुवाद]

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब

257. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अनिवार्य पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने में विद्युत परियोजनाओं को अत्यधिक विलम्ब का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक सहित इस प्रकार की परियोजनाओंका राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) स्वीकृति प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने और इसे गति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) और (ख) ताप और जल विद्युत संयंत्रों से संबंधित कुल तैंतीस विद्युत परियाजनाएं 31.1.2009 की स्थिति अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित पड़ी हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है.

क्र.सं.	राज्य	विद्युत परियोजनाओं का स्वरुप			
		ताप विद्युत		जल विद्युत	
		सं.	क्षमता (मेगावाट)	सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	3	5220	शून्य	शून्य
2	छत्तीसगढ़	1	540	शून्य	शून्य
3	गुजरात	3	2145	शून्य	शून्य
4	हरियाणा	1	2100	शून्य	शून्य
5	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	2	140
6	झारखंड	1	2000	शून्य	शून्य
7	कर्नाटक	1	450	1	200
8	मध्य प्रदेश	2	1500	शून्य	शून्य
9	महाराष्ट्र	5	6125	शून्य	शून्य
10	उड़ीसा	4	3770	शून्य	शून्य
11	राजस्थान	1	1200	शून्य	शून्य
12	तमिलनाडु	3	2300	शून्य	शून्य
13	उत्तर प्रदेश	4	4900	शून्य	शून्य
14	उत्तराखण्ड	शून्य	शून्य	1	260
	कुल	29	32,250	4	600

(ग) पर्यावरणीय मंजूरी देने में हुए विलंब के कारणों में अन्य बातों के साथ–साथ परियोजना प्रस्तावकों से अपेक्षित सूचना न आना, कोल लिंकेज की अनुपलब्धता, परियोजना के लिए जल संबंधी वचनबद्धता का अभाव, परियोजना स्थल का मौजूदा मापदण्ड तथा तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुरूप न होना आदि शामिल है।

(घ) पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी कार्रवाई में तेजी लाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है:–

- परियोजना मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की दीर्घवधिक बैठकें प्रत्येक माह होती हैं।
- विशिष्ट श्रेणी परियोजनाओं का विकेन्द्रीकृत ढंग से मूल्यांकन करने के लिए बाइस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितियों का गठन किया गया है।

एन. आर. सी. पी. में और अधिक नदियों का शामिल किया जाना

258. श्री नन्द कुमार साय :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन आर सी पी) में और अधिक नदियों को शामिल किए जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों और नदियों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत इस समय

20 राज्यों में फैले 165 शहरों में स्थित 36 नदियों के अभिनिर्धारित प्रदूषित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 11वीं योजना के दौरान राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अतिरिक्त नदियों को शामिल करने के संबंध में राज्य सरकारों से अब तक तीन प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार है:–

नदी का नाम	शहर/राज्य	लागत (करोड़ रुपए में)
तापी	प्रकाश, महाराष्ट्र	2.44
पंचगंगा	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	75.09
मंदाकिनी	चित्रकूट, मध्य प्रदेश	7.91

तापी नदी से संबंधित प्रस्ताव नवम्बर, 2008 में मंजूर किया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में अतिरिक्त नदियों/शहरों को शामिल करने के लिए समय–समय पर राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार योजना परिव्यय के अंतर्गत उपलब्ध निधियों, प्रदूषण के स्तर, केन्द्रीय योजना स्कीमों जैसे जवाहर लाल नेहरु नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन और छोटे और मध्यम के श्रेणी कस्बों के लिए अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एंड मीडियम टाऊन्स जैसी अन्य केन्द्रीय योजना की स्कीमों के अंतर्गत कार्यों को शामिल करने की संभाव्यता तथा खर्च संबंधी अनुपातिक व्यय भार वहन करने के राज्य सरकारों की वचनबद्धता के आधार पर किया जाता है।

बैंक खाता खोलना

259. श्री के. जे. एस. पी. रेड्डी :
श्री अब्दुल्लाकुट्टी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट ने यह तथ्य उद्घाटित किया है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के चार दशकों बाद भी देश की 41 प्रतिशत वयस्क जनसंख्या बैंकिंग प्रणाली से बाहर है;

(ख) यदि हां, तो समिति की अन्य सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक बैंक खाते खोले जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) जी, हां। रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत की 40% से अधिक श्रमजीवी जनसंख्या धनोपार्जन करती है, लेकिन उनकी कोई बचत नहीं होती है। समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं:–

i. वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को व्यापक बनाना,

ii. बैंकों को शाखाएं और एटीएम स्थापित करने की स्वतंत्रता,

iii. अधिक सक्षम और अर्थसुलभ बाजार सृजित करना,

iv. घरेलू बाजार में विदेशी निवेशकों की अधिक सहभागिता,

v. विकासोन्मुख विनियामक वातावरण सृजित करना,

vi. ऋण के लिए सुदृढ़ आधारभूत ढांचा सृजित करना।

भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश सहित, विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बैंक खातों का खोला जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:–

- बैंकों को 'शून्य' या बहुत कम न्यूनतम शेष के साथ बुनियादी बैंकिंग 'अतिरिक्त सुविधा रहित' खाते उपलब्ध कराने का परामर्श दिया गया है।
- एकबारगी निपटान योजना के तहत निपटाए गए ऋणों वाले छोटे उधारकर्ताओं को नया ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया गया है।
- बैंकों को प्रतिभूति, ऋण के प्रयोजना या अंतिम उपयोग पर जोर दिए बिना पात्र हिताधिकारियों को सामान्य क्रेडिट कार्ड जारी करने का परामर्श दिया गया है।
- बैंकों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में मध्यस्थों के रूप में गैर–सरकारी संगठनों, स्व–सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और सिविल सोसाइटी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस वर्ष के दौरान 250 ग्रामीण परिवार जोड़ने का लक्ष्य प्राप्त करने की सलाह दी है। सरकारी क्षेत्र के अधिकांश बैंकों ने वर्ष 2008–09 के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर किया है।

मुखबिरों को पुरस्कार

260. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपवंचकों की सूचना प्रदान करने वाले मुखबिरों को भुगतान किया जाने वाला पुरस्कार, आयकर विभाग की प्रशासनिक शक्तियों में निहित है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मुखबिरों को भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु किए गए प्रयासों को ब्यौरा क्या है;

1	2	3
4	कॉरपोरेशन बैंक	1
5	देना बैंक	43
6	इण्डियन बैंक	1
7	इण्डियन ओवरसीज बैंक	1
8	पंजाब नेशनल बैंक	26
9	सिंडिकेट बैंक	9
10	यूको बैंक	133
11	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1
12	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4
13	विजय बैंक	33
	कुल	263
सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंक		
1	आईडीबीआई लि.	201
	कुल	201
गैर-सरकारी बैंक (पुराने)		
1	फेडरल बैंक लि.	62
2	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	1
3	साउथ इंडियन बैंक लि.	19
	कुल	82
गैर-सरकारी क्षेत्र के नये बैंक		
1	एचडीएफसी बैंक लि.	4
2	इंडस इंड बैंक लि.	50
3	एक्सिस बैंक लि.	527
	कुल	581
	सकल योग	3299

समुद्र संपर्क परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति

265. श्री जसुभाई धामाभाई बारड़ : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास लंबित गुजरात की राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित समुद्र संपर्क परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) यह प्रस्ताव कितने समय से लंबित पड़े हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप हुई लागत वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयनारायण मीना) : (क) मंत्रालय ने तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत फरवरी, 2003 में मेसर्स महाराष्ट्र स्टेट रोड डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की मुम्बई में वर्ली में नारीमन प्वाइंट तक वेस्टर्न फ्रीवे सीलिंक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी थी। मंत्रालय को गुजरात राज्य से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोई सीलिंक परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बैंक डकैतियां

266. श्री एस. के. खारवेलवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से बैंकों, एटीएम और सुरक्षा एजेंसियों की नकदी ले जाने वाली गाड़ियों में डकैती की घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंक उनके साथ हुई अपराध की घटना के तुरन्त बाद, भारतीय रिजर्व बैंक को अन्य बातों के साथ-साथ लूटपाट, डकैती, लूट, आदि की घटना की रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करते हैं। तथापि, सुरक्षा एजेंन्सियों को ऐसे मामलों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देना अपेक्षित नहीं होता है। बैंकों के साथ ऐसे अपराधों का विगत 3 वर्षों अर्थात 2005, 2006, 2007 तथा चालू

वर्ष (सितम्बर, 2008 को सप्ताह तिमाही तक) के दौरान राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि हालांकि बैंक शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था मुख्यतया प्रत्येक बैंक की जिम्मेदारी है, परंतु जहां तक करेन्सी चैस्ट वाली शाखाओं का संबंध है, हमने सशस्त्र पुलिस गार्ड रखने का प्रावधान किया है। बैंक अन्य शाखाओं एवं एटीएम आदि पर आधुनिक सुरक्षा उपकरणों सहित अपना स्वयं की व्यवस्था कर सकते हैं जैसे अलार्म सिस्टम, सीसीटीवी, कोलैप्सिबल डोर/शटर्स, नाइट लैचिस, स्ट्रांग रूम में ग्रिल गेट, बख्तरबंद नकदी गाड़िया तथा टाइम–लॉक उपकरण आदि।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा कार्यान्वित सुरक्षा उपायों की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में की जाती है। समिति राज्य में सुरक्षा की स्थिति की जांच करती है, सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर विचार–विमर्श करती है, और बैंकों को आवश्यक दिशा/निर्देश/अनुदेश जारी करने की सलाह देती है।

विवरण

बैंकों के साथ हुए अपराधों का विगत तीन वर्षों अर्थात 2005, 2006, 2007 एवं चालू वर्ष (सितम्बर, 2008 को समाप्त तिमाही तक) के दौरान राज्य–वार ब्यौरा।

(लाख रुपये)

क्र.स.	राज्य	2005		2006		2007		2008	
		घटनाओं की संख्या	खोई राशि	घटनाओं की संख्या	खोई राशि	घटनाओं की संख्या	खोई राशि	घटनाओं की संख्या	खोई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	57	254.19	30	435.00	19	117.14	15	30.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	10.00	1	-	2	-	-	-
3.	असम	15	14.60	22	36.89	32	34.02	17	52.18
4.	बिहार	39	124.93	29	151.76	27	85.80	20	48.60
5.	चंडीगढ़	6	0.90	5	11.43	3	-	6	-
6.	छत्तीसगढ़	14	1.69	10	7.05	17	38.46	12	18.45
7.	दिल्ली	12	52.51	23	73.18	13	6.04	9	74.60
8.	गोवा	2	0.20	4	4.44	6	-	1	-
9.	गुजरात	22	35.52	12	90.06	27	2.47	13	124.97
10.	हरियाणा	44	67.76	17	0.28	25	24.79	31	214.55
11.	हिमाचल प्रदेश	10	-	10	-	6	-	13	-
12.	जम्मू और कश्मीर	18	28.61	5	0	11	14.41	9	54.94
13.	झारखण्ड	18	78.15	29	111.36	28	190.09	18	138.38
14.	कर्नाटक	23	12.39	24	10.48	20	31.03	14	40.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	केरल	2	-	10	83.42	9	783.00	6	-
16.	मध्य प्रदेश	22	30.53	16	45.11	26	24.01	32	43.76
17.	महाराष्ट्र	28	155.22	34	75.01	24	146.54	24	104.78
18.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	मेघालय	2	10.00	-	-	4	3.00	-	-
20.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	1	-
21.	नागालैंड	1	7.30	-	-	-	-	-	-
22.	उड़ीसा	17	44.33	20	145.96	22	395.14	18	584.97
23.	पंजाब	37	80.52	46	80.16	51	76.60	46	90.52
24.	राजस्थान	26	63.67	19	-	25	25.00	29	67.33
25.	सिक्किम	-	-	9	-	-	-	-	
26.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	30	15.25	10	22.42	11	50.91	10	39.11
27.	त्रिपुरा	-	-	1	1.00	-	-	-	-
28.	उत्तर प्रदेश	70	133.25	60	124.86	53	83.15	52	53.47
29.	उत्तराखंड	8	4.41	14	2.43	6	7.11	9	8.69
30.	पश्चिम बंगाल	21	23.52	30	75.87	24	131.10	22	125.59
	कुल	546	1249.45	490	1588.17	491	2269.81	427	1916.29

उत्तर पूर्वी राज्यों से म्यांमार तक वैकल्पिक मार्ग

267. श्री अन्वर हुसैन : क्या पोत-परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिटवे पत्तन होते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों से म्यांमार तक वैकल्पिक मार्ग का कार्य आरंभ करने से पहले इसकी तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) वर्ष 2003 में आर आई टी ई एस द्वारा कालाडन मल्टी–मॉडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। कालाडन परियोजना में पूर्वी सीबोर्डों और म्यांमार में सित्वे पत्तन और उसके बाद नदीय परिवहन तथा सड़क के माध्यम से मिजोरम तक के बीच संपर्क कायम किया जाना परिकल्पित है। यह परियोजना, भारत के उत्तर–पूर्व राज्यों को सामान के परिवहन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करेगी।

नए राष्ट्रीय राजमार्ग

268. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री पी. एस. गड्डवी :
श्री एन. राजामोहन रेड्डी :
श्री एच. डी. देवेगौडा :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राज्य राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य–वार और मार्गवार तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित राज्यीय राजमार्गों का ब्यौरा संलग्न विवण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2008–09 के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य–वार और खंड–वार ब्योरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में से कुछ सड़कों पर राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया गया है जिनका ब्योरा विवरण–I में दिया गया है। तथापि, इस समय धन के अभाव के कारण किन्हीं और सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित करने के बजाय राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में पहले से घोषित सड़कों के विकास पर जोर दिया जा रहा है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा

राज्य	रारा सं.	खंड	अनुमानित लंबाई
1	2	3	4
		(2005-06)	
जम्मू और कश्मीर	I डी	श्रीनगर–करगिल–लेह	422
उत्तर प्रदेश	एनई II	पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस मार्ग	90
हरियाणा	एनई II	पूर्वी परिधीय एक्सप्रेस मार्ग	44
		(2006-07)	
उत्तर प्रदेश	24 बी	लखनऊ–रायबरेली–इलाहाबाद	185
तमिलनाडु	226	तंजावूर–गंधर्वकोट्टई–शिवगंगा–मनमदुरै	144
	227	तिरूचिरापल्ली से लालगुडी–कुमाराधी–चिदम्बरम को जोड़ते हुए	135
गुजरात	228	अहमदाबाद–दांडी (दांडी हैरिटेज रूट)	374
पश्चिम बंगाल	2 बी	बर्दवान–बोलपुर	52
बिहार	2 सी	डेहरी–अबकरपुर–बिहार/उ.प्र. सीमा	105
		(2007-08)	
पश्चिम बंगाल	31 डी	सिलीगुडी–सलसलाबाड़ी–फुलवाड़ी–मैनागुडी–धूपगुडी फालाकाता और सोनापुर	147

1	2	3	4
केरल	47 सी	कालामोरी, रारा - 17 को पार करते हुए और वल्लारपदम पर समाप्त	17
		(2008-09-चालू वर्ष)	
अरुणाचल प्रदेश	229	अरुणाचल प्रदेश में तवांग से शुरू होकर बोमडिला, नेचीफू, सेपा, सगली, जायरो, दपोरिजो, आलौंग से गुजरते हुए पासीघाट में समाप्त होने वाला राजमार्ग	1090
अरुणाचल प्रदेश	रारा बी 52 का विस्तार	अरुणाचल प्रदेश में महादेवपुर से शुरू होकर नमचिक, चांग्लांस, खोन्सा और कनुबारी से गुजरते हुए असम में डिब्रूगढ़ के समीप बोगीबील पुल के पहुंच मार्गों पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	450
अरुणाचल प्रदेश	रारा 32 का विस्तार	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 37 का असम में सेखोवाघाट के समीप इसके अंतरिम सिरे से अरुणाचल प्रदेश में रोइंग के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 52 तक विस्तार किया गया है:	60
तमिलनाडु	रारा 226 का विस्तार	तमिलनाडु में पेराम्बलूर से शुरू होकर पेराली, कीलापलूर, अरियालूर, कुन्नाम, तिरुवैयारु, कांडीयूर को जोड़ते हुए तंजावूर में राष्ट्रीय राजमार्ग 226 से मिलने वाला राजमार्ग	85
तमिलनाडु	230	तमिलनाडु में मदुरै से शुरू होकर तिरुपुवनम, पूवांधी, शिवगंगा कलैयरकोयल, तिरुवदनै को जोड़ते हुए टोंडी पोर्ट टाउन में समाप्त होने वाला राजमार्ग	82
पश्चिम बंगाल	रारा–2बी का विस्तार	पश्चिम बंगाल में बोलपुर से शुरू होकर प्रांतिक, मयूरेश्वर को जोड़ते हुए मोल्लारपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	54
हिमाचल प्रदेश	20ए	हिमाचल प्रदेश में नगरोटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 20 के जंक्शन से शुरू होकर रानीताल, देहरा को जोड़ते हुए मुबारिकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 70 के जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग	91
हिमाचल प्रदेश	72बी	हिमाचल प्रदेश में पाउंडा में राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के जंक्शन से शुरू होकर राजबन, शिलई को जोड़ते हुए और उत्तराखंड में मीनस, तुईनी से गुजतरे हुए और हिमाचल प्रदेश में हटकोटी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	109
उत्तराखंड	72 बी	हिमाचल प्रदेश में पाउंटा में राष्ट्रीय राजमार्ग 72 के जंक्शन से शुरू होकर राजबन, शिलई को जोड़ते हुए और उत्तराखंड में मीनस, तुईनी से गुजरते हुए और हिमाचल प्रदेश में हटकोटी में समाप्त होने वाला राजमार्ग	51

विवरण-II

2008–09 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रुप में घोषित सड़कों सहित नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार और खंडवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	सड़क/खंड का ब्यौरा	लंबाई (कि.मी.)
1	2	3	4
I.	आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद–श्रीसैलम–डोरनाला–आत्माकुर–नांदयाल	353.18
		2. काकीनाड़ा–द्वारपुडी–राजमुंदरी–कोवूर–सूयापेट	300
		3. सिरौंचा महादेवपुर–तुंगतुरथी–एरपेडू–रेनीगुंटा	650
		4. ताड़िपात्रि–रायचूर सड़क वाया अनंतपुर–उरवाकोंडा सड़क	146.17
		5. गूंटूर–विनूकोंडा–टोकापल्ली–नांदयाल–बनगनापल्ली–ऑक–ताडपटरी–ध्र्मावरम–कोडूर सड़क	530
		6. आदिलाबाद–उटनूर–खन्नापुर–कोरुतला–विमूलावाड़ा–सिद्धिपेट–जनगांव–सूर्यापेट–मिर्यालगुडा–पिडूगुराला–नरसराओपेट–वोडारेवू	630
		7. पुतलपट्टू–तिरुपति	40
		8. आंध्र प्रदेश से गुजरने वाली कर्नाटक में मंगलौर के निकट बीसी सड़क को जोड़ने वाली और तमिलनाडु में तिरुवनामलाई में समाप्त होने वाली सड़क	–
II	अरुणाचल प्रदेश	1. तवांग–बोमडिला–नेचिपू–सिसेपा–सगाली–जीरो–डेपोरिजो–आलोंग–पासीघाट	1090
		2. आंध्र प्रदेश में महादेवपुर–नमचीक–चगलांग–खोनसा–कानूबाड़ी और बोगीबील पुल के पहुंच मार्गों से जोड़ते हुए असम में डिब्रूगढ़ के निकट समाप्त	450
		3. रारा–37 को रोइंग के निकट रारा–52 से जोड़ने के लिए असम में सैखोवाघाट के निकट इसके अंतिम छोर से विस्तार किया गया है।	
III	बिहार	1. दरभंगा–कमतोला–माधवपुर सड़क	60
IV.	हिमाचल प्रदेश	1. तारादेवी (शिमला)–जुब्बारहट्टी–कुनीहार–रामशहर–नालागढ़–घनौली (एसएच सं.6) (हि0 प्र. सीमा) सड़क	106.400
		2. भरमौर–चंबा–डलहौजी–पठानकोट सड़क	133.00
		3. हमीरपुर–सुजानपुर–पालमपुर सड़क	60.00
		4. ब्रह्मपुखर–बिलासपुर–घुमारविन–सरकाघाट–बैजनाथ सड़क	111.80
		5. स्लैपर–पंडोह–चैलचौक–करसोग–टट्टापानी–धल्ली–थ्योग–कोटखाई–जुब्बल–हतकोटी सड़क	300.00

1	2	3	4
		6. नगरोता–रानीताल–डेहरा–मुबारिकपुर सड़क	91
		7. पौंटा–राजबन–शिल्लई–मानस–हतकोटी सड़क	150
V.	कर्नाटक	1. बीदर–हुमनाबाद–गुलबर्गा–सिरीगुप्पा–बेल्लारी–हिरीयूर–चिकनायकनाहल्ली–नागमंगला–पांडवपुरा–श्रीरंगपटना	679
		2. कर्नाटक में मंगलौर के निकट बी सी रोड को जोड़ते हुए सड़क जो आंध्र प्रदेश से गुजरती है और तमिलनाडु में तिरुवनामलई में समाप्त होती है।	
VI.	मणिपुर	1. चुड़ाचांदपुर में तुईवई वाया सिंगहार–सिंगजोल सड़क	163
VII.	मिजोरम	1. कीतुम से जोखवतर वाया खौबंग सड़क	163
VIII.	पुडुचेरी	1. चेन्नै से पुडुचेरी तक पूर्व तटीय सड़क	–
IX.	सिक्किम	1. नाथुला से सिलीगुड़ी तक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग	–
		2. सिंगथाम और चुगथंग से गुजरते हुए लाचुंग घाटी	–
		3. रांगपो ओर रोराथंप से गुजरते हुए रोंगली	–
		4. रानीपुल और रोराथंग से गुजरते हुए पाकयोंग	–
X.	त्रिपुरा	1. कुकीताल से सबरूम वाया धरमनगर–अमरपुर, रुपईचारी	310
XI.	तमिलनाडु	1. पैराम्बलूर–पैराली–कीलापलूर–अरियालूर–कुन्नाम–तिरुवैयारू–कांदीयूर–तंजावूर में रारा–226 को जोड़ते हुए	85
		2. मदुरै–तिरुपुवनम–पूवांधी–शिवगंगा–कैलायरकोइल–तिरुवदनई–तोंडी पत्तन शहर	82
		3. कर्नाटक में मंगलौर के निकट बीसी सड़क को जोड़ने वाली सड़क जो आंध्र प्रदेश से गुजरती है और तमिलनाडु में तिरुवनामलई में समाप्त होती है।	–
XII.	उत्तर प्रदेश	1. कुरावली–मैनपुरी–करहल–इटादा सड़क	73.158
		2. सिरसागंज–करहल–किशनी–विधुना–चौबेपुर सड़क	161.53
		3. बरेली–बदायूं–बिलसी–गजरौला–चांदपुर–बिजनौर सड़क	262.39
		4. जगदीशपुर–गौरीगंज–अमेठी–प्रतापगढ़ सड़क	79.00
		5. फतेहपुर–रायबरेली–जगदीशपुर–फैजाबाद सड़क	181.960
		6. लुम्बिनी दुधी राज्यीय राजमार्ग सं. 5	101.00
		7. रायबरेली–प्रतापगढ़–मछलीशहर–जौनपुर राज्यीय राजमार्ग सं. 36	168.80
		8. उन्नाव–लालगंज–रायबरेली–गौरीगंज–सुल्तानपुर	185.77

1	2	3	4
		9. लुम्बिनी–नौगढ़–सिद्धार्थनगर–बंसी–बस्ती–टांडा आजमगढ़–वाराणसी	292.10
		10. लखनउ–बांदा	148.52
		11. पीलीभीत–बरेली–बदाउं–कासगंज–हाथरस–मथुरा–भरतपुर (राजस्थान सीमा)	283.03
		12. अम्बेडकर नगर–सुल्तानपुर–अमेठी–रायबरेली–लालगंज–फतेहपुर	286.65
		13. मेरठ–बुलंदशहर (एसएच–18 का भाग)	66.165
XIII.	उत्तराखंड	1. बाडवाला से जुड्डू (हरबरतपुर–बाडकोट बैंड)	18
XIV.	पश्चिम बंगाल	1. बोलपुर–प्रांतिक–मयूरेश्वर–मोल्लारपुर	54

[हिन्दी]

ऋण पर ब्याज

269. श्री रामदास आठवले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथिनुसार देश पर प्रतिव्यक्ति ऋण भार क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त ऋण पर कितना ब्याज चुकाया गया; और

(ग) सरकार द्वारा ऋण स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सितंबर–अन्त 2008 में देश पर प्रति व्यक्ति ऋण–भर नीचे सारणी में दिखाया गया है:

सारणी 1 : प्रति व्यक्ति ऋण भार

वर्ष	कुल विदेशी ऋण (करोड़ रुपए)	प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण(रुपए)	आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार की अन्य देनदारियां (करोड़ रुपए)	प्रति व्यक्ति आंतरिक देनदारियां (रुपए)
2008–09 (सितम्बर–अन्त, 2008)	1,040,968	9,021	2,333,082	20,217

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के विदेशी ऋण और घरेलू ऋण (आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार की अन्य देनदारियां) पर की गई ब्याज अदायगियां निम्नानुसार हैं:

सारणी 2 : ऋण पर की गई ब्याज अदायगियां

(करोड़ रुपए)

वर्ष (मार्च–अन्त)	कुल विदेशी ऋण पर ब्याज अदायगियां	केंद्र सरकार के घरेलू ऋण पर ब्याज अदायगियां
2005–06	23,106	132,630
2006–07	24,741	150,272
2007–08	26,600	171,971 सं.अ.
2008–09	13,566 (अप्रैल, 08–सितंबर, 08)	190,807 ब.अ. (अप्रैल, 08–मार्च, 09)

सं.अ. : संशोधित अनुमान, ब.अ. : बजट अनुमान

(ग) सरकार द्वारा विदेशी ऋण के प्रबंधन के लिए अपनाई गई विवेकपूर्ण नीतियों ने विदेशी ऋण की सन्तोषजनक स्थिति बनाए रखने में मदद की है। इनमें रियायती दरों पर और लम्बी परिपक्वताओं वाले कम महंगे स्रोतों से निधियां जुटाने पर जोर देना, अल्पावधिक ऋण को मॉनीटर करना, ऊंची लागत के ऋणों की समय–पूर्व अदायगी करना और ऋण सृजित न करने वाले पूंजी प्रवाहों को प्रोत्साहित करना शामिल है।

केंद्र सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटे में कमी लाने के उद्देश्य के अनुसरण में सरकारी ऋण में होने वाली वृद्धि को सन्तुलित करने की कार्यनीति का पालन कर रही है।

[अनुवाद]

अस्पतालों का उन्नयन

270. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत वर्ष के दौरान कर्नाटक सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अपने–अपने राज्यों में अस्पतालों के उन्नयन हेतु सहायता प्रदान किए जाने हेतु कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) कुल कितनी राशि जारी की गई है तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना देश में कर्नाटक सहित राज्य–वार कुल कितने अस्पतालों को उन्नत/आधुनिक बनाया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में स्वास्थ्य अवसंरचना के उन्नयन, स्वास्थ्य मानव संसाधनों के संवर्धन तथा स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित संगठन प्रोटोकॉल के सुदृढ़ीकरण के ज़रिए समूची क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गई है। ये क्रिया–कलाप विकेन्द्रीकृत ढंग से चलाए जाते हैं और राज्य एनआरएचएम के अंतर्गत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करते हैं जिनका राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा मूल्यांकन एवं अनुमोदन किया जाता है। कर्नाटक समेत सभी राज्यों ने एन आर एच एम के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत ढंग से इस स्वास्थ्य प्रणाली का विस्तृत पुनरूज्जीवन किया है। राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए विस्तृत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनायें और साथ ही साथ एन पी सी सी की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजानेक क्षेत्र में दिया गया है ताकि पारदर्शिता को सुकर बनाया जा सके और राज्यों द्वारा की जा रही पहल–प्रयासों का खुला प्रचार–प्रसार किया जा सके।

एन आर एच एम के अंतर्गत, विभिन्न वर्षों के दौरान राज्यों को निर्मुक्त की गई निधियां संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

विवरण

वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के दौरान राज्यवार निर्मुक्तियां

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्यों/संघ क्षेत्रों का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जनवरी तक)
1	2	3	4	5	6
अधिक ध्यान दिए जाने वाले					
1	बिहार	31588.20	49012.46	48210.19	47723.24
2	छत्तीसगढ़	11861.49	16443.09	17879.71	24288.78
3	झारखंड	14351.44	19158.53	15827.63	12495.54
4	मध्य प्रदेश	29813.85	47214.46	63690.62	56817.82

1	2	3	4	5	6
5	राजस्थान	32522.00	45991.10	69234.75	56858.90
6	उड़ीसा	23107.61	23882.89	36045.00	26648.05
7	उत्तर प्रदेश	92999.53	118024.45	153149.65	101600.94
8	उत्तराखंड	5685.78	5066.81	16213.71	7565.68
9	जम्मू और कश्मीर	6768.56	5710.24	16557.43	3355.48
10	हिमाचल प्रदेश	5864.59	7897.39	5407.14	5294.71
11	असम	15413.08	37541.59	59374.69	49065.56
12	अरुणाचल प्रदेश	2899.93	5068.57	4224.83	2054.21
13	मणिपुर	2697.66	3867.97	4763.79	2022.64
14	मेघालय	2156.33	3733.80	4003.24	3157.77
15	मिजोरम	2761.60	6065.77	2944.01	3420.38
16	नागालैंड	2960.03	4388.12	4452.78	4400.90
17	त्रिपुरा	2876.65	4065.98	7228.08	5669.89
18	सिक्किम	947.40	2444.54	4208.38	1505.27
	उप–योग	287255.73	405577.76	533415.62	413945.74
अधिक ध्यान न दिए जाने वाले					
1	आंध्र प्रदेश	36539.11	42328.49	63124.46	59086.81
2	गोवा	616.91	437.33	516.24	1073.65
3	गुजरात	34628.11	31175.23	41789.21	27851.88
4	हरियाणा	8513.82	13468.84	13178.89	17609.28
5	कर्नाटक	19926.81	28401.99	31462.43	41596.42
6	केरल	11365.17	19062.04	29761.01	17733.58
7	महाराष्ट्र	33858.64	36610.91	70634.20	41024.75
8	पंजाब	9412.82	17350.27	11889.20	14625.92

1	2	3	4	5	6
9	तमिलनाडु	24515.52	36547.39	59067.17	48838.50
10	पश्चिम बंगाल	29987.53	44049.58	54867.67	48025.28
11	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	844.65	1013.63	796.96	426.26
12	चंडीगढ़	337.02	698.01	477.11	309.69
13	दादरा और नगर हवेली	177.59	289.26	134.44	158.38
14	दमन व द्वीव	178.99	358.56	51.10	110.76
15	दिल्ली	3283.08	5440.24	8135.97	8186.73
16	लक्षद्वीप	161.37	175.46	49.91	34.39
17	पुदुचेरी	430.52	616.87	477.93	297.90
	उप–योग	214777.66	278024.10	386413.89	326990.19
	कुल योग	502033.39	683601.9	919829.30	740935.93

[हिन्दी]

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविर

271. **श्री हंसराज गं. अहीर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी शिविरों के अस्तित्व का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) जी हां। भारत ने पाकिस्तान द्वारा 6 जनवरी, 2004 और 24 सितम्बर, 2008 को व्यक्त किए गए उसके इन पावन वचनबद्धताओं का क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पर निरंतर बल दिया है कि वह पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन किसी भी भूक्षेत्र का उपयोग किसी भी प्रकार से आतंकवाद की सहायता के लिए किये जाने की अनुमति नहीं देगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों से पथ-कर का संग्रहण समाप्त किया जाना

272. **डा. के. एस. मनोज** :
श्री प्रतीक पी. पाटील :

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में चालू वर्ष के दौरान राज्य–वार और वर्ष–वार राष्ट्रीय राजमार्गों से कितना पथ–कर संग्रहित किया गया है;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के कुछ मार्ग खंडों पर पथ–कर समाप्त करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) वर्ष 2005–06,

2006–07, 2007–08 और 2008–09 (जनवरी, 2009 तक) के दौरान लोक वित्तपोषित परियोजनाओं के माध्यम से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड, स्थायी पुल, बाइपास अथवा सुरंग जो राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा हैं, के लिए संग्रहीत शुल्क राशि का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2005–06, 2006–07, 2007–08 और 2008–09 (जनवरी, 2009 तक) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खंड, स्थायी पुल, बाइपास अथवा सुरंग जो राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा हैं, के प्रयोग के लिए राज्यवार संग्रहीत धनराशि

(राशि लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (जनवरी, 09 तक)
1	आंध्र प्रदेश	12404.01	16908.79	24655.47	22434.08
2	असम	129.22	101.81	102.00	138.96
3	बिहार	828.15	917.67	2110.03	3211.39
4	छत्तीसगढ़	232.59	238.94	371.81	222.59
5	गुजरात	11637.59	17280.03	14773.71	10798.91
6	हरियाणा	12169.81	13521.67	15203.87	7496.70
7	झारखंड	1975.86	1915.53	2258.00	3975.85
8	कर्नाटक	1802.79	1984.06	6341.72	12103.14
9	केरल	518.72	486.74	590.09	553.25
10	महाराष्ट्र	8047.29	9690.18	13388.97	10505.11
11	मध्य प्रदेश	1772.16	2765.91	3013.84	2688.26
12	मणिपुर	3.84	15.73	5.39	4.50
13	उड़ीसा	794.51	2458.82	976.43	1943.64
14	पंजाब	4826.13	14520.71	5254.62	5374.38
15	राजस्थान	14793.93	48018.02	22540.36	23189.61
16	तमिलनाडु	6064.03	12421.97	18612.33	17019.27
17	उत्तर प्रदेश	5638.51	6150.68	7982.9	12735.29
18	उत्तराखंड	154.18	182.79	223.08	203.24
19	पश्चिम बंगाल	2441.03	6468.77	10652.16	10341.63
	कुल	86232.35	156048.82	149056.78	144939.80

रिक्त पद

273. श्री रमेश दूबे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित कोटा के अंतर्गत कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) उक्त रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुकम्पा के आधार पर कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को नियुक्त किया गया है तथा शेष लोगों को कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु 28 आवेदकों की सिफारिश की गई है।

सीजेरियन मामलों में वृद्धि

274. श्री विजय कृष्ण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में सीजेरियन डिलीवरी मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी संख्या में सीजेरियन और नार्मल डिलीवरी के मामले दर्ज हुए हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में विश्व में अन्य देशों की तुलना में भारत का क्या स्थान है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ङ) स्वास्थ्य के राज्य का विषय होने के कारण इसकी सूचना का केंद्रीय स्तर पर रखरखाव नहीं किया जाता। तथापि, दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के तीन अस्पतालों नामतः डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं इससे संबद्ध अस्पतालों में सीजेरियन आपरेशन रोगियों के हित में आवश्यकता और चिकित्सीय उपयोगिता के अनुसार किए जाते हैं।

सरकारी अस्पतालों में शिशुओं की मृत्यु

275. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में घटी एक घटना की तरफ आकृष्ट किया गया है जिसमें एक सरकारी अस्पताल में आग लगने के कारण 'एन्क्युबेटर' में रखे पांच नवजात बच्चों की मौत हो गई जैसा कि 1 फरवरी 2009 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) पंजाब सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार राजेन्द्र अस्पताल, पटियाला के स्त्री रोग विज्ञान रोगी कक्ष में शिशु सदन में 31.1.2009 को प्रातः लगभग 4.30 बजे आग लग गई। फोटो थेरेपी यूनिट में रखे गए पांच नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई तथा पांच शिशुओं को बचा लिया गया। इस सिलसिले में, न्यायिक जांच शुरू की गई है।

तथापि, जहां तक दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और इसस संबद्ध अस्पतालों का सरोकार है, उनमें कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। पुराने उपस्करों विशेषकर खुले में परिचर्या करने वाले ऊष्मकों एवं ऊष्मायित्रों के नई मशीनों से प्रतिस्थापन जैसे सुरक्षा उपाय आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अभियंता इन अस्पतालों के शिशु सदनों में शार्ट सर्किट की जांच करने के लिए आवधिक निरीक्षण करते हैं। धुएं का पता लगाने तथा अग्निशामक यंत्रों को भी ऐसी अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए उपलब्ध रखा गया है।

[हिन्दी]

विशेष श्रेणी राज्य के रूप में महाराष्ट्र

276. श्री रामदास आठवले : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र को विशेष श्रेणी राज्य घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) महाराष्ट्र को विशेष श्रेणी राज्य घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जीवन रक्षक औषधियों को आवश्यक दवाइयों की सूची में शामिल करना

277. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधियों के क्या नाम हैं जिन्हें आवश्यक दवाइयों की विद्यमान सूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या कई जीवन रक्षक औषधियों को आवश्यक दवाइयों की सूची में शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन औषधियों को आवश्यक दवाईयों की सूची में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 354 औषधों को अनिवार्य दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है और यह सी डी एस ओ की वेबसाइट (www.cdsco.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जी, हां। अनिवार्य दवाओं की राष्ट्रीय सूची में वैसी औषधें शामिल होती हैं जिन्हें देश में जनसमुदाय की समकालीन स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त समझा जाता है। उपचार के लिए आवश्यक सभी औषधों को किसी–न–किसी समय जीवन रक्षक समझा जा सकता है। तथापि, वर्तमान सूची में वैसी औषधें शामिल हैं जो आपातकालीन परिचर्या या जानलेवा स्थिति में आवश्यक होती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्व-सहायता समूहों को ऋण

278. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) को चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त ब्याज दर पर ऋण प्रदान नहीं किए जाने के संबंध में कतिपय स्व–सहायता समूहों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) आज की तिथि तक उक्त ब्याज दर पर राज्य–वार कितने स्व–सहायता समूहों को ऋण प्रदान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, नहीं। तथापि सरकार की विभेदक ब्याज दर योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के उधारकर्ता जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 18,000/– रु. हो तथा अर्ध–शहरी तथा शहरी क्षेत्रों के उधारकर्ता जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 24,000/– रु. हो, वे प्रति लाभार्थी 4% की वार्षिक ब्याज दर पर 15,000 रु. तक का ऋण तथा 20,000/– रु. तक का आवास ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सड़क बनाने के लिए 'जीयो-टेक्सटाइल'

279. डा. के. एस. मनोज : क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाबरीकृत सड़कों पर बिछाने के लिए, 'कॉयर जीयो–टेक्सटाइल' के उपयोग पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा) : (क) जी नहीं। मंत्रालय ने डाबरीकृत सड़कों पर बिछाने के लिए, 'कॉयर जीयो–टेक्सटाइल' के उपयोग का प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एसजीएसवाई, एसजेएसआरवाई और पीएमआरवाई के अंतर्गत ऋण

280. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात सहित देश में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) और प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के अंतर्गत ऋण मुहैया कराने के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और बैंकों द्वारा कितनी राशि का ऋण संवितरित किया गया है;

(ख) क्या ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया जटिल है और उक्त योजनाओं के लिए स्वीकृत ऋण राशि अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

281. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन यू एच एम) आरंभ करने हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शहरों में रहने वाले गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों से उन्हें एनयूएचएम में सम्मिलित करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी) : जी, नहीं।

(ख) से (ङ) शहरी निर्धन लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं पर एक समर्पित और संकेन्द्रित तरीके से ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। इस मिशन के अधीन प्रस्तावित कार्यनीतियां राज्यों से परामर्श करने के बाद तैयार की गई हैं। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

जनसंख्या नियंत्रण उपाय

282. श्री विजय कृष्ण : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यूनाइटेड नेशन्स पोपुलेशन फंड) द्वारा देश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक प्राप्त किए गए परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा अन्य कौन–कौन से कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी) : (क) से (ग) यू एन एफ पी ए भारत सरकार की सहायता प्रजनन स्वास्थ्य, लिंग और जनसंख्या विकास मुद्दों संबंधी इसके पंचवर्षीय कंट्री प्रोग्रामों के जरिए करता रहा है। अपने कंट्री प्रोग्रामों के अंतर्गत, यू एन एफ पी ए ने क्रमशः वर्षों 2005, 2006, 2007 तथा 2008 (31.12.2008 तक का अनुमानित व्यय) हेतु प्रचालन के वार्षिक नियोजन की दृष्टि से क्रमशः 13 मिलियन, 14 मिलियन, 13 मिलियन तथा 10.49 मिलियन अमरीकी डॉलर का व्यय किया है।

यू एन एफ पी ए को राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के चरण–II (आर सी एच–II) के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2005 में एक विकास सहयोगी के रूप में शामिल किया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन के 2012 तक के निर्दिष्ट लक्ष्य में मातृ दर अनुपात को प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 100 तक, नवजात मृत्युदर अनुपात को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 30 तक और कुल जनन क्षमता अनुपात को 2.1 तक घटाना है। उक्त लक्ष्यों की तुलना में नवजात मृत्यु दर अनुपात प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 55 (एस आर एस–2007), मातृ मृत्यु दर अनुपात प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 301 (एस आर एस–2001–2003) और कुल प्रजनन क्षमता अनुपात 2.7 (एस आर एस–2008) तक आ पहुंचा है।

प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य–II कार्यक्रम में ऐसी कार्य प्रणाली अपनाई गई थी जिसमें प्रजनन क्षमता में कमी जच्चा–बच्चा मृत्यु दर में कमी के साथ–साथ होती है। एन एफ एच एस–III में भारत के अंदर वर्तमान प्रजनन क्षमता की प्रवृत्ति प्रति महिला पर 2.7 शिशु की है जो प्रति महिला पर 2.1 शिशु रहने की प्रतिस्थापन दर से अधिक है।

सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) बंध्यीकरण की विफलता, उसकी जटिलताओं और उससे होने वाली मौत के लिए बंध्यीकरण स्वीकारकर्ताओं को बीमा कवर प्रदान करने के लिए नवम्बर, 2005 से राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई है और डाक्टरों/स्वास्थ्य सुविधाओं को क्षतिपूर्ति बीमा भी प्रदान करती है।

(ii) मजदूरी की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा सेवाओं के प्रदाताओं को मुआवजा प्रदान करने के लिए भी सितम्बर, 2007 में बृहत पैकेज में संशोधन किया गया है। इसमें गैर सरकारी क्षेत्र के साथ भागीदारी की व्यवस्था भी थी।

(iii) परिवार नियोजन सेवाओं के उन्नयन पर ध्यान देने और सेवा प्रदायकों की संख्या को बढ़ाने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन हर वर्ष राज्यों की परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं में विशिष्ट कार्य मुद्दों/कार्यनीतियों को शामिल किया गया है।

(iv) पुरुष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिना चीरा टांका बंध्यीकरण की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना।

(v) आईयूडी 380ए को इसके 10 वर्षों की दीर्घकालिकता और अन्य आईयूडी के मुकाबले अधिक लाभकारी होने के कारण जन्म में अंतराल रखने की एक विधि के रूप में व्यापक रूप से बढ़ावा देना।

(vi) वर्ष भर नियत दिन, नियत स्थान पर परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता चौबीसों घंटे कार्य करने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में हो रही वृद्धि तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य सुविधाओं के बेहतर ढंग से कार्य करने के कारण संभव हुई।

इसके अलावा, सरकार का पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए गर्भ निरोधक प्रौद्योगिकियों के विकास और मूल्यांकन के लिए अनुसंधान करने का एक समर्पित कार्यक्रम है। पिछले तीन दशकों के दौरान सरकार ने विभिन्न प्रकार की अन्तः गर्भाशय युक्तियों, मुख सेव्य गर्भ निरोधकों, इंजेक्टिबल और प्रतिरोपित किए जाने वाले गर्भ निरोधकों का उनकी प्रभावकारिता और स्वीकार्यता के लिए मूल्यांकन किया है। अनचाहे गर्भधारण को रोकने के लिए एक सशक्त विधि से दंपतियों की मदद करने हेतु आपाती गर्भनिरोधक शुरू किए गए हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 17 (अ) जो 7 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरीयता और पदोन्नति) विनियम, 2008 का अनुमोदन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 10519/09]

(2) (एक) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007–08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विशाखापत्तनम डॉक लेबर बोर्ड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007–08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10520/09]

(3) (एक) पूर्ववर्ती–मुम्बई डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2007–08 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्ववर्ती–मुम्बई डॉक लेबर बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2007–08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10521/09]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(क) (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007–08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007–08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10522/09]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007–08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 2007–08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10523/09]

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, मुम्बई के वर्ष 2007–08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, मुम्बई के वर्ष 2007–08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10524/09]

अल्प संख्यक कार्य मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007–08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2007–08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10525/09]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) सामान्य वित्तीय नियम, 2005 की धारा 212 की उपधारा (2) के अधीन रिसर्च एण्ड इन्फार्मेशन सिस्टम फार डेवलपिंग कंट्रीज, नई दिल्ली के वर्ष 2007–08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10526/09]

(3) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के वर्ष 1999–2000 से 2006–2007 तक के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् 9 माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल. टी. 10527/09]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तरपूर्व) : महोदय, मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब मंत्री आए और वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे तथा अन्य पत्र रखे तो उन्हें मद 4 (3) में एक अवसर प्रदान किया गया। मद सं. 4(3) के मार्फत सरकार विश्व मामलो की भारतीय परिषद् के संबंध में वर्ष 1999–2000 से 2006–07 के लेखे न रखने का वक्तव्य दे रही है। विश्व मामलों की भारतीय परिषद का क्या हो रहा है? सरकार को आगे आना चाहिए और बताना चाहिए कि वे ऐसा क्या करने जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इन्हें प्रस्तुत करने में देरी का स्पष्टीकरण दे दिया है। अब इन्हें प्रस्तुत किया जा रहा है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : संसद में लेखे देर से प्रस्तुत करने के कारण बताए जा चुके हैं।

...(व्यवधान)...

मोहम्मद सलीम : विश्व मामले परिषद के कार्य क्या हैं? *...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसी ही बात करी है। कि हो सकता है कि आपको ये अच्छा न लगे। बेशक, उसने यह दिया है।

...(व्यवधान)...

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10528/09]

(2) (एक) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसीन, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसीन, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10529/09]

(4) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 27 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 755(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 10 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 780(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2009 जो 22 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 46(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) उपर्युक्त (4) की मद संख्या (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10530/09]

(6) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 1 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2678 (अ) जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की उसमें उल्लिखित विभिन्न धाराओं के उपबंधों के प्रवृत होने की तारीख 18 नवम्बर, 2008 नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 1053109]

(7) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (नेशनल इलनेस असिस्टेन्स फण्ड), नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10532/09]

(9) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसीन, बंगलौर के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसीन, बंगलौर के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10533/09]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : महोदय, मैं श्री के. एच. मुनियप्पा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) का. आ. 2472 (अ) और का.आ. 2473(अ) जो 17 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (दुर्ग–नागपुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 2721(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (धुले–पिम्पलगांव खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2720(अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पिम्पलगांव–धुले और वादापी–गोंडे खण्डों) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 2574 (अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2575 (अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 3001(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली–किरतपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का. आ. 2699(अ) ज। 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनई–II (ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस.) (फरीदाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2722 (अ) जो 25 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1166(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ. 2883(अ) जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो महाराष्ट्र राज्य में राजमार्ग संख्या 3 (वादापी–गोंडे खण्ड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 2902 (अ) जो 16 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम–भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन और बाइपास के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 31(अ) और का.आ. 34(अ) जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुडगांव–कोटपुतली–जयपुर खण्ड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बारह) का.आ. 2640(अ) जो 12 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (बंगलोर–ओल्ड मद्रास रोड़) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए पुल के नीचे सड़क के अतिरिक्त निकास मार्ग के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 2641 (अ) जो 12 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वनियामपाड़ा–त्रिसूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2711 (अ) जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (नीलमंगला–हासन–खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 2740 (अ) जो 26 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 212 (कोझीकोड़–कोलेगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए काविनी नदी के ऊपर बड़े पुल के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 2741(अ) जो 26 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुडगांव–कोटपुतली–जयपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 3010 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का. आ. 528 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ. 2933 (अ) जो 19 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (महुआ–जयपुर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 2882(अ) जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारतपुर के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (भरत–महुआ खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 06(अ) जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (बड़ोदरा–सूरत खण्ड) के निर्माण (छह लेन वाला बनाने) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 2838(अ) से का.आ. 2840(अ) जो 4 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (फतेहपुर–पाली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 08(अ) और का.आ. 09(अ) जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुडगांव–कोटपुतली–जयपुर खण्ड) के विभिन्न भागों में निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 22(अ) जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (धौलपुर–मुरैना खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 2(अ) जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (गुवाहाटी–नलबाड़ी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 5(अ) जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग (श्रीरामपुर–चम्पामती खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का. आ. 218(अ) जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्ताईस) का.आ. 219(अ) जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जनवरी, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 116(अ) को निरस्त किया गया है।

(अट्ठाईस) का.आ. 2579(अ) जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 के निर्माण (चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारियों के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 394(अ) जो 3 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारियों के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 113अ (अ) जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके

द्वारा 18 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2153 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का.आ. 145(अ) जो 14 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के चार लेन वाले भाग के प्रयोक्ताओं से उद्ग्रहणीय शुल्क की दरों के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 7(अ) जो 1 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1884(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तैंतीस) का.आ. 2990(अ) जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 30 जुलाई, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1884(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(चौंतीस) का.आ. 2991 (अ) जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (कानपुर–वाराणसी खंड) के निर्माण (चार लेन वाला बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 137 (अ) और का. आ. 138(अ) जो 14 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (कुराली–कीरतपुर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 139(अ) और का.आ. 140(अ) जो 14 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 (जालंधर–अमृतसर खंड) के विभिन्न भागों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 2825(अ) जो 3 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली राजधानी राज्यक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (दिल्ली–आगरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 2825(अ) जो 1 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.ई.–II [ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (गौतम बुद्ध नगर खण्ड)] के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 2868(अ) जो 12 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25 (जाजमऊ गंगा पुल में रमादेवी आर.ओ.बी. खंड तक) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 2919(अ) जो 17 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.ई. –I। (ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे (गौतम बुद्ध नगर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (सत्ताईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10534/09]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008, जो 5 दिसम्बर, 2008 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 838(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10535/09]

(5) केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2009, जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (ऑल इंडिया परमिट फॉर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स) संशोधन नियम, 2009, जो 30 जनवरी, 2009 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 58(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 10536/09]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:–

(1) (एक) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007–08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2007–08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10537/09]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2008, जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 716(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2008, जो 3 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 717(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2008, जो 23 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 748(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2008, जो 23 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 749(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 2008, जो 3 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 765(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2008, जो 3 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 766(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) बारहवां संशोधन विनियम, 2008, जो 12 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 855(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2008, जो 12 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 856(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तेरहवां संशोधन विनियम, 2008, जो 18 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 862(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 2008, जो 18 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 863 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) पंद्रहवां संशोधन विनियम, 2008, जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 898 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2008, जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 899(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौदहवां संशोधन विनियम, 2008, जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 900(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 2008 जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 901(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2008, जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 902(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2008, जो 30 दिसंबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 903(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) से (छ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10538/09]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : महोदय, मैं दसवीं, बारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या–सैंतालीस छठा सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10539/09]

2. विवरण संख्या–सैंतीस नौवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10540/09]

3. विवरण संख्या–चालीस तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10541/09]

बारहवीं लोक सभा

4. विवरण संख्या–चालीस चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10542/09]

तेरहवीं लोक सभा

5. विवरण संख्या–पैंतालीस तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10543/09]

6. विवरण संख्या–छत्तीस पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10544/09]

7. विवरण संख्या–इकतीस नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10545/09]

8. विवरण संख्या–अट्ठाईस दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10546/09]

9. विवरण संख्या–चौबीस ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10547/09]

10. विवरण संख्या–पच्चीस बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10548/09]

11. विवरण संख्या–बाईस तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10549/09]

12. विवरण संख्या–इक्कीस चौदहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10550/09]

चौदहवीं लोक सभा

13. विवरण संख्या–अठारह दूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10551/09]

14. विवरण संख्या–सोलह तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10552/09]

15. विवरण संख्या–सोलह चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10553/09]

16. विवरण संख्या–चौदह पांचवां सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10554/09]

17. विवरण संख्या–तेरह छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10555/09]

18. विवरण संख्या–बारह सातवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10556/09]

19. विवरण संख्या–दस आठवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10557/09]

20. विवरण संख्या–नौ नौवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10558/09]

21. विवरण संख्या–आठ दसवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10559/09]

22. विवरण संख्या–छह ग्यारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10560/09]

23. विवरण संख्या–पांच बारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10561/09]

24. विवरण संख्या–तीन तेरहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10562/09]

25. विवरण संख्या–एक चौदहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10563/09]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) इम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाईनान्स मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाईनान्स मिनिस्टर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 10564/09]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : –

(एक) सेववैट क्रेडिट (तीसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 908 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेववैट क्रेडिट (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 जो 5 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 836 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 882(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2008 को जारी अधिसूचना संख्या 14/2008 के.उ.शु. (एनटी) को अधिक्रमित करना है ताकि ऐसी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की लागू दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप खुदरा मूल्य आधार पर उत्पाद पर शुल्क लगाए जाने वाली वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाए जाने के प्रयोजनार्थ 24.12.2008 से उपशमन दरें निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 837(अ) जो 5 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 फरवरी, 2005 की अधिसूचना संख्या 3/2005–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 840(अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित 10 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 841(अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उसमें उल्लिखित वस्तुओं पर उत्पाद–शुल्क कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 884(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर स्प्रिट, जब इन्हें 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के विनिर्माण में उपयोग किया जाना हो, को विनिर्माता द्वारा किसी स्वतंत्र क्रेता को बेचे गए मोटर स्प्रिट पर लगाए जाने वाले शुल्क से अधिक शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 885(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल और इथेनॉल से विनिर्मित 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 886(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 28/2002–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 887(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2006 की अधिसूचना संख्या 4/2006–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 19(अ) जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या 8/2004–के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 826(अ) जो 1 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 8 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/2002–के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (तेरह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10565/09]

(4) सीमा–शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा.का.नि. 831(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित होने वाले सभी स्वरूप और क्षमता में काला गंधक के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 848(अ) जो 10 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या 86/2007–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 853(अ) जो 12 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित होने वाले उसमें उल्लिखित रबर रसायन के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 869(अ) जो 22 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट पार्टियों द्वारा उत्पादित और निर्यातित विट्रीफाईड और प्रोसिलेन टाइल्स के आयात को लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क से अनंतिम रूप से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 881(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 3 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 30/2008–सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 889(अ) जो 26 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य और चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित सोडियम

हाइड्रोआक्साइड के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 909(अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा संचालित सनसेट रिव्यू जांच का अंतिम निर्णय लंबित रहने तक 23 जुलाई, 2009 तक और सहित चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, चीनी ताइपेई और ब्राजील से उद्भूत, या वहां से निर्यातित फलेक्सिबल स्लेबस्टॉक पॉलीयोल के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की लेवी का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 5(अ) जो 2 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 14(अ) जो 6 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सनसेट रिव्यू जांच के अंतिम निर्णय में अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया में उद्भूत, या वहां से निर्यातित फ्लोट ग्लास के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 15(अ) जो 6 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सनसेट रिव्यू जांच के अंतिम निर्णय में अभिहित प्राधिकारी द्वारा संस्तुत दरों पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत, या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित मलबेरी रॉ सिल्क के आयात पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 30(अ) जो 15 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत, या वहां से निर्यातित मेलामाईन के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क से उद्ग्रहण को प्रतिपाटन और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की गई सनसेट रिव्यू जांच को अंतिम रूप दिए जाने तक 1 अक्तूबर, 2009 तक उसके समेत, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 47(अ) जो 22 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग और चीन ताइपेई में उद्भूत या वहां से निर्यातित सभी प्रकार के डिजीटल वर्सेटाईल डिस्क्स रिकॉर्डेबल पर निश्चित प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 55(अ) जो 29 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में आयातित फिथैलिक एनहाईड्राइट पर अनन्तिम सुरक्षा शुल्क, लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 10566/09]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 842(अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 843(अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय लौह अयस्क फाइन्स पर निर्यात शुल्क दर को 5% यथामूल्य से कम करके शून्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 844(अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या 79/2008 – सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 845(अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके

द्वारा 31 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना संख्या 116/2008–सी.शु को रद्द कर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 6(अ) जो 2 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी. शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 36(अ) जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मार्च, 2008 की अधिसूचना संख्या 96/ 2008–सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 816(अ) जो 21 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित 8 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 878(अ) जो 24 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए तथा जिनके द्वारा निर्यात उत्कृष्टता वाले कस्बों में कॉमन सर्विस प्रदायकों के लिए निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम को प्रचालनात्मक बनाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 7(अ) जो 2 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 अगस्त, 2008 की अधिसूचना की अधिसूचना संख्या 103/2008–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 67(अ) जो 2 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या 66/2008–सी. शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 71(अ) जो 3 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002–सी. शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 2893(अ) जो 15 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो 23 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2963 (अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का.आ. 2985(अ) जो 29 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यात वस्तुओं के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 3012 (अ) जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का.आ. 359(अ) जो 28 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यात वस्तुओं के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 380(अ) जो 30 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/ 2001–सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 10567/09]

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सा.का.नि. 839 (अ) जो 7 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्तूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या 41/2007–सेवा कर में कतिपय संशोधन करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 10(अ) जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय माल परिवहन अभिकरणों को प्रदान किए जाते समय उनमें उल्लिखित 8 सेवाओं को कतिपय शर्तों के अध्यधीन सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 18(अ) जो 7 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्मित पुर्जों को जिस कारखाने में वे उत्पादित किए गए हैं, उनमें प्रयोग करते समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ग के अंतर्गत छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 10568/09]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2008 जो 22 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2499(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2008 जो 11 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2861 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन तथा एक शुद्धि पत्र जो 22 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना सं.का.आ. 2949(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) आयकर (11वां संशोधन) नियम, 2008 जो 23 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2959(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2009 जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 19(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 20 (अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 21(अ) जो 5 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नेशनल हाऊसिंग बैंक (कर बचत) सावधि निक्षेप स्कीम, 2008 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ग की उपधारा (2) के खण्ड (पन्द्रह) के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2009 जो 19 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 197(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 10569/09]

[हिन्दी]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टैंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टैंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007–08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 10570/09]

(2) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति) (सातवां संशोधन) विनियम, 2008 जो 31 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5–4/ 2000–एएण्डपी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 10571/09]

(3) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 10572/09]

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 10573/09]

(3) (एक) नेशनल बायोडावर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2007–2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बायोडावर्सिटी अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2007–2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 10574/09]

(5) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 120 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 12 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 17 नवम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2708 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल. टी. 10575/09]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी विनिमय प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (संशोधन), विनिमय, 2008 जो 24 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में सा.का. नि. 676 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी विनिमय प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम (दूसरा संशोधन), विनिमय, 2008 जो 31 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में सा. का.नि. 756(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी विनिमय प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) (दूसरा संशोधन), विनियम, 2008 जो 30 दिसम्बर, 2008

के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 896 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 10576/09]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिन्टिग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007–08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिन्टिग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007–08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपुर्यक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 10577/09]

(4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1956 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में पब्लिक शेयरधारिता वृद्धि तथा बनाए रखने की रीति) (संशोधन) विनियम, 2008 जो दिनांक 23 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडीएनआरओ/जीएम/2008/30/148262 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों तथा टेकओवरों का पर्याप्त अर्जन) (संशोधन) विनियम, 2009 जो दिनांक 28 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में एफ. संख्या एलडी–एनआरओ/जीएन/2008–09/3315022 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 10578/09]

(5) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) 'लुई ब्रेल (1809–2009) की दूसरी जन्म–शती' के अवसर की स्मृति में ढाले गए सौ रुपए और दो रुपए का सिक्का निर्माण नियम, 2008 जो 30 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 897(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) 'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' की स्मृति में ढाले गए पांच रुपए का सिक्का निर्माण नियम, 2008 जो 11 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 781(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) 'अशोक स्तंभ' विषय पर ढाले गए पांच रुपए का निकेल–ब्रास सिक्का निर्माण नियम, 2009 जो 20 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 38(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 10579/09]

(6) ऋण सूचना कंपनी (विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत ऋण सूचना कंपनी (विनियमन कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2008 (2008 का 2) जो 20 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सा. का.नि. 3336 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 10580/09]

(7) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 165 जो 6 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या 589(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 10581/09]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) (एक) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2007–08 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली का वर्ष 2007–08 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल. टी. 10582/09]

अपराह्न 12.01 बजे

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा संशोधित रुप में लौटाया गया विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:–

मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने 16 फरवरी, 2009 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 दिसम्बर, 2008 को पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2009 को निम्नलिखित संशोधनों सहित पारित किया है:–

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "उनसठवें" के स्थान पर "साठवें" प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "2008" के स्थान पर "2009" प्रतिस्थापित किया जाए।

नया खण्ड 6क

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात् –

"6क. मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात्:– *नई धारा 35 का अंत: स्थापन*

"35. दिनांक 13 अक्तूबर, 2008 को या उसके बाद शुरू होने वाली और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2009 के आरंभ से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किए गए या करने के लिए विलोपित सभी चीजों और की गई या न की गई सभी कार्रवाई या उपाय को जहां तक वे कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2009 द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम, के उपबंधों के अधीन किया गया या करने के लिए विलोपित अथवा की गई या न की गई कार्रवाई अथवा उपाय माना जाएगा मानो कि उक्त अवधि के दौरान ऐसी चीजों को किए जाने या करने के लिए विलोपन अथवा ऐसी कार्यवाही या उपाय किए जाने या न किए जाने के समय ये उपबंध लागू थे।" *विधिमान्यकरण*

अत: मुझे राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसरण में इस अनुरोध के साथ उक्त विधेयक लौटाना है कि उक्त संशोधनों पर लोक सभा की स्वीकृति की जानकारी इस सभा को दी जाए।

2. महोदय, मैं 16 फरवरी, 2008 को राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2009 सभा पटल पर रखता हूं।

*सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.01½ बजे

लोक लेखा समिति

81वां और 82वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वेलकम, चेयरमैन साहब।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : धन्यवाद, महोदय।

महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2008–2009) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) "भारतीय वायुसेना में विमान बेड़े के प्रचालन और अनुरक्षण" के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) का 81वां प्रतिवेदन।

(2) "प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना" के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 72वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई संबंधी 82वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.02 बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

(एक) 35वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं रिपोर्ट सं. सीए 2008 का 11वें अध्याय सात में लेखापरीक्षा पैरा 7.1.1 पर आधारित भारतीय खाद्य निगम के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का 35वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) की-गई-कार्यवाही संबंधी विवरण

श्री रूपचंद पाल : महोदय, मैं बीमा कंपनियों द्वारा मोबाइल हैंडसेटों संबंधी विशेष आकस्मिक नीतियों के बारे में 24वें की-गई कार्यवाही प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाते हुए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 19, श्री रतिलाल कालीदास वर्मा। उपस्थित नहीं। श्री रूपचंद मुर्मू।

अपराह्न 12.02½ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

36वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रूपचन्द मुर्मू (झाड़ग्राम) : अध्यक्ष महोदय, मैं 'अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएससी)-इसके अधिदेश और उपलब्धियां-इसके संगठन और कार्यकरण की पुनरीक्षा' के बारे में अनुसूचियों जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 36वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02½ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

22वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग) : मैं "प्रसार भारती में महिलाओं के कार्य की दशा" विषय के संबंध में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2008-09) का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

46वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मैं नाशक जीवमार प्रबंध विधेयक, 2008, के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति का 46वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, सभापति महोदय।

अपराह्न 12.03½ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : महोदय मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (1998-1999)' के बारे में पहली की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (1999-2000)' के बारे में दूसरी की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2001–2002)' के बारे में 30वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(4) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2003–2004)' के बारे में 63वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'प्रसार भारती की भूमिका और इसकी भावी स्थिति' के बारे में 60वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(6) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'बुनियादी दूरसंचार सेवा के टेलीफोन टैरिफ में वृद्धि के बारे में दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें' के बारे में 5वीं की गई कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(7) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का कार्यकरण' के बारे में 53वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(8) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'डीओटी/बीएसएनएल/एमटीएनएल में शिकायत निपटान तंत्र' के बारे में 54वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(9) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'नियत सेवा प्रदाताओं के लिए डब्ल्यूएलएल के माध्यम से सीमित संचालन' के बारे में 35वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

(10) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2007–2008)' के बारे में 52वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(11) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2002–2003)' के बारे में 44वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(12) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2004–2005)' के बारे में 12वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(13) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2007–2008) के बारे में 53वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक मे अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(14) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की 'डाक विभाग में रियल एस्टेट प्रबंधन' के बारे में 59वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

(15) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की 'ई–गवर्नेंस परियोजनाओं का कार्यान्वयन' के बारे में 37वीं की–गई–कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.04 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

31वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री गुरुदास कामत (मुंबई उत्तर पूर्व) : महोदय मैं, 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का कार्यान्वयन' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

213वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, मैं 'निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बालकों के अधिकार विधेयक, 2008' के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 213वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

34वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. करण सिंह यादव (अलवर) : महोदय, मैं तीन वैक्सीन उत्पादक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई), कसौली, पास्चर इंस्टीटयूट आफ इंडिया (पीआईआई), कूनूर और बीसीजी वैक्सीन लेबोरेटरी (बीसीजीवीएल), चेन्नई के कार्यकरण के बारे में विभागों से संबद्ध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 34वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

33वां और 34वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : महोदय मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में 33वां प्रतिवेदन; और

(2) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2008 के बारे में 34वां विधेयक।

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्रीलंका की स्थिति

[अनुवाद]

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीलंका की वर्तमान स्थिति के बारे में इस सम्मानीय सभा को अवगत कराने के लिए खड़ा हुआ हूं। ....*(व्यवधान)*...

अक्तूबर, 2008 में इस विषय पर जब मैंने इस सदन को संबोधित किया था तब से उत्तरी श्रीलंका में घटनाओं में तेजी से परिवर्तन हुए हैं। श्रीलंकाई सरकार के रक्षा बलों द्वारा लिट्टे के कब्जे वाले भूक्षेत्र में काफी भीतर तक चले जाने के कारण लिट्टे विद्रोही समुद्र तट के आस–पास लगभग 150 वर्ग किलोमीटर के छोटे भूक्षेत्र में सिमट कर रहे गए हैं। श्रीलंकाई बलों ने किलिनोच्ची, एलिफैण्ट पास और मुल्लैतिवु नगर पर कब्जा कर लिया है और ए–9 राजमार्ग को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है।

इस स्थिति में संघर्ष क्षेत्र में फंसे आम नागरिकों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) जिनमें अधिकतर तमिल हैं, की स्थिति हमारे लिए विशेष चिंता का कारण है। संघर्ष में फंसे नागरिकों की संख्या के बारे में सही अनुमान लगाना कठिन हो रहा है, किंतु अनुमान है कि वहां 70,000 नागरिक फंसे हुए हैं। लिट्टे विद्रोही कथित रूप से मानव सुरक्षा कवच के रूप में उनका उपयोग कर रहे थे।

माननीय सदस्यों को यह आश्वस्त किया जाता है कि संघर्ष में फंसे नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और हितकल्याण के बारे में हमारी गंभीर चिंता के कारण ही हम मानवीय परिस्थितियों को और बिगड़ने से रोकने का सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। हमने आम नागरिकों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आई डी पी) को राहत सामग्रियां पहुंचाई है, अंतर्राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के प्रवेश को सुविधाजनक बनाया है और आम नागरिकों तथा आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों को संघर्ष क्षेत्र से निकलने के मार्ग सुझाएं हैं। अभी तक राहत सहायता की दो खेपें भेजी जा चुकी हैं जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा एकत्र की गई और दानस्वरूप भेजी गई खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं के 80,000 तिरपाली पैकेट तथा दवाएं शामिल हैं। राहत सामग्री की एक अन्य खेप भेजी जा रही है।

27 जनवरी को मैंने स्वयं कोलंबो की यात्रा की। श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम श्री महिन्दा राजपक्षे के साथ मेरी बातचीत के दौरान मैंने लिट्टे के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में संघर्ष में फंसे नागरिकों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को बाहर निकलने का अवसर देने की आवश्यकता पर बल दिया और यह सुझाव दिया कि अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए संघर्ष विराम पर विचार किया जाना चाहिए। 29 जनवरी, 2009 को श्रीलंका के राष्ट्रपति ने नागरिकों को सुरक्षित क्षेत्रों तक पहुंचने हेतु सुरक्षित मार्ग प्रदान करने के लिए 48 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की। उन्होंने लिट्टे से भी अपील की कि वह नागरिकों को वहां से निकलने दे और जो नागरिक वहां से बाहर जाना चाहते हैं उनकी सुरक्षा का आश्वासन दे।

विगत दो सप्ताह में लिट्टे के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों से लगभग 35,000 नागरिक बाहर आए हैं। फिर भी यह दुखद है कि संघर्ष क्षेत्र से बाहर आ रहे कुछ लोग दोनों ओर से हो रही गोलाबारी के बीच फंस गए और हाल की कुछ घटनाओं में लिट्टे के काडरों द्वारा उन्हें वहां से बाहर जाने से रोका गया और उनकी हत्या कर दी गई ...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रतिक्रिया का तरीका नहीं है।

श्री प्रणब मुखर्जी : चूंकि संघर्ष शायद अब सैन्य अभियान के तथाकथित अंतिम चरण में आ पहुंचा है इसलिए यदि लिट्टे तमिलों का हित चाहता है तो वह तत्काल सभी नागरिकों को रिहा करे और हथियार डाल दे।

भारत सरकार श्रीलंका सरकार और आरसीआईसी, जो आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की सुरक्षा, जांच और पुनर्वास के लिए जिम्मेदार होगी, के साथ मिलकर कार्य करते हुए संघर्ष में फंसे नागरिकों को खाली कराने में सहायता करने के लिए तैयार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत अखंड श्रीलंका के ढांचे के अंतर्गत वार्ता पर आधारित एक ऐसे राजनैतिक समाधान का समर्थन करता रहा है, जो तमिल समुदाय सहित श्रीलंका के सभी समुदायों को स्वीकार्य हो। एलटीटीई अभी भी भारत में एक प्रतिबंधित संगठन है जिसने तमिल समुदाय को काफी नुकसान पहुंचाया है।

इस संदर्भ में श्रीलंका में सामान्य लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रक्रिया जितनी जल्दी आरंभ हो जाए उतना ही अच्छा है। हमारे विचार में 23 वर्षों के संघर्ष के पश्चात उत्तरी प्रांत और संपूर्ण श्रीलंका में सामान्य स्थिति बहाल करने का एक राजनैतिक अवसर उपलब्ध हुआ है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मुझे आश्वस्त किया कि उनकी भी यही इच्छा है। श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन का क्रियान्वयन इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम होगा। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि 13वां संशोधन 1987 में सम्पन्न भारत–श्रीलंका समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किया गया था। सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न पर 13वें संशोधन से आगे बढ़ना महत्वपूर्ण होगा।

भारत विशेष रूप से श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के महत्वपूर्ण कार्यों में श्रीलंका सरकार के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार है। हमने पूर्वी प्रांत में कुछ विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये हैं जिनमें 500 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना, रेल बस परियोजना तथा सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता शामिल है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी सरकार साझी सुरक्षा तथा समृद्धि प्राप्त करने के प्रयास में श्रीलंका सरकार और श्रीलंका के विभिन्न समुदायों के साथ मिलकर कार्य करते हुए श्रीलंका में स्थायी शांति लाने की प्रक्रिया में भागीदारी करती रहेगी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10584/09]

...*(व्यवधान)*...

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर) : हमें स्थाई युद्ध विराम चाहिए। ...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : कृपया चर्चा के लिए नोटिस दीजिए।

अपराह्न 12.09 बजे

'पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय' के बारे में दिनांक 10.12.2008 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1742 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद 28, श्री प्रणब मुखर्जी।

...(व्यवधान)...

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : "पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय" के संबंध में अतारांकित प्रश्न सं. 1742 के भाग (घ) (ङ) का उत्तर "फरवरी, 2008, के पश्चात् पाकिस्तान द्वारा 08 कैदी और 230 मछुआरों को छोड़ा गया है; पाकिस्तानी जेलों में भारतीयों की राज्यवार सूची नहीं रखी जाती।" पढ़ा जाए *...(व्यवधान)*.. नजर में न आने के कारण यह त्रुटि हुई। त्रुटि के लिए खेद है। धन्यवाद, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? आप नोटिस दें, यदि आप चर्चा चाहते हैं? अब आप क्या कर रहे हैं?

कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : अब आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे नोटिस दीजिए।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10585/09]

...(व्यवधान)...

अपराह्न 12.10 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के 52वें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 29

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायलार रवि) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 17 फरवरी, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 52वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 17 फरवरी, 2009 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 52वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.11 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2008-2009

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 30

...(व्यवधान)...

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : मैं वर्ष 2008-2009 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगे दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं *...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे नोटिस दें। अब मैं क्या कर सकता हूं? यह चर्चा का तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 10586/09]

अपराह्न 12.12 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाते हैं।

...(व्यवधान)...

(एक) हजारद्वारी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाए जाने तथा पश्चिम बंगाल के बनगांव और बेरहमपुर में ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल) : हजारद्वारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी आरंभ किए जाने से मुर्शिदाबाद के आम लोगों को प्रसन्नता हुई है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*पटल पर रखे गए।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न मुर्शिदाबाद जिले में इस रेलगाड़ी को आरंभ किया जाने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। किंतु लोगों का सारा उत्साह इस रेलगाड़ी के समय–सारणी की उद्घोषणा के बाद धूमिल पड़ गया जो सप्ताह में केवल पांच दिन चलेगी और इससे उन पर्यटकों की रूचि कम हो गई। जो सप्ताहांत में कम दूरी के पर्यटन स्थलों पर जाना पसंद करते हैं। अतः मंत्रालय से मेरा प्रस्ताव हैं कि : (1) यह रेलगाड़ी प्रतिदिन चलाई जाए। (2) शहर के समीपवर्ती क्षेत्र से पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए कुछ और ठहराव दिए जाएं। जिनमें मुख्यतः दमदम और बैरकपुर शामिल किए जाने की आवश्यकता है और (3) मंतव्य स्थान की दूरी को लालगोला तक बढ़ाया जाए जो कि कोलकाता–लालगोला खंड का टर्मिनल है।

(दो) गुजरात के ऊंझा में 'आश्रम मेल' का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना) : महोदय, दिल्ली एवं अहमदाबाद के बीच आश्रम–मेल रेल सेवा चल रही है और यह मेरे संसदीय क्षेत्र में ऊंझा रेलवे स्टेशन से होकर जाती है। ऊंझा आज धनिया, जीरा एवं अन्य मसालों की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बन चुका है। विश्व के कोने–कोने से यहां से मसालों का निर्यात बड़ी मात्रा में होता है। परन्तु इस मंडी में आने वाले व्यापारी एवं अन्य लोगों को ऊंझा में आश्रम मेल रेल का ठहराव नहीं होने से बहुत दिक्कत होती है। यहां पर देश भर के मसालों के व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में आते हैं।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि आश्रम मेल रेल सेवा का ठहराव ऊंझा में किया जाये।

(तीन) तमिलनाडु के पलानी हिल्स और कोडईकनाल हिल्स को जोड़ने वाली रोप कार परियोजना के लिए निधियां मुहैया कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. के. खारवेलवन (पलानी) : महोदय, तमिलनाडु का पलानी हिल्स भगवान कार्तिक के छह निवास स्थानों में से एक है और यह पश्चिमी घाट के कोडईकनाल हिल्स के निचले भाग में अवस्थित है। प्रतिदिन देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्तगण पलानी की यात्रा कर रहे हैं।

कोडईकनाल समुद्र तल से 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पर्यटन स्थल है। पलानी से 42 हेयर पीन बेन्ड द्वारा कोडईकनाल पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। कोडईकलान और पलानी के बीच काफी बड़ी संख्या से युवा सड़क हादसों में मारे जाते हैं।

पलानी की पहाड़ियों और कोडईकनाल की पहाड़ियों को जोड़ने के लिए रोप कार परियोजना का प्रस्ताव है और इसके लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण भी पूरा हो गया है। वित्तीय अड़चनों के कारण यह काफी लंबे समय से लंबित है और इसके कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रयास नहीं किया गया है। अगर इस परियोजना को कार्यान्वित कर दिया जाता है तो इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी और इससे पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में प्रदूषण की भी कमी आएगी। इसके अलावा, पलानी हिल्स और इसके आस–पास 'इको टूरिज्म' के महत्वपूर्ण स्थानों को देखने के लिए पर्यटक अपनी यात्रा अवधि बढ़ा सकेंगे और इससे वे अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचा सकेंगे और सरकार को भी भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु में पलानी हिल्स और कोडईकनाल हिल्स को जोड़ने के लिए रोप कार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त धनराशि उपलब्ध कराएं।

(चार) बगलिहार परियोजना के कारण सड़कों के जलमग्न की समस्या का सामना कर रहे जम्मू और कश्मीर के डोडा, रामबन, किश्तवाड़ जिलों को बी.आर.ओ./जी.आर.ई.एफ. द्वारा वैकल्पिक सड़क मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तीन जिलों अर्थात रामबन, डोडा और किश्तवाड़ा की सड़कें बगलिहार परियोजना के जलाशयों के भरे जाने के कारण जलमग्न हुई हैं। चूंकि वहां कोई अन्य सड़क नहीं हैं, इसलिए लगभग सात लाख लोग पिछले दस वर्षों से सड़क संपर्क के अभाव, भोजन की कमी, रसोई गैस और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण कष्ट उठा रहे हैं। सरकार बी. आर.ओ/जी.आर.ई.एफ. को निर्देश दे कि वे वैकल्पिक सड़कों के निर्माण की व्यवस्था करे और अधिक विलंब किए बिना वायु सेना की सुविधा प्रदान करें। तब तक वैकल्पिक सडकों का निर्माण किया जाए और उन्हें आम जनता के लिए खोला जाए, तब तक बाशोली–बानी–भदरवाह और किश्तवाड़–पददर – पोंगी को आम जनता और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए खोल दिया जाए।

(पांच) आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लाल मिर्च आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना किए जाने तथा राज्य में लाल मिर्च उत्पादकों के लिए कल्याणकारी उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रायापति सांबाशिवा राव (गुंटूर) : देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में मिर्च उत्पादन को अनेक कारणों से दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश विभिन्न गुणवत्ता वाली कई किस्म की मिर्चों का उत्पादन करता है। 2007–2008 में देश में मिर्चों के कुल 13,49,560 मीट्रिक टन उत्पादन में से 7,72,000 मीट्रिक टन मिर्च केवल आंध्र प्रदेश में ही उत्पादित हुई है जो कि कुल उत्पादन का 57.2% है। 1990–91 में मात्र 27 करोड़ रुपये की भारतीय मिर्च के

निर्यात की तुलना में 2007–08 में 1097 करोड़ रुपए का उल्लेखनीय निर्यात किया गया है।

मैं सरकार से फसल, प्रबंधन, फसलोत्तर सुधार प्रक्रियाओं, भण्डारण आदि के संबंध में प्रशिक्षण देने का अनुरोध करूंगा, ताकि मिर्च उत्पादक पूरा लाभ उठा सके। मिर्च उत्पादक अपने बच्चों की समुचित स्वास्थ्य देखभाल, शैक्षणिक और सामाजिक आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मिर्च उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने, बाजार और इनपुटों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है।

मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर अनुरोध करूंगा कि गुंटूर, जो कि विश्व प्रसिद्ध मिर्च का उत्पादन करता है और देशों में जहां से निर्यात की काफी संभावनाएं हैं; में मिर्च उत्पादकों के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करने तथा आंध्र प्रदेश के मिर्च उत्पादकों की स्वास्थ्य शैक्षणिक और सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कल्याणकारी उपाय करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता दी जाए।

(छः) गुजरात के साबरकंठा जिले के हिम्मतनगर में आकाशवाणी केन्द्र का प्रसारण शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा) : गुजरात के साबरकंठा जिले में हिम्मतनगर में आकाशवाणी केन्द्र प्रारंभ करने का मुद्दा काफी समय से लंबित पड़ा हुआ है। लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से भवन तथा स्टाफ क्वाटर्स सहित पूरी अवसंरचना पिछले चार वर्षों से तैयार है। परंतु कुछ कारणों से रेडियो स्टेशनों को प्रारंभ नहीं किया गया है और अहमदाबाद से प्रसारित कतिपय कार्यक्रमों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जा रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि यहां से प्रसारण शीघ्रतिशीघ्र प्रारंभ किया जाए।

(सात) वैश्विक आर्थिक मंदी का सामना कर रहे गुजरात के सूरत हीरा उद्योग के पुनरुत्थान के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कालीराम राणा (सूरत) : महोदय, विश्व की भारी मंदी का असर भारत की सभी औद्योगिक इकाइयों पर भी है। पिछले तीन–चार महीनों से भारत की औद्योगिक ईकाइयों में मंदी की वजह से हजारों की संख्या में कामगारों को निकाला जा रहा है। इससे लाखों लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ गए हैं।

मंदी की इस मार से उद्योगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कई प्रोत्साहन पैकेज घोषित किए हैं। लेकिन ये सब राहत पैकेज लाखों लोगों को फिर से रोजगार दिलाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले कपड़ा उद्योग एवं हीरा उद्योग वैश्विक आर्थिक संकट के कारण दिनोंदिन अपनी इकाइयां बंद करता जा रहा है। कपड़ा उद्योग से भी बदतर स्थिति हीरा उद्योग की है, जिसका निर्यात सालाना एक लाख करोड़ रुपए का है। इस उद्योग की इकाइयां दीवाली से बंद हैं और आज भी इनकी इकाइयां चालू नहीं हैं। हीरा उद्योग के मुख्य केन्द्र सूरत में इकाइयां पूर्णतः बंद हैं। लाखों लोग बेरोजगार हैं और पिछले एक महीने में करीब 25 रत्न–कलाकारों ने आत्महत्या की है। हर रोज ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

मैं सरकार से विनती करता हूं कि हीरा उद्योग को बचाने के लिए तुरंत विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करें और बेरोजगार रत्न–कलाकारों को आत्महत्या से बचाने के लिए उनके जीवन–यापन के लिए बेरोजगार भत्ता दें। बैंक क्रेडिट और बैंक लोन के बारे में पांच वर्ष का मोरेटोरियम घोषित करें एवं फैक्ट्री–कारखानें बंद न हों, इसके लिए प्रधानमंत्री जी तुरंत हीरा उद्योग के व्यापारी वर्ग के साथ शीघ्र बैठक करके वर्तमान गंभीर समस्या का समाधान करें।

[अनुवाद]

(आठ) गुजरात में पोरबंदर और राजकोट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 8-ब पर सर्विस रोड, ऊपरिपुल और अन्य विनिर्दिष्ट कार्यों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

डा. वल्लभभाई कथीरिया (राजकोट) : पूर्व–पश्चिम गलियारा परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 बी को जेतपुर से होते हुए पोरबन्दर से राजकोट तक चार लेन का बना दिया गया था। इसका काम पूरा होने के बाद यह पाया गया कि इसमें सर्विस रोड की व्यवस्था न होने, शापेर, चौकड़ी, कुवादारा चौकड़ी पर उपरिपुलों तथा गोंडल बाईपास पर सर्कलों, पार्टी पर ऊपरिपुल और 45 कि.मी. के मार्ग पर चार टैक्स प्लाजा होने से दैनिक यात्रियों पर भारी बोझ पड़ने जैसी कई खामियां रह गयी हैं। मैंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सुधारात्मक उपाय करने के लिए लिखा भी, परंतु आज तक कोई भी ठोस उपाय नहीं किया गया। मेरी भारत सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि लोगों के व्यापक हित में इस मामले को उठायें।

(नौ) राजस्थान के अजमेर में एक हवाई अड्डा स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, अजमेर ऐतिहासिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। अजमेर तथा तीर्थराज पुष्कर में हजारों देशी, विदेशी पर्यटक तीर्थाटन करने तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्वपूर्ण स्थलों के दर्शनार्थ आते हैं। यहां पास में ही सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुरानी छावनी नसीराबाद है। अजमेर में ही सी.आर.पी. के दो महत्वपूर्ण ग्रुप सेंटर हैं, जहां से देश में आवश्यकतानुसार अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती होती रहती है। पास ही किशनगढ़ नामक एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, जहां हजारों उद्यमियों का आना जाना रहता है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अजमेर में शीघ्र ही चिरप्रतीक्षित हवाई अड्डा स्थापित कर इसे देश के वायुमार्गों से जोड़

जाए ताकि दूरस्थ स्थानों एंव विदेशों से आवाजाही से सहज सुविधा उपलब्ध हो जाये तथा अजमेर का सर्वांगीण विकास हो सके।

(दस) ड्यूटी एंटाईटलमेंट पास बुक स्कीम (डीईपीबी) का लाभ कयर क्षेत्र को दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. के. एस. मनोज (अलप्पी) : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ड्यूटी एंटाईटलमेंट पास बुक (डीईपीबी) योजना के अंतर्गत जूट (जूट मृदा रक्षक) जियोटैक्सटाईल, जूटयार्न, मेडअप्स, सैकिंग क्लोथस जैसे प्रमुख जूट उत्पादकों को 1 अप्रैल 2003 से लाभ दिया है। इससे कॉयर उत्पादकों के निर्यात में भारी वृद्धि हुई है। जूट कॉयर एक जैव अपघटनीय, इको फ्रेंडली उत्पाद भी है जो मृदा रक्षक के रूप में नमी बनाए रखने और घरेलू प्रयोजनों हेतु यूरोपीय देशों में बहुतायत से प्रयोग होता है। चूंकि जूट कॉयर उद्योग वैश्विक आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप कॉयर उत्पाद के निर्यात में कमी आने से कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। अतएवं इसे बेल आउट पैकेज दिया जाना आवश्यक है। यदि जूट सैक्टर के लिए घोषित प्रोत्साहन कॉयर सैक्टर को भी दिया जाए, तो इससे निश्चित रुप से कॉयर तथा कॉयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कॉयर मृदा रक्षक (कॉयर जियोटैक्सटाईल) के क्षेत्र में भी 5 प्रतिशत, कॉयर यार्न के क्षेत्र में 5 प्रतिशत और अन्य कॉयर उत्पाद के क्षेत्र में 10 प्रतिशत, की दर से कॉयर सैक्टर को भी डीईपीबी योजना के लाभ प्रदान किए जाएं।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भरवारी और सिराथू रेलवे स्टेशनों पर ठहराव सहित इलाहाबाद और मुम्बई के बीच बरास्ता कानपुर एक नई रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (घाटल) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के सैंकड़ों लोगों का आवागमन प्रतिदिन मुम्बई जाने के लिए होता है। एक नई ट्रेन इलाहाबाद से चलकर कानपुर होते हुए मुम्बई जाये, जिसका स्टापेज (ठहराव) भरवारी, सिराथू व फतेहपुर होने से जनपद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। (महानन्दा एक्सप्रेस 4083अप, 4084डाउन), (मूरी एक्स, 8101अप, 8102डाउन) इलाहाबाद मथुरा एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस 2417, 2418 का स्टापेज (ठहराव) भरवारी व सिराथू स्टेशनों पर होने से यात्रियों को सुविधा होगी। रेल विभाग ने 150 कि.मी. पर एक एम.एस.टी. बनाने की सुविधा दी है जबकि इलाहाबाद से कानपुर की दूरी 156 कि.मी. है। 156 कि.मी. दूरी पर केवल एक ही एम.एस.टी. बनाने की सुविधा होनी चाहिए।

उपरोक्त बिन्दुओं के हल होने से रेल विभाग को विशेष राजस्व का लाभ मिलेगा।

(बारह) बिहार के बांका संसदीय क्षेत्र के बीड़ी कर्मकारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता।

श्री गिरिधारी यादव (बांका) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बांका के जमुई जिले में बड़ी संख्या में लोग बीड़ी बनाकर अपने परिवार का जीवन–यापन करते हैं। इनके पास टूटे–फूटे एवं कच्चे आवास हैं। केन्द्र सरकार द्वारा उनके लिए एक हजार आवास इकाइयां बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसके तहत आधी रकम ही जारी की गई है। परिणामस्वरूप ये मकान अधूरे बने हुए हैं, पूरी तरह नहीं बनने से यह खराब होने लगे हैं। इस संबंध में सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार शेष आधी रकम को शीघ्र जारी करे, जिससे योजना के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बांका में बीड़ी मजदूरों के प्रस्तावित मकान बनाने हेतु शेष धनराशि को शीघ्र जमा किया जाये।

(तेरह) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का लाभ देश के ग्रामीण डाक सेवकों को दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. कुप्पुसामी (मदुरै उत्तर) : महोदय, छठे वेतन आयोग का गठन होने के परिणामस्वरूप, डाक विभाग ने डाक विभाग में कार्यरत 3 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों पर विचार करने के लिए एक सेवा समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

सचिव (डाक) ने समिति के प्रस्तावों की जांच करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक दूसरी आंतरिक समिति गठित की, जिसमें डाक विभाग के पांच अधिकारी शामिल थे। तदनुसार, आंतरिक समिति ने 19.01.2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

यद्यपि केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा नियमित डाक कर्मचारियों सहित नियमित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामले में सिफारिशें पहले ही लागू कर दी गई हैं तथापि, ग्रामीण डाक सेवकों को अब तक इसका लाभ नहीं दिया गया है। अतः मैं, माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने तथा सभी यूनियनों जिनमें वे यूनियन भी शामिल है जिन्होंने मान्यता दिये जाने हेतु आवेदन किया है तथा जिनका मामला लंबित है, सहित सभी सर्विस यूनियनों के साथ बातचीत कर ग्रामीण डाक सेवकों के लिए नए वेतनमानों को तुरंत लागू करने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाने का अनुरोध करता हूं। यह संपूर्ण देश

में कार्यरत डाक कर्मियों के कल्याण और हित में अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कि डाक विभाग का मेरूदण्ड है।

(चौदह) भारतीय रिजर्व बैंक से नवम्बर, 1997 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन को अद्यतन किए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : वर्ष 1990 में आरबीआई पेंशन योजना आरंभ की गई थी। यह 1 जनवरी 1986 से लागू हुई थी। चूंकि कर्मचारी तीसरे सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में पेंशन की मांग कर रहे थे, इसलिए आरबीआई ने कर्मचारियों को पेंशन योजना के लाभ बताए। विशेषकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के मामले की तरह पेंशन का नियमित रूप से पेंशन संशोधन 13 मार्च 1992 के आरबीआई परिपत्र में इसे निर्धारित किया गया था।

छठे वेतन आयोग ने भी सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति की आयु के अनुसार मूल वेतन में सतत् वृद्धि जैसे कुछ अन्य स्वागत योग्य विशेषताओं सहित पेंशन में इसी तरह के सुधारों की सिफारिश भी की है।

आरबीआई ने वर्ष 2003 में नवम्बर, 1997 से पहले सेवानिवृत हुए कर्मचारियों की मूल पेंशन को 01.11.1997 के मूल वेतन के समकक्ष लाने के लिए उनकी पेंशन को अद्यतन करने का निर्णय लिया। इससे लगभग 4000 पेंशनरों को लाभ हुआ। केन्द्र सरकार ने तकनीकी आधार पर इस पर आपत्ति की। भारत सरकार ने यह भी कहा कि आरबीआई द्वारा पेंशन को अद्यतन किए जाने से अन्य संस्थाओं के सेवानिवृत कर्मचारी भी ऐसी ही मांग करेंगे, इसलिए इसे अनुमोदन नहीं दिया गया।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत सरकार के बिना किसी अंशदान के, एक बड़ी पेंशन निधि बना ली है और वैसे भी आरबीआई पेंशन निधि, पेंशन दायित्व का भार से निपटने में आत्म निर्भर है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए तथा आर बी आई के साथ परामर्श से पेंशन के मुद्दे का समाधान करना चाहिए।

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पर्यटन अवसंरचना विकसित किए जाने हेतु निधि मंजूर किए जाने की आवश्यकता

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक (कोल्हापुर) : महाराष्ट्र में कोल्हापुर शहर में बड़ी संख्या में ऐतिहासिक स्मारक हैं। विभिन्न स्मारकों में महालक्ष्मी मंदिर, ज्योतिबा मंदिर, पनहाला, खिदरापुर मंदिर तथा इसके अवशेष हैं (एक प्राचीन मंदिर) बाहुबली (जैन धर्म का एक पवित्र स्थान), दाजीपुर आरक्षित वन शामिल हैं।

उपरोक्त सभी स्थलों का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है तथा प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक इन स्थलों का दौरा करते हैं। कोल्हापुर चांदी के गहनों के अलावा चमड़े के जूते चप्पलों के लिए प्रसिद्ध हैं। कोल्हापुर उच्च गुणवत्ता के गुड़ का केन्द्र भी है। जहां से पश्चिमी देशों में भी निर्यात किया जाता है।

इन सबके बावजूद, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नागरिक सुविधाएं और अन्य अवसंरचनाएं उपलब्ध नहीं हैं तथा कोल्हापुर और इसके आसपास क्षेत्र को पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनाने हेतु विकास में भी विलंब हो रहा है। इस संपूर्ण परियोजना के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से आवश्यक वित्तीय सहायता मांगी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना को सम्पूर्ण ब्यौरे के साथ पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तत किए है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से तथा पर्यटन मंत्रालय से आवश्यक निधियां संस्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं ताकि महाराष्ट्र में नांदेड़ शहर की तर्ज पर कोल्हापुर और इसके आस–पास के क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारकों का विकास किया जा सके।

(सोलह) पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित सुवर्ण रेखा बैराज परियोजना के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर) : प्रस्तावित सुवर्ण रेखा बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल में एक अलग मेगा परियोजना है। इस परियोजना में कमाण्ड क्षेत्र 130014 हैक्टेयर का होगा जिसमें 99248 हैक्टेयर खरीफ फसल का होगा तथा 30766 हैक्टेयर रबी मौसम के तहत होगा। यह पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर जिलों के बड़े भागों को कवर करेगा। इसे सभी विभागों से सभी प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। इसकी वर्ष 1992 में आधारशिला रखी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके आरंभिक अवसंरचनात्मक कार्यों के लिए निधियां आबंटित की थी जिससे कार्यालय भवन, सड़कों का निर्माण किया गया था। राज्य सरकार ने भूमि अर्जन के लिए पहल की है और विस्थापितों के पुनर्वास के लिए पैकेज की घोषणा की है। यह पाया गया कि लागत वृद्धि के चलते परियोजना के लिए 1615 करोड़ रुपए की आवश्यकता है जिसमें से 90% केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस संबंध में पर्याप्त बजटीय आवंटन का प्रावधान करने का अनुरोध करता हूं ताकि दीर्घ काल से लंबित इस परियोजना का कार्य तेजी से पूरा हो सके।

(सत्रह) उड़ीसा के बारगढ़ जिले के पद्मपुर उप-डिवीजन में ऑंग नदी बांध परियोजना के लिए अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : उड़ीसा के बारगढ़ जिले का पदमपुर उपमंडल देश के अत्यंत पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक है। जहां सिंचाई और उद्योगों के लिए कोई पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। यह

सूखा–प्रवण क्षेत्र है जहां प्रत्येक वर्ष हजारों लोग आजीविका अर्जित करने के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। ऑग नदी पर बांध परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव पिछले 50 वर्षों से लंबित है जो न केवल पदमपुर उपमंडल में बल्कि बोलंगीर जिले जो कि केबीके क्षेत्र में पड़ता है, के अगालपुर ब्लाक की कृषि भूमि की सिंचाई करेगा। यदि इस बांध परियोजना को हकीकत में बदला जाता है तो यह इस क्षेत्र को अन्न भण्डार में परिवर्तित कर देगा। क्योंकि यहां की भूमि अत्यधिक उपजाऊ है और लोग बेहद परिश्रमी है। ऑग नदी बांध परियोजना को पहले ही टीएसी तथा वन अनापत्तियां प्राप्त हो चुकी है और अब योजना आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। अब इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग एक हजार करोड़ रुपये है, राज्य सरकार द्वारा इसे एक बार में वित्त पोषित करना संभव नहीं होगा। पदमपुर उपमंडल तथा बोलंगीर जिले का एक भाग जो कि केबीके के तहत आता है, इस परियोजना से लाभान्वित होगा। मैं, केंद्र सरकार से इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु तुरंत आवश्यक कदम उठाने तथा इसे राष्ट्रीय परियोजना की श्रेणी में शामिल कर आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(अठारह) देश में जी. एम. चावल के फील्ड परीक्षण पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : जी. एम. क्रोस के फील्ड परीक्षण हेतु निर्धारित विनियमों और शर्तों का घोर उल्लंघन करते हुए माहिको बीज कम्पनी देश के कुछ भागों में जीन समुन्नत चावल का फील्ड परीक्षण कर रही है। विश्व में कहीं भी कोई भी देश जोकि किसी भी फसल की उत्पत्ति का केन्द्र है, उस फसल के जी. एम. किस्म को उगाने की अनुमति नहीं देता है ताकि देश के जिनेटिक समृद्धि तथा विविधता को संरक्षित किया जा सके। पूरे देश में किसान इसके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं तथा फील्ड परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाये जाने की मांग कर रहे हैं। भारत जो कि चावल की प्रमुख उत्पादन भूमि है, को अपने यहां जी. एम. चावल के क्षेत्र परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए क्योंकि यह खाद्यान्न न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय चावल का बीटी जैसी किसी भी विदेशी जीन के साथ आनुवंशिक संदूषण, चावल की अनुवांशिक विविधता पर हानिकारक प्रभाव छोड़ जाएगा। निर्यात के लिए उगाया गया आनुवांशिक रूप से संदूषित चावल यदि बाजार में प्रवेश कर जाता है तो यह चावल की प्रेषित खेप को संदूषित कर सकता है और इस प्रकार यूरोप, मध्य पूर्व तथा अफ्रीका जो जीएम फसलों तथा खाद्यान्न के विरोधी हैं तथा अपने बाजारों में जी. एम. खाद्यान्न को अनुमति नहीं देते हैं में चावल निर्यात पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसलिए, मैं सरकार से देश में जी. एम. चावल के क्षेत्र परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

श्री ढींढसा

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों यदि आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप उसका नोटिस दीजिए। मैं आपको उसकी अनुमति दूंगा। इसे इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। आप क्या कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है? माननीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका की स्थिति पर एक वक्तव्य दिया है। यदि आपको कुछ कहना है तो आप मुझे नोटिस दीजिए। अब क्या किया जा सकता है? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं, डा. कृष्णन?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझ नहीं आता। यदि आप कुछ कहना चाहते हो तो नोटिस दीजिए। अब मैं क्या कर सकता हूं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। समुचित चर्चा के लिए आप नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा 12.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.46 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.46 बजे समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

...(व्यवधान)...

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आईए, मद संख्या 32 को लें।

...(व्यवधान)...

अपराह्न 12.46½ बजे

(इस समय श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जो मेंबर्स आइटम 32 पर अपनी स्पीच ले करना चाहते हैं, वे स्पीच ले कर दें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाएं, मैं आपको बोलने का टाइम दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीट पर जाएं, फिर जो कहना है, वह कहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर वापिस जाएं

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले अपनी सीट पर जाएं।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी अनुमति दूंगा बशर्ते कि आप अपनी सीटों पर जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा, आप जो कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो परंतु केवल तब ही जब आप अपनी सीटों पर जाएंगे। सर्वप्रथम आपको अपनी सीटों पर वापस जाना होगा। तत्पश्चात् ही मैं आपको वह सब कहने की अनुमति दूंगा जो आप कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा लेकिन तब ही जब आप अपनी सीटों पर वापस जाएंगे। वहा से आप जो चाहें कह सकते हो। मैं आपको अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा लेकिन तब ही जब आप अपनी सीट पर वापस जाएंगे। आप अपनी सीट से जो चाहें बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दे सकता हूं यदि आप वापस अपनी सीटों पर चले जाएं। परंतु आप ऐसा ही करेंगे तो मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों यदि आप कुछ कहना चाहते हो तो मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपनी सीटों पर वापस चले जाइए।

....(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न 2 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.51 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कई बार अनुरोध कर चुका हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्व प्रेरणा से वक्तव्य दिया है और इस पर अभी आप कोई भी चर्चा या कुछ भी चाहते हैं तो कृपया मुझे नोटिस दीजिए। आप लोग न तो अपनी मदद कर रहे हैं और न ही संसद की। हम लोग राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के मध्य में हैं और आप लोग सभा को चलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे साग्रह निवेदन करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप हमें नोटिस दे फिर हम देखते हैं।

अपराह्न 2.01 बजे

(इस समय श्री ई. पोन्नुस्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा–पटल के निकट फर्श पर खडे हो गए।)

अध्यक्ष महोदय : अब और समय नहीं है। मुझे क्षमा करें। आप इस बात से सहमत थे कि 2 बजे माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। आप सभी जिम्मेदार और माननीय सदस्य हैं। कृपया सभा को अपना सहयोग दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर किसी माननीय सदस्य के पास राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर कोई लिखित भाषण है तो वह उसे सभा पटल पर रख दे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान पर वापस जाएं

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल चुके हैं। कल इस पर लंबे–लंबे भाषण दिए गए थे। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कह रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थान पर वापस जाएं और वहां से आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी अब अपना जवाब दे सकते हैं। अगर उनके पास लिखित भाषण है तो वे उसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहने के लिए माफी चाहूंगा कि कई माननीय सदस्य इस चर्चा मे भाग लेना चाहते हैं। परंतु वह भाग नहीं ले सकते हैं। अगर उसके पास लिखित भाषण है तो वे उसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

विदेश मंत्री और वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, अगर मैं यह समझ पाऊं कि वे भाषण के किस भाग पर आपत्ति प्रकट कर रहे हैं, तो मैं उस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे यही निवेदन कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। आप कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं और आप वहां से बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : अगर वे यह नहीं बताना चाहते कि भाषण के किस भाग पर वे आपत्ति प्रकट कर रहे हैं। तो उन्हें मेरा वक्तव्य लिख लेने दीजिए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने स्थानों पर वापस जाएं और मैं सबको पांच मिनट का समय दूंगा और फिर माननीय मंत्री जी इस पर अपना जवाब देंगे। मैं श्री पोन्नुस्वामी को आमंत्रित करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : उन्हें यह बता दीजिए कि उन्हें वक्तव्य के किस भाग पर पर आपत्ति है, फिर मैं स्पष्टीकरण देता हूं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.04 बजे

'श्रीलंका की स्थिति के बारे में'

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। आप सभी सभा के सम्मानित एवं जिम्मेदार सदस्य हैं।

अपराह्न 2.04 बजे

(इस समय श्री ई. पोन्नुस्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गए।)

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी) : महोदय, माननीय मंत्री जी ने श्रीलंका के मुद्दे पर वक्तव्य दिया है। यह वक्तव्य काफी निराशाजनक है इससे विश्व के पूरे तमिल समुदाय में रोष है। इसका कारण यह है कि भारत सरकार यह बताना चाह रही है कि श्रीलंका सरकार एक मानवोचित सरकार और लोकतांत्रिक सरकार है। दोनों बातें सही नहीं है। श्रीलंका में जो हो रहा है वह कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। यह निर्दोष तमिलों का नरसंहार है। बार–बार यह कहकर कि भारत सरकार श्रीलंका सरकार के साथ काम कर रही है वस्तुतः भारत निर्दोष तमिलों के नरसंहार के साथ अपने आप को संबद्ध कर रहा है। हम लोग इससे बहुत ही क्षुब्ध और निराश हैं। वह यह भी कहते हैं कि निर्दोष तमिलों की हत्या लिट्टे द्वारा की गई है जो पूर्णतः आपत्तिजनक है। यह सही नहीं है। भारत सरकार को श्रीलंका सरकार की अवाज से आवाज नहीं मिलाना चाहिए। भारत सरकार शीघ्र ही युद्ध को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। और किसी अन्य तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह हमारा दृष्टिकोण है। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक सरकार अपना यह वक्तव्य बदल नहीं देती है कि लिट्टे तमिलों की हत्या कर रही है। सरकार को श्रीलंका सरकार के द्वारा इस जाति को समाप्त करने के प्रयास का समर्थन बन्द करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी को बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम) : सर्वप्रथम माननीय मंत्रीजी ने श्रीलंका में तमिलों के नरसंहार के संबंध में वक्तव्य दिया। भारत सरकार वहां के निर्दोष नागरिकों की रक्षा और हितों की अनदेखी करते हुए पूरी तरह से राजपक्षे की सरकार का समर्थन कर रही है। हम भारत सरकार द्वारा राजपक्षे सरकार को समर्थन देने के निर्णय के विरुद्ध हैं। वहां नरसंहार हो रहा है और सैकड़ों लोगों की प्रतिदिन निर्ममता से हत्या की जा रही है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस युद्ध को रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। वे पुनर्वास की बात करते हैं। । पुनर्वास कब किया जाता है? वह तभी होता है, जब लोग वहां रह रहे हैं। लोगों को मारने के पश्चात वहां किसका पुनर्वास किया जाएगा। सर्वप्रथम, उन्हें वक्तव्य वापिस लेना चाहिए, युद्ध को रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए और तत्पश्चात् प्रभावित होने वाले आम नागरिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। भारत सरकार को इस स्थिति का जायज़ा लेना चाहिए, वहां घटने वाली दैनिक घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतनी चाहिए और वहां के आम नागरिकों के हितों और जान माल की सुरक्षा करनी चाहिए।

यह देखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि युद्ध को रोका जाए और तत्पश्चात लोगों का पुनर्वास किया जाए। हम इस वक्तव्य का विरोध करते हैं। वक्तव्य को वापिस लिया जाना चाहिए। यह भाषा राजपक्षे की भाषा है। यह अपेक्षित भाषा नहीं है। मुझ यह कहते हुए खेद हो रहा है।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : श्रीलंका में निर्दोष लोगों की हत्या की जा रही है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार वहां तमिल लोगों को मारने के लिए युद्ध क्षेत्र में अस्त्रों और गोलाबारूद की आपूर्ति कर रही है। यह भी बहुत गलत है कि उन्हें राडार दिया गया है और राडार के माध्यम से आम नागरिकों, अस्पतालों आदि की स्थिति का पता लगाया जा रहा है, जहां लोगों की बसावट है और तत्पश्चात् वहां बम बरसाए जा रहे हैं। इस प्रकार की हत्याएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और भारत सरकार द्वारा उनकी सहायता किया जाना बहुत ही गलत बात है। यह तमिल लोगों के साथ धोखा है। हम इसे नहीं भूलेंगे। इतिहास बताएगा कि चीजें कैसे घटित हुई है...*(व्यवधान)*

श्री ई. वी. के. एस. इलैंगोवन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, एल टी टी ई निर्दोष तमिलों की हत्या कर रहे हैं....*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन : नहीं। नहीं। महोदय....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री महोदय को सुनें। अपना स्थान ग्रहण करें। आप बोल चुके हैं। उन्हें उत्तर देने दें। उन्हें इस मुद्दे पर जवाब देने दें।

कृपया माननीय मंत्री महोदय को सुनें।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कड़े शब्द कहने से अब कोई फायदा नहीं होगा।

डा. सी. कृष्णन : महोदय, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी। आप ऐसे ही बोलना जारी नहीं रख सकते।

डा. सी. कृष्णन : महोदय, मैंने सुबह भी इस संबंध में एक नोटिस दिया था। इसके बावजूद भी आपने मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के मामलों पर बोलने की अनुमति नही दी...*(व्यवधान)* महोदय, श्रीलंका द्वारा किये जा रहे नरसंहार को रोका जाना चाहिए। युद्ध समाप्त होना चाहिए; वहां शांति बहाल होनी चाहिए और एक राजनैतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। एल टी टी ई को निशाना बनाते हुए यह कहना कि वे तमिल लोगों को मार रहे हैं; अवांछित है और यह जालसाजी है. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया हम सभी मंत्री महोदय को सुनें। हम उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हैं। आप अपनी बात कह चुके हैं।

डा. सी. कृष्णन : हम चाहते हैं कि रिपोर्ट को वापिस लिया जाए।

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, इस मामले पर सभा में कोई दो राय नहीं है। दोनों ओर से हो रही गोलाबारी में निर्दोष तमिलों के मारे जाने की घटनाओं की हममें से प्रत्येक व्यक्ति निन्दा करता है। हम भी इससे उतने ही दुखी और व्यथित हैं। हम स्वेच्छा से कोई वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं। कभी–कभार हम अपनी ओर से ही वक्तव्य देते हैं क्योंकि सदस्य इसकी मांग करते हैं और यह एक संसदीय शिष्टाचार तथा मर्यादा है कि सदस्यों को लोकहित के महत्वपूर्ण मामले के संबंध में समय–समय पर सूचित किया जाता रहे। यदि माननीय सदस्यों को इस वक्तव्य के कुछ हिस्सों में कोई विसंगति नजर आती है तो उसका उल्लेख करने का एक तरीका है और निश्चित तौर पर उसमें सुधार किया जाएगा, जैसा कि मैंने आज ही सुबह एक प्रश्न के जवाब के संबंध में ऐसा किया, जो कि अनजाने में हो गया था। यह एक पुरानी परम्परा है।

इसलिए, मेरा सविनय निवेदन है कि जहां तक नागरिकों के गौरव का संबंध है, पूरी सभा और सरकार इस बात से सहमत है कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथापि, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि भारत सरकार के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके माध्यम से वह दूसरी संप्रभु सरकार को कोई विशेष कार्यवाही करने के लिए बाध्य कर सके। कुछ संसद सदस्यों की ऐसी इच्छा हो सकती है। किंतु यह किसी भी देश के लिए कतई संभव नहीं है कि वह किसी दूसरे देश की विधिवत रूप से चुनी गई सरकार को इस प्रकार से निर्देश दें।

मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि इस संघर्ष के कारण लम्बे समय से कष्ट झेल रहे तमिल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि यह संघर्ष समाप्त हो। श्रीलंका की जनता विशेष रूप से तमिलों को उनका उचित स्थान मिलना चाहिए जिसके लिए 1987 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और जिसके लिए सत्ता हस्तांतरण की रूप रेखा तैयार की गयी थी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसका अक्षरशः पालन हो। धन्यवाद ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी ने सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य पूरा करने दें। हम पहले ही तय समय से पीछे चल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया सभा को चलने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय ने आपको विस्तारपूर्वक जवाब दिया है। उन्होंने सरकार की चिंता और तमिलों के प्रति समर्थन को व्यक्त किया है। धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

...*(व्यवधान)*

डा. आर सेनथिल : हम सभा से उठकर जा रहे हैं। हम सरकार के रवैये से बहुत अप्रसन्न हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.13 बजे

(इस समय, डा. सेनथिल और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा–भवन से बाहर चले गए।)

अपराह्न 2.13½ बजे

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगी।

*डा. टोकचौम मैन्या (आन्तरिक मणिपुर) : महोदय, हम 12 फरवरी, 2009 को एक साथ समवेत हुए संसद के दोनों सदनों के लिए राष्ट्रपति महोदया द्वारा अभिभाषण देने हेतु वस्तुतः उनके प्रति बहुत ही आभारी हैं।

महोदय, उस दिन उपस्थित हम सभी लोग सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के हाल ही में हुए हृदय के ऑपरेशन से शीघ्र स्वास्थ्य होने की राष्ट्रपति महोदया की कामना में उनके साथ हैं। राष्ट्रपति महोदया का यह दूसरा भाषण भविष्य के लिए एक आशा प्रदान करता हूं। उन्होंने यह बात सच ही कही है कि हमने न केवल चुनौतियों का सामना किया है बल्कि और भी अधिक सुदृढ़ बनकर उभरे हैं। संसदीय एकजुटता की भावना से ही राष्ट्र आतंकवादी हिंसा जैसी चुनौतियों का सामना कर पा रहा है। हमें हमारे वैज्ञानिकों पर बहुत ही गर्व है कि उन्होंने चन्द्रमा के लिए मिशन चन्द्रयान–I का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है।

महोदय, जब हमने सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को चुना है, तो एक साधारण कहावत "आम आदमी को क्या मिला" बहुत अच्छी लगती है। आज, माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में तथा संप्रग की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी के समग्र पर्यवेक्षण में संप्रग सरकार ने लगभग पांच वर्ष के कार्यकाल में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में लोगों को किए गए लगभग सभी वायदे पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत किए गए समावेशीत विकास के सभी वायदों को कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के रूप में मूर्त रुप दे दिया है।

महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे अब पूरे देश में लागू कर दिया गया है। पूरे विश्व में अपनी तरह का ऐसा पहला कार्यक्रम है, जिससे एक राष्ट्र द्वारा किसी भी श्रेणी के नागरिकों को निश्चित दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। वर्ष 2007–08 में इस कार्यक्रम के तहत तीन करोड़ से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान किए गये। वास्तव में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से हमारा देश सही मायने में रिपब्लिक ऑफ वर्क बन गया है।

महोदय, नरेगा के साथ–साथ आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा पुनर्गठित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वृद्धों के लिए हैं, के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 चालीस करोड़ असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। सूचना के अधिकार के माध्यम से सरकार को शासन के लिए नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। अनुसूचित जन–जातियों तथा परम्परागत वनवासी अधिनियम के जरिए परम्परागत वनवासियों को भूमि अधिकार प्रदान किए गए हैं। केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम से अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। शिक्षा के अधिकार पर एक विधेयक तथा लोकसभा एवं राज्य विधायिकाओं में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने से संबंधित विधेयक अभी संसद में पुरःस्थापित है।

महोदय, ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को बाजार से संपर्क प्रदान किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत बिजली प्रदान की जाती है। आज हमारे अधिकांश गांव टेलीफोन से जुड़े हुए हैं तथा ग्रामीण भारत में मोबाइल फोन बढ़ रहे हैं। भारत निर्माण की इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत साठ लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति का विस्तार एवं वित्त पोषण में काफी अधिक वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त चिकित्सा परिचर्या चिन्ता का बड़ा विषय है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इस आवश्यकता को पूरी करने में कार्य कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान को कुछ सफलता मिली है।

महोदय, यहां मैं राष्ट्रपति महोदया की इस टिप्पणी से पूर्णतया सहमत हूं कि "अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है।" जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत गांवों में बसता है, ग्रामीण भारत में आम आदमी को स्वास्थ्य परिचर्या के संबंध में मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान करना जो कि बेशक संपूर्ण स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त जलापूर्ति तथा परोपकारी नीतियों पर निर्भर करती है तथा आई सीसीडीएस एवं एलएसए के जरिए गुणवत्ता शिक्षा के लिए अच्छे शैक्षणिक संस्थानों को समग्र विकास कार्यक्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ज्ञान संसाधनों के विकास और बंटवारे के लिए उपयोगी सूचनाएं दी हैं। न्यायिक प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक परिषद की स्थापना हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। हमारे शहरी क्षेत्रों के नवीकरण के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की शुरु किया गया था।

महोदय, आज हमारा देश आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाल ही में मुंबई के साथ–साथ देश के अन्य भागों में हुए आतंकवादी हमले मानवता पर हमला है। राष्ट्रपति महोदया ने ठीक ही कहा है कि इस क्षेत्र के साथ–साथ विश्व के समक्ष पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हाल ही में अधिनियमित

*माननीय सभा पटल पर रखा गया।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटेगा। उत्तर–पूर्व तथा जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद एवं वाम समर्थित उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण के परिणाम मिलने लगे हैं।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से आदर के साथ पुराने मणिपुर राज्य की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखते हुए एन एस सी एन (आई एम) के साथ इस मुद्दे को शीघ्र हल करने का अनुरोध करता हूं। 1949 में भारत संघ के साथ मणिपुर राज्य के विलय के समय की भौगोलिक सीमाओं का आदर किया जाए और उसकी रक्षा की जाए। मणिपुर की प्रादेशिक अखंडता के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

महोदय, अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदया ने कहा था कि पिछले चार वर्षों में उत्तर–पूर्व की सामान्य स्थिति में काफी सुधार आया है। निस्संदेह उत्तर–पूर्व की संबंधित सरकारें हिंसा छोड़ने वाले विभिन्न दलों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने के प्रयास करके इस समस्या से निपटने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। विशेषतः त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, ट्रांस अरुणाचल एक्सप्रेसवे; उत्तर–पूर्व से समुद्र तटीय क्षेत्रों तक फास्ट ट्रैक रेल और विमान संपर्क; उत्तर–पूर्व के प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना से संबंधित कुछ विशेष कार्यक्रम केन्द्र सरकार के महत्वकांक्षी एजेंडों में हैं।

महोदय, इन सभी पहलों के बावजूद मेरे राज्य मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। वहां सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों की हत्याएं; जबरन धन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण; समाचार पत्रों के प्रकाशन में लगातार बाधा; बंद और राष्ट्रीय राजमार्गों पर रास्ता बंद करने जैसी समस्याएं आज भी विद्यमान हैं।

महोदय, कल मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–39 पर तापहू गांव के समपी कासिम खुलेन के सब डिवीजनल ऑफिसर और एम सी एस डा. थिंगम और उनके वाहन चालक श्री अरिथम राजेन शर्मा और उनके कार्यालय में मंडल श्री युमनम टोकन सिंह की हत्याओं के बारे में बताया गया था। दिनांक 13 फरवरी को उखरुल जिले में उखरुल डीसी गेट से इन तीनों का अज्ञात हथियारबंद लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। जब इन तीनों की लाशें बरामद हुई थी तो उस समय इन तीनों के हाथ कमर की पिछली तरफ करके बंधे हुए थे और उनके सिर पर गंभीर चोटों के निशान थे। इन तीनों को मारने के लिए उपयोग में लाई गई खून से सनी कुदाली तथा एक मध्यम आकार का पत्थर इनकी लाशों के पास मिले थे। इन अवांछित और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए मैं केन्द्र सरकार का ध्यान राज्य में तैनात सुरक्षाबलों को पूरी तरह आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अबाधित यातायात के संचालन के लिए डेडीकेटेड राष्ट्रीय राजमार्ग संरक्षण बल की स्थापना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन नेतृत्व, यथा मैडम सोनिया गांधी और माननीय डा. मनमोहन सिंह दोनों को भारत–अमरीका असैनिक परमाणु समझौते को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई देता हूं जिसने परमाणु ईंधन की आपूर्ति के साथ–साथ परमाणु प्रौद्योगिकी अंतरण के क्षेत्र में पिछले 34 वर्षों से अलग–थलग पड़े भारत को एक नई शुरूआत दी है। पिछले चार वर्षों में हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हमारे संबंधों में काफी सुधार आया है और चीन गणतंत्र के साथ हमारी रणनीतिक तथा सहयोगी भागीदारी को और अधिक क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व मिल रहा है।

महोदय, कुल मिलाकर राष्ट्रपति का अभिभाषण गत चार वर्षों के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासनकाल की सफलता की कहानी बयां करते हुए भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है तथा आशा की किरण जगाता है। मैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री किशोर चंद्र देव और माननीय श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री एस. के. खादरवेन्थन (पलानी) : मैं भारत की माननीया राष्ट्रपति द्वारा 12.2.2009 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर देने हेतु धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले मैं 2004 से सम्मानीय सभा के सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए मुझे अवसर देने हेतु माननीय मैडम सोनियाजी मेरे नेता श्री जी. के. वासन तथा पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने यू.पी.ए. सरकार द्वारा देश के गरीब तथा दबे–कुचले लोगों के लाभ के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का ब्यौरा दिया है। माननीय राष्ट्रपति ने सामाजिक सुरक्षा योजना, एन.आर.ई.जी.ए. एक सामाजिक सुरक्षा योजना, उच्च शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, जे. एन. एन. यू. आर. एम. आदि के माध्यम से गरीब लोगों की मदद करने के हमारी सरकार के प्रयासों का ब्यौरा दिया है। माननीय राष्ट्रपति ने असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 का भी उल्लेख किया है जिससे 43 करोड़ असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान सुकर होगा। हमारी सरकार ने मुख्यतया कृषि, ग्रामीण रोजगार, विद्युत, रेल, सड़क तथा पुल, शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उक्त

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस. के. खारवनेथन]

कार्यक्रमों के लिए निधियों का आबंटन एनडीए शासनकाल के दौरान किए गए आबंटन से काफी अधिक है। एनडीए शासनकाल 1999–2004 के दौरान कृषि के लिए 16,439 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया, यू.पी.ए. ने 36,716 करोड़ रुपए का आबंटन किया; एन.डी.ए. ने ग्रामीण रोजगार के लिए 2984 करोड़ रुपए का आबंटन किया जबकि यू.पी. ए. ने इसके लिए 84598 करोड़ रुपए का आबंटन किया; विद्युत के लिए एन.डी.ए. ने 60085 करोड़ रुपए का आबंटन किया और यू.पी. ए. ने 148631 करोड़ रुपए का आबंटन किया; रेलवे के लिए एन.डी. ए. ने 54328 करोड़ रुपए का आबंटन किया, जबकि यू.पी.ए. द्वारा 125.095 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया; सड़क एवं पुलों के लिए एनडीए द्वारा 43517 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया जबकि यू. पी.ए. द्वारा 101748 करोड़ रुपए आबंटित किए गए। शिक्षा के लिए एन.डी.ए. ने 28024 करोड़ रुपए का आबंटन किया, जबकि यू.पी.ए. ने 96541 करोड़ रुपए का आबंटन किया; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए एन.डी.ए. द्वारा 24,162 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया, यू.पी.ए. सरकार ने इसके लिए 51,124 करोड़ रुपए का आबंटन किया; आवास के लिए एनडीए ने 22841 करोड़ रुपए का आबंटन किया तथा यू.पी.ए. ने 47858 करोड़ रुपए का आबंटन किया। इस देश के सभी व्यक्तियों द्वारा हमारी सरकार की सराहना की जा रही है।

महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान पोलियो उन्मूलन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

पोलियो मेलिटिस अपंग बना देने वाला एक रोग है जो कि वायरस से होता है। 1988 में जब दुनियाभर में व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। उस समय यह रोग काफी फैला हुआ था तथा हमारे यहां प्रतिदिन 1000 मामले सामने आते थे जो कि वर्ष भर में 3,50,000 मामलों से अधिक हो जाता है। 5 वर्ष से कम आयु के जिनमें से अधिकांश बच्चे मर जाते थे तथा काफी संख्या में बच्चे अपंग हो जाते थे।

पोलियो ड्रॉप्स प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने से पूरा परिदृश्य ही बदल गया है। इस कार्यक्रम को डब्ल्यू.एच.ओ., यूनीसेफ, रोटरी इंटरनेशनल तथा यू.ए.ए. की सेंटर फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की सहायता से चलाया जा रहा है तथा विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सरकारें इसकी प्रमुख भागीदार हैं। पहले 125 देशों में यह रोग फैला हुआ था और अब केवल 4 देशों में पोलियो है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया। पिछले वर्ष 2008 में केवल हमारे यहां 1625 मामले सामने आए और हमने 99.5% वायरस तथा रोग का उन्मूलन कर दिया है। इस महान कार्यक्रम को शुरू करने के पहले हम प्रतिवर्ष उपचार तथा पुनर्वास पर 5000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे।

लेकिन हम इस समय अपने प्रयासों को शिथिल नहीं कर सकते हैं। 2 से 3 वर्षों के संकेंद्रित प्रयास से इस रोग को खत्म किया जा सकता है और हम दुनिया से पोलियो मेलिटिस का उन्मूलन कर सकते हैं। स्मॉल पॉक्स के पश्चात् पूर्णरूप से उन्मूलित किए जाने वाला यह केवल दूसरा रोग होगा।

गत 21.12.2008 को एन.आई.डी. शुरू हुआ था, जब तमिलनाडु तथा कर्नाटक के भागों में कुछ अफवाहें फैली हुई थीं। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि पोलियो ड्रॉप्स दिए जाने के बाद कुछ बच्चे मर गए तथा बीमार हो गए। लेकिन कोई भी अफवाह सच नहीं थी। पोलियो ड्रॉप्स के कारण एक भी मृत्यु नहीं हुई थी, डायरिया, उल्टी, चक्कर आने अथवा मूर्च्छित होने की कोई घटना सामने नहीं आई जैसा कि पहले गलत रिपोर्ट दी गई थी। पोलियो टीका पूर्णतया सुरक्षित तथा डब्ल्यू. एच. ओ. द्वारा प्रमाणित है।

यही टीका राज्य तथा देश के अन्य भागों में भी बच्चों को दिया गया और किसी प्रकार की समस्या सामने नहीं आई।

पांच वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण में पोलियो ड्रॉप्स दिया जाना चाहिए, अगर वे पहले से प्रतिरक्षित हों तब भी। भारत के सभी 18 करोड़ बच्चों तथा तमिलनाडु के 70 लाख बच्चों को एक साथ ड्रॉप्स दिए जाने से वायरस का उन्मूलन करने में सहायता मिलेगी।

उस दिन कुछ डाक्टरों ने भी अफवाह फैलाकर पोलिया ड्रॉप्स लेने वाले बच्चों के उपचार के लिए दवा देने के नाम पर निर्दोष लोगों से पैसा वसूल किए।

अतः सरकार विशेषकर स्वास्थ्य मंत्रालय को दोषी डाक्टरों के खिलाफ गंभीर कदम उठाने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को निदेश देना चाहिए।

भारत सरकार ने केंद्रीय अधिनियमों यथा सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा अन्य अधिनियमों में कई बार संशोधन किया है। एनडीए शासनकाल के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर कतिपय जन विरोधी उपबंध किए गए। देशभर के वकीलों ने इसका विरोध किया तथा कई महीने तक न्यायालय बंद रहे। अंततः भारत सरकार ने आपत्तिजनक उपबंधों को वापस ले लिया है।

इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2006 को राज्य सभा ने 18.12.2006 को तथा लोक सभा ने 23.12.2008 को पारित किया। राज्य सभा में इस पर व्यापक चर्चा हुई लेकिन लोक सभा में इसे बिना किसी चर्चा के दो मिनट में पारित कर दिया गया। कतिपय उपबंध यथा धारा 309 दंड प्रक्रिया संहिता काफी आपत्तिजनक हैं।

वकील संघर्ष कर रहे हैं तथा विगत एक महीने से सभी न्यायालयों का बहिष्कार कर रहे हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 संज्ञेय अपराधों यथा डकैती (धारा 393), जानबूझ कर गंभीर चोट पहुंचाना (धारा 325), धोखाधड़ी (धारा 420), महिला के साथ छेड़छाड़ (धारा 354) तथा लापरवाही से की गई हत्या में पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बारे में है। विद्यमान उपबंध के अनुसार पुलिस बगैर वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन धारा 41 क के अनुसार पुलिस द्वारा अभियुक्त को नोटिस दिया जाना चाहिए तथा उसकी सुनवाई करने के उपरांत ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। यह गलत है। यह गंभीर मामलों को दबाने में पुलिस की मदद करेगा तथा यह अभियुक्त को भागने में मददगार भी होगा। इसी प्रकार धारा 309 में स्थगन आदेश प्राप्त करने के अधिवक्ता के अधिकार में कटौती की गई है। इस प्रकार के जनविरोधी संशोधनों को वापस लिया जाना चाहिए तथा इन्हें अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के संघर्षों से बचने के लिए भारत सरकार को इस देश की बार काउंसिल को विश्वास में लेकर प्रक्रियात्मक कानूनों में संशोधन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मैं इस देश के पुलिस प्रशासन के बारे में कतिपय तथ्यों को सामने लाना चाहता हूं।

मैं गृहमंत्री का ध्यान देश की पुलिस के समक्ष मौजूद समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पुलिस बल की संख्या पर्याप्त नहीं है। कुछ राज्यों के पुलिसकर्मी अत्यंत गरीबी एवं दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। उन्हें उपयुक्त आवास, अच्छा यूनिफार्म एवं अच्छा वेतन नहीं मिलता है। वे अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने की स्थिति में नहीं हैं। अपर्याप्त संख्या के कारण वे बिना विलम्ब किए शिकायतें दर्ज नहीं कर पाते हैं और मामलों की उचित रूप से जांच नहीं कर पाते हैं। अधिकांश समय पुलिसकर्मी विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में गलियों में तैनात रहते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए अलग बल का गठन किया जाना है। आपराधिक मामलों को दर्ज करने एवं जांच करने के लिए आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जाए। इस समय, मैं इस सम्मानीय सभा के ध्यान में आपराधिक मामले दर्ज करने के बारे में कोयम्बटूर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा शुरू की गई नयी पद्धति की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्री शिवानन्दी, आईपीएस, कोयम्बटूर में डी आई जी के रूप में सेवारत है। उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को घटना स्थल या पीड़ित के निवास स्थान पर ही आपराधिक मामले दर्ज करने एवं पीड़ित को प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल दिए जाने का निर्देश दिया था। इससे जाली मामलों एवं वास्तविक अभियुक्त को छोड़ने एवं निर्दोष का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में शामिल होने से बचा जा सकता है। उनका यह कदम स्वागत योग्य है। मैं माननीय गृहमंत्री से विनम्र अनुरोध करता हूं कि राज्यों को इस तरीके का अनुकरण करने का निदेश दें।

हमारी माननीया राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान न्यायपालिका के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों को विस्तार से स्पष्ट किया था। केन्द्र में संप्रग सरकार के आने के बाद हमने विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने हेतु अनेक कदम उठाए थे। हमारे माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री के. जी. बालकृष्णन ने उच्चस्तरीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। वे देश के प्रथम ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने बड़े साहस के साथ सीबीआई को उच्च न्यायालय के भ्रष्ट न्यायाधीशों के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान की। यहां, मैं उच्च न्यायालय चेन्नई के परिसर में घटित कतिपय अवांछित घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं। गत 20 दिन से वकील आतंकवादी संगठन एवं प्रतिबंधित संगठन एलटीटीई के समर्थन में न्यायालय परिसर के भीतर उच्च न्यायालय के सभी न्यायालयों का लगातार बहिष्कार कर रहे हैं और बैठकें एवं धरना दे रहे हैं। अधिकांश वकील न्यायालय जाना चाहते हैं लेकिन एक समूह उन्हें न्यायालय जाने से रोक रहा है और उनके साथ मारपीट कर रहा है। 31.10.09 को जब एक वरिष्ठ एडवोकेट चेलैय्या प्रथम खण्डपीठ में कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश के समक्ष बहस कर रहे थे लोगों के एक समूह ने उन पर आक्रमण कर दिया। कल श्री सुब्रहमयम स्वामी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री के साथ एक वर्ग के लोगों ने श्री मिश्रा एवं श्री चंदूर के समक्ष कोर्ट हॉल नं. 3 में मारपीट की। प्रतिदिन बाहरी लोग परिसर के भीतर घुस आते हैं एवं आम सभाएं करते हैं तथा वकीलों को मैडम सोनिया जी एवं अन्य नेताओं को पुतला जलाने की दुष्प्रेरणा देते हैं। अनेक बार कतिपय समूह के लोगों ने परिसर के भीतर विभिन्न नेताओं के पुतले जलाए हैं। न्यायालय परिसर के भीतर साम्प्रदायिक एवं राजनीतिक बैठकों पर कार्यवाही करने एवं उन्हें रोकने तथा न्यायालय में उपस्थित होने के इच्छुक तथा न्यायालय में उपस्थित होने के इच्छुक वकीलों की रक्षा करने के लिए मैंने सैकड़ों वकीलों के साथ कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के सामने 4 फरवरी, 2009 को एक ज्ञापन सौंपा था। लेकिन आज तक हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने उच्च न्यायालय परिसर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। 5.02.2009 को हमने उन वकीलों जो न्यायालय में उपस्थित होना चाहते हैं, की रक्षा करने के लिए तमिलनाडु सरकार के गृह सचिव को एक ज्ञापन सौंपा था। लेकिन आज तक राज्य सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से उच्च न्यायालय, चेन्नई में सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु उपयुक्त कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[श्री एस. के. खारवनेथन]

हम सभी को श्रीलंका के तमिलों के प्रति सहानुभूति है। हमारे भारत की राष्ट्रपति ने भी श्रीलंका में तमिल संजातीय समूह के समक्ष उपस्थित समस्याओं का उल्लेख किया था तथा श्रीलंका सरकार से युद्ध विराम लागू करने का अनुरोध किया था। श्रीलंका सरकार इस द्वीप राष्ट्र में तमिलों की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रही है। तमिलनाडु के हम सभी संसद सदस्य केन्द्र सरकार से श्रीलंका में तमिल नागरिकों की हत्या रोकने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने का पुरजोर आग्रह करते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिम) : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में भाग लेते समय मैं राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय हित के उन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहता हूं जिनको अभिभाषण में स्थान नहीं मिला है।

कृपया, मुझे देश की जनसंख्या के एक बड़े तबके की दयनीय दशा के बारे में चौकाने वाले कतिपय आंकड़ों से अपनी बात शुरू करने की अनुमति दीजिए। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के चेन्नई संस्करण के 11 फरवरी के अंक से उद्धृत है। "प्रतिदिन 300 मिलियन से अधिक लोग भूखे सो जाते हैं। अभी भी, प्रतिदिन अप्रत्यक्ष भूख से 10,000 भारतीय मरते हैं अर्थात एक वर्ष में 40 लाख। भारत चाहता है कि दुनिया उसे उभरती महाशक्ति के रूप में जाने, लेकिन विश्व का हर तीसरा भूखा व्यक्ति भारतीय है और प्रत्येक तीसरा भारतीय बिना खाना खाए सोता है। खाद्यान्न असुरक्षा से प्रभावित विश्व की सबसे अधिक आबादी भारत में रहती है।"

मैं प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन के उस साक्षात्कार से भी उद्धरण देना चाहूंगा जो 'द स्टेट्समैन' के दिल्ली संस्करण के दिनांक 30.06.2007 के अंक में प्रकाशित हुआ था।

समाचार पत्रों में ऐसे लेख हैं कि "भारत में विश्व के सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हैं, यहां विश्व के के भूखे व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या रहती है।

अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार कुल जनसंख्या का 77 प्रतिशत भाग अत्यंत कम आय प्रतिदिन 20 रुपये से कम पर अमानवीय जीवन जी रहा है—क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 61 वर्षों बाद ग्रामीण भारत के गरीबों में भी गरीब लोगों की स्थिति का अभिभाषण में कोई जिक्र क्यों नहीं हुआ है। सरकार का असली चेहरा देश की जनता को दिखा दिया गया है : जबकि अभिभाषण में संप्रग सरकार के कुछ विकास कार्य एवं भावी कार्यक्रमों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अपने दल की तरफ से मैं यह जानना चाहता हूं कि इन असहाय लोगों के लिए इस परोपकारी सरकार के पास क्या भावी योजना है।

मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों दल के नेताओं पर आरोप लगाता हूं जो देश की जनता के बहुसंख्यक लोगों की इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं।

उत्तरोत्तर सरकारों की गलत खाद्य नीतियों के सीधे परिणाम के रूप में खाद्य सुरक्षा पर एक विध्वसंक प्रभाव पड़ा है जिसकी परिणति कुपोषण और भूखमरी में हुई है। संप्रग सरकार की खाद्य नीतियां गंभीर चिंता का विषय हैं। यह अपनी पूर्ववर्ती सरकारों की नक्शे कदम पर चल रही हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जानबूझकर कमजोर कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए और सर्वव्यापक बनाया जाना चाहिए। राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर आपूर्ति करने हेतु 25 आवश्यक वस्तुओं को इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाकर इसे व्यापक बनाया जाना चाहिए।

वर्ष 2004 में कांग्रेस नीत संप्रग सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक 'राष्ट्रीय किसान आयोग' गठित किया गया था। जिसके विचारार्थ विषय संप्रग के न्यूनतम साझा कार्यक्रम से लिये गये थे। इसके विचारार्थ विषयों में से एक "सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य से देश में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए एक व्यापक मध्यावधिक रणनीति तैयार करना था।

एन. सी. एफ. ने अपनी रिपोर्ट में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है और छह–सूत्री कार्य–योजना का प्रस्ताव किया है। यदि इस छह–सूत्री कार्यक्रम को समग्र रूप से क्रियान्वित किया जाता है तो इससे हमारे देश को विश्व का सर्वाधिक भूखे नंगे लोगों वाला देश बनने से कुछ हद तक बचाया जा सकता है।

कृषि संकट से निपटने में संप्रग सरकार की पूरी तरह विफलता दिख रही है। ग्रामीण निर्धन लोगों का आर्थिक आधार मजबूत करने के लिए कुछ मूलभूत उपचारात्मक उपाय किया जाना जरूरी है। इस संबंध में भूमि सुधार एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अत्यावश्यक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। लेकिन अभिभाषण में भूमि सुधार के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। भूमि सुधार को प्रतिवर्तित करने तथा भूमि हदबंदी कानूनों को नजरअंदाज करने की प्रवृति जारी है। हमारी पार्टी आमूल भूमि सुधारों और भूमि को भूमिहीन और बेघर लोगों के बीच वितरित करने की लगातार मांग करते रहा है।

यह अत्यंत चिन्ता की बात है कि देश में वर्ष 1997 से किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले बढ़कर 1,82,9036 हो गए हैं। यह स्थिति

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अत्यंत चिंताजनक है–"नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट, 2007" के अनुसार – में उद्धृत करता हूं–ऋण ग्रस्त समुदाय को संकट से उबारने के लिए पैकेज दिए जाने के बावजूद देश में प्रतिदिन 46 किसान आत्महत्या करते हैं।

एक दशक से अधिक समय से किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटनाएं जारी हैं। उत्तरोत्तर सरकारों की नीति ने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया।

सरकार को और विलम्ब किए बगैर इस समस्या की जड़ तक जाना चाहिए तथा शीघ्र उपचारात्मक उपाय करने चाहिए ताकि आगे अब एक भी किसान ऐसा आखिरी रास्ता अपना न सके।

क्षेत्रीय असमानताओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह सच्चाई है कि स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात् सत्ता में आई सभी केन्द्र सरकारों ने अपनी योजना और कार्यक्रम तैयार करते समय सैद्धांतिक रूप में, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की वकालत की थी। लेकिन असलियत में प्रति व्यक्ति आय सहित क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी हैं।

यह भी एक सुविदित तथ्य है कि विशेष श्रेणी राज्यों के पास निम्न संसाधन आधार है और इसलिए वे अपनी विकासात्मक जरूरतों के लिए संसाधन जुटाने की स्थिति में नहीं है।

विशेष श्रेणी राज्यों के लिए एक विशेष छूट दी जानी चाहिए ताकि वे क्षेत्रीय असमानता कम करने और देश के शेष भागों में हो रहे विकास के स्तर को हासिल करने में सक्षम हो सकें।

सरकार को विशेषकर पूर्वोत्तर और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक निवेश करना चाहिए ताकि सड़क, संचार इत्यादि के लिए अवसंरचना को तेजी से विकास हो सके। पहले से घोषित अनेक परियोजनाएं निधियों के अभाव में धूल खा रही हैं।

सिल्चर से आगे अगरतला तक स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क नेटवर्क का विस्तार करने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए।

त्रिपुरा से होकर ट्रांस – एशियन हाइवे और ट्रांस एशियन रेलवे परियोजना को मूर्त रुप देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जबकि ऐसा होने पर ही बांग्लादेश से होकर पारगमन का उपयोग करने का पूर्णरुपेण लाभ उठाया जा सकेगा।

लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी कोई जिक्र नहीं था।

भारत सरकार द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा दिया गया था परन्तु दक्षिण पूर्व एशिया के निकट होने के बावजूद पूर्वोत्तर क्षेत्र को पूरी तरह छोड़ दिया गया है।

इसलिए, लुक ईस्ट पॉलिसी का पुनः अनुस्थापन किया जाना चाहिए। लुक ईस्ट पॉलिसी को पुनर्निर्देशित करते समय द्वि–दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

पहला, बांग्लादेश के साथ हमारे व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को विकसित व मजबूत करन पर जोर दिया जाना चाहिए।

राजनीतिक रूप से, बांग्लादेश से होकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भूमार्ग, समुद्रमार्ग और जलमार्ग के जरिए एक संचार स्थापित किया जाना चाहिए।

दूसरा, भूमार्ग के जरिए म्यांमार को जोड़ने और इसी प्रकार थाइलैंड, मलेशिया वियतनाम इत्यादि से जोड़ने का प्रश्न है।

पूर्वोत्तर राज्यों का दक्षिण एशियाई देशों के साथ सामाजिक, जातीय, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक एवं जैव विविधता के मामले में अनेक समानताएं हैं।

ये कारक पूर्वोत्तर क्षेत्र और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स (आसियान) के बीच व्यापार और निवेश के सम्भाकलन व संवर्धन तथा आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वाभाविक आधार प्रदान करते हैं।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने जनता को धोखा दिया है, किसानों को धोखा दिया है, लाखों बेरोजगारों युवकों को धोखा दिया है, उन्हें आगामी दिनों में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

***डा. के. एस. मनोज** (अलेप्पी) : महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं महामहिम, भारत की राष्ट्रपति द्वारा संसद की दोनों सभाओं को संबोधित करने के लिए उनका आभारी हूं। यद्यपि महामहिम राष्ट्रपति ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, तथापि मैं यह कहना चाहता हूं कि उनके भाषण में कुछ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं इन्हीं बिन्दुओं की ओर इशारा करना चाहता हूं। 14वीं लोकसभा चुनाव के बाद सं.प्र.ग. सरकार वाम दलों के समर्थन के बाद सत्ता में आई। वाम दलों ने सं. प्र.ग. को सरकार बनाने के लिए समर्थन केवल सांप्रदायिक फासीवादी ताकतों को सत्ता से बाहर रखने के लिए दिया। वाम दल जानते हैं कि संप्रग की आर्थिक नीति पूंजीवादी प्रकृति की है तथा वे नव–उदारीकृत नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए वाम दलों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर बल दिया जिस पर सरकार का गठन किया गया। लेकिन सरकार बनाने के तुरंत बाद सं.प्र.ग. सरकार ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम

*भाषण समापटल पर रखा गया।

[डा. के. एस. मनोज]

से दूर जाने की प्रवृत्ति दर्शाई। सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करना चाहती थी तथा बैंकिंग, बीमा तथा खुदरा क्षेत्र में नव–उदार आर्थिक नीति लागू करना चाहती थी। सरकार श्रमिकों के भविष्य निधि तथा पेंशन निधि में जमा पैसों का शेयर बाजार में निवेश करना चाहती थी। यह वाम दलों का दबाव था जिसने इन इन जन–विरोधी निर्णयों को रोका अन्यथा सरकार इस बारे में निर्णय ले लेती। वास्तव में, वामदलों के इन्हीं निर्णयों से देश में आर्थिक मंदी तथा आर्थिक संकट पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने में मदद मिली। अन्यथा हमारा देश आर्थिक संकट में फंस गया होता।

1990 के दशक में नव–उदारीकृत आर्थिक नीति के खिलाफ एक रक्षात्मक दीवार तैयार बनी थी। उसी प्रकार 2008 में, वामदलों ने साम्राजयवादी दलों के सामने हमारे द्वारा पूरी तरह घुटने टेक देने संबंधी सरकार की कार्यवाही के खिलाफ रक्षात्मक दीवार तैयार की। भारत–अमेरिका परमाणु सिविल समझौते पर हस्ताक्षर करके देश की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता खतरे में पड गई है। मैं मांग करता हूं कि हमारे देश को भारत–अमेरिका परमाणु समझौता से बाहर निकाला जाए। अन्यथा, जो हश्र इन अर्थव्यवस्थाओं का हुआ जो नव उदारीकृत नीतियों का अनुसरण करते रहे, वही हमारा भी होगा। यह वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक में हुआ और यही ईरान तथा फिलीस्तीन में हो रहा है। मैं पुनः मांग करता हूं कि भारत को भारत–अमेरिका परमाणु समझौते से बाहर आना चाहिए।

यद्यपि हमारे यहां आर्थिक विकास तथा समग्र विकास को बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत किया जा रहा है लेकिन, वास्तविकता एकदम इसके विपरीत है। यहां समग्र विकास नहीं हुआ है। सरकार की सभी नीतियां अमीरों तथा शक्तिशाली लोगों को लाभ पहुंचाती है। गरीब तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ रहा है। लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। यह असंतोष वास्तव में आतंकवाद का रूप ले रहा है। अतएव, गरीबों तथा अमीरों के बीच अंतर को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

हाल में हमने देखा कि सं.प्र.ग. सरकार ने प्रजातंत्र की शक्तियों की अनदेखी की है। संसदीय प्रजातंत्र में, बहस तथा चर्चा संसद में होनी चाहिए। लेकिन सं.प्र.ग. सरकार ने संसद की बैठकों में कमी कर दी है। उन्होंने संसद के एक सत्र को तो छोड़ ही दिया। हमने संसदीय प्रजातंत्र का 'काला दिवस' भी देखा है। सदस्यों ने सभा के बीचोंबीच यह आरोप लगाते हुए नोटों के बंडल दिखाए कि यह रकम उन्हें विश्वास प्रस्ताव के समर्थन करने की एवज में पेश की गयी है। वह दिन हमारे प्रजातंत्र का काला दिवस था। ऐसा नहीं होना चाहिए था।

मैं देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करता हूं। उड़ीसा में चर्चों पर हमले अभी जारी हैं। देश के विभिन्न भागों, यथा, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसाई भयभीत हैं। सरकार को देश में इसाइयों तथा मुसलमानों में सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, मैं 14वीं लोकसभा के अंतिम सत्र की शुरूआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित महामहिम राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की इस बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूं।

महोदय, माननीय राष्ट्रपति ने इस बात पर विस्तार से प्रकाश डाला है कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को पूरा करते हुए सरकार लगभग पांच वर्षों की अवधि में क्या कर सकती थी। साथ ही उन्होंने उन प्रमुख घटनाओं पर टिप्पणी की जो देश तथा विश्व में घटित हुई।

माननीय राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित प्रथम उपलब्धि एन आर ई जी अधिनियम है जिसने 3.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया। वित्तीय समावेश के उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में इसकी काफी तारीफ की गयी है। यद्यपि इस कार्यक्रम के परिणाम उत्कृष्ट तथा अनुकरणीय बताए गए हैं, इन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है यदि इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए तथा इसकी अनिवार्यता को और समावेशी बनाया जाए, उदाहरणार्थ केरल जैसे राज्य में भूमि के स्वामित्व वाले परिवार द्वारा लघु तथा सीमांत किसानों द्वारा किए गए कृषि कार्य तथा बागवानी क्षेत्र में व्यापक पुनर्रोपण तथा पुनरूद्धार कार्य यदि शामिल किया जाय तो राज्य के कृषि तथा बागवानी क्षेत्र को बहुत लाभ पहुंचेगा। वास्तव में, राज्यों को बेरोजगारी के लिए रोजगार के अवसर जुटाने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता तथा शक्तियां मिलनी चाहिए।

इस अभिभाषण में सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की कृषि क्षेत्र से संबंधित नीतियों का उल्लेख किया गया है। इसमें कृषि ऋण को 87000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,43,000 करोड़ अर्थात तीन गुणा करने तथा कृषि ऋण को 3.7 करोड़ परिवारों को 7% की दर पर उपलब्ध कराने तथा 65,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋणों को माफ किये जाने का उल्लेख किया गया है।

यदि सरकार सोचती है कि 7 प्रतिशत ब्याजदर पर ऋण वहनीय है तो हम निकट भविष्य में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। राज्य सभा के हमारे माननीय सदस्य प्रो. स्वामीनाथन जैसे विशेषज्ञ इस बात की वकालत करते रहे हैं कि कृषि ऋण पर अधिकतम 4 प्रतिशत ही ब्याज होना चाहिए।

साथ ही, इस ऋण माफी से लाभान्वित होने वाले किसानों की

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

संख्या से संभवतः अधिक जरूरतमंद किसान लाभान्वित होने से वंचित रहे गये हैं। कम से कम केरल में ऐसी ही स्थिति है। क्योंकि ऐसे सभी किसान जिन्होंने ब्याज चुकाने के बाद ऋण राशि का नवीकरण कराया है उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। सरकार को ऐसी योजना से बचना चाहिए तथा जो भी अन्यथा पात्र हैं ऐसे सभी श्रेणियों के किसानों का ऋण माफ किया जाना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर केरल जैसे राज्य जो मुख्यतः नकदी फसल, बागान फसल और मसालों की खेती करते हैं, उन पर केन्द्र द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किंतु केरल में बीपीएल के लिए खाद्यान्न आबंटन में भारी कटौती की गयी है और इसे प्रतिमाह 1,13,420 मी. टन से घटाकर 17,056 मी. टन कर दिया गया है तथा गेहूं 11,777 मी. टन प्रतिमाह कर दिया गया है जिसमें से 5000 मी. टन को पौष्टिक आटा बनाने के लिए पुनः आबंटित किया जाता है जिससे पीडीएस वितरण के लिए मात्र 6777 मी. टन ही शेष बचता है। अतः खाद्यान्न की कुल कमी 1,49,172 मी. टन प्रतिमाह है जो 70.25 लाख राशनकार्ड धारकों तथा 49.43 लाख बीपीएल कार्ड धारकों की 3.5 करोड़ की आबादी के लिए अपर्याप्त है। भारत सरकार को केरल राज्य के मूल पीडीएस खाद्यान्न कोटा को बहाल करना चाहिए।

महोदय, कई केन्द्रीय योजनाएं राज्यों की जमीनी हकीकत के अनुकूल नहीं होती हैं। उदाहरणार्थ – ए आई बी पी – केन्द्र और राज्य द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के 25:75 अनुपात की हिस्सेदारी के आधार पर चलाया जाना है। केरल जैसे राज्य किस प्रकार परियोजना लागत का 75 प्रतिशत भार वहन कर पाएंगे, वस्तुतः अधिकांश राज्यों की एक सी स्थिति होगी। वस्तुतः इसे दूसरी तरह से होना चाहिए जिसमें परियोजना लागत का 75 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र द्वारा तथा 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

केरल के अल्लेप्पी जिला के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित कवत्तानई पैकेज जैसे विशेष पैकेज पर भी इस प्रकार की शर्त लगाना दुर्भाग्यपूर्ण और अव्यावहारिक है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सरकार को सौंपी अपनी दो रिपोर्टों द्वारा महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। देश के प्रत्येक गांव में पुस्तकालयों का एक नेटवर्क तैयार करना तथा वर्तमान पुस्तकालयों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने में सहायता के साथ–साथ निजी स्वामित्व वाले मूल्यवान दुर्लभ पुस्तक संग्रह तथा सामग्रियों की सुरक्षा तथा संरक्षण संबंधी सिफारिश पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गयी है।

सड़क अवसंरचना के मामले में स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उत्तर दक्षिण, पूर्व–पश्चिम कारिडोर ने देश के सामरिक व ऐतिहासिक महत्व के पश्चिमी कॉरिडोर की अनदेखी करते हुए केरल राज्य को छोड़ दिया है। महोदय, अब रेल मंत्रालय माल ढुलाई तथा यात्री यातायात के लिए त्वरित कॉरिडोर की योजना बना रहा है। मैं सरकार से मुम्बई से कन्याकुमारी तक एक त्वरित गति रेल लाइन बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने तथा इसे बनाने का अनुरोध करूंगा जो इस देश के लिए बड़ा हितकारी होगा क्योंकि यह चार दक्षिणी राज्यों को त्वरित यातायात और संपर्क प्रदान करेगा।

नागर विमानन क्षेत्र में ऐसे सेक्टरों तथा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां पर्यटन उद्योग के विकास की संभावना है। महोदय, अभिभाषण में देश के अल्पसंख्यकों की सहायता में किये गये सरकारी पहलों का उल्लेख है। किन्तु मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आर्थिक सम्पन्नता से अधिक इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग किसी अन्य वर्ग की भांति अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने हेतु संरक्षण चाहता है। यह केन्द्र सरकार जो राज्य तंत्र द्वारा अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में विफल होने पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, गुजरात और उड़ीसा की अब तक सुलग रही त्रासद घटनाओं से उचित ढंग से नहीं निपट पायी है।

विद्युत क्षेत्र में मेगा तथा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करने का प्रस्ताव अत्यधिक स्वागत योग्य है। किंतु सरकार को आर जीजीवीवाई कार्यक्रम के कार्यकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता है। केरल में जिन 7 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया गया है उनमें से केवल एक जिला इदुक्की में ही इस काम में अब तक कोई प्रगति हो पायी है। सरकार का परियोजना समय सारणी के अनुसार सभी बस्तियों/परिवारों को बिजली पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए।

महोदय, दुनिया में भारतवंशियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा किये गये उपायों का अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। किंतु वैश्विक आर्थिक संकट के कारण एन आर आई को जिन संकटों का सामना करना पड़ रहा है उसका उल्लेख करने में वह विफल रहा है तथा अपनी नौकरी गंवाने तथा यहां वापस आने को बाध्य लोगों के लिए किसी पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

महोदय, तेरहवें वित्त आयोग ने केन्द्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर अपना कार्य आरंभ कर दिया है। प्रत्येक राज्य की विशिष्ट तथा अनोखी जरूरतों को शामिल करने के लिए इसके विचारार्थ विषय में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए ताकि आयोग के पंचाट के माध्यम से संसाधनों के न्यायोचित तथा समान बंटवारे को प्रभावी किया जा सके।

मुम्बई आतंकी हमले के पश्चात् देश की सुरक्षा स्थिति का पुनः जायजा लिया जा.ा चाहिए तथा भविष्य में ऐसे खतरों से बचने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। हमारे देश की लम्बी तट रेखा की सुरक्षा

[डा. के. एस. मनोज]

से दूर जाने की प्रवृत्ति दर्शाई। सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश करना चाहती थी तथा बैंकिंग, बीमा तथा खुदरा क्षेत्र में नव–उदार आर्थिक नीति लागू करना चाहती थी। सरकार श्रमिकों के भविष्य निधि तथा पेंशन निधि में जमा पैसों का शेयर बाजार में निवेश करना चाहती थी। यह वाम दलों का दबाव था जिसने इन इन जन–विरोधी निर्णयों को रोका अन्यथा सरकार इस बारे में निर्णय ले लेती। वास्तव में, वामदलों के इन्हीं निर्णयों से देश में आर्थिक मंदी तथा आर्थिक संकट पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने में मदद मिली। अन्यथा हमारा देश आर्थिक संकट में फंस गया होता।

1990 के दशक में नव–उदारीकृत आर्थिक नीति के खिलाफ एक रक्षात्मक दीवार तैयार बनी थी। उसी प्रकार 2008 में, वामदलों ने साम्राजयवादी दलों के सामने हमारे द्वारा पूरी तरह घुटने टेक देने संबंधी सरकार की कार्यवाही के खिलाफ रक्षात्मक दीवार तैयार की। भारत–अमेरिका परमाणु सिविल समझौते पर हस्ताक्षर करके देश की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता खतरे में पड गई है। मैं मांग करता हूं कि हमारे देश को भारत–अमेरिका परमाणु समझौता से बाहर निकाला जाए। अन्यथा, जो हश्र इन अर्थव्यवस्थाओं का हुआ जो नव उदारीकृत नीतियों का अनुसरण करते रहे, वही हमारा भी होगा। यह वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक में हुआ और यही ईरान तथा फिलीस्तीन में हो रहा है। मैं पुनः मांग करता हूं कि भारत को भारत–अमेरिका परमाणु समझौते से बाहर आना चाहिए।

यद्यपि हमारे यहां आर्थिक विकास तथा समग्र विकास को बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत किया जा रहा है लेकिन, वास्तविकता एकदम इसके विपरीत है। यहां समग्र विकास नहीं हुआ है। सरकार की सभी नीतियां अमीरों तथा शक्तिशाली लोगों को लाभ पहुंचाती है। गरीब तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ रहा है। लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। यह असंतोष वास्तव में आतंकवाद का रूप ले रहा है। अतएव, गरीबों तथा अमीरों के बीच अंतर को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

हाल में हमने देखा कि सं.प्र.ग. सरकार ने प्रजातंत्र की शक्तियों की अनदेखी की है। संसदीय प्रजातंत्र में, बहस तथा चर्चा संसद में होनी चाहिए। लेकिन सं.प्र.ग. सरकार ने संसद की बैठकों में कमी कर दी है। उन्होंने संसद के एक सत्र को तो छोड़ ही दिया। हमने संसदीय प्रजातंत्र का 'काला दिवस' भी देखा है। सदस्यों ने सभा के बीचोंबीच यह आरोप लगाते हुए नोटों के बंडल दिखाए कि यह रकम उन्हें विश्वास प्रस्ताव के समर्थन करने की एवज में पेश की गयी है। वह दिन हमारे प्रजातंत्र का काला दिवस था। ऐसा नहीं होना चाहिए था।

मैं देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करता हूं। उड़ीसा में चर्चों पर हमले अभी जारी हैं। देश के विभिन्न भागों, यथा, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इसाई भयभीत हैं। सरकार को देश में इसाइयों तथा मुसलमानों में सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, मैं 14वीं लोकसभा के अंतिम सत्र की शुरूआत में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित महामहिम राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की इस बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूं।

महोदय, माननीय राष्ट्रपति ने इस बात पर विस्तार से प्रकाश डाला है कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को पूरा करते हुए सरकार लगभग पांच वर्षों की अवधि में क्या कर सकती थी। साथ ही उन्होंने उन प्रमुख घटनाओं पर टिप्पणी की जो देश तथा विश्व में घटित हुई।

माननीय राष्ट्रपति द्वारा उल्लिखित प्रथम उपलब्धि एन आर ई जी अधिनियम है जिसने 3.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया। वित्तीय समावेश के उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में इसकी काफी तारीफ की गयी है। यद्यपि इस कार्यक्रम के परिणाम उत्कृष्ट तथा अनुकरणीय बताए गए हैं, इन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है यदि इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र विशिष्ट मुद्दों तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए तथा इसकी अनिवार्यता को और समावेशी बनाया जाए, उदाहरणार्थ केरल जैसे राज्य में भूमि के स्वामित्व वाले परिवार द्वारा लघु तथा सीमांत किसानों द्वारा किए गए कृषि कार्य तथा बागवानी क्षेत्र में व्यापक पुनर्रोपण तथा पुनरूद्धार कार्य यदि शामिल किया जाय तो राज्य के कृषि तथा बागवानी क्षेत्र को बहुत लाभ पहुंचेगा। वास्तव में, राज्यों को बेरोजगारी के लिए रोजगार के अवसर जुटाने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता तथा शक्तियां मिलनी चाहिए।

इस अभिभाषण में सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की कृषि क्षेत्र से संबंधित नीतियों का उल्लेख किया गया है। इसमें कृषि ऋण को 87000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,43,000 करोड़ अर्थात तीन गुणा करने तथा कृषि ऋण को 3.7 करोड़ परिवारों को 7% की दर पर उपलब्ध कराने तथा 65,000 करोड़ रुपये के कृषि ऋणों को माफ किये जाने का उल्लेख किया गया है।

यदि सरकार सोचती है कि 7 प्रतिशत ब्याजदर पर ऋण वहनीय है तो हम निकट भविष्य में ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। राज्य सभा के हमारे माननीय सदस्य प्रो. स्वामीनाथन जैसे विशेषज्ञ इस बात की वकालत करते रहे हैं कि कृषि ऋण पर अधिकतम 4 प्रतिशत ही ब्याज होना चाहिए।

साथ ही, इस ऋण माफी से लाभान्वित होने वाले किसानों की

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

संख्या से संभवतः अधिक जरूरतमंद किसान लाभान्वित होने से वंचित रहे गये हैं। कम से कम केरल में ऐसी ही स्थिति है। क्योंकि ऐसे सभी किसान जिन्होंने ब्याज चुकाने के बाद ऋण राशि का नवीकरण कराया है उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है। सरकार को ऐसी योजना से बचना चाहिए तथा जो भी अन्यथा पात्र हैं ऐसे सभी श्रेणियों के किसानों का ऋण माफ किया जाना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर केरल जैसे राज्य जो मुख्यतः नकदी फसल, बागान फसल और मसालों की खेती करते हैं, उन पर केन्द्र द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। किंतु केरल में बीपीएल के लिए खाद्यान्न आबंटन में भारी कटौती की गयी है और इसे प्रतिमाह 1,13,420 मी. टन से घटाकर 17,056 मी. टन कर दिया गया है तथा गेहूं 11,777 मी. टन प्रतिमाह कर दिया गया है जिसमें से 5000 मी. टन को पौष्टिक आटा बनाने के लिए पुनः आबंटित किया जाता है जिससे पीडीएस वितरण के लिए मात्र 6777 मी. टन ही शेष बचता है। अतः खाद्यान्न की कुल कमी 1,49,172 मी. टन प्रतिमाह है जो 70.25 लाख राशनकार्ड धारकों तथा 49.43 लाख बीपीएल कार्ड धारकों की 3.5 करोड़ की आबादी के लिए अपर्याप्त है। भारत सरकार को केरल राज्य के मूल पीडीएस खाद्यान्न कोटा को बहाल करना चाहिए।

महोदय, कई केन्द्रीय योजनाएं राज्यों की जमीनी हकीकत के अनुकूल नहीं होती हैं। उदाहरणार्थ – ए आई बी पी – केन्द्र और राज्य द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के 25:75 अनुपात की हिस्सेदारी के आधार पर चलाया जाना है। केरल जैसे राज्य किस प्रकार परियोजना लागत का 75 प्रतिशत भार वहन कर पाएंगे, वस्तुतः अधिकांश राज्यों की एक सी स्थिति होगी। वस्तुतः इसे दूसरी तरह से होना चाहिए जिसमें परियोजना लागत का 75 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र द्वारा तथा 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

केरल के अल्लेप्पी जिला के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित कवत्तानई पैकेज जैसे विशेष पैकेज पर भी इस प्रकार की शर्त लगाना दुर्भाग्यपूर्ण और अव्यावहारिक है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सरकार को सौंपी अपनी दो रिपोर्टों द्वारा महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। देश के प्रत्येक गांव में पुस्तकालयों का एक नेटवर्क तैयार करना तथा वर्तमान पुस्तकालयों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने में सहायता के साथ–साथ निजी स्वामित्व वाले मूल्यवान दुर्लभ पुस्तक संग्रह तथा सामग्रियों की सुरक्षा तथा संरक्षण संबंधी सिफारिश पर सरकार द्वारा कार्रवाई की गयी है।

सड़क अवसंरचना के मामले में स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उत्तर दक्षिण, पूर्व–पश्चिम कारिडोर ने देश के सामरिक व ऐतिहासिक महत्व के पश्चिमी कॉरिडोर की अनदेखी करते हुए केरल राज्य को छोड़ दिया है। महोदय, अब रेल मंत्रालय माल ढुलाई तथा यात्री यातायात के लिए त्वरित कॉरिडोर की योजना बना रहा है। मैं सरकार से मुम्बई से कन्याकुमारी तक एक त्वरित गति रेल लाइन बनाने के प्रस्ताव पर विचार करने तथा इसे बनाने का अनुरोध करूंगा जो इस देश के लिए बड़ा हितकारी होगा क्योंकि यह चार दक्षिणी राज्यों को त्वरित यातायात और संपर्क प्रदान करेगा।

नागर विमानन क्षेत्र में ऐसे सेक्टरों तथा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां पर्यटन उद्योग के विकास की संभावना है। महोदय, अभिभाषण में देश के अल्पसंख्यकों की सहायता में किये गये सरकारी पहलों का उल्लेख है। किन्तु मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आर्थिक सम्पन्नता से अधिक इस देश का अल्पसंख्यक वर्ग किसी अन्य वर्ग की भांति अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने हेतु संरक्षण चाहता है। यह केन्द्र सरकार जो राज्य तंत्र द्वारा अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में विफल होने पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, गुजरात और उड़ीसा की अब तक सुलग रही त्रासद घटनाओं से उचित ढंग से नहीं निपट पायी है।

विद्युत क्षेत्र में मेगा तथा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना करने का प्रस्ताव अत्यधिक स्वागत योग्य है। किंतु सरकार को आर जीजीवीवाई कार्यक्रम के कार्यकरण की समीक्षा करने की आवश्यकता है। केरल में जिन 7 जिलों में यह कार्यक्रम चलाया गया है उनमें से केवल एक जिला इदुक्की में ही इस काम में अब तक कोई प्रगति हो पायी है। सरकार का परियोजना समय सारणी के अनुसार सभी बस्तियों/परिवारों को बिजली पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए।

महोदय, दुनिया में भारतवंशियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा किये गये उपायों का अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। किंतु वैश्विक आर्थिक संकट के कारण एन आर आई को जिन संकटों का सामना करना पड़ रहा है उसका उल्लेख करने में वह विफल रहा है तथा अपनी नौकरी गंवाने तथा यहां वापस आने को बाध्य लोगों के लिए किसी पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

महोदय, तेरहवें वित्त आयोग ने केन्द्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे पर अपना कार्य आरंभ कर दिया है। प्रत्येक राज्य की विशिष्ट तथा अनोखी जरूरतों को शामिल करने के लिए इसके विचारार्थ विषय में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए ताकि आयोग के पंचाट के माध्यम से संसाधनों के न्यायोचित तथा समान बंटवारे को प्रभावी किया जा सके।

मुम्बई आतंकी हमले के पश्चात् देश की सुरक्षा स्थिति का पुनः जायजा लिया जाना चाहिए तथा भविष्य में ऐसे खतरों से बचने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। हमारे देश की लम्बी तट रेखा की सुरक्षा

[श्री फ्रांसिस के. जार्ज]

की जानी चाहिए जिसके लिए केन्द्र द्वारा समुद्रतटीय राज्यों को उदार सहायता प्रदान की जानी चाहिए। महोदय, देश के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। आतंकवादी हमले, नक्सली हमले तथा हाल ही में मंगलौर के एक पब में कतिपय तत्त्वों द्वारा लड़कियों पर हुए हमले, यहां की गिरती स्थिति को बताते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा हमारे संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में जब नागरिकों के उचित लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने में राज्य सरकारें विफल रहें तो केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। मुझे खास तौर पर यह कहना पड़ रहा है कि सरकार इस महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व और कर्त्तव्य को पूरा करने में विफल रही है।

महोदय हमारे पड़ोस की घटनाएं, श्रीलंका और पाकिस्तान में, स्वात प्राविन्स को तालिबान को सौंपा जाना हमारे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हमें सक्रिय होने की आवश्यकता है तथा एक मूक दर्शक के स्थान पर हमें इस क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

* **श्री विजय बहुगुणा** (टिहरी गढ़वाल) : महोदय, आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि यूपीए सरकार ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में इस देश में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के कार्य किये हैं। डा. मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आम आदमी पर विशेष ध्यान देकर कई नई योजनाएं बनाई।

गांवों से जो शहरों में पलायन हो रहा था, वह आज राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के लागू होने से रूका है और बेरोजगार लोगों को सम्मान के साथ अपने ही गांवों में रहकर कार्य करने और आर्थिक स्थिति सुधारने का अवसर मिला। प्रस्तावित बजट में इस योजना के लिए 30 हजार करोड़ का प्रस्ताव रखकर सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया।

महोदय, यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें समान न्यूनतम मजदूरी तय करे ताकि देश के हर कोने में समान रूप से इस योजना के अंतर्गत समान मजदूरी मिल सके। कुछ राज्यों ने न्यूनतम मजदूरी 145 रु. तय की है और कुछ राज्यों ने कम। यह भी आवश्यक है कि राज्य इस योजना को गंभीरता और ईमानदारी के साथ लागू करें।

कृषि उत्पादन के बढ़ने से और गेहूं और धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है और अब 7 प्रतिशत ब्याज से कृषि ऋण मिलने से कृषि में अतिरिक्त उत्पादन के रास्ते खुले हैं।

अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाएं और युवकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं यूपीए सरकार ने बनाई और पर्याप्त धन आबंटित कर उनके हितों की रक्षा की।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी से देश में प्रतिकूल प्रभाव को रोकने में यूपीए सरकार ने सराहनीय कार्य किए। डीजल, पैट्रोल, कुकिंग गैस और अनेक अन्य पदार्थ में दाम घटे हैं। मुद्रास्फीति अब घट कर 5.9 प्रतिशत पर आ गई है और अभी भी हम 7.1 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त कर सके हैं।

साम्प्रदायिकता, जातिवाद और क्षेत्रवाद हमारे संविधान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के मूलभूत सिद्धांत और भावना के विरुद्ध यूपीए सरकार ने इन ताकतों को दबा कर रखा और देश की एकता को और मजबूत किया।

आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो सम्मान बढ़ा है, उसके फलस्वरूप हमारी शर्तों पर परमाणु संधि हुई और आज विश्व ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत का साथ दिया और पाकिस्तान को यह स्वीकार करना पड़ा कि 26.11.08 के आतंकवादी घटना का षडयंत्र और योजना उनके देश से हुई।

मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हिमालय राज्य विशेषकर उत्तराखंड में विकास पिछड़ रहा है। यह आवश्यक है कि सीमांत जनपदों के विकास के लिए विशेष योजना केन्द्र द्वारा बनाई जाये और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए एक हिमालय विकास प्राधिकरण का गठन कर विशेष आर्थिक योजना बनाई जाये।

महोदय, मैं अंत में राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी और यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस देश के आवाम को खुशहाल व महफूज रखने की अपनी मुहिम को अंजाम तक ले जायें।

[अनुवाद]

* **डा. सिबैस्टियन पॉल** (एर्णाकुलम) : वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति का प्रथागत अभिभाषण सत्र के लिए मंत्रिमंडल के कार्यक्रम की घोषणा करने का अवसर होता है। यह अभिभाषण हमारे समक्ष भविष्य के लिए वायदा नहीं बल्कि अतीत की पुनरावृति है। यह संप्रग सरकार की उपलब्धियों का प्रदर्शन है, यह संप्रग के आगामी चुनाव घोषणा पत्र का प्राथमिक मसौदा भर है। यह ऐसा कोई उपयोगी विषय नहीं है, जिस पर राजनीतिक दृष्टिकोण और सामान्य नीति व प्रशासन के मामले के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

नजरिये से वाद–विवाद किया जाए। देश आतंकवाद और तालिबानवाद के कठिन दौर से गुजर रहा है जिनका साया अनेक रंग–रूप में फैलता जा रहा है। अल्पसंख्यक लगातार भय की स्थिति में जी रहे हैं। यहां तक की प्यार की मासूम अभिव्यक्ति भी वर्जना और हिंसा की वस्तु बन रही है। वस्तुतः उदास करने वाली बात है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण भय पैदा करने वाली इस परिस्थिति का ख्याल करने में विफल रहा है। फासीवाद के इस बढ़ते खतरे के प्रति नरम रूख अख्तियार करने से हमारे लोकतांत्रित ढांचें की नींव हिल जाएगी। जैसा कि हमारा देश धीरे–धीरे परन्तु निरंतर वैश्विक आर्थिक मंदी का शिकार होता जा रहा है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ व मजबूत बनाने की जरूरत है। इसके स्थान पर, नव उदारवादी सिद्धांत एवं पूंजीवाद के अपने लगाव को सच साबित करते हुए इस सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को हटा दिया है जिससे दूरसंचार, रक्षा, नागर विमानन, कुछ क्षेत्र और वस्तुतः मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अबाध प्रवाह संभव हो गया है। हमने एनरॉन से लेकर सत्यम तक कुछ नहीं सीखा। यह देखते हुए कि इस वैश्विक संकट का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, राष्ट्रपति को राष्ट्र को विश्वास और आशावाद का संदेश देना चाहिए था। सिर्फ राष्ट्रपति जी ही नहीं बल्कि अंतरिम वित्त मंत्री ने भी यह कार्य अगली सरकार के लिए छोड़ दिया है। तीन महीने के अंदर नयी सरकार बन जाने की निश्चितता कोई बहाना नहीं है जिसके आधार पर वर्तमान सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों को यूं ही छोड़ दे। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम मृतप्रायः हो चुका है जो चुनाव के वक्त चीर–फाड किए जाने का इंतजार कर रहा है। हमने राष्ट्रपति से जनहितैषी आर्थिक नीतियों, धर्मनिरपेक्षता की सुरक्षा और स्वतंत्र विदेश नीति के वादे की उम्मीद की थी। यद्यपि राष्ट्रपति ने श्री लंका में हो रहे घटनाक्रम के संवेदनशील मुद्दा का उल्लेख किया, परंतु उन्होंने गाजा में हो रहे नरसंहार की ओर से आंखें मूंद ली। यह दुर्भाग्यपूर्ण और अवांछित भारत–अमरीका इजरायल गठजोड़ का पर्याप्त सबूत है। राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 123 समझौते को निर्णायक स्थिति तक पहुंचाने के लिए सरकार की पीठ थपथपाई थी, परन्तु हमने इसका मूल्य चुकाना शुरू कर दिया। इस प्रबल उम्मीद के साथ कि तीन महीनों के पश्चात् वह आशा और सकारात्मक परिणाम के संदेश के साथ संसद के समक्ष पुनः आएंगी, मैं संसद का संयुक्त सत्र आहूत करने और उसे संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। परंतु उसे अलग रूप में तैयार किया जाएगा।

***श्री सान्थुमा चुंगुर वैशीमुथियारी** (कोकराझार) : महोदय, मैं 12 फरवरी, 2002 को भारत की माननीया राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधति करने हेतु श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव द्वारा प्रस्तुत और श्री मधुसूदन मिस्त्री द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव का निम्नलिखित कारणों से अनिच्छुक भाव से भारी मन से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, पूरे देश के लाखों–करोड़ों मूल जनजातीय लोगों के सामाजिक–आर्थिक, नृजातीय सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास व प्रगति की गति बढ़ाने तथा देश के अंदर उनके नैसर्गिक पैतृक क्षेत्रों में अधिकतम स्वायत्तता के साथ आत्म–निर्णय, स्वशासन के अपने राजनीतिक अधिकार में उन्हें समर्थ बनाने हेतु कुछ ठोस व्यावहारिक नीति संबंधी दृष्टिकोण और काफी पहले से तैयार किए गए मास्टर प्लानों को अपनाने की अति आवश्यकता को प्रकाश में लाने में राष्ट्रपति के अभिभाषण की विफलता के बारे में अपनी गंभीर नाराजगी जताता हूं।

महोदय, मुझे आपको इस तथ्य से अवगत कराते हुए खेद है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर बोडोलैंड के सभी क्षेत्रों में समग्र वृद्धि व विकास हेतु और विशेष पैकेज की घोषणा करने की आवश्यकता का जिक्र करने में विफल रहा है।

ऐसा कहने के बाद मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर बोडोलैड के लोगों की चिर लंबित सही मांगों व मुद्दों को पूरा करने हेतु सभी समुचित और आवश्यक उपाय करे।

(1) भारत सरकार को बोडोलैंड टेरिटोरियल काउन्सिल प्रशासन को विशेष केन्द्रीय निधि के रूप में न्यूनतम 1000.0 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मुहैया कराने हेतु समुचित कदम उठाने चाहिए और इस प्रावधान को नियमित प्रणाली कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। यह निधि सीधे बी. टी. सी. प्रशासन को दी जानी चाहिए।

(2) भारत सरकार को बोडोलैण्ड क्षेत्र की दक्षिण सीमा के सीमांकन के विशेष उल्लेख के साथ नये बोडो समझौते के विभिन्न खंडों के सुगम क्रियान्वयन, बोडो आन्दोलन से संबंधित सभी मामले वापिस लेने और 10 फरवरी, 2003 को हस्ताक्षरित नये बोडो समझौते के समझौता–ज्ञापन के अनुसार बीटीसी प्रशासन को सौपें जाने का वादा किए गए सभी विषयों लाइन विभागों के अंतरण में मदद करने हेतु उपयुक्त उपाय करने चाहिए;

(3) भारत सरकार को गृह एवं पुलिस विभाग सहित कानून एवं व्यवस्था को बोडोलैण्ड क्षेत्र परिषद प्रशासन को अन्तरण करने में मदद देने हेतु उपाय करने चाहिए;

(4) केन्द्र को बीटीसी के अंतर्गत कानून एवं व्यवस्था बनाने में सुरक्षा कार्मिकों की मदद करने हेतु बोडोलैण्ड क्षेत्र पुलिस बटालियनों का गठन करने के लिए बीटीसी प्रशासन को अनुमति दिए जाने हेतु उपयुक्त कदम उठाने चाहिए;

*भाषण समापटल पर रखा गया।

[श्री सानघुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

(5) केन्द्र को बीटीसी क्षेत्र के लिए अलग पुलिस आयुक्तालय का गठन करने हेतु असम राज्य सरकार को निदेश देना चाहिए;

(6) केन्द्र को बोडोलैण्ड क्षेत्र के लिए एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी देनी चाहिए जिसका नामकरण 'बोडोलैण्ड सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी' किया जाए;

(7) केन्द्र को बोडोलैण्ड क्षेत्र के अंतर्गत एक आईआईटी, एक आईआईएम, एक एम्स मॉडल का संस्थान, एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 10 पॉलिटेक्निक संस्थान, 10 आई आई टी, एक बोडोलैण्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एण्ड फैशन टेक्नोलॉजी, 5 टेक्सटाइल इंस्टीट्यूटस तथा इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण एवं प्रमुख शैक्षाणिक संस्थानों की स्थापना में मदद करने हेतु उपाय करने चाहिए; और

(8) केन्द्र को असम की स्थायी खाद्यान्न एवं कटाव की समस्याओं को राष्ट्रीय मुद्दे के रुप में घोषित करना चाहिए तथा उन मुद्दों के स्थायी समाधान हेतु उपयुक्त नीतिगत उपाय करने चाहिए!

महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा 10 फरवरी, 2009 को तत्कालीन 'बोडो लिबरेशन टाइगर्स' के नेताओं के साथ 'बोडोलैण्ड टेरिटोरिअल कॉउन्सिल' की संकल्पना के 'एमओएस' पर हस्ताक्षर करते समय की गई राजनीतिक प्रतिबद्धता के अनुसार असम के कार्बा–अंगलांग एवं नार्थ कछार हिल्स स्वायत्तशासी जिलों में रहने वाले बोडो कछारी लोगों को अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) सूची में बहुत पहले शामिल कर लेना चाहिए था लेकिन उक्त बोडो समझौता पर हस्ताक्षर करने के 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

इसलिए, महोदय, आपके माध्यम से मैं केन्द्र सरकार से असम के कार्बा ऑकलांग एव नार्थ कछार हिल्स स्वायत्तशासी जिलों में रहने वाले बोडो कछारी लोगों को अनुसूचित जातियां, भाग दो, असम के उपभाग एक में उपांतरण करके अनुसूचित जातियों (पहाड़ी) की सूची में सम्मिलित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु उपयुक्त कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

इसके अतिरिक्त, समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेषकर उग्रवाद से बर्बाद हुए जनजातीय क्षेत्रों एवं इस पूरे क्षेत्र में भी शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल करने एवं सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास मे तेजी लाने के लिए, मैं भारत सरकार का विशेष ध्यान त्रिपुरा एवं असम के दिमाशा बहुत क्षेत्रों में विशेषकर कार्बा ऑकलांग, नार्थ कछार एवं बराक घाटी में विद्यमान संजातीय–राजनीतिक एवं उग्रवाद से संबंधित ज्वलंत मुद्दों का त्रिपुरा एवं दिमाशा के संबंधित उग्रवादी समूहों के साथ सार्थक राजनीतिक शांति वार्ता की अविलम्ब शुरुआत करके स्थायी एवं सम्मानजनक समाधान निकालने की अत्यावश्यकता की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं सच्चे मन से चाहता हूं कि पूरे देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने एवं सीमा पार से आतंकवाद जो कई दशकों से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं एकता के लिए खतरा बना हुआ है को उखाड़–फेकने हेतु ठोस एवं प्रभावी निर्णय ले एवं कार्य योजना तैयार करे।

और, अंत में, मैं भारत सरकार से केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के मौजूदा सुरक्षित कोटा में वृद्धि कर उसे क्रमशः 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और 15.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 17.5 प्रतिशत करने हेतु उपयुक्त कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

*श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : महोदय, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की कोरोनरी बायपास सर्जरी हुई है। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करते रहें।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए मुझे यह कहते हुए काफी खुशी हो रही है कि यू.पी.ए. सरकार ने अपनी अध्यक्षा श्रीमती सोनियां गांधी तथा प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उन वायदों को पूरा करने का प्रयास किया है जो 2004 में जनता से किए थे। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद सरकार ने समग्र विकास सुनिश्चित किया है। डा. मनमोहन सिंह जी ने भारत–अमेरिका परमाणु करार पर हस्ताक्षर करके इतिहास रचा है।

जहां तक कर्नाटक का संबंध है मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यू.पी.ए. सरकार ने रेलवे परियोजनाओं तथा अन्य विकासात्मक परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में कर्नाटक की उपेक्षा की है। उदाहरणार्थ, सोमवार को श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट में तमिलनाडु में विवादित होगेनेक्कल में सिंचाई परियोजना के निर्माण को हरी झंडी दे दी गई है। चूंकि कावेरी ट्रिब्यूनल के अंतिम निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी, अतः इस परियोजना को शुरू नहीं किया जाना चाहिए।

अंतरिम बजट में यूपीए सरकार ने सिंचाई परियोजना के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन से निधियां उधार लेने के लिए तमिलनाडु को सक्षम बनाने हेतु सभी बाधाएं दूर कर दी हैं। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक सरकार ने अपना असंतोष जाहिर किया है और केंद्र से यह अनुरोध किया है कि सिंचाई परियोजना का कार्य आगे बढ़ाने

*मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

के लिए तमिलनाडु को अनुमति नहीं दी जाए। कर्नाटक की जनता तमिलनाडु के इस कदम का घोर विरोध कर रही है। लोग विशेषकर चामराजनगर तथा मैसूर में प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने इस महान सदन में इस मुद्दे को उठाया है। विवादास्पद सिंचाई परियोजना पर कर्नाटक द्वारा व्यक्त की गई असहमति के बावजूद केंद्र सरकार ने कर्नाटक के लोगों के हित की अनदेखी की है।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार ने पूर्व में यह कहा था कि वह धर्मपुरी जिले के लोगों को पेयजल की आपूर्ति करेगी, उन्होंने अब यह कहा है कि वह कृष्णा गिरि तथा अन्य जिलों के लोगों को भी पेयजल की आपूर्ति करेगी। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में असामान्य वृद्धि को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने का उल्लेख उस समय किया है जबकि मुद्रास्फीति की दर काफी नीचे आ गई है। आजकल गरीब तथा मध्यवर्ग के लोग सब्जियों, चावल, गेहूं आदि के मूल्यों में हुई तीव्र वृद्धि से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।

महोदय, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन हमारे किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक सस्ती दरों पर ऋण आदि नहीं मिल पाता है। कृषि के लिए कच्चे माल की लागत को कम करने के लिए कदम उठाकर कृषि को लाभकारी बनाया जाना चाहिए।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि नदियों को परस्पर जोड़े जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है अगर ऐसा किया जाता है तो इससे राज्यों के बीच जल विवाद से संबंधित सभी मुद्दों का समाधान हो जाता। इससे हमारे आर्थिक विकास के तेज करने में भी मदद मिलेगी।

महोदय, एक और मामला बड़ी चिंता का है। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह लोगों की आतंकवादी तथा नक्सली गतिविधियों से रक्षा करे। सरकार को देश में आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए। मुम्बई में आतंकवादी हमले जैसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज विश्व में भारत का सिर ऊंचा है। दुनिया भर के लोग हमारी सजीव संस्कृति का सम्मान करते हैं। महिलाओं के प्रति हमारे मन में काफी सम्मान है। दुर्भाग्यवश, भारतीय संस्कृति के तथाकथित ठेकेदारों ने मंगलोर में एक पब पर हमला किया तथा युवकों तथा युवतियों को पीटा। यह शर्म की बात है। मैं भारतीय संस्कृति के तथाकथित ठेकेदारों द्वारा की गई इस घटना की निंदा करता हूं।

अपनी संस्कृति के लिए मेरे मन में भी सम्मान है। अगर हमारी संस्कृति को कोई खतरा है तो इस समस्या को रोकने के लिए संवैधानिक उपबंध हैं। हम भारत जैसे स्वतंत्र देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारा संविधान किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं देता है। अन्यथा हमारी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी।

एक अन्य घटना में केरल के एक विधायक की बेटी का अपहरण कर लिया गया था और उसके मित्र को बुरी तरह पीटा गया था। मैं गुंडों के इस कार्य की भी निंदा करता हूं।

महोदय, मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे जो कानून अपने हाथ में लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर) : साहब, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। आप जानते हैं और सारा सदन जानता है कि राष्ट्रपति जी जो भी अपने अभिभाषण में कहते हैं, वह सरकार की नीति होती है। हम उस पर इस सदन में चर्चा कर रहे हैं।

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत कम समय के लिए इस देश के प्रधान मंत्री रहे थे। उन्होंने "जय जवान – जय किसान" का नारा दिया था। लेकिन राष्ट्रपति जी के इस अभिभाषण में न तो जवान की और न ही किसान ही खुशहाली और भमूदी का जिक्र किया गया है।

मैं सबसे पहले जय जवान किसान की बात करना चाहता हूं। चाहे एमएसपी हो, हिन्दुस्तान के सभी किसान कह रहे हैं कि इसके दो–तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि किसान की उपज का दाम प्राइस इंडैक्स से जोड़ दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि उसकी उपज के दाम इंटरनेशनल मार्केट के दाम के हिसाब से तय किए जाएं। तीसरा तरीका यह हो सकता है कि सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन का गठन किया था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक सिफारिश की थी।

स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि तीनों में से किस पर अमल हो रहा है। आप न तो प्राइस–इंडैक्स के साथ कीमत को जोड़ते हैं, न स्वामीनाथन जी ने जो रिकमेंडेशन की, उसको मानते हैं कि एक्चुअल प्राइस पर 40 प्रतिशत और देना चाहिए। इसलिए अभिभाषण में कोई बात किसान के लिए नहीं है। 70 हजार करोड़ रुपये माफी की बात कही गयी। ठीक है माफ किया, लेकिन

[श्री सुखदेव सिंह ढींडसा]

उसका बेस कैसा बनाया? उसका भी कोई फायदा छोटे किसान को नहीं हुआ।

अध्यक्ष जी, मैं पंजाब स्टेट से संबंध रखता हूं। पंजाब सेंट्रल पूल में 60 प्रतिशत अनाज देता है और हैरानी की बात है कि सबसे ज्यादा कर्जा भी पंजाब के किसान पर है। 70 हजार करोड़ रुपए में से एक परसेंट कर्जा भी पंजाब के किसान का माफ नहीं हुआ। जो लोग 60 प्रतिशत अनाज देश के लोगों को रखने के लिए देते हैं, उनका कर्जा आप माफ नहीं कर रहे हैं। कुल कर्ज का 7 परसेंट कर्ज भी पंजाब के किसान पर है, जो सबसे ज्यादा है। इसलिए इसे प्राइस इंडैक्स से जोड़ों, स्वामीनाथन कमेटी की रिक्मेंडेशन्स पर अमल करो। अगर हम इंटरनेशनल प्राइस देखें तो जो एमएसपी है उस पर आप इसे फिक्स करो। भारतीय किसान यूनियन ने यूनिवर्सिटी के एक एक्सपर्ट से सर्वे करवाया था। उसने बताया कि 1700 रुपया एक क्विंटल पर किसान का खर्चा आता है। मैं ज्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता हूं। एक मेमोरेंडम भारतीय किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री जी को दिया, उसी की एक कॉपी मैं सदन की टेबल पर रख दूंगा। मैं डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा।

दूसरी बात जवानों के बारे में मुझे कहनी है। आज आर्मी में घबराहट है। पे-कमीशन की रिपोर्ट में आर्मी अफसरों को सिविलियन्स के मुकाबले नीचे रखा गया। इससे नाराज होकर तीनों विंग्स के चीफ्स ने डिफेंस मिनिस्टर और प्राइस-मिनिस्टर साहब से कहा कि हमारे लिए अलग से पे-कमीशन बनाया जाए। लेकिन उस और भी कुछ नहीं हुआ है। जो रिटायर हो चुके आर्मी के लोग हैं, उन्होंने भी कहा है कि वन-रैंक-वन पेंशन की जाए। जो खुराना कमेटी बनी थी, उसने भी वन रैंक, वन पेंशन की सिफारिश की थी, लेकिन उस पर भी अमल नहीं हुआ। जो रिटायर हो चुके जवान हैं, जनरल हैं उन्होंने अपने मैडल्स वापिस कर दिये हैं या जला दिये हैं। एक तरफ हमारे बार्डर पर स्थिति तनावपूर्ण है और दूसरी तरफ आप आर्मी को डिसहर्टन कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा? आप जवाब दें तो आर्मी के जो अफसर रिटायर हुए हैं उनके लिए या तो दुबारा कमीशन बनाया जाए या उनकी डिमांड्स पूरी की जाएं। उन लोगों में आज बहुत रोष है। पिछली बार हमने इस हाउस में भी कहा और माननीय प्राइम-मिनिस्टर साहब से भी मिलकर कहा कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है जिसने 10 साल पहले टैरेरिज्म के वक्त में बहुत नुकसान उठाया है।

अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्री के लिए हमने कहा कि आपने पहाड़ी राज्यों को कंसेशन दिया है, हम स्वागत करते हैं, लेकिन सारे पंजाब को नहीं, तो कम से कम बॉर्डर एरियाज में कंसेशन दे दीजिए, जो हिली स्टेटस को दी है। पंजाब के सभी संसद सदस्य प्रधानमंत्री जी से मिले। मैं करीब दो साल पहले की बात कह रहा हूं, उन्होंने मिनिस्टर आफ स्टेट श्री अश्विनी कुमार को कहा कि आप कोई पालिसी लाएं, मैं करने के लिए तैयार हूं। आज तक न कोई रिपोर्ट सब्मिट हुई है और न ही सरकार ने किसी प्रकार का एक्शन लिया है। पंजाब की इंडस्ट्री तबाह हो गई है, दूसरे राज्यों में चली गई है। सरकार इस बारे में दोबारा गौर करे। पंजाब ने बहुत दुख झेले हैं। इसका कोई न कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, ऐसी मेरी आपके द्वारा सरकार से दर्खास्त है।

अपराह्न 2.21 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी पंजाब राज्य से हैं। मेरी दर्खास्त है कि हमने दो-तीन एयरपोर्ट्स के लिए पैसा जमा कराए हैं और जमीन भी ले ली है। अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। न ही मोहाली का काम शुरू हुआ है, न ही पेसिआना का हुआ है और न ही सानीवाल का काम शुरू हुआ है। पंजाब में इन एयरपोर्ट्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि विदेशों से बहुत लोग पंजाब आते हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात एनआरआइज के बारे में कहना चाहता हूं। मैं कई बार कमेटी में भी कह चुका हूं, पंजाब से बहुत एनआरआइज बाहर हैं। आप जानते हैं, जब हरमंदिर साहब पर हमला हुआ था, तब वहां कुछ उत्तेजित स्पीचेज लोगों ने दी होंगी। यहां भी की होंगी। उस समय एक ब्लैक लिस्ट बन गई थी। उसके बाद एनडीए सरकार ने उस लिस्ट को छोटा कर दिया। आप भी जानते होंगे, उनमें से कई ऐसे लोग हैं, जो भारत कई बार आ चुके हैं, लेकिन हमारी एम्बेसीज उन लोगों को वीजा नहीं देती है। मैंने इस बारे में कई चिट्ठियां लिखी हैं। एक व्यक्ति श्री गुरदेव सिंह जोहर हैं, वे छह बार भारत आ चुके हैं, लेकिन उनका वीजा रिफ्यूज कर दिया गया। वे 70-75 साल के बुजुर्ग आदमी हैं। इसी तरह से कटवाल जी हैं, उनके बारे में मैंने चिट्ठी लिखी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि कहा गया कि फलां-फलां रूल के हिसाब से इनका वीजा रिफ्यूज किया गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ किस तरह का सलूक हो रहा है। ये लोग अपने घर आना चाहते हैं और कहते हैं कि इनका कोई कसूर नहीं है, हमने कोई ऐसी बात नहीं कही है, जिससे कि उन्हें देशद्रोही कहा जाए। फिर उनका वीजा क्यों रिफ्यूज किया जाता है? वीजा देने में भी क्रप्शन होता है। अगर कोई पैसे दे देता है, तो उसे वीजा मिल जाता है। आनंद शर्मा जी सदन में उपस्थित हैं, उनके नोटिस में मैं यह बात लाना चाहता हूं। उन लोगों को क्यों वीजा नहीं दिया जाता है, जो पिछले दो साल में छह-छह बार भारत आ चुके होते हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल मेल्ट डाउन हुआ है। आप जानते हैं कि इस कारण

सैंट्रल टैक्सिस में काफी कमी आ गई है और राज्यों को जो शेयर आता था, उसमें भी कमी हो गई है। या तो सेंटर उस कमी को पूरा करे या राज्यों को कहीं से उधार लेने के लिए सरकार अलाऊ करे। अगर ऐसा नहीं होगा, तो राज्यों का विकास रूक जाएगा।

महोदय, मैं रेलवे बजट की चर्चा में शामिल नहीं हो सकूंगा, इसलिए मैं एक–दो बातें अभी कहने की अनुमति चाहता हूं। रेल मंत्री जी ने अच्छा किया कि फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना तक मंजूर की है। अगर हम पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करना चाहते हैं और व्यापार करना चाहते हैं, हम तो कहते हैं कि अमृतसर तक कॉरिडोर होना चाहिए, लोग तो कहते हैं कि अटारी तक कॉरिडोर होना चाहिए।

अगर वह कॉरीडोर अटारी तक नहीं होता है तो कम से कम अमृतसर, तो रिलीजियस सिटी है, इस तक तो होना चाहिए। हमने इस संबंध में प्रोटेस्ट भी किया लेकिन रेल मंत्री ने फिर भी कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लुधियाना तक होना चाहिए लेकिन वह भी नहीं किया गया। मैं दरख्वास्त करता हूं कि पंजाब की स्पेशल पॉजीशन देखते हुए मेरे द्वारा कही गई बातों को जरूर देखें।

महोदय, पूरे विश्व में गुरतागद्दी दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर एक फैसला हुआ था कि गुरू गोबिंद सिंह मार्ग आनंदपुर साहब से हुजूर साहब तक बनेगा। उस वक्त गृह मंत्री पाटिल जी थे और उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी। यह जिन स्टेट्स से जा रहा है, उन सब स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आए और उन्होंने सहमति भी प्रकट की कि हम एग्री हैं। लेकिन आज तक काम नहीं हुआ। यहां होम मिनिस्टर साहब तो नहीं हैं लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि वे उनसे कहें कि दूसरी स्टेट्स में जल्दी काम करवाएं। यह मार्ग गुरू गोविंद सिंह जी के नाम पर है, जहां से वे गुजरे थे इसलिए यह होना चाहिए। मैं यही दरख्वास्त करके अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

*महोदय, आप और आपकी सरकार देश में कम कृषि विकास दर के बारे में चिंतित है। आप जानते हैं कि हमारे देश की दो तिहाई से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका कृषि से अर्जित करती है। पंजाब एक छोटा राज्य जो कि देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.5% है, ने हमेशा ही देश के फूड बास्केट में आधे से अधिक का योगदान दिया है। अतः इसे देश का 'हरा कटोरा' (ग्रीन बाउल) भी कहा जाता है। इसके प्रमुख योगदान तथा हरित क्रांति का चैम्पियन होने के बावजूद भी पंजाब के किसान आज भयंकर ऋण जाल में फंसे हुए हैं। कई रिपोर्ट आई हैं–जिनमें उनके विरुद्ध बकाया पड़ी ऋण की राशि अलग–अलग बताई गई है। यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है तथा यह गंभीर चिन्ता की बात है कि देश का समृद्ध राज्य कहा जाने वाले पंजाब के किसानों की अर्थव्यवस्था को क्या हुआ?

महोदय, आज किसानों की समस्याओं के कारणों को समझने के लिए, आपको कृषि लागत तथा मूल्य संबंधित आयोग (सीएसीपी) के विचारार्थ विषयों को गंभीरता से देखना होगा। जो कि पूर्णत्तया किसानों के हितों के प्रतिकूल हैं। आयोग के लिए यह बाध्यकारी है कि वह उपभोक्ता के हितों को देखे ताकि खुले बाजार में खाद्यान्नों की कीमतें न बढ़ें। इसे यह भी देखना होता है कि औद्योगिक कच्चा माल जो कि सामान्यतः कृषि उत्पाद होता है, की कीमतें बहुत अधिक न हों। ऐसी परिस्थितियों में सीएसीपी कभी भी किसानों के साथ–न्याय नहीं कर सकता है तथा कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में कभी भी सरकार को वैज्ञानिक आधार पर सिफारिश नहीं कर सकता है। इस नीति के फलस्वरूप हरित क्रांति के प्रारंभ से ही निरन्तर रूप से किसानों के अधिकारों में कमी आई है।

हमारे समाज का यह निरक्षर तथा असंगठित वर्ग किसान अपनी आय तथा व्यय का लेख नहीं रखता है। अपनी गतिविधियां जारी रखने एवं घाटा पूरा करने के लिए वे ऋण ले लेते हैं। यदि आप पूरी बात को गंभीरता से जाने तो आप पाएंगे कि सरकार भी सहकारी तथा वाणिज्यिक बैंकों के जरिए किसानों के लिए ऋण सीमा में वृद्धि करती रही है तथा समस्या वैसी ही बनी रहती है। आज जब वे इस ऋण भार को वहन करने में सक्षम नहीं हैं तो उन्होंने आत्म हत्याएं करना आरंभ कर दिया है। केन्द्र की प्रत्येक सरकार ने किसानों को वैज्ञानिक दृष्टि से न्याय प्रदान करना हमेशा ही टाला है। सरकार हमेशा ही बाजार के मूल्य बढ़ने के डर से संगठित उपभोक्ताओं विशेषकर शहरी लोगों के दबाव में रही है। किसान को हमेशा ही नुकसान उठाना पड़ा है। आप इस मामले पर ईमानदारी से किसी विशेषज्ञ से अध्ययन करवा लीजिए, आप पाएंगे कि सरकार की नीतियां ही ऋणग्रस्त किसानों की दुर्दशा के लिए पूर्णतया उत्तरदायी हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आर्थिक गतिविधि में बिना किसी वैज्ञानिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण के सकारात्मक परिणाम की आशा नहीं कर सकता है।

आपकी सरकार ने आने वाले अप्रैल सत्र में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। देखने में तो यह बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आप यदि इस की वैज्ञानिक आधार पर गणना करें तो अभी भी यह लाभकारी नहीं है। हमने इसकी गणना की है तथा यह 1720 रुपये प्रति क्विंटल से कम नही होना

.... भाषण का यह भाग पंजाबी पटल पर रखा गया।

[श्री सुखदेव सिंह ढींडसा]

चाहिए। गेहूं पर लागत व्यापक गणना इस ज्ञापन के साथ लगे अनुलग्नक – क में दी गई है। अतः यह मांग की जाती है कि सरकार को किसानों द्वारा अर्जित की जा रही पूंजी को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में उनकी जेब में जाने देने में कोई बाधा पैदा नहीं करनी चाहिए। सीएसीपी के विचारार्थ विषयों में संशोधन किया जाना चाहिए। ताकि लागत की गणना की जा सके तथा वैज्ञानिक आधार पर सिफारिश की जा सके। ऋणग्रस्त किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार को सभी बकाया कृषि ऋणों को बट्टे खाते में डाल देना चाहिए तथा माफ कर देना चाहिए। सरकार की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या करने की कगार पर खड़े किसानों को केवल इस प्रकार से सरकार द्वारा न्याय देकर भरपाई की जा सकती है। *

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मेरे पास इस चर्चा में भाग लेने की इच्छा रखने वाले सदस्यों की एक लम्बी सूची है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं सभी को समय नही दे सकता हूं। अतः मैं उन माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं जो आप भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, उन्हें इसकी अनुमति दी जाती है।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोलना चाहते हैं, अगर आपकी पार्टी आपको अलाऊ करेगी, तो आप अपनी बात कह देना। अगर जल्दी मिनिस्टर साहब ने रिप्लाई करना है तब मैं हैल्पलेस हूं।

***श्री फ्रांसिस फैन्थम** (नामनिर्दिष्ट) : मैं 12 फरवरी, 2009 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

गत पांच वर्षों में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के शासनकाल में देश में अभूतपूर्व विकास किया है। सकल घरेलू उत्पादन औसतन 9 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस सरकार को पूर्व की सरकार की 4.5 प्रतिशत की धीमी विका सदर मिली थी।

सांप्रदायिक सौहार्द, करुणा, सामाजिक न्याय और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ–साथ वैश्विक आर्थिक स्थितियों ने समय–समय पर देश की परीक्षा ली है। देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया है और बेहतर समावेशन तथा प्रतिभागिता की प्रक्रिया के माध्यम से लोकतांत्रिक ताने–बाने को और अधिक सुदृढ़ किया है। सरकार की संख्या से हमें इस बात का पता नहीं चलता अपितु हमें इस बात का पता इससे चलता है कि सरकार ने आम आदमी को क्या दिया। जैसाकि माननीया राष्ट्रपति ने कहा है कि "आम आदमी को क्या मिला"?

पिछले कुछ वर्षों में मुक्त समाज के सिद्धान्तों के साथ–साथ निर्धनतम लोगों तक पहुंच को साम्प्रदायिकता तथा भय के वातावरण एवं सामाजिक ताने–बाने के खंडित होने के खतरे का सामना करना पड़ा है। सौभाग्य से डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के समर्थन से सरकार इस देश को इन विभाजनकारी विचारों से बचाने में सफल रही है तथा सरकार ने उस एजेंडे पर ध्यान केन्द्रित किया है जिसने समावेशी विकास की ओर एक नई जागृति का रास्ता तैयार करके भारत निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। लोकतंत्र के वास्तविक लाभ तथा अपने सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने को उन्मुख एक राष्ट्र को विकास की इस नई धारा ने एकदम नया आयाम दिया है। सरकार स्वयं को कानूनों, नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति जवाबदेह बना रही है चाहें वह :

* राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम हो।

* असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम हों।

* सूचना का अधिकार अधिनियम हो।

* वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम हो।

* केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाएं अधिनियम हो; इन सभी ने विकास तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सुदृढ़ बनाने की ओर उन्मुख राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे पहले इस सम्मानीय सभा के किसी अन्य कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ है।

महोदय, मैं विशेषकर एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र के साथ–साथ राष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया गया है। कृषि ऋण मे तिगुनी वृद्धि हुई है और यह 87 हजार करोड़ से बढ़कर 2 लाख 43 हजार करोड़ हो गया है। किसानों के लगभग 65 हजार करोड़ रुपए के ऋणों को माफ करने तथा कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में लगभग दुगनी वृद्धि करके एवं कृषि में 12. 50 प्रतिशत निवेश के साथ–साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए 25 हजार करोड़ रुपए का आबंटन के परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्षमताओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई, जल निकायों के नवीकरण तथा बहाली, ग्रामीण सड़कों और आवासों की समस्याओं को हल करने के साथ–साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से स्वच्छता एवं स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार की ओर भी तेजी से ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से शिक्षा पर भी ध्यान केन्द्रित किया है; जिसके फलस्वरूप लगभग सभी बच्चे विद्यालयों में आ रहे हैं। 8 आई आई टी, 7 आई

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आई एम, 5 विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान; 15 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उच्च गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा के प्रति नई सोच लाने के साथ–साथ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का खाका तैयार करने का आधार तैयार किया है।

महोदय, जलवायु परिवर्तन से राष्ट्र के समक्ष नई अभूतपूर्व चुनौती पेश हो रही है। इसलिए हमें गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग संबंधी ऊर्जा नीति पर पुनः गौर करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमें परमाणु ऊर्जा तक पहुंच तथा वर्तमान में व्याप्त पद्धतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। देश की मूलभूत विकास के लक्ष्य को हासिल करने की आकांक्षा को ग्लोबल वार्मिंग तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाले मानदंडों के आधार पर नया रुप देना चाहिए। अब सतत पद्धतियों और वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा पर नए ढंग से जोर दिया जा रहा है।

माननीया राष्ट्रपति को अभिभाषण के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए मैं स्पष्ट तौर पर समावेशी और समतामूलक विकास की उनकी दूरदृष्टि की भी सराहना करना चाहूंगा। जहां देश के दूरदराज के जनजातीय गांव में पैदा हुए किसी बच्चों को वही सम्मान और अवसर सुलभ हो जोकि बड़े शहरों में रहने वाले उसके मित्रों को इस महान देश के भाग्य विधाता बनाने में भागीदारी करने हेतु स्वयं को सक्षम बनाने के लिए मिलते हैं।

***श्री किरिप चालिहा** (गुवाहाटी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे एक वरिष्ठतम सदस्य, श्री किशोर सिंह देव द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में कुछेक शब्द कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : शांत रहिए, कृपया शांत रहिए।

श्री किरिप चालिहा : महोदय, मैंने भाषांतरकार को कह दिया कि मैं असमी में बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। मैं यहां शांति कायम रखने में आपकी सहायता कर रहा हूं।

श्री किरिप चालिहा : महोदय, क्षमा कीजिएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां परिलक्षित होती हैं। इसीलिए, माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। चूंकि आम चुनाव नजदीक हैं, इसलिए यह हमारे लिए स्वाभाविक ही है कि हम अपनी पूर्व उपलब्धियों का उल्लेख करें। हम अपनी पूर्व उपलब्धियों के आधार पर ही अपनी भावी योजना बनाते हैं। यूपीए सरकार की उपलब्धियों को देखने के पश्चात् मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इतनी सारी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद यूपीए सरकार इन अड़चनों को पार करने में सफल रही है। चाहे वह आतंकवाद हो, आर्थिक संकट हो या कानून और व्यवस्था से उपजा कोई संकट हो। यूपीए सरकार सभी क्षेत्रों में सफल रही है। जिस प्रकार यू पी ए सरकार ने इन संकटों का सामना किया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यूपीए सरकार का गठन हुआ था, तो विपक्षी दलों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस को नहीं पता कि गठबंधन सरकार कैसे चलाई जाती है। वे यह सोचते रहे कि गठबंधन सरकार गिर जाएगी। किंतु पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करने के पश्चात् हमने सिद्ध कर दिया है कि यूपीए सरकार न केवल गठबंधन के अपने साझीदारों को लेकर आगे बढ़ पाई है बल्कि उसने अपना कार्यकाल भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। उसने यह भी दिखाया है कि संपूर्ण देश ने राष्ट्र के समक्ष आ रही कठिनाइयों का सामना करने में एकजुटता दिखाई है। वस्तुतः इस तथ्य के बावजूद कि विश्व संभावित आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। भारत काफी हद तक अपने को इससे सुरक्षित रख सका और हम संपूर्ण विकासात्मक कार्यक्रमों को अभी भी कार्यान्वित कर रहे हैं। 9 प्रतिशत वृद्धि कोई मजाक नहीं है। लोगों के काम करने का अधिकार सुनिश्चित करने वाली एन आर ई जी ए योजना का कार्यान्वयन ऐसी उपलब्धियां हैं, जो एक दिन ऐतिहासिक साबित होंगी। गत पांच वर्षों के दौरान यू पी ए द्वारा हासिल उपलब्धियां हमारे देश के ऐतिहासिक पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री मनमोहन सिंह जैसे काबिल नेताओं के एक ऐसे दल से हूं, जो दलगत आस्था से परे इस देश के सभी लोगों का समर्थन जुटाने में सफल रहा है। और पांच वर्षों के बाद भी उनका कद और ऊंचा होता गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने हमारे प्रधानमंत्री जी की सेहत में शीघ्र सुधार के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मेरी भी यही कामना है कि वे शीघ्र ठीक हो जाएं, ताकि वे पुनः हमारे देश का नेतृत्व कर सकें। साथ ही, हमें पता है कि यह सफलता इसलिए सुनिश्चित हो पाई, क्योंकि यह यूपीए सरकार छोटे–छोटे मतभेदों या किसी भी साधन से सत्ता हासिल करने के किसी प्रयास के जरिए अस्तित्व में नहीं आई। यह सरकार एक महिला के सर्वोच्च बलिदान के कारण अस्तित्व में आई, जिन्होंने यह दिखाया कि इस देश में सत्ता की नहीं, बल्कि सेवा करने की भावना की ही कद्र होती है।

मैं श्रीमती सोनिया जी का भी उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हालांकि यू पी ए के घटक दलों के भिन्न–भिन्न लक्ष्य और उद्देश्य, नीतियां और विचारधाराएं रही हैं; तथापि यू पी ए ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। लोग, निश्चित तौर पर, धर्मनिरपेक्षवाद, विकास आदि जैसे सभी क्षेत्रों में यूपीए की सफलता

*मूलतः असमिया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[श्री किरिप चालिहा]

से प्रेरित होंगे। महोदय, ऐसा कहा जाता है कि विश्व का इतिहास, कुछ और नहीं, बल्कि महान हस्तियों का जीवनचरित्र है और निकट भविष्य में, जब इक्कीसवीं सदी के इन विशेष पांच वर्षों का इतिहास लिखा जाएगा। तो भविष्य में यू पी ए सरकार के निष्पादन का स्वर्ण अक्षरों में उल्लेख किया जाएगा। यूपीए सरकार एन आर ई डी ए, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वास्थ्य, बाल परिचर्या और महिला सशक्तीकरण से जुड़े कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, भूमिहीन किसानों को भूमि उपलब्ध कराना और गरीबों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सफल रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करके यूपीए सरकार ने विश्व के समक्ष साबित कर दिया है कि वह भ्रष्टाचार को मिटाने में लोगों की सक्रिय भागीदारी चाहती है। इसीलिए, जब भी विपक्षी दलों के हमारे नेता भ्रष्ट कहकर हमारी आलोचना करते हैं, तो हम उन पर हंसे बिना नहीं रह पाते। मुझे लोगों पर हंसी आती है। जब वे सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, जबकि यूपीए शासन के गत पांच वर्षों के दौरान न कोई स्कैंडल हुआ न ही कोई वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने ही वाला हूं किंतु बात समाप्त करने से पहले मैं आतंकवाद के प्रश्न का उल्लेख करना चाहता हूं। आतंकवाद का सांप्रदायीकरण नहीं किया जाना चाहिए। यदि हम आतंकवाद का संप्रदायीकरण करते हैं, तो समाज में और विभाजन होता है और यह आतंकवाद के पनपने का आधार बन जाता है। मुझे बहुत दुख होता है, जब कुछ लोग आतंकवाद का संप्रदायीकरण करना चाहते हैं। मैं महसूस करता हूं कि किसी विशेष उपनाम वाले व्यक्ति पर आतंकवादी का लेबल नहीं लगाना चाहिए। हमें हर प्रकार के आतंकवाद की भर्त्सना करनी चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूं कि सामान्य रुप से पूर्वोत्तर और विशेष रूप से असम की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। हम चाहते हैं कि संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र से आतंकवाद का पूरा सफाया हो जाए। हम उस क्षेत्र में शांति चाहते हैं। मैं हथियार उठाने वालों से अपील करता हूं कि वे आतंकवाद और हिंसा का मार्ग त्याग दें। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसकी बजाय स्वयं को राष्ट्र–निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर यू पी ए सरकार को उसकी उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। और मैं, विपक्ष की आलोचना के जवाब में यह कहना चाहता हूं कि हमारे नेता अपने नेतृत्व की प्रखरता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं। हमारे पास अपने निष्पादन के आधार पर न कि साधारण वायदे के बल पर आत्मविश्वास के साथ लोगों का समर्थन हासिल करने के तर्क हैं।

*श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोया (बोब्बिली) : महोदय, कृपया मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण संबंधी अपना धन्यवाद प्रस्ताव सभा पटल पर रखने की अनुमति दें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को दिए गए अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खडी हुयी हूं।

स.प्र.ग. सरकार लगभग अपने पांच वर्ष पूरे कर चुकी है और इसने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वायदों को पूरा किया। राष्ट्रपति का अभिभाषण उपरोक्त वक्तव्य के क्रियान्वयन का साक्ष्य है। मैं स.प्र.ग. की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह को बधाई देता हूं। इस अवसर पर भारत विशेषकर आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं प्रधानमंत्री के शीघ्रातिशीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। मैं निष्ठापूर्वक यह आशा करती हूं कि देश के लोग, सभी वर्गों के लोग इनके द्वारा की गयी राष्ट्र सेवा और राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से लाभान्वित होंगे। मुझे आशा है कि देश अपने माननीय डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक बार पुनः सत्ता में स.प्र.ग. लाने के लिए वोट करेंगे।

हमारे देश ने आतंकवादी हमले और वैश्विक मंदी के कारण उत्पन्न आर्थिक विषमताओं का सामना किया है। सं.प्र.ग की आर्थिक नीतियां के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में 9 प्रतिशत से भी ज्यादा की विकास दर सहित पिछले चार वर्षों के दौरान विकास दर अभूतपूर्व रुप से 8.9 प्रतिशत रही है। इतनी ज्यादा विकास दर पहले कभी नहीं रही; इसी कारण सभी विकास गतिविधियों को पूरा करने के लिए सरकार पर्याप्त संसाधन जुटा पाई है। कृषि की विकास दर 4.5 प्रतिशत रही है। स. प्र. ग. सरकार की कृषक अनुकूल नीतियों के कारण 2007–08 में 230.67 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन कर देश खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर पाया है। मैं पिछले पांच वर्षों में एक भी बार उर्वरकों की कीमतें न बढ़ाने के लिए सरकार को बधायी देती हूं हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रसायनों के दामों में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी है।

यहां, मैं सिंचाई सुविधाओं में भारत निर्माण के अंतर्गत 5.6 मिलियन हैक्टयर शामिल करने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को प्रकाश में लाना चाहूंगी। यहां सरकार के ध्यान में लाना चाहती हूं कि डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी गुरू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने सिंचाई के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश करके 55 लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था करके कृषि क्षेत्र को वरीयता दी है। आंध्र प्रदेश सरकार पूरे उत्साह और जोश से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए इन्दराम्मा परियोजना के अंतर्गत 60 लाख घरों का निर्माण कर रही है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सं. प्र. ग. सरकार केवल बातें ही नहीं करती अपितु अपने वायदों को अक्षरशः पूरा भी करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना प्रति परिवार से कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी की वित्तीय सुरक्षा मुहैया करवा कर सरकार की सृजनशीलता को दर्शाती है। तीन वर्ष से भी कम समय में पूरे देश में यह कार्यक्रम लागू किया गया था, इस प्रकार से अधिनियम की परिधि में देश की पूरी जरूरतमंद जनता को समाहित कर लिया। उदाहरण के लिए 2007–08 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत तकरीबन 3.4 करोड़ ग्रामीण परिवारों को रोजगार मुहैया करवाया गया था। एनआरईजीपी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढाने के लिए तकरीबन 6 करोड़ डाक घर और बैंक खाते खोले गए, इस प्रकार से उन्हें वित्तीय समावेशन के दायरे में लाया गया। इस कार्यक्रम से कृषि उत्पादकता, मजदूरी दर में वृद्धि हुयी है और गांवों से शहरों की ओर आने वालों की संख्या में कमी हुयी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की सदस्या होने के नाते मैंने देश के कई भागों का दौरा किया और मैं विश्वास के साथ यह कह सकती हूं कि एन आर ई जी पी के माध्यम से समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए हैं।

21 और 22 जनवरी, 2009 को नई दिल्ली में एन आर ई जी पी के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन यूएनडीपी ने किया था और कई अलग–अलग देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी इस कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण है और हम विश्वास से यह कह सकते हैं कि एन आर ई जी पी के क्रियान्वयन के संबंध में पूरा विश्व हमसे यह सीख रहा है कि गरीबी और बेरोजगारी से किस प्रकार लड़ा जा सकता है।

स.प्र.ग. सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया है और अपने गांवों में स्वास्थ्य परिचर्या उपबंधों में भारी परिवर्तन किया है। प्राथमिक विद्यालयों में 2004 में नामांकित 15.6 करोड़ बच्चों की संख्या संख्या बढ़कर 2008 में 18.5 करोड़ करने के लिए मैं सरकार को बधायी देती हूं। 2004 में विद्यालय बीच में छोड़ने वाले 320 लाख बच्चों की संख्या में 2008 में भारी कमी आयी है और अब इनकी संख्या 76 लाख रह गयी है। सर्व शिक्षा अभियान के समुचित क्रियान्वयन से ही यह सब संभव हो पाया है।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एस जी एस वाई के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही हैं, यह अधिकारिता सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से संभव हो पायी है।

सं.प्र.ग. सरकार ने भा.प्र.सं., और भा.प्रौ.सं. और आ.भा.आ.चि.सं. (एम्स) जैसी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अ.पि.व. आरक्षण को लागू किया है। इस वर्ष सरकार ने नए भा.प्र.सं. और 7 नए भा.प्रौ.सं. तथा पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और 15 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रारंभ किए हैं। इससे भारत को ज्ञान केन्द्र बनने में सहायता मिलेगी। यहां मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को भी एक नया भा.प्र.सं. आबंटित किया जाए। इस उपलब्धि के लिए मैं सरकार को बधायी देती हूं।

सरकार निःशक्त व्यक्तियों के लिए एक नयी राष्ट्रीय नीति लाई है जिसके माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष विद्यालय प्रारंभ किए गए थे और सार्वजनिक सेवाओं में निःशक्तों के लिए रोजगार की व्यवस्था संबंधी उपबंध अखिल भारतीय सेवा में भी लागू कर दिए गए। इससे निःशक्तों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने में निश्चित ही सहायता मिलेगी।

मैं बड़े पैमाने पर निवेशकों और तकनीकविदों को आकर्षित करने के संबंध में सरकार द्वारा नई खनिज नीति बनाने की पहल का स्वागत करती हूं। यहां मैं सरकार से विज़ाग इस्पात संयंत्र जो कि मिनी नवरत्नों में से एक है, को रक्षित खदान आबंटित करने का अनुरोध करूंगी। मैं सरकार से रक्षा मंत्रालय में हिंदुस्तान शिपयार्ड का आमेलन करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने और हिन्दुस्तान शिपयार्ड तथा 'भेल' के साथ आमेलित बीएचपीवी विज़ाग के कर्मचारियों के वेतनमान अद्यतन बनाने का अनुरोध भी करूंगी।

सरकार विशेषकर नागर विमानन क्षेत्र में अवसंरचना विकसित करने पर महत्त्व दे रही है। हैदराबाद और बंगलौर में नए अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थापित करने और मैट्रो और गैर मैट्रो में स्थित अधिकांश विमानपत्तनों का उन्नयन करने के लिए मैं सरकार को बधायी देती हूं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि विज़ाग विमानपत्तन का उन्नयन करने के कार्य की गति को बढ़ाया जाए और दिन में 24 घंटे विमानपत्तन को प्रचालन योग्य बनाने हेतु पर्याप्त स्टाफ स्वीकृत किया जाए। यहां नागर विमानन मंत्री से मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बोब्बिली में बंदगी स्थिति ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के विकास को प्राथमिकता देने का अनुरोध करना चाहती हूं।

सं.प्र.ग. सरकार भारतीय संस्कृति को बचाए रखने ओर उसे बढ़ावा देने को महत्व दे रही है। भारत सरकार ने तेलुगु को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने संबंधी हमारी मांग को स्वीकार करने की कृपा की। इसके लिए मैं सरकार की आभारी हूं।

इन पांच वर्षों के दौरान पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभूतपूर्व प्रगति की है। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यू.एस. के साथ सफलतापूर्व सिविल न्यूक्लीयर डील

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा]

करने आरटीआई एक्ट का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बड़ी प्रगति करने के लिए बधायी देती हूं।

हमें बड़े सपने संजाने चाहिए और अपने सपनों को कोई भी आतंकी हमला इस महान राष्ट्र को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता और हम पहले से भी ज्यादा एकजुट होकर आगे बढ़ने और समृद्धि के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा करते हुये हमारे नेता और सदन में प्रतिपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कतिपय मुद्दों की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और चाहूंगा कि सरकार उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दे।

महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीति और भावी योजनाओं का परिचायक होता है कि क्या किया है, और क्या किया जाना है, यह इसका एक दृष्टिपत्र हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है लेकिन कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, जिनके बारे में विचार किया जाना आवश्यक है। भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक देश है जिसकी अपनी सभ्यता और संस्कृति है। भले ही यह सरकार उन सभ्यताओं के वास्तविक चिन्हों पर आघात करने पर तुली हुई है, चाहे वह राम सेतु का मामला हो या अन्य सांस्कृतिक धरोहर हों। हमारी विश्व–बंधुत्व की भावना है, हम एक शान्तिप्रिय देश हैं किन्तु विगत वर्षों में जिस प्रकार से आतंकवाद ने हमें प्रभावित किया है, आतंकवाद जिस प्रकार से सीमा पार से यहां आ रहा है, उसके बारे में कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। यद्यपि सरकार ने उसके बारे में प्रयत्न किया है और अभी एक कानून बना है। लेकिन इस कानून के कतिपय प्रावधानों में और भी दृढ़ता की आवश्यकता है और प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता है। कतिपय राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने इसके बारे में सुझाव दिये हैं लेकिन सरकार ने उन्हें अस्वीकार करते हुये उन्हें निरस्त कर दिया, लौटा दिया। मैं चाहूंगा कि सरकार उन सुझावों पर एक बार गंभीरता से विचार करे। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार को कोई आवश्यकता नहीं थी कि पोटा जैसे कानून को समाप्त करे लेकिन पोटा कानून को भी समाप्त कर दिया गया। आज स्वतः सरकार महसूस कर रही है कि निश्चित रूप से आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें एक प्रभावी कानून की आवश्यकता है और इसलिए सरकार ने इस प्रकार का कानून बनाया। यद्यपि सरकार के ध्यान में यह बात बहुत पहले आ जानी चाहिए थी लेकिन तब ध्यान में आयी जब मुम्बई में आतंकवादी घटनायें हुईं। तब कहा गया कि हमारा खुफियातंत्र है, हमारा वह सुरक्षातंत्र है, आदि। राज्य सरकार की पुलिस के साथ तालमेल नहीं है, इसलिये उस तालमेल के अभाव में ये सारी घटनायें घटित हुई हैं। सीमा पार से आतंकवाद बढ़ा है, इसको देखते हुए हम दृढ़ता से इसे निपटने का कार्य करें। जिस प्रकार पूर्वोत्तर राज्यों में, न केवल मुम्बई का सवाल है, अन्य राज्यों का सवाल है, पूर्वोत्तर राज्यों में जिस प्रकार से बंगलादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, केवल घुसपैठ का सवाल नहीं है, वहां की नागरिकता ले ली है, वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया है, वहां के जनप्रतिनिधि बन गये हैं, पंचायतों में पंच और सरपंच बन गये हैं, जिला परिषद् के अध्यक्ष तक बन गये हैं। यह वहां की स्थिति है। हमारे वहां के इलाकों में असंतुलन के लिये, ऐसा काम कर रहे हैं। सरकार को इस घुसपैठ को रोकने का प्रबंध करना चाहिए और इसके लिए प्रभावी कार्य और प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए अन्यथा इस पर भयंकर संकट उपस्थित होने की संभावना है।

उपाध्यक्ष जी, हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों पर मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। उन पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। चीन ने पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों पर अपना कब्जा जमाने की बात कही है। उन स्थानों के पास तक वहां पर अपनी सड़कें बना ली। हमारे लोगों को वहां प्रभावित करने का प्रयास किया गया। जिस प्रकार चीन ने नेपाल पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हुए नेपाल से मैत्री करने का प्रयास किया है, श्रीलंका में जाकर जिस प्रकार से अपने हाथ बढ़ा रहा है, और हमारे लिए एक खतरा पैदा कर रहा है, यह हमारे लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। अभी हमारे विदेश मंत्री जी श्रीलंका गये थे वहां के हालात के बारे में चर्चा की थी। उसे सौहाद्रपूर्ण समाधान के लिए भी चर्चा की है ताकि आपस में दोनों बैठकर दोनों सार्वभौम राष्ट्र, दोनों एक दूसरे की अस्मिता का सम्मान करते हैं, इसका सम्मानपूर्वक हल निकले, वहां के नागरिकों को जो तमिल भी हैं इसकी पूरी सुरक्षा मिले, इस बात के लिए चिन्ता हमारे विदेश मंत्री जी ने जतलाई है। मैं उनकी चिन्ता के साथ अपने को जोड़ते हुये अपनी बात कहना चाहूंगा कि इस चिन्ता को सौहार्दपूर्ण संबंधों में परिवर्तित करें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, न केवल आतंकवाद बल्कि नक्सलवाद और माओवाद ने हमें प्रभावित किया है। मैं जिस राज्य से आता हूं, वह मध्य प्रदेश है और उसमें छत्तीसगढ़ नाम का राज्य बनाया गया है। वहां से नेपाल की सीमा से नक्सलवाद चलता है। वह बिहार होते हुए छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की सीमा में और आंध्र प्रदेश में एक कॉरीडोर सरीखा बना लिया है। इसने पूरा एक रास्ता बना लिया है और नक्सलवाद चारों तरफ से प्रभावित कर रहा है। पुलिस के कैम्पों पर हमले की कार्यवाही कर वहां नागरिकों को मारा जा रहा है। अभी–अभी महाराष्ट्र की सीमा पर गढ़ चिरोली और बालाघाट जिले के आसपास नक्सलवाद की जो घटनाएं घटी हैं, वह भी हमारे लिए चिंता

का विषय है। जवान देश की सुरक्षा के लिए सन्नद्ध है। मैं यह मानता हूं कि देश के जवानों ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा की है, देश की सुरक्षा की है, लेकिन आज उनका चिंता करना स्वाभाविक है। जिस प्रकार उनकी वेतन विसंगतियां हैं, वह हमारे लिए चिंता की बात होनी चाहिए। अभी दो, चार दिन पहले जवानों ने अपने शौर्य पदक लौटा दिये। इन शौर्य पदकों को लौटाने के पीछे क्या कारण था? उनके मन में कहीं न कहीं असंतोष और असुरक्षा की भावना है। मैं चाहूंगा कि सरकार इसी तरफ ध्यान दे। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपनी विदेश नीति के बारे में भी कहा है, लेकिन दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध जिस तरह पूर्व में सौहार्दपूर्ण थे, आज उनमें कहीं न कहीं शिथिलता आ रही है और उस शिथिलता को ठीक करके उन संबंधों को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। हम इस दृष्टि से इन सभी बातों पर विचार करेंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण है और अत्यंत आवश्यक है।

महोदय, मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा और मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी हमारी पार्टी के और भी सदस्य नहीं बोलने वाले हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य पंजाब से आने हैं उन्होंने कृषि के बारे में बहुत कुछ कहा है। जिस प्रकार से किसानों ने आत्महत्याएं की उसके पीछे क्या कारण थे? इसका कारण यह था कि उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। हमारे उत्पादन की लागत निरन्तर बढ़ी है, निरन्तर खाद के दाम बढ़े, बिजली के दाम बढ़े, महंगाई बढ़ी, कीटनाशक दवाईयों के दाम बढ़े। इस सबके परिप्रेक्ष्य में अभी गेहूं का दाम (समर्थन मूल्य) बढ़ाया गया है, लेकिन क्या दाम बढ़ा है? इससे ज्यादा अच्छी तो मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार है, जिसने आपके द्वारा दिये गये दाम के अलावा भी पचास रुपए और बढ़ाकर देने की घोषणा की है। उसने अपने सात संकल्पों में की है कि हम कृषि को लाभकारी जोत बनाकर रहेंगे। कृषि हमारे यहां लाभकारी होगी और हम किसानों के हितों के संरक्षक हैं। सरकार कहने को तो ऋण माफी की बात कह रही है, लेकिन ऋण माफी जिस प्रकार हो रही है और जिनकी हो रही है, उसके बारे में मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। मेरे माननीय साथी थावर चंद जी कल बोल रहे थे और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया है, लेकिन आज स्थिति यह हो गयी है कि गांवों की दशा धीरे–धीरे बिगड़ती जा रही है, किसानों की दशा बिगड़ती चली जा रही है। वे अपनी जमीनों को बेचकर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इससे शहरों की आबादी बढ़ रही है, आवास की समस्या बढ़ रही है, रहने के लिए स्थान नहीं है, झुग्गी–झोपड़ियां बन रही हैं। समृद्धि केवल कुछ शहरों तक ही देखी जा सकती है। चाहे फिर वह कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई और दिल्ली हो, लेकिन गरीब की झोपड़ी पर आज भी रोशनी नहीं है। हमें इस पर चिंता करने की आवश्यकता है और सरकार को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस यूपीए सरकार ने बहुत आर्थिक ग्रोथ की बात कही थी। वह क्यों रुक गई?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। एनडीए सरकार के समय आर्थिक दर लगभग 8.5 प्रतिशत थी जो घटकर आज 6 प्रतिशत रह गयी है। हमारी आर्थिक स्थिति एनडीए सरकार के समय सुदृढ़ थी और आज ठीक नहीं है। नौजवान अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं। इसी प्रकार देश के अंदर राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हमारे माननीय नेता ने एक बात कही थी कि हमारे यहां पर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना जैसी कई योजनाएं और नदी जोड़ो योजना जैसी कई योजनाएं एन डी ए सरकार के समय लागू की थीं जिससे किसानों को भी लाभ हुआ और देश को भी लाभ हुआ लेकिन आज एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि योजनाओं की गति धीमी है और उसके कारण जिस तेजी से प्रगति होनी चाहिए वह नहीं हो रही है। सरकार केवल अल्पसंख्यकों और कुछ विशेष वर्ग की तरफ ध्यान देती है। यह देश सबका है और जिसकी आय ठीक नहीं है, जिसकी आमदनी ठीक नहीं है और जो अत्यंत गरीब है उस गरीब की तरफ हमारा हाथ बढ़ना चाहिए। किसी वर्ग विशेष, धर्म या जाति के आधार पर नहीं बल्कि आय के आधार पर, उसकी आर्थिक सीमा के आधार पर यह होना चाहिए। महोदय, मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं समय से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं समाप्त करने जा रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : महोदय, हम विदेशी निवेश की बात कर रहे हैं। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित जरूर करें, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी नीति अनुरूप हो, वह हमें प्रभावित न करे, हमारे यहां पर उद्योग–धंधे चौपट न हों। आज न हमारी कोई शिक्षा नीति स्पष्ट है, न आवास नीति है, न चिकित्सा नीति है। मैं चाहूंगा कि देश सीमा पार से आतंकवाद को समाप्त करे और हमारी आन्तरिक और वाह्य सुरक्षा सुदृढ़ हो। सरकार के पास योजनाएं तो बहुत हैं किन्तु उनका क्रियान्वयन नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना हो, स्वास्थ्य योजना हो, पेयजल योजना हो, सवाल इस बात का है कि रोजगार नहीं है, चिकित्सा नहीं है, आवास नहीं है, बिजली नहीं है और आम आदमी की सुरक्षा नहीं है। सरकार बिजली के मामले में तो बिल्कुल भेदभाव कर रही है। माननीय थावर जी ने कल ही कहा था कि मध्यप्रदेश सरकार को दी जा रही बिजली में साढ़े तीन सौ मेगावाट की कटौती कर दी। कोयला भी घटिया क्वालिटी का दिया जा रहा है ताकि बिजली का

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

संकट खड़ा हो और हम उसका लाभ ले सकें। महोदय, मैं इन बातों की तरफ आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसी के भी साथ भेदभावपूर्ण नीति न हो और सभी राज्यों का समान रूप से विकास हो।

*महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों व योजनाओं का परिचायक होता है। सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्यकलापों का एक दस्त होता है। सरकार ने क्या किया? तथा क्या करना चाहती है? इसी का एक दृष्टिकोण पत्र कहा जा सकता है। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला है, किंतु कतिपय ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके बारे में और गहराई से विचार करना आवश्यक है जिसे आज की सरकार निभा नहीं रही है चाहे वह रामसेतु का मामला हो या सांस्कृतिक धरातल हो। भारत एक विशाल प्रजातांत्रिक देश है इसकी अपनी परंपराएं हैं, इसकी अपनी संस्कृति व सभ्यता है। विश्व बन्धुत्व की अवधारणा भारत की है भारत एक शांतिप्रिय देश कहलाता ही नहीं अपितु यह एक सहअस्तित्व वाला शांतिपूर्ण राष्ट्र है। किंतु, विगत वर्षों से जिस प्रकार आतंकवाद ने झकझोरा है वह हमारे लिये चिंता का विषय है। इसे समाप्त करने की दृष्टि से एक प्रभावी कानून की आवश्यकता महसूस की गई, यद्यपि इसे बहस से पहले बनाना था, सरकार ने बनाया भी किंतु उसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें और सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। एनडीए सरकार के समय पोटा कानून था। किंतु, इस सरकार ने उसे समाप्त कर एक नयी कठिनाई स्वतः खड़ी की थी, जिसे वर्तमान कानून से भी दूर कर पाना कठिन है। सरकार द्वारा वर्तमान कानून के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श मांगा गया किंतु उन्हें भी प्रायः अस्वीकार कर दिया गया। मुंबई की आतंकवादी घटना के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट हो गया कि सरकारी सुरक्षा एजेंसियां तालमेल रखें, इस दृष्टि से सरकार को समुचित योजना बनाना चाहिए। सीमा पार से जिस प्रकार से लगातार आतंकवादी घटनाएं की जा रही हैं, सीमापार से आतंकवाद बढ़ा है और जिसके कारण देश में असुरक्षा और अस्थिरता का भाव बढ़ा है और वह हमारे लिए चिंता का विषय है। हाल ही में तालिबान की चेतावनी भी एक गंभीर चिंता का विषय है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि लंबे समय से चली आ रही बांग्लादेशी घुसपैठ जिसने असम सहित कई पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी जड़े जमाई हैं, वहां की नागरिकता ही प्राप्त नहीं की अपितु वहां के मतदाता बनकर विभिन्न पंचायतों, जनपदों में जनप्रतिनिधि भी बन गये हैं। प्रदेश का असंतुलन बिगड़ा है इस बात को राज्य की सरकार ने तथा केन्द्र की सरकार ने भी स्वीकार किया है। देश की सीमाएं असुरक्षित बनती जा रही हैं। गुजरात के पाकिस्तान से लगे हिस्से पर जहां पाकिस्तान की ललचाई नजर है वहीं पूर्वोत्तर भारत के कतिपय हिस्सों पर चीन की कुदृष्टि है। चीन उन क्षेत्रों में सीमा तक सड़कें बना रहा है, अपना जाल बिछा रहा है। सरकार को इस दृष्टि से प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था भी आज चिंता का विषय बन गई है। बढ़ती हुई नक्सलवादी घटनाओं ने नेपाल से लेकर बिहार के रास्ते छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश तक अपना जाल बिछाया है, अपनी गतिविधियां तेज करते हुए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की सीमा पर पुलिस कैंपों पर हमला तक किया है।

देश के जवान हमारी सेनाएं देश की रक्षा के लिए बलिदान देते हुए कटिबद्ध हैं किंतु इन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार से इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए उसकी आज कमी महसूस हो रही है। आधुनिकतम सशस्त्रों से ये सुसज्जित हों, वहीं इनकी वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर किया जाना जरूरी है इस क्रम में एक रैंक एक पेंशन जैसी मांगों पर ध्यान जाना आवश्यक है। आखिर सैनिकों ने अपने पदक क्यों लौटाये।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में विदेश नीति पर भी प्रकार डाला है किंतु नेपाल के साथ हमारे संबंधों में जो आज स्थिति बनी है उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे संबंधों को और व्यवहारिक और स्नेहपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। नेपाल–चीन मैत्री के समाचार हमारे लिए जहां विचारणीय हैं वहीं म्यांमार पर जो चीन की नजर है, अब हमारे म्यांमार के संबंधों पर भी असर डाल रही है। तमिलों के हितों के संरक्षण के प्रश्न को लेकर श्रीलंका मैत्री पर भी प्रभाव न पड़े इस दृष्टि से हमने प्रभावी कदम उठाया है हमारे विदेश मंत्री की वहां की यात्रा भी हुई है किंतु इसे और व्यवहारिक व स्नेहिल बनाने की आवश्यकता है। जिस नक्सलवाद और माओवाद की चर्चा की है उसे रोके जाने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए। अन्य देशों के साथ हमारे संबंध में स्नेहपूर्ण और प्रगाढ़ बनाये ये आज की वैश्विक परिस्थिति में आवश्यक है।

अभिभाषण में कृषि क्षेत्र के संबंध में भी चर्चा की गई है। इस क्षेत्र में सुधारों की चर्चा, ऋण माफी की चर्चा तथा कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन की दृष्टि से कुछ योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है। किंतु, आज गांवों में किसानों की जो स्थिति है, किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य न मिलने के कारण किसान परेशान हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, आंध्र में बुंदेलखंड के कुछ भागों में किसानों ने आत्महत्यायें भी की हैं। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी हानि उठानी पड़ती है। किसान आयोग की सिफारिशें, डा. स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें जो किसानों के हित की है, उनको लाभकारी मूल्य दिलाने की हैं, उनको पूरी तरह लागू किए जाने की आवश्यकता है। किसानों के गेहूं के समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही गई है किंतु जिस तेजी से उर्वरक के भाव बढ़े हैं, मजदूरी बढ़ी है, बीज और कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़े हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, उस दृष्टि से यह समर्थन मूल्य

__ भाषण का यह भाग समय घटने पर रखा गया।

अपर्याप्त है। हमने जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गेहूं क्यों महंगा खरीदा। हमारे कृषकों को ठीक मूल्य क्यों नहीं दिया? यही कारण है कि गावों में भी बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई है। गांव से नौजवानों का पलायन हो रहा है, शहरों की आबादी बढ़ रही है। शहरों में आवास की कठिनाई खड़ी हो रही है। लोगों के झुग्गी–झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। गंदगी बढ़ रही है, इससे बीमारियां बढ़ रही हैं। चिकित्सा सुविधा का अभाव है। एनडीए सरकार के समय राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना बनाई गई थी किंतु वर्तमान सरकार द्वारा उसे आगे नहीं बढ़ाया गया अन्यथा किसानों की यह दुर्दशा रोकी जा सकती थी। गांव के रोजगार समाप्त हो रहे हैं अतः कृषि को लाभकारी बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने कृषि को लाभकारी बनाने की दृष्टि से अपने 7 संकल्पों में एक संकल्प यह भी दिया है। बिजली का अभाव भी या कर्मा कृषकों की चिंता का विषय है सरकार सभी राज्यों के साथ बिजली के मामले में समान व्यवहार करे। क्योंकि मध्य प्रदेश से कटौती की है। कोयला भी अपर्याप्त व निम्न स्तर का दिया गया है। प्रदेश में संकट खड़ा करने की चेष्टा की गई है।

आज सरकार जिस समृद्धि की बात करती है वह समृद्धि कुछ शहरों तक या कुछ धनाढ्यों तक सीमित है। कुछ बड़े शहरों, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली आदि की चकाचौंध बढ़ी है किंतु गांव के गरीब की झोपड़ी में आज भी उजाला नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति चिंतनीय है। मंहगाई की मार है। यद्यपि हम इसे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कह रहे हैं किंतु सरकार का यह दावा है कि हम इससे प्रभावित नहीं होंगे, असंगत लगता है। कुछ विशेषज्ञों के सर्वेक्षण के अनुसार आने वाले समय में 1 करोड़ से ज्यादा लोग विभिन्न नौकरियों में छंटनी के कारण बेकार होंगे। ये बेरोजगारी की समस्या भी धीरे–धीरे बढ़ती जा रही है। एनडीए सरकार के समय जो समग्र आय थी और जो विकास दर थी वह लगभग 8.5 प्रतिशत थी जो आज घटकर 6 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई है। एनडीए सरकार के समय आर्थिक स्थिति ज्यादा सुदृढ़ थी किंतु अब स्थिति बदली है सरकार को आर्थिक स्थिति में गिरावट को बचाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाने पड़ रहे हैं। बैंकों का अपने कामकाज के लिए ब्याज दरों का पुनर्निधारण या सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों का उपाय करना इस चिंता का परिचायक है। नौजवान आज अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं उसके सामने रोजगार के अवसर प्राप्त करने की कठिनाई है।

महिला सशक्तीकरण की बात भी सरकार द्वारा कही गई है। किंतु, बड़े बड़े शहरों में यहां तक दिल्ली राजधानी क्षेत्र में विगत दो–तीन वर्षों में महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार की जो घटनाएं सामने आयी हैं, महिला उत्पीड़न के जो समाचार आये हैं, असामाजिक तत्वों द्वारा महिलाओं की सरेआम बेइज्जती करना आज आम बात हो गई है। इस हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

एनडीए सरकार द्वारा पूरे देश के राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्वर्णिम चर्तुभुज योजना, पूर्व–पश्चिम व उत्तर दक्षिण कॉरीडोर की योजना आज है एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने इसकी धीमी गति को स्वीकारा है तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएं प्रारंभ की गई थी आज उनकी गति अत्यंत धीमी है जिस तेजी से कार्य होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। नदी जोड़ो जैसी प्रभावी योजना भी तब प्रारंभ की गई थी।

गरीबों के हितों की पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की बात भी अभिभाषण में कही गई है। किंतु, उसे जातिगत आधार पर वर्ग विशेष के आधार पर तथा धर्म के आधार पर जोड़ा जाना ठीक नहीं है। वह आर्थिक विषमता के आधार पर हो चाहे वह किसी धर्म जाति या वर्ग का हो और इसलिए एनडीए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अंत्योदय योजना जिसमें हर व्यक्ति की भलाई तथा संरक्षण की योजना है उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना आवश्यक है।

आज हम विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं, किंतु विदेशी निवेश हमारी आत्मनिर्भरता को प्रभावित न करे इसकी चिंता भी किया जाना चाहिए। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि सरकार की न तो कोई सुस्पष्ट शिक्षा नीति है, न आवास नीति है, न औद्योगिक विकास नीति है, न कृषि नीति है या अन्याय नीतियां जो राष्ट्रीय हितों, एकता की दृष्टि से आवश्यक हो उनके समग्र चिंतन का अभाव है।

सीमापार के आतंकवाद को हम समाप्त करें, देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा सुदृढ़ हो, पड़ोसी देशों से हमारे संबंध मधुरतम हों इस दृष्टि से पहल आवश्यक है। सरकार के पास योजनाएं तो बहुत हैं किंतु उनका क्रियान्वयन या उनका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। यही कारण है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना हो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, पेयजल मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो, आवास योजना हो इनमें हजारों करोड़ रुपए का व्यय तो किया जा रहा है किंतु समुचित लाभ का अभाव है। रोजगार नहीं, चिकित्सा नहीं, आवास नहीं, बिजली नहीं, आम आदमी की सुरक्षा नहीं, रोजगार के अवसर नहीं, महंगाई पर अंकुश नहीं। यह सब हमारे लिए चिंता का विषय है।*

* **श्री सूरज सिंह** (बलिया, बिहार) : महोदय, वर्ष के प्रारंभिक सत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण की एक प्रथा है। यह प्रथा दरअसल इसलिए चालू की गई होगी कि इस भाषण के माध्यम से सरकार अपनी भावी रीति–नीति स्पष्ट कर सके और मैं देखता हूं कि इस अवसर का लाभ वर्तमान सरकार ने भी पूरे तरीके से उठाया है। आर्थिक मंदी की बात भाषण के प्रारंभ में कहकर सरकार ने देश को आर्थिक हालात से आम आदमी को परिचित कराने की चेष्टा की है। गत् वर्षों में जबसे हमने

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सूरज सिंह]

नई आर्थिक नीति अपनाई है तबसे विश्व की गतिविधियों का असर हमारे देश की अर्थ नीति पर भी पड़ता रहा है। क्योंकि अब जो व्यापार पहले देश की सीमाओं तक सिमट कर रहता था अब वह अंतर्राष्ट्रीय जगत तक अपनी पहुंच बना लेता है। अतः स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़े, इसलिए अभी यूरोपीय देश और अमरीका में जो आर्थिक मंदी आयी उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत वर्ष में इस आर्थिक मंदी का कोई कारण नहीं है परन्तु विश्व के प्रभाव से भारत अछूता नहीं रह सकता। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी है।

अब जरूरी यह है कि हम इन प्रभावों को अपने देश की अर्थव्यवस्था पर हावी न होने दें इसलिए अपने साधनों को इस प्रकार विकसित किया जाये कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास इन साधनों पर ही निर्भर होता जाये। सौभाग्य है इस देश का कि यहां सभी प्रकार के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। बस जरूरी है उनके नियोजन की। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अब सरकार भारतीय संसाधनों के विकास के आधार पर भावी रीति–नीति तय करे।

भारत के विश्व में पहचान कृषि प्रधान देश के रूप में है और यहां का बहुसंख्यक व्यक्ति कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी–रोटी कमाता है। परन्तु खेद है कि कृषि की भागीदारी देश के सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर कम होती जा रही है। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो कृषि की भागीदारी लगभग 60 प्रतिशत थी। किंतु आज धीरे–धीरे कम होकर 17.5 प्रतिशत रह गई है। भागीदारी 17.50 प्रतिशत और इस पर आबादी 70 प्रतिशत निर्भर रहे तो आसानी से समझा जा सकता है कि इस माध्यम से रोजी रोटी कमाने वाले वर्ग की आर्थिक स्थिति क्या होगी? मैं समझता हूं कि यही कारण है कि आज देश में किसान सबसे ज्यादा विवश जीवन जी रहा है और जैसी सरकार की रिपोर्ट है कि प्रतिवर्ष 17 हजार किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं, यह स्वाभाविक सत्य है। यदि देश को विकास करना है तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक इस वर्ग को विकसित नहीं करेंगे तब तक देश के विकास की बात सही साबित नहीं होगी। सरकार को चाहिए कि अब वह कृषि को मुख्य आधार बनाकर देश की अर्थनीति तय करें। हमें देश में कृषि पर आध ारित कुटीर उद्योग स्थापित करने चाहिए। कुटीर उद्योग की वकालत मैं इसलिये करता हूं कि इसके द्वारा हम अधिक लोगों को कम पूंजी में गुणवान वस्तुयें उत्पादन करके अधिकतम रोजगार दे सकते हैं। पशु पालन भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अकुशल और असंगठित श्रम बल को अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र निर्माण भी वह क्षेत्र है जहां अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। सरकार को चाहिये कि वह दिन–प्रति–दिन बीमार होते जा रहे इस उद्योग को बचाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देने हेतु नीति तय करे।

कृषि के क्षेत्र में आज उत्पादन दर बढ़ाने की जरूरत है। गत् वर्षों से सरकार कृषि विकास के लिये समर्थन मूल्य बढ़ाने की नीति पर चल रही है। परन्तु धरातल की सच्चाई यह है कि देश में 81 प्रतिशत से अधिक वह किसान है जो लघु और सीमान्त किसान है। जिसके पास केवल इतनी भूमि है जिसमें वह केवल अपने परिवार के लिए ही वर्ष भर का अन्न उत्पन्न कर पाता है। उसमें अपने उत्पाद को बाजार में बेचने की क्षमता नहीं होता, इसलिये सरकार की समर्थन मूल्य बढ़ाने की नीति का कोई लाभ नहीं मिलता। जरूरत है कि इस किसान की खेती को लाभकारी बनाया जाये और इसके लिए केवल एक ही उपाय है कि कृषि की उत्पादन दर बढ़े जिससे उसका लाभ बढ़ेगा। दूसरा रास्ता यह भी है कि खेती के लिये जो जरूरी चीजें हैं जैसे–बीज, पानी, खाद, कीटनाशक आदि की कीमतें सस्ती की जायें। जिससे खेती की उत्पादन लागत कम हो और किसान का लाभ बढ़े। यही केवल रास्ता है जो देश के इस 81 प्रतिशत लघु और सीमान्त किसान की खेती को लाभकारी बना सकता है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इन पहले कही गई चीजों को वर्तमान कीमतों से कम से कम आधार कर दें, और इसके लिये यदि उसे सब्सिडी देनी पड़े तो दे। इसके अलावा देश की कृषि उत्पादन दर बढ़ाने के लिए हमे नये अच्छे बीजों की खोज करवानी चाहिए। हमारे देश में शोध संबंधी संस्थान विश्व स्तर में सर्वाधिक है। किन्तु मुझे दुख है कि इन संस्थाओं का कार्यकरण उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना होना चाहिए था। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इन संस्थानों को साफ–साफ निर्देश दे कि वह खेती में विशेषकर गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, गन्ना आदि के बीजों को इस प्रकार विकसित करे जिससे उत्पादन दर के साथ–साथ उसकी गुणवत्ता भी बढ़े।

सरकार ने इस भाषण के माध्यम से पेट्रोलियम उद्योग के निरन्तर विकास का भी उल्लेख किया है। यह सही है कि देश में आज इस उद्योग ने पर्याप्त विकास किया है और आज हम पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यातक देशों में से एक हैं। परन्तु एक दूसरा पहलू भी इस उद्योग में और भी है। वह पहलू यह है कि देश में इस उद्योग में जो पारदर्शिता चाहिए और जिसके कारण आम उपभोक्ता को लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा। देश के यातायात, देश का उत्पादन चाहे वह खेती का हो या उद्योग का, ईंधन के लिए इन्हीं उत्पादों पर निर्भर है। सरकार द्वारा जो इन उत्पादों के विशेषकर डीजल और पेट्रोल के विक्रय मूल्य निर्धारण की जो नीति है वह उत्पादक समर्थक तो है पर उपभोक्ता समर्थक नहीं है। मैं चाहता हूं कि सरकार मूल्य निर्धारण के लिए वह फार्मूला तय करे जो पारदर्शी हो, जिसमें उत्पादक और उपभोक्ता के हितों का बराबर संरक्षण हो। आज देश के पेट्रोलियम उत्पादक और

उपभोक्ता के हितों का संरक्षण इसलिये अति–आवश्यक है कि वे विकासशील देश के नागरिक है और विकास के लिए एक सस्ते और ठोस ईंधन की जरूरत है।

महोदय, आपके माध्यम से मैंने सरकार के समक्ष कतिपय सुझाव रखने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि सरकार इन पर विचार करेगी और फिर इन पर आचरण करने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करेगी ताकि देश का नागरिक समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सके।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में तमाम चीजों का खुलासा हुआ है। कुछ काम हुए हैं और कुछ काम करने बाकी हैं। हमारे साथियों ने कृषि के बारे में जिक्र किया है। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान घटकर 17.5 प्रतिशत रह गया है। सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का योगदान 26.51 प्रतिशत है। सेवा क्षेत्र का योगदान 55.7 प्रतिशत है। खेती हमारा स्वयं का स्रोत है। कृषि पर 60–65 प्रतिशत लोग निर्भर हैं। उद्योग में 20–30 प्रतिशत लोग काम करते हैं। सेवा के क्षेत्र में दस फीसदी लोग काम करते हैं। हमें अपने स्रोतों को मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि आर्थिक विकास की दर नौ फीसदी हो गई है। सरकार भी बार–बार अपनी इस उपलब्धि का जिक्र करती है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में चंद लोगों की माली हालत अच्छी हो जाए और उनकी दौलत में और इजाफा हो जाए, उसे देश की बढ़ी हुई दौलत मान लेना, मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी कोई गलतफहमी हो सकती है। हमारे देश में वार्षिक विकास की दर बढ़ रही है, लेकिन 17 हजार किसान प्रति वर्ष आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। पिछले दो वर्षों में अमीरों की संख्या 2200 से बढ़कर पांच हजार हो गई है। हम आर्थिक विकास की दर का आकलन करते हुए यह भूल जाते हैं कि हमारे देश में आम आदमी की स्थिति और बिगड़ी है। इसे देश की आर्थिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हिन्दुस्तान के आम आदमी की हालत में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को शुरू करते समय यह कहा गया कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दूर होगी। निश्चित रूप से यह एक अच्छा प्रयास है। लेकिन जो दौलत इस योजना के लिए स्वीकृत हुई थी, उसका अभी तक केवल 65 प्रतिशत पैसा ही स्वीकृत हुआ है। मैं समझता हूं कि इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। श्रम मंत्रालय की अभी एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें कहा गया है संगठित क्षेत्र के पांच लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा बीस हजार आदमी विदेशों से लौटकर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें काम नहीं मिला। बेरोजगारी की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार ने दावा किया कि पिछले वर्ष 3.7 करोड़ कृषकों के 65 हजार करोड़ के ऋण माफ कर दिए गए तथा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 630 रुपये से बढ़ाकर 1080 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया, धान का मूल्य 550 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 900 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। एक तरफ उत्पादन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, लेकिन तीसरी तरफ किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। यह कैसी अचरज की बात है? मैं कहना चाहता हूं कि फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाकर हम देश के बहुसंख्यक किसान का भला नहीं कर सकते हैं। वर्ष 2001–2002 के आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश में दो हैक्टेयर से कम जमीन के मालिकों का प्रतिशत 81.8 प्रतिशत है। ये सन् 2001 के आंकड़े हैं। इसके बाद हमने खेती की जमीन का अन्य चीजों में इस्तेमाल किया तो जोत का आकार नौ वर्षों में और कम हुआ।

असल सवाल यह है कि जो 81–82 फीसदी बहुसंख्यक किसान हैं, उन्हें समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलता और समर्थन मूल्य का लाभ उन्हें इसलिए नहीं मिलता, क्योंकि उनका उत्पाद बाजार में जाता ही नहीं। ये सिर्फ अपने खाने लायक कमाते हैं, बेचने की स्थिति में ये नहीं होते। किसान उस समय तक लाभान्वित नहीं होंगे, जब तक कि उपज दर न बढ़े।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के किसानों पर जो कर्जा है, उसमें सबसे अधिक कर्जा हरियाणा के किसानों पर है, लेकिन हरियाणा का किसान आत्महत्या नहीं करता। उसका प्रमुख कारण यह है कि हरियाणा की उपज दर अन्य प्रान्तों की तुलना में ज्यादा है। इसलिए अगर खेती का संरक्षण और संवर्द्धन करना है तो हमें उपज दर को बढ़ाना पड़ेगा।

सन् 1991–92 से लेकर सन् 2007 के दौरान हमारी जो औसत वार्षिक उत्पादकता की वृद्धि दर है, वह हमारे पड़ोसी देशों से भी कम है। पाकिस्तान में गेहूं की उत्पादकता 2.3 प्रतिशत है, धान की उत्पादकता 1.80 प्रतिशत है। बांग्लादेश में धान की उत्पादकता 2.60 प्रतिशत है। नेपाल में गेहूं की उत्पादकता 3.29 प्रतिशत है और धान की उत्पादकता 1.28 प्रतिशत है। भारत में गेहूं की उत्पादकता 0.86 प्रतिशत है और धान की उत्पादकता 1.21 प्रतिशत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे जो छोटे–छोटे पड़ोसी देश हैं, उन देशों का उत्पादन हमसे ज्यादा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम उत्पाद दर बढ़ाने पर ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, चालू वर्ष में किसानों के ऋण माफ किए गए, लेकिन असल सवाल यह है कि किसान जब फसल बोता है तो उस समय अगर उसे ऋण नहीं मिलता तो उस ऋण का क्या फायदा है।

[श्री रामजीलाल सुमन]

पिछले साल हमने एक तरफ किसानों के ऋण माफ किए और दूसरी तरफ किसानों को कर्ज देने का हमारा जो लक्ष्य था, उसे कम किया। पिछले साल 2 लाख 41 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था और इस साल 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपए ऋण की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था, लेकिन दिसम्बर, 2008 तक एक लाख 90 हजार करोड़ रुपए का किसानों को कर्ज मिला है। अगर किसानों को उत्पादन के लिए कर्ज नहीं मिलेगा तो वह अपना उत्पादन नहीं बढ़ा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार और रिजर्व बैंक के आदेश के बाद भी किसानों को जो कर्जा मिलता है, उसकी कठिनाई को हम जानते हैं। हम मांग करना चाहेंगे कि किसानों के लिए जो कर्ज सुनिश्चित किया जाता है, इस देश में कानून बनना चाहिए, यह जो वायदा किया गया है कि किसान को हम इतना कर्ज देंगे, अगर कोई वित्तीय संस्था उतना कर्ज किसानों को नहीं देती तो उसके लिए यह कानून बनना चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्यवाही की जाए। जब तक उन पर यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं होगा तब तक किसानों को कर्ज नहीं मिल सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, विदेश मंत्री जी, मैं हिन्दी में बोल रहा हूं, आप मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2008 के लिए किसानों के ऋण माफ का ऐलान किया और ऋण माफ भी किया। 31 मार्च, 1997 से लेकर 31 मार्च, 2007 तक के ऋण माफ हुए। भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों ने ऋण माफ भी कर दिए, लेकिन जो ग्रामीण बैंक हैं, उन्होंने इनके कर्जे माफ नहीं किए। 31 दिसम्बर, 2000 तक के ऋण ग्रामीण बैंक ने माफ किए, लेकिन और कर्जे माफ नहीं किए। आगरा में सैंकड़ों लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझ से शिकायत की कि ग्रामीण बैंक से हमने जो कर्जा लिया है, अन्य बैंक कर्जे माफ कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण बैंक उस तरह से कर्जा माफ नहीं कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि मेहरबानी करके मैं जो कह रहा हूं उसे आप नोट करें। आप इस मामले में आवश्यक निर्देश देने का काम करते हैं तो क्या वजह है कि सरकार के आदेश देने के बावजूद भी ग्रामीण बैंकों ने कर्जा माफ नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, 26 दिसम्बर, 2008 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा कि क्रुड ऑयल का दाम 38 डालर प्रति–बैरल तक आ गया है। पेट्रोल की उत्पादन लागत 11 रुपए प्रति लीटर है। डीजल की 3 रुपए प्रति लीटर है। एक बैरल में 190 लीटर बताया जाता है। क्रूड ऑयल 1 लीटर 10 रुपए का होता है और 1 बैरल में 85 लीटर डीजल एवं 28–29 लीटर पेट्रोल परिष्कृत हो सकता है। इस देश में पेट्रोल 40 रुपए प्रति लीटर से ऊपर और डीजल 30 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बेचा गया है और इसमें भी कहा जा रहा है कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है। इस संबंध में मैं एक तथ्य आपके प्रकाश में लाना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल का रेट जब 147 डॉलर प्रति बैरल हो गया और बाद में वह 38 डॉलर प्रति बैरल तक नीचे आ गया, तो पेट्रोल पर तो हमने 50 रुपए से 10 रुपए घटाकर 40 रुपए प्रति लीटर किए, लेकिन डीजल पर 35 रुपए से 5 रुपए घटाकर हमने 30 रुपए किए। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार की दाम बढ़ाने और घटाने की नीति क्या है? पेट्रोल और डीजल के दाम निर्धारण की कोई नीति भारत सरकार की है कि नहीं? अगर है, तो बहुत अच्छा है और यदि नहीं है, तो निश्चित रूप से जब क्रूड ऑयल का दाम ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो इसके बारे में हमारी कोई नीति होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : थैंक यू

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं विदेश मंत्री और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि मुम्बई हमले के बाद, जो श्री प्रणब मुखर्जी के प्रयास रहे, उनसे पाकिस्तान पर विश्व दबाव बना। निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम आए हैं। हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ–साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं शाहनवाज साहब कि मैंने कल श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का भाषण सुना।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : बहुत अच्छा था।

श्री रामजीलाल सुमन : आपके लिए बहुत अच्छा है और आज पाटिल जी का सुना। ये राम के नाम पर रोटियां कब तक खाएंगे? अभी चार–पांच दिन पहले...*(व्यवधान)*...

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : जब तक आप श्री कल्याण सिंह के नाम पर रोटियां खाएंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : अरे छोड़िए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी चार–पांच दिन पहले इनकी बैठक हुई और उन्होंने फिर राम का नाम अलापना शुरू कर दिया। आप अपनी गलती से सबक लीजिए। आप राम के नाम पर कब तक रोटी खाएंगे? ...*(व्यवधान)*...

उपाध्यक्ष महोदय, हम तो राजनीतिक लोग हैं। हमसे ज्यादा सटीक और सही एनैलेसिस आम आदमी का होता है। हमें मालूम है, पहले जब हम जनता के बीच में जाते थे, तो लोग हमसे ढंग से बात नहीं करते थे। अब जब ये राम के नाम की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि इनसे ज्यादा असत्य बोलने वाला न कोई हुआ और न कोई होगा। ...*(व्यवधान)*...

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : श्री कल्याण सिंह के आपकी पार्टी में आने के बाद आप कुछ नहीं बचे। आप माइनॉरिटी के दरवाजे पर जाने लायक नहीं बचे। आपकी ताकत आधी हो गई है।. ..*(व्यवधान)*...

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, ये अपनी गलती से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं हैं।

मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि जब पांच प्रान्तों में विधान सभा चुनाव हुए और मुम्बई पर आतंकवादी हमला हुआ, तो इन लोगों ने आतंकवाद को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन हम देश की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उसने कहा कि इनके कार्यकाल में संसद पर हमला हुआ था और जनता ने यह संदेश दिया कि इन लोगों को इस हमले का विरोध करने का कोई नैतिक हक नहीं है। ...*(व्यवधान)*. .. आप हमारी बात सुन लीजिए। क्या आप यह चाहते हैं कि जो आप चाहें, हम वहीं बोलें, यह कैसे संभव है।

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्टर सुमन, प्लीज चेयर को एड्रैस कीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : अगर आप मंदिर के मुद्दे को लेकर जनता में जाएंगे, तो आपका नाम लेवा पानी देवा दुनिया में कोई नहीं रहेगा। ...*(व्यवधान)*...

उपाध्यक्ष महोदय : थैंक यू। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

अपराह्न 2.58 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री वेल्लारमिन, आप अपना भाषण सभापटल पर रख सकते हैं।

**श्री ए. वी. वेल्लारमिन* (नागरकोइल) : महोदय, मैं भी उस परम्परागत दल में शामिल हूं जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के ऐजेन्डे में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। अभिभाषण और कुछ नहीं बल्कि सरकार द्वारा 2004 से लेकर इसके शासनकाल में किए गए प्रयासों के कालक्रमवार संकलन की शब्दाडम्बरपूर्ण पुनरावृति है। भाषण में न ही सरकारी नीति झलकती है न ही भविष्य के लिए कोई दिशा मिलती है। सरकार द्वारा 'आम तौर पर' दिए जाने वाला नारा, कि इसने तीव्र और अधिक समग्र विकास की नीति में विश्वास की पुनर्बहाली की है, इस भाषण में उसकी पुनरावृति की गई है परंतु इसमें ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा और इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए रहे जा रहे हैं।

निष्पादन के बारे में बड़े बड़े दावे किए गए हैं, निसंदेह उन्होंने संसद के भीतर वामदलों तथा सरकार के बाहर के लोगों के आग्रह तथा दबाव में मजदूरों व किसानों के हितों में कुछ कदम उठाए हैं। परंतु यह लोगों को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों जैसे कृषि संकट, मूल्यवृद्धि, नौकरी छूटना, बेरोजगारी का समाधान करने में असफल रही है। इसमें वैश्विक आर्थिक संकट द्वारा मचाई गई तबाही के परिदृश्य में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि तथा अवसंरचना के विकास के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

किसानों के लिए ऋण माफी के बड़े–बड़े दावे, बहुचर्चित एन आर ई जी पी तथा भारत निर्माण योजनाएं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, निराश्रितों के लिए ग्रामीण आवास आदि योजनाएं आंखों को सुहाती हैं और कर्णप्रिय लगती हैं। परंतु उनके कार्यान्वयन का गहराई से विश्लेषण अत्यंत निराशाजनक और दुखद स्थिति दर्शाता है। संक्षेप में, योजना के तहत लाभार्थी लक्षित वर्ग के नहीं हैं परंतु उनमें से अधिकांश संपन्न वर्गों से है। विकास 'समग्र' होने की बजाय विशेषरूप से एक छोटे से वर्ग के लिए सिमट कर रह गया है। घरेलू व्यापारी बहुराष्ट्रीय कारपोरेट में तबदील हो गये जबकि 'आम आदमी' गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन कर रहा है और उनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। जनसंख्या के असंगठित भाग के लिए अधिनियमित विधान एक धोखा और शक्तिहीन विधान बन कर रह गया है।

यह सही है कि पिछले पांच वर्गों के दौरान संस्वीकृत शिक्षा ऋण 3 गुणा बढ़ गए हैं परंतु त्रासदी यह है कि बैंक जिन्होंने इन ऋणों को संस्वीकृत किया था वे ऋण वसूली के लिए यातनापूर्ण तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। जबकि गरीब मां–बाप जिनमें से अधिकतर ग्रामीण किसान हैं जो संकट में हैं तथा आर्थिक मंदी के प्रभाव स्वरूप उनके बच्चों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। संकट ने विशेषरूप से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया है जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। सरकार को शिक्षा ऋणों पर ब्याज माफी तथा अधिस्थगन अवधि के विस्तार के लिए आगे आना चाहिए।

जैसा कि बताया गया है कि अवसंरचना का विकास, रोजगार अवसरों को बढ़ाता है। परंतु, यह नोट करना अत्यंत दुखदायी है कि कन्याकुमारी जिले में कोलाचल स्थित प्राकृतिक लघु पत्तन के वृहद कन्टेनर पत्तन के रूप में प्रस्तावित सुधार के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह इंगित करने की आवश्यकता नहीं है कि यह केवल एकमात्र प्राकृतिक पत्तन है जिसकी गहराई 20 मीटर है तथा दुबई,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री ए. वी. वेल्लारमिन]

सीलोन तथा सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ संपर्क साधने की क्षमता हैं। जोकि रोजगार सृजन कर सकता है तथा बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। विदेशों में रह रहे भारतीयों की दुर्दशा तथा उनके द्वारा उठाये जा रहे संकटों और परेशानियों के मामले में सरकार का उनके जीवन की स्थिति में सुधार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विदेशों में हमारे दूतावासों में स्टॉफ की कमी है तथा मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को भारत भेजने, मृत के कानूनी अवशेषों के निपटान, विधिक देयताओं के निपटान, बिना कारण के जेल में कैद लोगों को छुड़ाने संबंधी मामलों की उत्तरोत्तर खराब होती स्थिति से निपटने में वे सक्षम नहीं हैं।

आईएवाई योजना के तहत ग्रामीण आवास के लिए आबंटित राशि अत्यंत कम है जिसे बढा कर कम से कम 1 लाख रुपये किया जाना चाहिए। तत्पश्चात् पंचायत के लिए पृथक मंत्रालय बनाने के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। जिससे ग्रामीण विकास में बहुत मदद मिलती। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह भारतीय उपमहाद्वीप के तीन तटों पर रहने वाले मछुआरों द्वारा झेली जा रही समस्याओं के समाधान के लिए एक पृथक मंत्रालय बनाए। दलित ईसाई जो देश का एक बड़ा भाग है वे अपने अपने गैर–ईसाई भाइयों को दिए जाने वाले अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की मांग कर रहे हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं महामहिम भारत की राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देता हूं।

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : महोदय, धन्यवाद। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। समय अभाव के कारण, मैं अपना भाषण केवल चार मुद्दों तक सीमित रखूंगा।

पहला मुद्दा आंतरिक सुरक्षा का है। उन शहरों की चर्चा करते हुए जिनमें आतंकवादी हमला हुआ है, मेरा मानना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में मालेगांव और मोदासा में हुए आतंकी हमलों के उल्लेख को पूरी तरह भूला दिया गया है। यहां तक कि इसका उल्लेख भी नहीं किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एटीएस द्वारा मालेगांव मामलें में दायर आरोप पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मालेगांव विस्फोट में शामिल लोगों को इजरायल द्वारा प्रशिक्षण और हथियार प्राप्त हुए। मालेगांव बम विस्फोट मामले में एटीएस का आरोप पत्र यह कहता है। अगर देश का प्रमुख आतंकवादी विरोधी संगठन यह दावा कर रहा है कि मालेगांव बम विस्फोट में शामिल लोगों को इजरायल द्वारा प्रशिक्षण एवं हथियार दिए गए थे–यहां तक कि इज़रायल ने इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने की बात स्वीकार की है, तेल–अवीव में उन्हें कार्यालय देने की बात स्वीकार की है–तो सरकार ने इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध समाप्त क्यों नहीं किए हैं? सरकार कम से कम इजरायली राजदूत को बुला सकती थी, उसे 'डेमार्श' दे सकती थी तथा यह कह कर रोष प्रकट कर सकती थी कि वह यहां पर आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित कर अनावश्यक रूप से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है।

अपराह्न 3.00 बजे

दुर्भाग्यवश, इस सरकार ने इजरायली सरकार को एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम इजरायली हथियारों के सबसे बड़े क्रेता है। भारत द्वारा नौ बिलियन डालर मूल्य के इजरायली हथियार खरीदे जाते हैं। फिर भी, यह सरकार दावा करती है कि फिलीस्तीन समर्थन के मसले पर हम कायम हैं। आतंकवादी संगठनों को समर्थन देकर इजरायल देश में अशांति पैदा कर रहा है और हम उनके प्रति रोष भी नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं।

यूएपीए विधेयक के बारे में, उस समय इस सम्मानीय सभा में माननीय गृह मंत्री ने कहा था कि फरवरी आने दीजिये, हम इस विधेयक की समीक्षा करेंगे। क्या सरकार यूएपीए अधिनियम की समीक्षा करेगी? कल अगर एनडीए सत्तारूढ़ होती है, जो हम नहीं चाहते हैं, वे यह सोचते हैं कि उन्हें केवल अपनी उपलब्धियों को खोना ही है और एनडीए अधिनियम को संशोधित कर अपराध स्वीकारोक्ति को ग्राह्य साक्ष्य बना देती है, तो किसे दोषी ठहराया जाएगा? उस समय मुझे सबसे ज्यादा परेशानी होगी।

इस विधेयक में भी 'सन–सेट' खण्ड नहीं है। टाडा में भी 'सन–सेट' खण्ड थी; पोटा में भी 'सन–सेट' खण्ड है। यहां तक कि यूएपीए में कोई 'सन–सेट' खण्ड नहीं है।

दुर्भाग्यवंश सच्चर समिति के संबंध में, यह सभा में सरकार के प्रबंधन कौशल को दर्शाता है। एक सत्तारूढ़ सरकार के प्रधानमंत्री ने सच्चर समिति का गठन किया था। हम सच्चर समिति पर भी चर्चा नहीं कर पाये। हमने जो किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं–जिसका उल्लेख सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया है। वक्फ सम्पत्तियों के संरक्षण तथा विकास का क्या हुआ? एक भी कदम नहीं उठाया गया? सच्चर समिति के संबंध में शिक्षा पर फातमी उपसमिति के प्रतिवेदन का क्या हुआ? उसके बारे में भी उल्लेख नहीं किया गया। सरकार द्वारा सच्चर समिति की अनेक सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। मुझे नहीं पता कि अल्पसंख्यक मामलों में मंत्रालय में क्या हो रहा है।

समान अवसर आयोग का क्या हुआ? आप समान अवसर आयोग का गठन क्यों नहीं कर रहे हैं? विविधता सूचकांक का क्या हुआ? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई।

जहां तक केन्द्रीय मदरसा बोर्ड का प्रश्न है, भारत के मुसलमान ऐसे किसी बोर्ड के गठन का पुरजोर विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते

कि आप हमारे मदरसों में हस्तक्षेप करें। कृपया अपने पैसे अपने तक सीमित रखें। हम आपका पैसा नहीं चाहते। अपने पैसे अपने पास रखें। भगवान के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश न करें। यह एकमत निर्णय है। अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा एक संकल्प पारित किया गया है।

लिब्राहन आयोग के बारे में, 15 वर्ष बीत चुके हैं। यूपीए सरकार पांच वर्षों तक सत्ता में रही, लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट कहां है? आपको किसने रोका? आप कब तक वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे? अगर लिब्राहन आयोग रिपोर्ट दे देता है तो इसमें गलत क्या है? चौदह वर्ष बीत गए और लिब्राहन आयोग अब तक चल रहा है। मेरा विचार है कि सबसे लंबे कार्यकाल होने के नाते लिब्राहन आयोग का नाम गिनीज़ बुक ऑफ रिकार्ड में दर्ज करना चाहिए।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जानबूझकर बाबरी मस्जिद मामले में विचारण में देरी कर रहा है। आखिर यह सरकार क्यों नहीं सुनिशिचित करती है कि सी.बी.आई. रोजाना आधार पर इस मामले की जांच करे। कल, मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता का भाषण सुन रहा था। उन्होंने स्थानीय सहायता के बारे में बात की। मैं निश्चय ही उनसे सहमत हूं। मैं उनके भाषण में यह जोड़ना चाहता हूं कि स्थानीय समर्थन दिया गया था, या तो यह संघ परिवार के लोगों द्वारा दिया गया था या अभिनव भारत के लोगों द्वारा दिया गया था। परंतु जिन लोगों ने मालेगांव तथा मोदासा में कुकृत्य किया उसकी जांच के आदेश दिए जाने चाहिए।

अंत में, वायुसेना तथा थल सेना मुस्लिम सैन्य कर्मचारियों को दाढी बढ़ाने से रोक रहे हैं। यह किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है? अगर आज मौलाना अबुल कलाम जिंदा होते तो वे इस बात से सहमत होते? वे वही दाढ़ी वाले लोग हैं जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता का युद्ध छेड़ा था। अब सरकार इस प्रकार के कानून पारित कर रही है। मेरा विचार है कि सरकार मेरे द्वारा उल्लिखित मुद्दों पर ध्यान देगी।

***श्री किरेन रिजीजू** (अरुणाचल पश्चिम) : महोदय, मैं संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए भारत की महामहीम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

परंतु, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कोई विशेष उद्घोषणा न किए जाने पर अपना गहन रोष और अप्रसन्नता व्यक्त करता हूं।

आज पूर्वोत्तर का सुरक्षा परिदृश्य दिन–प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है तथा आम लोग अपनी जान–माल के प्रति अधिकाधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भूमिगत विद्रोही तत्व इस क्षेत्र में अपने आपको अधिक सुरक्षित समझते हैं। गैर–कानूनी रूप से घुसपैठ करने आने वाले बांग्लादेशियों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहां तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी घुसपैठ न रोक पाने के लिए केन्द्र सरकार पर अभ्यारोपण किया है। शासन को मजबूत करने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों को पर्याप्त रूप से सशक्त नहीं बनाया जा रहा है। राज्य पुलिस को आधुनिक एवं समुचित ढंग से सुसज्जीत बनाने हेतु पर्याप्त सहायता नहीं दी है जिससे कि वे आतंकवाद से लड़ सकें। पूर्वोत्तर में उच्च शिक्षा की स्थिति दयनीय है। पूर्वोत्तर के राज्य में रुग्ण शैक्षणिक संस्थानों के पुनरुद्धार और नए तकनिकी संस्थान खोलने के लिए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए।

अरुणाचल प्रदेश को शांति और ग्रीन बोनस प्रोत्साहन के रूप में केन्द्र सरकार से मिलने वाली विशेष आर्थिक सहायता की अपेक्षा है। केन्द्र सरकार को लंबे समय से चली आ रही इस मांग को तत्काल पूरा करना चाहिए।

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की है। 5 फरवरी से राज्य सरकार कर्मचारी कलम रोको हड़ताल पर है। यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि छठे वेतन आयोग के अंतर्गत राज्य सेवाओं को मिलने वाली राहत उपलब्ध हो।

लुक ईस्ट नीति की पूर्णतः समीक्षा करने की आवश्यकता है और पूर्वोत्तर को राष्ट्र के आर्थिक केन्द्रों के सरकारी कर्मचारियों में से एक का रूप दिया जाए। पूर्वोत्तर को पूर्वी एवं दक्षिणी एशियाई राष्ट्रों के साथ जोड़े जाने के लिए बुनियादी ढांचे की और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

मेरी केन्द्र सरकार से अपील है कि वह आम लोगों की भावना एवं उनकी पीड़ा को समझे और देश के प्रत्येक भाग विशेषकर पूर्वोत्तर और अरूणाचल प्रदेश, के लोगों को प्रगतिशील भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने का प्रयास करें।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मान्यवर, मेरे लोक सभा क्षेत्र में करीब साल से सूखे की स्थिति रही। मेरा लोक सभा क्षेत्र बुंदेल खंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसानों के जो ऋण माफ किये गये उसमें सीधे अनपढ़ किसानों को लाभ नहीं मिल सका क्योंकि पांच एकड़ के ऊपर किसानों को चार किस्तों में ऋण का विभाजन किया गया था जिससे किसानों को तीन किस्ते समयानुसार जमा करनी थी। फसल न होने की वजह से किसान अपनी किस्त जमा नहीं कर सकता। मान्यवर,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा]

नहीं कर सके। उन किसानों से तीन किस्त माह मार्च में जमा कराकर चौथी किस्त किसान खाते में जमा कर ऋण माफ कर देंगे तो निश्चित किसानों को इसका लाभ मिल सकता है क्योंकि किसानों की ऋण की वजह से आत्महत्यायें बड़ी तेजी के साथ बड़ी है जिससे किसानों की आत्महत्याओ को रोका जा सके।

मान्यवर, अभी तक वे मौसम वर्ष या किसी कारण किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है उससे किसानों को मिलने वाली बीमा की सहायता का क्षेत्र ब्लॉक तथा न्यायपंचायत स्तर पर किया गया है। अतः इस बीमे की सीमा प्रति किसान के स्तर पर करना चाहिए जिससे जिस किसान का नुकसान हुआ उसे बीमे की सहायता प्राप्त हो सके। मान्यवर हमारे क्षेत्र में सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है। अतः मेरे लोक सभा क्षेत्र में पांच नदियां आकर मिलती है उस पर हमेशा मांग करता रहा हूं कि पंचनदा बांध बना दिया जाये तो निश्चित किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है तथा कानपुर देहात में इटावा, औरय्या के पास नदी जमुना नदी को रोक कर बांध बनाया जाता है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है तथा उत्तर प्रदेश में विशेष कर बुंदेलखंड के मलंगा तथा नालों को साफ कराकर उसमें पानी रोका जाये तो निश्चित ही छोटे किसानों को लाभ मिल सकता है।

मान्यवर, केन्द्र सरकार द्वारा फोर लाइन, सिक्स लाइन रोड बनाकर सम्पूर्ण भारत में रोड बनाये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भोगनीपुर से वारा मोड़ तथा भोगनीपुर से झांसी तक जो फोर लाइन सिक्स लाइन रोड बनाये जा रहे हैं वहां पर जो कम्पनियां काम कर रही हैं वह काम न करके मात्र कमीशन लेकर वहां से क्षेत्रीय ठेकेदारों को काम दिया गया है जिससे उस कार्य की गुणवत्ता बहुत खराब है क्योंकि यह अनुभवहीन फर्में हैं तथा अनुभवहीन ठेकेदार हैं, जिससे बगैर पानी डाले कुटाई मिट्टी की जा रही है, जिससे बरसात के समय सम्पूर्ण रोड में जगह जगह गड्ढे हो गये तथा रोड में पुलिया के पास तो वाहन को रोक कर जाना पड़ता है। बरसात के समय कई ट्रक तथा बसें रोड़ किनारे पर जाकर मिट्टी में धंस गये तथा पलट गये हैं क्योंकि सही कुटाई के कारण ही यह समस्या पैदा हुई है इसकी ओर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

मान्यवर, झांसी तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं भी एयरपोर्ट नहीं है। झांसी में फोर्स का एयरपोर्ट है लेकिन उस पर काम कराकर इस पर नया रनवे बनाकर झांसी को नया एयरपोर्ट बनाए जाने से उस क्षेत्र के निवासी हवाई जहाज की सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी के भाषण का समर्थन करती हूं। उसके बाद सबसे पहले मैं इस सदन को पांच साल तक चलाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने पांच साल हम लोगों को जिस तरह से कुम्हार घड़े को बनाते वक्त अपने हाथ से थोड़ी सी ठोकर भी देता है और प्यार से सहलाता भी है, उसी तरह मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे आशा है कि इस पूरे सदन को ही आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जिस तरह से आपने सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए काम किया, उसमें बहुत बार ऐसा वक्त आया, समय आया, जिसमें आपने मजबूती से इस सदन की गरिमा के स्तम्भ को पकड़कर रखा और हम लोगों को बहुत बड़ी सीख दी। इन पांच साल के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगी।

उसके बाद मैं यू.पी.ए. की चेयरमैन माननीया श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद दूंगी कि पूरे पांच साल उन्होंने अपने जितने भी घटक दल थे, उनको पकड़कर सहानुभूति से, मजबूती से अपने साथ बनाये रखा। कई लोगों ने यह कहा कि अब सरकार गिर सकती है।

आज से डेढ़–दो साल पहले भी लोगों ने कहा था कि अब सरकार गिर सकती है। जिस तरह से सारे घटक दलों को उन्होंने एक मां की तरह, एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह संभालकर रखा, यदि मैं सिर्फ एक अपवाद को छोड़ दूं, तो उन्होंने सारे घटक दलों को संजोकर रखा, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूं। साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन जी का, जिन्होंने बहुत मजबूती से अपने पक्ष को, अपने देश के विकास को, अपने देश की नीति को और अपने देश को चरम पर पहुंचाने के लिए, विश्व की धुरी पर लाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी।

महोदय, बहुत से लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन अंत में मुझे खुशी है कि जिस तरह से न्यूक्लियर डील हुई, सिर्फ न्यूक्लियर डील ही नहीं, बहुत सारी ऐसी योजनाओं को जो अमलीजामा पहनाया गया, उसके लिए मैं कह सकती हूं कि हां, हम लोगों को प्राउड है और मैं आज कह सकती हूं कि सिंह इज किंग। उन्होंने यह करके दिखाया। जिस तरह से मन नीवां, मत ऊंची की बात को दर्शाया कि जो व्यक्ति हमेशा किसी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, उसकी सोच चरम पर होती है, बहुत ऊंची होती है। इसी सोच पर चलकर जिस तरह से उन्होंने पांच साल सारे घटक दलों को लेकर अपने हिंदुस्तान ही नहीं पूरी विश्व में इस हिंदुस्तान का मैसेज दिया, मैं उनका धन्यवाद करती हूं।

महोदय, इसके साथ ही मैं विपक्ष का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी बातें हुई, पक्ष और विपक्ष में चर्चा हुई। मुझे यह बात समझने को मिली कि अगर आप विपक्ष में हैं, तो आपकी मजबूरी है कि आपको हर अच्छी से अच्छी योजनाओं में कुछ न कुछ अपवाद

निकालना है। मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि जो भी योजनाएं हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कोई भी सरकार पूर्ण नहीं है, लेकिन यदि दस प्रतिशत भी गलती थी, तो उसको आपने उजागर करके हम लोगों को मौका दिया कि उसे हम सही कर सकें। मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि मुंबई बम–ब्लास्ट के बाद आप लोगों का जो एक दूसरा रूख मुझे नजर आया और जिस तरह से पूरा सदन एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और अखंडता के साथ पूरा हिंदुस्तान एक जगह खड़ा दिखा, उसके लिए मैं विपक्ष का धन्यवाद करूंगी।

महोदय, अभी सुमन जी कह रहे थे कि आर्थिक तंगी, आर्थिक मंदी, मजदूरों की बात, किसानों की बात, कई और माननीय सदस्यों ने कही। मैं कहना चाहूंगी जो विश्व आर्थिक मंदी है, यह पांच साल में यूपीए की दी हुई चीज नहीं है। मैं यूपीए पर गर्व करती हूं कि किस तरह से जब आज पूरे विश्व में बड़े–बड़े देश चरमरा रहे हैं, लेकिन इस आर्थिक मंदी में भी हमारी यूपीए सरकार ने हिंदुस्तान और अपने स्तंभ को लड़खड़ाने नहीं दिया। अभी हमें आवश्यकता है और इसके लिए हमारे पास सारी योजनाएं हैं, जिस तरह से 'नरेगा' योजना से लोगों को सौ दिन का रोजगार मिला, फिर धीरे–धीरे उसको बढ़ा दिया गया, जिस तरह से वृद्ध पेंशन दी गयी और अभी जनरल बजट में जिस तरह से 18 से 40 साल की विधवाओं को भी पेंशन देने की बात कही गयी, वह काबिल–ए–तारीफ है। इस तरह की बहुत सारी योजनायें हैं। मेरा मानना है कि आज हमें जरूरत योजनाओं की नहीं है, हम भ्रष्टाचार को और योजनाओं में जो कमीशन होता है, यह सेंटर से, स्टेट और स्टेट से ब्लाक तक पहुंचते–पहुंचते और जिसके बारे में माननीय राजीव गांधी जी ने भी कहा, माननीय राहुल जी भी कहा था कि एक रुपए में से पांच पैसे उन तक पहुंचते हैं। यदि हम 60 प्रतिशत भी धरातल पर उतार देंगे, तो हिंदुस्तान में कोई भी इस सरकार को हटाने का मससद नहीं रख पाएगा और न ही हासिल कर पाएगा। अगर कहीं कोई जरूरत है, तो इस करप्शन को हटाने की जरूरत है। दिल्ली का जो चुनाव हुआ, मैं खुद एक्सेप्ट करती हूं कि हम लोगों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि कांग्रेस दोबारा आएगी। यह कांग्रेस की जीत नहीं थी, किसी पर्सनल व्यक्ति की जीत नहीं थी, यह शीला दीक्षित की जीत नहीं थी, यह युवाओं की जीत थी। युवाओं ने एक मैसेज दिया कि आज हिंदुस्तान 40–45 प्रतिशत युवाओं का हिंदुस्तान हो चुका है। अब युवा केवल महंगाई का रोना रोने से या आतंकवाद का रोना रोने से या बेरोजगारी का रोना रोने से, राम और मस्जिद के नाम पर, जाति–धर्म के नाम पर अब हम मत देने वाले नहीं हैं। आज युवा पढ़ा–लिखा होने के साथ–साथ समझदार भी है और उसने बहुत शुभ संकेत दिया है कि आज के बाद लोग विकास के नाम पर वोट देंगे। जिस देश की आबादी 47 से 50 प्रतिशत युवाओं की हो, वे अपने देश की पूरी नींव रख सकते हैं और आने वाले चुनावों में युवाओं की एक अहम और नयी भूमिका होगी।

इसी के साथ मैं राष्ट्रपति जी के मोशन ऑफ थैंक्स का समर्थन करती हूं। आपने मुझे इतना वक्त दिया, एक बार फिर मैं माननीय अध्यक्ष जी की भूरि–भूमि प्रशंसा करूंगी, इसलिए नहीं कि उन्होंने हम बिगनर्स को बहुत को–ऑपरेट किया, इसलिए कि उन्होंने सच्चाई को को–ऑपरेट किया। आज पांच सालों के बाद मुझे धीरे–धीरे बहुत कुछ सीखने को मिला कि इस सदन में भी ईमानदार और सच्चे नेता हैं। इन्हीं के साथ भविष्य में भी इस हिंदुस्तान के सदन की गरिमा बचेगी। यहां पर चंद लोग हैं, जो इस गरिमा को बचाने में एक स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

***श्री जे. एम. आरून रशीद** (पेरियाकुलम) : महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं जिसमें दबे कुचले लोगों और अनुसूचित जाति/अल्पसंख्यकों के लिए काफी कुछ प्रावधान किया गया है तथा उनके कल्याण उपाय ही इस अर्थात् स.प्र.ग. सरकार का विशेष प्रमुख ध्येय है।

शिक्षा के क्षेत्र में माननीय श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में मानव संसाधन मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य को 38 केन्द्रीय विद्यालय और आदर्श विद्यालय दिए गए हैं। इस तथ्य की मैं सराहना करता हूं। परंतु यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के थेनी जिले में एक भी केन्द्रीय विद्यालय या आदर्श विद्यालय आबंटित नहीं किया गया। किसानों की ऋण माफी योजना का देश मे सभी लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। अब तक 65,800 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आय का मुख्य स्रोत कृषि है। हम धान इलायची, काली मिर्च, चाय, काफी, संतरा तथा सब्जी उगाते हैं और मेरा निर्वाचन क्षेत्र में 200 कि.मी. से भी ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र हिस्सा है। ऋण माफी दो हैक्टेयर जमीन तक एक लाख रुपये नियत की गयी है। एम. एस. स्वामीनाथन समिति रिपोर्ट में इसे बढ़ाकर 4 हैक्टेयर कर दिया गया है। इस प्रकार से यह प्रतिबंध हटाकर सभी कृषकों के साथ–साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए।

महोदय, कृषक यह शिकायत करते रहे हैं कि उन्हें और फसल ऋण नहीं मिल रहे हैं। भारत सरकार को बैंकों को किसानों का ध्यान रखने के लिए उपयुक्त अनुदेश देने चाहिए। महोदय, श्रीलंका के मुद्दे पर लिट्टे शुद्ध मासूम तमिलों को मानव–कवच के रूप में प्रयोग कर रहा है और निरीह तमिलों को युद्ध में नष्ट हो चुके क्षेत्रों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन्हें काफी कुछ झेलना पड रहा है। उन्हें अपने प्रियजनों को खोना पड़ रहा है तथा बिना किसी चिकित्सा उपचार के वे गोलियों को झेल रहे हैं। महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से यह अनुरोध कर रहा हूं कि वह श्रीलंका

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री जे. एम. आरून रशीद]

सरकार से निर्दोष नागरिकों की सहायता करने का और उन्हें तुरंत शांतिपूर्ण स्थानों पर भेजने का अनुरोध करे दूसरा युद्ध विराम अनिवार्य है और भारत सरकार को निर्दोष तमिलों को बचाने के लिए दूसरे युद्ध विराम के लिए कदम उठाने चाहिए।

महोदय, कुछ लोग वकीलों के नाम पर कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और हमारी नेता सोनिया गांधी जी सहित कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के झण्डे फाड़ रहे हैं। वे लिट्टे समर्थक नारे लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए जो कि अंतराष्ट्रीय रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी ग्रुप हैं। महोदय, मैं शिक्षा नीति को पर्याप्त, महत्व दिये जाने वाले राष्ट्रपति अभिभाषण का स्वागत करता हूं। जिसमें विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण हेतु ज्यादा राशि जारी करने और शिक्षा नीति को अधिक महत्व दिया गया है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण–मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का समय दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी को दिया गया समय समाप्त हो चुका है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : प्लीज सर, मुझे मुम्बई अटैक के बारे में दो–चार बातें कहने का मौका दीजिए। *...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, केवल दो मिनट में अपनी बात कहिए।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सिर्फ दो मिनट में बोलिए।

श्री मोहन रावले : ठीक है, धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का समय दिया।

अध्यक्ष महोदय : आप जोर–जबरदस्ती से समय लेते हैं।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मुम्बई में जो 26/11 अटैक हुआ, उसमें बहुत से पुलिस के जवान मारे गए। उन्हें अपना घर दिया गया और सरकार द्वारा 25 लाख रुपये दिये – यह बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप कुर्बानी देने के बाद ही कुछ करेंगे? कल यहां एक प्रश्न पूछा गया था, जो मॉडर्नाइजेशन आफ विपन्स के बारे में था, जिसमें रेजिडेंशियल पुलिस क्वार्टर्स देने का उल्लेख था। मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें घर कब तक दे दिये जायेंगे। मेरे क्षेत्र में श्री योगेश पाटिल नाम का एक पुलिस जवान मारा गया, जो झुग्गी–झोंपड़ी जनता नगर में रहता था। मैं कहना चाहता हूं कि 35 साल तक भी पुलिस वालों को घर नहीं मिलता है। वे 30–35 साल में रिटायर होने के बाद रास्ते पर आ जाते हैं। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि सरकार ऐसा कानून बनाये जिससे उन्हें पुलिस से रिटायर होने के बाद उन्हें मुफ्त घर दिया जा सके।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान पर आप कितने समय तक विश्वास करेंगे? श्री प्रणब मुखर्जी ने यहां पहले जो स्टेटमैंट दिया था, उसमें बताया गया था कि सब आतंकवादी पाकिस्तान से आये थे। इससे पहले कहा गया था कि पाकिस्तान में 52 टैररिस्ट कैंप हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उससे इंकार किया था। पाकिस्तान के सब आतंकवादी कुबेर बोट में चढ़कर आये थे। *...(व्यवधान)...* उन्होंने पांच फिशरमैन की गला काटकर हत्या कर दी थी। बोट में उनके पास जी. पी.एस. मिला, पाकिस्तानी ब्रांड का गौ आटा मिला और कपड़े भी मिले, जो उन्होंने बोट में ही छोड़ दिए थे। ये सब सामान उन्होंने इसलिए छोड़ा था, क्योंकि वे हमें बताना चाहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारा कुछ बांका करना हो तो कर लो। अगर इजरायली गाजापट्टी पर हमला कर सकते हैं, तो हम हमला क्यों नहीं कर सकते। क्यों पाकिस्तान के साथ सौदा *...(व्यवधान)...* हमें टैररिस्ट कैंपों पर उसी समय हमला करना चाहिए था। अगर पहले ही हमला करते, तो हमें फायदा हो जाता। अभी टैररिस्ट कैम्प खाली हो गए होंगे। *...(व्यवधान)...*

मैं न्यूक्लियर डील के बारे में बताना चाहता हूं कि आप उसके लिए 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये खर्च करना चाहते हैं। नौ करोड़ रुपये पर मेगावाट आप देना चाहते हैं। आप लोगों को कैसे सस्ती बिजली देंगे? *...(व्यवधान)...*

मैं एनटीसी बिल मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)...* मैं कहना चाहता हूं कि एनटीसी के लोगों को और निजी मिल मजदूरों को एन.टी.सी. की जगह पर ही मुफ्त घर दिए जाने चाहिए। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी शुरूआत की थी और राष्ट्रीयकरण इसलिए हुआ क्यों वे चाहती थीं कि मिल मजदूरों का उन पर हक है। लेकिन आज वे मिल मजदूर परेशान हैं। *...(व्यवधान)...*

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप स्पोर्ट्स जैकेट पहनकर आए हैं इसलिए मैंने आपको बोलने का समय दिया है।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपूजा) : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण के आठवें पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया है और इसमें निवेश तीन गुणा बढ़ा दिया है। लेकिन अब भी सच्चाई यही है कि कृषि को विशेषत: आर्थिक संकट, जिसका सामना विश्व के साथ–साथ हमारा देश भी कर रहा है के संबंध में गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है।

मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि कृषि ऋण चार प्रतिशत की ब्याज दर पर देने पर विचार किया जाए और इसे लागू किया जाए। जहां तक ऋण माफी योजना का संबंध है इसके लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की गई है लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि संसद की घोषणा के बाद जो लोग इसके अंदर आ सकते थे उन्हें इस योजना के वास्तविक क्रियान्वयन शुरू किए जाने के बाद छोड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए इस योजना में कहा गया है कि वर्ष 2007 से पूर्व लिए गए ऋणों को इस योजना में कहा सम्मिलित किया जाएगा और उन ऋणों को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जब इसे लागू किया गया तो यह कहा गया कि वर्ष 1997 से पूर्व लिए गए ऋण इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। इससे मेरे राज्य केरल के किसान सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं क्योंकि उन्होंने दीर्घावधि के ऋण ले रखे हैं। इन किसानों में रबड उत्पादकता सहित सभी नकदी फसल, इत्यादि के किसान सम्मिलित हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि वे अपना दिमाग खुला रखेंगे लेकिन इस वक्तव्य में वह खुला दिमाग परिलक्षित नहीं होता। कई कृषि उपजों के मूल्य अत्यधिक गिर गए हैं। रबड़ इसका एक उदाहरण है इसका मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम था जो अब 65 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। वास्तविक कठिनाई यही है। इस मुद्दे के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मैं वरिष्ठ नगारिकों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। वरिष्ठ नागरिक कोष की धनराशि में वृद्धि की जानी चाहिए। अर्द्धसैनिक बलों के मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए। मेरी आखिरी बात कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशनभोगियों से संबंधित है। मैं निवेदन करता हूं कि इन मामलों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई जी. पाटील (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा 12 फरवरी, 2009 को दिए गए अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं।

महोदय, इस अभिभाषण में कई मामलों का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं, लेकिन आज किसानों की स्थिति देखने पर यह पता चलता है कि हमारे लिए अनाज उत्पादन करने वाला अन्नदाता खुद दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। कपास उत्पादक किसान फटेहाल दिखाई देते हैं। पिछले पांच वर्ष में सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए केवल वायदे किए गए, उनके लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। इसकी वजह से आज किसान स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसानों के बारे में मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं अपनी स्पीच ले करती हूं।

इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि सरकार गठन के समय यूपीए द्वारा घोषित कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की बात कही गयी थी, लेकिन इसे लागू करने में राजीतिक इच्छाशक्ति का अभाव देखा गया है। यह केवल एक चुनावी घोषणा साबित हुई है। पूरे पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी यह विधेयक लाने में सरकार नाकामयाब रही है। मैं किसानों के बारे में अपना शेष भाषण सदन के पटल पर रखती हूं।

* किसानों के उत्पादन को बाजार मूल्य नहीं मिलने के कारण किसानों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए साहूकारों से ऋण लेना पड़ा। किसान ऋण ग्रस्त होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार द्वारा ऋण माफी घोषणा के बावजूद किसानों की आत्महत्या निरंतर जारी है। इसका मतलब सरकार किसानों को राहत पहुंचाने में असफल साबित हो रही है। हमारे यहां के गन्ना उत्पादक किसान भी इसी समस्या से पीड़ित हैं। सरकार गन्ना उत्पादक किसानों की सहायता के लिए चीनी मिलों को सहायता राशि उपलब्ध करा रही है। इससे चीनी मिल प्रबंधन को फायदा हो रहा है। गन्ना उत्पादक किसान वही के वही हैं। उनकी बदहाली में कोई फर्क नहीं पड़ा है। सरकार ने वायदा किया था कि किसानों को 7 प्रतिशत से फसल ऋण उपलब्ध करायेंगे लेकिन यह भी किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे साबित होता है कि सरकार किसानों की हितैषी बनने का ढोंग कर कोरी घोषणाएं कर रही है।

सरकार के गठन के समय में यू पी ए द्वारा घोषित कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की बात की गई थी लेकिन इसे लागू करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव देखा गया। केवल यह चुनावी घोषणा साबित हुई। पूरे पांच वर्ष बीत जाने पर भी यह विधेयक लाने में सरकार नाकाम रही।

सरकार ने सत्ता में आने के बाद प्रति वर्ष 1 करोड़ रोजगार सृजन की बात कही थी लेकिन देश में रोजगार पंजीकरण कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों के बढ़ते आंकड़े सरकार की रोजगार सृजन में

* *भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती रूपाताई डी. पाटील]

असफलता बयान कर रही है। अति आर्थिक मंदी के कुप्रभाव से जिनकी नौकरियां चली गई हैं। उन पर भी बेरोजगार होने का संकट गहराता जा रहा है। लेकिन इस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा कोई आर्थिक कदम नहीं उठाने से स्थिति और बिगड़ सकती है देश में नये रोजगार के सृजन के लिए सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, देश में 26 नवम्बर 2008 को पाकिस्तान समर्थित हमलों के बाद लोगों में असुरक्षा का वातावरण बना है। हमने पाकिस्तान से इस बारे में आर पार की बात की लेकिन पाकिस्तान द्वारा पहले तो इसे अपनी करतूत मानने से ही इंकार कर रहा था। अब उन्होंने यह स्वीकार किया है, लेकिन पाकिस्तान इससे संबंधित आरोपियों को हमें सौंपने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहां के सैंकड़ों लोगों के कत्ल के लिए जिम्मेदार अपराधियों को भारत लाकर यहां के कानून के तहत उन्हें सजा होने की आवश्यकता है, लोक भावना भी इस प्रकार की है, सरकार इसका संज्ञान ले और सभी आरोपियों को देश में लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास करें। आज सभी जगह विश्व मंदी की बात की जा रही है, भारत पर अभी इसका असर नहीं दिखाई दे रहा फिर भी हमारा विकास दर 9 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के आसपास आ गया है। सरकार द्वारा उद्योग तथा रोजगार निर्माण के लिए बुनियादी कदम नहीं उठाने के कारण विकास दर लगातार गिर रहा है। आज बेरोजगारों के साथ जो रोजगार में है, उन्हें भी बेरोजगार होने का डर सता रहा है। ऐसे लोगों द्वारा आत्महत्या के प्रयास को देखते हुए स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। सरकार ने इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इसके नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों का बखान किया लेकिन इसके क्रियान्वयन की समीक्षा का इसमें कोई उल्लेख नहीं सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम योजना लागू की लेकिन इसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा, आज भी देश में करोड़ो लोगों के पास मकान, शुद्ध पेयजल और बिजली उपलब्ध नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनाज समय पर और मानकों के अनुसार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। वित्त मंत्री कहते है कि महंगाई कम हो गई लेकिन आज का आम आदमी को खाने की चीजों के दाम में कटौती नहीं होने से उसका घरेलू बजट बिगड़ गया है। इस महंगाई मार को झेलता आम आदमी त्राहि–त्राहि कर रहा और सरकार इस मुगालते में है कि हमने आम आदमी के हित में काम किया। सरकार द्वारा आम आदमी को राहत पहुंचाने में मिली असफलता को देखते सरकार भी असफल साबित हो गई है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों में फैले असंतोष और रोष का प्रतिकरण आने वाले चुनाव में होना सुनिश्चित है। अतः मैं इस धन्यवाद अभिभाषण प्रस्ताव का विरोध कर अपना वक्तव्य समाप्त करती हू।*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने दो मिनट का समय मांगा है और मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं। आप मेरे लोक सभा टेलीविजन के एंकर हैं तथा आप बहुत अच्छे कार्यक्रम भी कर रहे हैं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदय, मुझे दो मिनट से अधिक की अनुमति दीजिए।

महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में मुख्य तौर पर यह कहा गया है कि अब सरकार के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए बहुत सटीक मानदंड है। यदि कोई इस बात पर विश्वास करे तो 87 पृष्ठों में 82 ऐसे मुद्दे भविष्य के एजेंडे के बारे में बताया गया है। यह कुछ इस तरीके का है जैसे कोई छात्र परीक्षा दे रहा है और वह प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय परीक्षक से स्वयं प्रश्न पूछ रहा हो। इसमें बहुत ही गंभीर मुद्दे सम्मिलित हैं।

सकल घरलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजी व्यय निरंतर गिरता जा रहा है जिसका तात्पर्य यह हुआ कि हम भावी विकास के लिए धनराशि खर्च करने में समर्थ नहीं है और सरकार के ऊपर सकल घरेलू उत्पाद का 60 प्रतिशत ऋण है। अतः पिछली सरकार द्वारा पारित और इस सरकार द्वारा अधिसूचित एफ आर बी एम में यह शर्त है कि सरकार की 0.5 प्रतिशत से अनधिक देयता अनुवर्त्ता देयता के रूप में रखी जा सकती है। इस वर्ष भी सरकार ने 0.67 प्रतिशत खर्च किया था जिसका अर्थ यह हुआ कि इसने सरकारी ऋण में पुनः भारी वृद्धि की है। तुलन–पत्र में 3 से 4 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है और यह बहुत ही भारी धनराशि है तथा भविष्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बजट पर बोलिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : जहां तक उर्वरक का संबंध है तो 1977 के बाद से अनेक प्रकार के विकास हुए हैं लेकिन इसके उत्पादन के लिए कोई नई क्षमता सृजित नहीं की गई है। यदि हम भविष्य में अपने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना चाहेंगे तो इसके लिए उर्वरक उपलब्ध नहीं होगे।

रोजगार विकास का एक प्रमुख पैमाना है और यह आम आदमी की चिंता का विषय भी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का जिक्र किया गया है। यह मूल रूप से आजीविका को सहारा देने वाली योजना है न कि रोजगार सृजन कार्यक्रम। रोजगार वह होता है जो 365 दिन उपलब्ध हो न कि मात्र सौ दिनों के लिए।

महोदय, मैं दो मुद्दों पर अत्यंत चिंतित हूं; पहला जनसंख्या और दूसरा पेयजल। भविष्य में पेयजल की समस्या एक प्रमुख चुनौती बनने जा रही है। हमारे पास विश्व का मात्र 4 प्रतिशत जल है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहे हैं।

महोदय, मेरी अंतिम बात ऊर्जा से संबंधित है। सरकार ने दावा किया है कि उसने समेकित ऊर्जा नीति तैयार की है। लेकिन केवल नीति बनाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें ऊर्जा सुरक्षा तथा ऊर्जा उपलब्धता जोकि यहां नहीं है के लिए ठोस कार्रवाई करके इस योजना को लागू करना चाहिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : महोदय, मैं अपना भाषण सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां भाषण सभा पटल पर रखने के लिए आपका स्वागत है।

[हिन्दी]

***श्री किशन सिंह सांगवान** (सोनीपत) : महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 12.02.09 को संसद में जो अपना अभिभाषण दिया है वह मौजूदा यू पी ए सरकार की नीतियों और उपलब्धियों का एक विवरण है। इसमें सरकार के कार्यों को बहुत बढ़ा–चढ़ा कर पेश किया है। वास्तव में धरातल पर सच्चाई इसके विपरीत है।

यह सरकार पिछले 5 वर्षों में जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है और न ही इसने जनता से किये वायदों को पूरा किया है। इस अभिभाषण से ऐसा लगता है कि भारत निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और आम आदमी का सपना भी पूरा हो चुका है।

लेकिन इस अभिभाषण में यह सही लिखा है कि जनता सरकार का मूल्यांकन कथनी से नहीं बल्कि उनके कृत्यों से करती है। आंकड़ों से नहीं बल्कि वास्तविकता से करती है। लोकतंत्र में सरकार का मूल्यांकन एक सरल सिद्धांत पर होता है कि 'आम आदमी को क्या मिला है' लेकिन अध्यक्ष महोदय देश का हर वर्ग सरकार की कारगुजारियों से दुःखी हो चुका है। जनता यूपीए की सरकार बनाकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है।

जहां तक किसान और कृषि क्षेत्र का संबंध है, इसमें किसानों की आर्थिक हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। किसानों द्वारा आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, किसान लगातार कर्जे में डूब रहा है, न उसको बिजली मिलती है, न पानी मिलता है और न लाभकारी मूल्य मिलते हैं और न ही समय पर अच्छा खाद व बीज मिलता है। सरकार की लगभग 65,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी की घोषणा से आम किसान जो व्यावहारिक आदमी है, उसको कोई लाभ नहीं हुआ है। इस कर्ज माफी से या तो बैंकों की डूबी हुई रकम वसूल हुई है या हैबिचुअल डिफाल्टरस को लाभ हुआ है। सरकार ने गेहूं का मूल्य केवल 80 रु. प्रति क्विंटल बढ़ाकर किसानों का अपमान किया है जबकि किसान खेती के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करता है उन सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार विदेशों से 1500 रु. प्रति क्विंटल घटिया गेहूं खरीद रही है जिसको पशु भी नहीं खाते। लेकिन अपने किसान को पूरी कीमत नहीं दे रहे हैं। इस सरकार ने पूरे 5 वर्षों में किसानों के लिए कोई कृषि नीति नहीं बनाई केवल किसान को कर्ज उतारने के लिए और अधिक कर्जा देकर झूठी वाहवाही लूटी जा रही है। सरकार ने पूरे 5 वर्षों में यह स्पष्ट नहीं किया कि कृषि क्षेत्र के बजट में कितने प्रतिशत रुपया आबंटित किया है। और न ही कृषि में विकास दर कितनी बढ़ी है इसका उल्लेख किया है। केवल 4 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य हासिल करने के लिए कहा गया है। जो यह सरकार पूरा नहीं कर पाई है।

महोदय, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं जिसमें खाती लोहार, कुम्हार, झींमर, नाई, तेली, धोबी इत्यादि वर्ग आते हैं, इनके लिए पिछले 5 वर्ष में कोई नई योजना नहीं बनाई। न कोई उनके कर्ज माफी की घोषणा हुई और न ही उनके कर्ज ब्याज में कोई छूट हुई। और न ही उनके आर्थिक विकास के लिए इस सरकार ने कोई स्कीम बनाई है। यह एक ऐसा वर्ग है जो सदियों से पिसता आ रहा है और जो ग्रामीण कारीगर के नाम से जाना जाता है। इन सभी के कारोबार ठप्प हो चुके हैं और बड़ी–बड़ी कंपनियों ने इनका सारा कारोबार चौपट कर दिया है। यह समाज इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज उजड़ गया है। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से इस सरकार ने इस पिछड़े वर्ग समाज की घोर उपेक्षा की है।

इस सरकार की गलत नीतियों से आज जनता चूल्हा गैस (एल पी जी) की वजह से तंग आ चुकी है। बड़ी लम्बी–लम्बी लाइन गैस सिलैंडर हासिल करने के लिए लगती है। एक–एक महीना इंतजार करना पड़ता है और आम आदमी को ब्लैक में गैस लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस विषय पर बार–बार सरकार को आगाह किया है लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में गैस घर–घर आम जनता के दरवाजे पर बिकती थी, कोई ब्लैक नहीं था और न कोई लाईन लगती थी। इससे स्पष्ट है कि यह सरकार ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार को खुलकर बढ़ावा दे रही है। जिसका जनता आने वाले समय में जवाब देगी।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में 147 डालर प्रति बैरल से घटकर 37/38 डालर प्रति बैरल हो गया है। लेकिन इस सरकार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री किशन सिंह सांगवान]

ने मात्र 5 रु. प्रति लि. पैट्रोल और 2 रु. प्रति लि. डीजल की कीमत घटाकर किसानों के घावों पर नमकक छिड़का है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रतिशत में कच्चे तेल के दाम घटे हैं उसी प्रतिशत में डीजल पैट्रोल के दाम भी घटाए जाएं। इस सरकार ने माननीय अटल जी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व चतुर्भुज योजना के काम को कोई प्राथमिकता नहीं दी है। इसलिए काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है इसका उदाहरण नेशनल हाईवे नं. 1 पर दिल्ली में करनाल बाईपास से लेकर सोनीपत तक पिछले 3–4 वर्षों से काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। और जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है और घन्टों तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी तक वहां न तो पुल बने हैं और न ही साईफन बने हैं।

जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है आज गांवों में अस्पतालों की दुर्दशा यह है कि वहां न तो डाक्टर है और न ही दवाईयां हैं।

शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ है। गांवों में स्कूलों में न कमरे हैं और न ही अध्यापक पूरे हैं। हरियाणा में तो स्थिति ऐसी है कि 23000 अध्यापकों को गैस्ट टीचर के तौर पर लगाया गया है। जिनसे दिहाड़ीदार मजदूर की तरह बर्ताव किया जा रहा है जिनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है। यह अध्यापकों का सीधे तौर पर अपमान है।

यह अतिथि अध्यापक पिछले दो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, जेलों में जा चुके हैं लेकिन हरियाणा सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यही स्थिति आंगनबाड़ी वर्कर और हैल्पर की है जिनसे पूरा एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर सरकारी काम लिया जा रहा है, लेकिन न तो इनको नियमित किया जा रहा है और न ही पूरा वेतन दिया जा रहा है।

जहां तक पूर्व सैनिकों का संबंध है कई वर्षों से लगातार वन पैंशन वन रैंक के विषय पर वह भी संघर्ष कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने भी अनेक बार संसद में यह विषय उठाया है लेकिन लोक सभा में राज्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वन पैंशन वन रैंक की बात को हमने स्वीकार कर लिया है और इसको लागू कर दिया है। लेकिन यह झूठा बयान दिया गया है क्योंकि उच्च सैनिक अधिकारियों पर तो यह लागू कर दिया गया है लेकिन जे.सी.ओ. रैंक के लाखों पूर्व सैनिकों पर अभी तक यह लागू नहीं किया गया है। इसलिए पूर्व सैनिक 16 दिसम्बर से लगातार संसद के सामने अपनी इस मांग को लेकर और छठे वेतन आयोग में पैंशन विसंगतियों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है कि जिन सैनिकों ने देश की सेवा के लिए वीरता पुरस्कार हासिल किए, जिन्हें वह अपनी छाती से लगाकर रखते हैं, उन मैडलों को करीब 300 पूर्वसैनिकों ने 9 फरवरी, 2009 को प्रदर्शन करके राष्ट्रपति महोदया को वापिस लौटा दिए, इन परिवारों में मरणोपरांत शौर्य चक्र प्राप्त परिवारों को ने भी मैडल लौटाए हैं। इसी प्रकार संसद पर हमले में शहीद होने वाले परिवारों ने भी अपने पदक लौटाए हैं।

महोदय आज स्थिति ऐसी गम्भीर हो गई है कि डाक विभाग में आम आदमी की सेवा करने वाले कर्मचारी जो लगभग 3 लाख की संख्या में हैं, जिन्हें ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है वह भी आज संसद के सामने धरने पर बैठे हैं और संघर्ष पर उतारू है। जो गांवों की जनता के लिए डाकघर बचत बैंक, डाकघर पत्रों, लघु बचत योजना वृद्धावस्था पैंशन का भुगतान करना रोजगार गारंटी के काम में मदद करना इत्यादि सेवाओं पर लगे हुए हैं उनके साथ भी बहुत अत्याचार हो रहा है। न उनका कोई वेतनमान है, न अवकाश, न रिटायरमेंट के लाभ आदि मिल रहे हैं। छटे वेतन आयोग में भी इनकी सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है। किसी रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर इतने बड़े वर्ग के साथ अन्याय किया है। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिया जाए और किसी रिटायर्ड उच्च न्यायालय के जज की अध्यक्षता में इनकी सभी समस्याओं का हल किया जाए।

महोदय, इसी प्रकार रक्षा विभाग के हजारों कर्मचारी जो यूनिट रन सैंटर (यू. आर. सी.) चला रहे हैं जो लगभग पूर्व सैनिक हैं या उनकी विधवाएं व बच्चे हैं वह भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और संसद के सामने धरना दे रहे हैं। छठे वेतन आयोग में उनके साथ भी अन्याय हो रहा है और उन्हें अपनी पुरानी बेसिक पे पिछले 8 वर्षों से लेने पर मजबूर किया जा रहा है। जबकि सी. एम. डी. (1) कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के मुताबिक रिवाईज्ड पे स्केल दिया गया है। जबकि यू. आर. सी. और. सी. एम. डी. (1) कर्मचारियों की ड्यूटियां एक हैं। सभी रक्षा मंत्रालय से संबंधित हैं उनके कार्यालय, उनकी मैंटिनैंस, रूल रेगूलेशन दोनों पर लागू होते हैं। लेकिन यू.आर.सी. कर्मचारियों को उपेक्षित रखा गया है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि रक्षा मंत्रालय इन कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान दें और उन्हें भी छठे वेतन आयोग का लाभ मिले।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री हरिसिंह जावड़ा (बनासकांठा) : माननीय भारत के राष्ट्रपति जी ने सैंट्रल हाल में दोनों सदनों को जो भाषण दिया है उसका मैं धन्यवाद व समर्थन करता हूं।

यह भी सच है कि यह एक प्रथा है कि जो सरकार सत्ता में होती है उससे लगते संपूर्ण भाषण को समर्थन देना पड़ता है और हम आभार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

भाषण में लिए गए प्रस्ताव को संशोधन करना चाहें तो उस पर मतदान कराना पड़ता है।

अपने प्रथा के अनुसार शासन में जो सरकार होती है उसके द्वारा प्रस्तावित भाषण को माननीय राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। इससे सत्ताधारी सरकार का उस भाषण में पक्ष का आभास होता है। यहां यू.पी.ए. सरकार की विचारधारा का आभास होता है। यू.पी.ए. के समर्थक दलों एवं विरोध पक्ष के दलों की तुलना भी इससे हो सकती है। एक तरफ बिना साम्प्रदायिक विचार वाले लोग हैं, दूसरी तरफ जात–पात, धर्म हुजुर और मजदूर के भेद वाले लोग हैं। एक तरफ जनता कैसे सुखी हो, गरीब की गरीबी कैसे दूर हो, जात–पात, धर्म के भेदभाव से लोग दूर रहे और इस समस्या को कैसे दूर करें इस सोच और वि ारधारा के लोग हैं, तो दूसरी तरफ धर्म और जात–पात के नाम पर सत्ता म कैसे आए ऐसे सोच वाले लोग हैं।

राम मंदिर, प्रांतवाद के नाम पर मनमुटाव कराने वाले लोग भी सत्ता में आने पर आतुर हैं। एक तरफ आजादी के बाद देश को जोड़ना ताकि देश शक्तिशाली बने, किसी भी प्रकार का भेदभाव मिटाने वाले लोग हैं तो दूसरी तरफ देश में तनाव बढ़े व एकता तोड़ने वाले लोग सक्रिय हैं।

इस स्थिति को देश के समझदार लोग समझते हैं, परन्तु वह लोग बहुत कम व निष्क्रिय हैं। इस देश में गरीब जनता और किसान लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। गरीबी के कारण वह लोग विकसित नहीं हैं, लाचार हैं। भूख से मरते लोग कई बार अपनी जमीन–जायदाद बेच देते हैं, कई लोग बच्चे बेच देते हैं, अपनी नैतिकता बेचते हैं। समय आने पर अपने अधिकार का 'वोट' बेच देते हैं। इसका फायदा धनाढ्य और राजनैतिक लोग उठाने की कोशिश करते हैं। उसे सुधारने का प्रयास हो रहा है पर कुछ लोग उसमें भी बाधक हैं।

स्वर्गीय महात्मा गांधी, सरदार पटेल, हमारे दूसरे नेताओं, नौजवानों ने इस देश को आजादी दिलाने में, अपने मातृभूमि को आजाद कराने में अपनी छाती पर गोलियां खाई हैं और बहुत सारी कठिन यातनाएं सही हैं, तब जाकर आजादी इस देश को प्राप्त हुई है। कई लोगों के बलिदानों के बाद आजादी प्राप्त हुई है। देश में सब सुखी रहे, देश गुलाम न रहे और देश तरक्की करें इसके लिए लोग हंसते–हंसते फांसी चढ़ गये तब आजादी का सुख आज की पीढ़ी को मिला है।

अभी 26 जनवरी का दिन मनाया गया। हम इस दिन को "प्रजासत्ताक" के नाम से भी याद करते हैं। इस दिन हमारे देश का "संविधान" बनाया गया था। यह देश का ऐतिहासिक दिन था और इस दिन की याद के लिए यह दिन मनाया जाता है। परंतु कहीं भी आज प्रजा की सत्ता नजर आती है? प्रजा के प्रतिनिधि चुनाव जीतकर आते हैं और राज्य चलाते हैं और यह चुनाव धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लोभ लालच के नाम पर होते हैं। झूठे वचन देते हैं, बोगस मतदान कराकर चुनाव जीत कर आते हैं और गरीब जनता को गुमराह करते हैं। क्या इस को आजादी–सच्ची लोकशाही कह सकते हैं क्या?

देश में भ्रष्टाचार करने वाले लोग, देश का अहित करने वाले लोग, गरीब जनता का हित नहीं पर अपना हित करने वाले लोग चुनाव में जीतकर आते हैं। ऐसे लोग देश का क्या गौरव बढ़ायेंगे? पार्लियामेंट में करन्सी नोटों को उछालकर दुनिया के सामने अपने देश का गौरव कैसे बढ़ेगा?

मैं इसको आजादी नहीं मानता। यह तो कुछ लोगों को पार्लियामेंट, विधान सभा, पंचायत में भेजने की व्यवस्था है।

जहां तक इस देश में एक भी झुग्गी झोंपड़ी हो, एक भी गरीब व्यक्ति हो, मजदूरी करने के बाद भी परिवार भूखा रहे, अपने बच्चों को भोजन की व्यवस्था न करा सके। बच्चों को शिक्षा न दे सके, विकास न कर सके, तब तक इस देश की आजादी का कोई अर्थ नहीं। जब तक ऐसे लोग इस देश में हैं तब तक सच्ची आजादी नहीं है।

26, जनवरी को मैं चर्खा चला कर सूत बना रहा था, तब मन में विचार आया कि अपना राष्ट्रध्वज देश के सबसे बड़े पद वाले व्यक्ति से फहराने का कार्य किया जाता है, और बड़े ठाठबाट से किया जाता है, ओर इस तरह का दिखावा करके हर जगह ध्वज वंदन किया जाता है। सच तो यह है कि देश की जनता इस देश की मालिक है, उस दिन चुनाव जीतकर आये लोग नहीं परन्तु किसी अनजान गरीब व्यक्ति जो झुग्गी झोंपड़ी में रहता है। ऐसे व्यक्ति से हम ध्वजवंदन कराएं तो आजादी के इतने सालों बाद देश की क्या स्थिति है उसका ख्याल आएगा। जहां तक इस देश में ऐसी स्थिति होगी, देश की आय का संपत्ति का पूरा उपयोग ऐसे लोगों के लिए करे यही सच्ची सरकार होगी, और तब ही असली आजादी का अर्थ है। करनी दूसरी हो और बोलना दूसरा हो तो इसका कोई अर्थ नहीं।

भगवान सबको सन्मति दें, गरीब आदमी, गरीब किसान इत्यादि लोगों के कल्याण के लिए काम करने की शक्ति प्रदान करे, और सच्ची भावना से प्रेरित होकर देश के कल्याण के लिए कार्य कर, भारत का गौरव ऊंचा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए माननीय राष्ट्रपति जी के आभार प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची) : मैं वर्ल्ड तमिल्स नेता श्री वाइको की ओर से 12 फरवरी 2009 को समवेत हुए संसद के दोनों सदनों

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. सी. कृष्णन]

को संबोधित करते हुए भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के प्रति धन्यवाद संकल्प पर बोल रहा हूं।

वर्तमान परिस्थितियों में तमिलनाडु के लोग तथा पूरे विश्व में रह रहे तमिल श्रीलंका में भारी संख्या में मारे जा रहे तमिलों तथा उनकी पीड़ाओं के बारे में चिंतित हैं।

श्रीलंका सरकार वहां लगभग गत तीस वर्षों से रह रहे तमिलों को अंधाधुंध मार रही है। भारत सरकार भारतीय मूल के तमिलों का संरक्षण करने के बजाय सिंघली सरकार की हथियार एवं गोलाबारूद देकर सहायता कर रही है तथा श्रीलंका की सेना भी सहायता के लिए युद्ध मोर्चे पर आसूचना कार्मिक भी उपलब्ध करा रही है।

हमारी भारत सरकार ने सिंघली सरकार को लगभग 2000 करोड़ रुपये का आसान ऋण दिया है जिससे वह तमिल लोगों को मारने के लिए पाकिस्तान, चीन तथा भारत से हथियार खरीद रही है।

रेडक्रॉस के लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं उन्हें वहां से चले जाने को कहा गया है। घायल लोगों को भी अस्पताल की सुविधा से वंचित रखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस जो कि वहां की वास्तविक घटनाओं की जानकारी दे रही थी उसे भी वहां से चले जाने को कहा गया है। वहां रह रहे लोगों के पास न कुछ खाने के लिए है और न ही रहने के लिए कोई व्यवस्था है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में श्रीलंका में हो रहे युद्ध के बारे में उल्लेख है। सरकार को आगे आकर युद्ध तथा निर्दोष तमिलों को मारे जाने से रोकना चाहिए।

श्री वाइको की अध्यक्षता वाली मेरी पार्टी ए. डी. एम. के. का यह विचार है कि श्रीलंका में तुरंत युद्ध को रोका जाना चाहिए तथा निर्दोष तमिलों को मारे जाने से रोका जाना चाहिए। एक शांतिपूर्ण राजनीतिक समझौता करवाया जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, ब्रिटेन, अमेरिका, नार्वे ने श्रीलंका में तमिलों के नरसंहार की निंदा की है।

संप्रग सरकार को श्रीलंका में युद्ध रोकने तथा श्रीलंका में तमिलों के जीवन एवं अधिकारों की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। अत्यधिक तमिल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में तमिलों के अधिकारों को तमिल लोगों के प्रशासन के अंतर्गत लाया जाए।

यह स्पष्टता तमिलों का नरसंहार है। मुलेईथीवू में अस्पतालों तथा विद्यालयों पर अंधाधुंध गोलीबारी तथा विमानों से बम गिराए जाने के कारण लाखों तमिल लोगों को भोजन एवं औषधियां नहीं मिल रही है। तमिल नागरिकों पर विनाशक क्लस्टर बमों का उपयोग किया जा रहा है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केवल

1. सभी पार्टियों की बैठक

2. विधान मंडल दल के नेताओं की बैठक बुलाई है

3. तमिलनाडु विधानसभा के तीन बार संकल्प पारित किया है।

लेकिन इनके कोई सार्थक परिणाम नही निकले हैं। और यह केवल दिखावा था।

तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके जो कि केन्द्र से संप्रग सरकार का एक महत्वपूर्ण घटक है, ने श्रीलंका में तमिलों के नरसंहार को रोकने के लिए सप्रग सरकार पर बदलाव डालने का कोई प्रयास नहीं किया।

भारत सरकार एक निष्क्रिय एवं मूक दर्शक बनी रही लेकिन दूसरी ओर वस्तुतः श्री लंका सेना को हथियारों की आपूर्ति करती रही है तथा हमारे देश के कई भागों में उसे प्रशिक्षण भी दे रही है।

प्राथमिक उपचार तथा अस्पताल सुविधाएं प्रदान करने के लिए वहां रेडक्रास के लोगों को लाया जाना चाहिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस को भी वहां लाया जाना चाहिए ताकि वहां मारे जा रहे तमिलों की स्थिति को भी सामने लाया जा सके।

यह बहुत ही दुःखद बात है कि जिन क्षेत्रों में तमिल लोग रह रहे हैं उनकी हमारे भारत सरकार द्वारा दिए गए राडारों की सहायता से निगरानी की जा रही है।

भारत सरकार ने वलाई विमानपत्तन का पुनरोद्धार करने में उनकी सहायता की तथा वहां रह रहे भारतीय तमिलों पर बम गिराने में उनकी मदद की।

महोदय, पूरे विश्व के तमिलों की ओर से हमारी यह भावना अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि श्रीलंका में युद्ध समाप्त होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में तमिल लोग बहुतायत में रहते हैं वहां पर उनके रहने एवं शासन करने की आकांक्षा को पूरे करने हेतु राजनीतिक समाधान किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

* **श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर) : महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संयुक्त सदन को संबोधित किये गये अभिभाषण पर सरकार द्वारा लाये गये धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस अभिभाषण का सरकार की नीतियों को उजागर करने में कम उपयोग किया गया है और मैं इसे केवल चुनावी भाषण मानता हूं। सरकार अब

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अंतिम वर्ष के अंतिम समय में है और सरकार के पूरे पांच साल के कार्यकाल को देखा जाए तो निराशा हाथ लगती है। आम आदमी का नाम लेकर उसे दिलासा देने का वायदा करने वाली इस सरकार के कार्यकाल में आम आदमी कमरतोड़ महंगाई, क्रय शक्ति की कमी, बेरोजगारी, आतंक का माहौल देखकर खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है।

आम आदमी के लिए घोषित परियोजनाओं की स्थिति ठीक नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में रोजगार दिलाने का वायदा है, लेकिन इसका क्रियान्वयन देखें तो रोजगार के अवसर कैसे सुलभ करायें, यह चिंता का विषय है? एक परिवार को केवल 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है तो फिर वह परिवार बाकी दिनों में क्य, बेरोजगार रहेगा और भुखमरी झेलेगा, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है? देश में इंदिरा आवास के अंतर्गत मकान उपलब्ध कराने पर सरकार द्वारा अपनी पीठ थपथपाई गई है, लेकिन इन आवासों के निर्माण में विलंब और प्रत्यक्ष निर्माण में लाभानुभोगियों को हो रही तकलीफ को देखते हुए, इसमें सुधार लाने में सरकार असफल साबित हो रही है। बिजली की कमी सारे देश में एक विभीषिका बनी हुई है। हम बिजली मुहैया कराने में असफल हो रहे हैं और आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के माध्यम से उपलब्ध कराई गई राशि बहुत कम है। अणु करार के बाद देश में बिजली संकट खत्म होने का जो आभास निर्माण किया गया इसको जनता देख रही है। आश्वासनों पर टिकी यह सरकार जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। सरकार द्वारा घुमन्तु जाति के कल्याण तथा उनके विकास के लिए बालकृष्ण रेणके आयोग का गठन किया गया, लेकिन सरकार के पास इसकी रिपोर्ट जमा करने के बाद भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। घुमन्तु जातियों की स्थिति बड़ी खराब है। उन्हें पहचान दिलाने, उनके शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने यह मौका गंवाया है और मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं।

इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते मामलों को तथा सुदूर के दक्षिण तथा मध्य भारत के वाद पक्षों की सहूलियत के लिए नागपुर में इसकी खंडपीठ की स्थापना करने की मांग को मैं लगातार दोहराता आया हूं। इसकी वास्तविक स्थापना के कारण दक्षिण तथा मध्य भारत के लोगों को भारी फायदा पहुंच सकता है। सरकार इसके लिए एक संविधान संशोधन बिल लेकर आये। सरकार ने वनाधिकार मान्यता कानून 2006 बनाया, लेकिन इसमें तीन पीढ़ियों के निवास को साबित करने की कठिन शर्त डाली। इससे लाभानुभोगियों को इसका लाभ देने में अड़चन आ रही है। अशिक्षित तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को हो रही तकलीफ को देखते हुए सरकार से छूट देने की अपेक्षा थी, लेकिन सरकार द्वारा इसकी उपेक्षा की जा रही है। वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने जंगल कायम रखा। जल, जंगल, जमीन पर अपना पारंपरिक अधिकार मानने वाले इन लोगों ने जंगलों को कायम रखा, लेकिन वन संवर्धन कानून 1980 तथा संशोधन 1982 के कारण यहां पर विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं। विकास के कामों के लिए केंद्र सरकार के पास निवल वर्तमान मूल्य जमा करना पड़ता है जो विकास परियोजनाओं का तीन चार गुणा होता है। इससे राज्य सरकारें भी यहां पर विकास कार्यों में उपेक्षा और अरुचि दिखाती हैं। इसलिए जहां पर 33 प्रतिशत मानकों से अधिक वन क्षेत्र हैं, वहां के विकास कार्यों के लिए निवल वर्तमान मूल्य में रियायत दें अथवा इसे वन संवर्द्धन कानून से मुक्त रखा जाए। रेलवे विकास की वाहिनी है, इसको देखकर केंद्र सरकार वन–बहुल तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ रेलवे पटरी बिछाने का विशेष कार्यक्रम बनाकर उसे वित्तीय सहायता के साथ युद्धस्तर पर लागू करे। वन क्षेत्रों में पिछड़ेपन के कारण कुपोषण, भुखमरी दिखाई देती है। इन लोगों को इससे उबरने के लिए सरकार को वहां के किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा प्राथमिकता से करनी होगी। वहां के किसानों को केन्द्रीय वन कानून के कारण हो रही कठिनाईयों को देखते हुए सरकार इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेकर, वहां केन्द्र प्रायोजित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भारी धन उपलब्ध कराये। इसी तरह वन क्षेत्रों में आज स्वास्थ्य सुविधा की कमी को देखते हुए वहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार वहां मैडिकल कॉलेज खोले। वहां के स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर व नर्सें उपलब्ध नहीं है। अगर मैडिकल कॉलेज खोले गये तो डॉक्टर तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

महोदय, मैंने कुछ बातें रखी हैं। यह सरकार आम आदमी के हितों के विरुद्ध है, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री नवीन जिन्दल (कुरूक्षेत्र)** : मैं अपने साथी श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति ने हमारे सामने एक विशाल दृश्यपटल प्रस्तुत किया है जिसमें अगणित क्षेत्रों में संप्रग सरकार की उपलब्धियों का चित्रण किया गया है। मुझे विश्वास है कि इन उपलब्धियों और सरकार द्वारा किए गए कार्यों से हर भारतीय गर्व का अनुभव करेगा।

महोदय, इस पर सभी लोगों में सहमति है कि वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा मुख्य चिंता का विषय है। मुम्बई में 26/11 के आतंकी हमले के पश्चात् इस चिंता में कई गुणा वृद्धि हुई है जिसकी ओर महामहिम

[श्री नवीन जिन्दल]

राष्ट्रपति ने स्पष्ट उल्लेख किया है। इस त्रासदी से यहां के लोग आतंकवाद के विरुद्ध अभूतपूर्व रुप से लामबंद हो गए हैं। इससे तथा इसके साथ ही हमें प्राप्त हुए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से सरकार के हाथ मजबूत हुए हैं। सरकार ने एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया है तथा संसद ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में संशोधन किया है ताकि आतंकवादी गतिविधियों से कारगर ढंग से निपटा जा सके। एन. एस. जी. पहले एक स्थान पर केंद्रित था, अब इसके कुछ क्षेत्रीय केंद्र भी होंगे। यह काफी स्वागत योग्य कदम है।

एफ.बी.आई. तथा न्यूयार्क पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीनेट कमिटि आन होमलैंड सेक्युरिटी एंड गवर्नमेंटल अफेयर्स के समक्ष जो साक्ष्य दिया था मैं समझता हूं इसका उल्लेख करना यहां पर असंगत नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुंबई में आतंकी हमले के प्रति भारत का प्रत्युत्तर सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय की कमी तथा स्थानीय पुलिस के अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं अत्याधुनिक हथियारों की कमी की वजह से कमजोर था। उनकी राय में आतंकवादी काफी लोगों को इस कारण हताहत कर सके क्योंकि अधिकांशतया स्थानीय पुलिस ने समय रहते उनसे मुकाबला नहीं किया। उनके हथियार तथा प्रशिक्षण इस प्रकार के संघर्ष के लिए उपयुक्त नहीं थे।

यह इस तथ्य को उजागर करता है कि स्थानीय पुलिसकर्मी अथवा सुरक्षाकर्मी सबसे पहले आतंकवादियों का सामना करते हैं। ये भारी मात्रा में हथियारों से लैस आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए अभी भी सुसज्जित नहीं है। मैं इस अवसर का उपयोग यह सुझाव देने के लिए करना चाहूंगा कि किसी रणनीतिक स्थान पर राष्ट्रीय रणनीतिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए ताकि देश के प्रत्येक पुलिस बल के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। यह एक स्वायत्त केंद्र स्थल होना चाहिए जो कि मानव व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन तथा रणनीतिक हार्डवेयर के संपूर्ण रेंज के मूल्यांकन के लिए पूर्णतया सुसज्जित हो। एन.टी.टी.सी. को स्थानीय वैकल्पिक समाधान देने के लिए कम लागत लेकिन उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण सामग्री तथा आधार भूत ढांचे का डिजायन बनाने में समर्थ होना चाहिए।

विधि प्रवर्तन आवश्यकताओं के संपूर्ण दायरे को कवर करने के लिए प्रस्तावित एन.टी.टी.सी. के पास विशेषकृत विभाग होने चाहिए। इसे प्रत्येक क्षेत्र में प्रोफेशनल सलाहकार सेवाएं देनी चाहिए। इसके अनुदेशकों को फील्ड आपरेटरों के लिए विशेष रुप से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्माण हेतु उनकी विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं को समझने के लिए उनके पास जाने, ठहरने तथा कार्य करने के लिए तैयार होना चाहिए। अनुदेशकों का प्रोफेशनल दल हमेशा संगठन के साथ रहेगा तथा अपने–अपने विशेषीकरण के क्षेत्रों में उत्तरोत्तर सुधार के लिए कार्य करता रहेगा। इसमें अद्यतन तथा सर्वोत्तम साधन से अवगत रहने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ तथा विश्व के अन्य देशों की प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ व्यापक विनिमय कार्यक्रम होना चाहिए। इस प्रकार की संस्था अन्य सभी पुलिस बलों के प्रशिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षित करेगी जो पुनः इस निपुणता को प्रसार करेंगे तथा इसे प्रत्येक कार्मिक तक पहुंचाएंगे। निवेश एक स्थान पर किया जाता है तथा निपुणता केंद्रीय रुप से अर्जित की जाती है जिसे तदन्तर सभी संबंधित व्यक्तियों के साथ बांटा जा सकता है। मेरे विचार से यह एक प्रोफेशनल तथा स्थायी समाधान होगा और इससे उत्कृष्टता तथा पूर्णता प्राप्त हो सकेगी।

मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा। अपनी आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के अवैध आप्रवासियों के प्रवेश को रोका जाना आवश्यक है। अभी भी उनकी पहचान किए जाने का कोई तरीका नहीं है यद्यपि यह एक सुविदित तथ्य है कि यहां काफी संख्या में ऐसे लोग रे रहे हैं। वर्ष 2002 में सभी वास्तविक नागरिकों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रयास आरंभ किया गया था। मैं समझता हूं कि अभी तक मात्र लगभग 12 लाख कार्ड जारी किए गए हैं। मेरा अनुरोध है कि आंतरिक सुरक्षा के समग्र हित में इन कार्डों को जारी किए जाने की प्रक्रिया तेज की जानी चाहिए।

महोदय, दुनिया को विगत कुछ महीनों के दौरान काफी गंभीर तथा काफी नुकसान पहुंचाने वाली आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा है। मुझे खुशी है तथा गर्व है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस मंदी का सामना काफी लचीलेपन के साथ किया है तथा यह कम से कम 7 प्रतिशत की विकास दर हासिल करेगी। इसका कारण क्या है? ऐसा यूपीए सरकार द्वारा अपनायी गई नीतियों के कारण हुआ है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत तत्व काफी मजबूत हो गए हैं।

श्रीमती सोनियां गांधी ने 27 जनवरी, 2009 को रायबरेली में अपने भाषण में उपयुक्त ही कहा था कि जब दुनिया मंदी की मार झेल रही है तो भारत पर इसका प्रभाव पड़ना निश्चित है। तथापि, यूपीए सरकार काफी सजग रही है जिसके परिणामस्वरूप छोटे उद्योगों, कृषि, ग्रामीण विकास तथा आधारभूत ढांचा क्षेत्रों को बैंक ऋणों में कोई कमी नहीं आई है।

यह भी तथ्य है कि सरकार के निरंतर प्रयास के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति की दर 12% से घटकर अब 5% पर आ गई है। एक औसत भारतीय की आय बढ़कर 100 रुपए प्रतिदिन हो गई है। अब भारतीय लोगों के पास सस्ती दरों पर खरीदने के लिए अधिक पैसे हैं। विगत कुछ महीनों मे कच्चे तेल के मूल्यों में दो बार कमी की गई है। इस स्वस्थ घटनाक्रम के परिणामस्वरूप घरेलू मांग बढ़ेगी और वैश्विक मंदी के बीच आर्थिक विकास कायम रहेगी। यू.पी.ए. सरकार आर्थिक नीतियों के लिए सभा द्वारा तथा लोगों द्वारा बधाई प्राप्त करने के योग्य हैं।

महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन के लिए 2,36,000 करोड़ रुपए निवेश करने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। यह काफी स्वागतयोग्य है। तथापि, मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग–1 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सभा इससे सहमत होगी कि यह एक ऐतिहासिक तथा प्रतिष्ठित राजमार्ग है तथा इसका रख–रखाव इस प्रकार किया जाना चाहिए। जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप हो ताकि यह अन्य सड़कों के लिए आदर्श के रूप में कार्य कर सके।

मैं इस राजमार्ग का बार–बार प्रयोग करता हूं इसलिए मैं माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्री के सामान्य तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग–1 और विशेष रुप से इसके दिल्ली के मुकरबा चौक से सिंघू बोर्डर तक के खण्ड (16.500 से 29.300 किमी.) पर निर्माण कार्य जिसमें ऊपरिपुल अनुरक्षण एवं रख रखाव सम्मिलित हैं, की धीमी प्रगति के बारे में सूचित करना चाहता हूं। इस खंड पर चल रही सभी परियोजनाओं के पूरा होने की निर्धारित तारीख 31 मार्च 2009 दिखाई गई थी जो संयोगवश विस्तारित तारीख भी है। मैं समझता हूं कि इन कार्यों के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है जैसा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संकेत दिया जा रहा है।

महोदय, यदि आप राष्ट्रीय राजमार्ग–1 के इस खंड पर राजघाट से यात्रा शुरू करें तो एक खराब तस्वीर दिखाई देगी। आपको सड़क के दोनों तरफ गन्दा पानी के गडढे दिखाई देंगे जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है तथा इस पर अविलम्ब ध्यान देने की आवश्यकता है। यह अनगिनत बीमारियां फैलाने वाले मच्छरों एवं कीड़ों के पनपने की जगह बन गई है। छोटे दुकानदार एवं फेरीवालों ने काफी अतिक्रमण कर रखा है तथा समाचार पत्र एवं खाद्य सामग्री बेचने के लिए छोटी दुकानों का निर्माण कर लिया है। प्रस्तावित ऊपरिपुल के दोनों तरफ सैंकड़ों ट्रक अनाधिकृत रूप से खड़े रहते हैं। इन ट्रकों का अटैंडेंट स्टाफ सड़क का प्रयोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए करता हैं और इस क्षेत्र में अस्वच्छता फैलाते हैं। स्थानीय निवासी भी सड़क के किनारे कूड़ा एवं आवंछित सामग्री फेंक देते हैं। मुकरबा चौक पर बेतरतीब तरीके से कूड़े का ढेर लगा दिया जाता है। यह देखने में भद्दा लगता है एवं इससे दुर्गन्ध फैलती है। इसके बगल वाली सड़क के साथ–साथ एक नाला बहता है जो अनेक जगहों पर खुला है तथा स्थानीय यात्रियों के लिए असुरक्षित है।

मुझे सूचित किया गया है कि निर्माण कार्य तब तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक एनडीपीएल के खंभे जो राजघाट एवं मुकरबा चौक के बीच में है, अविलम्ब हटा नहीं दिए जाते हैं।

राष्ट्रमंडल खेलों का समय नजदीक आता जा रहा है और यह सड़क उत्तर के 5–6 राज्यों के लिए प्रवेशद्वार है तथा विदेशी आगन्तुकों सहित कई मिलियन दैनिक यात्री इसका प्रयोग करेंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने हेतु अविलम्ब कदम उठाए कि इस खंड पर चल रहा निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य युद्ध स्तर पर चले एवं निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा हो।

भारत में आयोजित होने वाले अगले राष्ट्रमंडल खेलों का समय तेजी से नजदीक आता जा रहा है लेकिन एक उत्साही खिलाड़ी के रुप में मैंने अपने को उस समय अत्यंत परेशान महसूस किया जब मैंने समाचारपत्रों में खेलों की तैयारी की धीमी प्रगति के बारे में पढ़ा। मैं समझता हूं लागत भी बढ़ रही है। हमें जो भी सूचना मिलती है केवल समाचार पत्रों से मिलती है। जनवरी, 2009 के अंतिम सप्ताह में हुई एक बैठक में सरकार ने खेलों से संबंधित विभिन्न योजनाओं की मंजूरी में असाधारण विलम्ब के लिए राष्ट्रसंघ खेल आयोजक समिति की खिंचाई की थी जैसा कि 30 जनवरी, 2009 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ था यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समिति के कुछ सदस्य यह सोचकर आत्मसंतोष महसूस करते हैं कि अभी 18 महीने शेष हैं। क्या हम इन 18 महीनों की समाप्ति तक प्रतीक्षा करते रहेंगे?

नहीं हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। सारा कार्य खेल शुरू होने के कम से कम छह माह पहले पूरा हो जाना चाहिए।

इसलिए, मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा यदि सरकार तैयारी की वर्तमान स्थिति से सभा को सूचित करे और साथ ही यह भी बताएं कि किसी प्रकार की वित्तीय कठिनाई के कारण कार्य की रफ्तार धीमी है।

मैं ग्रामीण विकास मंत्री की उनके मंत्रालय द्वारा अपनी तरह के पहले एनआरईजीए कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त सफलता के लिए प्रशंसा करता हूं जिसने पूरे देश में कई मिलियन लोगों को कार्य दिया है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बैंकों और डाकघरों में अपने खाते खोल लिए हैं। श्रमिकों का गांवों से शहरों की तरफ पलायन घटा है। यही बात इंदिरा आवास योजना, विशेषकर महिलाओं के बीच स्वसहायता समूहों के गठन के लिए अभियान और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना जिसने ग्रामीण सड़कों का विशाल नेटवर्क उपलब्ध कराया है, के संबंध में भी सच है।

तथापि, पूर्ण स्वच्छता अभियान अपेक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ रहा है। ग्रामीण अपनी पुरानी सोच के कारण अपने घरों में शौचालय बनवाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। दूसरे, कई जगहों पर पानी की कमी है। इसके परिणामस्वरूप जिन लोगों ने शौचालय बनवाए हैं। वे भी इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मंत्रालय को चाहिए कि इसके अन्य कारणों का पता लगाए और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने का प्रयत्न करे। मुझे खुशी है कि सिक्किम जैसा छोटा राज्य पूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने में प्रथम है। मैं सिक्किम के लोगों को इस उपलब्धि के लिए

[श्री नवीन जिन्दल]

बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि अन्य भी इसका अनुकरण करेंगे।

महोदय, देश के हर क्षेत्र में कई मिलियन लोगों को सस्ती चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार प्रदान करने की अत्यावश्यकता है। उपचार की सुविधाएं या तो अपर्याप्त हैं या अत्यधिक लागत पर उपलब्ध हैं जो आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। औषधियां एवं शल्य क्रिया दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। यह समस्या दूरदराज के गांवों एवं छोटे कस्बों में अत्यधिक महसूस की जा रही है। प्राइवेट प्रैक्टिशनरों द्वारा दी जा रही सुविधा अत्यंत महंगी है और अधिकतर झोला छाप डॉक्टरों के हाथ में है। इस बारे में मेरा अनुरोध है कि सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाओं का नेटवर्क बनाया जाना समय की जरूरत है। अंत में मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस सम्मानीय सभा का पहली बार सदस्य रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है। लगभग 115 करोड़ लोग लगभग 540 संसद सदस्यों का चुनाव करते हैं और इन्हें बड़ी आशा के साथ लोक सभा में भेजते हैं। इसलिए इस सभा का सदस्य होना अत्यंत गौरव की बात है। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न है। भारत के लोगों द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान हमारा संसद सदस्य के रूप में चुनाव करना है। हमें सभा के प्रत्येक मिनट का प्रयोग सकारात्मक, रचनात्मक, अर्थपूर्ण एवं गौरवपूर्ण तरीके से लोगों की सेवा में लगाकर इस सम्मान को सार्थक बनाना चाहिए। हमें इस समय को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है।

चूंकि यह इस लोक सभा का अंतिम सत्र होगा इसलिए मुझे सभी माननीय सदस्य सदस्यों, संसद के स्टाफ और विशेषकर माननीय अध्यक्ष को इस सभा की कार्यवाही के दक्ष संचालन एवं अध्यक्ष के उच्च पद की गरिमा बनाए रखने हेतु किए गए महान त्याग के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मेरे जैसे नये सदस्य के लिए यह अत्यंत बड़ी सीख थी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बोलने का समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम विपक्ष के नेता सहित उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर इस चर्चा में भाग लिया है। भारत की महामहिम राष्ट्रपति के प्रेरणादायी अभिभाषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने में मैं अपने को इनके साथ शामिल करता हूं।

महोदय, वर्ष 1950 से यह संवैधानिक रुप से, हमारी प्रणाली का भाग बन चुका है कि जब कभी संसद का पहला सत्र आहूत किया जाता है तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। दुर्भाग्यवश, वर्ष 2004 में हमें यह सुअवसर प्राप्त नहीं हो सका। क्योंकि तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2003 के शीतकालीन सत्र को फरवरी, 2004 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया। इस प्रकार, वर्ष 2004 में हमें यह सुअवसर नहीं मिल पाया परंतु मुझे प्रसन्नता है कि संप्रग सरकार की प्रेरणा से इसे बहाल किया गया है और मैं आशा करता हूं कि आगे इसमें कोई व्यवधान नहीं होगा।

हम संभवतः बिल्कुल सही दावा करते हैं कि हमारा लोकतंत्र एक परिपक्व लोकतंत्र है। परिपक्व लोकतंत्र में भिन्न विचारों के लिए जगह होती है। लोकतंत्र में, मतांतर होंगे तथा मैं यह भी मानता हूं कि मुख्य विपक्षी दल सहित विपक्षी दलों का प्रधान कार्य सत्ताधारी दल का विरोध करना, पोल खोलना और यदि संभव हो तो अपदस्थ करना होता है और संसदीय प्रणाली में कोई भी व्यक्ति इसकी आलोचना नहीं कर सकता तथा हमारा ऐसा करने का कोई इरादा नही है। मेरा दल विनम्रतापूर्वक यह दावा कर सकता है कि इस देश में यहां तक कि औपचारिक स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी संसदीय प्रणाली को सभी अन्य लोगों के सहयोग से सुदृढ़ बनाया गया है। संवैधानिक इतिहास का विद्यार्थी यह जानता है कि यह प्रणाली क्रमिक रुप से हमारी प्रणाली में शामिल की गई।

महोदय, जब मैं हमारी बहन, श्रीमती रंजीत रंजन की टिप्पणियों को सुन रहा था तो मैं उन्हें सुनकर अभिभूत हो गया। संप्रग सरकार का कार्यकाल पूरा होने वाला है–चौदहवीं लोक सभा के लिए मात्र कुछ दिन बचे हैं – संभवतः उन्होंने इस बात की सही पहचान की है कि किस प्रकार से संप्रग सरकार और यह गठबंधन कार्य कर सका तथा वे कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने इस सरकार को मजबूत बनाया और इस गठबंधन को बनाए रखा। वस्तुतः यह सब डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व के अंतर्गत संभव हुआ जिनके साथ मुझे न केवल इस अवधि अथवा पूर्व सरकार के दौरान बल्कि लगभग वर्ष 1970 से कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अत्यंत शांतचित व्यक्ति हैं परंतु जब कभी मैं उन्हें देखता हूं मुझे हमेशा हेमलेट को ये टिप्पणियां टिप्पणी याद आती हैं। "एक सहनशील व्यक्ति के क्रोध से सावधान रहो"। महोदय, इसे ध्यान में रखते हुए, उनके पास दृढ़ निश्चय है, साथ ही साथ विनम्रता और आदर का भाव है जिसके वे एक विद्वान, एक अर्थशास्त्री और एक अतिविनम्र व्यक्ति होने के नाते हकदार हैं। परंतु उनके नेतृत्व के बिना इस गठबंधन को पांच वर्षों तक बनाए रखना काफी मुश्किल था।

उन्होंने संप्रग की अध्यक्षा द्वारा विभिन्न ताकतों को एकजुट बनाए रखने में किए गए उनके अथक प्रयासों के बारे में ठीक ही कहा है। जैसा कि मैंने कहा, लोकतंत्र मे भिन्न मतों का होना अवश्यंभावी है और इन भिन्न मतों को एक साथ बनाए रखने से ही पता चलता है कि शक्ति कहां है।

मैं विपक्ष के नेता की इस बात से सहमत हूं कि इन संस्थानों को अवश्य सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। शुरू से ही हमारे परिपक्व लोकतंत्र की ताकतों में से एक यह है कि हमने उन संस्थाओं की स्थापना की है जो उत्तरोत्तर शक्तिशाली होती गयी हैं। अनेक देशों में – मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि विदेश मंत्री के रुप में मुझे किसी देश का नाम लेने का अधिकार नहीं है–जहां लोकतंत्र विफल हुआ है, संभवत इसके कारणों में से एक कारण यह रहा है कि वे संस्थाओं का निर्माण नहीं कर सके। मैं अत्यंत सम्मान के साथ यह बताना चाहूंगा कि यह प्रक्रिया स्वतंत्रता से भी काफी पहले कांग्रेस की नेतृत्व में शुरू हो गयी थी। इस समय दो उदाहरण मुझे याद आ रहे हैं और विपक्ष के नेता मुझसे सहमत होंगे। हमने बहुत पहले वर्ष 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना की थी जो सार्वजनिक व्यय के मामले में व्यय की जांच करती है। हमने यह प्रथा स्थापित की थी कि माननीय अध्यक्ष के कार्यालय को कार्यपालिका के नियंत्रण के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए ताकि अध्यक्षपीठ स्वतंत्रता से व निःसंकोच अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सके।

यदि मुझे सही–सही याद है, पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा सेंट्रल एसेम्बली में प्रस्तुत संकल्प के माध्यम से संसदीय वेतन समिति की अवधारणा की कल्पना की गयी थी और यह अब भी कार्य कर रही है। इसके माध्यम से, लोक सभा अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्यरत संसद के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक अलग वेतन समिति की स्थापना की गयी थी और हम आज भी इस प्रक्रिया को जारी रखकर इसे मजबूत बना रहे हैं। मेरे सहयोगी श्री पवन कुमार बंसल संसदीय वेतन समिति के सदस्य हैं। समिति ही संसद के स्टाफ का वेतन का निर्णय करती है न की वेतन आयोग।

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में उनके बहुत कड़े विचार हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : वित्त मंत्री के रूप में उनके पास ऐसे विचार होने चाहिए। मैं उनको दोष नहीं देता।

छोटी सी बात जिसे मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं वह यह है कि यदि कतिपय दुर्भाग्यपूर्ण बातें हुई हैं तो हम सभी को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

जिस तरीके से आपने इस परिस्थिति को संभाला है, उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। यहां बैठकर मुझे अपने सहयोगियों को उनके दुराचरण के लिए इस सभा से निष्कासित करने का सर्वाधिक दुःखद कार्य करना पड़ा। सभा के निर्णय के परिणामस्वरूप एक या दो नहीं बल्कि काफी संख्या में सदस्यों को इस सभा से समय पूर्व रिटायर होना पड़ा। एक तरफ तो इससे यह पता चलता है कि नैतिक पत्तन हुआ है परंतु दूसरी ओर यह दर्शाता है कि इस प्रणाली में ही आपकी सतर्क नज़रों में अपने आपको सुधारने की प्रक्रिया है। यदि इसका पर्याप्ततः और समुचित रुप से ध्यान रखा जाए तो इनमें सुधार किया जा सकता है। मैं महसूस करता हूं कि यही हमारी शक्ति है। इस संबंध में, जैसा कि चौदहवीं लोक सभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। मैं कुछ कहना चाहूंगा। वस्तुतः मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं।

मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं जिसे आपने इस अध्यक्षपीठ से अनेक बार कहा है कि हमें इस सभा की प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखना होगा। संसद चर्चा, वाद विवाद और निर्णय के लिए हैं। ये तीनों पर्यात प्रतिबिम्बित नहीं हो सकती। यदि बाधाएं व व्यवधान पैदा किए जाते रहें। व्यवधानों से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकती। एक या दो बार ऐसा हो सकता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए। यदि इसे एक प्रथा बना लिया जाए तो मेरे विचार से मैं इस संबंध में आंकड़े उद्धृत करने नहीं जा रहे हूं कि 14वीं लोक सभा में हमने कितना समय बर्बाद किया है–कुछ हद तक मौद्रिक व बजटीय चर्चाओं पर इसका प्रभाव पड़ा है।

उस दिन मैंने 9,53,000 करोड़ रु. से अधिक के व्यय प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। यह लेखानुदान है। किन्तु नियमित बजट में भी हम धन संबंधी मामलों पर कितना समय दे पाते हैं और विधानों पर कितना समय दे पाते हैं?

महोदय, यह सत्य है कि आपके मार्गदर्शन में तथा हमारे विशिष्ट सहयोगी पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री शिवराज वी. पाटील के निर्णय के माध्यम से संसदीय स्थायी समितियां स्थापित की गयी हैं जो कुछ हद तक इस कमी को पूरा कर रही हैं। संसदीय स्थायी समितियां व्यय प्रस्तावों की संवीक्षा कर रही हैं तथा विधानों की विस्तृत जांच कर रही हैं। किंतु सभा में मीडिया के समक्ष चर्चाएं तथा खुला वाद–विवाद होता है। आपने टेलीविजन की प्रणाली शुरू की है और यदि सुव्यवस्थित वाद–विवाद होता है तो मैं महसूस करता हूं कि इसका अधिक प्रभाव होगा।

महोदय, मैंने अपने सहयोगियों, माननीय संसद सदस्यों की टिप्पणियों को ध्यानपूर्वक सविस्तार सुना है चाहें मैं सशरीर उपस्थित न भी रहा हूं– कई बार अपने कमरे में टेलीविजन के माध्यम से अथवा कई बार अपने सहयोगियों के नोट्स के माध्यम से। विपक्ष के नेता सहित कुछ माननीय सदस्यों ने सरकार द्वारा पारित आतंकरोधी विधान की प्रभाविता के बारे में चिंता जताई है। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के मद्देनजर तथा व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभावित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इस कानून को ध्यानपूर्वक बनाया गया है। इसे

[श्री प्रणब मुखर्जी]

भला बुरा कहना जल्दबाजी होगी। इन कानूनों के न्यायिक परीक्षण के बाद ही इनकी प्रभाविता के बारे में टिप्पणी करना संभव होगा। तथाकथित कड़े कानूनों को प्रख्यापित करने अथवा उनका उपयोग करने का कोई लाभ नहीं है। विचारण के दौरान उनकी व्यवहार्यता के बारे में प्रश्न उठाना केवल न्यायालय का काम है। हमने अपनी सीमा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया है। हम मुबई हमले की पूरी जांच करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस बारे में मैंने पहले ही विस्तृत वक्तव्य दिया है और मेरे सहयोगी श्री पी. चिदम्बरम ने भी वक्तव्य दिया हैं इस संदर्भ में, अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री पी. चिदम्बरम को बधाई देना चाहूंगा। वह प्रतिबद्ध हैं तथा प्रत्येक माह के अंत में वह मीडिया के माध्यम से जनता से रुबरू हो रहे हैं। पदभार संभालने के एक माह पूरा होने पर 31 दिसम्बर को उन्होंने ऐसा किया तथा 31 जनवरी को भी पुनः ऐसा किया जिससे पता चले कि दूसरों की आहत भावनाओं को शांत करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।

निस्संदेह इसमें समय लगता है।

अत्यंत आदरपूर्वक मैं विपक्ष के नेता को याद दिलाना चाहूंगा कि उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री के रुप में यह उनकी टिप्पणी थी उस समय मैं दूसरे सदन का सदस्य था... कि आत्मघाती मानव बम जैसे हथियार से निपटना या उसके विरुद्ध कार्रवाई करना बेहद कठिन है। मौत सबसे बड़ी निरोधक है और यदि कोई व्यक्ति अपने बलात् मत प्रवर्त्तन के कारण अथवा जिन सिद्धांतों के लिए वह मरने को तैयार है उस कारण स्वयं को मारता है तो वह बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है किंतु फिर भी हमें पर्याप्त कदम उठाने होंगे तथा वे पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं और हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

इस संबंध में कभी-कभार हम अपनी चिंता में तुरंत प्रतिक्रिया करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें सलाह दी गयी कि जिस तरह कुछ देश कर रहे हैं, हम उस प्रकार प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं देशों का नाम नहीं लेना चाहूंगा। किंतु हम इसके खिलाफ हैं। एक उक्ति है कि कि यदि हम मुश्किल में हैं, यदि हमारे पास खाने की कमी है तो इसका यह मतलब नहीं कि हमें छिपकली खाना पड़ेगा। हमें भले ही बेहद भड़काया गया है किंतु हमें यह नहीं भूल सके कि मानव अधिकार, मानव स्वतंत्रता तथा मानव मूल्य अत्यंत पवित्र हैं तथा इनकी रक्षा की जानी चाहिए और हम ठीक ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। अतएव, हम कतिपय अन्य देशों की अपने ऊपर हुए हमलों की प्रतिक्रिया के तरीके की नकल नहीं कर सकते जिसके परिणामतः हम हर रोज कई निरपराध लोगों को मरते देख रहे हैं।

गृह मंत्री द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात् उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक हिदायत थी कि विभिन्न आसूचना एजेन्सियां सूचनाओं का आदान-प्रदान नहीं करती हैं। यह केन्द्रीकृत नहीं था। अब इसे केन्द्रीकृत, विश्लेषित तथा इसका समाकलन किया जा रहा है और तत्पश्चात् आदान-प्रदान किया जाएगा और कार्रवाई सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी बेहद जरूरत थी तथा उन्होंने एक कार्यकारी आदेश पारित कर के आई बी के अंतर्गत एम ए सी की स्थापना की है। उन्होंने यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी एजेन्सियों को मल्टी एजेन्सी सेन्टर (एम ए सी) के साथ आसूचना बांटनी होगी। जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बातचीत हुई तब उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राज्यों को ऐसा अवश्य ही करना चाहिए। कुछ राज्यों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है और इसके परिणाम प्राप्त होने शुरू हो गये हैं।

गत वर्ष के अंतिम दिन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2008 को अधिनियमित और अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दण्डात्मक उपबंधों को लागू करता है। अन्य बातों के साथ यह अधिनियम रेडियोधर्मी पदार्थों, परमाणु उपकरणों इत्यादि की मांग को दण्डनीय बनाता था। यह आपराधिक शक्ति प्रदर्शन या ऐसा करने के प्रयासों अथवा मृत्यु का कारण बनना था। किसी लोक सेवक की हत्या का प्रयास करने से संबंधित उपबंधों को शामिल करता है तथा इसे आतंकवादी गतिविधि की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। आतंकवादी शिविर चलाना तथा आतंकवादी गतिविधि के लिए किसी व्यक्ति को भर्ती करना भी अपराध माना गया है। आगे आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए धनराशि जुटाने, संग्रह करने और उपलब्ध कराने की गतिविधियों को भी अपराध की संज्ञा दी गयी है। जमानत संबंधी उपबंधों को भी कठोर बनाया गया है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के संबंध में एक निर्णय पारित किया गया है सब को पता है कि इसे दिसम्बर माह में अधिनियमित किया गया हैं अतएवं हमें राज्यों के साथ घनिष्ट सहयोग से संवैधानिक ढांचे के भीतर इसके प्रभाव तथा विभिन्न प्रशासनिक तंत्र पर ध्यान देना होगा..आखिरकार हम सौ करोड़ से अधिक लोगों की बात कर रहे हैं। क्योंकि भारत एक विशाल देश है। अतएव इन मुद्दों से थोड़ा धैर्य से निपटना होगा।

महोदय, आलोचना की गयी है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हमने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। जी हां, हमने स्वीकार किया है। उस दिन जब मैंने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया तब मैंने कहा था कि अगस्त में मुद्रास्फीति की दर 13 प्रतिशत तक ऊपर गयी थी किंतु अब

यह नीचे गिर कर 4.4 प्रतिशत हो गयी है, ऐसा अपने आप नहीं हुआ है, केवल तेल की कीमतों में कमी आने से ऐसा नहीं हुआ है। विभिन्न वित्तीय और मौद्रिक नीतियों और कार्यक्रमों का सहारा लिया गया है और जब ये अपनाये गये हैं तब उन्होंने परिणाम देना आरंभ किया है। कोई भी वैश्विक प्रभाव तथा वित्तीय संकट की गहराई और गंभीरता से इंकार नहीं कर रहा है। हमने स्वीकार किया है कि विकास की दर में कमी आई है। आज सुबह में सभा में एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार था कि भारतीय रिजर्व बैंक को क्यों प्रत्येक तिमाही समीक्षा में विकास के अनुमान के संबंध में संशोधन करना पड़ा। दुर्भाग्यवश, यह उपलब्ध एक घंटे की अवधि के अंदर नहीं हुआ। यह कब हुआ है तथा कई प्रकार के अनुमान लगाए जा रहे हैं। यह भारत में ही नहीं है; यह सभी जगह हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे किया है; विश्व बैंक ने इसे किया है क्योंकि इस संकट का संपूर्ण प्रभाव–इसकी गहराई तथा इसकी व्यापकता–का अब तक पूरी तरह पता नहीं चला है। इसमें और समय लगेगा, चाहें जितना भी कठिनाई भरा समय हो, इससे बचा नहीं जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं एक बात बताना चाहूंगा जो मेरे अच्छे मित्र श्री सलीम, ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में उठाया है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में बताया कि पिछले दरवाजे से हमने नीति को नरम किया ताकि भारतीय स्वामित्व तथा नियंत्रण की पकड़ ढीली हो। उन्होंने कतिपय मंत्रालयों द्वारा परिचालित कुछ पत्रों का भी उल्लेख किया–लेकिन मैंने सोचा कि वे मंत्री समूह के निष्कर्षों को भी पढ़ेंगे–उन्होंने बीमा के संबंध में एक बात कही–तथा इसे मैं उद्धृत करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि उनके जैसा बुद्धिमान सदस्य यह नहीं जानता कि यह 13 फरवरी 2009 को जारी प्रेस नोट 3 श्रृंखला 2009 के प्रेस नोट 2, के पैरा 6, श्रृंखला 2009 में जारी किया गया था। मैं केवल इसका अंतिम पैरा उद्धत कर रहा हूं। इसमें लिखा है:

"उपरोक्त नीति तथा पद्धति उन क्षेत्रों जहां वे किसी विधान या नियम से शासित होती हैं, को छोड़कर सभी क्षेत्रों में कुल विदेशी निवेश का पता लगाने के लिए लागू होगी।"

प्रेस नोट में ही यह कहा गया है:

"इस प्रकार, वर्तमान प्रयोजनों के लिए यह पद्धति बीमा क्षेत्र पर लागू नहीं होगी जहां यह उपयुक्त विनियमन से शासित होती रहेंगी।"

अतएव नरमी बरतने या अधिगृहण का सवाल नहीं उठता है।

वे सम्मानीय तथा बुद्धिमान सदस्य हैं तथा उन्हें यह जानना चाहिए कि हमने भी स्वामित्व एवं नियंत्रण पर जोर दिया है। विशेष विनियमन के साथ–साथ स्वामित्व एवं नियंत्रण के संयोजन का दिशानिदेश में संशोधन करके तथा समय–समय पर प्रेस नोट जारी करके उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इन दो पहलुओं को ध्यान में रखना है।

हां, हमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता है। आपको इसमें अवधारणा तथा विचारधारा पर मतभेद हो सकता है, तथा प्रजातंत्र में इसकी अनुमति है। हमें निवेश की आवश्यकता है, तथा भारत सहित विकासशील देशों की विकसित देशों से यह एक शिकायत है कि भगवान के लिए अपने बैंकरों को; अपने उपमुख्य ऋणदाताओं को संकट से उबारने के लिए, कृपया आपूर्तिकर्ता को ऋण बंद नहीं करें, ताकि विकासशील देशों के निर्यात प्रभावित हों; तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को नहीं रोकें जो विकासशील देशों के विकास में सहायक हो सकता है।

हमें संसाधनों की आवश्यकता है, यदि हम लंबे समय यथा 2020 तक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 9 प्रतिशत तक रखना चाहते हैं जो कि बहुत आवश्यक है। मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि इस मंदी से पूर्व हमारे निवेश की दर हमारे सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 39 प्रतिशत है तथा हमारी घरेलू बचत की दर लगभग 33 प्रतिशत है। यह बचत की काफी ऊंची दर है तथा पांच वर्ष की अल्पावधि में हमने इसे 29 प्रतिशत से 33 प्रतिशत कर दिया। कम से कम संसद के माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद; जनसंख्या तथा आधार को देखते हुए यह कोई छोटी बात नहीं है। अतएव, हमें अपनी स्थितियों को देखते हुए तथा अपने दिशानिर्देशों को देखते हुए हमें कतिपय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवश्यकता है।

एक दूसरा पहलू जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं तथा जिसके बारे में अधिकांश सदस्यों ने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, वह किसानों तथा सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, अपने साथियों से मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का लाभ बढ़कर लगभग 87 प्रतिशत हो गया है। सरकारी क्षेत्र की घाटे वाली कंपनियों की संख्या कम हुई है तथा लाभ कमाने वाली कंपनियों की संख्या 2004–05 से आज तक बढ़ी है। क्या इससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की नीति में कमजोरी उजागर होती है?...*(व्यवधान)*...

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप विनिवेश नहीं करते हैं। ... *(व्यवधान)*...

श्री प्रणब मुखर्जी : यह बहस में जीतने का अच्छा मौका हो सकता है लेकिन उसे स्कूली बहस तक सीमित रखना चाहिए कि 'लाभ का निजीकरण तथा हानि का राष्ट्रीयकरण" वे दिन अब चले गए जब हमें नारों से बहुत प्रेम था। ...*(व्यवधान)*...

अध्यक्ष महोदय : आप स्कूल के विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : नहीं, महोदय, मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*... मेरी छोटी सी बात यह है कि हमें किसी अतिवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरी इस बात का वही प्रयोजन है। 1970 के दशक के दौरान मंत्र यह था कि प्रत्येक आर्थिक बीमारी का इलाज राष्ट्रीकरण से किया जा सकता है। उसी प्रकार, मैं उस मत को भी नहीं मानता कि प्रत्येक आर्थिक बीमारी का निजीकरण द्वारा सुधार हो सकता है। इन दोनों अनिवासी सिद्धांतों में से कोई भी सही नहीं है तथा हमें बीच का रास्ता निकालना होगा तथा अध्यक्ष महोदय, हम वही कर रहे हैं।

कतिपय विशिष्ट मुद्दों पर आते हुए जो उठाए गए हैं – मैं इनके विस्तार में नहीं जानता हूं – मैं निश्चित रूप से एक मुद्दा उठाना चाहूंगा जिसे मेरे साथी श्री टी आर बालू ने स्पष्ट करने की कोशिश की है। लेकिन वह नहीं कर सके। क्योंकि उस समय कुछ व्यवधान था। विशेषरूप से विपक्ष के नेता ने यह आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्य में काफी लचर तथा धीमी प्रगति हुई है। हमने यह कभी नहीं कहा कि आपने प्रक्रिया शुरू नही की। हम इसे स्वीकार करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण की अवधारणा उनके द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन हम इसे कुछ दूर तक ले आए हैं ...*(व्यवधान)* काफी पहले यह शुरू हुआ। मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा जो मैंने अपने सहयोगी से स्वर्णिम चतुर्भुज तथा उत्तर–दक्षिण एवं पूर्व–पश्चिम कोरीडोर के बारे में प्राप्त किए हैं। जैसाकि मैंने उल्लेख किया, ये कार्य पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू किए गए थे।

मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि जब दिसंबर, 2000 में स्वर्णिम चतुर्भुज का अनुमोदन किया गया था तो सरकारी अनुमोदन के अनुसार इसे दिसंबर, 2003 तक पूरा कर लिया जाना था। तथापि, जब सं.प्र.ग. सरकार ने मई, 2004 में सत्ता संभाली, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी की गई 847 किमी. सड़क को छोड़कर, केवल 33.4 प्रतिशत कार्य ही पूरा किया गया था। और पहले ही लक्ष्य तिथि से पांच महीने अधिक हो चुके हैं। इस अवधि के दौरान क्या किया गया है? हमने काम में तेजी लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और अब स्वर्णिम चतुर्भुज का 98 प्रतिशत पूरा कर लिया है। किलोमीटर के संदर्भ में राजग शासनकाल में 1955 किलोमीटर अर्थात 33.44 प्रतिशत की तुलना मे हमने 2911 किलोमीटर पूरा किया है। 1955 किलोमीटर और 2911 किलोमीटर सड़क बन चुकी है। अब मात्र 133 किलोमीटर शेष है...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : जिसमें से 130 किलोमीटर केवल उड़ीसा में ही है और वह भी गत तीन–चार वर्षों से ...*(व्यवधान)* श्री चिदम्बरम ने कहा ...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी : हम उसे करने की कोशिश करेंगे ...*(व्यवधान)* चिन्ता न करें। हम वापस आ रहे हैं और इसे फिर से करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने अपनी बात कह ली। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। और कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री खारवेल स्वाईं : माननीय मंत्री को कहने दीजिए यह असत्य है...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी : उत्तर–दक्षिण तथा पूर्व–पश्चिम कॉरीडोर के संबंध में 7142 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 3291 किलोमीटर लम्बे मार्गखण्ड को पहले ही चार लेन वाला बनाया जा चुका है और 3030 किलोमीटर मार्गखण्ड पर कार्य प्रगति पर है। यह उल्लेख किया जा सकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, आपने बलपूर्वक अपनी बात कह दी है। अब उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं : वह गत तीन चार वर्षों से 98 प्रतिशत के बारे में एक ही बात कह रहे हैं। मंत्री जी को कहने दीजिए कि यह असत्य है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बालू, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह ली है, यह क्या हो रहा है? यह क्या है? रिकार्ड न करें।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं सिर्फ पढ़ूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वाईं, कृपया ऐसा मत कीजिए। एक सीमा होती है। आप अपनी बात कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया देश को विभाजित न करें।

...(व्यवधान)

श्री प्रणब मुखर्जी : उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम कारीडोर के संबंध में 7142 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 3291 किलोमीटर लम्बे मार्गखण्ड को पहले ही चार लेन वाला बनाया जा चुका है और 3030 किलोमीटर मार्गखण्ड पर कार्य प्रगति पर है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि जब संप्रग सरकार ने मई, 2004 में जिम्मेदारी संभाली उस समय तक इस कारीडोर का मात्र 226 किलोमीटर हिस्सा ही चार लेन वाला था। अतएव, समूचे 2695 किलोमीटर हिस्से की प्रगति इसी अवधि के दौरान की गयी थी। मैं इससे सहमत हूं कि अब भी इस कार्य को जल्दी किया जाना होगा; काफी कुछ किया जाना है; इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता किंतु विनम्रता पूर्वक यह स्मरण करा दूं कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा तेजी से करने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं जैसा कि राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि गत पांच वर्षों में हमने क्या किया है केवल इतना ही नहीं, जनता यदि हमें दोबारा चुनती है तो हमारी दृष्टि विजन क्या होगी और हम किस मिशन को प्राप्त करना चाहेंगे तथा शेष अवधि के दौरान क्या करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहूंगा। किंतु विदेश नीति के बारे में जैसी कि परंपरा रही है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में विस्तार से चर्चा की गयी है और गत तीन वर्षों में कतिपय बातों के लिए मैं प्रत्यक्षत: जिम्मेदार रहा हूं। यह आलोचना की गयी है कि भारत की विदेहानीति ने अपनी स्वतंत्रता गवां दी है। इसके क्या मानदण्ड हैं? "हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम फिलिस्तीनी हितों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम किसी देश विशेष से प्रभावित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यंत सम्मानूपर्वक कहना चाहूंगा कि प्रत्येक अवसर पर मैं दुहराता हूं, प्रत्येक अवसर पर इस्त्राइली सेना द्वारा गाजा में निर्दोष फिलीस्तीनी लोगों पर हमला हुआ है, भारत ने सबसे पहले विरोध किया है। कई वर्ष पहले हमने प्रतिबद्धता की थी कि एक निश्चित भू भाग के भीतर फिलीस्तीनियों को उनकी मातृभूमि मिलनी चाहिए और कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हमने सभी शांति प्रयासों को समर्थन दिया है? संयुक्त र.ष्ट्र सुरक्षा परिषद, अरबलीग की पहल, हाल में सउदी अरब राज्य द्वारा की गयी पहल और कतर पहल – इन चार महत्वपूर्ण संकल्पों को भारत ने पूरा समर्थन दिया है और भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह हमारी घोषित नीति है ....*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : अभिभाषण में इस्त्राइल का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? *...(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी : यह बात नहीं है। आपने क्या कहा है? आपने कहा है कि हमने आलोचना नहीं की है, हम भूल गये हैं।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में, श्री सलीम उपस्थित हैं, हालांकि भारतीय मीडिया में बड़े पैमाने पर इसे स्थान मिला था *...(व्यवधान)* तेहरान में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में मैंने टिप्पणियां की हैं। वाम मित्रों सहित श्री सलीम तथा अन्य मित्रों के साथ अपने विचारों को बांटकर मुझे प्रसन्नता होगी।

अपराह्न 4.00 बजे

उन्हें व्यर्थ ही उत्तेजित नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने अपना योगदान दिया है; अतएवं मैंने अपने बजट भाषण में कहा है कि जो कुछ हमारी उपलब्धि रही है हमने कभी दावा नहीं किया कि यह केवल कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि हैं। हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार नहीं चला रहे हैं जैसा हमने इस देश की जनता के सहयोग और आशीर्वाद से वर्षों चलायी है। हमने सत्ता हड़पी नहीं है। हमें जब कभी सत्ता मिली, वह लोगों के जनादेश से प्राप्त हुई और जब हमें सत्ता प्राप्त नहीं हुई और जब लोगों ने जनादेश देने से मना कर दिया, मैं माननीय सदस्यों को काफी सम्मानपूर्वक 22 मार्च, 1977 का दिन याद करना चाहूंगा जब श्रीमती गांधी ने पदत्याग किया था, अपने अंतिम संबोधन में उन्होंने टिप्पणी की थी, "मैं इस देश के लोगों के प्रति कृतज्ञ हूं; 30 वर्षों तक उन्होंने हमें सत्ता में बनाए रखा, उन्होंने अपना निर्णय बदला है; मैं उनके निर्णय के आगे नतमस्तक हूं। पदत्याग करते समय मैं नई सरकार को अपनी शुभकामनाएं देती हूं।" उन्होंने यह कहा और यह लोकतांत्रिक परम्परा है। इसके विपरीत हमने यह देखा है कि अविश्वास प्रस्ताव के मौके पर एक अन्य प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि मेरे सिर पर आसमान भी टूट पड़े, मैं पदत्याग नहीं करूंगा। यही अंतर है।

अत:, इन चीजों का पता लगाने की चेष्टा न करें। आपने हमारे कार्यकाल की अधिकांश अवधि के दौरान हमारा समर्थन किया है; आपने हमारा समर्थन किया है; हमने यह स्वीकार किया है कि कई महत्वपूर्ण विधानों के बारे में हमने अपनी राय आपको बताई है; आपने मेरे साथ

[श्री प्रणब मुखर्जी]

सदन के नेता के रूप में विभिन्न मंचों पर अपनी राय बताई है। हमने उन्हें कार्यान्वित किया है। लेकिन कृपया भगवान के लिए, स्वयं श्रेय न लें और इसकी जिम्मेवारी हम पर न डालें। कृपया समग्र वस्तुस्थिति को देखें। मैं एक विशेष मुहावरे का प्रयोग करना चाहूंगा–हमने अपनी सीमा से बढ़कर कार्य किया है, न केवल यूपीए के सहयोगी दलों ने, बल्कि यूपीए समर्थकों ने भी। ठीक है, हमारे बीच मतभेद थे, लेकिन जब मतभेदों को दूर करना संभव नहीं हो पाया, तो हम उस समय अलग हो गए। इसलिए, प्रणाली में यह कोई नई बात नहीं है और ऐसा कहना सही नहीं है। अंतिम दिन भी मैंने कहा था और मैं इसे दोहरा रहा हूं – उस समय हमारे पास बहुमत था। लेकिन पुनः, मैं संस्थापनाओं के बारे में बात करूंगा।

जिस घोटाले के बारे में नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया है और जिसका उल्लेख मोहम्मद सलीम ने भी किया है, उसकी संसदीय समिति द्वारा जांच की जा रही है। संसदीय समिति हमारा प्रतिनिधित्व करती है। अध्यक्ष महोदय, यह काफी समय से चली परम्परा है कि इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जाए। मैं नेता प्रतिपक्ष का आभारी हूं कि उन्होंने यह कहा है कि मैं सभा में उनसे एक साल वरिष्ठ हूं। वास्तव में यह सही है। मैं यहां 1969 में आया था और वे 1970 में आए। हमने अपने अनुभवों से इन चीजों को देखा है।

लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में विभिन्न सरकारी दस्तावेजों से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या हम कभी भी इसका उपयोग अपने प्रश्न को तैयार करने अथवा विचार बनाते समय करते हैं? हम अपने ऊपर इन अनुशासनों को लाद देते हैं। इसी प्रकार जब संसदीय समिति किसी मामले पर जांच कर रही है तो हमें अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा में तथा चर्चा के दौरान विभिन्न सदस्य अपने विचार दे सकते हैं। लेकिन अंततोगत्वा जब निर्णय लिया जाता है तो यह कार्पोरेट के निर्णय लेने की प्रक्रिया के अनुसार होता है जिसमें बहुमत को स्वीकार किया जाता है तथा सामान्यतया हम ऐसा करते हैं; और कभी–कभी जब हम असहमत होते हैं, हम अपनी विमत टिप्पणी देते हैं। ठीक है। यह स्वीकार्य है। अतः, हमें इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें अभी निर्णय नहीं सुनाना चाहिए।

मैं विदेश नीति पर पुनः लौटता हूं। यह स्वतंत्र है। ठीक है, हमें अपने हित को बढ़ावा देना है; हम किसी अन्य के हित को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक नहीं है; बल्कि स्वयं अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक हैं। इसका अर्थ यह है कि विदेश नीति इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है कि यह बाहरी माहौल तथा बाहरी वातावरण के संदर्भ में राष्ट्रीय हित का विस्तार तथा राष्ट्रीय हित का संवर्धन है।

आज हम ठीक यही कार्य कर रहे हैं। आज हमारी ओर जो ध्यान दिया जा रहा है वह किसी के अनुग्रह के कारण नहीं है और न ही इस वजह से कि कुछ देश हमारा समर्थन कर रहे हैं। पहले दिन से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस महान देश की विदेश नीति का प्रतिपादन किया जो हमारी संस्कृति पर आधारित है और हमारी परम्परा पर आधारित है, हम गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन कर रहे हैं। हम प्रत्येक देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। हम सहमति की नीति का पालन कर रहे हैं, न कि बलप्रयोग की नीति का। 1983–94 में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में स्वर्गीया श्रीमती इंदिराजी ने कहा था हमें न तो अपने आदर्शों का निर्यात करने में कोई रूचि है और न ही किसी अन्य देश के भूभाग में और हमारी विदेश नीति का आधार अपने हितों की रक्षा तथा विश्व के सभी दबे–कुचले देशों के हितों की रक्षा करना है। हम कभी अपने इस विचारधारा से पीछे नहीं हटे हैं। यह हो सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अथवा इंदिराजी अथवा राजीव गांधीजी जैसे महान नेताओं ने जिस प्रकार अपने मत व्यक्त किए, जिस प्रकार वे सुन सकते थे...*(व्यवधान)*। आज भी हमारी बात अपने संदर्भ में सुनी जाती हैं...*(व्यवधान)*। यह अतीत नहीं है। यह वर्तमान है और यह भविष्य भी होगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। आप तभी कुछ कह सकते हैं जब वे इसकी अनुमति दें। कृपया ऐसा मत कीजिए।

श्री प्रणब मुखर्जी : हम पाकिस्तान को कितना समय दे सकते हैं? पाकिस्तान ने इसे स्वीकार किया है। जब हमने यह कहा कि सरकार से भिन्न कुछ तत्व आसमान से नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने इसे स्वीकार किया है मैं अत्यंत आदरपूर्वक यह कहूंगा कि कूटनीति ने अपनी भूमिका निभायी है और कूटनीति असफल नहीं हुई है। कम से कम हम यह जानते हैं और यहां बैठे सभी सदस्य यह जानते हैं कि हमने एक भी सैनिक नहीं भेजा है। हम घबराए नहीं। हमने पूरी सीमा पर सुरंगें नहीं बिछाईं, लेकिन हमने यह कहा कि हम पाकिस्तान से यह अपेक्षा करते हैं कि वह अपनी प्रतिबद्धता पूरी करे। हमने 28 नवम्बर को पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्री कुरैशी के साथ टेलीफोन वार्ता के दौरान यह कहा था और अगले दिन यह बात उनके उच्चायुक्त को स्पीकिंग नोट के रूप में भेजी गयी। हम अपनी राय पर कायम रहे हैं और फरवरी महीने में उन्होंने यह सूचित किया कि वे इसे स्वीकार करते हैं। उनके गृह मंत्री ने अपने प्रेस सम्मेलन में यह कहा और आपमें से कई सदस्यों ने सुना होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें उन्हें नाराज करना पड़ेगा। मैं पाकिस्तान की स्थिति की

जटिलता को समझता हूं, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। नेता प्रतिपक्ष विश्व के उसी भाग से आते हैं। वे ज्यादा बेहतर समझते हैं.. .*(व्यवधान)*। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं अपनी टिप्पणी कर रहा हूं। आपकी अपनी अलग राय हो सकती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रावले, कृपया बैठ जाइए। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं करें।

*(व्यवधान)...**

श्री प्रणब मुखर्जी : मैंने संसद में जो कहा है कृपया उसे पढ़िए। मेरी स्मरण शक्ति कमजोर नहीं है। जब आपने यह पूछा था कि पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं किया जा रहा है, तो मैंने उत्तर दिया था कि यह समाधान नहीं है और इससे समस्या हल नहीं होगी। मैं इसे दुहरा रहा हूं। पहले ही दिन जब मैंने वक्तव्य दिया था तब मैंने यह बात कही थी।

मैंने इसका उल्लेख तब किया था जब इस मुद्दे पर वाद–विवाद चल रहा था और मैंने उनके प्रश्न के जवाब में यह कहा था। यह संसद के कार्यवाही–वृत्तांत में दर्ज है। तब वह क्यों अनावश्यक रूप से उत्तेजित हो रहे हैं और इन शब्दों को मुझसे क्यों कहलवाना चाह रहे हैं? हमें प्रयास करना होगा तथा, मैं अपनी कही बात दुहरा रहा हूं – जब तक इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने वालों को सजा नहीं दिलायी जाती, जब तक पाकिस्तान में आतंकवादियों को मुहैया करायी जा रही संबंधित अवसंरचना को पूरी तरह ध्वस्त नहीं किया जाता जो कि सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी प्रमाणनीय और विश्वसनीय हो, तब तक हम पाकिस्तान से यह मांग करते रहेंगे। यह सत्ताधारी सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह कितनी भी बाध्यकारी क्यों न हो, इस पर कार्रवाई करे।

विपक्ष के नेता ने बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ का जिक्र किया है। हां, यह सच है कि घुसपैठ हो रही है। हमारी सीमा ऐसी है जहां से घुसपैठ संभव है। 4096 किमी. की भूमि सीमा है तथा यह विभाजन रैडक्लिफ अवार्ड पर आधारित था। विपक्ष के नेता इससे पूरी तरह अवगत हैं। यह इतना अवैज्ञानिक था कि कभी–कभी गांवों को दो देशों में बांट दिया गया तथा पिछले 60 वर्षों में, अनेक क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर जनांकिकीय परिवर्तन हुए हैं और इनमें अंतर कर पाने के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए, बाड़ लगाने का कार्य बाधित हो रहा है। परन्तु हमने बाड़ लगाने का कार्य जारी रखा है। ये प्रयास पहले शुरू किए जा चुके थे और हम लोग इन्हें इनकी परिणति की ओर ले जा रहे हैं। सीमा–सड़कों का निर्माण, उन क्षेत्रों में तेज प्रकाश की समुचित व्यवस्था करना, सीमा चौकियों की संख्या बढ़ाना ऐसे कुछ निवारणात्मक उपाय हैं जिन्हें घुसपैठ रोकने के लिए अपनाया जा रहा है। अभी हाल ही में, हमने एक बार में नहीं बल्कि विभिन्न चरणों में करीब 1,00,000 लोगों को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए बी. एस. एफ. को सौंपा है। परन्तु कभी कभी यह घटित हो रहा है। यह एक बड़ी मानवीय समस्या भी है। हम एक रास्ते से उन्हें वापस भेजते हैं और कुछ समय के बाद वे दूसरे रास्ते से पुनः लौट आते हैं और इस प्रकार पुनः घुसपैठ हो रही है। परन्तु मैं इस समस्या के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं परन्तु साथ ही साथ मैं इस मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा बल देना भी नहीं चाहूंगा। कुछ टिप्पणियां की गयी हैं। मैं इसे दुहराना नहीं चाहता हूं। मैंने आई एम डी टी अधिनियम के संबंध में विपक्ष के नेता द्वारा शुरू किए गए वाद – विवाद का उत्तर देते समय इसका जिक्र किया था। किंतु हमें क्या करना है? इसका अभिप्राय यह नहीं है कि यदि हम संविधान का संशोधन करते हैं, यदि हम उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के अनुरुप कानून संशोधित करते हैं तो यह सही तौर पर संवैधानिक होगा। भारत के संविधान का प्रथम संशोधन किस प्रकार लाया गया। श्री चिदम्बरम संविधान विशेषज्ञ वकील है और वह मुझसे सहमत होंगे कि प्रथम संशोधन न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने के लिए लाया गया था। पहला संशोधन किया गया और फिर किसी व्यक्ति ने इस संशोधन की वैधता को चुनौती दे दी क्योंकि तब तक राज्य सभा का गठन भी नहीं हुआ था। मैं समझता हूं कि इस का गठन 1950 के अंत में अथवा 1951 के प्रारंभ में हुआ था। मुझे सही वर्ष याद नहीं है। ये अंश हैं और ये प्रक्रियाएं हैं तथा ये पूर्णतः वैधानिक और संवैधानिक हैं। परंतु चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, संसद सदस्य, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक जब नियुक्त होते हैं तो वे मात्र सिविल सेवक होते हैं परंतु ज्योंहि वे कार्यभार संभालते हैं, वे विशेष संवैधानिक शक्तियों से सम्पन्न होते हैं।

यही स्थिति चुनाव आयोग के साथ है। महोदय, परन्तु साथ ही साथ अत्यंत आदरपूर्वक मैं यह बताना चाहता हूं कि कार्यपालिका भी एक संवैधानिक निकाय है। संविधान कार्यपालिका को कतिपय शक्तियां प्रदान करता है और वैधानिक दृष्टिकोण से यह उच्चतम न्यायालय के उत्तरदायित्वों में से एक है परन्तु कार्यपालिका का यह भी कार्य है कि यदि कोई संवैधानिक निकाय अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है और किसी अन्य संवैधानिक निकाय के क्षेत्राधिकार में प्रवेश करता है तो वह निश्चित रुप से हस्तक्षेप करे। इसके अलावा, मुझे और कुछ नहीं कहना है। तथा आपने अनेक बार इस बात को स्पष्ट किया है क्योंकि आप सिर्फ एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता ही हीं बल्कि एक विधिवेत्ता भी हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

एक बार पुनः मैं विपक्ष के नेता और इस चर्चा में भाग लेनेवाले सभी अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं अपनी टिप्पणियों में यदि कहीं आक्रामक हो गया होऊं तो मैं इसके लिए क्षमता चाहूंगा क्योंकि मेरा ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। मैं इन सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए एक साथ रखना चाहूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य किसी विशेष संशोधन को अलग से रखना चाहता है तो वह इसे इंगित कर सकता है।

श्री गंगवार, आप कौन से संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं अमैंडमैंट संख्या 60, 72, 78 और 81 क्यों उठाना चाहता हूं, उसका दो मिनट में उल्लेख करना चाहूंगा। मैं सदन के सामने लाना चाहता हूं कि अभिभाषण में कुछ मुख्य बातों का उल्लेख नहीं किया गया। खासतौर से किसानों के द्वारा जो पूरे देश के अंदर आत्महत्यायें की जा रही हैं और ऋण की माफी में जो कमियां हैं और उसका वास्तविक लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। सदन और पूरा देश परिचित है कि देश में बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है और सरकार स्वयं मानती है कि नौकरियां कम हो रही हैं, नौकरियां रिट्रेंच की जा रही हैं, नई नौकरियां पैदा नहीं हो रही है। युवकों में इसका जबरदस्त रोष है और सरकार के द्वारा इसका कोई समाधान नहीं दिया गया है।

महोदय, सबसे बढ़कर बात यह है कि यहां अभी कहा गया कि इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। अगर कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स देखा जाए, तो पता चलेगा कि वह दो डिजिट में है। आम आदमी के लिए देश के अंदर कोई भी चीज कम पैसे पर नहीं मिल रही है। आप वर्ष 2004 और वर्ष 2009 के भाव को देखें, तो पता लगेगा कि दोगुनी, तिगुने से लेकर चार गुनी तक मूल्यों में वृद्धि हुई है। हम चाहते हैं कि इस लेखे–जोखे में यह विवरण आना चाहिए था। यह दुर्भाग्य है कि सरकार के द्वारा जो दस्तावेज बनाया गया, आम आदमी की इन बातों की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरे संशोधनों के बारे में क्या कहना है?

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मैं आपके संशोधनों के बारे में बाद में जिक्र करूंगा। मुझे श्री गंगवार द्वारा प्रस्तुत इन चार संशोधनों को निपटाने दें। आपको प्रक्रिया की जानकारी है। क्या आप भी उनकी श्रेणी में आना चाहेंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने संशोधनों पर विचार किए जाने का इंतजार करना चाहिए। अब मैं श्री गंगवार द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 60, 72, 78 और 81 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

सभी संशोधन सभा के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब आचार्य जी, आपके संशोधन कौन–कौन से हैं?

श्री बसुदेव आचार्य : मेरे संशोधन 215 और 218 नंबर पर है। मैं अपने संशोधनों पर कुछ कहना चाहता हूं। संशोधन नंबर 215 लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से संबंधित है। सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने में विफल रही है। गत 2–3 वर्षों में मूल्यवृद्धि के कारण लोगों को गंभीर स्थिति का सामन करना पड़ रहा है।

अस्सी प्रतिशत लोग इससे प्रभावित हैं। आर्थिक मंदी के कारण, लाखों कामगार नौकरी खो रहे हैं। आज, दिल्ली में एक लाख से अधिक कामगार एकत्रित हुए हैं। सरकार इस समस्या का समाधान करने में विफल रही है। इस आर्थिक मंदी के कारण न केवल लोगों ने नौकरी खोई है अपितु कई क्षेत्रों में जबरी छुट्टी, तालाबंदी और वेतन में कटौती भी हुई है। बेरोजगारी बढ़ रही है।

मैं इन दो संशोधनों की प्रस्तुत करना चाहता हूं जो हमारे देश के लाखों लोगों की समस्याओं से संबंधित है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं, श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 215 और 218 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:–

"कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि को रोके जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।'

"किंतु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न क्षेत्रों में काम बंदी, जबरी छुट्टी, वेतन में कटौती, छंटनी आदि के कारण अपनी नौकरियां, आजीविका और आय खो चुके हजारों कामगारों पर वैश्विक आर्थिक मंदी के विनाशकारी प्रभाव और औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में तीव्र गिरावट के खतरनाक प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

जो इसके पक्ष में हैं वे "हां" कहें।

श्री बसुदेव आचार्य : हम मत–विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली करा दी जाएं।

दीर्घाएं खाली करा दी गई। प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोडा जाए, अर्थात्" :–

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि को रोके जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।"

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न क्षेत्रों का काम बंदी, जबरी छुट्टी, वेतन में कटौती, छंटनी आदि के कारण अपनी नौकरियां, आजीविका और आय खो चुके हजारों कामगारों पर वैश्विक आर्थिक मंदी के विनाशकारी प्रभाव और औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में तीव्र गिरावट के खतरनाक प्रभाव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है"

लोक सभा में मत–विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या - 1 **अपराह्न 4.30 बजे**

पक्ष में

अ

अप्पादुरई, श्री एम.

अबदुल्लाकुट्टी, श्री

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)

ओ

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

क

करूणाकरन, श्री पी.

कृष्णदास, सी एन. एन.

कृष्णन, डा. सी.

ख

खां, श्री सुनील

च

चक्रवर्ती, डा. सुजान

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चटर्जी, श्री सांताश्री

चन्द्रप्पन, श्री सी. के.

चौधरी, श्री बंसगोपाल

ज

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस

त

तोपदार, श्री तरित बरण

द

दास, श्री अलकेष

दास, श्री खगेन

न

नन्दी, श्री अमिताभ

प

पाण्डा, श्री प्रबोध

पाल, श्री रूपचंद

ब

*बर्मन, श्री हितेन

बसु, श्री अनिल

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता

बोस, श्री सुब्रत

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

म

मंडल, श्री अबु अयीश

*मसूद, श्री रशीद

मिडियम, डा. बाबू राव

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मोल्लाह, श्री हन्नान

र

राजेन्द्रन, श्री. पी.

राधाकृष्णन, श्री वरकला

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर

स

सतीदेवी, श्रीमती पी.

सर, श्री निखिलानन्द

सलीम, मोहम्मद

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी

सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन

सील, श्री सुधांशु

सुजाता, श्रीमती सी. एस.

सेन, श्रीमती मिनाती

विपक्ष में

अ

अंतुले, श्री ए. आर.

अंसारी, श्री फुरकान

अग्रवाल, डा. धीरेंन्द्र

अतिथन, श्री धनुषकोडी आर

अय्यर, श्री मणि शंकर

अहमद, डा. शकील

अहमद, श्री ई.

आ

आदि केसवुलु, श्री डी. के.

आरुन रशीद, श्री जे. एम.

इ

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री ई. वी. के. एस.

उ

उरांव, डा. रामेश्वर

ओ

ओला, श्री शीश राम

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

क

कलमाडी, श्री सुरेश

कादर मोहिदीन, प्रो. के. एम.

कामत, श्री गुरूदास

किन्डिया, श्री पी. आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्रीमती मीरा

कुमारी सैलजा

कृष्ण, श्री विजय

कृष्णास्वामी, श्री ए.

*केरकेटा, श्रीमती सुशीला

कौर, श्रीमती परमीत

ख

खारवेनथन, श्री एस. के.

ग

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश

गोविन्दा, श्री

गौडा, श्रीमती तेजस्विनी

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

च

चन्द्र कुमार, प्रो.

चालिहा, श्री किरिप

चित्तन, श्री एन. एस. वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डा.

चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह

चौधरी, डा. अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्रीमती रेनुका

चौरे, श्री बापू हरी

ज

जय प्रकाश, श्री

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

*जालप्पा, वी. आर. एल.

जिन्दल, श्री नवीन

ट

टाइटलर, श्री जगदीश

त

तंगबालु, श्री के. वी.

तस्लीमुद्दीन, श्री

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

द

दत्त, श्रीमती प्रिया

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री चन्द्र शेखर

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस.

देवरा, श्री मिलिन्द

न

*नायक, श्री ए. वेंकटेश

निखिल कुमार, श्री

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर

प

पटेल, श्री जीवाभाई ए.

पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई

पटेल, श्री दिनशा

पानाबाका, श्रीमती लक्ष्मी

पल्लानी शामी, श्री के. सी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता

पायलट, श्री सचिन

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.

प्रभु, श्री आर.

प्रसाद, कुंवर जितिन

फ

फैन्थम, श्री फ्रान्सिस

ब

बहुगुणा, श्री विजय

"बाबा", श्री के. सी. सिंह

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर

बालू, श्री टी. आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

म

महादीर प्रसाद, श्री

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मिश्रा, डा. राजेश

मीना, श्री नमोनारायन

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुर्मू, श्री हेमलाल

मेहता, श्री आलोक कुमार

मैन्या, डा. टोकचोम

*चर्ची के समाप्त से मतदान किया।

य

यादव, डा. करण सिंह

यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री मित्रसेन

*यादव, श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू

यादव, श्री राम कृपाल

यादव, श्री सीता राम

यास्खी, श्री मधु गौड

र

रंजन, श्रीमती रंजीत

रघुपति, श्री एस.

रठवा, श्री नारनभाई

राजू, श्री एम. एम. पल्लम

राजेन्तीरन, श्रीमती एम. एस. के. भवानी

राणा, श्री गुरजीत सिंह

*राणा, श्री रविन्दर कुमार

रानी, श्रीमती के.

रामकृष्णा, श्री बाडिगा

राव, श्री डी. विट्ठल

राव, श्री रायापति सांबासिवा

*रेड्डी, श्री ए. इंद्र करण

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री के. जे. एस. पी.

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर

ल

लालू प्रसाद, श्री

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

व

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

*वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी

वाघेला, श्री शंकर सिंह

विजयन, श्री शंकर सिंह

विजयन, श्री ए. के. एस.

विरुपाक्षप्पा, श्री के.

वुन्डावल्ली, श्री अरूण कुमार

वेंकटपति, श्री के.

वेकटस्वामी, श्री जी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेलु, श्री आर.

श

शर्मा, डा. अरविन्द

शर्मा, श्री मदन लाल

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) बीनराम

स

*संगमा, कुमारी अगाथा के.

सज्जन कुमार, श्री

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सहाय, श्री सुबोध कांत

साई प्रताप, श्री ए.

*सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंह, चौधरी विजेन्द्र

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, डा. अखिलेश प्रसाद

सिंह, श्री गणेश प्रसाद

सिंह, श्री चन्द्रभूषण

सिंह, श्री देवव्रत

सिंह, श्री भानवेन्द्र

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री मानिक

सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्री सीताराम

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती प्रतिमा

सिब्बल, श्री कपिल

सुगावनम, श्री ई. जी.

सुब्बा, श्री मणी कुमार

सुमन, श्री रामजीलाल

सुम्बरूई, श्री बागुन

सूर्यवंशी, श्री नरसिंहगराव डु.

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह

ह

हान्डिक, श्री विजय

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अनवर

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 45

विपक्ष में : 145

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, क्या आप अपने संशोधन पर जोर देना चाहते हैं?

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : हां, महोदय, मैंने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया था :

"कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये अर्थात्:

"परन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत–अमरीका परमाणु समझौते की समीक्षा जिससे भारत की परमाणु नीति की नीतिगत स्वायत्तता समाप्त हो गई है के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (224)"

महोदय, इस भारत–अमरीका परमाणु समझौता के बारे में वामदलों की स्थिति से देश के लोग अच्छी तरह परिचित हैं और बाहरी दुनिया के लोग इसके बारे में जानते हैं। यह प्रमुखतः नीतिगत संबंध से जुड़ा है और इसका परमाणु ऊर्जा से कुछ लेना–देना नहीं है। अतः यह भारत की परमाणु नीति की नीतिगत स्वायत्तता, इसके तीन चरणीय परमाणु कार्यक्रम एवं हमारी स्वतंत्र विदेश नीति का गंभीर रूप से क्षरण कर रहा है, इसलिए, इस भारत अमरीका परमाणु समझौते की समीक्षा करने की मांग की गई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अतः मेरा संशोधन है कि इसकी समीक्षा की जाए और हम इस संशोधन पर जोर दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : दीर्घायें पहले ही खाली कर दी गई हैं। अब मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 224 सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परंतु खेद है कि अभिभाषण में भारत–अमरीकी परमाणु समझौते की समीक्षा जिससे भारत की परमाणु नीति की नीतिगत स्वायत्तता समाप्त हो गई है के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (224)

लोक सभा में मत–विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या - 2 **अपराह्न 4.33 बजे**

पक्ष में

अ

अप्पादुरई, श्री एम.

अबदुल्लाकुट्टी, श्री

आ

आचार्य, श्री बसुदेव

क

कृष्णदास, श्री एन. एन.

कृष्णन, डा. सी.

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया :

पक्ष में 45 + सर्वश्री हितेन बर्मन, रशीद मसूद = 47

विपक्ष में 145 + श्री आर. एल. जालप्पा, श्रीमती सुशीला केरकेटा, सर्वश्री ए. के. वेंकटेश नायक, असादुद्दीन ओवेसी, रविन्दर कुमार राना, ए इंद्र करण रेड्डी, कुमारी अगाथा के. संगमा सर्वश्री क्रांतिकारी कोजी सारदीना, बालासोवरी वल्लभनेनी, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया = 155

ख

खां, श्री सुनील

च

*चक्रवर्ती, डा. सुजान

चटर्जी, श्री सांताश्री

चन्द्रप्पन, श्री सी. के.

चौधरी, श्री बंसगोपाल

ज

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस

डोम, डा. रामचन्द्र

द

दास, श्री अलकेष

दास, श्री खगेन

दासगुप्त, श्री गुरूदास

न

नन्दी, श्री अमिताभ

प

पाण्डा, श्री प्रबोध

*पॉल, डा. सिबैस्टियन

पाल, श्री रूपचंद

प्रधान, श्री प्रशान्त

ब

बर्मन, प्रो. बसुदेव (मथुरापुर)

*बर्मन, श्री हितेन

बसु, अनिल (आरामबाग)

बाउरी, श्रीमती सुस्मिता (विष्णुपुर)

म

मंडल, श्री अबु अयीश

मिडियम, डा. बाबू राव

मुर्मू, श्री रूपचन्द

मोहन, श्री पी.

य

यादव, श्री अखिलेश

र

रवीन्द्रन, श्री पन्नियन

राजेन्द्रन, श्री पी. (क्विलोन)

राधाकृष्णन, श्री वरकला

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर

स

सतीदेवी, श्रीमती पी.

सर, श्री निखिलानन्द

सलीम, मोहम्मद

सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी

सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन

सील, श्री सुधांशु

सेन, श्रीमती मिनाती

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका

विपक्ष में

अ

अंतुले, श्री ए. आर.

अंसारी, श्री फुरकान

आ

अग्रवाल, डा. धीरेंद्र

*अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.

अय्यर, श्री मणिशंकर

अहमद, डा. शकील (मधुबनी)

अहमद, श्री ई.

आदिकेसवुलु, श्री डी. के.

आरुन रशीद, श्री जे. एम.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

इ

इंग्ती, श्री बिरेन सिंह

इलेंगोवन, श्री ई. वी. के. एस.

उ

उरांव, डा. रामेश्वर

ओ

ओवेसी, श्री असादूद्दीन

क

कलमाडी, श्री सुरेश

कादर मोहिदीन, प्रो. के. एम.

कामत, श्री गुरूदास

किन्डिया, श्री पी. आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्रीमती मीरा

कुमारी सैलजा

कृष्ण, श्री विजय

कृष्णास्वामी, श्री ए.

केरकेटा, श्रीमती सुशीला

कौर, श्रीमती परनीत

ख

खारवेनथन, श्री एस. के.

ग

गांधी, श्री राहुल

गांधी, श्रीमती सोनिया

गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव

गोगोई, श्री दीप

गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश

गोविन्दा, श्री

गौड़ा, श्रीमती तेजस्विनी

चन्द्र कुमार, प्रो.

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री हरिसिंह

चित्तन, श्री एन. एस. वी.

चिदम्बरम, श्री पी.

चिन्ता मोहन, डा.

चौधरी; डा. तुषार अमर सिंह

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री अबू हशीम खां

चौधरी, श्रीमती रेनुका

चौरे, श्री बापू हरी

ज

जय प्रकाश, श्री

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जालप्पा, श्री आर. एल.

जिन्दल, श्री नवीन

ट

टाइटलर, श्री जगदीश

त

तंगबालु, श्री के. वी.

तस्लीमुद्दीन, श्री

तीरथ, श्रीमती कृष्णा

द

दत्त, श्रीमती प्रिया

दीक्षित, श्री सन्दीप

दुबे, श्री चन्द्र शेखर

देव, श्री वी. किशोर चन्द्र एस.

*देव, श्री संतोष मोहन

देवरा, श्री मिलिन्द

---

*चर्खी के माध्यम से मतदान किया।

न

नरबुला, श्री डी.

*नायक, श्री ए. वेंकटेश

निखिल कुमार, श्री

निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर

प

पटेल श्री जीवाभाई ए.

पटेल, श्री दिनशा

पानाबाका, श्रीमती लक्ष्मी

पल्लानी शामी, श्री के. सी.

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाटील, श्रीमती सूर्यकांता

पायलट, श्री सचिन

पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी

प्रभु, श्री आर.

प्रसाद, कुंवर जितिन

फ

फैन्चाम, श्री फ्रान्सिस्त

ब

बंसल, श्री पवन कुमार

बहुगुणा, श्री विजय

"बाबा", श्री के. सी. सिंह

बारकू, श्री शिंगाडा दामोदर

बालू, श्री टी. आर.

बोंचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी

म

महावीर प्रसाद, श्री

माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई

मिस्त्री, श्री मधुसूदन

मिश्रा, डा. राजेश

मीना, श्री नमोनारायन

मुखर्जी, श्री प्रणब

मुर्मू, श्री हेमलाल

मेहता, श्री आलोक कुमार

मैन्या, डा. टोकचोम

य

यादव, डा. करण सिंह

यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु

यादव, श्री जय प्रकाश नारायण

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम कृपाल

यादव, श्री सीता राम

यास्खी, श्री मधु गौड

र

रंजन, श्रीमती रंजीत

रघुपति, श्री एस.

रठवा, श्री नारन भाई

राजू, श्री एम. एम. पल्लम

राजेन्तीरन, श्रीमती एम. एस. के. भवानी

राणा, श्री गुरजीत सिंह

राणा, श्री रविन्दर कुमार

रानी, श्रीमती के.

रामकृष्णा, श्री बाडिगा

राव, श्री डी विट्टल

राव, श्री रायापति सांबासिवा

*रेड्डी, श्री ए. इंद करण

रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन

रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

ल

लालू प्रसाद, श्री

व

वर्मा, श्री बेनी प्रसाद

*वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी

वाघेला, श्री शंकर सिंह

विजयन, श्री के. एस.

विरुपाक्षप्पा, श्री के.

वुन्डावल्ली, श्री अरुण कुमार

वेंकटपति, श्री ए. के.

वेंकटस्वामी, श्री जी.

वेणुगोपाल, श्री डी.

वेलु, श्री आर.

श

शर्मा, डा. अरविन्द

शर्मा, श्री मदन लाल

शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम

स

*संगमा, कुमारी अगाथा के.

सज्जन कुमार, श्री

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सहाय, श्री सुबोत कांत

साई प्रताप, श्री ए.

सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी

सिंह, चौधरी विजेन्द्र

सिंह, राव इन्द्रजीत

सिंह, डा. अखिलेश प्रसाद

सिंह, श्री चन्द्रभूषण

सिंह, श्री मानवेन्द्र

सिंह, श्री मानिक

सिंह, श्री मोहन

सिंह, सीताराम

सिंह, श्रीमती कान्ति

सिंह, श्रीमती प्रतिमा

सिब्बल, श्री कपिल

सुगावनम, श्री ई. जी.

सुब्बा, श्री मणी कुमार

सुम्बरूई, श्री बागुन

सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव हु.

सेलवी, श्रीमती वी. राधिका

सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह

ह

हान्डिक, श्री विजय

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

हुसैन, श्री अनवर

हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन *मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में	43
विपक्ष में	146

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया:

पक्ष में 43 + श्री हितेन बर्मन, डा. सुजान अलिथन चक्रवर्ती, डा. सिबैस्टियन पाल=46 विपक्ष में 146 + सर्वश्री थनुषकोडी आर. अलिथन, संतोष मोहन देव, ए. वेंकटेश नायक, ए. इंब करण रेड्डी, कुमारी अगाथा के. संगमा और बालासोवरी वल्लभनेनी ने भी पर्ची के माध्यम से मतदान किया =152

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य संशोधनों को रखूंगा जो एक साथ सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत किये गए हैं।

अन्य सभी संशोधन रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:–

"कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 12 फरवरी, 2009 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर विचार करेगी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आज केन्द्रीय मजदूर संघों, सीआईटीयू, एआईटीयूसी, कर्मचारियों परिसंघों एवं संघों से संबंधित एक लाख से अधिक कामगार एवं कर्मचारी दिल्ली आए थे। उन्होंने मांग की है कि भारत सरकार को छंटनी, जॉब कार्ड रखकर अस्थायी छंटनी के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करनी चाहिए तथा काम के घंटे घटाने की मांग की।

गत कुछ महीनों में 30 लाख से अधिक कामगारों ने अपनी नौकरी खो दी है। ऐसे समय में बहुत अधिक लोगों की नौकरियां जा रही हैं जब देश में बेरोजगारी बहुत अधिक है। जिनकी नौकरियां बची हुई हैं वे मजदूरी कटौती, कार्य दिवसों में कमी और अन्य प्रकार की कार्यवाहियों का सामना कर रहे हैं। इस नई स्थिति का कामगार वर्ग एवं उनके जीवनयापन की स्थितियों पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा है।

निर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग, निर्यात से संबंधित एवं निर्यातोन्मुखी उद्योग विशेषकर कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र आदि क्षेत्रों के कामगार सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। महोदय, आपने गुजरात के हीरा कामगारों की दुर्दशा देखी है। अब तक लगभग 71 कामगारों ने आत्महत्या कर ली है और अनेक कामगार गुजरात राज्य की चिकित्सा प्रयोशालाओं में अपनी चिकित्सकीय जांच करा रहे हैं।

महोदय, भारत सरकार ने राहत पैकेजों की घोषणा की है। सरकार करों में छूट की अनुमति दे रही है। सरकार ने ब्याज दर में कमी की है। लेकिन कोई पूर्व शर्त नहीं है। सरकार जब भी राहत पैकेजों की घोषणा करती है या ब्याज दर घटाती है या कर में कमी करती है तब नियोक्ताओं, उद्योगपतियों जो लाभ प्राप्त करते हैं, जिन्हें राहत मिलती है और जिन्हें छूट पर छूट दी जाती है के ऊपर कोई पूर्व शर्त नहीं लगाई जाती है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कोई वाद–विवाद नहीं है। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, राहत देने और छूट देने हेतु लगभग एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन ऐसी कोई शर्त नहीं है कि नियोक्ता छंटनी न करें। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि जिस प्रकार से छंटनी हो रही है उससे बेराजगार हो रहे व्यक्तियों की संख्या एक करोड़ तक पहुंच जाएगी। मार्च, 2009 तक हमारे देश के एक करोड़ कामगारों का रोजगार चला जाएगा। हमारे देश में स्थिति इतनी गंभीर है। अब, ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, पूर्व वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम ने कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको मुद्दा उठाना है, आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, स्थिति बहुत गंभीर है। आज कामगार सड़क पर आ गए हैं। जब तक कोई उपाय नहीं किए जाते तथा जब तक नियोक्ताओं से छंटनी, अस्थायी छंटनी या तालाबंदी नहीं करने को कहा जाता तब तक कामगारों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। वे नियोक्ताओं को राहत दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कामगारों को भी उन्हें रोजगार की सुरक्षा दी जाए।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार इससे निपटने के लिए, इस स्थिति पर ध्यान देने के लिए कठोर कदम उठाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री रुपचन्द पाल और श्री सी. के. चन्द्रप्पन अपने को इस मामले से संबद्ध कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर) : महोदय, मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने नाम भेजें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जिन सदस्यों ने सूचना दी है मैंने उनके नाम का पहले ही उल्लेख किया है। कृपया बैठ जाइए। मैंने पहले ही दस मिनट से अधिक का समय दे दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुस्मिता बाउरी, श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर, श्री सुब्रत बोस, प्रो. बसुदेव बर्मन, श्री पी. मोहन, श्री सुनील खां तथा श्री सांताश्री चटर्जी को भी इस मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री किशन सिंह सांगवान – अनुपस्थित।

श्री हंसराज जी. अहीर – अनुपस्थित

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए जो आरक्षण संविधान में दिया गया है, उसके साथ विरोधी रवैये के कारण लोगों में बहुत असंतोष व्याप्त है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदों और सेवाओं में आरक्षण विधेयक, 2008, में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सिविल सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए जो विधेयक लाया गया है, उसमें इस प्रकार के उपबंध किये गये हैं, जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो कुछ उपबंध किए गए हैं, उसके कारण वे एक–दूसरे के विरोधाभासी हैं। इसमें यह कहा गया है कि सरकार सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए उतने प्रतिशत पद ऐसी रीति में आरक्षित करेगी, जो विहित की जाए। इसी के विपरीत धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, वहां कोई आरक्षण नहीं होगा, जहां नियुक्तियां होंगी।

इस प्रकार की 47 संस्थाओं को सूची में से निकाल दिया गया है, जहां कि वे आरक्षण प्राप्त कर रहे थे। ये सारी संस्थाएं, जिनमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय हैं, ऐसी संस्थाओं में जो 47 शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें उच्च पदों पर इस प्रकार के आरक्षण करने की बात होने वाली है। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि इस प्रकार के विधेयक में जल्दी सुधार करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण करने का उपाय करे।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोज़ाबाद) : महोदय, मैं अपने को श्री जटिया द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम (वीरभूम) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व के प्रख्यात संस्थान अर्थात् शांति निकेतन स्थित विश्वभारती विश्वविद्यालय के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि यह विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। गुरूदेव रविन्द्र नाथ टैगोर ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसे संसद में एक विधान के द्वारा विश्वभारती अधिनियम, 1951 को अधिनियमित किया गया था तथा इस संशोधन के द्वारा ही इस विश्वविद्यालय मे आरंभिक शिक्षा प्रणाली से स्नातकोतर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। यह अपने आप में एक अनूठा ही संस्थान है लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत आरंभिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर स्तर भी शिक्षा प्रदान करने–वाले शिक्षकों को अध्यापक ही कहा जाता है। यह विश्वविद्यालय के संविधान के अनुसार है।

यह इस विश्वविद्यालय के आरंभ से आज तक चल रहा है। लेकिन हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक कार्यकारी आदेश के जरिए विश्वविद्यालय की भावना तथा गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों एवं आदर्शों की महत्ता को कम कर दिया गया है। विद्यालय के अध्यापकों तथा शिक्षा प्रणाली की स्थिति की महत्ता को कम कर दिया गया है और उनके अधिकार छीन लिए गए हैं। क्योंकि उन्हें अन्य केन्द्रीय विद्यालयों या केन्द्रीय विद्यालयों के समकक्ष ला दिया गया है। यह गुरूदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों के प्रतिकूल हैं तथा इस प्रकार से विश्वविद्यालय के गौरव एवं सम्मान को कम किया गया है।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस विश्वविद्यालय का मान कम न करे तथा इस कार्यकारी आदेश को वापस लेकर इस विश्वविद्यालय का गौरव एवं सम्मान पुनः बहाल करे। प्रधान अधिनियम में संशोधन किए बिना इस विश्वविद्यालय में यह कार्यकारी आदेश लागू नहीं हो सकता है। अतः विश्वविद्यालय का वर्तमान दर्जा बने रहना चाहिए तथा सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने चाहिए। आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि कुछ केबिनेट मंत्री यहा उपस्थित हैं। मै समझता हूं कि डा. डोम द्वारा अभी उठाया गया यह विषय अति महत्वपूर्ण है तथा इस पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़) : महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। दरअसल, माननीय विदेश मंत्री द्वारा वर्ष 2009–2010 के अंतरिम बजट भाषण में राजस्थान राज्य के लिए एक आईआईएम की घोषणा की गई थी। यद्यपि, मीडिया रिपोर्टों के जरिए यह सुनने मे आ रहा है कि यह गलती से मुद्रित हो गया है तथा यह कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अव्यवस्थित रूप से काम किया तथा अब वे इसे हटाना चाहते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य को एक आई. आई. टी. जो पहले ही राज्य को दिया जा चुका हैं के साथ एक आई. आई. एम. भी दिया जाए। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार राजस्थान को एक आई.आई.एम. दे।

श्री एन. एन. कृष्णदास (पालघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वैश्विक आर्थिक मन्दी के कारण विदेशों में अपनी नौकरी जाने के बाद लाखों अनिवासी भारतीय भारत लौट रहे हैं। इन वर्षों के दौरान इन लोगों ने हमारे विदेशी मुद्रा बाजार में करोड़ों रुपये का योगदान दिया है लेकिन अब घर खाली हाथ लौट रहे हैं। हमारे केरल राज्य से लगभग 38 लाख लोग विदेशों में कार्य कर रहे हैं तथा देश के विदेशी मुद्रा भंडार में अंशदान दे रहे हैं। भारत सरकार देश के विदेशी मुद्रा सरकार में उनके अंशदान से लाभान्वित हो रही है। अतः भारत सरकार को वैश्विक मंदी के कारण भारत लौटाने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए तुरंत एक संपूर्ण पुनर्वास परियोजना बनानी चाहिए। महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, ओपियम की खेती ऐसी है जो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के नारकोटिक्स विभाग द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के अधीन होती है। मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले, राजस्थान के कतिपय जिले जिनमें झालावाड़, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ क्षेत्र प्रमुख हैं तथा उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जहां अफीम की काश्त लाइसेंस के आधार पर होती है, वहां फसल में भयंकर रोग लगा है जबकि निर्धारित औसत सरकार को ही देनी होती है। अगर सरकार को निर्धारित औसत नहीं देते हैं तो उनका लाइसेंस निरस्त हो जाता है और वे अगले वर्ष खेती करने योग्य नहीं रह जाते हैं। इस दशा में प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसल में जो रोग लगे हैं उनका कोई उपचार नहीं हो सका। मैं चाहता हूं कि जो औसत केंद्र सरकार को दी जाने वाली है उसमें कमी की जाए क्योंकि इस खेती में हजारों किसान लगे हुए हैं। केवल मध्य प्रदेश में 50,000 किसान हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार इसमें लगे हुए हैं। इन परिवारों पर किसी प्रकार का संकट न आए। वे आगामी वर्ष के लिए फिर से लाइसेंस प्राप्त कर खेती कर सकें और अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अन्यथा किसानों के सामने मरण स्थिति पैदा हो जाएगी और वे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार के वित्त मंत्रालय का नारकोटिक्स विभाग इस तरफ ध्यान दे।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 2008 एक्ट 5 में धारा 41 और 309 में संशोधन हुआ है। पूरे देश में अधिवक्ताओं ने इसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया है और इस कारण 3 फरवरी को हड़ताल की गई। आज देश के अधिकांश अधिवक्ताओं ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। धारा 309 में जो संशोधन हुआ है, उसके मुताबिक कोर्ट में कोई मुवक्किल दरख्वास्त देता है कि उसके वकील कोर्ट मे व्यस्त हैं तो उसे स्थगन नहीं मिल सकता, चाहे भले ही वकील का कोई व्यक्तिगत कारण रहा हो। यह बहुत गंभीर मामला है क्योंकि वकील की अनुपस्थिति में कोई भी बयान दर्ज किया जा सकता है। धारा 41 में पहले यह होता था कि एफआईआर पंजीकृत होती थी तो बगैर किसी वारंट के अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन अब स्थिति यह है कि एफआईआर पंजीकृत होने के बाद अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इससे अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का हौसला बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा। जिन अपराधों में सात साल की सजा का प्रावधान है, उन्हें छूट रहेगी। यह न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। ये संशोधन समाज के हित में नहीं है, न्याय प्रक्रिया के हित में नहीं हैं। पूरे देश के वकील हड़ताल पर हैं और आज जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। सरकार को अधिवक्ताओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। आज तीस हजारी कोऑर्डिनेशन कमेटी, बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली और देश के तमाम संगठनों ने मिलकर जंतर–मंतर पर प्रर्दशन किया है। मेरा आग्रह है कि सरकार इसका संज्ञान ले और अधिवक्ताओं के संगठनों से बातचीत करे, वकीलों के आक्रोश को समझे और तत्काल हस्तक्षेप करके समस्या का हल निकाले।

अपराह्न 4.44 बजे

(डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोबिली) : सभापति महोदय, मैं विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को रक्षित खान आबंटित किए जाने से संबंधित अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उठाना चाहती हूं।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को रक्षित लौह अयस्क खान आबंटन करने के लिए तुरन्त कदम उठाए अन्यथा इस संयंत्र का भविष्य अन्धकारमय हो जाएगा। विश्वसनीय रिपोर्टों के अनुसार रक्षित खान की कमी के कारण इस संयंत्र को 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।

कुछ निजी इस्पात संयंत्रों को रक्षित खानें आबंटित की गई हैं लेकिन सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र के पास ऐसी कोई खान नहीं है। इस्पात संयंत्र सरकारी क्षेत्र में एक राष्ट्रीय परिसम्पत्ति है, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस संयंत्र को और अधिक रक्षित खान आबंटित की जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामला उठा रही हूं। डी.आई.सी.जी.सी. (डिपाजिट्स इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन) यह एक प्रकार की प्रमोटिड बाई आर.बी.आई. इंश्योरेंस कंपनी है। यह कंपनी बैंक के जो एक लाख रुपए तक के डिपाजिटर्स होते हैं, उन्हें प्रोटैक्ट करने की दृष्टि से बैंक से प्रीमियम लेती रहती है। इंदौर में एक महाराष्ट्र संघ ब्राह्मण सहकारी बैंक है। यह महाराष्ट्र संघ ब्राह्मण सहकारी बैंक एन. पी.ए. बढ़ने के कारण वर्ष 2004 में बंद हो गया। वर्ष 2005 में वहां लिक्विडेटर अपाइंट हुआ। चूंकि बैंक ने रेगुलरली प्रीमियम के पैसे भरे हुए थे इसलिए लिक्विडेटर अपाइंट होने के बाद लिक्विडेटर ने तुरंत करीब–करीब एक लाख रुपए तक डिपाजिटर्स को देने की दृष्टि से 41 करोड़ का अपना क्लेम डी.आई.सी.जी.सी. को पेश किया। डी.आई.सी. जी.सी. ने उन्हें करीब 28.6 करोड़ रुपये दिए और यह कहा कि बाकी के पैसे 8.72 करोड़ रुपये आप उसमें मिला देना। यह पैसा देने के बाद बहुत से डिपाजिटर्स का एक लाख रुपये तक पैसा वापस किया गया। इसके बाद लिक्विडेटर ने आज तक अपने स्तर पर लोन रिकवरी की, जो करीब 14 करोड़ रुपए हो गई है। अब वास्तव में इस पर अधिकार जो बनता है, वह डिपाजिटर्स का बनता है। जो बाकी डिपाजिटर्स बचे हुए हैं, उनमें किसी के डेढ़ लाख, तीन लाख, पांच लाख रुपए हैं। ये सभी पेंशनर्स हैं, और सभी इस प्रकार के लोग हैं जो बैंक के इंटरैस्ट पर जीवनयापन कर रहे हैं। इसमें किसी का पूरी पेंशन का पैसा रखा हुआ है। लेकिन अब इन्हें समस्या आ रही है कि ये 14 करोड़ रुपये वास्तव में जो बचे हुए डिपाजिटर्स को देने चाहिए, लेकिन यहां डी.आई.सी.जी.सी. ने उस पर बंधन लगा दिया, इन्हें स्टाप कर दिया कि पहला क्लेम हमारा बनता है, हमारा इतना करोड़ रुपया वापस दे दो, जबकि मेरा कहना यह है कि वास्तव में इस प्रकार का फर्स्ट क्लेम डिपाजिटर्स का होता है, इंश्योरेन्स कंपनी का नहीं होता है।

इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से इतना कहना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और आर.बी.आई. के थ्रू इस कंपनी को इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस दे कि उनका पहला क्लेम नहीं, उनका आखिरी क्लेम बनेगा। अभी जो पैसा वसूल हुआ है, वह डिपाजिटर्स को ही देना चाहिए, यह उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मैं समझती हूं कि सरकार को इस प्रकार से उन लोगों की तुरंत मदद करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं सरकार का ध्यान गुजरात के साबरकंठा जिले, जो मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी है, में फैली हुई गंभीर बीमारी हेपेटाइटिस–बी की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले पखवाड़े में वहां 19 लोगों की मौतें हुई हैं और इससे भी अधिक लोगों को अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वहां केवल एक अस्पताल है जिसे एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जाता है। प्रभावित लोगों को सरकारी अस्पतालों में दाखिल नहीं कराया गया है और न ही सरकार ने अभी तक पर्याप्त उपाय किए हैं यद्यपि इस बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ था।

गुजरात सरकार ने भारत सरकार से एक दल भेजने का अनुरोध किया और वे इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर भी सच्चाई यही है कि यह बीमारी हर जगह फैल रही है और मैंने अस्पतालों में देखा है कि स्थिति बहुत ही गंभीर है। सरकार को चाहिए कि न केवल गुजरात से अपितु केन्द्र की ओर से भी वहां चिकित्सा दल भेजने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिएं ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की मौतें हुई हैं उन्हें या तो मुख्यमंत्री राहत कोष से या प्रधानमंत्री राहत कोष से मुआवजा दिया जाना चाहिए और यदि यह संभव न हो तो उन्हें आपदा राहत कोष से मुआवजा दिया जाना चाहिए। अतः मैं भारत सरकार तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से इस बीमारी को फैलने से रोकने, लोगों को राहत देने एवं पर्याप्त उपाय करने हेतु तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

श्री पी. सी. गडवी (कच्छ) : महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा किए गए एक अध्ययन ने खलबली पैदा कर दी जब उसने इस बात का खुलासा किया कि बाजार में उपलब्ध अधिकतर खाद्य तेलों में अनुमत्य सीमा से अधिक कृत्रिम वसा (ट्रांसफैट) है। इस संबंध में की गई जाचं में सात वनस्पति ब्रांडों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों से 5 से 12 गुना अधिक कृत्रिम वसा (ट्रांस फैट) पाई गई थी।

सच्चाई यह है कि अधिकतर खाद्य उत्पाद भारतीय उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। आज भारत में जहां विश्व के सबसे अधिक मधुमेह के रोगी होने की आशंका है, के लोग सही खाना नहीं खा रहे हैं और भारत में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं कुपोषण की शिकार हैं तथा 51 प्रतिशत बच्चे भी कुपोषण से प्रभावित हैं क्योंकि वे उपयुक्त खाना नहीं खा रहे हैं।

सेन्टर फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल, नई दिल्ली के अनुसार कृत्रिम वसा न केवल हानिकारक कौलेस्ट्रोल को बढ़ाती है अपितु कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियां भी पैदा करती हैं। यद्यपि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तेल तथा वसा सबंधी उपसमिति ने सेंट्रल कमिटी ऑफ फूड फॉर स्टैण्डर्ड को सिफारिशें भेजी थीं लेकिन इसमें कृत्रिम वसा के संबंध में स्पष्ट–दिशा–निर्देशों का अभाव है।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर सभी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर पौष्टिकता को दर्शाने वाला लेबल लगाना अनिवार्य बनाने के लिए दबाव डाले और दूसरा; जागरूकता सेहतमंद खाने का केवल एक भाग है। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में भी बताया जाना चाहिए। हानिकारक खाद्य उत्पादों को शेल्फों से हटाये जाने की आवश्यकता है। खाद्य मानकों और अनुमत्य सीमा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। तथा लोगों में इसका प्रसार किया जाना चाहिए। और इसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र और विशेषकर विदर्भ क्षेत्र में जो अकाल पड़ा हुआ है, उसके बारे में केन्द्र सरकार को अवगत कराकर मदद मांग रहा हूं।

सभापति जी, इस साल खरीफ की फसल नष्ट होने के कारण सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्याएं की है। चन्द्रपुर, गढ़चिरौली और यवतमाल जिलों में फसलें अनेक बीमारियों के आक्रमण के कारण नष्ट हो गई हैं। मैंने इसकी शिकायत केन्द्र सरकार से की थी। केन्द्र सरकार ने अधिकारियों की एक टीम भेजकर उसकी जांच के लिए एक सर्वे किया है लेकिन उसके बाद नष्ट हुई फसल के बदले में केन्द्र सरकार ने किसानों को कोई आर्थिक मदद नहीं दी है। बड़ी मुश्किल से किसानों ने यहां पर रबी की फसल बोई है परन्तु जलाशयों, नदियों और कुओं में पानी नहीं होने के कारण सिंचाई नहीं हो पाई और इस प्रकार रबी की फसल भी बर्बाद हो गई है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से विनती करता हूं कि जहां कहीं भी अधिक किसानों ने आत्महत्या की है या उन पर मुसीबत आयी है, उन किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए जांच हेतु सर्वे कराया जाये ताकि किसानों की आर्थिक मदद हो सके।

[अनुवाद]

श्री एस. के. खादरवेन्नथन (पलानी) : भारत सरकार ने लोक सभा में बिना किसी चर्चा के जल्दबाजी में दिनांक 23/12/2008 को एक संशोधन विधेयक के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा धारा 41 और धारा 309 में कतिपय संशोधनों को छोड़कर अधिकतर संशोधनों को अपनाया जा सकता है।

संशोधित धारा 41 (1) (क) के माध्यम से पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में पुलिस को संज्ञेय अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा इस शक्ति का दुरूपयोग किया जाएगा और इससे मानवधिकारों का उल्लंघन भी होगा। दिनांक 6/1/2009 को नई दिल्ली में गृह मंत्री के साथ अपनी बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों द्वारा इस संशोधन का विरोध किया गया था।

संशोधित धारा 41(1) (क) अनुसार अभियुक्त को गिरफ्तार करने के स्थान पर पुलिस लूटपाट, साशय गंभीर उपहति कारित करना, धोखा–धड़ी, किसी महिला की लज्जा भंग करना और उपेक्षा से मृत्यु कारित करने जैसे अपराध जिनमें सात वर्ष तक कारावास की सजा दी जा सकती है; के लिए "किसी अभियुक्त को अपने समक्ष पेश" होने का नोटिस जारी कर सकेगी।

इससे हमारी प्रचालित वर्तमान व्यवस्था, जिसमें पुलिस सभी संज्ञेय अपराधों में किसी अभियुक्त को विधिक प्रक्रिया से बचने का कोई अवसर देने से पहले जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करती है, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः धारा 41 (1) (क), (ख) और धारा 4 (क) में किए गए संशोधन अत्यंत आपत्तिजनक हैं। इसी प्रकार धारा 309(2) (ख) और (ग) के अंतर्गत किए गए संशोधन किसी भी नागरिक को उसकी पसंद के अधिवक्ता से बचाव के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और ये नैसर्गिक न्याय तथा निष्पक्षता का भी उल्लंघन है।

अपराह्न 5.00 बजे

वस्तुतः अब मौजूदा उपबंध तथा बार और खण्डपीठ के मौजूदा आपसी संबंधों के कारण न्यायालय अधिवक्ताओं को न्यायालय में उपस्थित होने के समुचित अवसर प्रदान कर रहे हैं और इस संशोधन के माध्यम से स्थगन हेतु उनके अनुरोध को न अस्वीकार करना वास्तविक नहीं है।

पिछले 15 दिनों से देश के अधिवक्ता लड़ाई पर उतारु हैं और न्यायालयों का बहिष्कार कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंण्डिया, स्टेट बार काऊंसिल और विभिन्न बार एसोसिएशएन सरकार से संशोधित उपबंधों की अधिसूचना को रोकने का अनुरोध करते हुए पहले ही संकल्प पारित कर चुके हैं। अतएव इस देश के वकीलों और मुवक्किलों के हित में मैं सरकार से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41, धारा 309 के संशोधित उपबंधों को अधिसूचित नहीं करने का अनुरोध करूंगा।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़) : महोदय, असम की ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड उत्पादन के बेहद कठिन दौर से गुजर रही है। वर्ष 2004 से बार–बार सदन में यह बात बताई जाती रही है परंतु दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार विशेषकर उर्वरक मंत्रालय चाय उत्पादन को (बड़े और छोटे) और असम तथा पूर्वोत्तर के आम किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन जारी रखने के लिए स्थायी समाधान ढूंढने की दिशा में समुचित ध्यान नही दे रहा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा) : महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है, मेरा नार्थ–ईस्ट का बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष ने आपको अनुमति नहीं दी है। मैं माननीय अध्यक्ष की अनुदेशों के अनुसार समय दे रहा हूं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि केवल यही एक ऐसा प्रमुख उद्योग है जो मेरे लोक सभा संसदीय निर्वाचन में कांग्रेस के पांच दशक के शासनकाल के दौरान स्थापित किया गया है क्योंकि चाय, कोयला, लकड़ी, परिशोधन शाला तेल और प्राकृतिक गैस से संबंधित जैसे मौजूदा प्रमुख उद्योगों की स्थापना स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित किए गए थे। दूसरी ओर, देश का सबसे ज्यादा राजस्व भुगतान करने वाला क्षेत्र होने के नाते डिब्रुगढ़ को राष्ट्रीय नीति निर्माण निर्णय में आधुनिक अवसंरचना वृद्धि का यथोचित लाभ नहीं मिल रहा है। यह इस क्षेत्र को वंचित रखे जाने का एक जबर्दस्त उदाहरण है। पुरानी मशीनरी के कारण नामरुप II और नामरूप III में उत्पादन प्रायः अनियमित है। विशेषज्ञों का भी यह मत यही है कि ये दो मौजूदा उत्पादन इकाइयां सतत् रूप से उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है। अतएव असम और पूर्वोत्तर के उर्वरक बजारों की मांग के मद्देनजर संयंत्रों को ज्यादा उत्पादक बनाने के लिए 26 जून, 2006 को नामरूप में अपनी पहली यात्रा के दौरान रसायन और उर्वरक मंत्री, श्री राम विलास पासवान, द्वारा किए गए वादे के अनुरूप प्रस्तावित नया आधारभूत संयंत्र (चौथा संयंत्र) स्थापित किया जाए और कर्मचारियों की वेतन संरचना संशोधित करने के साथ–साथ इसमें देश के पेशेवर विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए।

मेरा केन्द्र सरकार से पुरजोर अनुरोध है कि असम और पूर्वोत्तर के उर्वरक बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए तुरंत चौथे संयंत्र की स्थापना करने को वरीयता देने के साथ–साथ इस काम के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता दी जाए।

अपराह्न 5.02 बजे

*अंतरिम बजट (रेल)-2009-10;
*लेखानुदानों की मांगें (रेल)-2009-10;
*अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)-2008-09;
*अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)-2006-07

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब वर्ष 2009–2010 के अंतरिम रेल बजट पर सामान्य चर्चा, वर्ष 2009–2010 के लेखानुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान; वर्ष 2008–2009 के अनुपूरक लेखानुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान तथा वर्ष 2006–07 के अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल) पर चर्चा और मतदान करेगी।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य; जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित हो चुके हैं यदि अपने कटौती प्रस्ताव को रखना चाहते हैं, तो वे 15 मिनट के अन्दर उस कटौती प्रस्ताव के क्रमांक को उद्धृत करते हुए पटल पर अपनी पर्ची भेज सकते हैं; जिसे कि वे लाना चाहते हैं। केवल ऐसे कटौती प्रस्तावों को ही रखा माना जाएगा।

उसके थोड़ी देर बाद ही नोटिस बोर्ड पर ऐसे कटौती प्रस्तावों के क्रमांक की सूची को दर्शाया जाएगा जिन्हें रखा हुआ माना गया है। यदि कोई सदस्य सूची में कोई विसंगति पाता है तो वह इसे तुरंत पटल अधिकारी के संज्ञान में लाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जायें"

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

लोक सभा

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2009–10 के लिए लेखानुदानों की मांगें (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदानों की मांगों की राशि (रु.)
1	रेलवे बोर्ड	75,99,49,000
2	विविध व्यय (सामान्य)	233,25,49,000
3	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	1962,60,37,000
4	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	2983,97,92,000
5	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	1317,55,54,000
6	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	3044,48,49,000
7	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	1741,93,40,000
8	परिचालन व्यय–चल स्टॉक और उपस्कर	2243,41,67,000
9	परिचालन व्यय–यातायात	5861,11,11,000
10	परिचालन व्यय–ईंधन	4977,06,17,000
11	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	1265,96,65,000
12	विविध संचालन व्यय	1297,88,19,000
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	6555,09,80,000
14	निधियों में विनियोग	8757,42,00,000
15	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	8,56,23,000
16	परिसंपत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	20,00,00,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	14758,98,40,000
	रेलवे निधियां	6668,04,46,000
	रेलवे संरक्षण निधि	566,59,67,000
	योग	64339,95,05,000

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तंभ 2 में दिखाई गयी मांग संख्या 1, 3 से 13, 15 और 16 के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गयी राशियों में अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

लोक सभा

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008–09 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों की राशि (रु.)
1	2	3
1	रेलवे बोर्ड	15,00,00,000
3	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	427,25,77,000
4	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	432,51,11,000

1	2	3
5	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	258,62,14,000
6	सवारी एवं माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	845,19,03,000
7	संयंत्र व उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	371,08,19,000
8	परिचालन व्यय – चल स्टॉक और उपस्कर	540,27,88,000
9	परिचालन व्यय–यातायात	1205,17,90,000
10	परिचालन व्यय–ईंधन	567,36,50,000
11	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	281,01,04,000
12	विविध संचालन व्यय	353,57,32,000
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	3065,35,87,000
15	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	75,08,00,000
16	परिसंपत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	2280,00,00,000
	रेलवे निधियां	10,000
	योग	10717,50,85,000

सभापति महोदय : प्रस्ताव हुआ है:

"कि कार्य सूची के स्तंभ में मांग संख्या 1, 10, 15 और 16 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2007 को सप्ताह होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2006–07 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे)

मांग की संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की राशि
		(रु.)
1	रेलवे बोर्ड	1,34,075
10	परिचालन व्यय – ईंधन	23,47,96,342
15	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण का भुगतान तथा अतिपूंजीकरण के परिशोधन के लिए भुगतान	4,54,77,535
16	परिसंपत्तियां–अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव	
	रेलवे निधियां	121,32,89,008
	जोड़	149,36,96,960

सभापति महोदय : जो सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं। उन्हें कार्यवाही का एक भाग माना जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी (चिदंबरम) : महोदय, कल भी 'शून्य काल' नहीं हुआ था और मुझे कोई अवसर नहीं मिला था। आज भी मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)* केवल दलों के नेताओं को 'शून्य काल' के दौरान बोलने का अवसर दिया जा रहा है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने यह नियत किया था कि रेल बजट पर अपराह्न पांच बजे चर्चा शुरू होगी।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, समय को पांच मिनट और बढ़ाने मे क्या नुकसान है *...(व्यवधान)*

श्री ई. पोन्नुस्वामी : महोदय, इसका क्या हल है? *...(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री ई. पोन्नुस्वामी : केवल नेताओं को बोलने का अवसर मिल रहा है। आप बोलने का अवसर देने में पक्षपात कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : हम भी सभा के सदस्य हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम कार्य–सूची की अगली मद पर विचार करेंगे। अब, आपके मुद्दे को नहीं लिया जा सकता है। यह नियमों के विरुद्ध है।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जार्ज : नियमों से आपका क्या तात्पर्य है? *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : हमने रेल बजट पर चर्चा करना आरंभ कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री ई. पोन्नुस्वामी : महोदय, यह सदस्यों का अधिकार है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि वे देश के इतिहास के पहले ऐसे मंत्री हैं, जिन्होंने छः बार रेल बजट पेश किया है। जिस समय बजट पेश किया गया था तो वह अनुपूरक मांगों का था। लेकिन जब उन्होंने बजट पेश किया तो ऐसा कहीं नहीं लगा कि वह चार महीने के लिए है, ऐसा लगा कि उन्होंने पूरे साल का बजट पेश किया है। उनकी घोषणाओं से लोगों को उम्मीद जगी थी कि प्रणब दा जब बजट पेश करेंगे तो लालू जी की ही तरह कोई अच्छी घोषणा करेंगे। लेकिन दोनों बजट को देखकर ऐसा कहीं नहीं लगा।

सभापति महोदय : मैं बताना चाहता हूं हम आइटम नंबर 33 से लेकर 38 तक को शामिल कर रहे हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : ठीक है, सर। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस दिन उन्होंने बजट पेश किया दुर्भाग्य से उसी दिन दो रेल दुर्घटनाएं हुईं। सुबह जहां बजट पेश करने की खुशी थी, शाम को वही तनाव में थे। जब रेल दुर्घटना होती है तो सबसे ज्यादा तनाव रेल मंत्री जी को ही होता है। मैं अपनी चर्चा की शुरूआत इसी बात से करना चाहता हूं। मैं भागलपुर से सांसद चुनकर आया हूं।

लालू जी ने मेरे लिए बहुत काम किया है, लेकिन वह चुनावी वर्ष में मेरा नाम लेकर मुझे क्रेडिट नहीं देंगे। हमारे संबंध इतने खराब भी नहीं हैं, लेकिन अगर चुनावी वर्ष न होता तो वे मेरी तरफ देखते और कहते कि शाहनवाज़ तुमने जो चिट्ठी लिखी थी, मुझे मिल कर कहा था, वह काम हमने कर दिया है। मैंने जो 26 दिसम्बर को चिट्ठी लिखी थी, उसे भी साथ में लाया हूं। मैं उम्र में कम हूं, लेकिन मेरा अनुभव ज्यादा है। मैं देश का सिविल एविएशन और नागरिक उड्डयन मिनिस्टर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन संगत ठीक नहीं है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उस नाते मैंने इसलिए बताया, मैं अपनी कोई बढ़ाई करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। रेल मंत्री जी को

मालूम होगा कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। मैं जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था तो रेलवे की सुरक्षा का जवाब पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुझे देना पड़ता था, इसलिए मुझे कुछ जानकारी है। वैसे पूरे कार्यालय का यह आखिरी सत्र है। चंद दिन बीते हैं, कल भी मैंने देखा कि विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेता की बातचीत में कड़वाहट नहीं थी। मैं भी अपने स्वभाव के अनुसार कभी अपनी बातचीत में कड़वाहट नहीं डालता हूं, लेकिन लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में अपनी बात रखने का एक अधिकार है, जिस अधिकार का मैं सदुपयोग जरूर करूंगा।

सभापति महोदय, बिहार में उर्दू सैकिंड लैंग्वेज़ है। जब लालू जी का भाषण हो रहा था, पिछली बार शेयरो–शयरी उर्दू में थी, लेकिन इस बार उन्होंने अच्छी कविताएं पढ़ीं। मैं भी अपनी शुरूआत एक इशारे के साथ करना चाहता हूं कि लालू जी ने जो बातें कहीं, उसमें मुनाफे की बात कही। उन्होंने कहा कि बहुत प्रोफिट कमाया, लेकिन जम्हूरियत में मुनाफे के लिए ये यहां नहीं आए। जब कोई सरकार बनती है तो वह कार्पोरेट सैक्टर की सरकार नही है, कार्पोरेट का सीएमडी कहे कि बैलेंसशीट इतना बढ़ा गया, लेकिन जो मंत्री होते हैं, उन्हें यह कहना होता है कि हमने सुविधाएं इतनी बढ़ा दीं। इसलिए एक शायर ने कहा कि – "जम्हूरियत एक तर्ज हुकूमत है, कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते।" जो बंदें हैं, उन्हें हमने क्या फेसिलिटी दी। जब लालू जी रेल मंत्री के तौर पर यहां पहला भाषण कर रहे थे, तब मैं इस सदन का सदस्य नहीं था। सभापति जी, आपके आर्शीवाद से मैं इलैक्शन में भागलपुर से चुन कर आया और मैंने रेल मंत्री जी का जो पहला बजट था, इनकी पुरानी जो स्पीच थी, उसे हमने टीवी पर सुना था। वैसे भी हमारी पार्टी के लोगों ने उस वक्त रेल मंत्री जी का भाषण नहीं सुना था, लेकिन हमने इनका भाषण टीवी पर सुना था। दल की राजनीति अलग भी हो, लेकिन जब कोई राज्य का व्यक्ति किसी सरकार में होता है, वे कुछ बोलते हैं, वे महत्वपूर्ण पद पर हैं तो राजनीति के कार्यकर्ता के नाते हम लोग उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं।

सभापति महोदय, रेल मंत्री जी ने जब पहला भाषण किया था, आज आखिरी बार इस पर चर्चा हो रही है। मैं मानता हूं कि राजनीति में जीवन में कौन कहां क्या करेगा, यह जनता तय करती है। लेकिन हमें याद है कि रेल मंत्री जी के भाषण में कुल्हड़ की बड़ी चर्चा हुई थी और अब कुल्हड़ से हम लोग आखिरी भाषण में बुलेट ट्रेन पर पहुंच गए। सन् 2004–05 में रेल बजट में कुल्हड़ की, छाछ की, खादी और शायद रेल मंत्री जी को याद आ जाए कि यह भी चर्चा हुई थी कि बिहार से सब्जी चलेगी और सीधे दिल्ली उतरेगी। हमारे यहां छपरा में भी अच्छी सब्जी होती है और भागलपुर की जमीन ज्यादा फर्टाइल है।

वहां पर सब्जी बहुत अच्छी होती है, तो हम लोगों ने उम्मीद की थी और वहां के लोगों भी लगा था कि शायद हमें ताजी सब्जी मिलेगी और किसानों को भी लगा कि हमारी सब्जी के जो रेट हमें नहीं मिलते थे, अब मिलेंगे, लेकिन पांच साल हो गए, अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। हमें लगता है कि जब हमारी सरकार आएगी, तो लालू प्रसाद जी की घोषणा को हमारी सरकार को पूरा करना पड़ेगा।

महोदय, जब इन्होंने तीसरा बजट दिया, तो गुजरात और राजस्थान के बीच में एक रूट को आगे बढ़ाने की बात कही थी। चौथे बजट में डीजल रूट पर तिमंजिला और विद्युत मार्ग पर दो मंजिला कंटेनर चलाने की योजना बनाई गई थी। वह योजना परवान चढ़ना अभी बाकी है। शहरों में रहने वाले लोगों को जो सब्जियां रेलवे उपलब्ध कराने वाली थी, वह वादा भी अभी बाकी है।

महोदय, हाल ही में 36 हजार कोचों में डिस्चार्ज फ्री ग्रीन टॉयलेट उपलब्ध कराने की घोषणा भी की गई है, यह घोषणा भी पिछले साल के बजट में की गई थी। जाते–जाते अब रेल मंत्री जी, हमें बुलेट ट्रेन का ख्वाब दिखाकर जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : हम तो इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या लालू प्रसाद जी को आप फिर रेल मंत्री बनाने वाले हैं? अच्छा गोयल साहब बोल रहे हैं। यदि आप श्री लालू प्रसाद को प्रधान मंत्री बनाना चाहते हैं, तो डॉ. मनमोहन सिंह जी का क्या होगा? आप जो बोल रहे हैं, आप पर कार्रवाई हो जाएगी।

सभापति महोदय : प्लीज़, आप चुप रहिए। बीच में मत टोकिए। उन्हें बोलने दीजिए।

श्री शाहनवाज़ हुसैन : सभापति जी, रेल मंत्री जी का भाषण यहां हो रहा था, तो पूरा देश इसे बहुत ध्यान से सुन रहा था। रेल मंत्री जी ने इसमें बहुत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है। अब जब सुविधा की बात कही है, तो मैं इनका ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि मालभाड़े में कमी की गई है। मैं बताना चाहता हूं कि मालभाड़े में कभी कमी नहीं की गई, बल्कि बजट से पहले ही, इतिहास में यह पहली बार हुआ है क्लासीफिकेशन चेंज करते हुए, मालभाड़े में 1.3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी गई। रेलवे फ्रेट कोरिडोर की योजना कई वर्षों से चल रही थी, लेकिन मात्र शिलान्यास के अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं आज कह रहा हूं कि रेलवे के पास इतना पैसा है कि माननीय मंत्री जी उसका शिलान्यास से आगे का काम कर सकते थे। जहां तक फ्रेट का सवाल है, जिस पर बहुत चर्चा हो रही है कि फ्रेट यानी किराये वृद्धि नहीं की है, लेकिन सच्चाई

यह है कि ढुलाई के रेट का जो क्लासीफिकेशन है, उसमें भी खासकर भोजन सामग्री पर दिनांक 01.04.2004 में 1000 किलोमीटर पर किराए पर जो रेट था वह 100 था, जिसे लालू जी ने 1 अप्रैल, 2008 की क्लास को बढ़ाकर 120 कर दिया है। इसकी वजह से दिनांक 1.4.2004 मे एक बोरे पर, यानी 1000 किलोमीटर पर प्रति टन 578 रुपए प्रति बोरे था, वह बढ़कर दिनांक 1 अप्रैल, 2008 मे 810 रुपए कर दिया गया।

महोदय, इस समय मेरे पास जो आंकड़े हैं, वे बहुत ऑथेंटिक हैं। चूंकि शब्दों में हेर–फेर न हो जाए, इसलिए मैं इसे बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ रहा हूं। मालगाड़ियों की जो कैरिंग कैपेसिटी है, बिना ट्रैक की क्षमता बढ़ाए आमदनी बढ़ाई जा रही है। रेलवे में बिजी सीजन सरचार्ज अलग से 7 प्रतिशत लगा दिया गया है। डेवलपमेंट सरचार्ज के रूप में 2 प्रतिशत किराए में भी शामिल किए गए। कुल मिलाकर 9 प्रतिशत सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त ढुलाई किराए में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि की गई है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल हेतु जब सामान बढ़ाते हैं, तो उस पर टर्मिनल चार्ज, सरचार्ज के रूप में 10 रुपए दिए जाते थे। इसी राशि को बढ़ाकर 20 रुपए प्रति टन कर दिया गया और यही नहीं जिस टर्मिनल से माल चढ़ाया जाएगा, उससे भी यह धनराशि ली जाएगी और जहां उतारा जाएगा, वहां भी यह धनराशि ली जाएगी, यानी प्रत्येक टन पर 20–20 रुपए माल चढ़ाने और उतारने के लिए चुकाने पड़ेंगे। इस तरह अगर मान लें कि 25 हजार टन की एक मालगाड़ी है, तो उसमें 50 हजार रुपए अतिरिक्त चढ़ाने के और 50 हजार उतारने के, यानी 1 लाख रुपए प्रति गाड़ी मालभाड़ा बढ़ गया।

कहने का मतलब है कि आज जो महंगाई बढ़ रही है, इससे खान–पान की चीजों पर संसद चलते हुए आपने जो इस पर टैक्स लगाया, वैसे तो यहां पर कहा कि हमने कुछ नहीं बढ़ाना, लेकिन संसद चलने से पहले आपने इस टैक्स को बढ़ाने का काम किया है। मालगाड़ी की जो कैरिंग कैपेसिटी है, बिना ट्रैक क्षमता बढ़ाए हुए उसमें आमदनी हो रही है, लेकिन सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सभापति जी, आपको मालूम होगा कि इस देश में बहुत रेल दुर्घटनाएं होती थीं। लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तो रेल दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने त्याग–पत्र दिया था। नीतीश कुमार जी भी जब रेल मंत्री थे तो गायसल में दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने त्याग–पत्र दिया था, क्योंकि जो दुर्घटना होती है, उससे रेल मंत्री पर बहुत दबाव पड़ता है। आपको याद होगा कि रेल के अन्दर जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो पहली बार रेल के ट्रैक को ...*(व्यवधान)*

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव) : आप गोधरा पर भी बोलिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : गोधरा? हम बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, ज्यादा टोकिएगा तो हम बहुत बढ़िया तरीके से बोलेंगे। आप मंत्री हैं, चुपचाप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : नीतिश कुमार जी वहां गये थे या नहीं?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : हम बढिया तरीके से बोल रहे हैं, आप माहौल खराब मत कीजिए। आपकी बीच में बोलने की आदत है। यह रेल मंत्री का भाषण है और जवाब मैं दे रहा हूं, आप कौन हैं? आप राज्य मंत्री हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : हम आपको याद दिला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : आपको जो खाद विभाग मिला है, उसको तो आप चला नहीं पा रहे हैं और बीच–बीच में बोल रहे हैं। लालू जी को जयप्रकाश जी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन जबरदस्ती मदद कर रहे हैं। आप बैठ जाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : सदन में सबको बोलने का अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : नहीं, आपको अधिकार नहीं है। आप मंत्री हैं, आपको बीच में टोकने का अधिकार नहीं है। आप नए–नए मंत्री बने हैं, पढ़कर आइए, आपको पता नहीं है। यह आपके विभाग का मामला नहीं है। आप बीच में बिना बात के बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : जयप्रकाश जी आपकी हेल्प कर रहे हैं। जो ट्रेन में आग लगी तो वहां नीतीश जी नहीं गए थे? आपको वह बता रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : रेल मंत्री जी, बड़े अच्छे माहौल में चर्चा चल रही है और थोड़ा टोकने के बाद मेरा भी उत्साह बढ़ जाता है। पहले तो मैं सीधे ट्रैक पर जा रहा था और लालू जी के लिए मैंने कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन जयप्रकाश जी मुंगेर में मेरे पड़ोसी हैं, पता नहीं अगली बार पड़ोसी वहां से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। वहां चर्चा दूसरी है, लेकिन ये बीच में आकर कूद गए। पड़ोसी का धर्म भी नहीं निभा रहे हैं, इनको क्या बताएं। ...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : मैं अपने धर्म का निर्वाह कर रहा हूं, आप बोलिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैंने आपसे यहां पर कहा कि आज रेलवे को सुरक्षा के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और रेलवे ट्रैक

की सुरक्षा, सेफ्टी पर जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो पहली बार 17 हजार करोड़ रुपए का इन्तजाम वाजपेयी जी की सरकार ने किया था, तब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे। लेकिन आज इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज तो रेलवे सॉफ्ट टारगेट हो गई है। दुनिया के जितने भी आतंकवाद फैलाने वाले लोग हैं, उनके लिए अगर सॉफ्ट टार्गेट है तो वे सीधे स्टेशन पहुंच जाते हैं और आप जानते हैं कि मुम्बई में ताज पर अटैक की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन जितने लोग ताज के अन्दर नहीं मारे गए, उससे ज्यादा लोग रेलवे स्टेशन पर मारे गए और वहां पर जो सी.सी.टी.वी. कैमरा था और वहां पर रेलवे के सुरक्षाकर्मी थे, उनको मैं शाबासी देता हूं कि उन्होंने काम किया, लेकिन इसको और चाक–चौबन्द करने की जरूरत है। इस नाते विपक्ष के नाते हमारा काम इनको याद दिलाना है, क्योंकि जब हम सत्ता में रहे और सत्ता में रहते हुए विपक्ष की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और लालू जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन पीछे से कुछ लोग अपनी बातें बीच में डाल रहे हैं, नहीं तो यह बहस अभी बहुत अच्छी चल रही है।

यू.पी.ए. की सरकार ने अभी तक तमाम रेलवे स्टेशनों पर जो सी. सी.टी.वी. कैमरे लगाने चाहिए, स्मार्ट वीडियो कैमरे लगाने चाहिए, जहां तक तमाम रेलवे स्टेशनों पर मैटल डिटेक्टर लगाने चाहिए, वह काम अभी तक नहीं किया। यहां तक कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, उसमें भी अभी एक हजार पद रिक्त पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज कहीं पर रेल में क्राइम होता है तो जी.आर.पी. और आर.पी.एफ. का बहुत झगड़ा होता है। हर बार लोग कहते हैं कि जी.आर.पी. जिम्मेदार है, यह आर.पी.एफ. जिम्मेदार है। हम उम्मीद करते थे कि रेलवे के लिए प्रोटेक्शन फोर्स को पूरे अधिकार देकर उस पर काम करना चाहिए।

इसमें किसी की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। रेलमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि इसको हम ध्यान में रखने वाले हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि इस पर जो काम हुआ, मंत्री जी, नागरिक उड्डयन मंत्री के प्रोग्राम मे कश्मीर गए थे। मेरा सौभाग्य है कि जिस एयरपोर्ट का ये उद्घाटन करने गए थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से मैंने उस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। इस काम को आगे बढ़ाया। एक तरफ हमारा पत्थर लगा हुआ है कि हमने उसका शिलान्यास कराया और दूसरी तरफ रेलमंत्री जी, नागरिक उड्डयन मंत्री जी के साथ इसका उद्घाटन करने गए थे। रेलवे, सिविल एविएशन और सर्फेस ट्रांसपोर्ट में जो काम अभी शुरू करते हैं, उसका नतीजा तुरंत नहीं आता है। उसमें चार से पांच साल तक लग जाते हैं। जब आप कश्मीर उद्घाटन करने के लिए गए, उस वक्त आपने यूपीए चेयरपर्सन का नाम लिया, लेकिन जिसने उसकी शुरूआत की थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, नीतीश कुमार जी उनका कहीं नाम नहीं लिया गया। वह काम हम लोगों ने शुरू किया था।

महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि दो गाड़ियों में जो टक्कर होती थी, उसके लिए एक सिस्टम बना है, जिसमें टक्कररोधी यंत्र लगता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने किशनगंज में टक्कररोधी उस वक्त लगाया था। जब नीतीश कुमार जी जब टक्कररोधी यंत्र लगाने किशनगंज गए थे, तो उस वक्त मैं वहां के सांसद के तौर पर और माननीय तसलीम साहब वहां के विधायक के तौर पर उस कार्यक्रम मौजूद थे। ...*(व्यवधान)* विधायक भी थे।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : आपकी याददाश्त भाजपा में रहते–रहते कमजोर हो गई है, अपनी याददाश्त मजबूत करिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैंने यह कहा कि वे वहां के विधायक थे। लालू यादव जी रेल मंत्री हैं, लेकिन छपरा के सांसद भी हैं। इनको छपरा का सांसद कह दीजिए तो ये गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप विधायक और मंत्री थे, वह कहना है, तो याददाश्त कमजोर नहीं है। मैंने ह्यूमर में आपका नाम लिया, नहीं तो मैं आपका नाम भी नहीं लेता। लेकिन मैंने ससम्मान नाम लिया। मैंने सम्मान के साथ आपका नाम लिया और आप उठे। आपसे तो यही उम्मीद है कि उठेंगे, तो अच्छा बोलेंगे नहीं। आपके मुंह से अच्छी बात निकल नहीं सकती। ...*(व्यवधान)*

श्री तस्लीमुद्दीन : मेरा नाम लेने से उत्थान हो गया, नहीं तो जहन्नुम में जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शाहनवाज़ जी आप आगे बढ़िए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : टक्कररोधी यंत्र वहां लगा, तो आज रेलवे एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, आज गैसेल जैसी घटना नहीं हो रही, वह इसलिए नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया था। उस काम का नतीजा उनको नहीं मिला, क्योंकि वह रेल मंत्री नहीं है। उसका फायदा सबसे ज्यादा माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद जी को मिला। काम उन्होंने किया, फीता आप कटिए, नारियल आप फोड़िए, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है, उस काम का क्रेडिट आप ले रहे हैं ...*(व्यवधान)* और जो काम अभी आप करेंगे, उस काम का क्रेडिट जब हमारी सरकार आएगी, उसे मिलेगा। इसलिए जो काम आप शुरू करेंगे, उसका क्रेडिट आगे आने आने वाले को मिलता है।

महोदय, अब मैं रेलवे के किराये पर आता हूं। रेलवे को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि रेलवे का तो किराया ही नहीं बढ़ा, बल्कि

[श्री सैयद शहनवाज़ हुसैन]

किराया घटा दिया गया। इस बात की बड़ी चर्चा इस देश में हो रही है। शासन के दौरान यह किराया कैसे बढ़ा? आपने कहा कि एक रुपया कम कर दिया, दो प्रतिशत कम कर दिया, देश में डीजल का रेट 70 प्रतिशत से ज्यादा घट गया और अगर आपने 2 प्रतिशत कम कर दिया ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : तीन साल पहले क्या था डीजल का रेट ...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, बहुत अनपार्लियामेंट्री बात ये कह रहे हैं। इनको मैं इतना खराब बोलूंगा कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : तस्लीमुद्दीन जी, इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार : महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मंत्री जी को इस ढंग से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : बैठे–बैठे बोलने का नोटिस नहीं लिया जाता। आप आगे बोलिए। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार : मंत्री जी को बोलना नहीं चाहिए। ...*(व्यवधान)* आप वैसे ही प्रभावित हैं, यह बोलकर और ज्यादा प्रभावित थोड़ी हो जाएंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : ठीक है, आप आगे बोलिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : एनडीए शासन के दौरान जो तत्काल कोटा था, तत्काल कोटे में यह होता है कि तुरंत फैसीलिटी मिलती है। जैसे अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हैं और तत्काल में सीट लेते हैं तो वह सस्ती मिलेगी और अगर पहले से रिजर्व करवाएंगे तो एक रेट पर टिकट दी जाती है। लेकिन रेलवे में उल्टा हो रहा है। आपने किराया नहीं बढ़ाया। पहले कुछ सीटें बढ़ती थीं और उसके लिए एक्स्ट्रा बोगी लगती थी। लेकिन लालू जी ने तत्काल कोटे को बढ़ाकर गाड़ी के 30 प्रतिशत कोटे को तत्काल में कर दिया। अगर किसी सिनेमा हाल में पांच सौ टिकट हों और उनमें से दो सौ टिकट ब्लैक कर दिए जाएं, तत्काल में दे दिए जाएं, डेढ़ सौ रुपए, दो सौ रुपए बढ़ाकर ब्लैक हो जाए, तो फिर कौन पकड़ेगा। आज रेलवे में काफी लम्बी वेटिंग चलती है, लेकिन यह अंकों की जादूगरी है कि आपने 30 प्रतिशत सीटें तत्काल में रख दीं और वह भी पांच दिन पहले। उसमें भी डेढ़ सौ रुपए से तीन सौ रुपए तक वसूले जा रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम किराया नहीं बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ करोड़ों रुपए जनता की जेब से निकाले जा रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने प्लेटफार्म टिकट के दाम बढ़ा दिए। पहले वह दो रुपए में मिलता था लेकिन अब पांच रुपए में मिल रहा है। तत्काल में ऐसा है कि यदि आपको आगरा जाना है तो आपको कोलकाता का टिकट लेना पड़ता था। यह जनता के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। हम तो यह कहते हैं कि अगर आप जनता को रिलीफ देना चाहते हैं, आप जनता को रिलीफ देने के लिए मंत्री बने हैं, लेकिन आपकी वजह से जनता की जेब पर इतना बोझ डाला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि ट्रेन की दूरी बढ़ाए बिना यानी ट्रेन की रफ्तार बढ़ाए बिना आपने उसे सुपरफास्ट कर दिया। आप दो रुपए कम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद जनता से सुपरफास्ट का किराया वसूला जा रहा है।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रेल में सुविधाओं की बहुत कमी हुई और पैसेंजर ट्रेन सुपरफास्ट हो रही है। ...*(व्यवधान)* रेलवे के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ है। अगर आप देखें, गाड़ी के अंदर गंदे बैडिंग हैं। शौचालय साफ नहीं हैं। खाने का अच्छा इंतजाम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया डिस्टर्ब मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : सभापति महोदय, ये असत्य बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : राजनाथ जी, चुनाव लड़ने गए हुए हैं, इसलिए ये घबराए हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब आपकी बोलने की बारी आएगी, तब आप जवाब दीजिएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल : सभापति महोदय, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बोलते जाइए। आपकी कोई बात रिकार्ड में दर्ज नहीं हो रही है।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : शाहनवाज़ जी, आप उधर ध्यान मत दीजिए, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी ने पहले कहा था कि हम रेलवे की बोगीज में अच्छी खादी की चादर देंगे, खादी की चादर तो दूर वहां फटी हुई चादर मिल रही हैं। हमारे साथी मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट भी जब सफर करते हैं, सभी लोग इससे सहमत होंगे कि आज रेलवे में सुविधाएं बढ़ी नहीं हैं, सुविधाएं घटी हैं। इस दौर में जब सुविधाएं बढाने का दौर है, आपने सुविधाओं पर कोई काम नहीं किया है। रेलवे बजट में कोई नई घोषणाएं नहीं की गई है, रेलवे बजट में वही पुरानी घोषणाएं हैं। एक शायर ने कहा कि बोलते लफ्जों को दोहराना बड़ी बात नहीं, गूंगे लफ्ज़ों को जुबां दो करामात होगी। लेकिन आप तो वही बात दोहरा रहे हैं, यहां ट्रेन चला दी, इधर से रूट उधर कर दिया और बड़े हृदय की बात दिखाते हैं कि जब भी कोई एमपी जाता है कि मेरे रूट पर ट्रेन चाहिए, तो दे देते हैं, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : गोयल जी, आप बार–बार क्यों उठ रहे हैं? आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। आप शांत रहिए।

*...(व्यवधान)**

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, आज बिहार में बड़ी चर्चा हो रही है, कई सांसद और मेरी पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि बिहार के लिए बजट में बड़ा काम हुआ है। भागलपुर के अंदर आपने राजधानी ट्रेन चलाने की बात कही है। अभी जो जमालपुर से हावड़ा के लिए लाइन जाती है, उस पर मालगाड़ी भी धीरे–धीरे चलती है। हमने आपसे अनुरोध किया था कि उस इलाके में जो रेल के पुल हैं, वे बहुत कमजोर हैं, पहले उनको बनाने की जरूरत है। आपने घोषणा की है, वह अच्छी है। मुझे मालूम है कि वह जल्दी नहीं चल पाएगी, हमारी सरकार को ही चलाना पड़ेगा। हमने आपसे अनुरोध किया था, जब एनडीए की सरकार बनी थी, तब हमने किशनगंज में राजधानी रूकवा ली थी। मैंने रेल मंत्री जी से अनुरोध किया था कि नौगछिया में स्टापेज किया जाए। आप अभी इसे तुरंत कर सकते थे, एक–दो मिनट का ही स्टॉपेज दे देते। वहां पर नौगछिया से भागलपुर के बीच पुल आपके जमाने में ही बना, अगर वहां पर स्टॉपेज दे देते तो वहां के लोगों को फायदा हो जाता। आपने डीआरएम कार्यालय की घोषणा हमारे अनुरोध पर कर दी है। *...(व्यवधान)* रेलवे ट्रैक पर बहुत काम करना चाहिए, लेकिन वह नहीं हुआ है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा सपना दिखाया है। अभी आप जापान गए थे। *...(व्यवधान)*

श्री तस्लीमुद्दीन : अब तो ट्रेन भागलपुर तक बढ़ा दी है। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप बार–बार क्यों बोलते हैं।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : *इस तरह से डिस्टर्ब मत करो। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : महोदय, माननीय सदस्य अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : शाहनवाज हुसैन जी, अनपार्लियामेंटरी वर्ड्स को निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : शाहनवाज जी, वह बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

*...(व्यवधान)**

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : महोदय, माननीय सदस्य गलत बोल रहे हैं।*

सभापति महोदय : शाहनवाज जी यह बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : आप ठीक से बोलिए।*

सभापति महोदय : शाहनवाज हुसैन जी, आपत्तिजनक बात को रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उन्हें एक बार मैंने चुनाव में पराजित किया था इसलिए इन्हें जलन हो रही है और ऐसी बात कह रहे हैं। *...(व्यवधान)* मैंने बहुत संयम बरता है।

सभापति महोदय : तस्लीमुद्दीन जी, आपके लिए यह शोभाजनक नहीं है कि आप बार–बार इन्हें टोकें। आप बार–बार इन्हें डिस्टर्ब करके सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री तस्लीमुद्दीन : मेरा नाम लिया गया इसलिए मैंने कहा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैंने अच्छे के लिए नाम लिया था, माननीय कहा था और कहा था कि वह वहां पर मौजूद थे।

सभापति महोदय : जो भी असंसदीय शब्द होगा, वह रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति जी, मैं काफी समय से सांसद रहा हूं और यहां बोलता हूं। मेरे विपक्ष के सभी साथी जानते हैं कि मैं वाणी पर संयम रखता हूं, मैं उम्र का तकाजा रखता हूं और बोलते हुए ब्यू रिस्पेक्ट बोलता हूं, लेकिन मैंने कभी संयम नहीं खोया। मैंने रिस्पेक्ट के साथ बोलते हुए अपना भाषण शुरू किया था और कोई ऐसी बात नहीं कही थी कि माननीय मंत्री के प्रति कोई अवमानना हो। मैंने यह कहा था कि माननीय मंत्री भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा था। उसके बाद जो चर्चा हुई, जो बातें हुईं, आप मुझे क्षमा करें, मेरा इस तरह का स्वभाव नहीं है। मेरा यह रूप संसद ने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन टिट फार टैट के कारण मुझे यह रूप अपनाना पड़ा।

सभापति महोदय : जो भी आपत्तिजनक शब्द होंगे, वे कार्यवाही से निकाल दिए जाएंगे। अब आप अपना भाषण आगे बढ़ाएं और उसे समाप्त करें।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सभापति जी, मैं कह रहा था कि लालू जी जापान गए थे। उनके साथ कई सांसद भी थे। लालू जी ने कहा कि उन्होंने रेल मंत्रालय में आकर उसे मुनाफे में ले गए हैं। लेकिन जब प्रणव दा इस सदन में अपना अंतरिम बजट भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने यह बात कही कि रेलवे को आज की बजटरी सपोर्ट की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि रेलवे मुनाफे में नहीं है। मेरे पास दैनिक भास्कर समाचार पत्र है, जिसके फ्रंट पेज पर 17 तारीख को प्रणव दा के दिए हुए भाषण मे कही गई इस बात के बारे में उल्लेख किया गया है। समयाभाव के कारण मैं उसे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी ने जो 30,000 माल डिब्बों के निर्माण की बात कही है और 4620 सवारी डिब्बों के निर्माण की बात कही है, इन सारी चीजों के लिए रेलवे को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद और पैसे की जरूरत है। आज इनके पास पैसा सरप्लस नहीं है, इन्हें भारत सरकार से और पैसे की जरूरत है।

अपराह्न 5.44 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं यह कहना चाहता हूं कि रेल मंत्री जी सफर भारत का सुनाना था, लेकिन सफर जापान का सुना गया। इनके सपनों का भारत कैसा हो, यह बुलेट ट्रेन का सपना दिखा गए। रेल मंत्री जी ने बुलेट ट्रेन के बारे में जो बात कही, मैं कहना चाहता हूं कि आपने रेल बजट में इसका जिक्र किया। आप हों या कल कोई दूसरा रेल मंत्री ही, जो भी हो, उसे एक साल के रेल बजट को अमलीजामा पहनाने में कम से कम पांच साल लगेंगे। आपने तो सिर्फ चार महीनों का ही अंतरिम रेल बजट पेश किया है। आपने बहुत लम्ब ख्वाह हमें दिखाए हैं। मैं जानता हूं कि ख्वाबों की ताबीर देश की जनता तय करेगी। जो इन्होंने एजेंडा सेट किया है, उसके बारे में देश की जनता तय करेगी कि वह इस पर अपनी मोहर लगाती है या नहीं। यह बात आने वाले लोक सभा चुनावों में तय होगी।

मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश की जनता को आपसे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जो आपने रेल बजट में ख्वाब दिखाए हैं, कुछ दिनों में कोड आफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। एक पार्टी के नेता के तौर पर मैंने अपनी बात लोक सभा में रखी है और भागलपुर के सांसद के तौर पर मैंने आपका आभार भी व्यक्त किया। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि आपने जो बातें कही हैं, उन्हें अमलीजामा तुरंत पहनाएं, तभी देश की जनता आपका आभार मानेगी।

***श्री राम सिंह कस्वां** (चुरू) : माननीय रेल मंत्री द्वारा 2009–2010 के अंतिम रेल बजट में आम आदमी को राहत देने का प्रयास किया गया है। यात्री किराये में राहत देने का काम किया है, लेकिन माल भाड़ा नहीं घटने से उद्योग जगत में निराशा फैली है। मंत्री जी ने रेल सुरक्षा का कोई आश्वासन नहीं दिया है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र में मानव सहित रेल समपार बनाने का जिक्र तक नहीं किया है। सादुलपुर से रेवाड़ी आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण हुए काफी समय हो गया है, लेकिन आज तक सादुलपुर से दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलाई गई। इस क्षेत्र की जनता, सामाजिक संगठन काफी समय से उक्त गाड़ी को चलाने की मांग करते आ रहे हैं, पिछले बजट में आमान परिवर्तन के पश्चात् सादुलपुर से दिल्ली गाड़ी चलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा इस बजट में इस गाड़ी का जिक्र तक नहीं किया गया है। वर्तमान में सादुलपुर से रेवाड़ी व सादुलपुर से हिसार पैसेंजर गाड़ी ही चलती है, जो अपर्याप्त है। इन गाड़ियों का समय भी आम जनता के हित में नहीं है। इसके अतिरिक्त लुधियाना–हिसार गाड़ी को सादुलपुर तक बढ़ाने की मांग भी काफी समय से की जा रही है। अतः सादुलपुर–दिल्ली होते हुए हावड़ा व पटना को जोड़ने के लिए अविलम्ब एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जाए तथा सादुलपुर–हिसार–लुधियाना तक एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाए।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

सादुलपुर से बीकानेर व रतनगढ़ से डेगाना शेष बचे हुए मार्ग के आमान परिवर्तन का कार्य अविलम्ब चालू किया जाए। रतनगढ़–सरदारशहर रेल लाइन के आमान परिवर्तन की मांग काफी समय से की जा रही है, इसे भी अविलम्ब स्वीकृति दे कर चालू किया जाए।

श्रीगंगानगर से जयपुर रेल लाइन के आमान परिवर्तन की घोषणा पिछले बजट में की गई थी, लेकिन इसमें अब तक न कोई कार्यवाही हुई है और न ही कोई काम चालू हुआ है। इस महत्वपूर्ण रेल लाइन का आमान परिवर्तन होना अत्यन्त ही आवश्यक है।

चुरू–तारानगर–नोहर, सरदारशहर–हनुमानगढ़ व सीकर–सालासर–नोखा नई रेल लाइन स्वीकृति की मांग काफी समय से की जा रही है, इस बजट से इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। यह जनहित में अत्यन्त ही आवश्यक कार्य है। उक्त लाइन डालने की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में की जाए।

मानव सहित समपारों के अभाव में जनता को बेहद भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जनता ने काफी बार धरना भी दिया है लेकिन कोई राहत नहीं मिली है।

लोहारू–सादुलपुर–रतनगढ़ रेल लाइन पर रामपूरा–गुलगवा सड़क पर, बेवड़–भोजाण रास्ते पर, कान्धरान–रडवा के रास्ते पर, डोकवा स्टेशन के पश्चिम साईड में यहां भी यू.आर.बी. का निर्माण किया जा सकता है, हडियाल गांव (एन.एच.65) से टमकोर को जाने वाली डामर सड़क पर, मोलीसर गांव के पास, पायली हाल्ट स्टेशन के पास जहां सम्पूर्ण ग्राम का निकास है, यहां यू.आर.बी. का निर्माण भी किया जा सकता है।

रतनगढ़–बीकानेर रेल लाइन पर सीतलनगर, बिग्गावास रामसरा, हेमासर, बेनीसर, गांवों के पास। रतनगढ़ से डीडवाना रेल लाइन पर भी भोजासर गांव के पास, पडिहारा गांव के उत्तर साइड में जहां पहले मानव रहित क्रॉसिंग को बन्द कर दिया, बालसंद से सांवराद के मध्य लेवल क्रॉसिंग सं. 46 डी. पर सादुलपुर जंक्शन से हनुमानगढ़ रेल लाइन पर पहाडसर ग्राम के पास, चुबकिया ताल से ढिगारला के रास्ते पर, नखासी–ख्याली रास्ते पर, सिंधमुख–भादरा सड़क पर ढाणी छोटी के पास सादुलपुर–हिसार खंड पर एन.एच.65 से लूटाना सदासुख जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क मार्ग पर, एन.एच.65 से लूटाना पूर्ण, लसेडी से मिठी रेडूवान के रास्ते पर, यहां भी यू.आर.बी. का निर्माण किया जा सकता है।

चुरू-सीकर रेल मार्ग पर : – खासोली गांव के पास

इसके अतिरिक्त:- गाडी सं. 2307/2308 हावड़ा–जोधपुर ट्रेन का डेगाना में स्टापेज 2 मिनट के स्थान पर 5 मिनट किया जाये एवं गाड़ी सं. 5631/5632 का डेग्रना में स्टॉपेज किया जाये।

नए हाल्ट स्टेशन :- रतनगढ़–सरदारशहर मार्ग पर आनन्दवासी हाल्ट स्टेशन, बिग्गा से श्रीडूंगरगढ़ स्टेशन के मध्य जैसलसर हाल्ट स्टेशन, श्रीडूंगरगढ़ से सूडसर के मध्य बेनीसर हाल्ट स्टेशन स्वीकृत करना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

कम्प्यूटर आरक्षण केन्द्र:- लाडनू व श्रीगंगानगर स्टेशनों पर आज भी कम्प्यूटर आरक्षण की सुविधा नहीं है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अतः जनहित में उपरोक्त दोनों स्टेशनों पर पी.आर.एस. की सुविधा मुहैया करायी जाये। लाडनू में कम्प्यूटर आरक्षण केन्द्र स्वीकृत होने के बावजूद आज तक चालू नहीं हुआ है। ये तुरन्त चालू किया जाए।

***श्री हरिकेवल प्रसाद** (सलेमपुर) : महोदय, माननीय रेल मंत्री ने वर्ष 2009–10 के लिए जो अंतरिम रेल बजट प्रस्तुत किया है वह संप्रग सरकार की सेहत के लिए भले ही अच्छा हो लेकिन भारतीय रेलवे और रेल यात्रियों की सेहत के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। मौजूदा बजट भी पिछले पांच रेल बजटों की लीक पर ही दौड़ा है जिसमें लोक लुभावन घोषणाओं और भविष्य के लिए कोरे वायदों के अलावा किसी बुनियादी बदलाव का संकल्प नहीं है। बजट में किराया घटाने और रेल यात्रियों की संख्या बढ़ाने के अतिरिक्त किसी चीज पर जोर नहीं दिया गया है। इसमें यात्री सुविधाओं, बुनियादी ढांचा, सुरक्षा और संरक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया है जो बजट प्रावधान में साफ झलकता है। माननीय रेल मंत्री हर साल के बजट भाषण में नई रेल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने में कोई कोताही नहीं करते लेकिन इस तथ्य को जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं कि इसी अनुपात में रेल लाइनों के दोहरीकरण, विद्युतीकरण, आमान परिवर्तन तथा नई रेल लाइनों का तेजी से निर्माण भी आवश्यक है। रेल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने तथा बुनियादी ढांचे और लंबित रेल परियोजनाओं की उपेक्षा का ही नतीजा है कि महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां भी घंटों विलम्ब से चल रही है। सुरक्षा और संरक्षा की धज्जियां उड़ रही है। रेल मंत्री जी संसद में जिस समय रेल दुर्घटनाओं में कमी का दावा कर रहे थे उसके कुछ ही घंटों बाद उड़ीसा के जाजपुर स्टेशन के पास एक रेलगाड़ी पटरी से उतर गयी जिसमे दो दर्जन से अधिक यात्री मरे और सौ से अधिक घायल हुए। इसके आठ घंटे बाद बिहार से सुगौली स्टेशन पर एक इंजन और रेलगाड़ी में भिडंत हो गई जिसमें तीन दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। इसके दूसरे ही दिन एक निर्माणाधीन रेल ओवर ब्रिज के गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। ऐसा लगता है कि मौजूदा अंतरिम रेल बजट तीन और तेरह के लफड़े में फंस गया है क्योंकि 13 फरवरी को रेल बजट पेश होने के बाद लगातार तीन दिनों तक रेल दुर्घटनाएं हुई हैं। इसी तरह रेल यात्रियों

*भाषण समापटल पर रखा गया।

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

की सुरक्षा का वायदा तो हर रेल बजट में किया जाता है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। रेलगाड़ियों में दबंगों द्वारा कमजोर यात्रियों को चलती ट्रेन से बाहर फेंकना, लूटपाट, जहर खुरानी तथा बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसे रोकने के लिए जिस रेलवे सुरक्षा बल का गठन किया गया है वही आज लुटेरा बना हुआ है क्योंकि अधिकांश घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई जाती है। अभी तक देश में जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं उनमें अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर हुई है लेकिन बार बार घोषणा किए जाने के बावजूद रेल यात्रियों की सुरक्षा का कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं हो सका।

जहां तक अंतरिम रेल बजट में यात्री सुविधाओं की बात है वह नहीं के बराबर है। अपने पहले रेल बजट के समय से ही माननीय रेल मंत्री यात्री सुविधाएं बढ़ाने का वायदा तो करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कराते। वर्ष 2004–05 के बजट भाषण में उन्होंने ग्रामीण दस्तकारों को रोजगार देने के लिए रेलवे स्टेशनों तथा रेल गाड़ियों में प्लास्टिक के कप और गिलास की जगह कुल्हड़ का इस्तेमाल करने का वायदा किया था। इसी तरह चाय की जगह मट्ठा परोसने और गाड़ियों मे खादी के पर्दे एवं चादरों के प्रयोग की घोषणा की थी। इतना ही नहीं गांव की सब्जियों को फ्रीजर डिब्बों में शहरों तक पहुंचाने का भी वायदा किया था परन्तु इसमें से एक पर आज तक अमल नहीं किया गया। रेल मंत्री जी ने नई खानपान नीति 2005 लागू करके 25 लाख छोटे वेंडरों को बेरोजगार बनाने का इंतजाम जरूर कर दिया है। उनमे विकलांग, विधवा, अल्पसंख्यक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या अधिक थी। खानपान सामग्री बेचकर अपने परिवार का भरण–पोषण करने वाले इन छोटे छोटे वेंडरों की लाइसेंस फीस 40 से लेकर 95 गुना तक बढ़ा दिया गया है ताकि यह अपना धंधा छोड़कर भाग जाएं और उस पर बड़ी कंपनियों और कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो जाए। आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा अधिक शुल्क वसूले जाने के कारण नए वेंडरों ने खाने–पीने का सामान महंगा कर दिया है और उनकी गुणवत्ता भी रद्दी होती जा रही है।

महोदय, चालू अंतरिम रेल बजट में 43 नई रेल गाड़ियों को चलाने, 14 के फेरे बढ़ाने, 15 का मार्ग विस्तार करने एवं कुछ नई रेल लाइनों के निर्माण की घोषणा की गई है। इस मामले में भी रेल मंत्री जी का वायदा आधा अधूरा ही पूरा हो पाता है। मिसाल के तौर पर मंत्री जी ने दो साल पहले पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर से छपरा के बीच नई रेलगाड़ी चलाने की घोषणा की थी लेकिन समय सारिणी बन जाने के बाद भी आज तक रेलगाड़ी नहीं चली। इसी तरह अपने दूसरे बजट भाषण में उन्होंने इसी रेलवे में बरहज बाजार से दोहरीघाट होते हुए फैजाबाद तक नई रेल लाइन का सर्वेक्षण कराने की घोषणा की। कई वर्षों में सर्वेक्षण कार्य पूरा तो हुआ। लेकिन इस रेल लाइन का निर्माण कार्य इस आधार पर प्रारंभ नहीं किया जा रहा है कि यह लाइन अलामकर प्रकृति की है जबकि वास्तव में यह लाइन अनेक धार्मिक तीर्थस्थलों एवं पर्यटक स्थलों को जोड़ने वाली है। इसके विपरीत माननीय रेल मंत्री जी अपने गांव और ससुराल को जोड़ने वाली भटनी जंक्शन से हथुआ होकर थाने तक नई रेल लाइन का निर्माण युद्ध स्तर पर करा रहे हैं जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। नई घोषणा में उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव करते हुए बिहार को सौगातों से लाद दिया गया है। जहां बिहार में एक दर्जन से नई रेल गाड़ियां चलाने की घोषणा की गई है वहीं दो नए मंडल बनाने तथा दो रेल कारखाने लगाने की भी घोषणा की गई है।

माननीय रेल मंत्री ने रेलवे में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त या कम करने के बारे में कोई चर्चा अपने बजट भाषण में नहीं की है। भारतीय रेलवे में आये दिन रेल टिकट के कालाबाजारी की घटना सामने आती है। रेलवे भर्ती बोर्डों की परीक्षा में पर्चा लीक होने की बात आम हो गई है। पूर्वोत्तर रेलवे में गतवर्ष नियम विरूद्ध दो हजार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सीधी भर्ती भारी धन राशि लेकर की गई जिसका प्रमाण सहित लिखित शिकायत मैंने रेलवे बोर्ड तथा प्रधानमंत्री जी से की परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गत वर्ष ही गोरखपुर में एक बड़ा सेक्स स्कैंडल हुआ जिसमें कई रेल कर्मचारी और अधिकारी जेल गए और इसमें एक बहुत बड़े रेल अधिकारी का भी नाम आया लेकिन राजनीतिक दबाव डालकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। पूर्वोत्तर रेलवे के निर्माण विभाग में भी सी.बी.आई. द्वारा भ्रष्टाचार के बड़े मामले पकड़े गए लेकिन दोषियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई नहीं की गई।

मैं माननीय रेल मंत्री से मांग करता हूं कि वह अपने घोषणा और वायदे के अनुरूप तथा जनहित में बरहज बाजार से दोहरी धार होते हुए फैजाबाद तक नई रेल लाइन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये, वाराणसी–भटनी रेल खंड के सलेमपुर जंक्शन तथा विल्थरा टोड स्टेशनों पर प्रस्तावित ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए। पूर्वोत्तर रेलवे के भटनी तथा भाटापार रानी स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की व्यवस्था की जाए, भाटपार रानी रेलवे स्टेशन का सुन्दरीकरण कराया जाए। छपरा से गोरखपुर के बीच प्रस्तावित इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए, नई दिल्ली से लखनऊ, गोरखपुर होते हुए बरौनी तक राजधानी ट्रेन चलाई जाए। देवरिया सदर स्टेशन पर बिहार सम्पर्क क्रांति और गरीब रथ का ठहराव सुनिश्चित किया जाए, सलेमपुर जंक्शन पर दुर्ग एक्सप्रेस कार रोड़ में लिच्छवी एक्सप्रेस भारपार रानी में जनसेवा एवं कि डिहरापुर में इंटरसिटी रेल गाड़ी का ठहराव सुनिश्चित किया जाए प्रकार वाराणसी मैडल के भटनी और बरहज

बाजार के बीच चलने वाली रेलवे गाड़ी का ठहराव पूर्व की भीति देवरहा बाबा हाल्ट तथा सिसई गुलाबराय हाल्ट पर सुनिश्चित किया जाए। सलेमपुर जंक्शन पर रेल भूमि की पटरी पर दुकान चलाने वालों को रेलवे भूमि आबंटित कराने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अंतरिम रेल बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान राजस्थान के उदयपुर ग्रामीण आदिवासी (जनजाति) बाहुल्य क्षेत्र एवं उदयपुर संभाग की अनदेखी किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। यह पूरा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य होने के कारण काफी पिछड़ा हुआ है एवं आवागमन के साधनों से वंचित है। मैं माननीय रेल मंत्री से निम्नलिखित अनुरोध करता हूं:–

उदयपुर से अहमदाबाद मीटर गेज रेल लाईन 270 कि.मी. को ब्रोडगेज में परिवर्तित कराया जाए।

उदयपुर से इंदौर वाया रतलाम नई रेल चलाई जाए।

डूंगरपुर से खैरवाडा या ऋषभदेव रोड से झाडोल, कोटडा होते हुए आबूरोड तक नई रेल लाईन बिछाई जाए एवं नई रेल की स्वीकृति दी जाए।

बडी सादडी से प्रतापगढ़, बांसवाडा दोहोद वाया कुशलगढ़ नई रेल लाइन एवं रेल स्वीकृत की जाए।

खैरवाडा से डूंगरपुर, सागवाडा, रतलाम वाया बांसवाडा नई रेल लाइन बिछाई जाकर नई रेल प्रारम्भ कराई जाए।

अजमेर से रतलाम वाया चित्तौड़ 400 कि.मी., चित्तौड़ से कोटा 200 कि.मी. उदयपुर से चित्तौड़ 120 कि.मी., मावली से बड़ी सादडी 80 कि.मी. मावली से मारवाड़ 200 कि.मी. रेल खण्ड का आमान परिवर्तन कराया जाए।

इंदौर से उदयपुर एक्सप्रेस रेल को भोपाल तक बढ़ाया जाए।

मेवाड़ एक्सप्रेस उदयपुर से दिल्ली को हरिद्वार तक बढ़ाया जाए।

उदयपुर से बांद्रा एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाए।

मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर के ग्रामीण आदिवासी जनजाति बाहुल्य की उक्त मांगों की ओर विशेष ध्यान देवें जिससे कि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके।

*श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) : मैं रेल बजट (2009–10) का पुरजोर समर्थन करता हूं व माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी एक ऐतिहासिक रेल बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट में प्रत्येक रेल यात्री को किराए में छूट दी है।

अब मैं आपके माध्यम से माननीय रेलमंत्री जी का ध्यान कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की कुछ ऐसी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो मैं पिछले लगभग पांच वर्षों से निरन्तर उनके ध्यान में लाता रहा हूं।

कुरुक्षेत्र को आधुनिक स्टेशन बनाने के बारे में

कुरुक्षेत्र एक ऐतिहासिक व धार्मिक नगरी है, जहां पर न केवल भारत से ही अपितु तमाम विश्व के कोने–कोने से लोग यहां अपने पितरों का पिंडदान कराने व सूर्यग्रहण पर स्नान करने के लिए आते हैं। हालांकि कुरुक्षेत्र को आधुनिक स्टेशन बनाने की घोषणा रेलमंत्री जी ने की थी, मगर इस ओर अभी तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। अतः इस स्टेशन पर तुरंत ऐसे कार्य, जिससे लोगों को लगे कि यहां पर कुछ बदलाव आया है, किए जाएं।

लिफ्ट और एस्केलेटर की व्यवस्था

क्योंकि बड़े स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर की व्यवस्था न होने से बुजुर्ग, महिलाओं, बीमार व विकलांग तथा बच्चों को बड़ी कठिनाई होती है अतः रेलवे का कुछ स्टेशनों पर लिफ्ट व एस्केलेटर लगाने का निर्णय सराहनीय है। मेरा अनुरोध है कि क्योंकि कुरुक्षेत्र को एक आधुनिक स्टेशन बनाने का निर्णय किया गया है, अतः वहां भी लिफ्ट अथवा एस्केलेटर लगाया जाए, ताकि सूर्य ग्रहण व अन्य धार्मिक उत्सवों पर देश के कोने–कोने से आने वाले लोगों को, विशेष तौर पर बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों व अपंग व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके।

कुरुक्षेत्र के सेक्टर–12 में एक टिकट खिड़की चालू की गई थी मगर वह अक्सर बंद ही रहती है। अभी कुछ समय पहले जब उत्तरी रेलवे महाप्रबंधक कुरुक्षेत्र गए थे, तो वहां के निवासियों ने उनसे इस बारे में शिकायत भी की थी। अतः मेरा अनुरोध है कि ये टिकट काउंटर गाड़ियों के प्रस्थान के अनुसार खुला रखा जाए।

कैथल और दिल्ली के बीच वाया कुरुक्षेत्र रेल सेवा

यह मामला मैं पिछले लगभग पांच वर्षों से उठाता रहा हूं, अभी कुछ समय पहले जब उत्तरी रेलवे महाप्रबंधक वहां पर गए थे, तो सभी सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक प्रतिष्ठानों व विद्यार्थी समूहों ने इस रूट पर गाड़ी चलाने का अनुरोध किया था। इस वर्ष 2009–10 में जहां रेल मंत्री जी ने 43 नई गाड़ियां चलाने का आश्वासन सदन को दिया है, वहीं पर अगर इस ट्रेन को चलाया जाता तो कुरुक्षेत्र, कैथल व

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

[श्री नवीन जिन्दल]

आस–पास के लोगों को अति प्रसन्नता होती। मेरा माननीय रेलमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने उत्तर में इस गाड़ी को भी चलाने का आश्वासन दें।

सड़क उपरिपुल/सड़क अधोगामी पुल का निर्माण

राज्य सरकारों की लागत से 50:50 भागीदारी के आधार पर सड़क उपरिपुल एवं सड़क अधोगामी पुल कार्य होता है। इस विषय में मैं माननीय रेलमंत्री जी का ध्यान मेरी लोकसभा क्षेत्र में प्रस्तावित तीन सड़क उपरिपुल की ओर आकर्षित करना चाहूंगा:

1. अनाज मंडी कैथल के निकट समपार सं. 32 पर सड़क उपरिपुल के आस–पास की सड़कें बनाने का काम 8 जनवरी, 2008 को आबंटित कर दिया था। इस सड़क उपरिपुल का काम फरवरी 2009 के अंत तक पूरा होना था, परन्तु यह अभी पूरा नहीं हुआ है। अतः इसे जल्द से जल्द बनवाया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

2. पुराना राडोर–यमुना नगर पर समपार सं. 2891 पर सड़क उपरि पुल का रिवाइज्ड प्रोफाइल स्कैच मंजूर हो चुका है। अतः जल्द से जल्द इस ROB पर काम शुरू किया जाए।

3. कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद–थोल रोड़ पर समपार सं. 98 ए सी क्रासिंग पर सड़क उपरि पुल काम इसलिए रुका हुआ है, कि रेलवे को अभी यह निर्णय लेना है कि क्या यह सड़क उपरिपुल तीन की बजाए दो पिल्लर पर बनाया जा सकता है तथा क्या यह सड़क उपरिपुल रेलवे की जगह पर बनाया जा सकता है। ये मामला उत्तरी रेलवे के मुख्य अभियंता (पुल) के पास पिछले दो वर्षों से पेंडिंग पड़ा है। अतः इन दोनों बिन्दुओं पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

नई रेलवे लाइनों का निर्माण

वर्ष 2007–08 में 155 किलोमीटर नई लाइन का निर्माण पूरा हुआ, तथा वर्ष 2008–09 में 350 किलोमीटर नई लाईन बिछाने का प्रस्ताव किया गया था। इस संदर्भ में मैंने माननीय रेलमंत्री जी से यमुनानगर–पटियाला रेलवे लाइन बनाने का अनुरोध किया था, जिसका इंजीनियरिंग–कम–ट्रैफिक सर्वे दिसंबर, 2005 में पूरा कर लिया गया था। मेरी जानकारी के अनुसार इस रेलवे लाइन की कुल लम्बाई जगाधरी से कुरुक्षेत्र 58.61 किलोमीटर और पिहोवा रोड से दाऊनकलां तक 82.80 किलोमीटर बनती है, मगर इसका रेट ऑफ रिटर्न (–) 10. 11 प्रतिशत बताया गया है। इस विषय पर मेरा यह मानना है कि यद्यपि अभी रेट ऑफ रिटर्न नकारात्मक दिखाया गया है मगर रेलवे लाइन के बन जाने के बाद निश्चय ही इस क्षेत्र में अनेक उद्योग आएंगे, जिससे इस लाइन का रेट ऑफ रिटर्न जरूर सकारात्मक हो जाएगा। अगर अभी रेलवे इस पूरी लाइन को बनाने के पक्ष में नहीं है, तो कम से कम जगाधरी कुरुक्षेत्र लाइन बना दी जाये इससे रोहतक व जींद साइड से यूपी आने–जाने वाले माल यातायात में आसानी होगी।

कुरुक्षेत्र पर रेल लाईन दिक परिवर्तन

रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में काफी लम्बा समय लगता है। अतः महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के लिए त्वरित आधार पर भूमि अधिग्रहण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक्ट की तर्ज पर अधिनियम 1989 में अध्यादेश द्वारा संशोधन किया गया है। इस विषय में मेरा कहना है कि कुरुक्षेत्र–नरवाना रेलवे लाइन कुरुक्षेत्र में घनी आबादी वाले क्षेत्रों से गुजरती है, तथा इस लाईन के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत पेश आती है। इस लाईन पर इस आबादी वाले क्षेत्र में तीन रेलवे लेवल क्रासिंग है, जो घंटों बंद रहते हैं, इससे इन लेवल क्रासिंग के दोनों ओर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। सूर्य ग्रहण व अन्य उत्सवों पर तो हालत और भी बदतर हो जाती है। अतः इस रेलवे लाइन को कुरुक्षेत्र शहर के बाहर से निकाला जाए। यह कहना अतिशियोक्ति नहीं होगी कि जो खर्च इस नई रेलवे लाइन पर आएगा उससे अधिक पैसा पुरानी जमीन का व्यावसायिक प्रयोग कर रेलवे कमा सकता है।

कुरुक्षेत्र-नरवाना खंड का विद्युतीकरण

मैं माननीय रेलमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 2006–07 में कुरुक्षेत्र–नरवाना लाइन का विद्युतीकरण 17.09 करोड़ रुपए की लागत से करने का प्रस्ताव था, मगर किन्हीं कारणों से इस पर कार्य शुरू नहीं हो सका। मेरा अनुरोध है कि इस लाइन का विद्युतीकरण वर्ष 2009–10 में अवश्य किया जाए।

डिस्चार्ज फ्री ग्रीन टायलेट्स

रेलवे स्टेशनों पर विशेषतौर पर सुबह के समय मैला गिरने के कारण यात्रियों का वहां पर चलना दूभर हो जाता है। इस समस्या के निदान के लिए रेलवे 4000 करोड़ रुपए की लागत पर सभी 36 हजार कोचों में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक डिस्चार्ज फ्री ग्रीन टायलेट्स की व्यवस्था कर रही है। मेरा माननीय रेलमंत्री जी से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को और जल्दी लागू करने का प्रयत्न किया जाए।

कुछ राजधानी व शताब्दी गाड़ियों में ऑन बोर्ड सफाई की व्यवस्था का कार्य कुछेक प्रोफेशनल एजेंसियों के द्वारा शुरू करवाया गया है अतः मेरा अनुरोध है कि इस व्यवस्था को सभी रेलगाड़ियों में लागू करवाया जाए।

रेलवे क्रासिंग

भारतीय रेलवे में 34800 रेलवे क्रासिंग में से अभी भी लगभग 18,000 लेवल क्रासिंग चौकीदार रहित हैं और इस कारण से रेल दुर्घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अतः मेरा माननीय रेलमंत्री से अनुरोध है कि इन सभी चौकीदार रहित लेवल क्रासिंग को यथाशीघ्र चौकीदार सहित क्रासिंग में तबदील किया जाए और ऐसा करना अब अधिक आसान हो जाएगा, क्योंकि उन लाइसेंसधारी कुलियों को इन चौकीदार रहित क्रासिंग पर नियुक्त किया जा सकेगा, जिन्हें गैंगमैन एवं चतुर्थवर्ग के अन्य पदों पर नौकरी देने का निर्णय किया है। मेरा यह अनुरोध है कि धीरपुर–अधानी रोड, जिला कुरुक्षेत्र पर जो चौकीदार रहित रेलवे क्रासिंग है, उसे शीघ्रतिशीघ्र चौकीदार सहित रेलवे क्रासिंग में तब्दील किया जाए।

इसके साथ–साथ मेरा रेलमंत्री जी से अनुरोध है कि विदेशों की तरह सभी चौकीदार सहित लेवल क्रासिंग को ऑटोमैटिक किया जाए, ताकि इस क्रासिंग को पार करने के लिए लोगों को बेवजह असुविधा न हो, क्योंकि देखने में आया है कि ये चौकीदार सहित क्रासिंग्स काफी लम्बे समय तक बंद रहते हैं।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

1 कुरुक्षेत्र, कैथल और जगाधरी रेलवे स्टेशनों पर भी आधुनिक डिजाइन के वाटर बूथ व आधुनिक जलपान कक्षों का निर्माण किया जाए।

2 कुरुक्षेत्र, यमुनानगर व कैथल रेलवे स्टेशनों पर सैनिटरी व्यवस्था बहुत बुरी हालत में है। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में बैंचों की हालत भी खस्ता है। अतः इसे सुधारा जाए व इन स्टेशनों का नवीनीकरण भी किया जाए।

3 दैनिक यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र से ईएमयू ट्रेन चंडीगढ़ के लिए सुबह 6 बजे और शाम को चंडीगढ़ से कुरुक्षेत्र के लिए शाम 6 बजे चलाई जाए। इसी प्रकार एक ईएमयू ट्रेन दिल्ली के लिए शाम 5.30 बजे चलाई जाए।

4 क्योंकि कुरुक्षेत्र को आधुनिक स्टेशन घोषित किया हुआ है, तथा यहां पर लाखों की संख्या में पर्यटक आते रहते हैं, अतः यहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों का ठहराव इस स्टेशन पर दिया जाए।

अंत में मैं यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी व डा. मनमोहन सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके कुशल मार्ग दर्शन में ये रेलवे बजट लाया गया है। मैं एक बार फिर इस रेलवे बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

* **श्री रूपचंद पाल** (हुगली) : महोदय, 13 फरवरी 2009 को प्रस्तुत अंतरिम रेलवे बजट का पूरी तरह समर्थन करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रेल अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर जल्द से जल्द अच्छी तरह एवं पर्याप्त ध्यान दिया जाए।

इनमें से कई काफी ज्वलंत मुद्दे हैं, जो पिछले कई वर्षों से अटके पड़े हैं। संबंधित लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार हजारों दैनिक यात्रियों एवं अन्य लोगों को प्रभावित करने वाले उपर्युक्त ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द समस्या के समाधान का प्रयास करेगी।

जनता को प्रभावित करने वाले कुछ ज्वलंत मुद्दे को मैं नीचे उद्धृत कर रहा हूं :

पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल के बांदेल रेलवे स्टेशन पर काफी समय से लंबित जल भराव की समस्या का त्वरित संतोषजनक हल निकाले जाने की तत्काल आवश्यकता–(क) बाजारपारा बिंदु पर (ख) प्लेटफार्म क्षेत्र पर (इस संबंध में मेरे द्वारा रेल अधिकारियों को पहले वृहद सुझाव दिया जा चुका है)।

पूर्व रेलवे में हावड़ा और बांदेल, हावड़ा–बर्द्धवान, सियालदाह–नैहाती, सियालदाह–कृष्णानगर, सियालदाह–बांदेल, सियालदाह–बोगांव, शिवराफूली–तारकेश्वर, बांदेल–कटवा में उपनगरीय रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए और उसी तरह दक्षिण–पूर्व रेलवे में भी उपनगरीय खंडों की संख्या बढ़ाई जाए।

उपनगरीय रेलगाड़ियों में रेकों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 कोच करने की तत्काल आवश्यकता।

उपनगरीय सेवाओं और अन्य सेवाओं में समय की पाबंदी सुनिश्चित करना।

कलकत्ता बंदरगाह तक माल ढुलाई गलियारे और पूर्वी माल ढुलाई गलियारे में हल्दिया बंदरगाह तक की निर्माण परियोजना को तत्काल शुरूआत किए जाने की आवश्यकता।

(क) बांदेल–कटवा खंड और (ख) शिवराफूली तारकेश्वर खंड में रेल पटरियों के दोहरीकरण का काम पूरे किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

हावड़ा मंडल के शिवराफूली–तारकेश्वर खंड के नलीकूल रेलवे स्टेशन को नियमित स्टेशन ही रहने दिया जाए न कि उसे ठहराव वाले स्टेशन में परिवर्तित किया जाए।

---

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

[श्री नवीन जिन्दल]

हावड़ा–बर्दवान कोर्ड लाइन पर चंदनपुर में रेलवे क्रासिंग लाइन पर चंदनपुर रेलवे स्टेशन से दुर्गापुर एक्सप्रेस वे सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाए (जैसा कि रेल ने मांग की थी, एम.पी हुबली ने 15,23,000/–रु. (पंद्रह लाख तेइस हजार रुपए) उपलब्ध कराए) जैसा कि डी.आर.एम. हावड़ा कार्यालय ने अनुमान लगाया था, पर बाद में रेल द्वारा उसको उपयोग मे नहीं लाए गए और रुपए कलक्टर, हुबली को लौटा दिए गए। इस योजना को रेल द्वारा नए सिरे से लिया जाना होगा।

यात्री सुविधाएं जैसे पेयजल की व्यवस्था, प्रभावी जल संबोधन प्रणाली, यात्रियों के लिए स्वच्छ प्रतीक्षालय विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं और बच्चों के लिए तथा रेलवे प्लेटफार्म पर टेलीफोन सुविधा की उपलब्धता में तत्काल बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है।

हावड़ा–बांदेल लाइन पर भद्रेश्वर रेलवे स्टेशन के सबवे का चौड़ीकरण/इसी बीच पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल में रेल के अनुमान अनुसार दो एम.पी. हुगली के एम.पी. और श्रीरामपुर के एम.पी ने एमपीलैड से सबवे के निर्माण के लिए धनराशि दी है।

रेल विकास कार्य के परिणामस्वरूप बेदखल किए गए लोगों के तत्काल पुनर्वास योजना की आवश्यकता है। यह आवश्यक है कि रेलवे उनके निवास स्थान और दुकान के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाए।

रेलवे की खाली भूमि का बायोडीजल (जैसे जेट्रोपा आदि) की खेती के लिए उपयोग किए जाने की तत्काल आवश्यकता।

निजीकरण के बजाए विभिन्न क्षेत्रों में रेल प्रबंधन को तत्काल सुधारे जाने की आवश्यकता है क्योंकि निजीकरण से अंततः देश की जनता को ही नुकसान होगा।

हावड़ा मंडल के शिवराफूली–तारकेश्वर खंड के नलीकूल को हावड़ा–बर्दवान कोर्ड लाइन से जोड़े जाने की आवश्यकता है ताकि तारकेश्वर ब्रांच लाइन को सियालदाह से जोड़ा जा सके।

रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक स्टैण्ड के निर्माण के लिए रेलवे द्वारा हरीपाल पंचायत समिति को तत्काल भूमि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

शिवराफूली–तारकेश्वर रेल लाइन के सिंगुर को रेल भूमि उपलब्ध कराई जाए ताकि रेल यात्रियों की सुविधा के लिए सिंगुर पंचायत समिति द्वारा पहुंच मार्ग का निर्माण किया जा सके।

जैसा कि रेल मंत्रालय द्वारा वचन दिया गया था, निष्कासित फेरीवालों/विक्रेताओं जिन्होंने सहकारी संघ बना लिया है, उन्हें उनकी आजीविका को जारी रखने के लिए बांदेल और चिनसूरा में उपयुक्त रेल भूमि उपलब्ध कराए जाने की तत्काल आवश्यकता है। 'प्रगति सहकारी संघ' और 'सरत चंद्र सहकारी संघ' के साथ 'चिनसूरा फेरीवाला सहकारी संघ' की प्रार्थना रेल के पास काफी लंबे समय से अटकी पड़ी है।

पूर्व रेलवे के बांदेल–नैहाती ब्रांच लाइन पर हुगलीघाट रेलवे स्टेशन की नवनिर्मित टिकट खिड़कियों के लिए आवश्यक कर्मी उपलब्ध कराए जाएं।

गरीफा (24 उत्तरी परगना) और हुगलीघाट (हुगली) के बीच गंगा पर विद्यमान हुगली जुबली पुल के समर्पण और मरम्मत की घोषणा की जाए जहां पर पुराने पुल के ठीक बगल में नया रेल पुल निर्माणाधीन है।

हुगलीघाट और गरीफा के बीच नई रेलवे पुल को महान लोकहितैषी और शिक्षाविद् हाजी मुहम्मद मोहिया के नाम पर रखा जाए, क्योंकि यह पुल प्रचलित इमामबारा और हाजी मुहम्मद मोहिया के पवित्र मकबरा के पास है।

*श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : महोदय, सामान्य तौर पर मैं इस बजट का समर्थन करती हूं। यदि मैं लालू जी के लिए विदाई भेंट के रूप में पूरे दिल से इस बात का समर्थन कर पाती तो मुझे प्रसन्नता होती। परंतु मुझे इस बात का अत्यंत दुख है।

अपने आरंभिक भाषण में लालू जी ने कहा था (मैं उद्धत करती हूं) "मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हर वर्ष भारतीय रेल उन्नति के नए शिखर की ओर अग्रसर रहा है और अब आम आदमी पर बिना कोई भार डाले यह सफलता के शिखर पर खड़ा है। (उद्धण समाप्त)।" क्या यह सत्य है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान आम आमदी पर कोई बोझ नहीं डाला गया है?

लालू जी! पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी रेल गाड़ियों का नाम बदलकर 'एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है और इस प्रकार प्रत्येक टिकट पर 20/–रु. अधिक का भार डाला गया? पांच वर्ष पूर्व तत्काल सीटों की संख्या कितनी थी और तत्काल कोटा में सीट आरक्षित करने के प्रभार क्या थे? आपके समय में, सभी आरक्षित सीटों में 'अपर कोटा' 30% निर्धारित था, तत्काल प्रभार 50 रु. से बढ़कर 250/– रुपये हो गया और यहां तक कि यदि यात्री बीच के स्टेशन के लिए टिकट बुक करता है या बीच के स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करता है तो उसे रेलगाड़ी की संपूर्ण मार्ग की यात्रा के लिए भुगतान करना पड़ता है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लालू जी! फिर आपने 1 फरवरी, 2009 से चावल, खाद्यान्नों, दलहनों तथा उर्वरकों के लिए मालभाड़ा बढ़ा दिया है। वैसे भी, सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य उस अपेक्षित स्तर तक नहीं गिरे है जहां तक इन्हें आना चाहिए था। फिर भी लोगों को यह विश्वास करना पड़ेगा कि रेलवे ने आम आदमी पर कोई भार नहीं डाला है।

माननीय रेल मंत्री जी ने दावा किया है कि रेलवे ने 70,000 करोड रुपये का लाभ अर्जित किया है। यह सुनने में अच्छा लगता है। परन्तु प्रश्न वही है कि पैसे का किस प्रकार निवेश किया जा रहा है। क्या रेल मंत्रालय इस बात से इंकार कर सकता है कि 245 योजनाएं लंबित पड़ी है और पिछले पांच वर्षों के दौरान रेल नेटवर्क का नगण्य विस्तार हुआ है? आपने अपने भाषण में कहा था कि (मैं उद्धत करता हूं) "ऐसे में जब निजी कंपनियां मूल्य वृद्धि, कर्मचारियों की छंटनी तथा तालाबंदी का सहारा ले रही है, रेलवे ने मानवीय पहलू को केन्द्र में रखा है तथा आम आदमी या कर्मचारी पर अधिक भार डाले बिना एक अद्वितीय उपलब्धि हासिल की है" (उद्धण समाप्त)।

लालू जी! यह जानकर अच्छा लगता है कि आप यह नहीं भूले हैं कि निजी कंपनियां मूल्य वृद्धि, कर्मचारियों की छंटनी तथा तालाबंदी जैसे जन विरोधी उपायों का सहारा लेती है। परंतु कृपया क्या आप हमें यह बताएंगे कि आपके कार्यकाल के दौरान रेलवे की कितनी सेवाओं को निजी कंपनियों को आऊटसोर्स कर दिया गया है? टिकट काटने से लेकर साफ सफाई से लेकर खान–पान तथा यहां तक कि लाइनों तथा पुलों के अनुरक्षण कार्य को निजी कंपनियों को आऊटसोर्स कर दिया गया है। राज्य सभा में दिनांक 14.3.2008 को पूछे गए प्रश्न संख्या 224 के उत्तर में आपने माना कि वर्ष 2001–02 से 2005–06 के बीच 'ग' श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 8,92,890 से घटकर 8,86,454 हो गई तथा 'घ' श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 6,07,493 से घटकर होकर 5,14,250 रह गई। आपने यह भी माना है कि वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान रेलवे ने 1,12,664 पद समाप्त कर दिए। आऊटसोर्सिंग के परिणामस्वरूप, जिस दिन अंतरिम रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया, ठीक उसी दिन कोरोमंडल एक्सप्रेस भयानक रूप से दुर्घटना ग्रस्त हुई। 15 फरवरी को किसी तरह से हावड़ा–तारकेश्वर लोकल रेलगाड़ी ड्राइवर की सूझबूझ के कारण दूसरी दुर्घटना को टालने में सफल रही जिसने समय रहते फिश प्लेट न होने का पता लगा लिया। रेल मंत्री के दावों के विपरीत रेलवे पुलिस बल में रिक्त पड़े 10,000 पद समाप्त कर दिए गए। इसलिए आऊटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों के पदों को कम कर तथा पदों को समाप्त कर के रेलवे वेतन तथा भत्तों, भविष्यनिधि उपदान, पेंशन आदि के भुगतान जैसे सांविधिक उत्तरदायित्वों से बच रहा है। यह निसंदेह ही चालबाजी है। परंतु क्या कर्मचारी संबंध के मामले में आपके मंत्रालय तथा किसी कारपोरेट घराने में कोई अंतर है, जो किसी भी कीमत पर लाभ की ही चिन्ता करता है?

प्रत्येक वर्ष के बजट में आपने अनेक नई रेलगाड़ियों नई लाइनों इत्यादि की घोषणा की है। इस वर्ष के बजट में भी आपने कहा है कि 2187/2188 जबलपुर–मुंबई गरीब रथ को इलाहाबाद तक बढ़ाया जाएगा। शायद आप यह उल्लेख करना भूल गए कि मुंबई–जबलपुर–मुंबई गरीब रथ है ही नहीं। तथापि, इस बात का संज्ञान लेते हुए रेलवे ने 13 फरवरी को यह कहते हुए तुरंत एक टिकट जारी कर दिया कि 20 फरवरी को जबलपुर से रेलगाड़ी का शुभारंभ किया जाएगा। 21 फरवरी से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से इस रेल की नियमित सेवा आरंभ होने की संभावना है। नई समय सारणी के जारी होते ही इस रेलगाड़ी को इलाहाबाद तक बढ़ाया जाएगा।

माननीय रेल मंत्रालय ने घोषणा की थी कि रेलवे बुलेट ट्रेन आरंभ करने जा रहा है। परंतु क्या यह सत्य नहीं है कि स्वतंत्रता के 60 वर्षों के बाद भी, भारत में रेलगाड़ियों की औसत गति 36 के.एम.एस. है? एक और, रेल मंत्रालय इंटरनेट से टिकटों की बुकिंग का श्रेय ले रहा है। परंतु यात्री सुविधाओं के मामले में मौजूदा स्थिति क्या है?

मैं एक उदाहरण देती हूं। यह उत्तरी बंगाल से है। एक माह पूर्व राधिकापुर से दिल्ली के लिए एक रेलगाड़ी आरंभ की गई थी। परंतु यात्री अभी भी प्रतीक्षालय, विश्रामगृह, शौचालय तथा यहां तक कि पेयजल सुविधाओं के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।

मैं आशा करती हूं कि इस वाद–विवाद के उत्तर में आप हमें एक व्यापक रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे जिससे पांच वर्षों के आपके कार्यकाल के दौरान जिन नई रेलगाड़ियां तथा रेल लाइनों की घोषणा की गई तथा जिनका कार्य पूरा किया गया उनका वर्षवार ब्यौरा दर्शाया गया हो।

पूर्व में वैगन निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बी आई एफ आर को संदर्भित किया गया था। रेलवे ने भारत वैगन लिमिटेड के मोकामा और मुजफ्फरपुर इकाइयों को अधिग्रहीत करने का निर्णय लिया है। परंतु फिर भी रेलवे ने वैगन निर्माण के क्रयादेशों को निजी कंपनियों को देना बंद नहीं किया है। चितरंजन लोकोमोटिव तथा बनारस रेल फैक्ट्री को पर्याप्त क्रय आदेश प्राप्त नहीं हो रहे हैं। माननीय रेल मंत्री ने घोषणा की है कि रेलवे समर्पित मालभाड़ा गलियारा आरंभ करने वाला है। यह एक स्वागत योग्य घोषणा है। परंतु जैसे ही समर्पित मालभाड़ा गलियारे कार्य करने लगेंगे तब वैगनों की मांग में निश्चित रूप से वृद्धि होगी।

यह सच है कि वर्षों से हम बर्न स्टैण्डर्ड और ब्रेथवेट की वैगन विनिर्माण इकाइयों का प्रबंधन लेने की मांग कर रहे थे परंतु केवल बर्न स्टैण्डर्ड को ही लिया जा रहा है।

[श्रीमती मिनाती सेन]

महोदय, हमारी मांग है कि ब्रेथवेट वैगन विनिर्माण इकाइयों को भी रेलवे के नियंत्रण में लिया जाए। वैश्विक मंदी के दौर में वैगन विनिर्माण करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने नियंत्रण में लेना और उन्हें पर्याप्त आर्डर देना उन्हें स्टीमुलस वित्तीय पैकेज देने के समान होगा।

महोदय, रा.ज.ग. के शासन के दौरान रेलवे ने राज्य आधारित रेलवे जोन बनाने का निर्णय लिया था। हमने उस प्रस्ताव पर आपत्ति की थी। रेलवे देश की एकता का प्रतीक है। अतएव क्षेत्रीय आधार पर कोई योजना नहीं बनायी जानी चाहिए परंतु दुर्भाग्य से माननीय रेल मंत्री ने मौजूदा छोटा मालदा मंडल में से भागलपुर मंडल बनाने की घोषणा की है। इसका अर्थ है कि रेलवे का व्यय 100 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार खर्च करने का कोई औचित्य है।

मुझे उम्मीद है कि माननीय लालू जी अपने उत्तर में मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं माननीय रेल मंत्री से निम्न लिखित बातों पर विचार करने का अनुरोध करती हूं :–

बंग्लादेश होकर हल्दीबारी से सियालदाह तक रेल सेवा पुनरारंभ की जाए; जलपाईगुडी स्टेशन का विकास किया जाए,

नई मोइनागुडी–जोगीखोपा रेल लाइन को पूरा किया जाए, जलपाईगुडी और अलीपुरद्वार के बीच पैसेंजर ट्रेन शुरू की जाए, माल से होकर अलीपुरद्वार और सिलिगुडी के बीच पैसेंजर ट्रेन शुरू की जाए,

कंचनकन्या और उत्तरबंगा एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाए, नई जलपाईगुडी से न्यू कूच बिहार रेलवे लाइन के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए,

न्यू जलपाईगुडी स्टेशन पर जलपाईगुडी साइड पर नए टर्मिनल का निर्माण किया जाए,

जलपाईगुडी नं. 3 गुमरी और अलीपुरद्वार असम समपार द्वार पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए,

फालाकाता और धूपगढ़ी स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत टिकट काउंटर खोले जाए,

लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त वेंडर कोच लगाया जाए,

वन्य जीवों की रक्षा के लिए जंगलों में नियंत्रित गति से रेलगाड़ियां चलायी जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मेरे पास उन 61 सदस्यों की सूची है जो इस वाद विवाद में बोलना चाहते हैं। मेरा माननीय सदस्यो से अनुरोध है कि ये सदस्य जो अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहते हैं, रख सकते हैं और वह कार्यवाही का भाग बनेगी।

[हिन्दी]

सैकिंड रिक्वैस्ट यह है कि माननीय सदस्य अपनी स्पीच को 5 से 10 मिनट के बीच में खत्म कर दें और जो माननीय सदस्य अपनी लिखित स्पीच टेबल पर रखना चाहते है वे रख सकते हैं।

[अनुवाद]

और वह कार्यवाही का भाग बनेगी।

[हिन्दी]

अब डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य :

डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में 13 फरवरी, 2009 को अपने माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत रेल बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय मैंने अपने माननीय रेल मंत्री और पूर्व नागर विमानन मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन जी के भाषण को बहुत सावधानीपूर्वक सुना है। मैं महसूस करता हूं कि वह बेहद सराहनीय है। मेरा मानना है कि जब राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अच्छा होता है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। हमारे माननीय रेल मंत्री द्वारा किए गए कार्य वास्तव में सराहनीय है। मैं श्री लालू प्रसाद यादव और उनके मंत्री श्री नारनभाई रठवा जी तथा श्री आर. वेलू जी के नेतृत्व में रेलवे के 14 लाख कर्मचारियों की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए अपनी हार्दिक सराहना दर्ज कराना चाहता हूं।

माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी तथा स.प्र.ग. अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के गतिशील मार्गदर्शन में यह लगातार छठा बजट है जिसमें एक रुपया भी किराया नहीं बढ़ाया गया है। इसके विपरीत रेल मंत्री ने राष्ट्रीय राजकोष में 90,000 करोड़ रुपये के नकद अधिशेष का योगदान दिया है जो बहुत प्रशंसनीय है और मैं यह महसूस करता हूं कि इस बात को रेलवे के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।

महोदय, मंदी अपने दूरदर्शी और नवीन दृष्टिकोण को अपना मार्गदर्शी सिद्धांत मानकर मालभाड़ा व्यवसाय को व्यवस्थित कर वह आश्चर्यजनक परिणाम हासिल कर पाए हैं और मंदी के इन कठिन दिनों में भारतीय रेलवे को मुनाफा कमाने वाले एक बेजोड़ मेगा इंटरप्राइज में बदल दिया गया है और उनकी इस उपलब्धि पर देश को ही नहीं अपितु दुनिया को गर्व है।

महोदय, हालांकि यह बजट गरीबों के पक्ष में है और आम आदमी के लिए है परंतु इस बजट में समाज के सभी वर्गों का भी ख्याल रखा गया है। पूरी तरह से वातानुकूलित 'गरीब रथ' शुरू करना और निःशुल्क यात्री स्तरोन्नयन सुविधा (अपग्रेड फैसिलिटी) उपलब्ध कराना, गरीबों के अनुकूल है।

यह कहा जाता है कि कुल मिलाकर प्रस्तुत किया गया बजट स्वागत योग्य है। मैं माननीय रेल मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश की ओर से बार–बार किए गए अनुरोध पर ध्यान दिया है और, रेलवे प्राधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पठानकोट–जोगिंद्रनगर–मंडी–मनाली–केलांग–लेह रेल परियोजना का सर्वेक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। कुल्लू और मनाली होते हुए बिलासपुर से लेह तक तथा जोगिन्दर नगर से मांडी तक नई बड़ी रेल लाइनों के निर्माण के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण, इंजीनियरिंग–सह–यातायात सर्वेक्षण हेतु 81 लाख रु. की धनराशि स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार 189 किलोमीटर लंबी पठानकोट–जोगिन्दर नगर रेल लाइन के आमान परिवर्तन के अद्यतन सर्वेक्षण के लिए 23 लाख रु. की धनराशि भी स्वीकृत की गई है।

महोदय, इस परियोजना के कार्यान्वयन से केन्द्र सरकार हमारी राष्ट्रीय सीमाओं पर सेनाओं और सामग्रियों को ले जाने की परिवहन लागत में व्यापक रूप से बचत कर पाएगी और इसके साथ–साथ इस क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी, को भी सुरक्षित रख पाएगी। महोदय, मैंने लेह में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और मैं जानता हूं कि यदि रेल लाइन का निर्माण किया जाता है, तो मैं कहूंगा कि यह न केवल श्री लालू प्रसाद यादव जी को बल्कि राष्ट्र की भी उपलब्धि होगी और हमारी सशस्त्र सेनाओं को इस रेल लाइन पर गर्व होगा।

इसके अतिरिक्त, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बार यूनेस्को द्वारा कालका–शिमला रेल लाइन को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है और मुझे लगता है कि इसके रखरखाव और परिचर्या की तरफ भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट होगा।

महोदय, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि उत्तरी भाग की भू–सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इसकी जल–विद्युत और पर्यटन क्षमता के दोहन के उद्देश्य से तथा यहां की जनसंख्या के बागवानी और कृषि बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश के उत्तरी भाग में रेल संपर्क स्थापित करने हेतु और अधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है। अब मैं, अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

महोदय, मैं लालू प्रसाद जी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जब वे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के साथ स्वयं शिमला आए थे, तब मैंने आपको दो दिन खुद कंडक्ट किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी जानते हैं कि यह धार्मिक स्थान है। मैं स्वयं भी वहां जाता हूं। मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार से आपने उस समय अपने सभी आफिसर्स को कहा था कि यहां का अच्छा सर्वे करो। सर्वे हुआ भी था, परन्तु मैं चाहता हूं कि एक बार डेफिनेट सर्वे और हो। जिस प्रकार आपने नांदेड साहब को और पंजाब में आनंदपुर साहब को जोड़ा है, उसी तर्ज पर अगर आप पौंवटा साहब को जोड़ देंगे, तो न केवल वहां के वासी आपके ऋणी होंगे, बल्कि पूरा हिमाचल प्रदेश आपका ऋणी रहेगा। जब अंत में आप बोलें, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम यहां का डेफिनेट सर्वे करने के लिए जरूर कह दें। प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं यह कहा है और मैं उपाध्यक्ष महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी कहें। यहां हर साल 20 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री तीर्थयात्रा को जाते हैं। यहां से हेमकुंड साहब को जाते हैं या केदारनाथ को जाते हैं या बदरीनाथ को जाते हैं, यह बहुत श्रेष्ठ स्थल हैं।

[अनुवाद]

यह एक वास्तविक सांस्कृतिक–धार्मिक पर्यटन केन्द्र है। महोदय, मैं आपसे अपील करता हूं कि तकनीकी अवधारणाओं के आधार पर या तो जगाधरी की ओर से या फिर देहरादून की ओर से इस महत्वपूर्ण लाइन के सर्वेक्षण का आदेश दें क्योंकि जगाधरी और अंबाला के बीच पहले से ही एक रेल लाइन मौजूद है।

दूसरे, यह क्षेत्र एक औद्योगिक केन्द्र है। यदि आप शिवालिक रेंज में सुधार करके इसे दावला घाट तक ले जाएं, जहां अंबूजा सीमेंट कारखाना भी स्थित है, तो यह बेहतर होगा। इस पर पहले सहमति हो गई थी, किंतु मुझे लगता है कि यह मामला कहीं बीच में लटक गया है। यदि आप इन दो सर्वेक्षणों को पूरा कर दें, तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

अंत में मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि पहले से ही योजनाबद्ध या स्वीकृत की गई रेल परियोजनाओं को कार्यान्वित करने का आदेश दें। बल्कि, मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक "रेल बोर्ड" का गठन किया जाए, ताकि जनहित में ऐसी परियोजनाओं की लगातार निगरानी की जा सके। हम आपके कृतज्ञ रहेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर इस अंतरिम रेल बजट का समर्थन करता हूं, जो नवीन है, गरीबोन्मुखी और विकासशील है।

*श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैं वर्ष 2009–10 के लेखानुदानों की मांगों संबंधी अंतरित रेल बजट के संबंध में अपनी बात रखना चाहता हूं। रेलवे, जो कि भारत में लोगों के लिए परिवहन का सर्वाधिक पंसदीदा माध्यम है, जो 9 हजार ट्रेनें चलाती हैं और 8 हजार स्टेशनों पर पहुंचती है और जो प्रतिदिन लगभग 1.4 करोड़ यात्रियों को ढोती है, उसकी अपने "भारतीय रेलवे संबंधी यात्री सुविधाओं के संबंध में नागरिक चार्टर" में अनेक प्रतिबद्धताएं हैं, जिसके तहत यात्रियों को सुरक्षित और विश्वसनीय रेल सेवाएं उपलब्ध कराना और ट्रेन तथा रेलवे स्टेशनों में पर्याप्त यात्री सुविधाएं सुनिश्चित करना शामिल है। इसमें रेलवे स्टेशनों और ट्रेन दोनों में ही स्वच्छ और स्वास्थ्यकर वातावरण की व्यवस्था सम्मालित है। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि भारतीय रेलवे विश्वभर में सबसे गंदी रेल सेवा है। एक बार "ऑपरेशन स्वच्छता" शुरू किया गया था और इस मुद्दे के समाधान के लिए एक कृतज्ञ बल गठित किया गया था किंतु इस संबंध में ज्यादा कुछ नहीं हो पाया है। मानकों, कार्ययोजना और स्वच्छता के मानदंडों में अपर्याप्तता, स्वच्छता के लिए जिम्मेवार एकीकृत विभाग का अभाव और अनेक विभागों का शामिल होना, स्वच्छता के संबंध में अपर्याप्त व्यय और अपशिष्ट प्रबंधन पर अपर्याप्त नीति इस दयनीय हालत के लिए जिम्मेवार हैं। यहां तक कि, आज भी, इस 21वीं शताब्दी में, स्वच्छता को व्यापक तौर पर एक गौण कार्यकलाप के रूप में देखा जाता है, रखरखाव जैसे अन्य कार्यकलापों की तुलना में कम महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है। किसी डिब्बे को अगली यात्रा के लिए रखरखाव के आधार पर स्वच्छता कार्यकलापों के लिए भी फिट क्यों नहीं घोषित किया जा सकता। एक बार ऐसा होने पर जिम्मेवारी निर्धारित की जा सकती है। इसी प्रकार स्टेशन बिल्डिंग के बाहर परिचालन क्षेत्र में स्वच्छता का रखरखाव और स्टेशन परिसर के भीतर न केवल प्लेटफार्म पर बल्कि प्लेटफार्मों, प्रतीक्षालयों, विश्रामकक्षों, शौचालयों, प्लेटफार्मों के आस–पास के ट्रैकों, पैदल उपरिपुलों तथा जल मल निकास मार्गों की स्वच्छता भी अत्यावश्यक है। किंतु हर जगह इसका अभाव नजर आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी निगरानी के लिए कोई व्यवस्थित तंत्र मौजूद नहीं है। अपशिष्ट इकट्ठा करने और इसके निपटान में कमियां, अवसंरचना यात्री सुविधाओं के प्रावधान में अपर्याप्तताएं, अपर्याप्त प्रशिक्षण, इन सभी ने मिलकर स्थिति को बदतर बना दिया है। अनेक विभाग स्वच्छता कार्यकलापों से जुड़े हैं, जिसके कारण उनके बीच समन्वय की कमी नजर आती है। कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अनधिकृत व्यक्तियों के स्टेशन परिसर में प्रवेश को रोक पाने की विफलता ने समस्या को जटिल बना दिया है। रेलवे के पास स्टेशनों और ट्रेनों में स्वच्छता के रख–रखाव पर व्यय के स्तर का आंकलन करने या उसको नियंत्रित करने का कोई तंत्र नहीं है और न ही अपशिष्ट प्रबंधन पर कोई नीति मौजूद है। रेलवे ने रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और ट्रैकों पर स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करने के लिए न ही बेंचमार्क के तौर पर कोई मानक विकसित किया है और न ही जोनल स्तर पर कोई मानदंड तैयार किए हैं। आप भारतीय रेलवे में स्वच्छता और सफाई के कार्य के लिए किसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन की सेवा क्यों नहीं ले सकते? दिल्ली मेट्रो में अपनाई गई प्रणाली और रीतियों की दिल्ली में यात्रियों द्वारा सराहना की गई है। क्या आप इन जांची–परखी कुछेक पद्धतियों को सम्मिलित नहीं कर सकते? चूंकि स्वच्छता और सफाई के रख–रखाव और इनकी निगरानी के संबंध में संसाधन की कोई कमी नहीं है, क्या आप इसकी अपेक्षा करते हैं कि आबंटन में वृद्धि की जाए या रेलवे में स्वच्छता पर खर्चों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने पूर्व में प्रति मंडल पांच स्टेशनों पर कार्य शुरू करने और उन्हें आदर्श स्टेशन में बदलने का प्रस्ताव किया था। इसमें क्या प्रगति हुई है?

पहले भी मैंने बड़े स्टेशनों पर सी सी टी वी कैमरे स्थापित किए जाने का मुद्दा उठाया था। कितने स्टेशनों पर सी सी टी वी कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं? इनकी वर्तमान स्थिति क्या है? क्या ये रेलवे परिसर में स्वच्छता को बढ़ावा देने में प्रभावी हैं? क्या आपके पास रेलवे स्टेशनों पर भीड़–भाड़ को विनियमित करने के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद है?

अब मैं दूसरे पहलू पर आता हूं। यह संरक्षा से जुड़ा है। हमें बारंबार बताया गया है कि कुल परिवहन हिस्सेदारी में से रेलवे का हिस्सा चौथी पंचवर्षीय योजना में 53 प्रतिशत की तुलना में कम होकर नौवीं पंचवर्षीय योजना में 37 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2004–05 में रेलवे ने 600 मिलियन टन का मालभाड़ा ढोया, जो कि रेलवे द्वारा अर्जित कुल राजस्व का 64 प्रतिशत है। इससे साबित होता है कि रेलवे की लाभप्रदता के लिए मालभाड़ा परिचालन को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। सुचारू यात्री तथा मालभाड़ा परिचालन के लिए एक पर्याप्त, सुरक्षित और प्रभावी आधुनिक अवसंरचना की आवश्यकता है। ऐसा केवल विद्यमान अवसंरचना में उन्नयन कर दिया जा सकता है जिससे यात्री तथा माल ढुलाई कार्य में सुधार होगा। दूसरा सुविधाएं प्रदान करना है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से उन्नत माल ढुलाई प्रचालन के लिए अवसंरचना का सृजन करना है। समुचित रख–रखाव, पटरियों का नवीकरण, पुलों का सुदृढ़ीकरण प्रथम श्रेणी में आता है जबकि और अधिक संख्या में वैगन एवं इंजन का अधिग्रहण, अधिक भारी माल की ढुलाई के लिए उपयुक्त नए चल स्टॉक का अर्जन आदि दूसरी श्रेणी में आता है। समर्पित माल ढुलाई गलियारों तथा उनके फीडर मार्गों को भी सुदृढ़ एवं उन्नत बनाए जाने की आवश्यकता है।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

जबकि मुख्य योजना शीर्षों के अंतर्गत व्यय एक निवेश है जिसका उद्देश्य उन्नत माल ढुलाई एवं यात्री सुविधाओं के लिए अवसंरचना का सृजन करना है, तब मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह रेलवे की आय के स्तर के अनुरूप क्यों नहीं है। अवसंरचना विकास के लिए भारतीय रेल द्वारा सृजित विभिन्न निधियों के माध्यम से प्रदान की गई राशि का उपयोग विगत वर्षों में पूरी तरह से क्यों नहीं किया गया है? इस परिदृश्य में सुचारू माल ढुलाई प्रचालन के लिए रेलवे की योजना किस प्रकार से सुदृढ़, सुरक्षित एवं कुशल आधुनिक अवसंरचना की व्यवस्था करने की है?

एक्सल लोड में वृद्धि चिंता का एक क्षेत्र है। इसमें वृद्धि की अनुमति प्रति वैगन अधिक टन माल के परिवहन के उद्देश्य से दी गई थी ताकि इंजन तथा अतिरिक्त वैगन पर बचत कर प्रचालन की यूनिट लागत कम की जा सके। इन्हें रेलगाड़ी प्रचालनों में विधिवत रूप से सुरक्षा सुनिश्चित करके किया जाना था। नवम्बर, 2004 के पूर्व वैगन में सी.सी.+2 टन तक माल के लदान (परिवहन क्षमता) की अनुमति थी जबकि अनुज्ञेय एक्सल लोड 20.32 टन लिया जाता था। नवम्बर से सी.सी.+4+2 टन तक माल के लदान की अनुमति दी गई। मार्च तथा मई, 2005 में आपने 16 चुने गए लौह–अयस्क मार्गों पर इन वैगनों में सी.सी.+8+2 टन तक लदान किए गए वैगनों को चलाए जाने की अनुमति दी। अतिरिक्त लदान अधिकतम एक्सल लोड 22.82 टन तक सीमित किया जाना था। ऐसा तकनीकी व्यवहार्यता के संबंध में किसी विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा बिना किसी अध्ययन के किया गया। आपका कहना है कि यह निर्णय फील्ड अनुभव के आधार पर लिया गया था। लेकिन क्या आप बढ़े हुए भार के साथ माल ढुलाई गाड़ियों को चलाए जाने के निहित लागत परिणाम से अवगत हैं। क्या आपने लागतों तथा अर्जनों के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है? निःसंदेह लदान में काफी वृद्धि हुई है लेकिन क्या आपने पटरी, चल स्टॉक तथा पुलों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव की समीक्षा की है? हमें बताया गया है कि भारतीय रेल के सभी बी.जी. मार्गों को सी.सी.+6 मार्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है। लौह–अयस्क मार्गों को सुदृढ़ किया गया है। लेकिन आपके पास कितने संकटग्रस्त मार्ग हैं? दिनांक 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार आपके जोनल रेलवे द्वारा 75 संकटग्रस्त पुलों की रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें से कि 55 पुलो का पुनर्निर्माण वर्ष 2007–08 के दौरान किये जाने का लक्ष्य था तथा शेष पुलों का पुनर्निर्माण तदन्तर किया जाना था। इसमें कितनी प्रगति हुई है? यह घोर लापरवाही है।

यह भी पाया गया है कि वैगनों में प्रति एक्सल 24.49 टन का माल का लदान किया गया जबकि 22.82 टन के एक्सल लोड की अनुमति है। इसके परिणामस्वरूप मध्य तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में पटरियों में दरारें तथा वेल्ड दरारें उत्पन्न हुई हैं। आपने क्या कदम उठाए हैं? क्या आपने जिम्मेवारी निर्धारित की है? क्या आपने दोषी कर्मचारियों को सजा दी है? ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है? फिर भी आप यह कह सकते हैं कि आप सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। क्या आपने चल स्टॉक की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए अपेक्षित अतिरिक्त व्यय का तथा इन मरम्मतों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त समय का आकलन किया है? रेलवे बोर्ड द्वारा मार्च तथा मई, 2005 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार निर्धारित मार्गों पर अधिक लदान की अनुमति कतिपय शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन थी। इनमें से एक जोनल रेलवे में पर्याप्त व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर अर्थात् डब्ल्यू. आई. एल. डी. लगाया जाना था। डब्ल्यू. आई. एल. डी. को लगाए जाने में विलंब क्यों किया जा रहा है? यह सभी स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि सुरक्षित तथा भरोसेमंद रेलगाड़ी सेवाएं प्रदान करने हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं।

रेल मंत्री द्वारा अपना अंतरिम बजट भाषण दिए जाने के 8 घंटे के अंदर कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस उड़ीसा के जाजपुर रोड के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें 9 लोगों की जान गई तथा काफी संख्या में यात्री घायल हुए। जब मंत्री जी ने रेल बजट प्रस्तुत किया उनके मस्तिष्क में रेलगाड़ी दुर्घटना तथा सुरक्षा उपाय नहीं थे। और भी चिंताजनक बात यह है कि खुरदा रोड स्टेशन के नियंत्रण कक्ष तथा जाजपुर रोड स्टेशन मास्टर के बीच संवाद की कमी तथा रेलवे ट्रैक के खराब रखरखाव के कारण कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। खुरदा नियंत्रण कक्ष ने जाजपुर स्टेशन मास्टर को ट्रेन ड्राइवर से अपनी गति कम करने के लिए सतर्क करने के लिए कहा था क्योंकि सेमी–ऑटोमैटिक ट्रैक–चेंजिंग जंक्शन रेलगाड़ी का सम्पूर्ण भार लेने की स्थिति में नहीं था, जो कि 100 किमी. प्रति घंटे की गति से चल रही थी। मुझे सूचना मिली है कि स्टेशन मास्टर को सिग्नल तब तक लाल रखने के लिए कहा गया था जब तक कि रेलगाड़ी इस जंक्शन को को पार करने के लिए अपनी गति कम न कर दे। लेकिन लाइनमैन को निर्देशों के बारे में सही ढंग से सूचना नहीं दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप सिग्नल हरा ही रहा तथा ट्रैक भी संरेखित किया गया था, जो कि उच्च गति से आ रही किसी रेलगाड़ी के लिए नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसा कैसे हुआ? अगर यह मानवीय गलती नहीं है, तो क्या है?

तीसरा पहलू उच्च ब्याज दरों का है जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। सरकार ने स्वीकार किया कि नए स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा जिनके आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय अनुमान में 50 प्रतिशत की भारी वृद्धि होगी। इसके लिए नई दिल्ली तथा बंगलौर के साथ भुवनेश्वर स्टेशन को चुना गया था। लेकिन कितनी प्रगति हुई है? आधुनिकीकरण कार्यक्रम विवाद के दलदल में फंसा हुआ है। कोई भी यह नहीं जानता कि इन परियोजनाओं को कब पूरा किया जाएगा। चौथी बात यह है कि बिना चौकीदार वाले रेल समपारों पर प्रतिवर्ष काफी

[श्री भर्तहरि महताब]

दुर्घटनाएं होती हैं। क्या सरकार इससे अवगत नहीं है कि ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है जिसके अंतर्गत किसी रेलगाड़ी के आने पर फाटक स्वतः बंद हो सकता है। पैदल यात्रियों को श्रव्य प्रणाली के माध्यम से चेतावनी दी जा सकती है। अगर फाटक बंद नहीं है तो रेलगाड़ी रूक जाएगी। क्या सरकार द्वारा प्रायोगिक परियोजना के भाग के रूप में चुनिन्दा फाटकों पर संचालित किए जाने हेतु ऐसी प्रौद्योगिकी की खरीद के लिए कोई प्रयास किया गया है? मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि कुछ ऐसे बिना चौकीदार वाले फाटकों की पहचान की जानी चाहिए जहां परीक्षण हेतु यह शुरू किया जा सकता है। निःसंदेह दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2006–07 में 72 से घटकर वर्ष 2007–08 में 65 हो गई है, लेकिन अभी भी यह चिंता का कारण है क्योंकि देश के कुल 34152 समपारों में से केवल 16775 पर चौकीदार हैं। चूंकि बिना चौकीदार वाले रेलवे समपारों पर अधिकांश दुर्घटनाएं सड़क का उपयोग करने वालों की लापरवाही के कारण होती है, अतः जन जागरूकता निःसंदेह आवश्यक है, लेकिन नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानवरहित फाटकों के लिए शीघ्रातिशीघ्र प्रयास किया जाना चाहिए।

वर्ष 2009–10 के अंतरिम रेल बजट को चतुराईपूर्वक रेल मंत्री का स्कोरबोर्ड बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है लेकिन चूंकि अक्टूबर 2008 से मंदी दिख रही है जिससे अक्टूबर तथा नवम्बर में लदान एवं मालभाड़ा आय पर प्रभाव पड़ा है और मंत्री जी का दावा है कि "स्थिति में कुछ सुधार हुआ है" एक चतुराई भरा कथन है लेकिन इससे पार नहीं पड़ेगी। उनकी नई रेललाइनों की घोषणा, नई रेलगाड़ियां चलाए जाने, रेलगाड़ियों का विस्तार तथा रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि किया जाना आने वाले चुनावों की दृष्टि से किया गया है लेकिन यात्री भाड़े में दो प्रतिशत की कटौती से पूरे वर्ष में 700 करोड़ रुपये प्रणाली में से कम हो जाएंगे यदि इसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाता है।

मैं रेलमंत्री जी से एक प्रश्न के उत्तर की आशा करता हूं कि क्या रेलवे ने मालभाड़ा गलियारा तथा अन्य आधारिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए आंशिक वित्त आपूर्ति के लिए यात्री किराये में सुरक्षा अधिभार लगाने पर विचार किया जा रहा है? रेलवे सुरक्षा अधिभार की समीक्षा क्यों नहीं करता है तथा इसे विकास प्रभार से प्रतिस्थापित क्यों नहीं करता है? चूंकि यात्री भाड़े को मालभाड़े से क्रॉस–सब्सिडी दी जाती है तथा मालभाड़े को मूल्यन के गतिशील मॉडल के बाद इधर–उधर किया जाता है। रेलवे को उपनगरीय सेवाएं चलाने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 900 करोड़ रुपये की हानि होती है जिसे मालभाड़े से राजस्व आय में डाल दिया जाता है।

रेलवे अपने कर्मचारियों पर कितना खर्च करता है। वर्तमान में कुल 14 लाख कर्मचारियों तथा 11 लाख पेंशनरों सहित मुझे बताया गया है कि कर्मचारियों का वर्ष 2007–08 में कुल वेतन बिल, जिसमें पेंशन लाभ को शामिल किए बिना 18,565 करोड़ रुपये था, कुल सामान्य प्रचालन व्यय का 45 प्रतिशत है। ईंधन लागत लगभग 30 प्रतिशत है तथा अन्य सामग्री एवं सेवाओं की लागत 25 प्रतिशत है। इतने अधिक लागत खर्च के बाद रेलवे में रोलिंग स्टॉक के रखरखाव, पटरियों के आधुनिकीकरण अथवा नवीकरण के लिए पैसा ही नहीं बचता तो रेल का पहिया निर्बाध रूप से कैसे थमेगा? मंडल स्तर पर या व्यापक स्तर पर आज भी रेलवे तंत्र में कार्यात्मक स्वायत्तता का अभाव है।

तथापि मंत्री जी हमेशा यही कहते रहे हैं कि उन्होंने रेलवे का खजाना "आम आदमी पर बोझ डाले बिना" भरा है, चाहे उसे पुनवर्गीकरण, तार्किकीकरण, व्यस्त समय या सुपरफास्ट अधिप्रभार का नाम दिया जाए, यह वृद्धि केवल मालभाड़े में लगभग 30%, वर्ष 2004–05 में 75.5 पैसे प्रति किलोमीटर से वर्ष 2008–09 में 97.9 पैसे प्रति किलोमीटर, लौह अयस्क निर्यात में 81.7 से 264 पैसे प्रति किलोमीटर होकर 223% वृद्धि हुई है, खाद्यान्नों में 47.4 से 72.9 पैसे प्रति किलोमीटर होकर 54% वृद्धि हुई हैं तथा उर्वरकों में भी 43%, सीमेन्ट में 17% कोयले में 13% तथा इस्पात विनिर्माण सामग्री में 11% की वृद्धि हुई है।

भारतीय रेलवे को संसाधनों की अत्यंत आवश्यकता है। आज अनुमानित योजना परिव्यय पी पी पी के माध्यम से लगभग 20% होने की संभावना है। रेल प्रबंधन संरचना तथा संगठन 150 वर्ष पुराना हो गया है। इस संगठन में परंपरागत समावेश और नियंत्रण मॉडल की तुलना में आज प्रबंधन तंत्र में कम स्तर होने चाहिए। वर्ष 2005 में चीन ने अपने परंपरागत चार स्तरीय "रेलवे विभाग", रेल कार्यालय, रेल शाखा, रेलवे स्टेशन में संशोधन करते हुए रेलवे शाखा को विकास कर सुकर त्रिस्तरीय बना दिया। हमारे रेलवे को भी इसकी संरचना को सुकर बनाने तथा इसके कैडर को पेशेवर बनाने की आवश्यकता है।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बार–बार की जाने वाली परियोजना की मांग पर आता हूं अर्थात् पूर्वोत्तर रेलवे के तहत कटक में कथाजोड़ी नदी पर दूसरा पुल बनाने की मांग करता हूं। मुझे बताया गया है कि इंडोनेशिया की जो कंपनी यह कार्य कर रही थी वह भाग गई है तथा अब कुछ अभियांत्रिकी–समस्या है जिसकी वजह से निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। यह कार्य इसी वर्ष पूरा होना चाहिए था लेकिन अब एक वर्ष से ज्यादा समय की आवश्यकता है। क्या रेलमंत्री वह दिन और समय बता सकते हैं जब कथाजोड़ी नदी पर बना दूसरा पुल चालू हो जाएगा।

कटक रेलवे स्टेशन का दूसरा रास्ता अभी चालू नहीं हुआ है क्योंकि मुख्य सड़क से यह सीधे तौर पर जोड़ा नहीं गया है। यह कैसे

हो सकता है? मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यथाशीघ्र इस पहुंच मार्ग हेतु भूमि अधिग्रहण किए जाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाएं ताकि कटक रेलवे स्टेशन से दूसरे रास्ते के निर्माण पर जो धनराशि व्यय हुई है उसका सदुपयोग किया जा सके।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व, मैं हाल ही में बढ़ाए गए मालभाड़े का उल्लेख करना चाहता हूं। रेलमंत्री ने ऐसे दौर में जब अर्थव्यवस्था भारी संकट से गुजर रही है, तब आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्नों, दलहनों तथा उर्वरकों के मालभाड़े में 8.3 प्रतिशत की बहुत अधिक वृद्धि का निर्णय लिया है। इससे सूझ–बूझ पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इस वृद्धि के पीछे आवश्यक आर्थिक कारण नहीं दिखते हैं। आज रेलवे के खजाने में बहुत अधिक पैसा है। दिसम्बर, 2008 के अन्त तक मालभाड़ा राजस्व लगभग 14 प्रतिशत बढ़कर 39,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। यह तो तब है जब अर्थव्यवस्था में केवल 7 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, डीजल की कीमतों में गत कुछ महीनों में तीन गुना कम हो गई है। तार्किक रूप से रेलवे को इसमें कटौती करनी चाहिए। इससे न केवल अर्थव्यवस्था को निकट समय में लाभ होता अपितु रेलवे को रेल यातायात में अपनी हिस्सेदारी 60 प्रतिशत तक करने के निर्धारित उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी तथा इसके साथ–साथ भाड़े पर क्रॉस सब्सिडी में भी धीरे–धीरे कमी होगी। यह निर्णय सबसे व्यस्त समय के कुछ माह पूर्व ही लिया गया है, जिससे स्थिति बदतर होगी।

लेकिन तर्क एवं रेल मंत्री एक दूसरे से परिचित नहीं लगते हैं। क्या रेलमंत्री अंतिम बार अधिशेष बजट देंगे? लेकिन अधिशेष बजट से परिहार्य पीड़ा हो सकती है।

[हिन्दी]

***श्री किशन सिंह सांगवान** (सोनीपत) : महोदय, वर्ष 2009–10 का रेल बजट माननीय रेल मंत्री जी ने पेश किया, उस पर यह चर्चा चल रही है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यू.पी.ए. सरकार के रेल बजटों में हरियाणा प्रदेश पूरी तरह से उपेक्षित हुआ है। माननीय रेल मंत्री बैठे हैं, मैं लालू जी को चैलेंज करता हूं कि पूरी बजट स्पीच में हरियाणा का एक भी अगर कहीं नाम किसी प्रोजैक्ट में हो तो मैं अपने शब्द वापिस ले लूंगा। हरियाणा में कोई नई रेल गाड़ी नहीं, कोई नया रेलवे स्टेशन नहीं, कोई इलैक्ट्रीफिकेशन नहीं, कोई डबलिंग प्रोजेक्ट नहीं, कोई नया माडल स्टेशन नहीं, पूरी स्पीच में हरियाणा की किसी प्रोजेक्ट में कोई हिस्सेदारी नहीं है। कैसे हरियाणा के लोग इसे बर्दाश्त करेंगे और यह उपेक्षा पूरे पांच साल चली है, कोई इस बार ही नहीं।

दिल्ली देश की राजधानी है। हरियाणा दिल्ली के तीन तरफ बसता है। दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ रही है और नैशनल कैपिटल रीजन इसीलिए बनाया गया था कि दिल्ली पर जो जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए दिल्ली के आस–पास के इलाकों में सुविधाएं दी जाएं ताकि दिल्ली पर ज्यादा दबाव न पड़े। दिल्ली में आने वाली लगभग 80 प्रतिशत रेलगाड़ियां हरियाणा की धरती से गुजरती हैं और हरियाणा की जनता को कोई सुविधाएं नहीं हैं। जितनी पीछे से मेल या एक्सप्रेस गाड़ियां आती हैं, उनका स्टोपिज भी नहीं है और नई पैसेंजर गाड़ियां भी आप कोई नहीं चला रहे हैं।

महोदय, रेल मंत्री सदन में बैठे हुए हैं। वे बताएं कि लोड़ में कितना परसेंटेज रोड़ ट्रांसपोर्ट की वजह से घटा है। पहले देश का माल 70 प्रतिशत रेलगाड़ियों से ढोया जाता था। रोड़ ट्रांसपोर्ट से केवल 30 प्रतिशत माल ढोया जाता था, लेकिन आज स्थिति पलट गई है आज रोड़ ट्रांसपोर्ट के जरिये ज्यादा लोड़ ढोया जा रहा है। उसके मुकाबले में रेलवे का परसेंटेज कम हुआ है। लेकिन इन आंकड़ों का जनता को पता नहीं है।

सुरक्षा की दृष्टि से इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक समय आएगा जब इस देश की जनता सारी स्थिति से अवगत हो जाएगी। यह रेल बजट है, हम इसका समर्थन कैसे करें? इस बजट में हरियाणा प्रदेश की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। रेलवे का काफी बड़ा स्टाफ है, उसमें लाखों कर्मचारी हैं जो स्टाफ वैलफेयर प्लान बनाया गया था, उसका क्या हुआ, इस बारे में मंत्री जी से जानना चाहते हैं। हमने रेल कर्मचारियों के लिए क्या किया, उसका आज तक कोई जिक्र नहीं है।

मैं अपने क्षेत्र की दो चार बातें बताना चाहता हूं आज आम जनता में रेल के बारे में मान्यता है, आम जनता में यह फीलिंग है – "लालू की रेल बिल्कुल है फेल, न चलती है समय पर चलती है लेट।" लोगों में यह धारणा बन गई है और ये वाहवाही लूट रहे हैं।

हमारे प्रदेश से काफी बातें जुड़ी हुई हैं जिन्हें मैं थोड़े समय में आपके सामने रखना चाहता हूं। हम कोई नई बात नहीं उठा रहे हैं। मेरी थर्ड टर्म है। मैं हर रेल बजट में इन्हीं बातों को रखता हूं लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली–पानीपत सैक्शन पर सोनीपत, गन्नौर एवं पानीपत स्टेशनों पर 04.10.2007 को पार्लियामेंट रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के 16 सांसद व उनके साथ पूरा रेल विभाग जिसमें मुख्यतः जी.एम. नार्दन रेलवे, डी. आर.एम. दिल्ली डिवीजन और अन्य संबंधित अधिकारी निरीक्षण हेतु आए थे। जो घोषणाएं की गईं थीं, उनमें से ज्यादातर घोषणाएं पूरी नहीं की गई।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

[श्री किशन सिंह सांगवान]

मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को पूरा करने की मांग करता हूं कि एक ई.एन.एस. गाड़ी जो दिल्ली से चलकर सोनीपत जाती है, उसे पानीपत तक एक्सटैंड किया जाये, गन्नौर रेलवे स्टेशन पर सुबह 10:20 बजे से 3:00 बजे तक कोई सवारी गाड़ी नहीं चलती, इस समय के दौरान एक सवारी गाड़ी चलाई जाए, सोनीपत रेलवे स्टेशन पर शान–ए–पंजाब 2497/2498 गाड़ी एवं दिल्ली–पठानकोट एक्सप्रेस 4047 अप गाड़ी का ठहराव किया जाए, गन्नौर रेलवे स्टेशन पर जम्मू मेल 4034 डाउन व 4673/4674, 4649/4650 अप व डाउन शहीद एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव किया जाए, नरेला स्टेशन पर हिमालयन क्वीन 4095/ 4096 अप व डाउन तथा 4673/ 4674, 4649/ 4650 अप व डाउन शहीद एक्सप्रेस गाड़ी का ठहराव किया जाए, गन्नौर रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन काउन्टर खोला जाए व बुकिंग स्टाफ बढ़ाया जाए, सभी सवारी गाड़ियों में डिब्बों की संख्या 16 से 20 की जाए, रोहतक–पानीपत सैक्शन पर जयपुर चण्डीगढ़ एक्सप्रेस गाड़ी का गोहाना स्टेशन पर ठहराव किया जाए, जींद–सफीदों–पानीपत सैक्सन पर केवल दो ही गाड़ियां चलती हैं। इस सैक्शन पर गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अतिरिक्त दिल्ली–रोहतक सैक्शन पर सांपला स्टेशन पर 2555/2556 गोरखधाम एक्सप्रेस तथा नांगलोई स्टेशन पर 4723/24 कालिंदी एक्सप्रेस व 4035/36 धोलाधार एक्सप्रैस का ठहराव किया जाए, इस रूट पर चलने वाली सभी सवारी गाड़ियों में चार–चार डिब्बे बढ़ाएं जाएं, मसूरी एक्सप्रैस का नांगलोई, बहादुरगढ़, सांपला स्टेशनों पर ठहराव करते हुए, इस गाड़ी को रोहतक, जींद/रोहतक–भिवानी तक एक्सटैंड किया जाए।

मैं रोड़ ओवर ब्रिज की मांग करता हूं। जींद–गोहाना रोड़ पर गोहाना में इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि एक–एक घंटा रुकना पड़ता है। मैं वहां के लिए रोड़ ओवर ब्रिज की मांग करता हूं। जींद, सोनीपत, गन्नौर स्टेशनों को मॉडल स्टेशनों की सूची में शामिल किया जाए, दिल्ली–रोहतक–गोहाना–पानीपत रूट पर इंटरसिटी ट्रेन चलाई जाय। ये सारी बातें पुरानी हैं मैं कोई नई बात नहीं उठा रहा हूं। लेकिन बहुत अफसोस है कि इन पर कोई अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करके हरियाणा की जनता के लिए बजट में कुछ न कुछ प्रावधान करें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

*श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग) : माननीय मंत्री जी ने जो रेल बजट पेश किया है एवं इसके पहले भी जो लगातार 2004–05 से जबसे इन्होंने रेल मंत्रालय का भार संभाला है, बजट पेश किया। इन्होंने यात्री किराये में वृद्धि नहीं किया बल्कि घटाया है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि इन्होंने रेल मंत्रालय को 90 हजार करोड़ का मुनाफा विगत पांच वर्षों में किया। रेल मंत्रालय एवं माननीय मंत्री जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इन्होंने रेलवे कुली को गैंग मैन में बहाल कर दिया।

महोदय, सबसे बड़ी विडम्बना है कि माननीय मंत्री जी का शुरू से ही झारखंड राज्य के साथ भेदभाव रहा है। मैं शुरू से ही हजारीबाग एवं झारखंड की रेल समस्याओं को उठाता रहा हूं एवं झारखंड के सभी सांसदों को लेकर स्मार–पत्र भी दिया। रेलवे बजट के आय का बहुत बड़ा हिस्सा झारखण्ड राज्य से प्राप्त होता है। कोडरमा से हजारीबाग एवं हजारीबाग से बड़कानाना रेल लाईन के कार्य में विगत् एक साल से तेजी आई है पर उसमें और तीव्र गति लानी है ताकि वर्ष 2009 तक यह कार्य पूरा हो सके एवं हजारीबाग के जनता की चिर–प्रतीक्षित मांग पूरी हो सके।

हजारीबाग उत्तरी छोटानागपुर का प्रमण्डल भी है एवं दुर्भाग्य है कि अभी तक रेल लाईन से नहीं जुड़ पाया। रामगढ़ जो नव सृजित जिला है वहां से रांची राजधानी सप्ताह में एक दिन एवं कोडरमा होकर सप्ताह में दो दिन दिल्ली जाती है। इसके अलावा एक माह पूर्व रेल मंत्रालय ने गरीब रथ भी रांची से दिल्ली होकर चलाया है यह भी सप्ताह में 2 दिन बड़कानाना जंक्शन होकर जाती है। दुःखद है कि न तो रांची राजधानी का ठहराव बड़काकाना जंक्शन पर है और न गरीब रथ का। मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संबंधित क्षेत्र में लगभग 50 हजार कोयला मजदूर हैं। रामगढ़ में सिख रेजीमेंट का छावनी परिषद है। बी.टी.पी.एस., ग्लास फैक्ट्री, जिन्दल सहित छोटे–बड़े दर्जनों उद्योग हैं। यहां पर दोनों ट्रेनों का ठहराव न होना एवं सीटों का आरक्षण न होना, हजारीबाग एवं रामगढ़ की जनता के साथ घोर अन्याय है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि रांची राजधानी सप्ताह में चार दिन कोडरमा होकर एवं तीन दिन बड़काकाना जंक्शन होकर चलाया जाय एवं बड़काकाना जंक्शन में भी सीटों का आरक्षण दिया जाए। साथ–साथ गरीब रथ का भी परिचालन सप्ताह में तीन दिन बड़काकाना जंक्शन होकर एवं तीन दिन कोडरमा होकर चलाया जाए और बड़काकाना जंक्शन में आरक्षण एवं ठहराव की सुविधा दी जाए।

रामगढ़ जिले के चैनपुर एवं रांची रोड़ के बीच ग्राम–दिघवार में रेलवे हॉल्ट बनाने की मांग 1998 से वहां की जनता कर रही है। अभी 29 जनवरी, 09 को 10 हजार से अधिक लोगों ने रेलवे लाईन को पांच

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

घंटे तक जाम किया और ए.डी.आर.एम. एवं जिला प्रशासन के इस आश्वासन के बाद कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जायेगी, मेरी उपस्थिति में वार्ता के बाद जाम हटाया गया। इस संबंध में डी.आर.एम, धनबाद, रेलवे संघर्ष समिति, दिघवार हॉल्ट का मेरी उपस्थिति में बड़ाकाकाना जंक्शन के ए.डी.आर.एम. के कार्यालय में 10 फरवरी, 2009 को वार्ता भी हुई और डी.आर.एम. ने कहा कि दिघवार हॉल्ट के लिए हमने अपने स्तर पर महाप्रबन्धक, हाजीपुर को भेज दिया। जल्द ही यह मामला रेलवे बोर्ड में भी भिजवाने के लिए प्रयास करेंगे। माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह किसानों का इलाका है एवं यहां बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन होता है। यातायात की सुविधा नहीं रहने के चलते किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है एवं उन्हें हर वर्ष करोड़ों की क्षति होती है। अतः मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि दिघवार में रेलवे हॉल्ट अतिशीघ्र बनवाने का कष्ट करें।

बड़काकाना जंक्शन एवं खिलारी के बीच में राय स्टेशन अवस्थित है। इस स्टेशन से रेलवे बोर्ड को आमदनी में देश में आठवां स्थान है। लेकिन दुख की बात है कि यहां एकाध पैसेंजर ट्रेन को छोड़कर किसी भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं है। इस सवाल को मैं लगातार पांच वर्षों से संसद में उठाता रहा हूं एवं स्मार–पत्र भी दिया है। पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अतः आग्रह है कि बड़काकाना जंक्शन होकर जाने वाली सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव राय स्टेशन पर किया जाये।

रांची रोड़ एवं बड़काकाना जंक्शन के बीच मनवा फुलसराय एवं जहां से रेलवे लाईन गई है मनवा फुलसराय सहित अन्य ग्रामीणों के 50 हजार से अधिक लोगों को आनाजाना रेलवे क्रासिंग से है। वहां पर एक रेलवे फाटक का निर्माण अत्यन्त जरूरी है। इसे तत्काल किया जाए।

रांची रोड़ में स्टेशन के ऊपर से एन.एच.–33 रोड़ जाती है। रांची सेड़ रामगढ़ से रोज हजारों गाड़ियों का आना जाना है। इस पुल का निर्माण सैंकड़ों वर्ष पूर्व हुआ है जो जर्जर अवस्था में है। इस पुल के एक तरफ रांची रोड़ स्टेशन है एवं दूसरी ओर भारत पेट्रोलियम का भंडार मात्र पुल से 50 गज की दूरी पर है। इस संबंध में कभी भी दुर्घटना की आशंका लगी हुई है। इस संबंध में भी मैंने माननीय मंत्री जी आपको पत्र लिखा है। पर इस पर भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर भी तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

आसनसोल से बड़काकाना जंक्शन वाया चन्द्रपुरा, बोकारो थर्मल गोमिया एक ई.एम.यू. ट्रेन चलाने के लिए लगातार आंदोलन चलाये जा रहे हैं एवं रेलवे विभाग ने इसकी स्वीकृति भी दे दी थी और समाचार–पत्रों में टाईम–टेबुल भी प्रकाशित हो गया था, पर न जाने किन कारणों से इस रेल का परिचालन नहीं हुआ। अतः जनहित में आसनसोल से बड़काकाना जंक्शन तक ई.एम.यू. ट्रेन चलाया जाए।

माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त समस्याओं का समाधान करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाए:–

- रांची राजधानी को प्रतिदिन किया जाए एवं इसके खान–पान में सुधार किया जाए एवं पुराने कोच को बदल कर नया कोच दिया जाए।
- सियालदाह राजधानी का ठहराव कोडरमा में किया जाए।
- महाबोधी ट्रेन का विस्तार कर गया से धनबाद तक किया जाए।
- रांची रोड़ एवं गोमिया के बीच अवस्थित चैनपुर स्टेशन में जहां एक तरफ टाटा का एवं दूसरी ओर सी.सी.एल. का रेलवे साईडिंग है जहां प्रतिदिन दर्जनों रैक लोडिंग होती है कभी घंटों कभी चैनपुर रेलवे क्रासिंग जाम होने के चलते आवागमन बाधित रहता है वहां तत्काल आम जनता के सुविधा हेतु चैनपुर रेलवे क्रासिंग के ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए।
- झारखंड राज्य का धनबाद मंडल हाजीपुर जोन में और रांची एवं चक्रधरपुर दक्षिण–पूर्व रेलवे कोलकाता में है। अतः हमारी मांग है कि इन तीनों मंडलों को मिलाकर एक अलग जोन गठित किया जाए जिसका मुख्यालय रांची किया जाए। साथ ही बोकारो स्टेशन को भी आद्रा मंडल से हटाकर रांची मंडल में किया जाए।
- बोकारो–रांची दुर्ग होते हुए रायपुर तक ट्रेन सेवा चालू की जाए। हावड़ा–भोपाल ट्रेन का ठहराव बोकारो थर्मल स्टेशन में किया जाए।
- धनबाद से सूरत तक नया मेल ट्रेन चालू किया जाए।

***श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे** (उस्मानाबाद) : माननीय मंत्री जी ने जो अंतरिम रेल बजट सदन में रखा है उस पर मैं कुछ मांगे कर रही हूं। आशा करती हूं कि माननीय मंत्री जी इन मांगों को गम्भीरतापूर्वक विचार कर इन्हें पूरा करने की कृपा करेंगे।

- नई गाड़ी हैदराबाद से दिल्ली जिसका ठहराव उस्मानाबाद, कुर्दुवाडी, लाहूर में भी हो।
- उस्मानाबाद मुम्बई गाड़ी में डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाए।
- उस्मानाबाद पूना के बीच नई रेलगाड़ी।
- तुलजापुर रेलवे लाइन सर्वे करके अतिशीघ्र काम शुरू किया जाए जिससे वहां आने वाले दर्शनार्थियों को कठिनाई का सामना न करना पड़े।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे]

- मराठवाड़ा क्षेत्र को इस बजट में कुछ भी पैसा नहीं दिया गया है जबकि यहां पर रेलवे को बढ़ावा देकर यहां नई गाड़ियां चलाई जाए व सभी संकरी पटरी को बड़ा किया जाय। पीने का पानी, शेड, शौचालय, कैंटीन, क्लॉकरूम की व्यवस्था उस्मानाबाद रेलवे स्टेशन पर नहीं है। क्षेत्री मुख्य प्रबन्धक या वाणिज्य प्रबन्धक, इनमें सारी व्यवस्था उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

- उस्मानाबाद रिर्जवेशन काउंटर 4 घंटे सुबह एवं 4 घंटे शाम को खुलता है इसको पूरे दिन खोले रखा जाए अर्थात् 12 घंटे खुला रखने की व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, हमारे रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद ने इस सभा में वर्ष 2009–2010 का अंतरिम रेल बजट पेश किया है। भारतीय रेल हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी क्षेत्र उपक्रम है जिसमें लगभग 14 लाख कामगार हैं। बजट देखने से पता चलता है कि यात्रियों की संख्या तथा माल भाड़े से होने वाली आय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। माल ढुलाई में 9 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि यात्री यातायात में 19 प्रतिशत वृद्धि हुई है ...*(व्यवधान)* यह देखा गया है कि पांच वर्ष में रेलवे ने 90,000 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आप एक जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन : इन पांच वर्षों में यह देखा गया कि 90,000 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। वास्तव में यह अच्छी प्रगति है जो श्री लालू प्रसाद और उनकी टीम के नेतृत्व में संभव हुई है। वास्तव में मैं इसकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि यह एक सरकारी उपक्रम है और लाभ में चल रहा है। सामान्यतः आलोचना की जाती है कि सरकारी उपक्रम के संचालन में लाभ अर्जित नहीं किया जा सकता। अतः, जहां तक इस पहलू का संबंध है रेलवे एक अपवाद है।

भारतीय रेल राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है।

प्रतिदिन लाखों लाखों लोग रेलवे में यात्रा करते हैं चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या मत के हों। इसलिए, यह स्वयं रेलवे की एकता, सुरक्षा एवं एकीकरण को दर्शाता है। इसलिए, रेल बजट पर बोलते समय हमें यह पहलू ध्यान में रखना चाहिए।

पिछली बार जब हम रेल बजट पर चर्चा में भाग ले रहे थे तब हम, वास्तव में, प्रसन्न थे लेकिन अब की बार मुझे नहीं पता कि अनेक परियोजनाएं या केरल सरकार द्वारा या केरल के संसद सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को इसमें क्यों सम्मिलित नहीं किया गया है। मेरे विचार से रेल मंत्रालय को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह एक अंतरिम बजट है और इसकी अपनी सीमाएं हैं लेकिन राज्यों में लोगों के बीच उस समय असंतोष भी हो सकता है जब वे देखते हैं कि कुछ राज्यों के लिए अनेक रेलगाड़ियां एवं नई लाइने आदि हैं लेकिन दूसरी तरफ अन्य राज्यों को ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। इसलिए जब हम रेलवे के बारे में सोंचे तो सभी राज्यों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। रेलवे प्रत्येक राज्य में प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए एक पूर्व आवश्यकता है, और जब हम रेल प्रस्तावों के बारे में विचार करते हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए। रेल बजट 2009–2010 के विस्तार में जाने पर यह जानकर दुख होगा कि इस बजट में ऐसा संतुलित दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है। इसलिए, रेल मंत्री को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए, और इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

यह सच है कि लम्बी दूरी की अनेक रेलगाड़ियों में पर्याप्त संख्या में यात्री डिब्बे एवं अन्य सुविधाएं नहीं हैं। सभी ने कहा है कि केरल में भेजे गए यात्री डिब्बे पुराने एवं बेकार हैं। इस सभा में केरल के संसद सदस्यों ने इस मुद्दे को पहले ही उठाया है। मेरा मानना है कि लम्बी दूरी के मार्गों पर चलने वाली रेलगाड़ियों के लिए नये सवारी डिब्बे आवश्यक हैं।

यह सच है कि गत वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या 194 से घटकर 117 रह गई है। वास्तव में, रेलवे ने यात्रियों को सुरक्षा देने हेतु और पुलिस बल की तैनाती सहित अनेक कदम उठाए हैं। इसी के साथ, यह सूचना आश्चर्यजनक है कि 25 जनवरी 2009 को नागपुर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी थी जिसमें केरल एक्सप्रेस के यात्रियों को लूटा गया था। लेकिन यह बात और आश्चर्यजनक है कि रेलवे के प्राधिकारी कहते हैं कि उन्हें इस घटना का पता नहीं है। लम्बे मार्गों पर यात्रा करने वाले अनेक यात्रियों, विशेषकर केरल के यात्रियों को, और उनमें भी विशेषकर महिलाओं को इस तरह की लूटपाट का शिकार होना पड़ता है। इसलिए, इन रेलगाड़ियों के यात्रियों की सुरक्षा पर और ध्यान दिया जाए।

रेल सेवा न केवल वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए हो बल्कि इसे सामाजिक दायित्व के पहलू से भी देखा जाए। रेलवे का प्रमुख उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देना होना चाहिए। इसलिए, केरल सरकार एवं केरल के संसद सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए हैं। श्री लालू और श्री वेलू इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं और हम इसके लिए उनसे अनेकों बार मिले हैं।

मैं कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। अनेक केरलवासी देश के विभिन्न भागों में निवास कर रहे हैं एवं कार्य कर रहे हैं। जहां तक केरल का संबंध है इस बजट में किसी लम्बी रेलगाड़ी का उल्लेख नहीं है। बजट भाषण के पृष्ठों को पढ़ने से हमें ज्ञात होता है कि 14 सर्वेक्षण; तीन आमान परिवर्तन; आठ दोहरीकरण कार्य; 43 नयी रेलगाड़ियां; 15 रेलगाड़ियों के सेवा विस्तार की बात है, और 14 रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि की गयी है। लेकिन केरल राज्य का उल्लेख कहीं नहीं है। मुझे नहीं पता है कि वहां क्या हुआ है।

सायं 6.00 बजे

आप कहते हैं कि यह मात्र अंतरिम बजट है लेकिन अन्य राज्यों के लिए रेलगाड़ियों, लाइनों एवं दोहरीकरण कार्य को मंजूरी दी गई है ...*(व्यवधान)* हमने सरकार को अभ्यावेदन दिए हैं। जहां तक रेलगाड़ियों की संख्या, नयी रेलगाड़ियों की संख्या, लाइनों के दोहरीकरण का संबंध है केरल की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। मेरा अनुरोध है कि दिल्ली से त्रिवेन्द्रम तक एक रेलगाड़ी हो क्योंकि यहां हजारों केरलवासी रह रहे हैं।

संपर्क क्रांति और राजधानी एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाए जाने हैं। अन्यथा केरल के लोग संतुष्ट नहीं होंगे। केरल विशेषकर मालाबार क्षेत्र के अनेक लोग बंगलौर में कार्य कर रहे हैं। इस समय उनकी यात्रा के साधन हैं कुन्नूर–यशवंतपुर एक्सप्रेस तथा कोचुवेली–बंगलौर एक्सप्रेस। हमारी मांग है कि इन दोनों रेलगाड़ियों के फेरे कम से कम दो या तीन दिन बढ़ा दिए जाएं। ऐसी कोई रेलगाड़ी नहीं दी गई है जो पूर्णतः इसी राज्य के यात्रियों के लिए हो। दो रेलगाड़ियां हैं – तिरूनेलवेनी–त्रिवेन्द्रम–मुम्बई, और तिरूचिरापल्ली–बिलासपुर। लेकिन पूर्णतः इसी राज्य के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं है।

केरल में यातायात घनत्व बहुत अधिक है, सबको यह पता है। यह कई बड़े राज्यों से भी अधिक है। अतः आपको कुछ और रेलगाड़ियों एवं कुछ और सुविधाओं की मंजूरी देनी चाहिए। आप विद्यमान ट्रेनों का विस्तार या कुछ ट्रेनों के फेरों में वृद्धि या नई ट्रेनें शुरू कर सकते हैं। आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : करूणाकरन जी, आप एक मिनट रूकिये। जैसा मैंने पहले कहा है कि मेरे पास 60 से ज्यादा मैम्बर्स हैं, जो बोलना चाहते हैं। अब छः बज गये हैं, हाउस की क्या राय है?

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सर, एक घंटे समय बढ़ा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : चार घंटे का समय अलाट किया गया है और अभी एक घंटा एग्जास्ट हुआ है।

श्री संतोष गंगवार : सर, चार घंटे अलॉट हुए हैं, लेकिन यह होना चाहिए कि जब तक सब बोलना चाहें, तब तक सब बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पॉसिबल नहीं है। क्या आप ठहरेंगे?

श्री संतोष गंगवार : जी हां।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है, दो घंटे बढ़ा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : चलो दो घंटे का समय बढ़ा देते हैं। हमने बीच में फैसला कर लिया, चार घंटे की जगह दो घंटे समय बढ़ा दिया। ऐसी सभी की राय है। इसलिए मेरी भी यह राय है कि अगर आप सजैशंस ही दें, अपनी रिक्वायरमेंट ही दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बजाय इसके कि आप स्पीचेज लम्बी करें।

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : संसदीय कार्य मंत्री ने जाने से पूर्व मुझे बताया है कि सभा की बैठक का समय रात्रि 8.00 बजे तक बढ़ाने के लिए सहमति हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : दो घंटे समय बढ़ाने से सभा रात्रि 8.00 बजे तक कार्य कर सकती है।

श्री पी. करूणाकरन : अन्य बड़े राज्यों की तुलना में केरल में यातायात घनत्व सबसे अधिक है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। रेल मंत्रालय को एक समाचार के रूप में इस बात का पता चला है कि पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच कालीकट और मंगलौर के बीच कोई ट्रेन नहीं है। ये दोनों महानगरीय शहर हैं। हमने अनेक बार अभ्यावेदन दिए हैं। हमारा अनुरोध यह है कि कालीकट और मंगलौर के बीच एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई जानी चाहिए। अन्यथा यात्रियों को यात्रा करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।

वेलु जी को स्मरण होगा कि जब वे मंगलौर तक ट्रेन के विस्तार का शुभारंभ करने के लिए कासरगौड आए थे तब उन्होंने स्वयं और अधिक ट्रेनों की आवश्यकता का आकलन करते हुए घोषणा की थी कि कालीकट–कन्नूर पैसेंजर ट्रेन का विस्तार मंगलौर तक दिया जाएगा। लेकिन इसे अभी तक मूर्त रूप नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय ने जनता से वायदा किया था। मुझे लगता है कि जनता से किए गए वायदे को पूरा करने के लिए इनके पास एक आखिरी मौका है।

त्रिवेन्द्रम–एर्णाकुलम जनशताब्दी एक्सप्रेस का विस्तार सोरानूर तक किया जा सकता है। रेलवे को इसमें कोई परेशानी नहीं होनी

[श्री पी. करूणाकरन]

चाहिए। वह ट्रेन वहां आठ से नौ घंटे तक रहेगी। फिलहाल पालक्कड से कोयम्बटूर के बीच एक ई एम यू चलती है। इस ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए बड़े शहरो को जोड़ने वाली उपनगरीय ट्रेनें चलाई जा सकती है। शुरूआत में इसे एर्णाकुलम से सौरानूर और एर्णाकुलम से अलेप्पी तक चलाया जा सकता है। सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए।

हमें याद है कि पिछले बजट में सलेम को लेकर गर्मागम बहस हुई थी। केरल के सांसद होने के नाते हमने इस संबंध में बहुत ही गंभीरता और संयम दिखाया था। सरकार ने निर्णय लिया है कि कांजीगौड में पलक्कड में एक रेल डिब्बा कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस बजट में इसके लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। मैं सरकार से इस बजट में इसका सांकेतिक उपबंध करने का अनुरोध करना चाहूंगा।

अलेप्पी में चेरथाला में संयुक्त उद्यम के रूप में एक फैब्रीकेशन यूनिट है लेकिन सरकार द्वारा किए गए वायदे के बावजूद भी यहां कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इन दोनों चीजों पर अविलंब विचार किया जाना चाहिए।

केरल सरकार ने पहले ही डेडीकेटेड हाईस्पीड कारिडोर का अनुरोध किया है और वर्ष 2007 के रेल बजट में इस पर चर्चा भी हुई थी। दिल्ली से मुम्बई तक तथा अन्य अनेक गंतव्यों तक हमारे पास अनेक डेडीकेटेड कारिडोर्स है। विशीजय में भारत का एक बड़ा अंतराष्ट्रीय ट्रांसशिपमेन्ट टर्मिनल बनने जा रहा है। इस प्रकार कोचीन एक बड़ा शहर बनने जा रहा है। इसे देखते हुए मैं सरकार से त्रिवेन्द्रम और अन्य शहरों को जोड़ते हुए जोकि जरूरी भी है, डेडीकेटेड फ्रैट कॉरिडोर की स्वीकृति देने का अनुरोध करता हूं। इस संबंध में सरकार ने भी एक प्रस्ताव तैयार किया है।

इस बजट में कोई सर्वेक्षण शामिल नहीं किया गया है। हमने कालोनगौड़–थ्रिसूर, इदापल्ली–गुरूवयूर; सबरीमाल–चेगन्नूर के संबंध में सर्वेक्षण जैसे अनेक सुझाव दिए हैं इसलिए इन पर विचार किया जाना चाहिए। पूर्व बजट में गुरूवयर, थानूर, थालासेरी, मैसूर, नीलामबुर, नानगेनेगोड, अंगामाली, अजूथा, अंगाडीपुरम, कालीकट, और कंजनगाड, पानाथूर जैसी नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण हुआ था लेकिन इसके लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित नहीं की गई है तथा इस घाटे में त्वरित कार्रवाई भी नहीं की गई है। अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जिन सर्वेक्षणों के बारे में पूर्व में घोषणा की गई थी कम से कम उन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

केरल में 19 आदर्श स्टेशन है। इसके लिए हम सरकार की प्रशंसा करते हैं। लेकिन इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अनेक रेलवे स्टेशनों के निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है। इन पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी अपनी पार्टी के सात वक्ता हैं। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री पी. करूणाकरन : दोहरीकरण और विद्युतीकरण सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पिछले बजट में भी सरकार ने कहा था कि सोरानूर–मंगलौर लाइन का विद्युतीकरण किया जाएगा। लेकिन इस संबंध में कोई काम शुरू नहीं हुआ। इसी तरह, अन्य भागों के विद्युतीकरण से संबंधित कार्य भी प्रगति से नहीं चल रहे हैं।

सोरानुर–मंगलौर में मात्र 16 या 17 किलोमीटर की लंबाई ही दोहरीकरण के लिए शेष है। कोचीन से कोट्टायम तक विद्युतीकरण किया जाना शेष है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से बोल रहे हैं

श्री पी. करूणाकरन : महोदय, छठे वेतन आयोग ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वेतनमान दिए हैं। इसके साथ–साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेशन मास्टरों का वेतनमान बहुत कम है। अतः इस विसंगति को दूर करने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

केरल के लोगों ने हमेशा ही लालू जी के प्रस्तुतीकरण और उनके द्वारा की गई पहलों की खासतौर पर प्रशंसा की है विशेषकर जब रेलवे ने लाभ अर्जित किया है। किंतु इस बजट से हमें वास्तव में दुख हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दलों और सांसदों के अलावा केरल के लोगों की संतुष्टि के लिए कम से कम कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं। मैं सरकार से इन प्रस्तावों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

**प्रो. बसुदेव बर्मन* (मथुरापुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से पश्चिम बंगाल के जिला दक्षिण 24 परगना की आम जनता के हित में लंबे समय से लंबित निम्नलिखित परियोजनाओं को यथाशीघ्र शामिल किये जाने का अनुरोध करता हूं।

जयनगर से रायदीघी तक नई रेल लाइन का निर्माण;

केनिंग से जामतला और जयनगर से धामखाली तक नई रेल लाइन का निर्माण;

पार्क सर्कस से धामखाली तक नई रेल लाइन का निर्माण;

बारूईपुर–डायमण्ड हार्बर खण्ड का दोहरीकरण;

बारूईपुर–नमखाना खण्ड का दोहरीकरण;

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

लक्ष्मीकान्तापुर–नमखाना खण्ड पर निश्चिन्दापुर और काशीनगर स्टेशनों के बीच माधवनगर रोड पर एक हाल्ट स्टेशन बनाना;

बिना किसी और विलंब के पूरे भारत के लिए माननीय रेल मंत्री द्वारा 2004–05 के अपने बजट भाषण में यथा प्रस्तावित पर्यावरण अनुकूल कोच शौचालय प्रणाली शुरू करना।

[हिन्दी]

*श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने रेल बजट 2008–09 लोक सभा में पेश किया है। मैं इस बारे में अपना विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बजट को अच्छी तरह से समझने के बाद रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने अंतरिम बजट परंपरा को तोड़ा है। लोकसभा चुनाव में यूपीए की हार को देखते हुए अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए यह परंपरा तोड़कर संसदीय लोकतंत्र की अवमानना की है। लेकिन मतदाता समझदार हैं, वे आपका खेल अच्छी तरह से समझते हैं इसलिए चुनाव में इसका लाभ नहीं मिलेगा।

महोदय, यह बजट चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया है। लेकिन जब चुनाव में एनडीए की सरकार आएगी तो बजट में अच्छा परिवर्तन होगा। रेल बजट से बिहार को ज्यादा फायदा दिया गया है। पिछले पांच साल के रेल बजट में बिहार ही बिहार छाया हुआ है लेकिन रेल मंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे भारत में समतोल विकास हो। जहां रोजगार की भारी संभावनाओं की वजह से बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों से लाखों की तादाद में लोग गए हैं ऐसे में गुजरात, महाराष्ट्र में बसे लोगों को आने–जाने के लिए रेल सुविधा देनी चाहिए लेकिन रेल मंत्री जी ने कभी भी सूरत से इन राज्यों में जाने के लिए पूरी रेल सुविधा नहीं दी, यह बड़ी शर्मनाक बात है। उन्होंने सिर्फ गुजरात–सूरत के साथ ही अन्याय नहीं किया बल्कि यहां बसे परप्रांतीय लोगों के साथ अन्याय किया है। उचित रेल सुविधा न देकर श्री लालू प्रसाद गुजरात जैसे विकासशील राज्य को उनके समय के बिहार जैसा राज्य बनाना चाहते हैं।

महोदय, रेल भाड़ा में कटौती करने की रेल मंत्री की घोषणा की सराहना करता हूं, लेकिन रेल सुविधा के बारे में राज्यों से पक्षापात किया है, यह माफ करना मुश्किल है। रेल मंत्री ने 43 ट्रेनों की घोषणा की है लेकिन गुजरात को सिर्फ दो ट्रेनें दी हैं। पिछले बजट में रेल मंत्री जी ने गांधीनगर–दिल्ली–अमृतसर गरीब रथ की घोषणा की थी फिर भी बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इतना ही नहीं, पिछले रेल बजट में घोषित की गई कई ट्रेनें अभी भी शुरू नहीं की हुई। मैंने सूरत की परप्रांत के लोगों की आबादी और औद्योगिकीकरण को देखते हुए सूरत से पटना, सूरत से छपैया, सूरत से दिल्ली और वाराणसी की नई ट्रेनें, सूरत से भुवनेश्वर और सूरत से सिकंदराबाद ट्रेनों की मांग की थी लेकिन रेल मंत्री ने आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया है। इसी तरह सूरत से मुंबई और सूरत से मेहसाणा–पालनपुर के लिए सुबह की ट्रेन, सूरत से रायगढ़, त्रिवेन्द्रम की ट्रेन की मांग की थी लेकिन प्लेटफार्म का बहाना बनाकर स्वीकार नहीं किया गया। सूरत को ए1 मॉडल स्टेशन बनाने की रेलमंत्री की घोषणा की है लेकिन इसका काम बहुत स्लो है। इसे जल्द पूरा किया जाए तो प्लेटफार्म की संख्या बढ़ सकती है और नई ट्रेनें चल सकती है। इतना ही नहीं उधना को सेटेलाईट स्टेशन बनाया जाए तो अच्छी रेल सुविधा मिल सकती है। रेल मंत्रालय के लिए यह शर्मनाक बात है कि बहुत समय से सब सुविधाजनक लोको शेड, यार्ड, सूरत के आसपास स्टेशनों पर बनाया जाए तो पूरी रेल सुविधाएं सूरत को मिल सकती हैं। लेकिन पक्षपात नीति अपनाने वाले श्री लालू प्रसाद नहीं चाहते कि सूरत–गुजरात पूर्ण विकसित बने। फिर भी मैं विनती करता हूं कि लाखों लोगों की सुविधा के लिए श्री लालू प्रसाद जी कुछ करेंगे।

महोदय, आखिर में मैं मेरे संसदीय क्षेत्र की जरूरत को आपके सामने रखना अपना कर्तव्य मानता हूं – नवसारी जैसे बड़े शहर के लिए जरूरी शताब्दी, कर्णावती एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज जल्दी दिया जाए। त्रिवेन्द्रम–निजामुद्दीन राजधानी और सूरत में दिल्ली जाने वाले पैसेन्जरों की सुविधा के लिए संपर्क क्रांति का स्टापेज दिया जाए। सूरत के ए1 मॉडल स्टेशन बनाने का काम जल्द पूरा किया जाए। सूरत स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 3 पर श्री दादा भगवान संस्था द्वारा मांगी हुई जगह किताबघर के लिए दी जाए। गरीबरथ ट्रेन में विक्लांगों के लिए कोई कन्सेशन नहीं है, वह दिया जाए और इस ट्रेन में पेन्ट्रीकार नहीं है, उसे शुरू किया जाए। मनमाड़–मदुरई एक्सप्रेस (6733–6734) को ओरबा और रामेश्वर तक विस्तृत करने की घोषणा की गई थी उसका तुरंत अमल हो। जामनगर–सूरत और सूरत–बांद्रा ट्रेनों को जोड़ने से जो परेशानी पैसेन्जरों को झेलनी पड़ती है, यह दोनों ट्रेनों को पूर्व के अनुसार चलाया जाए।

मुझे उम्मीद है कि रेल मंत्री जी इन मांगों को जल्द ही अमलीकृत कर पैसेन्जरों को यथोचित सुविधा मुहैया कराएंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

**श्री रामजीलाल सुमन (फिरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्रालय ने अच्छा काम किया है, लेकिन अभी कुछ और भी करना शेष है। माननीय लालू जी ने वर्ष 2009–10 का जो रेल बजट पेश किया है, उसमें कुल आय 93 हजार एक सौ उनसठ करोड़ रुपए बताई है

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री रामजीलाल सुमन]

और व्यय का अनुमान 86 हजार छः सौ करोड़ रुपए का है। वर्ष 2009–10 में रेलवे की वार्षिक योजना 37 हजार नौ सौ पांच करोड़ रुपए की है और बजटीय सहायता नौ हजार छः सौ करोड़ रुपए की है। महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि रेलवे को अतिरिक्त साधन जुटाने पड़ेंगे और उन अतिरिक्त साधनों के मार्फत ही रेलवे बेहतर काम कर पाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बजट में भाड़े में वृद्धि की कोई घोषणा नहीं की गई है। मुझे यह जानकारी है कि वर्ष 2005–06 से वर्ष 2007–08 तक बराबर ढुलाई का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन माल भाड़ा भी बढ़ा है। वर्ष 2005–06 में 10.1 परसेंट, वर्ष 2006–07 में 9.3 परसेंट और वर्ष 2007–08 में 8.91 परसेंट माल भाड़ा बढ़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि वर्तमान बजट भाषण के पेज नं. 4 पर पैरा 12 में यह लिखा है कि वर्ष 2008–09 में सितम्बर माह तक माल लदान में 9 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और आमदनी 19 प्रतिशत हुई है। इसका मतलब यह हुआ है कि ढुलाई कम होने के बावजूद भी आमदनी ज्यादा हुई तो इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं न कहीं रेल भाड़े में वृद्धि हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक माननीय लालू जी से दो–चार बातें कहना चाहता हूं। लालू जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेलवे जो काम अपने हाथ में लेती है उसका एक समयबद्ध कार्यक्रम हमारे पास होना चाहिए। बहुत से कामों की घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति का समय क्या निश्चित होगा, उस पर जितनी गंभीरता से विचार होना चाहिए, वह नहीं होता है। कश्मीर घाटी में कटरा से बनिहाल तक 90 किलोमीटर की रेल परियोजना 25 जुलाई को स्थगित कर दी गई और इस परियोजना पर 750 करोड़ रुपए व्यय हुए। परियोजना की मूल लागत तीन हजार करोड़ रुपए थी जो विलंब के कारण बढ़कर तेरह हजार करोड़ रुपए हो गई। इसके स्थगित किए जाने का यह कारण बताया गया है कि हिमालय क्षेत्र का भौगोलिक सर्वेक्षण किए बिना ही परियोजना शुरू कर दी गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। इतनी बड़ी परियोजना है और सात सौ पचास करोड़ रुपए की दौलत कम नहीं होती है। इसमें गंभीरता नहीं बरती गई और हिमालय क्षेत्र का निरीक्षण न होने के कारण उस योजना को स्थगित कर दिया गया और हम चाहेंगे कि रेल मंत्री जी स्वयं इस मामले को देखें और उस पर कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में सरकार की विभिन्न प्रकार की 552 परियोजनाएं हैं और उनमें से रेलवे की 138 परियोजनाएं लम्बित हैं। रेलवे की जो 138 परियोजनाएं लंबित हैं, उनकी लागत 37 हजार आठ सौ करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 72 हजार सात सौ करोड़ रुपए हो गई है। विलंब के कारण लागत भी बढ़ती है। महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरा पुराना संसदीय क्षेत्र फिरोजाबाद था। वहां पर वर्ष 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगरा के भाउई से लेकर इटावा तक वाया बटेश्वर, एक रेलवे लाइन की मंजूरी दी थी। इसके लिए दो सौ चौदह करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था। महोदय, अब तक ग्यारह साल में 99 करोड़ रुपया अवमुक्त हुआ। लालू जी मैंने आगरा से बटेश्वर तक की जिस योजना के बारे में बात की, उसमें वर्ष 1998 से लेकर अब तक 99 करोड़ रुपया अवमुक्त हुआ है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप इसको दिखवा लें और मैं चाहता हूं कि आप इस योजना को जल्दी पूरा करवा दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि वर्ष 2007 के बजट में हथुआ से फुलेरिया, यानी लालू जी के गांव से लेकर लालू जी की पत्नी के गांव तक 17.5 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग की घोषणा की थी।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : वह कंप्लीट है।

श्री रामजीलाल सुमन : मैं यह कह रहा हूं कि वह तैयार हो गई है। अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी के स्थान को अपने स्थान से जोड़ने के लिए आप जितनी तत्परता से काम कर रहे हैं अगर उतनी तत्परता से आप पूरे देश में काम करें तो निश्चित रूप से इससे अच्छा कोई विभाग नहीं होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि जितनी तत्परता से इस स्थान को जोड़ने का काम आपने किया है, मेहरबानी करके पूरे देश में यही कीजिए, तब जाकर रेलवे के बारे में लोगों की अच्छी राय बनेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, कल की घटना का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। यह अखबारों में छपा है। कल आगरा कैंट में नेपथा भरी मालगाड़ी में आग लग गई। गनीमत यह रही कि बगल में खड़ी ट्रेन के स्टाफ और स्टॉल वेंडरों ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन यंत्रों से उस पर काबू कर लिया। यह बहुत गंभीर मामला है। वहां मौजूद एक कर्मचारी ने बताया कि लाइन का कूड़ा बीनने वाले कुछ लड़के खाली बोतल में मालगाड़ी से रिसने वाले तेल को भर रहे थे। यह समाचार आगरा के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है। इस मामले की जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी पाए जाएं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि वहां चोरियां होती हैं तो रेलवे के लोग उससे अपने को कैसे अलग कर सकते हैं? इसलिए पूरे तथ्यों की जानकारी होने के बाद कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों उसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो–तीन बातों की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहली बात, ट्रेनों के प्लेटफार्म बदलने की सूचना यात्रियों को तत्काल दी जाती है, जिसके कारण असहाय, वृद्धों और विकलांगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मेरा आग्रह है कि प्लेटफार्म बदलने की सूचना यदि एक घंटे पहले यात्रियों को मिल जाए तो उन्हें सुविधा होगी।

दूसरी बात, उत्तर–मध्य रेलवे के एत्मादपुर रेलवे स्टेशन पर, कुबेरपुर स्टेशन की तरफ, प्लेटफार्म से सटा हुआ रेलवे फाटक है। यहां मालगाड़ियां चार से छः घंटे तक खड़ी रहती हैं। जिससे रेलवे लाइन के दूसरी तरफ के 50 से अधिक गांवों की आबादी को, जिनमें टूंडला, फिरोजपुर और आगरा, एत्मादपुर और आगरा आते हैं, उन्हें उस फाटक से आने के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ता है अथवा टूंडला के लिए एक लम्बा चक्कर लगाकर हाइवे से जाना पड़ता है। इसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। मेरा निवेदन है कि इसे कुबेरपुर की तरफ गारापुर गांव पर बनाकर समस्या दूर की जा सकती है। एत्मादपुर, जलेसर और और कुबेरपुर स्टेशनों के टिकट विंडो साइड पर प्लेटफार्म नहीं है, जिससे जनहानियां होती रहती हैं। ग्राम रनपई, तहसील एत्मादपुर के मध्य दूसरी लाइन की तरफ, यमुना की तरफ बसा है, जिस पर फाटक न होने से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। वहां फाटक बनाए जाने की आवश्यकता है। आगरा कैन्ट स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने की घोषणा रेल मंत्री बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां कोई काम शुरू नहीं हुआ है। आगरा कैन्ट राजा की मण्डी पर भी टिकट काउंटर बनाया जाए। राजा रामपुर गांव, जनपद ऐटा में रेलवे का हाल्ट था, जिससे बच्चों और मजदूरों को आने–जाने की सुविधा होती थी। लेकिन उस हाल्ट को बंद कर दिया गया है। जिससे लोगों को बहुत परेशानी होती है, उसे जल्दी शुरू किया जाए।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे को एक टाइमबाउण्ड कार्यक्रम बनाकर काम करना चाहिए क्योंकि तमाम परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, जिसके कारण उनकी लागत बढ़ती है और लोगों को भी असुविधा हो रही है। आप हवा में काम कर रहे हैं, यदि जमीन पर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव – उपस्थित नहीं।

श्री रमेश दूबे (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि पिछले बजट में मैंने उनसे एक–दो मांगें की थीं जो पूरी हो चुकी हैं।

महोदय, मैं भाषण करने की बजाय अपने प्वाइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन इलाहाबाद और मुगलसराय के बीच में प्रमुख स्टेशन है, जहां मां विंध्यवासिनी का मंदिर है। वहां हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इस स्टेशन पर राजधानी अथवा सम्पर्क क्रांति जैसी ट्रेनें नहीं रुकती हैं। मेरा निवेदन है कि वहां इस तरह की महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव किया जाए।

महोदय, मैं रेल मंत्री जी का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुम्बई से वाराणसी के लिए सुपरफास्ट ट्रेन की घोषणा की है। मैं कहना चाहता हूं कि उसे राजधानी की तर्ज पर चलाया जाए ताकि लोग शाम को मुम्बई से चलकर सुबह बनारस और इलाहाबाद तक पहुंच सकें। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के व्यापारी अपना काम निबटाकर वापस मुम्बई जा सकेंगे।

इससे यहां व्यापार बढ़ेगा। शिवगंगा एक्सप्रेस वाराणसी से सीधे इलाहाबाद रुकती है। इसके लिए कई बार निवेदन किया गया है कि इसे माधव सिंह रेलवे स्टेशन पर रोकना चाहिए। वहां से जौनपुर, मिर्जापुर तथा अन्य जिलों में जाने के लिए सीधा रास्ता है।

महोदय, अंत में मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि 139 नम्बर पर जो जानकारी देने की सुविधा माननीय मंत्री जी ने की है, वहां कभी–कभी ट्रेन आधा घंटा लेट होती है और जब हम उनसे पूछते हैं तो वे कहते हैं कि ट्रेन आ गई। इस तरह से कई बार हुआ है। उस समय 139 नम्बर पर उनके जो अधिकारी होते हैं, उनसे मैंने कई बार शिकायत भी की। यह बहुत अच्छी बात है कि जो माननीय मंत्री जी ने अपग्रेड करके सैकिंड क्लास के लोगों को स्लीपर या एसी सैकिंड, एसी थर्ड में करने की बात की। उसमें एक ही असुविधा होती है कि प्लेटफार्म पर पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। अगर पैसेंजर किसी जगह पर बैठ गया तो फिर सारा सामान लेकर स्लीपर क्लास से एसी फर्स्ट, एसी सैकिंड या एसी थर्ड में जाना उसके लिए मुश्किल होता है। इसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदय, मैं खान–पान की व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। हम लोग अक्सर शिवगंगा में आते हैं। हम जब उनसे पूछते हैं कि खाने के लिए क्या है तो वे कहते हैं कि आलू–मटर की सब्जी है। कम से कम इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि किसी तरह से अच्छे खान–पान की व्यवस्था हो।

महोदय, नार्दन–ईस्टर्न रेलवे पर कटका रेलवे स्टेशन के पास 23सी नम्बर का एक क्रासिंग है, जहां रेलवे ने गिट्टी डम्प करने का स्थान बनाया है। जब यहां मालगाड़ी आकर खड़ी होती है तो वह तीन–तीन, चार–चार घंटे तक खड़ी रहती है और उस समय रेलवे क्रासिंग बंद रहता है। इसलिए यहां से लोगों को आने–जाने में बड़ी

[श्री रमेश दूबे]

असुविधा होती है। खास कर उस रास्ते से डेड बॉडीज़ यमुनाजी के किनारे जाती हैं, उस समय और भी दिक्कत होती है। मैंने कई बार रेलवे प्रशासन से निवेदन किया कि आप इसे आगे–पीछे फाटक करके चालू करें, जहां रास्ता है, ताकि लोगों को यह असुविधा न हो।

महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिहार भी हमारा प्रदेश है। माननीय मंत्री जी ने बिहार के लिए जो कार्य किया है, प्रगति की है, उसका एक थोड़ा–सा अंश पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज या दूसरे जो जिले हैं, चन्दौली आदि जो पिछड़े जिले हैं, उन पर आपकी दृष्टि हो जाएगी तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं।

*श्री भंवर सिंह डांगवास (नागौर) : चौदहवीं लोकसभा जब से प्रारंभ हुई तब से प्रत्येक सत्र में मेरे क्षेत्र की रेल लाइन (पुष्कर से मेड़ता सिटी) के निर्माण की स्वीकृति के लिए सदन में व अलग से पत्र लिखकर स्वीकृति प्रदान करने हेतु आग्रह कर रहा हूं।

इस सदन में श्रीमान मुझे आश्वासन दिया था कि ये काम आपका हो जायेगा। इस संबंध में रेल भवन में आपके कार्यालय में भी उपस्थित हुआ। तब आपने पदाधिकारियों को बुलाकर कहा था इसकी संभावना मालूम करो। ये काम करना है।

आपके आदेशानुसार मैं आपके अधिकारियों से इस संबंध में मिला और उनसे भी आग्रह किया। उन्होंने मेरे सामने चेष्टा की थी। इस कार्य संबंधी संभावनाओं का पता लगाया।

फिर बजट वर्ष 2008–09 में मैंने आपसे पुनः आग्रह किया तो फिर आपने आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा। श्रीमान ये अधूरा काम है क्योंकि ये रेल लाइन अजमेर से मेड़ता सिटी बननी थी जिसमें ये आपने पहले अजमेर से पुष्कर तक स्वीकृति दें काम करने का आदेश दे दिया। जो लाईन बिछायी जा रही है शेष भाग पुष्कर से मेड़ता सिटी लाईन शेष है। जिसकी स्वीकृति देनी थी।

मेरी प्रार्थना है कि आप वर्ष 2008–09 की पूरक मांगों में इसको शामिल कर इसका आदेश दें।

*श्री धुरन राम (पलामू) : महोदय, सादर आग्रह करना है कि मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू में बरवाडीह से डेहरी आन सोन तक सवारी गाड़ी एक बार ही चलती है, जो कि गाड़ी सं. 630 डाउन एवं 737 अप बरवाडीह एवं डिहरी आन सोन स्टेशन पर दिन भर खड़ी रहती है। अतः आपसे अनुरोध था कि उक्त ट्रेन का एक बार फेरा बढ़ाने की कृपा की जाए जिससे आम जनता को लाभ होगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय लालू प्रसाद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लालू प्रसाद जी के बारे में जो भी विपक्ष एवं पक्ष के लोग, जिस भी तरह की बात आज तक करते रहे हैं, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से यह व्यक्ति आज नहीं, उस समय से, जब कर्पूरी ठाकुर जी जननायक हुआ करते थे, चौधरी चरण सिंह साहब, उस काल से लेकर आज तक, अपने आप में एक इतिहास थे और इन्होंने इतिहास ही बनाने का काम किया, चाहे सोशल इंजीनियरिंग में इतिहास किया हो, सामाजिक न्याय को ताकत देने का इतिहास बनाया हो, कमजोरों और गरीबों को सम्मान देकर राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के क्षितिज पर लाने का काम किया हो। बिहार के 80 प्रतिशत लोग जो राजनीतिक और सामाजिक धारा से काफी दूर थे, उन्हें मुख्य धारा में लाकर नम्बर वन की धारा में लाने का काम किया हो, वह इतिहास लालू प्रसाद जी के नाम से ही है, किसी अन्य के नाम से नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो लोग भी बिहार की कुर्सी पर विराजमान हैं, उन्हें इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। यदि आज उस इतिहास को ये न तोड़े होते, जिस इतिहास पर सिर्फ 60 प्रतिशत लोग अपना इतिहास बना कर बैठे थे तो आज वे लोग इस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं होते, जिन्होंने लालू यादव को इस देश में तोड़ने का काम किया। इसलिए मैं लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कुछ कहूं, तो यह ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल बजट पर आता हूं।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : नहीं–नहीं और भी कुछ बोलिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : देखिए, मैं एक बात बताता हूं। आप भी जानते होंगे, मैं खुश करने की बात नहीं करता हूं। मैं आपके साथ ही रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज एड्रैस दि चेयर।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : जब मैं आपके साथ था, तब भी मैं खुश करने की बात नहीं कहता था और आज भी नहीं कहता, लेकिन जब भी कोई इनकी बात होती थी, तब मैं कहता था। मैंने सामाजिक न्याय, सोश्यो इंजीनियरिंग और गरीबों की बात कही है। मैं कल भी कहता था, आज भी कहूंगा और यदि मैं न भी कहूं, तो भी इतिहास इन्हीं से जुड़ा रहेगा, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं भी उसी इतिहास का एक हिस्सा हूं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा था कि रेलवे बजट के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, चाहे अहमदाबाद के आई.टी.आई. के विद्यार्थी हों या साउथ में रहने वाले विद्यार्थी हों, आज वे लालू प्रसाद यादव जी से , उनके रेलवे मंत्रालय के कारण जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा विचार और सोच उन्होंने रेलवे को दी, किस चीज को किया, किस प्रकार से मैनेज किया कि आज भारत के क्षितिज पर आजादी के बाद यू.पी.ए. की सरकार में रेलवे मंत्रालय ने अपना अलग इतिहास हिन्दुस्तान में लिखकर कायम किया।

महोदय, सब लोग इन्हें मैनेजमेंट गुरू बोल रहे हैं। यदि इससे कोई बड़े गुरू होते, तो मैं इन्हें उस उपाधि से विभूषित कर सकता था। मैनेजमेंट गुरू के बारे में तो सब बोल रहे हैं। पूरी दुनिया बोल रही है। जापान भी बोल रहा है और भी अनेक कंट्रीज बोल रही हैं। इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि लालू प्रसाद जी के बारे में कुछ बोलना मेरे लिए शोभा नहीं देता। रेल मंत्रालय में 90 हजार करोड़ का फायदा हो, यह सब जगजाहिर है। मैं इस सबकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। कोरीडोर का मामला हो या कोई और मामला हो, पहले भी सरकार बनी, लेकिन इतना बड़ा इतिहास नहीं रचा गया। डैडीकेटेड कॉरीडोर की जिन दो लाइनों को लाने का काम इन्होंने किया, मुम्बई से लेकर दिल्ली और लुधियाना से लेकर कोलकता तक, यह इतिहास है, जिसे आज तक किसी और ने नहीं रचा।

महोदय, मंत्री जी ने गरीब रथ रेल चलाकर भी एक इतिहास रचा है। मैं टी.वी. इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें एक बहुत साधारण आदमी, जिसके बदन पर कपड़े तो थे, लेकिन वे फटे हुए थे, वह गरीब रथ में सीट पर सफर करते हुए कह रहा था कि मैं तो सपने में भी नहीं सोचता था कि कुशन वाली सीट पर बैठकर सफर करूंगा। अब कुशन की बात तो छोड़िए, मैं तो ए.सी. में सफर कर रहा हूं, यह मेरे लिए सपना था और इस सपने को लालू प्रसाद यादव जी ने साकार किया है। इस देश में लालू प्रसाद यादव जी की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। सारी चीजों की उपलब्धि इनकी हो सकती है, लेकिन इन्होंने सामाजिक न्याय का जो इतिहास शुरू किया था, गरीबों के लिए जो इन्होंने गरीब रथ चलाकर, समाज, देश, गांव और गरीब को जोड़ा, यह कभी संभव नहीं था। व्यक्ति जाता है, अपनी सारी ऊर्जा, अपने सारे विचार और प्रकाश देकर समाज को जाता है। लालू प्रसाद यादव जी ने निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा काम किया है।

महोदय, हमारे विपक्ष के साथी, श्री शाहनवाज हुसैन साहब थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। शाहनवाज जी मेरे अनुज की तरह रहे हैं। मैं उन्हें जानता हूं। पता नहीं किस कारण उन्होंने आज आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मैं कहूंगा कि क्षमा, माफी और गलती स्वीकार करने में आदमी बड़ा होता है, छोटा नहीं। इससे आदमी छोटा नहीं होता। बड़े–बड़े ही होते हैं। मेरे भी इन सब लोगों से वैचारिक मतभेद रहे हैं, मनभेद रहे हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया, वह आपत्तिजनक है। वह मेरे हृदय को छुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं निश्चित रूप से आपसे कहूंगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे ठेस पहुंची, यह मैं आपसे कहूंगा।

ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आप उन बातों को बोलिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि आप भी इस सदन के बाहर लालू प्रसाद यादव की बड़ाई करेंगे कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो किया, वह काबिले तारीफ है। उसको आप अपने दिल से निकाल नहीं सकते हैं, दल की मर्यादा में रहकर आप चाहे जो बोल लें, लेकिन जब दल का बैरियर खत्म होगा तो आपको लालू प्रसाद यादव की तारीफ के पुल बांधने पड़ेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बजट पर बोलिये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं दूसरी बात आपसे कहूंगा, तस्लीमुद्दीन साहब हमारे लिए पिता की तरह हैं, बुजुर्ग हैं। इनके लिए भी बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी आज तक तस्लीमुद्दीन जी को सम्मान ही दिया है, लेकिन आज क्या हुआ, मैं नहीं जानता। निश्चित रूप से आगे भी वे सम्मान देकर ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वे सीनियरमोस्ट हैं। हम लोग बच्चे थे, तब तस्लीमुद्दीन साहब का नाम सुना करते थे। शाहनवाज साहब भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है और आज भी उस इलाके में इनकी अलग अपनी व्यक्तिगत पहचान है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना।

जहां तक रेल मंत्रालय का सवाल है, बिहार के बारे में कुछ बातें कहने के पहले मैं लालू प्रसाद जी को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि ललित नारायण मिश्र जी के बाद बिहार ने बहुत से मंत्री रेलवे में बनाने का काम किया। चाहे केदार पांडे जी हों, चाहे जगजीवन राम साहब हों, चाहे जार्ज फर्नाण्डीज जी हों, राम विलास पासवान जी हों, नीतीश जी हों, सभी लोगों ने बिहार में मंत्री रहकर काम करने की कोशिश की। वह पिछड़ा इलाका नेपाल और बंगलादेश के बॉर्डर पर है, लेकिन वह काम कभी पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन वर्तमान में जो मेरा इलाका है, वह नेपाल स्थित इलाका है, बंगलादेश बगल में है, वहां कोसी, कमला, महानन्दा, बलान कई नदियों से हम लोगों का इलाका घिरा हुआ है। समझ लीजिए कि पूरा का पूरा बिहार, उत्तर बिहार के 5–6 जिलों को छोड़कर सारे के सारे जिले 6 महीने बाढ़ के पानी से जलमग्न रहते हैं।

जब रोड टूट जाती है, पुल टूट जाते हैं तो लोगों का एकमात्र सहारा रेल बचती है। कल भी मैंने कहा था कि किस तरह वहां महाप्रलय आई नहीं, लाई गई और किस कदर वहां जब पूरी की पूरी सरकार की

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव]

मशीनरी फेल हो गई, सारी की सारी चीजें फेल हो गईं तो मात्र एक रास्ता रेल मंत्रालय था। रेल मंत्रालय ने जिस तरीके से कोसी की त्रासदी को संभालने का काम किया, शायद यदि रेल मंत्रालय ने नहीं संभाला होता तो न जाने कितने लोग भूखे मरते, कितने लोग पानी के बगैर मरते, कितने लोग दवाई के बगैर मरते, यह कहा नहीं जा सकता। अभी भी पांच से दस हजार के बीच में लोगों के मरने की संख्या है। यह रेलवे की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं कहना चाहता हूं कि लालू प्रसाद यादव जी ने देश के साथ–साथ बिहार को भी देखने का काम किया है।

जम्मू–कश्मीर, कन्याकुमारी, असम से आगे मणिपुर, त्रिपुरा जिस तरह से देश के चारों तरफ इन्होंने काम किया। पंजाब भी इससे अछूता नहीं है। सबसे पहले पंजाब में ही इन्होंने फैक्ट्री देने का काम किया। उसे मजबूत और डेवलप करने का काम किया। बिहार जो पिछड़ा था, राम विलास पासवान जी, जो यूपीए गठबंधन के हैं, उन्होंने भी जिन कामों को किया, जिनको वह पूरा नहीं कर सके, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में इस तरह विकास के जाल बिछाए कि शायद आने वाले पांच साल के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। पहली बार यदि किसी ने इंसाफ देने का काम किया है, पहली बार किसी ने यदि बिहार को निश्चित रूप से ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी कोई डिमांड भी है।

...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : जाति–धर्म ...*(व्यवधान)* भारत की ही तो हमने बात कही, ...*(व्यवधान)* उड़ीसा में जब हुआ था, तो ये नहीं थे। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने वह एक्सपंज कर दिया है, वह रिकार्ड नहीं हुआ है।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो भी बोलेगा वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, लालू यादव जी ने उड़ीसा के लिए बहुत कुछ किया। यदि नहीं किया, तो अपने मित्रों के साथ उनकी बातों का समर्थन करते हुए लालू यादव जी से आग्रह करूंगा कि उड़ीसा भी सबसे पिछड़ा इलाका है, जो बच गया है, उसको आप देने का काम करें। यह मेरा लालू यादव जी से आग्रह है, लेकिन टीका–टिप्पणी से कोई मतलब नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैंने कहा कि बिहार के साथ इंसाफ किया गया। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो भी बोलेगा वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : भारत में कभी इंसाफ नहीं मिलता था। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : केवल राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : कभी किसी से इंसाफ नहीं किया, जो लालू यादव जी ने किया, यह मैंने कहा। मैंने यह नहीं कहा। ...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा

...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष जी, यह हमारे मित्र हैं। मेरे मित्र ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि उनकी भावना की आप जरूर कद्र कीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कंक्ल्यूड करिए।

...*(व्यवधान)*.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, जब आपकी बिना अनुमति से कोई माननीय सदस्य सदन में बोलते हैं, तो क्या वह प्रोसीडिंग में जाता है?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, वह रिकार्ड में नहीं जाता है। वह रिकार्ड में नहीं हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह पहले ही कहा है कि जो भी मेरी अनुमति के बिना बोलेगा वह रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी जानकारी के लिए मैं दो बात बता देता हूं। केरल में कारखाना लालू जी ने दिया या नहीं, उत्तर प्रदेश को कारखाना दिया या नहीं ...*(व्यवधान)*. आप इन बातों को जानिए। ...*(व्यवधान)*.* बंगाल की भावनाओं की कद्र लालू जी ने की या नहीं, जम्मू–कश्मीर जो आजादी के बाद से सबसे उपेक्षित इलाका था, जहां 80 प्रतिशत कमजोर अल्पसंख्यक लोग रहते थे, उनके साथ न्याय करने का काम लालू जी ने किया या नहीं, मणिपुर, नागालैंड को लालू जी ने जोड़ा या नहीं। नार्थ–ईस्ट जगह को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। ...*(व्यवधान)*.

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत समय ले लिया, अब कंक्ल्यूड करिए।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मेरा लालू जी से कुछ आग्रह है, उसे मैं पढ़कर ही बताना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*.

उपाध्यक्ष महोदय : आप रिटन में दे दीजिए.

[अनुवाद]

यह बेहतर होगा।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं लालू जी से कहना चाहूंगा कि समस्तीपुर, हाजीपुर और कटिहार, ये तीन डिवीजनल ऑफिस हैं। हाजीपुर बड़ा ऑफिस है, समस्तीपुर और कटिहार डिवीजनल ऑफिस हैं। इनके बीच कई स्टेशन ऐसे हैं और लम्बी दूरी होने के कारण, मेरा आग्रह है, क्योंकि वह नेपाल का अंतिम छोर है, यदि सहरसा में एक डिवीजन की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से गरीब और पिछड़े लोगों के इलाके में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि मैं कुछ कहूं, यह ठीक नहीं है, लेकिन मेरी डिमांड है कि यदि ये कर सकते हैं तो निश्चित रूप से सहरसा में एक डिवीजन की व्यवस्था की जाए। ...*(व्यवधान)* सहरसा–अमृतसर गरीब रथ को दो दिन से बढ़ाकर कम से कम चार दिन किया जाए। सहरसा–नई दिल्ली जो नई ट्रेन चलाने की घोषणा आपने की है, कृपया उसे सप्ताह में तीन दिन चलाने की व्यवस्था की जाए। सीमांचल एक्सप्रेस 2488/2487 को आपने पांच दिन से बढ़ाकर छः दिन किया है, यह उत्साहवर्धक काम है, लेकिन जोगबनी से दिल्ली के लिए मात्र एक ट्रेन होने के कारण यात्रियों का दबाव काफी है। मेरा आग्रह है कि जोगबनी से नई दिल्ली एक गरीब रथ चलाई जाए। आपने सहरसा से गरीब रथ ट्रेन दी है, लेकिन उस इलाके से गरीब रथ नहीं है। जोगबनी नेपाल बार्डर से शुरूआत होती है और नेपाल का दूसरा शहर विराटनगर है। यदि जोगबनी से कटिहार, पूर्णिया होते हुए एक गरीब रथ आप चला देंगे तो निश्चित रूप से उस इलाके के लिए एक बड़ा भारी तोहफा होगा। जोगबनी से पटना के लिए प्रतिदिन पूर्णिया, कटिहार होते हुए एक ट्रेन चलाने का मेरा आग्रह है। कटिहार–दानापुर जो इंटरसिटी ट्रेन चल रही है, उसकी मेल ट्रेन जोगबनी से दिया जाए। आपने बिहारीगंज से नौगछिया वाया उदा किशुनगंज, पुटैनी, चौसा के लिए रेल लाइन के सर्वेक्षण की घोषणा की, यह सबसे अच्छी पहल है। लेकिन मेरा आग्रह है कि यदि नौगछिया के साथ गंगा पर ब्रिज बनाकर उसे भागलपुर से जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आपने बिहारीगंज से फारबिसगंज वाया मुरलीगंज, कुमारखंड, छातापुर नई रेल लाइन का सर्वे हाल में किया। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने समर्थन कर दिया है।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं आग्रह करूंगा कि बिहारीगंज, फारसिवगंज वाया मुरलीगंज, खुरदा, कुमारखंड, जदिया, छातापुर होते हुए इसे किया जाए।

मंत्री जी, आपको याद होगा, आपने रेनु जी की डिमांड पूरी कर दी। यह उस इलाके के लिए बहुत बड़ा इतिहास है। मेरे इसमें दो–तीन सुझाव हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप रिटन में दे दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। मंडन मिश्र धरती जहां चाणक्य और चंद्रगुप्त ने ज्ञान लिया, मंडन मिश्र जी के बारे में कुछ कहने की बात नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि सहरसा स्टेशन का नाम मंडन मिश्र किया जाए। सुपौल स्टेशन, आप जानते हैं कि वह वीर लोरिक की कर्म भूमि है। यदि आप सुपौल स्टेशन का नाम लोरिक स्टेशन कर दें तो अच्छा होगा। मधेपुरा स्टेशन का नाम यदि वी.पी. मंडल जी, पूर्व मुख्य मंत्री और जिनके नाम से मंडल कमीशन के बारे में देश, दुनिया जानती है, यदि मंडल जी के नाम से मधेपुरा स्टेशन कर दिया जाए तो अच्छा होगा। मधेपुरा से पूर्णिया जाने में कीर्ति आनन्द नगर एक जगह है। वहीं भोला पासवान शास्त्री जी का घर है, जो तीन बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं। मेरा आग्रह है कि यदि कृत्यानंद नगर स्टेशन को भोला पासवान शास्त्री के नाम से कर दिया जाए तो यह बड़ा भारी काम होगा। आपको याद होगा कि रानीपतरा में सर्वोदय आश्रम है। मेरा आग्रह है कि रानीपतरा का नाम विनोवा भावे जी के नाम से कर दिया जाए। वे इतिहास पुरूष, युग पुरूष हैं। *...(व्यवधान)* मेरे तीन–चार आखिरी प्वाइंट्स बच गए हैं।

महोदय, अंत में मैं सीमांचल एक्सप्रेस के बारे में कहना चाहता हूं। आप हाल ही में जब वहां गए थे तो बेल्लारी में एक हॉल्ट के लिए आपसे मांग की गयी थी। मेरा आग्रह है कि उस हॉल्ट को बनाने की घोषणा आप करें। बरौनी–कटिहार रेलखंड पर भरतखंड हॉल्ट स्टेशन को तीन लाइन वाली क्रॉसिंग स्टेशन बनाने के लिए आपने रेलवे बजट, 2008–2009 में प्रावधान किया था। वहां स्थिति यह है कि उसे क्रॉसिंग स्टेशन का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन तीन लाइन नहीं बनाई गयी है, जबकि आपने उसका प्रावधान किया है। बनमनखी से किशनगंज वाया जलालगढ़, अररिया नई रेल लाइन बननी चाहिए। पूर्णिया जंक्शन से बारसोई, डगरूवा–वायसी होते हुए और बनमनखी से नरपतगंज वाया रानीगंज, भरगामा तक रेल लाइन से जोड़ने की कृपा करें। ललितग्राम से कुरसाकांटा वाया बथनाहा रेल लाइन बिछाने की व्यवस्था करने का आपसे आग्रह है। कटिहार से मनिहारी आपने बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ दिया है और मनिहारी से शाहगंज पर अगर पुल बनाकर रेल लाइन से जोड़ दें तो उत्तर बिहार राज्य और झारखंड के बीच दूरी मात्र 25 किलोमीटर बच जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर इसे जोड़ने का काम करेंगे तो उस इलाके की जनता को बहुत सुविधा होगी।

लालू प्रसाद यादव जी और यूपीए की चेयरपर्सन मैडम सोनिया जी के नेतृत्व में देश में जो विकास और प्रगति हुई है, समाज के सबसे गरीब, कमजोर और देश के अल्पसंख्यक का सम्मान और विश्वास बढ़ा है, उसके लिए मैं बिहार और देश के सभी लोगों की ओर से लालू प्रसाद यादव जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं शाहनवाज जी से आग्रह करूंगा कि वह प्लीज अपनी बात को वापस लें।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर) : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत से अपशब्द बोले हैं। पप्पू जी ने बार–बार मेरा नाम लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब लालू जी रेल बजट पढ़ रहे थे, उस समय का रिकॉर्ड निकलवाया जाए, उस समय बहुत से अपशब्द और गालियां दी गयी थीं। उस समय मैंने एतराज नहीं किया था। आज भी अगर कोई अनपार्लियामेंटरी बात हुई तो दोनों ही लोगों की बातों को निकाल दिया जाए, यह बात तो पहले ही मैंने बोल दी है। पप्पू जी मामले को बार–बार उठा रहे हैं। एक भी अल्पसंख्यक के नाम पर स्टेशन का नाम करने की बात आपको याद नहीं आई। *...(व्यवधान)* कम से कम आप एक स्टेशन का नाम शाहनवाज जी के नाम पर रखने की बात कहते जो आजाद हिंद फौज के जनरल थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : महोदय, माननीय सदस्यों ने जो बातें कही हैं, मैं बताना चाहूंगा कि अपने देश के जितने भी महान नेता हैं, चाहे वे दक्षिण के हों, उत्तर के हों, पूरब या पश्चिम के हों, किसी भी नेता के नाम पर, महान नेताओं के नाम पर, यहां तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर भी होम डिपार्टमेंट का, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का आदेश रिकॉर्डेड है, नामकरण नहीं किया जा सकता है। देश के सभी महान नेता पूज्यनीय और आदरणीय हैं। हम चाहकर भी मोतिहारी स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं कर पाए, बड़ी मुश्किल से उसका नाम हम बापू धाम कर सके। इस तरह का आदेश

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। इसलिए रेलवे डिपार्टमेंट अपने मन से ऐसा नहीं करता है। सारे देश में एक से एक महान विभूतियां हुई हैं।

यह स्थिति है शाहनवाज जी, आपके प्रति कोई डैरोगेटरी शब्दों का इस्तेमाल तस्लीमुद्दीन साहब ने नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि सुपरफास्ट ट्रेन का प्रावधान हो गया है, आप भी उसमें सफर करें। लेकिन आप इससे तिलमिला गए और गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। हम आपका आदर करते हैं। आपको कम से कम अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मैंने कोई असंसदीय शब्द अपने भाषण में कहा तो उसे डिलीट कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने जो बिना माइक के बात कही ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हो गया।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : पप्पू जी आप बैठिए। आपने बहुत लम्बा भाषण दिया और मैं बोल रहा हूं तो कह रहे हैं कि हो गया। मेरी भी बात सुनें।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हम तो बात खत्म करने की बात कह रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहें।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : उन्होंने मेरा नाम लिया, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कहा। लालू जी ने मेरा नाम लिया और आपने चार बार मेरा नाम लिया।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : अच्छे के लिए लिया था।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : अब मुझे तो बोलने दें। इस तरह से लोगों को मत डराएं। हमें बोलने तो दें, ऐसा न कीजिए। मैंने जब अपना भाषण समाप्त किया था तो मैंने कहा था कि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करूं। यह बात मैंने पहले कह दी थी। पप्पू यादव जी को तो मैं बधाई देने उनकी सीट पर गया था कि उनकी आज बेल हो गई है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : धन्यवाद।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : मैंने तो आपको बधाई दी थी। जब मैं कह रहा था तो अगर मेरी बात में कोई असंसदीय शब्द तो वह कार्यवाही से निकाल दें और यदि उन्होंने कोई असंसदीय बात कही है तो वह भी कार्यवाही से निकाल दें। बात यहीं खत्म हो जाती है।

[अनुवाद]

* **श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** (तुमकुर) : महोदय, यशवंतपुर–तुमकुर रेललाइन के दोहरीकरण की घोषणा श्री जाफर शरीफ जी द्वारा वर्ष 1991 में की गयी थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक इसे पूरा नहीं किया गया है। मेरे तथा कर्नाटक सरकार दोनों द्वारा बार–बार अनुरोध करने पर भी रेलवे ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। चूंकि विद्यालय तथा महाविद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है अतएव निट्टोर स्टेशन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ियों सहित सभी रेलगाड़ियों का कम से कम 2 मिनट का ठहराव होना चाहिए और यह कदाबा के लोगों के लिए अधिक उपयोगी होगा जो अपने आसपास के इलाकों में अत्यंत आकर्षक और प्रसिद्ध स्थान है। इसी प्रकार रामपुरा रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों का कम से कम दो मिनट का ठहराव होना चाहिए। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक आदेश दिये जाने चाहिए।

तुमकुर में उप्परहल्ली के निकट शहर के इस भाग में रह रहे 50 हजार लोगों की सुविधा के लिए एक रेल उपरिपुल बनाया जाना चाहिए। शहर का नया तथा पुराना भाग दोनों ही अत्यधिक भीड़–भाड़ वाले हैं। जहां तक महत्वाकांक्षी बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना का प्रश्न है, धनराशि की कमी के कारण कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। नम्मा मेट्रो परियोजना के लिए इस वर्ष मात्र 215.70 करोड़ रु. आबंटित किये गये हैं। इतनी बड़ी परियोजना को इस छोटी सी धनराशि से इसे पूरा करना असंभव है। इसलिए इस परियोजना में तेजी लाने हेतु अधिक धनराशि जारी की जानी चाहिए।

प्रतिदिन सैकड़ों तीर्थयात्री बरास्ता चेन्नई बनारस जाते हैं, मैसूर से बनारस के लिए कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है। अतएव मैसूर और बनारस के बीच नई रेलगाड़ी शुरू की जानी चाहिए। ताकि इस रेलगाड़ी से तीर्थयात्री लाभान्वित होंगे।

अवसंरचना, प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों का सतत उन्नयन करने की आवश्यकता है। यह रेलवे के लिए कठिन नहीं है क्योंकि इसकी वित्तीय स्थिति सुधरी है। अब भी हजारों बिना चौकीदार वाले समपार हैं तथ सिग्नल प्रणाली कार्य नहीं कर रही है। दुनिया में अन्य कई रेलवे की तुलना में भारतीय रेल में दुर्घटना दर अधिक मानी जाती है।

अतएव रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक कार्य करने चाहिए। रेलगाड़ियों में अपराध की बार–बार खबरें आती हैं जो यात्रियों की जान–माल के लिए खतरा है। रेलगाड़ियों को अपराधमुक्त बनाना उसे दुर्घटनामुक्त बनाने जैसा ही महत्वपूर्ण है।

---

* मूलतः कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एस. मल्लिकार्जुनैया]

एक और बात की ओर मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि रेलवे को सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा रेलगाड़ियों और स्टेशनों दोनों जगहों पर पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि माननीय रेल मंत्री इन सभी उचित मांगों पर विचार करेंगे और शीघ्र आवश्यक कदम उठाएंगे।

* **डा. सुजान चक्रवर्ती** (जादवपुर) : पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल के अंतर्गत बरुईपुर में रेलउपरिपुल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करें;

जादवपुर रेलवे गेट पर अंडरपास का कार्य शीघ्र पूरा करें जो कि पूर्व रेलवे के सियालदह मंडल के अंतर्गत काफी समय से लंबित मांग है;

सियालदह मंडल के दक्षिणी खण्ड (सेक्शन) में दैनिक यात्रियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए रेलगाड़ियों के फेरों की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय चार रैकों के लिए पहले ही सहमति दे चुके हैं। परन्तु इसे अभी तक नहीं किया गया है;

कैनिंग, काकीखांतापुर और डायमंड हार्बर खण्डों में 12 डिब्बों वाली रेलगाड़ी की व्यवस्था की जाती है जिसे वर्ष 2008 तक ही पूरा हो जाना था;

बरुईपुर और गरिया के बीच तीसरी रेललाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। इसके लिए स्वीकृति दी जाए और कार्य सम्पन्न कराने की व्यवस्था की जाए;

जायनगर से रायदिघी, जयनगर से जामताला तथा पिवाली से सोनाखाली तक नई रेललाइन का निर्माण किया जाए। इससे उपनगरीय क्षेत्रों में रेल यातायात में वृद्धि होगी और जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए;

टोलीगुंज से न्यू गरिया तक मेट्रो रेल के विस्तार का कार्य 2008 तक पूरा किया जाना था, परन्तु यह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए इस कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए; तथा

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेट्रो रेल का विस्तार गरिया से बरुईपुर तक किया जाए जो कि दक्षिण 24 परगना के लिए जिला मुख्यालय के रूप में तेजी से विकास कर रहा है।

[हिन्दी]

* **श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ भानु यादव** (गोपालगंज) : 13 फरवरी, 2009 को माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने भारतीय रेल के वर्ष 2008–09 के लिए संशोधित अनुमान और वर्ष 2009–10 के लिए मात्र चार महीनों के अनुमानित आय और खर्चा का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जरूरी लेखानुदान की मांग की स्वीकृति का अनुरोध किया है। मैं तहे दिल से अपनी सहमति देते हुए, माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी को बधाई देता हूं। बधाई इस बात के लिए है कि आम आदमी पर बिना कोई बोझ डालते हुए पांच साल के अपने कार्यकाल में रेल को, भारतीय रेल के इतिहास को तीव्र प्रगति देना ही नहीं पांच वर्ष पहले नुकसान में चल रही रेल व्यवस्था को 90 हजार करोड़ रुपए का लाभांश कैश सर्प्लस अर्जित करके, आज देश में बुलेट ट्रेन भारतीय रेल मार्ग पर चलाने की घोषणा करने के लिए भी है।

महोदय, माननीय रेल मंत्री जी उपरोक्त इंटीरिम बजट प्रस्तुत करते समय रेल गाड़ियों का सुगम संचालन सुनिश्चित करने हेतु 14 नई लाइन, आमान परिवर्तन में 3 स्टेशन, दोहरीकरण में 8 और 43 नई ट्रेनों की घोषणा और 14 ट्रेनों का गंतव्य स्थान का भी विस्तार किया है।

इस संबंध में आपके माध्यम से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोपालगंज तथा नजदीकी अन्य कुछ चरित्रात्मक प्रदेशों पर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने थावे को एक नई रेलवे डिवीजन बनाने का मेरा और मेरी क्षेत्रीय जनता की मांग स्वीकार कर इस नई डिविजनल कार्यालय स्थापना की घोषणा की है। साथ ही साथ थावे से बेतिया को जोड़ने के लिए गंडक नदी पर एक नया पुल बनने जा रहा है।

माननीय रेल मंत्री जी से मेरा और मेरी क्षेत्र के जनता की मांग है कि उपरोक्त मार्ग अर्थात थावे से बेतिया को जोड़ने के मार्ग को रेल नई परियोजनाओं में भी शामिल करें।

जैसे कि आप जानते हैं कि थावे एक धार्मिक क्षेत्र है जहां माता का प्राचीन मंदिर है जिसके महत्व के बारे में समस्त बिहार तथा आसपास के राज्यों में जनता जानती है, माता के दर्शन करने दूर–सुदूर प्रांतों से पर्यटक आते हैं। इतना ही नहीं यह क्षेत्र पूज्य बापू जी की कर्मभूमि भी है जहां से भारत आजाद करने के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम को पूर्ण समर्थन मिला था, लेकिन दुर्भाग्यवश यहां के कुछ ऐसे ग्राम और उनमें रहने वाली जनता जिन्होंने रेलगाड़ी का नाम तो सुना है परन्तु देखा नहीं है। इन विषयों को मद्देनजर रखते हुए माननीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से उपरोक्त परियोजना की मांग स्वीकार करें जिससे बिहार राज्य पर्यटकों से राजस्व, थावे–बेतिया के बीच की दूरी कम होकर यात्रियों के आवागमन में सुविधा होगी तथा भारतीय रेल की भी आय में बढ़ोत्तरी होगी।

* भाषण मूल पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

*डा. अरविन्द शर्मा (करनाल) : आपने अपनी इच्छा शक्ति और कुशल प्रबंधन के बल पर सभी श्रेणियों का यात्री किराया घटाकर आम आदमी को बड़ी राहत दी है।

मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र करनाल की जनता द्वारा समय–समय पर की गयी मांगों को पूरा करने हेतु उनको दिए गए आपके सहयोग एवं आशीर्वाद के लिए आपको विशेष धन्यवाद देता हूं। आपकी इस तरह की सहायता की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए करनाल की जनता की अभी भी आशा है कि आप उनकी निम्नलिखित छोटी मांगों को पूरा करेंगे। इन मांगों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप इनको प्राथमिकता देंगे।

करनाल रेलवे स्टेशन पर एक पैदल उपरिपुल का निर्माण : दैनिक यात्रियों की परेशानियों के देखते हुए यह पुल आवश्यक है। साथ ही अनुरोध है कि संबंधित पुल का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इसका निकास सीधे प्लेटफार्म से बाहर हो ताकि प्लेटफार्म पर भीड़–भाड़ से बचा जा सके। ठीक इसी प्रकार आरक्षण टिकटें हासिल करने में यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए एक अतिरिक्त कम्प्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर खोला जाए।

रामनगर क्षेत्र के लोगों ने निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित एक रेलवे आरक्षण काउंटर की भी मांग की है। जैसा कि उनका यह अनुरोध मेरे द्वारा अग्रेसित किया जा चुका है इस पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाए क्योंकि यहां पर विभिन्न स्टेशनों के लिए टिकटों की भारी मांग है।

चूंकि करनाल स्टेशन को 'माडर्न रेलवे स्टेशन' के रूप में घोषित किया जा चुका है, वैष्णों देवी जाने वाले तीर्थयात्रियों की लोकप्रिय मांग पर इस स्टेशन पर 'पूजा एक्सप्रेस' जैसी रेलगाड़ियों का हाल्ट दिया जाए।

आम जनता और दैनिक यात्रियों द्वारा घरौंदा रेलवे स्टेशन हेतु उठायी गई मांगे : रेलवे क्वाटरों के निकट घरौंदा स्टेशन के समानांतर ग्रेन मार्केट, घरौंदा, जिला–करनाल तक सड़क की स्थिति के संबंध में। (स्थायीरूप से)

जैसा कि मैंने आपको लिखे पत्र में पहले ही उल्लेख किया था कि समपार सं. 63 से घरौंदा टाउन तक सिविल रोड पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। सिविल रोड पर इस जाम से निपटने के लिए मैंने जनता की ओर से रेलवे प्राधिकारियों से सिफारिश की थी कि वे एक वैकल्पिक सड़क विकसित करने के लिए रेलवे क्वाटरों के निकट जमीन दें परन्तु रेलवे द्वारा इस संबंध में अभी तक जांच (स्थायी रूप से) नहीं की गयी है।

घरौंदा रेलवे स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस का ठहराव : घरौंदा रेलवे स्टेशन, जिला–करनाल पर पिछले अनेक वर्षों से झेलम एक्सप्रेस का नियमित ठहराव था, परन्तु दुर्भाग्यवश, इस ठहराव को दो बार रद्द किया गया है जिससे दैनिक यात्रियों और इस क्षेत्र की जनता को काफी असुविधा हुई है। हजारों दैनिक यात्री पहले ही क्रमशः एक, दो अथवा तीन महीने का रेलवे पास ले रखे हैं और रेलवे प्राधिकारियों को अग्रिम का भुगतान कर दिया है।

तरावड़ी रेलवे स्टेशन, जिला-करनाल हेतु आम जनता और दैनिक यात्रियों द्वारा उठाई गई मांगे

एकता एक्सप्रेस तथा ऊंचाहार एक्सप्रेस (अप तथा डाउन) का ठहराव : दैनिक यात्रियों तथा जनसाधारण द्वारा आपने गंतव्य पर जल्द पहुंचने के लिए उपर्युक्त दोनों रेलगाड़ियों का तरौरी रेलवे स्टेशन पर ठहराव देने की भारी मांग की गई है।

नीलोखेरी रेलवे स्टेशन, जिला-करनाल हेतु जनसाधारण तथा दैनिक यात्रियों द्वारा उठाई गई मांग

एकता एक्सप्रेस तथा ऊंचाहार एक्सप्रेस (अप तथा डाउन) का ठहराव : उपर्युक्त रेलगाड़ियों के ठहराव की मांग नीलोखेडी, जिला करनाल के निवासियों द्वारा बहुत ज्यादा की गई है, क्योंकि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले दोनों उपर्युक्त रेलवे स्टेशनों पर सवारी गाड़ी का ठहराव नहीं होने के चलते असुविधा का अनुभव करते हैं।

समालखा रेलवे स्टेशन, जिला करनाल हेतु जनसाधारण तथा दैनिक यात्रियों द्वारा उठाई गई मांग

समालखा रेलवे स्टेशन पर झेलम एक्सप्रेस तथा नई दिल्ली-भटिंडा एक्सप्रेस का ठहराव : मैंने रेल प्रयोक्ताओं की असुविधा का समाधान करने के लिए जनहित में उपर्युक्त ठहरावों हेतु दैनिक यात्रियों तथा जनसामान्य के कल्याण के लिए पहले ही इस मामला को उठाया था।

यात्री रेलगाड़ी - 3 डी पी एम का सोनीपत से पानीपत तक विस्तार : उपर्युक्त रेलगाड़ी का अंतिम मार्ग सोनीपत तक है तथा दोनों तरफ (दिल्ली से पानीपत तथा पानीपत से दिल्ली) के दैनिक यात्रियों द्वारा मांग की गई कि उपर्युक्त रेलगाड़ी का सोनीपत रेलवे स्टेशन से पानीपत तक जनहित में विस्तार किया जाए तथा रेलवे के लिए यह भी अधिकतम राजस्व अर्जित करने वाला है, क्योंकि यह दैनिक यात्रियों की समस्या का समाधान करता है।

*भाषण समाप्तप्राय पर रखा गया।

[डा. अरविन्द शर्मा]

पानीपत रेलवे स्टेशन से हरिद्वार वाया केरेना, शामली तथा मुजफ्फरनगर नई रेल लाइन का अनुमोदन, क्योंकि रेल प्राधिकरण द्वारा सर्वेक्षण पहले ही कराया जा चुका था।

पानीपत से असंघ तक नई रेल लाइन का अनुमोदन, क्योंकि लगभग 80–85 गांवों वाले क्षेत्र के लोगों की भारी मांग है कि जनहित में नई रेल लाइन शुरू की जाए तथा यह पानीपत, करनाल, जींद तथा रोहतक जिलों (हरियाणा) के लिए लाभदायक होगा।

जिला पानीपत (हरियाणा) के जनसाधारण तथा दैनिक यात्रियों द्वारा उठाई गई मांग

गांव नीलखा, गांव शाहपुर, जिला पानीपत में सनपार (नियमित फाटक) का प्रावधान करना।

गांव-नीलखा, जिला पानीपत में सनपार (नियमित फाटक) का प्रावधान करना : उपर्युक्त मांग इस क्षेत्र के जनसाधारण द्वारा लंबे समय से उठाई जाती रही है, क्योंकि फाटक नहीं होने से प्रतिदिन कई बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैंने रेल प्राधिकारियों के पास नियमित फाटक/पक्का फाटक का इन स्थानों (उपर्युक्त) पर निर्माण करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। राज्य सरकार ने गांवों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करने हेतु (नीलखा को बहार तक बघोड़ा से) अपना अनुमोदन दे दिया है, लेकिन कार्य लंबित है, क्योंकि उपर्युक्त फाटकों के लिए रेलवे द्वारा आबंटन का अनुमोदन नहीं किया गया है।

यह भारतीय समाज के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए एक व्यावहारिक बजट है तथा माननीय रेल मंत्री जनसाधारण से प्रशंसा तथा धन्यवाद के पात्र हैं।

अतएव, मैं आपसे जनहित में करनाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के जनसाधारण तथा यात्रियों द्वारा उठाई गई सभी मांगों पर उदारतापूर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं आपका आभारी रहूंगा।

[हिन्दी]

* **श्री के.सी. सिंह "बाबा"** (नैनीताल) : महोदय, अन्तरिम रेल बजट 2009–10 पर चर्चा के लिए मुझे समय दिया धन्यवाद, यूपीए अध्यक्षा माननीया सोनिया गांधी एवं माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के गतिशील एवं कुशल नेतृत्व के लिए मैं अभिवादन करने के साथ धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय रेल मंत्री महोदय का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिन्होंने आज मंदी के समय भारतीय रेल को मुनाफे की और अग्रसर रखा है। वित्तीय कायाकल्प के सपने को साकार करने के लिए पूरे रेल विभाग ने टीम वर्क किया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, उत्तराखंड एक पर्यटक विशेष प्रदेश होने के साथ एक नया प्रदेश भी है। मैं विगत वर्षों से लगातार उत्तराखंड में रेल सेवा विस्तार के लिए सरकार से अनुरोध कर रहा हूं। जिसमें कई मांगों को माननीय मंत्री महोदय ने अपनी स्वीकृति दी है। मान्यवर, उत्तराखंड के जनमानस के कतिपय अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर रेल बजट में समावेश नहीं हो पाया है। उत्तराखंड एक पर्यटक विशेष प्रदेश होने के कारण इस प्रदेश में रेलवे यातायात की समुचित व्यवस्था करने की अत्यधिक आवश्यकता है।

- काशीपुर शहर में रेलवे गोदाम से राष्ट्रीय राजमार्ग बाजपुर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि यहां पर एक–एक घंटे तक जाम लगा रहता है और दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि प्रदेश में इस तरह के व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों में पड़ने वाले रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण करने की आवश्यकता है।

- दिल्ली से रामनगर तक सम्पर्क–क्रांति में दिल्ली से काठगोदाम की तर्ज पर दिल्ली से रामनगर तक ए.स. चेयर कार कोच लगाने की आवश्यकता है।

- कार्बेट एक्सप्रेस रेलगाड़ी से हाईपावर इंजन लगाने की आवश्यकता है।

- काठगोदाम से जम्मू तवी तक चलने वाले गरीब रथ रेलगाड़ी में रामनगर से दो–तीन बोगियां जोड़ने की अत्यधिक आवश्यकता है। क्योंकि काशीपुर, बाजपुर और गदरपुर में पंजाबी मूल (समुदाय) के हजारों लोग यहां पर निवास करते हैं।

- रानीखेत एक्सप्रेस में रामनगर तक एक एसी प्रथम और द्वितीय श्रेणियों की व्यवस्था करने के साथ रेल के प्रत्येक कोच का उन्नयन किया जाए।

- उत्तराखंड में काशीपुर–जसपुर–धामपुर–रेल लाइन का निर्माण किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है जिससे प्रदेश में भावर तराई बैल्ट एक कोने से दूसरे कोने तक जुड़ सकती है, टनकपुर से देहरादून सीधे सम्पर्क रेल लाइन निर्माण से उत्तराखंड के एक मैदानी छोर से दूसरे छोर को जोड़ने हेतु भविष्य में किच्छा सितारगंज खटीमा रेल मार्ग बन जाने के पश्चात् काशीपुर से नजीबाबाद हेतु नई रेल लाइन का निर्माण होने से पर्यटकों के साथ–साथ यहां के निवासियों को सुविधा प्राप्त होगी,

- दिल्ली देहरादून मार्ग को मुजफ्फर नगर से लक्सर तक सीधे रेल लाइन से जोड़ने की आवश्यकता है।

लक्सर से देहरादून वाया हरिद्वार रेल लाइन के दोहरीकरण की आवश्यकता है।

नई दिल्ली से देहरादून हेतु एक सीधी द्रुतगामी नॉन स्टॉप रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता है।

देहरादून से काठगोदाम के लिए दैनिक रेल चलाए जाने की आवश्यकता है।

टनकपुर, काठगोदाम एवं रामनगर वाया कोटद्वार तक दैनिक रेल चलाए जाने की आवश्यकता है।

काठगोदाम से दिल्ली हेतु चलाई जा रही वर्तमान सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस में तीन बोगियां लालकुआं पर जोड़ने की आवश्यकता है।

महुआखेड़ा गंज पर सभी रेलों को रूकने की व्यवस्था की आवश्यकता है।

उत्तराखंड सम्पर्क–क्रांति एक्सप्रेस हल्द्वानी पहुंचने से पहले हल्दी रोड स्टेशन पर नहीं रूकती है जो कि वास्तव में प्रख्यात गोविन्द वल्लभपन्त कृषि विश्वविद्यालय का स्टॉपेज है तथा उत्तराखंड का एक नव निर्मित विशाल औद्योगिक स्थल भी है, यहां पर सभी रेलगाड़ियों के रूकने की व्यवस्था नितांत आवश्यक है।

मान्यवर, आपने टनकपुर से बागेश्वर तक नई रेल लाइन के सर्वे के आदेश दिए थे। खेद है कि अभी तक सर्वे का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ आपसे अनुरोध है कि टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन का सर्वे का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाए। इस रेल लाइन के निर्माण से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पूर्णागिरी जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी लाभ मिलेगा।

ऋषिकेश से देहरादून हेतु नए रेल मार्ग का निर्माण की आवश्यकता, ऋषिकेश से देवप्रयाग/बद्रीनाथ तथा रामनगर से चौखुटिया के लिए रेल मार्ग के निर्माण की आवश्यकता, बरेली–टनकपुर मीटरगेज को ब्राडगेज लाइन में बदलने की आवश्यकता है, टनकपुर से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पूर्णागिरी तक नई रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता है।

तिरूअंतपुरम (केरल) एवं देहरादून के मध्य रेल सेवा आवश्यक है,

उत्तराखंड के प्रत्येक रेलवे स्टेशन का कम्प्यूटरीकरण एवं सौन्दर्यीकरण करने की आवश्यकता है।

रामनगर–बाजनगर–गदरपुर रूद्रपुर–किच्छा–सितारगंज–खटीमा टनकपुर तक नई रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता है।

– काशीपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र के अन्तर्गत बाजपुर रोड रेलवे क्रासिंग से शुगर फैक्ट्री रोड तक रेलवे स्टेशन क्षेत्र में नाला निर्माण की आवश्यकता है।

महोदय, उत्तराखंड राज्य में वहां की जनसंख्या से कई गुना पर्यटक, तीर्थ यात्री, प्रकृति प्रेमी, हिमालय प्रेमी, वन्य जन्तु प्रेमी, चलचित्र निर्माण अनेक यात्री बारहमास भारतवर्ष तथा विदेशों से आते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि जनमानस के हित को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा तथा पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित किए गए प्रस्तावों को वर्ष 2009–10 के रेल बजट में समाहित करने का कष्ट करेंगे।

* **श्री जय प्रकाश** (हिसार) : महोदय, हिसार से सदलपुर रेलवे लाइन पर 19 कि.मी. खम्बा नं. 5 और 6 के बीच चीडोद गांव से चौधरीवास गांव वाले रास्ते पर रेलवे फाटक बनाया जाये। आधा पैसा हरियाणा सरकार या संसद निधि से देने को तैयार हूं।

जींद से बठीडा रेलवे लाइन पर बड़ोदा गांव में हाल्ट बनाया जाये। जिसके बारे में आपने कहा था, मगर अभी तक नहीं बनाया गया है।

[अनुवाद]

** **श्री के.सी. पलनीसामी** स्वामी (करूर) : ऐसे समय मे जब हमारे रेल मंत्री के सम्मुख वैश्विक मंदी मुंह बाए खड़ी है, रेल मंत्री ने यात्रा किराया या मालभाड़ा नहीं बढ़ाकर बल्कि यात्रा किराया में 2% की कटौती करके रिकार्ड बनाया है। मैं श्री लालू तथा श्री वेलू दोनों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह एक अंतरिम बजट है, लेकिन हम आगे आने वाले दिनों तथा आगामी रेल बजट के लिए रोडमैप देख सकते हैं। द्रविड़ मुनेत्र कजगम की तरफ से स्वागत करते तथा अपना समर्थन देते हुए मैं अपना दृष्टिकोण तथा तमिलनाडु के लोगों तथा विशेषरूप से अपने नेता तथा तमिलनाडु, के मुख्यमंत्री डा. कलैगनार करूणानिधि तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र करूर के लोगों की तरफ से कुछ मांगें रखना चाहता हूं।

यह बजट वार्षिक बजट के लिए 37,905 करोड़ रुपयों का प्रावधान करता है, जबकि नकदी रिजर्व के रूप में 19,320 करोड़ रुपयों का राजस्व अतिरेक दर्शाता है। यह एक उपलब्धि है। अपने कार्यकाल के दौरान, श्री लालू ने 90,000 करोड़ रुपयों का अतिरेक दर्शाया है। अपने बजट में उन्होंने कतिपय स्वागत योग्य घोषणाएं की हैं। पूर्व के लिए समर्पित मालढुलाई गलियारा शुरू हो गया है। पश्चिमी गलियारे पर इस माह कार्य शुरू होगा है। इस समय में दक्षिण से उत्तर को जोड़ने वाले समर्पित मालढुलाई गलियारे को तुरंत शुरू करने की

*भाषण मूल पटल पर रखा गया।
**मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री के. सी. पल्लानी शामी]

आवश्यकता पर बल देना चाहूंगा। यह तूतीकोरिन तक जाना चाहिए, जो दक्षिण का अंतिम बिंदु है तथा देश के सबसे बड़े पत्तन के रूप में उभर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे नेता डा. कलैगनार करूनानिधि ने इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद में बल दिया था।

देश के संतुलित आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए रेल कार्गो के आवागमन के लिए समर्पित मालढुलाई गलियारा सहायता प्रदान करेगा।

इसलिए देश के दक्षिणी भागों को तूतीकोरिन तक जोड़ना आवश्यक है। मेट्रो रेल प्रणाली के लिए निधियां जुटाना और कार्य के प्रबंधन की भांति ही, दक्षिण के लिए समर्पित मालभाड़ा कॉरिडोर में दक्षिण की सभी राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार तथा रेलवे शामिल किया जाए। मैं रेल मंत्रालय से इस परियोजना को आरंभ करने का अनुरोध करता हूं जिस पर दूरदर्शी और वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ तथा तमिलनाडु के मुख्य मंत्री, डा. के. करूनानिधि ने बल दिया है।

हाई स्पीड बुलेट ट्रेन हेतु रेल लाइन बिछाने के लिए पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन देश के अनेक भागों में किया जा रहा है। इसका संदर्भ देते हुए माननीय रेल मंत्री ने दिल्ली और पटना को बुलेट रेल से जोड़ने की बात कही है। मैं मंत्री महोदय से सभी चारों दक्षिणी राज्यों की राजधानियों को बुलेट रेल से जोड़ने की परियोजना की घोषणा करने का अनुरोध करता हूं। कन्याकुमारी और चेन्नई के बीच बुलेट रेल लाइन बिछाने के कार्य को एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरंभ किया जाए। बाद में बैंगलूरू और हैदराबाद को भी जोड़ा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि रेल मंत्री इसको अपनी सहमति प्रदान करे और इस परियोजना को आरंभ करें।

जैसा कि घोषणा की गई थी मालभाड़ा प्रभार में वृद्धि नहीं की गई है तथा यह यथा ढांचागत ही है। प्रत्येक राज्य सरकार, विशेषरूप से तमिलनाडु को जन वितरण प्रणाली तथा पोषक मध्याह्न भोजन योजना हेतु चावल और खाद्यान्न की ढुलाई के लिए मालभाड़ा प्रभार में रियायत मिलनी चाहिए। इससे राज्य सरकारों को जनता के लिए कल्याण उपायों को जारी रखने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

43 नई रेलगाड़ियों की घोषणा की गई है। उनमें से चार का संबंध तमिलनाडु से है। इरोड और सेनकोट्टाह के बीच एक दैनिक यात्री गाड़ी की घोषणा की गई है। मैं आपसे यह देखने का अनुरोध करूंगा कि यह तिरूची–इरोड यात्री रेलगाड़ी का विस्तार न हो। यह नई रेलगाड़ी एक अतिरिक्त रेलगाड़ी है। करूर और चेन्नई के बीच नई रेल गाड़ी को करूर एक्सप्रेस या कारीकालन एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाए। तिरूवरूर से होते हुए करूर तथा नागूर के बीच कोंगू क्षेत्र को थंजई से जोड़ने वाली नई रेल को अरूर चोलन एक्सप्रेस के रूप में चलाया जाए। नागापट्टनम को वेलनकन्नी रेल लाइन के माध्यम से जोड़ने की काफी समय से लंबित मांग को रेलवे द्वारा यथाशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इर्णाकुलम और तिरूचिरापल्ली के बीच दैनिक एक्सप्रेस रेल को नागूर तक बढ़ाने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। नागूर, वेलनकन्नी तथा सिक्कल (नागापट्टनम के निकट) तीनों प्रसिद्ध तीर्थस्थलों को जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा करने के प्रयास किये जाने चाहिए। तिरूचिरापल्ली तथा मदुरई के बीच दैनिक एक्सप्रेस तथा कोयम्बटूर और तूतीकोरिन के बीच नई संपर्क एक्सप्रेस का स्वागत है। इस समय मैं तिरूनेवेल्ली तथा मुंबई तिरूवनंतपुरम बरास्ता के बीच सप्ताह में दो बार सुपर फास्ट रेल चलाने पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। इससे इन तीन राज्यों के लोगों को काफी फायदा होगा साथ ही तीर्थाटन के साथ–साथ पर्यटन और बिजनेस यात्रा को भी बढ़ावा मिलेगा।

अनोखे पाक–कौशल के साथ गुणवत्ता युक्त भोजन तैयार करना हमारी संस्कृति का एक भाग है। इसलिए गुणवत्ता रहित भोजन वितरण करना हमारी सभ्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विरूद्ध है। मैं बेस्वाद खाना परोसने के असभ्य तरीके का अंत करने की श्री लालू जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं। रेल यात्री न तो समय व्यतीत करने आते हैं और न ही पार्टी करने आते हैं बल्कि वे 'पेईंग गेस्ट' के रूप में यात्रा करते हैं और उन्हें गुणवत्ता युक्त भोजन ही परोसा जाना चाहिए। इसलिए गुणवत्ता को बढ़ाया जाना चाहिए तथा मूल्यों में कमी की जानी चाहिए। रेल में परोसे जाने वाले भोजन पर सेवा कर समाप्त किया जाना चाहिए। मेरी इच्छा है कि रेल मंत्री इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाने के अपने प्रयासों को तेज करेंगे।

हमारे रेल मंत्री जिन्होंने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए रिकार्ड लाभ दर्शाते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया है तमिलनाडु के उत्तरी जिलों में घोषित की गई और आरंभ की गई लंबित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करना चाहिए।

जब हम देखते हैं कि कतिपय चालू परियोजनाएं लंबे समय से चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है, हमें केवल एक कहावत ही याद आती है कि आबूदय्यर कोइल में हमेशा कोई न कोई सिविल कार्य चलता रहेगा परंतु यह कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसीप्रकार करूर और सलेम के बीच रेल लाइन बिछाने का कार्य पंद्रह या बीस वर्षों से अधिक समय से चल रहा है। सलेम मण्डल बनाया गया। परंतु पालघाट से पर्याप्त रेलवे स्टाफ को स्थानांतरित कर मुख्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है।

एक कहावत है कि जैसे एक गधा दुर्बल होकर चींटी बन गया है। इसी प्रकार, रेलवे जिसने ब्रिटिश काल के दौरान लाभ अर्जित किया

उसे घाटे के बजट के कारण मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ा है। परंतु आज मजबूत बुनियाद रख दी गई है। हमारे मंत्री के अनुसार, रेलवे जो विशालकाल हाथी की भांति रहा था आज तेज गति वाला चीता बन गया है।

तेज गति वाले चीते की भांति धीमा चलने वाली रेलवे आज के युग में तेजी से चलने वाली रेलवे के रूप में उभरी है। कमजोर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार की रेलवे सड़क यातायात तथा परिवहन को कमजोर करने का कारण बने। मैं यह इंगित करना चाहता हूं कि मेरे करूर निर्वाचन क्षेत्र में लालपेट में रेल उपरिपुल को राजमार्ग के भाग के रूप में खोला गया था। लॉरी परिवहन तीर्थाटन, तथा पर्यटन आवागमन एवं अन्य लंबी दूरी की बस सेवा, सभी को इस आर.ओ.बी. के निर्माण से लाभ पहुंचा है। केन्द्रीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने इसके लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराकर आर ओबी आरंभ होने के बाद, समपार संख्या 48 को बंद कर दिया गया जिससे इसके आसपास रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हुआ। 40 गांवों के लगभग 2 लाख लोग रोजाना इस समपार संख्या 48 का उपयोग कर रहे थे, इसके बंद होने से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रेलवे उसके समीप समपार संख्या 49 को बंद करने पर विचार कर सकती है तथा वहां कार्यरत रेलवे कर्मचारियों से समपार संख्या 48 पर कार्य करने को कहा जा सकता है जिसे पुनः खोला जा सकता है। ऐसा करने के बाद भी रेलवे, दोनों समपारों पर कार्यरत, छह में से तीन रेलवे कर्मचारियों पर होने वाले खर्च को बचा सकता है। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह रेलवे के लिए वित्तीय बचत है जिसने लालपेट आरओबी परियोजना पर कोई राशि व्यय नहीं की तथा निधियां हमने जुटाई थी। इसलिए, रेलवे को वहां रहने वाले जनसामान्य की मांगों पर अनुकूल रूप से विचार करना चाहिए।

डीएमके की ओर से मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं तथा अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री रविचन्द्रन शिव्पीपरई (शिवकाशी) : मैं एमडीएम के और हमारे नेता श्री वाइको की ओर बोल रहा हूं। सर्वप्रथम, न तो यह एक पूर्ण बजट है और न ही अर्द्ध–बजट है बल्कि यह एक वोट बजट मात्र है। यह एक लोक लुभावन बजट है। यह एक दिशाविहीन बजट है और इसका मिशन वोट प्राप्त करना है।

माननीय रेल मंत्री ने अंतरिम–बजट में मालभाड़ा दरों में वृद्धि नहीं की चूंकि वे 01 फरवरी को खाद्यान्नों, दलहनों और उर्वरकों पर इनमें वृद्धि कर चुके थे। माननीय रेल मंत्री ने 14 नई लाइनों के लिए 25 सर्वेक्षणों की घोषणा की है, तीन आमान परिवर्तन के लिए और आठ दोहरीकरण हेतु, छपरा में व्हील कारखाने के तथा मधेपुरा में डीजल और विद्युत इंजन कारखानों के लिए किंतु उन्होंने तमिलनाडु को अनदेखा कर दिया। हमारे नेता श्री वाइको के नेतृत्व में पालाकड्डु मंडल मुद्दे पर उनके साथ हुई बैठक के दौरान मंत्री महोदय ने स्वयं पोल्लाची में रेल कारखाने के निर्माण का वादा किया था। किंतु मुझे अंतरिम बजट में इस संबंध में कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। उद्घोषणा करते हुए बताया गया कि रेलवे ने विगत 5 वर्षों में 90,000 करोड़ रु. अर्जित किए। यह देख कर निराशा होती है कि इस लाभ को वंचित वर्गों तक पहुंचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। यह और कुछ नहीं बल्कि शब्दों का हेरफेर है। इस रेल बजट में तमिलनाडु में नई लाइनों का विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में गत वर्ष तमिलनाडु के लिए 5 नई लाइनें स्वीकृत की हैं। योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि तमिलनाडु सरकार यह कह रही है कि रेल मंत्रालय को संपूर्ण लागत वहन करनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार और योजना आयोग के बीच इस खींचतान में तमिलनाडु के पिछड़े क्षेत्र में लोगों को रेलवे सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। रेलवे को कर्नाटक सरकार के साथ निम्नलिखित पांच लाइनों के निर्माण के संबंध में तत्काल चर्चा करनी चाहिए, झारखंड और कुछ अन्य राज्य भी लागत में हिस्सेदारी के लिए तैयार हैं किंतु दुर्भाग्य से तमिलनाडु सरकार ने लागत में अपनी हिस्सेदारी उठाने से मना कर दिया है। इसलिए यह बहुत ही दुख की बात है।

डिंडिगुल – गजलोर

अरियालुर – तंजौर

नीडामंगलम – पट्टुकोट्टाई

धर्मापुरी – मूरापुर

जोलारपेट – तिरूवनमामालाई

माननीय रेल मंत्री द्वारा इन सभी परियोजनाओं को तत्काल शुरू किया जाना चाहिए। विलुपुरम के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण और डिंडीगुल का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए। मदुरै और कन्याकुमारी तक तूतीकोरिन के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण शुरू किया जाना चाहिए।

विरूदुनगर और मनामदुरै विजमनुप्यकोट्टाई के बीच आमान परिवर्तन कार्य समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना चाहिए और इसे दिसंबर 2009 के पहले पूरा किया जाए।

मदुरै–तूतीकोरिन के बीच नई रेल लाइन अर्थात् अरूप्पुकुट्टाई और विल्लातिकुलम पर विचार किया जारा चाहिए। यह तूतीकोरिन पत्तन से आने वाले माल यातायात को सुविधाजनक बनाएगा।

*भाषण तमिल पत्रक पर रखा गया।

[श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई]

मैं विगत 3 वर्षों से सत्तुर रेलवे स्टेशन पर नेल्लई एक्सप्रेस के ठहराव की मांग करता रहा हूं। इस संबंध में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि सत्तूर रेलवे स्टेशन पर नेल्लई एक्सप्रेस का ठहराव उपलब्ध कराएं। चेन्नई–तिरूनेलवेली के बीच चलने वाली नेल्लई एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई से चलने वाली आखिरी ट्रेन है। इस ठहराव से सत्तूर और शिवकाशी जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी।

दक्षिण–उत्तर मालभाड़ा गलियारा का तत्काल रूप से प्रस्ताव किया जाना चाहिए।

मैं सटच्चियापुरम रेल क्रासिंग पर शिवकाशी में एक सड़क उपरिपुल के निर्माण की मांग करता आ रहा हूं। विरूद्धुनगर, रामामूर्ति रोड रेल समपार पर सड़क उपरिपुल की मांग काफी समय से लंबित है। इसे तुरंत शुरू किया जाना चाहिए। आर.ओ.बी. का कार्य एक वर्ष के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए।

विभिन्न संघों की ओर से निम्नलिखित नई ट्रेन सेवाओं की मांग काफी समय से लंबित है :–

1. चेनगौट्टाई – कोयम्बटूर – प्रतिदिन
2. चेनगौट्टाई – बंग्लौर – प्रतिदिन
3. चेनगौट्टाई – मायलापुटुरै – प्रतिदिन
4. चेनगौट्टाई – नई दिल्ली – साप्ताहिक ट्रेन
5. चेनगौट्टाई – हावड़ा
6. चेनगौट्टाई – मुंबई
7. कन्याकुमारी – वाराणसी – साप्ताहिक मदुरै होते हुए
8. कन्याकुमारी – हैदराबाद – सप्ताह में तीन बार मदुरै होते हुए
9. तूतीकोरिन – मंगलौर – प्रतिदिन

इन ट्रेनों को शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। तिरूच्चांगल रेलवे स्टेशन का उन्नयन किया जाना चाहिए और वहां अधिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। कोविलपट्टी में लक्ष्मी मिल समपार पर सड़क उपरिपुल के नीचे एक सब–वे उपलब्ध कराया जाए। कोविलपट्टी के बीच में सभी–मौजूदा रेल फाटक कायम रहने चाहिएं और विरूद्धनगर स्टेशन पर महिला यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस बजट भाषण में विकलांगों के लिए सुविधाओं का कोई उल्लेख नहीं है। यहां तक कि अनेक "ए" ग्रेड स्टेशनों पर भी एलीवेटर, लिफ्ट और पर्याप्त शौचालय मौजूद नहीं हैं। एक तरफ तो आप रेल किराये घटा रहे हैं, जो कि एक दिखावा है। दूसरी ओर यात्री तत्काल टिकट पाने के लिए अधिक भुगतान करते हैं। गैर–तत्काल (नियमित) श्रेणियों में उपलब्ध टिकटों की संख्या में कटौती की गई है। सभी सामान्य श्रेणी डिब्बों में कुशनदार सीटें उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, किंतु यह पूरा नहीं किया गया। चूंकि ठेकेदारों ने प्लेटफार्मों को नियंत्रण में ले लिया है, खाने की सस्ती चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती और ट्रेनों में पेश किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। मिट्टी के कप और खादी कंबल डिब्बों में देखने को नहीं मिलते।

90,000 करोड़ रु. की अधिशेष राशि और डीजल की कीमतों में गिरावट के बाद भी रेलवे ने तमिलनाडु के लिए नया कुछ नहीं किया है। सभी चालू रेल परियोजनाओं का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। यह एक दूरदर्शिता रहित बजट है और इसका मिशन वोट पाना है। यह बजट आगामी लोक सभा चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर) : मैं रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी द्वारा इस महीने की 13 तारीख को सभा के समक्ष रखे गए इस रेल बजट का विरोध करता हूं। यह रेल बजट समुचित बजट है। जहां तक रेलवे के विकास का संबंध है, यह बजट राष्ट्र की इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं को नहीं दर्शाता। मेरी समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय स्तर की मांग करने वाले नेता देश की ओर से दायित्वों का निर्वाह करते समय अक्सर क्षेत्रीय अथवा स्थानीय नेताओं की तरह क्यों व्यवहार करते हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव की पूर्व संध्या पर यह रेल बजट भारतीय रेल का बजट नहीं है बल्कि यह केवल बिहार रेलवे का बजट है। अधिकांश राज्य विशेषकर लंबे समय से उपेक्षित उड़ीसा जैसे अल्प–विकसित राज्यों की अनदेखी की गई है, जो कि अक्षम्य है।

मैं रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह देश को सच्चे भारतीय के रूप में देखें न कि एक बिहारी, गुजराती अथवा बंगाली के रूप में।

यदि रेल मंत्री भारी मुनाफे का दावा करते हैं तो वह मालभाड़े के रूप में रेल के राजस्व में भारी योगदान करने वाले उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों में रेल अवसंरचना के विस्तार एवं विकास हेतु इसका थोड़ा भाग क्यों खर्च नहीं करते।

महोदय, इसके विस्तार में जाए बिना मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से पूर्व तट रेलवे जोन के अंतर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

*भाषण समाप्टत पर रखा गया।

(एक) बारगढ़ से नवापाड़ वाया पदमपुर, पाइकमाल नई रेल लाइन का निर्माण : इस अल्प विकसित देश में प्रस्तावित लाइन विकास की गति बढ़ाने में सहायता करेगी। इस मार्ग के माध्यम से उड़ीसा से पश्चिम भारत में कोयले की ढुलाई सस्ती हो जाएगी और इससे रेलवे को काफी राजस्व प्राप्त होगा। उड़ीसा में बनने वाले इस्पात संयंत्र इस लाइन को देश के पश्चिमी भाग में अपने तैयार उत्पादों में विपणन के लिए सबसे छोटे मार्ग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ही सर्वेक्षण किया जा चुका है और आर.ओ. आर. 18% है, जोकि काफी संतोषजनक है तथा यह नई लाइन के निर्माण संबंधी रेलवे के मानदंडों को पूरा करता है। कृपया इस रेल लाइन हेतु प्रारंभिक बजटीय प्रावधान किए जाएं।

(दो) पश्चिमी उड़ीसा से श्राद्ध समारोह तथा अन्य धार्मिक क्रियाकलापों के लिए बड़ी संख्या में इलाहाबाद जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बोलांगीर से इलाहाबाद अथवा सम्बलपुर से इलाहाबाद तक एक नई रेलगाड़ी शुरू की जाए।

(तीन) हावड़ा–सम्बलपुर इस्पात एक्सप्रेस को तितलागढ़ तक विस्तार किया जाए, जिससे कि सोनपुर, बोलांगीर, बारगढ़ तथा बौद्ध जिलों के लोगों को कोलकाता के लिए सीधा संपर्क हो पाएगा। चूंकि सम्बलपुर में इस रेलगाड़ी के ठहराव का समय चौदह घंटे से अधिक है, तितलागढ़ तक इसके विस्तार से रेलवे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

(चार) निजामुद्दीन–विशाखापटनम एक्सप्रेस को सम्बलपुर से बारगढ़, बोलांगीर, तितलागढ़ के रास्ते विशाखापटनम तक सीधा चलाया जाए, जिससे कि पश्चिम उड़ीसा के जिलों के यात्रियों का राष्ट्रीय राजधानी से सीधा संपर्क हो सके। इससे कटक के यात्रियों के हित प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि सम्बलपुर से भुवनेश्वर तथा भुवनेश्वर से विशाखापटनम के लिए अन्य रेलगाड़ियां भी हैं।

(पांच) औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है क्योंकि झारसुगुडा तथा सम्बलपुर जिलों में बड़ी संख्या में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए अपर्याप्त रेल सेवा एक गंभीर बाधा है। इसलिए मैं, झारसुगुडा और भुवनेश्वर के बीच एक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस आरंभ करने का सुझाव देता हूं।

(छह) अपने गठन के बाद से पूर्व तटीय रेलवे का परिचालन अनुपात भारतीय रेलवे में सर्वश्रेष्ठ रहा है। यद्यपि, बेहतर समन्वय और अधिक उपभोक्ताओं को देखते हुए पूर्व तट रेलवे के अधिकार क्षेत्र में विस्तार की आवश्यकता है।

रेल मंत्रालय से अनुरोध है कि वह या तो (क) झारसुगुडा – बरसुआं – किरिबुरू (ख) राउरकेला – नोगांव (ग) झारसुगुडा–हिमगिरी को शामिल करने के लिए सम्बलपुर मंडल के क्षेत्राधिकार का विस्तार करें अथवा पूर्व तट रेलवे के अंतर्गत एक नए मंडल का सृजन करें जिसका मुख्यालय झारसुगुडा हो तथा उसके अधिकार क्षेत्र में उपलिखित क्षेत्र सम्मिलित हों इसी प्रकार से, बंसपानी से पड़ापहाड़ खण्ड तथा खुर्दा रोड मंडल में भद्रक–लक्ष्मणनाथ रोड खण्ड को सम्मिलित करने के लिए पूर्व–तटीय रेलवे के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जाए।

(सात) बारगढ़ जिले में अट्टाबीरा और बारपाली दो महत्वपूर्ण स्थान हैं। यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से समृद्ध है और यहां उद्योगों की स्थापना हो रही है। मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अट्टाबीरा और बारपाली से गुजरने वाली सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव हेतु अनुदेश जारी करे।

मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे तथा इन्हें क्रियान्वित करेंगे क्योंकि इससे रेलवे पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।

सायं 7.00 बजे

[हिन्दी]

श्री आनंद परांजपे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मराठी भाषा में बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने मराठी में बोलने के लिए नोटिस दिया है।

श्री आनंद परांजपे : जी नहीं। मैं मराठी में सिर्फ दो लाइन बोलूंगा और बाद में अंग्रेजी भाषा में बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मराठी में जो बोलेंगे, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा।

श्री आनंद परांजपे (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकसभा संसदीय क्षेत्र ठाणे से चुन कर आया हूं। शिव सेना का सांसद होने के नाते, मुम्बई और ठाणे जिला के लाखों यात्री, जो लोकल ट्रेन से यात्रा करते हैं, उनकी समस्याएं मैं सदन में रखने जा रहा हूं। 14वीं लोकसभा में मेरा यह पहला सम्भाषण है और मुझे विश्वास है कि सारे सम्मानीय सदस्य और माननीय मंत्री जी मेरे विचार ध्यानपूर्वक सुनेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि इस साल के रेल बजट में भी उन्होंने

[श्री अनंत परांजपे]

दो प्रतिशत की रेल भाड़े में कटौती की है। पिछले चार सालों में प्रथम श्रेणी ए.सी. में 28 परसेंट और द्वितीय श्रेणी ए.सी. में तकरीबन 20 परसेंट कटौती रेल भाड़े में की है। आम आदमी की बात करते हुए मैं इस सोच में पड़ जाता हूं कि आम आदमी जो विराट से चर्च गेट और कसारा विरार कर्जट से सीएसटी, लोकल ट्रेन में सफर करता है, उन लोगों को माननीय मंत्री जी कैसे भूल गए। तकरीबन 65 लाख लोग रोज मुम्बई में इस लोकल ट्रेन से यात्रा करते हैं।

[अनुवाद]

महोदय, मैं मांग करता हूं कि वर्ष 2009–10 के रेल बजट में उपनगरीय सीजन टिकट और कार्ड टिकट की दरों में कम से कम पांच प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए।

मैं इस बात की भी प्रशंसा करता हूं कि इस बजट में लगभग 45 नई ट्रेनें शुरू की गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सहित मुम्बई देश के सभी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे और खुशी होती यदि माननीय रेल मंत्री मुम्बई को नागपुर, पुणे औरंगाबाद, कोल्हापुर और सोलापुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े शहरों से जोड़ने के लिए नई ट्रेनें शुरू करते।

महोदय, मैं थाणे लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखता हूं। थाणे सबसे पुराना स्टेशन है। वर्ष 1853 में बोरीबंदर से थाणे के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। थाणे का निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं माननीय रेल मंत्री से थाणे को विरासत स्टेशन घोषित करने की मांग पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

वहां एक संग्रहालय की स्थापना की जाए, जहां पर थाणे को विरासत स्टेशन के रूप में दर्शाया जाए।

यद्यपि थाणे एक 'ए' श्रेणी का मेट्रो स्टेशन है और यह स्टेशन प्रतिवर्ष लगभग 80 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करता है लेकिन अब यहां पैदल उपरिपुल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यहां पैदल उपरिपुल का अभाव है। हम बार–बार माननीय रेल मंत्री से इस संबंध में अनुरोध करते रहे हैं लेकिन अभी भी यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास लंबित है।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि रेलवे थर्ड एफओबी को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए। इसी तरह से थाना स्टेशन, जहां प्लेटफार्मों की लंबाई बढ़ाने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है उसे भी गति मिले। मेरे संसदीय क्षेत्र में कल्याण, जहां सबसे बड़ा जंक्शन है, वहां के स्टेशन की दशा बहुत खराब है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एफओबी और प्लेटफार्म बढ़ाने के कई प्रस्ताव रेल बोर्ड मंजूरी के लिए पेंडिंग हैं, उन्हें इस बजट में मंजूरी दी जाए।

[अनुवाद]

गत तीन वर्षों में माल ढुलाई प्रभारों में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक मंदी के इस दौर में मैं मांग करता हूं कि माल ढुलाई प्रभारों पर विचार करते हुए इसमें पांच प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग और अन्य भारी उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

[हिन्दी]

आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले बोरीवली में अचानक रेलवे पैसेंजरों का आंदोलन हुआ। मुंबई में सैंट्रल रेलवे और वैस्टर्न रेलवे इस बजट में काफी उम्मीदें लेकर बैठे थे कि मुंबई रेल विकास कारपोरेशन (एमआरवी) की स्थापना 1999 में की गई थी ताकि नए रैक्स मुंबई को मिल सकें। सैंट्रल रेलवे के पास 167 रैक्स हैं और 1410 सैंट्रल रेलवे ट्रिप्स करती है। बोरीवली जैसी स्थिति किसी भी दिन थाना, कल्याण में हो सकती है, जन आक्रोश या आंदोलन हो सकता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सैंट्रल रेलवे को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा रैक्स दिए जाएं। कुर्ला और कल्याण के बीच फिफ्थ और सिक्स्थ ट्रैक का काम एमआरवीसी के माध्यम से एनयूटीपी फेस–2 में शुरू है, इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए क्योंकि जब तक फिफ्थ और सिक्स्थ ट्रैक नहीं होगा तब तक मुंबई में लोकल ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ सकती। मीरामैंडर एक ऐसी महानगर पालिका है, जिसकी आबादी 10 से 12 लाख है। फास्ट ट्रेनों के लिए बोरीवली के बाद विरार के बीच थर्ड और फोर्थ ट्रैक शुरू कर दिया लेकिन लोकल ट्रेन आज भी थर्ड और फोर्थ ट्रैक के लिए चालू नहीं है। अगर बोरीवली और विरार के बीच थर्ड और फोर्थ ट्रैक में लोकल ट्रेन शुरू नहीं होती हैं यह मामला ऐसे ही रहेगा।

मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में दिवा पनवेल रेलवे लाइन वर्ष 1965 में शुरू हुई थी। मंत्री जी के बजट भाषण में पटना – मुगलसराय और पटना – गया नए डीएमयू दिए हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि दिवा पनवेल 1965 में शुरू हुई थी, तब भी पांच ट्रिप्स दीवा पनवेल के बीच में थे, इसे बढ़ाया जाए। पिछले 20 साल से वहां के लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहां तीन नए रेलवे स्टेशन उस रूट पर बनाए जाएं–उसरघर, बामिवली, नारीवली, इस विषय में मंत्री जी जल्दी से जल्दी कोई निर्णय लें। मंत्री जी ने भाषण में 14 नए रूटों की फिटीबिलीटी सर्वे के लिए घोषणा की है, पिछले कई सालों से कल्याण

और नगर मालशेज घाट द्वारा एक रूट का सर्वेक्षण हो चुका है लेकिन उस रूट के बारे में कुछ नहीं हुआ है। मेरे चुने जाने के बाद थाना स्टेशन के लिए कई बार निवेदन किया गया और हम दूर देश में जाने वाली गाड़ियों के स्टॉपेज के लिए लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। कुछ ट्रेन तो जरूर रूकीं लेकिन बजट में कुछ नई ट्रेनें इंट्रोड्यूज की हैं जैसे मुंबई–वाराणसी, मुंबई–गोरखपुर, मुंबई–मछलीपट्टम, मुंबई–तिरूवेली और इन ट्रेनों को भी थाना पर स्टॉपेज दिया जाए। इसके अलावा लोकमान्य तिलक से कानपुर जाने वाली उद्योगनगरी, लोकमान्य तिलक से वाराणसी चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन, मुंबई सीएसटी से भुवनेश्वर चलने वाली कोणार्क एक्सप्रेस और मुंबई सीएसटी से चलने वाली कन्याकुमारी चलने वाली एक्सप्रेस है।

ठाणे शहर की आबादी लगभग 18 लाख है। यह एक जिले के बराबर है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक इन सारी मांगों पर विचार करें और मुम्बई लोकल ट्रेन से जो आम आदमी सफर करते हैं, उन्हें इस रेल बजट से कुछ दिलासा दें। मंत्री जी ने अपने भाषण की शुरूआत एक कविता से की थी – 'शुक्रिया कर मैं शुरू करता हूं अपनी आज बात, साथ लेकर मैं चला हूं देश, दुनिया और समाज'। जहां वह इस देश को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, मैं उनसे यही उम्मीद रखता हूं कि महाराष्ट्र, मुम्बई और लोकल ट्रेन में चलने वाले आम आदमी को भी वह साथ में लेकर चलें और इस रेल बजट के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मुम्बई के आम आदमी को दिलासा देने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

* **श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम) : मैं अपनी पार्टी द्रविड मनेत्र कड़गम (डी एम के) की ओर से हमारे माननीय रेल मंत्री जी लालू प्रसाद यादव, जिनकी उपलब्धियां प्रशंसनीय है, द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का स्वागत और समर्थन करता हूं। मैं तहेदिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और इसके साथ ही मैं तमिलनाडु विशेषकर अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कुछ मांगें रखना चाहता हूं।

स्वतंत्रता के साठ वर्षों में, हमें इस बात पर गर्व है कि श्री लालू प्रसाद के कुशल नेतृत्व में रेलवे जिन नई बुलन्दियों को छू रही है, उससे एक बदलाव आया है। उन्होंने यह बात साबित कर दी है कि एक साधारण सा व्यक्ति दिखने वाला व्यक्ति भी इतिहास बना सकता है।

हमें यह बात जानकर प्रसन्नता हुई है कि आपने तमिलनाडु के संबंध में जो नई घोषणाएं की है उसमें आपने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. के. करूणानिधि की मांगों को ध्यान मे रखते हुए कुछ नई ट्रेनों का विस्तार किया है। उदाहरण के लिए एर्णाकुलम – तिरूचिरापल्ली एक्सप्रेस का विस्तार नागौर तक कर दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे मैसूर, तथा नागौर के बीच ट्रेन चलाने का अनुरोध करना चाहता हूं जोकि काफी लम्बे समय से एक घोषणा बनकर रह गई है। आमान परिवर्तन के बाद अब वहां नई बड़ी लाइन पर नागौर से चेन्नई के बीच नई ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता है। यह घोषणा की गई है कि तिरूवरूर और नागौर के बीच एक नई ट्रेन चलाई जाएगी। इसके साथ ही यह घोषणा भी की गई है कि माननीय रेल राज्य मंत्री इस महीने की 27 तारीख अर्थात 27.02.09 को इसका शुभारंभ करेंगे। मैं यहां पर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इसे मूर्त्त रूप देने के लिए तत्कालीन रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा वर्ष 1999 में इसकी घोषणा की गई थी और 1993 में आमान परिवर्तन का कार्य शुरू करने के बाद भी यह लंबित है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस परियोजना को बीच में छोड़ दिया गया। इसके अतिरिक्त तंजौर और नागौर के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए लाए गए स्लीपर्स एवं रोलिंग बार्स को भी हटा दिया गया था लेकिन इस परियोजना को पुनर्जीवित किया गया था तथा अब जाकर यह काम साकार हो सका है। इस अवसर पर मैं सभी उत्तरवर्ती रेल मंत्रियों और विशेषकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. कलइगनार करूणानिधि का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस अवसर पर मैं भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा. के.आर. नारायणन को भी याद करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नागापट्टिनम के लोगों के अनुरोध पर इस संबंध में विशेष रूचि लेते हुए इस परियोजना को लागू करने की सिफारिश की थी।

मनमदुरई–तिरूवरूर–थिरूतुरईपोंडी–मुथूपेट–कराईकुडी ब्राड गेज लाइन बिछाने का काम लम्बे समय से लंबित है अतः इस संबंध में मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के अनुरोध पर गौर किया जाए। थिरूतुरईपोंडी और अगस्थीयानपल्ली के बीच ब्राड गेज लाइन बिछाने संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और यह परियोजना धनाभाव के कारण लंबित है। मैं माननीय रेल मंत्री से इसे शीघ्र पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

इसी प्रकार नीदमंगलम–मन्नारगुडी–पट्टुकोट्टई को जोड़ने के लिए नई रेल लाइन बिछाने संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन और सर्वेक्षण का काम काफी समय पहले पूरा होने के बाद भी इसका काम शुरू नहीं हो सका है। कोयम्बटूर और नागौर के बीच एक नई ट्रेन शुरू किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि दक्षिण में विशेषकर केरल तथा कर्नाटक में अनेक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण तीर्थस्थल केन्द्र है और इसलिए लोग

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री ए. के. एस. विजयन]

तमिलनाडु के इस भाग में आते हैं। अन्त में, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे नागापट्टिनम से थिरूतुरईपोंडी तथा थिरूफ्कूवलई को जोड़ने के लिए ब्राड गेज लाइन बिछाने हेतु और अधिक धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करता हूं।

*श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरि) : प्रारंभ में, मैं माननीय रेल मंत्री को विकासोन्मुख तथा जनहितैषी अंतरिम बजट (2009–2010) प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद तथा बधाई देना चाहता हूं। डा. मनमोहन सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री के योग्य तथा कर्मठ नेतृत्व के अधीन हमारी रेलवे ने सबसे ज्यादा विकास किया तथा राजस्व संग्रहण, विकास तथा यातायात में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की। हमारी सरकार ने लगातार यात्री किराये में वृद्धि नहीं की तथा मालभाड़ा दरों को इष्टतम बनाए रखा। वस्तुतः बार–बार विगत में पेट्रोल, डीजल, इस्पात, सीमेंट, आगम लागतों तथा प्रशासनिक व्ययों में तेजी से वृद्धि होने के बावजूद यात्री किराए में कमी की गई है तथा इस वर्ष किराए में 2% तक कमी की गई है। श्री लालू जी की साहसिक पहल तथा सक्षम प्रशासन के चलते हमारी रेलवे ने 90,000 करोड़ रुपयों का लाभ कमाया तथा 1,000 किमी नई रेल लाइन बिछाई। दिल्ली–मुम्बई माल ढुलाई गलियारा एक स्वागत योग्य कदम है तथा सं.प्र.ग. ऐसी और मालढुलाई गलियारों को बचाने के लिए कदम उठा रही है।

देश में रेल नेटवर्क में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। नई गरीब रथ की शुरूआत निम्न मध्यवर्ग तथा गरीब लोगों को वातानुकूलित डिब्बों का आनंद उठाने में सहायक होगी। विभिन्न रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि तथा विस्तार से रेलवे के यातायात विकास को बढ़ावा मिलेगा।

महोदय, रेलगाड़ियों में बड़ी संख्या में डिब्बे खराब गंदे तथा अस्वास्थ्यकर स्थिति में हैं। उनकी उचित ढंग से सफाई भी नहीं होती है। कई डिब्बों में पंखे तथा बल्ब कार्य नहीं कर रहे हैं। डिब्बों की सफाई के लिए पर्याप्त कदम उठाया जाने चाहिए। अकसर रेलगाड़ियों में दी जाने वाले चादर तथा तकियों के खोल भी गंदा होते हैं। रेलवे को साफ चादर तथा तकिए का खोल देने के लिए कदम उठाने चाहिए।

महोदय, राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में जन संशोधन प्रणाली ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। कई बार तो कोई घोषणा नहीं की जाती है। मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में जन संबोधन प्रणाली के प्रस्तावित विस्तार के अलावा रेलवे को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रणाली राजधानी तथा शताब्दी रेलगाड़ियों में प्रभावी ढंग से कार्य करें।

महोदय, रेलगाड़ियों का लगातार विलंब से चलना रेलवे यात्रियों के लिए एक और चिंता का कारण है। रेलगाड़ियों के विलंब से चलने को रोकने के लिए पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं रेलमंत्री से मांग करता हूं कि सुरक्षा के साथ समय की पाबंदी को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा विलंब से चल रही रेलगाड़ियों के यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

कुल मिलाकर, सं.प्र.ग. सरकार के कार्यकाल में प्रस्तुत सभी रेल बजटों का समाज के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया गया। तथापि, मैं खेदपूर्वक कहता हूं कि निम्नलिखित कतिपय क्षेत्र बाकी हैं तथा इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(एक) तिरूवथूर, कांडिली, बरूगूर, ओरधम, कृष्णागिरि तथा सुलागिरि होकर ओलारपेट्टाई तथा होसूर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने की मांग लंबे समय से लंबित है। इस संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि तिरूपत्तूर से कृष्णागिरि (42 किमी) के बीच स्वतंत्रता पूर्व, अर्थात् 1942 से पहले से रेल लाइन थी। यह अत्यंत लाभदायक तथा उस क्षेत्र में परिवहन के लिए आसान थी। बाद में इसे त्याग दिया गया तथा इसे छोड़ने के कारणों का कुछ पता नहीं चला। इस लाइन के हिस्से अभी भी विद्यमान हैं। कृष्णागिरि, तिरूपत्तूर तथा बारूगुर तमिलनाडु के बड़े व्यावसायिक केन्द्र हैं। यदि इस लाइन को शुरू किया जाता है तो इससे व्यावसायिक वस्तुओं तथा जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के रूप में रेलवे को काफी ज्यादा राजस्व मिलेगा। इससे, इस क्षेत्र के व्यापारियों, निर्माण श्रमिकों, कृषकों, आम उत्पाद एककों, विद्यार्थियों तथा बड़ी संख्या में लोगों को लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा, इस क्षेत्र के अर्द्धसैनिक कार्मिकों के निवासी भी पर्याप्त रेलगाड़ी सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं। मैंने कई बार सभापटल पर माननीय मंत्री के सामने तथा बाहर भी इस मामले को उठाया है तथा मंत्री जी ने जल्द कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। इसके बावजूद इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह परियोजना कृष्णागिरि जिले की लंबे समय से लंबित मांग है तथा लोग आशा करते हैं कि इस परियोजना को जल्द–से–जल्द पूरा किया जाए। अतएव, मैं मांग करता हूं कि इस परियोजना का बिना विलंब किए कार्य शुरू किया जाए।

(दो) होसूर तेजी से सूचना प्रौद्योगिकी का एक बड़ा केन्द्र बनता जा रहा है। होसूर में निकट भविष्य में एक सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, निकट भविष्य में होसूर में भारी रेल यातायात की अपेक्षा की जा सकती है। इसलिए, होसूर रेलवे स्टेशन का पुनरूद्धार तथा आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। होसूर तथा बंगलौर के बीच और ज्यादा

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

रेलगाड़ी सेवाओं का परिचालन किया जाना चाहिए तथा यातायात के त्वरित आवागमन के लिए जल्द से जल्द विशेषरूप से इस लाइन का विद्युतीकरण किया जाना चाहिए;

(तीन) इस तरह की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं कि रेलवे में अच्छे तथा स्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ नहीं दिये जाते हैं। यद्यपि रेलवे ने खाद्य वस्तुओं की कीमत कई बार बढ़ाई है पर गुणवत्ता का पालन नहीं किया जाता है तथा इस दौरान मात्रा में भी कमी कर दी है। इसके अलावा, रेलवे में एक स्थान से दूसरे स्थान में खाद्य वस्तुओं की दरों में काफी ज्यादा अंतर है। इसके अलावा, लंबी दूरी के यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें चलती रेलगाड़ी में या रेलवे स्टेशन पर अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ नहीं मिल पाते। अतएव, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि रेलवे में दी जाने वाली खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की बार–बार तथा नियमित जांच की जानी चाहिए।

(चार) और ज्यादा गरीब रथ शुरू किए जाने का समाज के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया गया है तथा रेलगाड़ियों के टिकट काफी समय पहले बुक करा लिए जाते हैं तथा गाड़ी पूरी भरी होती है। चूंकि दिल्ली तथा चेन्नई के बीच भारी यातायात है तथा ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब रथ रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना चाहते हैं, मैं रेल मंत्री से मांग करता हूं कि उपर्युक्त रेलगाड़ी की बारंबारता साप्ताहिक से बढ़ाकर कम से कम सप्ताह में तीन बार की जाए।

(पांच) गरीब रथ रेलगाड़ियों में विशेषरूप से हजरत निजामुद्दीन–चेन्नई के बीच रसोई यान की कोई सुविधा नहीं है। यात्री, विशेषरूप से, महिलाएं, बच्चें तथा वृद्ध लंबी यात्रा में खाना, पानी, चाय/काफी इत्यादि प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करते रहे हैं। इसके अलावा, उपर्युक्त रेलगाड़ी हमेशा कई घंटे विलंब से चलती है तथा गंतव्य स्थल पर बेवक्त पहुंचती है। अतएव, मैं माननीय रेलमंत्री से गरीब रथ रेलगाड़ियों में तुरंत रसोईयान सुविधा प्रदान करने की मांग करता हूं।

(छह) चेन्नई एगमोर तथा सेंट्रल रेलवे स्टेशनों को जल्द जोड़ने की मांग तमिलनाडु के लोगों की लंबे समय से लंबित मांग है तथा इस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य शुरू करना चाहिए।

(सात) वेलाचेरी–सेंट थामस माउंट एस आर टी एस लाइन को जल्द से जल्द पूरा करना।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको इस रेल बजट संबंधी बहस में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं तथा इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहीं से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति है।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंतरिम रेल बजट पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

जैसाकि आप जानते हैं, रेलवे देश की आर्थिक सम्पन्नता की जीवन रेखा बन गया है। हमें यह दावा करते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय रेल ने गत पांच वर्षों में 90,000 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं और एक बड़ा कायाकल्प किया है। यह नोट करना अत्यंत निराशाजनक है कि इस उपलब्धि के लाभ को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाने का कोई सच्चा प्रयास नहीं किया गया है। इस संदर्भ में, मैं अपना भाषण एक कविता के माध्यम से आरंभ करना चाहूंगा और मैंने अनुवादक से अनुरोध किया है कि मेरी कविता अनुदित हो। (अंग्रेजी में अनुदित)

ग्लोरी टू द रेलवे मिनिस्टर लालू जी,
यू हैव हुडविन्कड द पीपूल ऑफ उड़ीसा।
यू शोड देम (इन योर बजट) योर लैन्टर्न
यू विल सून फेस द इलेक्शन।
द पीपूल आफ उड़ीसा आर
ब्लोइंग द कॉच टू
लूजेन योर व्हील एण्ड एक्सल
कांग्रेस इज एम्प्यूटेटिंग इट्स ओन लिम्ब्स
ड्राइविंग दूवाड्र्स डिसट्रक्शन
इन प्लेट ऑफ डेवलपमेंट
मे यूपीए हैव द
गुड सेंस टू पे अटेन्शन
टू द प्रोग्रेस ऑफ रेलवे इन उड़ीसा।

जैसा कि आप जानते हैं, उड़ीसा में विशाल प्राकृतिक संसाधन है। यहां कोणार्क जैसे सुन्दर मन्दिर हैं जिनका विश्व कलाकृति मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसाकि आप जानते हैं हमारे यहां प्रसिद्ध पुरी मन्दिर है जो सदियों से शांति और भाईचारे की शिक्षा देता है। अनुसूचित जाति का 'दासिया' भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त है। एक मुस्लिम 'सलबेगा' भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त है। यह राष्ट्रीय एकता, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक सार है जिसके लिए हमारे विद्वान मित्र वर्षों से संघर्ष करते रहे हैं। मूल शिक्षा उड़ीसा की भूमि से दी जा रही है। किन्तु यह वास्तव मे दुखद है कि आजादी के साठ

[श्री ब्रह्मानंद पंडा]

वर्षों के बाद भी रेलवे लगातार उड़ीसा के साथ भेदभाव कर रहा है। उन्होंने न केवल इस वर्तमान अन्तरिम रेल बजट में उड़ीसा राज्य के प्रति घोर उपेक्षा दिखायी है बल्कि उन्होंने अन्याय भी किया है।

एक कहावत है कि सभी रेलमार्ग बिहार को जाते हैं। ऐसा कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। 43 नई रेलगाड़ियों में से 10 रेलगाड़ियां बिहार राज्य जाती हैं। रेल अवसंरचना के उन्नयन से संबंधित सभी सुविधाएं बिहार को उपलब्ध करायी गयी हैं। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु हम चाहते हैं कि देश समान रूप से सम्पन्न हो। हम चाहते हैं कि देश के सभी हिस्सों की आर्थिक विकास में समान हिस्सेदारी हो और समानता बनाये रखी जानी चाहिए; अन्यथा इससे असमानता फैलेगी तथा सरकारी तंत्र में आस्था समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय एकता दाव पर होगी। जब कभी कोई भी कल्याणकारी उपाय शुरू किए जाते हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

भारत अपने आप में एक खूबसूरत देश है। सदियों से हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व है। दुनिया के विभिन्न भागों से विभिन्न जाति, नस्ल और धर्म के लोग यहां इकट्ठा हुए हैं क्योंकि भारत के सामाजिक जीवन की वास्तविक मधुरता अत्यंत सुन्दर है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री से अपील करता हूं कि जहां तक उड़ीसा में रेल अवसंरचना के विकास का प्रश्न है उन्हें विशेष प्राथमिकता देनी चाहिए।

आज, दिल्ली में समाचार पत्रों में एक आलोचना यह भी आयी है कि माननीय रेल मंत्री ने अपने बिहार राज्य के लिए एक बड़ा हिस्सा अलग रखा है। ये सब सुविधाएं उन्हें मिले किन्तु उड़ीसा जैसा पिछड़ा राज्य जो दलित, जनजातीय लोग तथा अनुसूचित जाति बहुल राज्य है, को भी उसका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे विद्वान मित्रगण कंधमाल जिला का रोना रो रहे हैं। आजादी के 60 वर्षों के बाद भी लोगों ने कंधमाल में रेल पटरियां नहीं देखी हैं। यह उनके लिए एक सपना हो गया है। अतः राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को संपर्क सुविधा प्रदान की जानी चाहिए ताकि सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जा सके और हम भारतीय समाज और संस्कृति में एक साथ रहें।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं श्री नवीन पटनायक के कर्मठ नेतृत्व में उड़ीसा में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई है। उड़ीसा के पास लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज और बाक्साइट का प्रचुर भण्डार है। हमारे पास चिल्का जैसी खूबसूरत झील है। मैंने यहां कई अवसरों पर वह कविता सुनायी है। विद्वान कवि तथा कांग्रेस पार्टी के संस्थापकों में से एक गोपबन्धु ने रेलगाड़ी में यात्रा के दौरान उड़ीसा में (अंग्रेजी में अनूदित) निम्नलिखित पंक्तियां सुनायी थी :

ओ ट्रेन स्टाप फार ए मोमेन्ट
लैट मी इन्ज्वाय द स्प्लेंडर ऑफ
ए फोट्रेट काल्ड चिल्का।

अतः हमें इसका गर्व है कि भारत की अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता है। रेल मंत्री मेरे पड़ोसी राज्य के रहने वाले हैं। जब मैं रवेनशॉ कालेज स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था तब मैंने राज्य के प्रमुख कालेज, रवेनशॉ कालेज के शताब्दी समारोह को संबोधित करने के लिए श्री जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया था। अतः बिहार के साथ सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संबंधों के मद्देनजर स्वभाविक रूप से माननीय मंत्री से हमारी अपेक्षाएं और अधिक हैं। अतः हम अपेक्षा करते हैं कि जहां तक उड़ीसा का प्रश्न है माननीय रेल मंत्री निश्चित रूप से विशेष प्राथमिकता देंगे।

इस संबंध में, मैं माननीय उपाध्यक्ष का ध्यान उड़ीसा की लम्बे समय से जारी परियोजनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। भूतपूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी पार्टी सदस्यों द्वारा माननीय रेल मंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री को कई ज्ञापन सौंपे गये थे। यह वास्तव में आश्चर्यकारी है कि जहां तक उड़ीसा की जायज मांगों का सवाल है, रेल मंत्री द्वारा आज तक न कोई गंभीर प्रयास किए गए हैं और न ही पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। हरिदासपुर–पारादीप रेल परियोजना लगभग डेढ़ दशक से चल रही है। हमें यह नहीं पता कि यह परियोजना कब पूरी होगी। इस संपर्क सुविधा से पारादीप पत्तन की समृद्धि में सहायता मिलेगी।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पारादीप पत्तन शामिल है जो भारत का एक प्रमुख पत्तन है तथा इसमें कोणार्क मन्दिर भी शामिल है जो विश्व के अजूबों में से एक है। ऐसी परिस्थिति में, मैं माननीय रेल मंत्री से अपील करूंगा कि कुछ विशेष ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा : महोदय, मैं कुछ ही मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। हरिदासपुर–पारादीप तथा खुर्दा रोड – बोलनगिर से संबंधित परियोजनाएं – जो कि फूलबनी तथा अन्य क्षेत्रों को जोड़ेंगी – वे भी उड़ीसा राज्य की लम्बे समय से चली आ रही मांगे हैं। इन सभी परियोजनाओं के लिए रेल विभाग ने कोई विशेष आवंटन नहीं किया है जिसके कारण ये परियोजनाएं कई वर्षों से पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमने हमेशा अपील की है तथा माननीय मुख्यमंत्री ने उड़ीसा राज्य के लिए 1520 करोड़ रुपये की मांग करते हुए रेल मंत्री जी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ये मांगें वाजिब हैं तथा इन्हें तब तक पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक कि रेल मंत्री इस पर विशेष रूप से ध्यान न दें।

जहां तक उड़ीसा की प्रगति एवं समृद्धि का संबंध है उड़ीसा में पोस्को, एस्सार तथा आर्सेलर मित्तल जैसे उद्योगों तथा धामरा, गोपालपुर

आदि जैसे विभिन्न पत्तनों द्वारा निवेश हो रहा है। लेकिन उड़ीसा तथा भारत भी तब तक समृद्ध नहीं बन सकता है जब तक कि वहां पर रेल सम्पर्क विकसित नहीं कर दिया जाता है।

मेरे विद्वान मित्र तथा माननीय रेल मंत्री जी इस बात से भी परिचित हैं कि पारादीप पत्तन ने देश की अर्थव्यवस्था में काफी अधिक आय का योगदान दिया है। वे यह भी जानते हैं कि पूर्व–तटीय रेलवे जोन रेल विभाग को काफी अधिक लाभ कमा कर देता है। लेकिन यह पाया गया है कि समय पर भर्ती नहीं की जाती है। इसके परिणामस्वरूप भर्ती नीति में कोई एकरूपता नहीं है। जब परिणाम प्रकाशित होते हैं तो हमें पता चलता है कि पूर्वी तटीय रेलवे में एक राज्य विशेष के लोगों का अधिपत्य है। अतः कुछ युवकों के एक समूह ने पिछले दिनों मुझसे मिलकर कहा था कि रेलवे उड़ीसा के साथ भेदभाव कर रहा है तथा वे राज ठाकरे के पदचिन्हों पर चलने को बाध्य हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए कोई आशा नहीं बची है। यह हमारे जैसे स्वस्थ देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हमें लोगों के दिमाग में हताशा पैदा नहीं होने देना चाहिए। युवकों को रेलवे में रोजगार के अवसर मिलने चाहिए क्योंकि रेल विभाग एक बड़ा विभाग है तथा भारत की आर्थिक समृद्धि में योगदान देता है।

कुछ ही दिन पूर्व अर्थात जिस दिन रेल बजट इस सम्मानीय सभा में पेश किया गया था, जाजपुर रोड में एक दुर्दान्त दुर्घटना हुई थी जिसमें न केवल लोग मारे गए जबकि 100 से भी अधिक लोगों को चोटें आई थीं। रेल पटरियों का उचित रखरखाव नहीं किया जाता है तथा सुरक्षा एवं संरक्षा दांव पर लगी है। स्वच्छता भी रेलवे के लिए सपना ही बनकर रह गई है। मैं स्वयं रेलगाड़ी द्वारा कटक से टाटानगर आ रहा था तथा मुझे इस रेलगाड़ी के शौचालय में जाने का अवसर मिला। वहां मैंने पाया कि एक नागरिक के लिए इस शौचालय में जाना मुश्किल भरा काम था। अतः मैं यह बताना चाहता हूं कि ये चीजें केवल दिखावा ही नहीं होनी चाहिए तथा रेलवे में होने वाली इन सभी सुविधाओं की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं अध्यक्ष पीठ को दिल से धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता श्री प्रबोध पाण्डा हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपना भाषण संक्षेप में दीजिए।

श्री प्रबोध पंडा : धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। वैसे तो मैं अन्तरिम रेल बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं लेकिन ऐसा कहते हुए मैं कुछ मुद्दों पर अपना विरोध जताना चाहता हूं।

महोदय, जहां तक मुझे याद है इस सम्मानीय सभा में लालू जी ने अपने पहले बजट में कुल्हड़ भी शुरू किए जाने के प्रस्ताव किया था। उनके इस अन्तिम बजट में बुलेट ट्रेन की बात कही गई है। उन्होंने कुल्हड़ के विचार से शुरूआत की तथा अब बुलेट ट्रेन के विचार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने भारतीय रेल की बहुत ही सुखद स्थिति का बयान किया है।

रेलवे के बारे में मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूं। प्रारंभ में मैं रॉलिंग स्टॉक, पुलों एव रेलपटरियों की सुरक्षा के संदर्भ में सी एंड ए जी की रिपोर्ट का हवाला दूंगा। सी एंड ए जी ने उच्चतर धुरी भार सहित मालगाड़ियों को चलाने के लिए अनुमति देने के लिए, जिससे सुरक्षा को खतरा होता है, भारतीय रेल की खिंचाई की है। और इसके कारण जंजीर फेल होने, कपलर फेल होने वैगन की बॉडी को नुकसान होने के मामलों में वृद्धि हुई है। सी एंड ए जी की रिपोर्ट, जो संसद में पेश की गई है, में भारतीय रेल पर सुरक्षा के मानदंड सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों का उल्लंघन किये जाने का आरोप लगाया गया है। सी एंड ए जी ने चेतावनी दी है कि भार में वृद्धि करने की अनुमति देने से रेल की पटरियों, पुलों तथा रोलिंग स्टॉक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा रेलवे को तुरन्त कार्रवाई करने को कहा है। सी एंड ए जी ने खेद व्यक्त किया है कि सी एंड ए जी द्वारा दी गई चेतावनी को रेलवे बोर्ड ने नजरअंदाज किया है। 13 फरवरी अर्थात जिस दिन लालू प्रसाद जी ने अन्तरिम रेल बजट प्रस्तुत किया, को हुई दुर्घटना सी एंड ए जी की रिपोर्ट को नजर अंदाज किये जाने का ही परिणाम है।

केवल यही नहीं। माननीय मंत्री जी को इस दुर्घटना की जानकारी हो सकती है। मैं समझता हूं कि उन्हें यह रिपोर्ट मिल चुकी है। मुझे आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र खड़गपुर से रिपोर्ट मिली है कि जब हम रेल बजट पर चर्चा कर रहे थे खड़गपुर में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। मुझे नहीं मालूम वहां क्या हो रहा है। होने वाली दुर्घटनाओं में कमी का इनके दावे की इस सभी दुर्घटनाओं से पोल खुल गई है। ये दुर्घटनाएं मुख्यतः सी एंड ए जी की रिपोर्ट को भारतीय रेल द्वारा नजर अंदाज करने के कारण हो रही हैं।

अब मैं लाभ अर्जित करने के पहलू पर आता हूं। रेल मंत्री ने भारतीय रेल द्वारा अर्जित लाभ की बहुत ही सुखद स्थिति प्रस्तुत की है।

लेकिन मैं समझता हूं कि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने भारतीय रेलवे द्वारा लाभ कमाने के जोर–शोर से किए गए दावे की हवा निकाल दी है। इस रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष यह है कि भारतीय रेल को मात्र नौ महीनों में कन्टेनर ट्रैफिक में मूल्य निर्धारण की वजह से 801.67 करोड़ रुपये का घाटा उठाना पड़ा। दरों को निर्धारित स्तर से कम रखकर अविवेकशील मूल्य निर्धारण किए जाने के कारण भारी घाटा हुआ। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट यही कहती है। मुझे

[श्री प्रबोध पाण्डा]

पता नहीं कि स्वयं मंत्री महोदय इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे।

अब मैं यात्री किरायों का जिक्र करना चाहता हूं। हां, तकनीकी रूप से पांच वर्षों से किराये नहीं बढ़े हैं। परन्तु अनेक परोक्ष कीमतें बढ़ा दी गयी हैं। भारतीय रेल ने संसद से अनुमोदन लिए बगैर और संसद को नजरअंदाज करते हुए, रेल बजट पारित होने के पश्चात अनुपूरक प्रभारों के नाम पर अनेक प्रकार के कर लगाकर यात्रियों से हजारों करोड़ रुपये वसूले हैं।

इस प्रकार मेरा यह अनुरोध है। जहां तक रेलवे द्वारा ट्रैफिक लेनदारियों का प्रश्न है, रेलवे ने ओ.ए.एफ. अतिरिक्त प्रभारों के माध्यम से भारी लाभ कमाया है। इनमें सबसे बड़ा प्रभार यात्रियों द्वारा तत्काल आरक्षणों के लिए अतिरिक्त कीमत का भुगतान किया जाना है। यह यात्रियों पर कराधान है। श्रेणी बदलने के नाम पर यह सब क्या हो रहा है? एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट रेलगाड़ियों का दर्जा दे दिया गया है। इसके लिए यात्रियों को अपेक्षाकृत अधिक किराए का भुगतान करना पड़ता है लेकिन सुविधाएं यथावत हैं और इन सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी गयी हैं। यह एक चाल है। मुझे विवेकानन्द की उक्ति उद्धृत करने दें – किसी चाल के माध्यम से कोई अच्छा कार्य नहीं किया जा सकता। परन्तु यह रेल मंत्रालय की चाल है।

अब मैं खानपान सेवा समिति का जिक्र करूंगा। खानपान सेवा नीति मुख्यतः कॉरपोरेट क्षेत्र और अरबपतियों एवं करोड़पतियों के हित को ध्यान में रखकर बनायी गयी है, न कि आम जनता, गरीब जनता अथवा बेरोजगार युवकों के हितों को ध्यान में रखकर। सभी प्रकार की खानपान सेवा नीति में परिवर्तन किया गया है। यह पहले ही कहा जा चुका है कि संगठन आवश्यक रूप से वही होगा, परन्तु राजनीति एवं सोच में व्यवहारिक परिवर्तन आया है। हां, निजीकरण किए जाने की चर्चा है। आउटसोर्सिंग किए जाने की चर्चा है। यह चल रहा है निजीकरण, आउटसोर्सिंग और इसी प्रकार की अन्य चीजें चल रही हैं। इन सभी चीजों को किसके लिए अपनाया जा रहा है। इस संबंध में मुझे एक उदाहरण देने दें।

मुझे यह बताने दें कि प्रशासनिक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर के अंदर एक रेल यात्री निवास स्थित है। इसे अब जिंजर होटल द्वारा चलाया जा रहा है जो कि टाटा का एक उद्यम है। पहले यह पूर्णतया रेलयात्रियों के प्रयोग के लिए था जो 50 रुपये और 250 रुपये के बीच प्रतिदिन का नाममात्र का शुल्क अदा करके इसे बुक करवा सकते थे। अब इसे टाटा इन्टरप्राइजेज को पट्टे पर दे दिया गया है। इसका अधिग्रहण किए जाने के बाद से कमरे का किराया 1,199 रु. प्रतिदिन हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अन्य बातों का भी जिक्र करूंगा।

यह कहा जा रहा है कि यात्रियों को अनेक सुविधाएं दी गयी हैं। स्थानीय यात्रियों के बारे में क्या कहना है? उप नगरीय यात्रियों की स्थिति क्या है? उनको कोई सुविधा नहीं दी गयी है। कोई ई एम यू रेलगाड़ियां शुरू नहीं की गयी हैं। मैं विशेषकर पश्चिम बंगाल और खड़गपुर के बारे में बात कर रहा हूं। मैं मांग करता हूं कि खड़गपुर से बालासोर तक, जहां विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है, नई ई एम यू रेलगाड़ियां शुरू की जानी चाहिएं।

मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि खड़गपुर के इन–हाउस प्रिंटिंग प्रेस को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के अचानक और अकस्मात् कठोर निर्णय से स्थानीय नागरिकों में रोष है। यह नोट किया जाना चाहिए कि वर्ष 1967 में इसकी स्थापना के समय से उक्त प्रिंटिंग (प्रेस) सही रूप से कार्य करता आ रहा है और दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। मात्रा और गुणवत्ता दोनों दृष्टि से इसमें सुधार आया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है जब केंद्र सरकार विशेषकर शहरी विकास मंत्रालय सरकारी प्रेस का आधुनिकीकरण करने हेतु प्रभावी उपाय कर रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इसे लंबित रखें। इससे वहां दूसरी जटिलता पैदा हो जाएगी और इससे खड़गपुर की जनता में व्यापक स्तर पर रोष पैदा हो जाएगा।

अन्य समस्याएं भी हैं। हजारों लोग रेलवे की जमीन पर दशकों से रह रहे हैं। ये नागरिक हैं। वे लोग रेलवे से संबंधित हैं। रेलवे को उनके बारे में सोचना चाहिए। खड़गपुर में रेलवे की काफी भूमि पड़ी हुई है। कोई भी नया रेलवे उद्योग वहां स्थापित किया जा सकता है। इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस संबंध में विचार करें।

मेरा अंतिम प्रश्न दोहरीकरण से संबंधित है। मंत्री जी को भी पता है कि खड़गपुर से मिदनापुर तक रेललाइन का दोहरीकरण किया जाना अपेक्षित है। सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, राजधानी एक्सप्रेस और अन्य सुपरफास्ट रेलगाड़ियों सहित 58 सवारी रेलगाड़ियां वहां से होकर गुजरती हैं। मात्र 7–8 कि.मी. रेललाइन के दोहरीकरण का कार्य शेष है। मैं आशा करता हूं कि वह इसे अत्यावश्यक समझकर इसी बजट में इसे भी शामिल करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री किरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बा नहीं बोलूंगा, क्योंकि लालू जी का यह आखिरी बजट है। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हमारा प्रदेश पूर्वोत्तर बहुत दूरदराज का क्षेत्र है। जब–जब मैंने रिजर्वेशन के बारे में मंत्री जी से कहा, उन्होंने इसमें अच्छी तरह सहयोग किया और हमारे लोगों को बहुत सुविधा मिली। इसलिए मैं विशेषरूप से रेलवे मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि रिजर्वेशन के मामले में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई।

महोदय, अब मैं दुख प्रकट करना चाहूंगा। दुख इस बात का है कि लालू जी कभी हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र और खासकर मेरे प्रदेश में नहीं गए। आप राष्ट्रीय नेता हैं। आप बहुत पॉपुलर भी हैं। इसलिए आपको एक बार वहां जाना चाहिए था। अगर आप जाएंगे, तो वहां जितने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी समीक्षा करेंगे और उनके जल्दी से जल्दी कम्पलीशन होने में मदद मिलेगी। आपके वहां नहीं जाने के कारण काफी काम रूका है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक–दो मुख्य बातें लाना चाहता हूं। बोगीबल प्रोजेक्ट, जिसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के रूप में लेकर कार्य करने की घोषणा हुई थी, उसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं आपको सीधे–सीधे ब्लेम नहीं करना चाहता हूं। आपने तो घोषणा की है, लेकिन अभी भी बोगीबिल ब्रिज की जो हालत है, जिस स्पीड से वह काम चल रहा है, वह आपके शेड्यूल से कम से कम डेढ़ साल पीछे चल रहा है। हमने अधिकारियों से बात की है और रिपोर्ट भी ली है। उसका काम बहुत स्लो चल रहा है। अगली बार आप रेल मंत्री बनें, न बनें, लेकिन अभी आप अधिकारियों को यहां बुलाकर एक ऑर्डर कर के समीक्षा कीजिए।

महोदय, इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। हमारे संतोष मोहनदेव जी यहां बैठे हुए हैं। उन्हीं की कांस्टीट्यूएंसी से यह रिलेटेड है। वहां से यहां काफी लोग आए और उन्होंने धरना दिया। जन्तर–मन्तर पर जाकर मैंने भी अपनी बात कही। श्री देवेगौड़ा जी के समय में घोषणा हुई। जब श्री राम विलास पासवान जी रेल मंत्री थे, तब फाउंडेशन स्टोन भी ले किया। बरागवैली का जो ब्रॉडगेज का प्रोजैक्ट है, वह इतना स्लो क्यों चल रहा है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। यह बहुत पुराना प्रोजैक्ट है। अंग्रेजों के समय से वहां रेलवे कनैक्टेड है, लेकिन आजाद हिन्दुस्तान में उस प्रोजेक्ट को, उस एरिया को कोई महत्व नहीं दिया गया है। चूंकि संतोष मोहन देव जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने कैबीनेट कुलीग से कहकर उसे जल्दी से जल्दी टेकअप कराएं। यदि इसे टेकअप कर लिया गया होता, तो वहां से इतने युवाओं को यहां आकर धरना नहीं देना पड़ता। इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूं कि इसे जल्दी से जल्दी टेकअप किया जाए।

महोदय, कलैक्शन बहुत ज्यादा किया गया है, यह सबने बोला है। लालू प्रसाद जी बहुत किस्मत वाले मंत्री हैं। जब से वे रेल मंत्री बने हैं, तब से रैवेन्यू बहुत जनरेट हुआ है, क्योंकि हमारे देश की इकनॉमी की ग्रोथ रेट में लगभग पांच वर्ष से लगातार प्रति वर्ष नौ प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई है। इससे जाहिर है कि हमारा रैवेन्यू तो बढ़ेगा ही। उस रैवेन्यू से वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर ले करने में क्या मदद मिली है, यह देखना चाहिए।

महोदय, वहां एक जगह है, जिसका नाम माननीय रेल मंत्री जी को पता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, वह मोकोम सिलैक्ट लास्ट रेलवे स्टेशन है। अंग्रेजों ने जहां तक रेलवे लाइन बिछाई। आजादी के बाद वहां से एक इंच भी रेलवे लाइन आगे नहीं बढ़ी है। यह बहुत दुख की बात है। इसके बारे में भी चिन्ता करनी चाहिए। देश के मध्य भाग में रेलवे के बहुत काम बहुत तेजी से चल रहे हैं, इनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन पूर्वोत्तर के इलाके में रेलवे का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसलिए हमारा प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र, रेलवे के लिए काला पानी के समान है। इसलिए लालू प्रसाद जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जो डेढ़ महीने अभी बाकी बचे हैं, उनमें आपको वहां का एक दौरा जरूर करना चाहिए।

महोदय, रिजर्वेशन का मैंने जिक्र किया, लेकिन उसका हमें जितना कोटा दिया है, उसे बढ़ाने के लिए तो मैंने पिछली बार भी कहा था। कोटे को बढ़ाने के लिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि अरूणाचल प्रदेश में बिहार के ही कितने हजार लोग काम करते हैं, हमें वहां बार–बार कम्पलेंट मिलती है कि हम रिजर्वेशन कराने के लिए जाते हैं, लेकिन सीटें बहुत कम हैं, कोटा बहुत कम है, जिसके चलते लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वे वहां रोजगार के लिए जाते हैं। राज ठाकरे जी के प्रदेश में जो हालत होती है, हमारे यहां वैसा नहीं है। बिहारी भाई लोग वहां सुख और शान्ति से नौकरी कर रहे हैं, उनको आने और जाने की सुविधा तभी मिलेगी, जब आप रिजर्वेशन के कोटे को बढ़ाएंगे।

सिक्योरिटी के लिए बार–बार यह देखने में आया है कि पूर्वोत्तर से लोग रेलवे में जाते हैं, वहां सिक्योरिटी के बंदोबस्त में कमजोरियां हैं। चार दिन पहले मुझे खबर मिली कि जलपाईगुड़ी में अरुणाचल प्रदेश की एक टीम जा रही थी तो आपके टी.टी.ई. ने आकर वहां काफी दिक्कत पैदा कर दी। जब टी.टी.ई. ही लोगों को तंग करने लगेंगे तो

[श्री कीरेन रिजीजू]

रेलवे में गुंडागर्दी की कैसे रोकथाम होगी। ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। रेलवे में पैसेंजर्स को पूरी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए।

हिन्दुस्तान के हर रेलवे स्टेशन पर सफाई का अभाव है, वहां बहुत गंध मारती है। ...*(व्यवधान)* मैंने तो आपको कहा कि मैं पांच मिनट में खत्म करूंगा। मेरे दो मिनट बाकी हैं।

सफाई के लिए आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के 28 मैम्बर बोलने वाले हैं।

श्री कीरेन रिजीजू : इसलिए मैं बहुत कम बोल रहा हूं। अब हमारे दो ही मैम्बर बोलने वाले हैं। रिक्रूटमेंट के मामले में मैं हिसाब रेल मंत्री जी को दिखा सकता हूं कि हमारे प्रदेश से कितने लोग रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट की बात बाकी पार्टी के सदस्यों ने भी कही है कि लोकली रिक्रूटमेंट जब होता है तो नाम तो लोकली होता है, लेकिन लोकल आदमी को उसमें मौका नहीं मिलता है। इसलिए हमारे प्रदेश से भी लोगों को रेलवे में नौकरी करने का आप मौका दीजिए, ताकि हम भी उसमें अपना हिस्सा मान सकें कि भारतीय रेल हमारी भी है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैंने पहले भी कहा है कि वहां इतना पुराना रेलवे ट्रैक है, उसको अभी तक भी क्यों नहीं बढ़ावा मिल रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने कितना प्रावधान रखा है, यह मैं जानना चाहता हूं। इन्फ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो हमारे भालुकपोंग से आपने एक रेलवे लाइन बिछाई, जार्ज फर्नान्डीज साहब ने इसका इनोगरेशन किया था, उसके बाद अभी उसका उपयोग कितना हो रहा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। रेलवे के मानचित्र में हमें जोड़ते हुए इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप रेल बजट पेश करेंगे तो पूर्वोत्तर के लिए स्पेशल पैकेज का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पूर्वोत्तर के लोग खुश नहीं हैं। आज देश के बाकी लोग रेल मंत्री की सराहना कर रहे हैं, लेकिन मैं सराहना नहीं कर सकता, उसके लिए मैं रेल मंत्री से माफी चाहता हूं कि आपकी तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि, हमारे लिए रेल बजट में कोई खास प्रावधान ही नहीं है, इसलिए मैं अपना दुख व्यक्त करते हुए, नाराजगी व्यक्त करते हुए रेल मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सप्लीमेंटरी बजट जरूर लाइयेगा और हमारे प्रदेश के लिए भी आप कुछ प्रावधान रखियेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने सिक्योरिटी की बात कही है। यहां से शाम को 6 बजे लुधियाना के लिए एक शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, उसमें मैंने खुद सफर किया है। उसमें सिक्योरिटी की जब मैंने कम्पलेंट की तो अम्बाला में जाकर सिक्योरिटी मिली, मुझे वहां आकर इन्फोर्म किया। इसलिए मैं कहूंगा कि सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए। दूसरे वह ट्रेन जहां 10 बजे पहुंचनी चाहिए, वह दो बजे पहुंचती है। उसमें सिक्योरिटी बिल्कुल होती ही नहीं है, हालांकि उसमें व्यापारी लोग जाते हैं। इस बात का आप जरा ख्याल करिये।

* **श्री प्रकाश बी. जाधव** (रामटेक) : महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित रामटेक में विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर और 25वां राष्ट्रीय टाइगर सफारी है तथा यह स्थान पुरातत्व विभाग एवं पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकसित है। अनेक जगहों से लोगों का यहां आवागमन होता है लेकिन रामटेक रेलवे स्टेशन जो बहुत ही छोटा है और जहां सौन्दर्य की काफी कमी है, इसके विकास एवं सौन्दर्यीकरण के लिए मैं पूर्व में पत्र व्यवहार कर चुका हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि रामटेक रेलवे स्टेशन का विकास और उसका सौन्दर्यीकरण किया जाए।

नरखेड–अमरावती विदर्भ के इस क्षेत्र में दुनिया का प्रसिद्ध संतरा उत्पादित होता है। इस क्षेत्र से संतरे को रेलवे से जोड़ना आवश्यक है जिससे उत्पादित संतरा बड़ा मार्केट विकसित कर लेगा। काफी वर्षों से इस रेलवे लाइन का काम रूक–रूककर धीमी गति से चला रहा है। कुछ दिनों पहले इस लाइन का काम जोरों से शुरू करने की घोषणा की गयी। इसलिए और गंभीरता से योजना कार्यान्वित करना व लागत मंजूर करना आवश्यक है।

नियापुर–नागनी–नागपुर और विदर्भ की काफी जगह पर पुरानी नैरोगेज (छोटी लाइन) रेलवे लाइन है जो ब्राडगेज होना आवश्यक है। नियापुर क्षेत्र की मिरची दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उसे विकसित कर प्रसिद्ध मिरची अनेक राज्यों तक पहुंचाने के लिए ब्रॉडगेज (बड़ी लाइन) की आवश्यकता है। इस विषय में मैंने पत्र दिया है। कृपया इसका निर्णय और अर्थव्यवस्था करने की प्रार्थना है।

अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि उपयुक्त कार्यों को पूरा करें, जिससे क्षेत्रीय जनता एवं अतिथियों, व्यापारियों व उद्यमियों को उचित सुविधा प्राप्त हो सकती है।

हिन्दुस्तान के भौगोलिक क्षेत्र का अभ्यास करते हुए आपके ध्यान में यह जरूर आयेगा कि (नागपुर) रामटेक जो कि मेरा लोक सभा क्षेत्र है, हिन्दुस्तान के बिल्कुल सेन्टर में स्थित है। देश के चारों ओर जाने वाली रेलगाड़ियां जैसे – नागपुर–छिंदवाड़ा, नागपुर–नई दिल्ली, नागपुर–अमरावती, नागपुर–मुम्बई, नागपुर–गोंदिया मेरे लोक सभा क्षेत्र से रोज गुजरती है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि जिन रेल लाइनों पर कई बार कम से कम साठ से सत्तर पुरूष, बच्चे या बहनों की रेल से कटकर मौत हुई है, ऐसी हत्याओं के लिए सिर्फ 'रेल लाइन क्रासिंग' पर किसी पहरेदार या रेल कर्मचारी का नियुक्त न होना तथा गेट का न होना जिम्मेदार है। इस प्रकार, असमय एवं अचानक होने वाली हत्याओं को आप आसानी से रोक सकते हैं।

मेरी आपसे विनती है कि नागपुर क्षेत्र के कम से कम 25–30 जगह रेल पटरी क्रासिंग की आप अपने सक्षम अधिकारियों के माध्यम से सर्वे करवाएं तथा जल्द से जल्द बिना फाटक वाले क्रासिंगों पर निर्णय लेकर मेरे लोक सभा क्षेत्र की सभी 'बिना फाटक वाले रेल क्रासिंगों' पर तुरंत गेट तथा सिगनल लगवाने की व्यवस्था करने का आदेश निर्गमित करें। सभी जगह ऐसी व्यवस्था होने से अनमोल मानव जानें बच सकती हैं तथा रेलगाड़ियों की आवाजाही बिना रूकावट चल सकती है।

महाराष्ट्र के रेलवे में कार्यरत 18 हजार रेल कुलियों को गैंगमैन के पद पर समाविष्ट किया गया है। गैंगमैन पद का काम काफी संख्या के कुलियों को रास नहीं आ रहा है। अतः उन्हें पुनः कुलियों के काम पर समाविष्ट करने की योजना बनाकर उनकी रोजी–रोटी संरक्षित की जाए।

मेरा पूरा विश्वास है कि आप उक्त महत्वपूर्ण समस्याओं का हल निकालने में सहयोग देंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोया (बोबिली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरिम रेल बजट 2009–10 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

विगत पांच वर्षों में भारतीय रेल ने आम आदमी पर कोई बोझ डाले बिना शानदार प्रगति की है। रेल मंत्री ने सभी श्रेणियों के लिए यात्री किरायों में कमी की है जिसमें उपनगरीय, लंबी दूरी की रेलगाड़ियां, अनारक्षित, शयनयान श्रेणी, वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी शामिल हैं। भारतीय रेल ने 5 वर्षों में 90,000 करोड़ रुपये से अधिक की नकद धनराशि अर्जित की है। भारतीय रेल ने यह कार्य उस समय किया जब दुनियाभर में फार्च्यून 500 कंपनियों सहित सभी कंपनियां विश्वव्यापी मंदी तथा वित्तीय संकट से प्रभावित हैं। मैं रेल मंत्री को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देती हूं क्योंकि लालू जी ने किसी एक कर्मचारी की छंटनी किए बगैर मानवीय चेहरे के साथ ऐसा किया। दूसरी ओर, उन्होंने रेलवे में विभिन्न स्तरों पर रोजगार प्रदान किया है।

रेलवे परिसंपत्तियों की उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार तथा रेलवे कर्मचारियों द्वारा कुशल कार्य के माध्यम से वार्षिक माल लदान नब्बे के दशक में औसत तीन प्रतिशत से बढ़कर 2008 में आठ प्रतिशत हो गया। मैं भारतीय रेल के प्रत्येक कर्मचारी तथा गैर–कर्मचारी को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देती हूं। उन्होंने पिछले पांच वर्षों में भारतीय रेल को वित्तीय लाभ में लाने के लिए एक टीम के रूप में कार्य किया है। रेलवे दुर्घटनाओं तथा हताहतों की संख्या में भारी कमी आई है। इस अवसर पर मैं रेल प्राधिकारियों से पुरजोर अनुरोध करती हूं कि वे अधिक सजग रहें ताकि दुर्घटना दर घटकर शून्य पर आ जाएं।

भारतीय रेल ने ग्राहक सेवा में काफी सुधार किया है, वेबबैंड एटीएम जैसी अद्यतन प्रौद्योगिकियों का कारगर ढंग से उपयोग किया ताकि आम लोगों को और सेवा प्रदान की जा सके तथा उनकी कठिनाइयां कम हो सकें।

गरीब रथ में पूर्णतया वातानुकूलित कोच हैं जिससे लाखों गरीब लोगों को अपनी जिंदगी में पहली बार वातानुकूलित कोच में यात्रा करने की सुविधा का लाभ मिला है।

मैं रेल मंत्री को पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला तथा कश्मीर घाटी को भारतीय रेलवे के मानचित्र पर लाने के लिए बधाई देती हूं। इन क्षेत्रों के लोग रेलवे सुविधा प्रदान करने के लिए लालू जी तथा यूपीए सरकार को निश्चित रूप से याद करेंगे। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि रेलवे ने 2004–05 से 2008–09 के बीच अर्जित 70,000 करोड़ रुपए के अपने निवेश योग्य अधिशेष को अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए निवेश किया। अब भारतीय रेल ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2,30,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी जो दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निवेश की गई राशि से तीन गुना है, जिसका उद्देश्य रेलवे की परिवहन क्षमता में वृद्धि करना तथा संचालन की यूनिट लागत को कम करना है।

भारतीय रेल अपने चल स्टॉक का बेहतर पुनःअभिकल्प करके प्रति वैगन 4100 टन भार ढो सकती है जो कि पहले 2,300 टन था। नए डिजायन वाले खुले वैगन वाली मालगाड़ियों की क्षमता भी पहले की अपेक्षा 22 प्रतिशत से अधिक होगी।

इसी प्रकार यात्री गाड़ियों की क्षमता में भी वृद्धि होगी। माल ढुलाई तथा यात्री भाड़ा अर्जनों में क्रमशः 14 तथा 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल किराया अर्जन भी 15 प्रतिशत बढ़कर 71,854 करोड़ रुपए हो गया।

मैं केन्द्र सरकार को लाभांश के भुगतान में चूक किए बिना अपेक्षाकृत सहजता के साथ छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा]

कार्यान्वयन के लिए रेल मंत्री को बधाई देती हूं, इससे 14 लाख रेलवे कर्मचारियों तथा 11 लाख पेंशनरों को लाभ हुआ है।

मैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में बुलेट ट्रेन चलाने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन कराने के लिए रेल मंत्री को धन्यवाद देती हूं जिसमें मेरे राज्य आंध्र प्रदेश की हैदराबाद–विजयवाड़ा–चेन्नई रेल लाइन शामिल है।

मुझे पूरा विश्वास है कि अगले दो से पांच वर्षों में बुलेट ट्रेन हमारे देश में वास्तव में चलने लगेंगी। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करती हूं कि बुलेट ट्रेन शुरू करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन में हैदराबाद–विजयवाड़ा–विज़ाग को शामिल करने का अनुरोध करती हूं।

मैं प्रशासनिक आधार पर बगलपुर तथा थावे में नए रेल मंडल की स्थापना करने के रेल मंत्री के निर्णय का स्वागत करती हूं। मैं माननीय मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करती हूं कि प्रशासनिक आधार पर वाल्टेयर रेल मंडल की भी स्थापना की जाए। इस मामले में कई संसद सदस्य आपसे अनुरोध कर चुके हैं। इससे ग्राहकों की सेवा में काफी सुधार होगा तथा संचालन में सुविधा होगी तथा इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के लोगों की काफी समय से लंबित मांग पूरी होगी।

मैं रेल मंत्री को नई रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए बधाई देती हूं जिसमें सिकंदराबाद–मानुगुरू सुपरफास्ट दैनिक तथा काचेगुडा के रास्ते जाने वाली सप्ताह में तीन दिन चलने वाली निजामुददीन–बंगलौर राजधानी एक्सप्रेस शुरू करने के लिए रेल मंत्री को धन्यवाद देती हूं। मैं रेल मंत्री को हैदराबाद–विशाखापत्तनम गरीब रथ एक्सप्रेस को चार दिन से बढ़ाकर दैनिक करने तथा निजामुददीन–दुर्ग छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रांति को सप्ताह में दो दिन से तीन दिन करने के लिए धन्यवाद देती हूं।

मैं रेल मंत्री से बोब्बिली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेददामानपुरम में एक आर. ओ. बी. स्वीकृत करने का अनुरोध करती हूं। इससे लोगों की कठिनाई कम होगी तथा समय की काफी बचत होगी। मैं रेल मंत्री से तीर्थयात्रियों के लाभार्थ विशाखा एक्सप्रेस का ठहराव सेगाडैम में, कोरोमंडल एक्सप्रेस का ठहराव विजियानगरम में तथा प्रशांति एक्सप्रेस का ठहराव चिपरूपल्ली में तथा हावड़ा–तिरूपति बाय–वीकली का ठहराव विजियानगरम में देने का अनुरोध करती हूं।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहती हूं कि लालू जी ने भारतीय रेल को एक नयी दृष्टि(विजन) दी है और मैं आशा करती हूं कि यूपीए सरकार सत्ता में नई ऊंचाइयों पर ले जाने तथा विश्व में भारतीय रेल के लिए एक विशेष स्थान बनाने के लिए लालू जी एक बार पुनः रेल मंत्रालय संभालेंगे।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा) : महोदय, शुरू में, मैं इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

हम लगातार रेल मंत्रालय से अनुरोध करते रहे हैं और उसका ध्यान केरल राज्य में पर्याप्त रेलवे विकास न होने की तरफ आकृष्ट करते रहे हैं। बल्कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मंत्री लालू जी ने इस समय केरल राज्य की पूरी तरह उपेक्षा की है ...*(व्यवधान)* यह राज्य रेलवे के विकास के मामले मे अन्य राज्यों एवं क्षेत्रों से पीछे चल रहा है। यह राज्य रेलवे विकास के संबंध में राज्य की समस्याओं के संभाव्य हल निकालने हेतु एक रेल जोन के सृजन की लगातार मांग करता रहा है जिसका मुख्यालय केरल में हो। लेकिन यह मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। मैं आपसे पुनः इस मांग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध करती हूं।

दूसरे इस समय राज्य में रेलवे से संबंधित कोई उद्योग नहीं है। यद्यपि माननीय मंत्री ने पूर्व बजट में आटोकास्ट लिमिटेड के साथ संयुक्त उपक्रम के रूप में माल रेल डिब्बा की विनिर्माण इकाई स्थापित करने का वादा किया था। लेकिन इस दिशा में आगे कुछ नहीं किया गया। मैं मंत्री जी से इस प्रस्ताव को वास्तविक रूप देने के लिए प्रक्रियाओं की अविलंब शुरूआत करने का अनुरोध करती हूं।

केरल के अनेक रेलवे उपरिपुलों को शीघ्र पूरा करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनमें से अनेक अपूर्ण हैं। मवेलीकारा एक व्यस्त जंक्शन है। इस समय इस रेलवे स्टेशन के नजदीक में कोई रेलवे उपरिपुल नहीं है जिससे कयामकुलम के नजदीक कृष्णापुरम पर भी लोगों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त स्थानों पर उपरिपुल बनाने हेतु अविलम्ब कदम उठाए जाएं।

कयामकुलम–मवेलीकारा क्षेत्र में लाइनों के दोहरीकरण संबंधी कार्य पूरा हो गया है। इसलिए इसकी शुरूआत अविलंब करनी चाहिए और मवेलीकारा के उत्तरी भाग के दोहरीकरण कार्य हेतु और निधियों का आबंटन किया जाए।

कयामकुलम एक जंक्शन है और दक्षिणी केरल का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जिसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में उन्नत करने की घोषणा की गई है। तथापि इस समय स्टेशन पर मौजूद सुविधाएं अत्यंत अपर्याप्त हैं।

इस मार्ग पर कोई सूचना केन्द्र नहीं है और चलने वाली अनेक रेलगाड़ियों का यहां ठहराव नहीं है। मैं माननीय मंत्री से इस स्टेशन में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने और इस स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों विशेषकर कोचुवेली–बंगलौर एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने का

अनुरोध करती हूं। मैं मवेलीक्कारा स्टेशन पर साबरी एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की भी मांग करती हूं।

इस क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशनों पर पूरे स्टेशन को कवर करने हेतु छत की पर्याप्त सुविधा नहीं है, जिससे यात्रियों को असुविधा होती है। इसका सुधार करना चाहिए। इस मार्ग में चेंगान्नूर रेलवे स्टेशन है, जहां प्रसिद्ध तीर्थ केन्द्र साबरीमाला है, जहां प्रतिवर्ष तीन करोड़ से अधिक तीर्थयात्री आते हैं। लेकिन इन तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इस स्टेशन पर सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टेशन पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं।

राज्य में रेल लाइनों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। चेंगान्नुर–पंथालम–कोट्टाराक्कारा तिरूवंनतपुरम को जोड़ने वाली एक नई लाइन सर्वेक्षण हेतु बजट में शामिल की जानी चाहिए और चेंगान्नुर एवं साबरीमाला के बीच के वर्तमान सर्वेक्षण को अविलंब पूरा किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद जी यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। यह प्रायः देखा जाता है कि रेलगाड़ियों में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा दांव लगी होती है। इन यात्रियों के साथ लूटपाट एवं उन पर आक्रमण की अनेकों घटनाएं हुई हैं। हाल ही में बदमाशों ने केरल एक्सप्रेस की एक पूरी बोगी के यात्रियों को लूट लिया तथा रेलवे के प्राधिकारी पीड़ितों को कोई सहायता नहीं दे सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने भी इसी समस्या का उल्लेख किया था। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए रेल मंत्रालय को इन रेलगाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय करने चाहिए।

दूसरी बात है कि चेरियानद रेलवे स्टेशन पर लगभग 39 एकड़ रेलवे का भूखंड बेकार पड़ा हुआ है। चेरियानद प्रसिद्ध तीर्थ केन्द्र 'सबारीमाला टेम्पल' के रास्ते पर पड़ता है जहां प्रतिवर्ष लगभग तीन करोड़ भक्त आते हैं ...*(व्यवधान)*

चेरियानद की भूमि आईआरसीटीसी कारखाने के निर्माण में प्रयुक्त की जा सकती है। इस क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग मालाबार एक्सप्रेस और वेनाद एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव चेरियानद स्टेशन पर करने की है, मुझे आशा है कि मंत्री जी इस अनुरोध पर विचार करेंगे।

हमारे नेता ने अन्य बातों का पहले ही उल्लेख कर दिया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : उपाध्यक्ष महोदय, आप सभा का समय बढ़ा सकते हैं, जिससे और सदस्य बहस में भाग ले सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : कितना समय बढ़ाया जाए?

श्री पवन कुमार बंसल : हम एक बार में एक घंटे के लिए कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा का समय एक घंटे बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया। इस अंतरिम बजट को मिलाकर लालू जी का यह पांचवा बजट है। मैं लगातार लालू जी की प्रशंसा करता रहा हूं। मैंने इनसे कहा था कि आप बुलैट ट्रेन चलाइये। मैं अमेरिका, यूरोप की बात नहीं कर रहा हूं। साउथ ईस्ट एशिया में कोरिया, चीन, जापान आदि सब बुलैट ट्रेन चला रहे हैं। मैं इनको बधाई दूंगा कि जब वे जापान गये, तो इन्होंने हमारी बात की सार्थकता को समझा और यहां बुलैट ट्रेन चलाने का ऐलान किया।

सायं 7.59 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव पीठासीन हुए)

लेकिन मैं एक बात के लिए इनको बधाई दूंगा कि पांच साल तक यह इस विभाग के मंत्री रहे। इन्होंने बहुत से काम किये जिन्हें पहले किसी मंत्री ने नहीं किया। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है कि लालू जी से मेरे बड़े निकट के संबंध हैं जो कि आज से नहीं जनता पार्टी और जनता दल के समय से हैं। लालू जी ने इलाहाबाद के लिए कुछ नहीं किया।

रात्रि 8.00 बजे

मैंने मांग की थी कि इलाहाबाद से दिल्ली के लिए एक शताब्दी ट्रेन चलाई जाए। इलाहाबाद बहुत महत्वपूर्ण जगह है, लेकिन लालू जी ने शताब्दी ट्रेन नहीं चलाई। मैंने इलाहाबाद में हवाई जहाज चलवा दिए जो कि असंभव काम था। वह हवाई जहाज कुछ कैपेसिटी के साथ चल रहे है। यह जो इंटेरिम बजट आया है, इसमें भी कई जगहों को इन्होंने नई ट्रेन्स दी हैं, लेकिन इलाहाबाद को एक भी ट्रेन नहीं दी गयी है। मैं चाहूंगा कि मान्यवर कृपया आज यह घोषणा कर दें कि इलाहाबाद से शताब्दी ट्रेन चलाई जाएगी और छपरा से इलाहाबाद के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए। छपरा और बिहार के बहुत से लोग इलाहाबाद में रहते हैं। इलाहाबाद से एक ट्रेन बंगलौर के लिए चला दी जाए, भले ही हफ्ते में दो ही दिन चलाएं। इलाहाबाद से तमाम स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बंगलौर जाते हैं और इलाहाबाद के बहुत से लोग बंगलौर में काम करते हैं। इसी के साथ मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि चीन

[श्री रेवती रमन सिंह]

ने ल्हासा से लेकर बॉर्डर तक फास्ट ट्रेन चला दी है और दो से चार घंटें में चीन की फौज हमारे बॉर्डर तक आ जाती है। लेकिन आपकी नॉर्थ–ईस्ट ट्रेन दिल्ली से असम पहुंचाने में 48 घंटे का समय लेती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यहां से असम के लिए आप ऐसी ट्रेन चलाएं जो दस–बारह घंटों में यहां से असम पहुंच सके। इसके लिए अगर ट्रैक ठीक कराने की जरूरत हो तो उसे कराएं। इसी तरह से एक आरओबी के लिए मैं पिछले साल से कहता आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप उस पर काम शुरू करवा दीजिए। आप वहां आना नहीं चाहते हैं, मैंने कहा कि आप वहां आइए, अक्षयवट के दर्शन कर लीजिए। पहली तारीख से अधिसूचना जारी होगी, उसके पहले ही वहां काम शुरू करवा दीजिए। वहां पर काम अभी भी शुरू हो सकता है। जैसे आपने मेरा इतना काम करवा दिया है, इतना और कर दीजिए, वहां पर काम शुरू करवा दीजिए।

मैं आपको हार्दिक बधाई देते हुए आपके बजट का समर्थन करता हूं।

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, माननीय रेलमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, खूब प्रेम से बात सुनते हैं, यह अलग बात है कि उस पर काम होता है या नहीं। जब हम रेल पर आते हैं और कहते हैं कि रेल में बिहार का स्थान अलग है, तो शायद माननीय मंत्री जी को खराब लगता होगा। यह ठीक भी है, लेकिन जब कोई नई परियोजना चालू होगी, तो बजट में भागलपुर, छपरा, मधेपुरा का नाम पहले आता है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर ये नाम पहले आएंगे तो फिर ऐसा सोचना स्वाभाविक है। मैं यह जानना चाहूंगा कि बड़ौदा, अहमदाबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम, कलकत्ता आदि का जिक्र कम क्यों आता है। अब रेल मंत्रालय में सब प्रकार का काम होता है। बुलेट ट्रेन शुरू हो रही है। सबसे पहले वह पटना से शुरू होगी, उसके बाद अन्य स्थानों से शुरू होगी। अमृतसर, अहमदाबाद, चेन्नई, बैंगलोर के दूसरी रूट कर दीजिए। शायद आपके सर्किट में कलकत्ता और त्रिवेंद्रम इसलिए नहीं है क्योंकि अब पश्चिम बंगाल के लोग आपके साथ नहीं हैं। मेरा आग्रह है कि अपने क्षेत्र का ध्यान रखें, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर फैसला करें। कुछ काम ऐसे होते हैं जो जिनसे वाहवाही मिलती है और कुछ काम ऐसे होते हैं जो मील के पत्थर होते हैं, जिनकी ओर आम आदमी कम ध्यान देता है, पर आलोचना और चर्चा करता है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सुरक्षित चालन, अनमैन्ड रेल क्रासिंग, रेल की साफ–सफाई और इससे मिली–जुली सुविधाओं की ओर दिलाना चाहूंगा।

कुछ ट्रेंस को छोड़ दें, लेकिन अधिकांश ट्रेंस में साफ–सफाई की बहुत बड़ी समस्या है। रेल मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इस ओर आप ध्यान दें। अगर इस दिशा में आप सही ढंग से काम करेंगे तो इसका लाभ यात्रियों को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। यह बात सही है कि आपकी प्रशंसा सब तरफ हो रही है, हम भी करते हैं। मुझे याद है कि नवम्बर 2008 में रेलवे को चार प्रतिशत की ब्याज दर पर 500 करोड़ रुपए का कर्ज मिला था। किसी निजी कंपनी को भी इतनी कम दर पर कर्ज नहीं मिल सकता। यह भी ठीक बात है कि आपको सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है और उसके तहत सारे काम हो रहे हैं।

वैसे तो यह अंतरिम रेल बजट है, अंतरिम रेल बजट में सामान्यतः नई रेलगाड़ियों और अन्य बातों के बारे में घोषणा नहीं की जाती है, लेकिन आपने कुछ नई रेलगाड़ियों और अन्य बातों का अपने रेल बजट में उल्लेख किया है। मैं एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपने आईआरसीटीसी को काम देकर हजारों वैंडर्स के लिए समस्या पैदा कर दी है। हजारों की तादाद में वैंडर्स जो गरीब थे, पिछड़े और अनुसूचित जाति के थे, उनकी सेवाएं समाप्त हो रही हैं और आईआरसीटीसी के माध्यम से जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस ओर ध्यान दें और जो पहले से वैंडर्स की व्यवस्था थी, उसे कायम रखा जाए। यह हमारी समझ में आ रहा है कि अब न तो रेलवे में खादी दिखाई देती है, न कुल्हड़ नजर आता है और न ही स्टेशन पर छाछ देखने को मिलती है, लेकिन मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा। आपने रेलवे स्टेशंस पर मैकडोनाल्ड के सेंटर खोल दिए हैं। इस देश का 70 प्रतिशत आदमी जो गांव में रहता है, वह कहां से मैकडोनाल्ड की चीजों को खरीद कर खा पाएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आम आदमी की एप्रोच के तहत काम होगा, तो आपको वाहवाही मिलेगी। लेकिन दिक्कत यह है ऐसा नहीं हो रहा है। जैसा अभी हमारे साथी कह रहे थे कि उत्तर भारत के कई क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है।

मैं बरेली संसदीय क्षेत्र से आता हूं। बरेली से आगरा का सम्पर्क खत्म हो गया है। वहां आमान परिवर्तन के कारण बरेली से आगरा और मथुरा का रास्ता बंद हो गया है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। दिल्ली से मुरादाबाद रेल लाइन के दोहरीकरण और पुल के निर्माण का काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसमें अभी और समय लगेगा, जबकि यह काम दो साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था। इस कारण इस दिशा में ट्रेंस की संख्या कम हो रही है।

समयाभाव के कारण मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं यह भी जानता हूं कि यह अंतरिम रेल बजट है। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इस ओर ध्यान दें और आम आदमी के हित का ध्यान रखें। मैं कुछ बातें संक्षेप में अपने क्षेत्र की करना चाहूंगा। बरेली उत्तर भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पर डिब्बे सुधार, ट्रेन निर्माण और छोटी लाइन का काम होता था, जो कि अब बंद है। सन् 1984 में जब इस बात

का सर्वे हो रहा था कि कोच फैक्टरी कहां बनाई जाए, तो उस समय सबसे उपयुक्त स्थान आधारभूत संरचनाओं के कारण बरेली को माना गया था। लेकिन राजनैतिक फैसले के कारण बरेली को नहीं चुना गया। बरेली में रेलवे की बहुत बड़ी सम्पत्ति है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो बरेली के लोग आपके आभारी रहेंगे।

श्री लालू प्रसाद : जब आप सरकार में थे, तो उस समय क्यों नहीं किया?

श्री संतोष गंगवार : हमने उस समय आमान परिवर्तन किया था। आगे का काम उसके बाद शुरू होता है। हमारे यहां डिब्बे सुधार और स्लीपर का प्लांट भी था। बरेली अभी तक दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ नहीं है। लश्कर एक्सप्रेस 2161–2162 आगरा–मुम्बई को बरेली तक बढ़ाया जाए। इसी तरह 2461–2462 मण्डोर एक्सप्रेस को भी बरेली तक बढ़ाया जाए। बरेली से दक्षिण भारत के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। आगरा–लखनऊ–चेन्नई एक्सप्रेस को बरेली तक बढ़ाया जाए। त्रिवेणी एक्सप्रेस जो बरेली से शक्तिनगर तक चलती है, उसके एसी थ्री टियर के कोच काफी खराब हालत में हैं। उन्हें बदलने की बात भी आई थी, लेकिन वे अभी तक बदले नहीं गए हैं। इसलिए इस पर तत्काल ध्यान दिया जाए।

मेरा आपसे आग्रह है कि 4313–4314 दादर–बरेली एक्सप्रेस ट्रेन को प्रतिदिन चलाया जाए। इसी तरह रेलगाड़ी संख्या 2435–2436 नई दिल्ली–डिब्रूगढ़ राजधानी ट्रेन जो दो दिन चलती है, उसे कम से कम छः दिन किया जाए। दिल्ली–मुरादाबाद रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। एक इंटरसिटी एक्सप्रेस बरेली–लखनऊ चलाई जाए। पुष्कर एक्सप्रेस का विस्तार करके बरेली तक किया जाए। मैं चाहूंगा कि बरेली से आगरा तत्काल इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई जाए, जिसके बारे में रेल मंत्रालय विचार भी कर रहा है, तो उचित होगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभापति जी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस अंतरिम रेल बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि रेल मंत्री जी अपनी सीमा में जिन कार्यों को कर सकते हैं, उन्हें जरूर करें।

[अनुवाद]

*श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, इस बड़े सरकारी उपक्रम को लाभ कमाने वाली इकाई बनाने के संबंध में रेल मंत्री द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए मुझे कुछ शिकायतें पेश करनी हैं, जिनका अब तक निवारण नहीं हो पाया है। माननीय मंत्री जब केरल के दौरे पर थे तब उन्होंने सभी रेलगाड़ियों का वरकला, श्री नारायण गुरू का मुख्यालय, जो दक्षिण भारत के सबसे बड़े सामाजिक सुधारक थे, में ठहराव देने का वादा किया था। उन्होंने विद्यमान वरकला रेलवे स्टेशन को अतिरिक्त नाम शिवगिरि देने का भी वादा किया था। उन्होंने एक नई रेलगाड़ी शिवगिरि एक्सप्रेस के रूप में देने का भी वादा किया था। रेल प्राधिकारियों द्वारा आज तक इन वादों को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने वरकला शहर के बीच में बंद रेलवे गेट को पुनः खोलने का भी वादा किया था। यह मांग भी मंजूर नहीं की गई है। केरल के लिए नई रेलगाड़ियों के संबंध में लंबे समय से मांग चली आ रही हैं। हमने बजट प्रस्तुत होने के बाद माननीय मंत्री के सम्मुख यह सूची प्रस्तुत की है।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री बहस का उत्तर देते हुए इन्हें मंजूर करेंगे। यह एक आम शिकायत है कि केरल राज्य की रेलमंत्री द्वारा उपेक्षा की जाती रही है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री निकट भविष्य में कोंकण क्षेत्र को शामिल करते हुए एक रेल जोन स्थापित करने के संबंध में कदम उठायेंगे।

रसोई यान सहित रेलगाड़ी में प्रदान की गई सुविधाएं गुणवत्ता से काफी निम्न है। शौचालय का ठीक ढंग से रख–रखाव नहीं होता है तथा घुसने के साथ गंदी बदबू आती है।

अतएव, मैं माननीय मंत्री से अविलंब इन जन शिकायतों को दूर करने का अनुरोध करता हूं।

*श्री सुशील खां (दुर्गापुर) : महोदय, मैं वर्ष 2009–10 के रेल अंतरिम बजट से संबंधित चर्चा पर अपना दृष्टिकोण रखना चाहता हूं। यद्यपि यह लेखा–अनुदान बजट यात्री किराए में कमी करने का वादा करता है, लेकिन कुलियों को नौकरी प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है, जैसा कि वर्ष 2008–09 के पिछले बजट में आपने बताया था। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा परेशान किए जाने से संरक्षण प्रदान करने के लिए रेलवे हाकरों को लाइसेंस प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

मैं रेलवे में बर्न स्टैंडर्ड को सूचीबद्ध करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन यह दुख की बात है कि दूसरा वैगन उद्योग, अर्थात्, ब्रैथ वेट को आपने शामिल नहीं किया है।

रेल पटरियों तथा रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यद्यपि अन्य देशों की तुलना में, यह काफी कम है। लेकिन उसके बावजूद मैं यह नहीं समझ पाया कि स्थायी कर्मचारी क्यों दिन प्रतिदिन कम होते

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सुनील खां]

जा रहे हैं। आप निजी कम्पनियों को केवल सफाई–कर्मचारी ही नहीं वरन् रेलवे के कार्य के अन्य क्षेत्रों में भी भाग लेने हेतु सहायता कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी कम हो रहे हैं। कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं है। उन्हें 12 घंटों से अधिक काम करना पड़ता है। उनके लिए छंटनी का कोई लाभ नहीं है यद्यपि उन्हें जान को जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। 14 जनवरी, 2009 को पश्चिम बंगाल के पूर्व रेलवे के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर स्वर्गीय नरेश महतो (35) को प्लेटफार्म के शेड न. 3 को बिना किसी सहायता के रंगने के लिए कहा गया। उन्हें ठेकेदार के आदेश द्वारा शेड पर रंगने के लिए चढ़ना पड़ा। हाई टैशन लाइन पर कोई नियंत्रण नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप नरेश महतो इसकी चपेट में आ गए तथा वे शेड से मृत शरीर के रूप में नीचे गिरे। मैं नहीं जानता कि उनकी पत्नी को मुआवजा मिलेगा या नहीं।

यात्री सुविधाओं के मामले में प्रत्येक स्टेशन पर तथा प्रत्येक रेलगाड़ी में कमी है। विशेषरूप से सियालदाह राजधानी में आपूर्ति की जाने वाले खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता ठीक नहीं है। मेरे विचार से खाद्य निरीक्षक को सभी खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कहा जाना चाहिए।

मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1996 से आजतक मैं दामोदर नदी रेलवे के बरजोरा होकर बेलियातोर को दुर्गापुर से, जो कि मुश्किल से 20 किमी है, को जोड़ने के संबंध में चर्चा करता रहा हूं। यदि बेलियातोर को दुर्गापुर से जोड़ दिया जाय, तो यह दक्षिण भारत का उत्तर पूर्व, यथा, दार्जिलिंग, असम, त्रिपुरा का प्रवेश द्वारा होगा तथा यह सबसे छोटा मार्ग तथा लाभकारी भी होगा। मैं आपसे सर्वेक्षण कराने के लिए आदेश देने का अनुरोध करता हूं। माननीय मंत्री को यह जानना चाहिए कि बर्जोरा में 40 उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं तथा कुछ उद्योग विशेषरूप से इस्पात उद्योग को लौह अयस्क की आवश्यकता होती है, जो उन खदानों से लाया जाएगा, जो हाल में खोली जाएगी।

इसके आगे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डेढ़ वर्ष पूर्व दुर्गापुर में आर.ओ.बी. की नींव रखते हुए माननीय रेल मंत्री ने हजारों के सामने दुर्गापुर से हावड़ा को जोड़ने के लिए एक चेन्नई रेलगाड़ी देने की घोषणा की थी। मैं 1996 से मांग करता रहा हूं कि दुर्गापुर से हावड़ा तक एक फास्ट पैसेंजर रेलगाड़ी दी जाय, लेकिन उसका कोई उल्लेख इस बजट में नहीं है। केवल पैसेंजर टिकट कम कर दी गई है। एस. वी.टी.सी. तथा अन्य निजी बसें दुर्गापुर से कोलकाता तक चलती है।

अतएव, मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि एक रेलगाड़ी शुरू की जाय जो आपके राजस्व को बढ़ाएगी। मंत्री जी ने दुर्गापुर को माडल स्टेशन क्यों नहीं घोषित किया? सेल की सहायता से स्वचालित सीटी लगाने में क्यों विलंब हो रहा है?

पूर्व रेल के बर्दवान मंडल में मंकर तथा पारज के बीच एक कोंडाईपुर स्टेशन होना चाहिए, जहां से कुछ गांव के लोग रेलगाड़ी में बैठ सकेंगे।

पुनः पूर्व रेलवे के बर्दवान मंडल में गलसी तथा खाना जंक्शन के बीच चंडीतेल हाल्ट है, लेकिन यहां कोई टिकट काउंटर नहीं है जिसके परिणामस्वरूप यात्री वहां उतरते हैं लेकिन चढ़ने का कोई उपाय नहीं है। चंडीतेल एक धार्मिक स्थल है। अतएव, मैं आपसे टिकट काउंटर का प्रावधान करने का अनुरोध करता हूं ताकि यात्री काउंटर से टिकट खरीद सकें। शांतिनिकेतन के विद्यार्थियों तथा पर्यटकों के लिए कुछ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का पानागढ़ स्टेशन पर ठहराव होना चाहिए।

एक दूसरी रेलगाड़ी नागपुर होकर दुर्गापुर–हावड़ा–बरेली तुरंत शुरू की जानी चाहिए।

तीन वर्ष पूर्व दुर्गापुर होकर रानीगंज–बांकुरा (एम.टी.पी.एस.) का सर्वेक्षण कार्य पूरा होना था। यदि यह किया गया है तो धनराशि का आबंटन रेलवे लाइन बिछाने के लिए किया जाना चाहिए।

उत्तर पूर्व के विकास के लिए, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम के लिए रेल संपर्क की आवश्यकता है। इसलिए, चीन, म्यांमार, थाईलैंड तथा बांग्लादेश के साथ रेल नेटवर्क के माध्यम से व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए सिलिगुडी को प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर) : सभापति जी, रेलवे का जो बजट पेश हुआ है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय लालू जी और उनकी टीम ने जो काम लोगों की भलाई के लिए किये हैं, तारीख उन्हें हमेशा याद रखेगी। मैं किसी की बिना बात बढ़ाई नहीं करता, जब तक कि किसी में कोई काबलियत न हो, वह कोई अचीवमेंट करके न दिखाए। हमने देखा कि पांच रेल बजट जो सामने आये, उनसे समाज और देश को बहुत फायदा हुआ है, कोई इस बात को माने या पाने, उसकी इच्छा है। कई लोगों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन जो काम हुए हैं उन्हें कहते हुए कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय लालू जी और उनकी पूरी टीम का, उन्होंने जो काम हमारी स्टेट में किये हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा। हमारे स्टेट में मिलिटेंसी जोरों पर थी, हमारा स्टेट डेन ऑफ मिलिटेंसी था। वहां रेलवे की एक लाइन भी नहीं थी। सांगलदान, माहोर, बक्कर, काजीकुंड, खड़ी और उखड़ा तक के एरिया का बहुत बुरा हाल था। इन एरियाज में सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई ट्रेन वहां नहीं चलती थी। जब रेल का प्रोजेक्ट आया तो रेलवे ने रेल चलाने के साथ–साथ वहां एक लम्बी–चौड़ी सड़क

बनाई, जो पूरे एरिया को कनैक्टिविटी देगी। मैं माननीय लालू जी से मिला और कहा कि पिछले दिनों उस रास्ते को बंद किया गया, काम रोका गया। माननीय लालू जी ने एक टीम बनाई। वहां एक साजिश सी हो रही थी और अगर हम इनसे नहीं मिलते तो वहां जो 700–800 करोड़ रुपया खर्च किया गया, वह बर्बाद हो रहा था। लोग वहां कहने लगे कि पहाड़ खराब हो गये, तबाही हो गयी। इस तरह से वहां लोगों का एक्सप्लॉएटेशन शुरू हो गया था। लेकिन माननीय लालू जी के आशीर्वाद से एक एक्सपर्ट कमेटी बनी है। मैं चाहता हूं कि अगले दस दिनों में वहां काम भी शुरू किया जाए, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट भी ली जाए और जिन लोगों ने वहां इसकी खिलाफत की है, उनकी क्लॉस भी ली जाए कि ऐसा क्यों किया गया?

मैं यह भी रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि हमारे कुछ मसले हैं। आप जानते हैं कि हमारा डिवीजन 1926 में पंजाब के फिरोजपुर में बना और वह हमारे पंजाब का गौरव है। आप दिल्ली से पंजाब आये तो वहां दो डिवीजन्स हैं, अम्बाला भी है और फिरोजपुर भी है लेकिन दूरी केवल 400–500 किलोमीटर है। हमारा 800 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है, अगर इस एरिया को लखनपुर से ले कर फिरोजपुर से जोड़े तो 900 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। मैं बड़ी दिनों से मांग कर रहा हूं कि जम्मू में डिवीजन बनाकर ऑफिस बनाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी कुछ ट्रेनें रात को रोकी जाती हैं और हमारा एरिया जो उधमपुर का है, वहां आपने आवागमन शुरू किया था और वहां से आगे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी रिक्वैस्ट है कि तीन–चार ट्रेनें जैसे मालदा एक्सप्रेस है, हेमकुंड है, गोरखपुर है, हिमगिरी है और हिमसागर है, अगर इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आयेगी।

हमारा कश्मीर का एरिया, डोडा का एरिया, जिससे कनेक्टिविटी रहती है, मेरी सब्मिशन है कि इसे आप जोड़ें। आपने उधमपुर डीएमयू पांच दिन चलाई है, आप उसे पूरे सात दिन चलाएं। हम चाहते हैं कि बुडशेड उधमपुर में नहीं है, जिससे हमारी चीजें बरबाद होती हैं, उसे बनाया जाए। दो ट्रेनें आपने जो चलाई हैं, उनमें टिकट नहीं मिलती है, जैसे फर्स्ट ए.सी. नहीं है, सैकेंड ए.सी. सिर्फ दो हैं, थ्री टायर चार हैं और स्लीपर छह है। मेरी सब्मिशन है कि जो 2446 गाड़ी संख्या है, इसमें दो फर्स्ट एसी कर दीजिए, 4034 गाड़ी में भी दो फर्स्ट एसी कर दीजिए और सैकेंड एसी की चार तथा दूसरे दर्जे की आठ सीटें कर दें। इस तरह से 8 और 12 तथा 12 और 20 स्लीपर कर दें।

सभापति महोदय : लाल सिंह जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। अन्य माननीय सदस्य भी बोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं।

चौधरी लाल सिंह : सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूं। मेरी रेल मंत्री जी से एक और प्रार्थना है कि आपका जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है, पहले हमारे यहां की भर्ती इलाहाबाद से होती थी, अब आपने जम्मू–कश्मीर में भी बनाया है। इसकी प्रोपर यूटिलाइजेशन कुछ नहीं है। आप इसका काम कराएं, उस इलाके को इग्नोर मत होने दें। मेरी मंत्री जी से सब्मिशन है कि जमाना बदला है और आपने बदला है, आपने कम्प्यूटराइज्ड टिकटिंग का काम शुरू किया, लेकिन हमारे कई स्टेशंस हैं; जो इस प्लान में रखे गए हैं; यदि वहां कम्प्यूटराइज्ड टिकटिंग का काम शुरू हो जाए, जो छोटे स्टेशंस हैं, जहां टिकट नहीं मिलती, जैसे कठुआ, बुद्दी, छांगरोलिया, चकदयाला, हीरानगर, खडवाल, सांभा, बियपुर, बड़ीगुहाना। एक कंक्रीट स्लीपर आपने कठुआ में माना भी है। शताब्दी ट्रेन जम्मू में नहीं आती है। मेरी सब्मिशन है कि शताब्दी ट्रेन जम्मू तक आनी चाहिए। भीमकुंड और जम्मू मेल को गगोल में स्टापेज दीजिए।

महोदय, शेष भाषण में सभा पटल पर रख रहा हूं।

[अनुवाद]

*जम्मू और कश्मीर राज्य आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य में जो थोड़े–बहुत उद्योग चल रहे हैं वे राज्य के शिक्षित युवाओं को पर्याप्त रोजगार प्रदान कराने में अफसल रहे हैं। हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में रेल नेटवर्क के विकास हेतु प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जम्मू से बारामुला (कश्मीर) तक रेल नेटवर्क का विस्तार करने के साथ–साथ जम्मू से राजौरी तथा जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले तक हवाई सर्वेक्षण शुरू किया गया है। राज्य में रेलवे लखनपुर से बारामुला तक के 500 किलोमीटर क्षेत्र में अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और 1926 में फिरोजपुर में स्थापित डी आर एम कार्यालय के नियंत्रण में राज्य के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न पदों पर 3000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। फिरोजपुर मंडल जम्मू और कश्मीर से बहुत दूर स्थित है तथा इसे इस क्षेत्र की देखभाल करने के अतिरिक्त तीन राज्यों अर्थात पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के कर्मचारियों पर भी नियंत्रण रखना पड़ता है। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए किसी केन्द्रीय स्थान पर कम से कम एक डी आर एम कार्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। फिरोजपुर, पंजाब के कोने पर स्थित है।

फिरोजपुर मंडल पंजाब राज्य के कोने पर स्थित है और यह फिरोजपुर से बारामुला (कश्मीर) और फिरोजपुर से जोगिंदर नगर (हिमाचल प्रदेश) तक के कम से कम 3000 किलोमीटर लंबे क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण रखने की स्थिति में नहीं है।

यह देखा गया है कि अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू और कश्मीर राज्य को निम्नलिखित रेल सुविधाओं से वंचित किया गया है।

उपर्युक्त के मद्देनजर फिरोजपुर मंडल, जिसमें हजारों किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है, की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता।

*...भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[चौधरी लाल सिंह]

पंजाब राज्य

क्र. सं.	रेलवे स्कंध	स्थान	1926 में स्थापित संख्या
1.	मंडलीय रेल प्रबंधक कार्यालय (प्रशासनिक/ नियंत्रण कार्यालय)	फिरोजपुर 'सामान्य श्रेणी'	3000
2.	डीजल शेड (रेल इंजनों के रखरखाव और ओवरहालिंग हेतु)	लुधियाना बी श्रेणी	1000
3.	रेलवे वर्कशॉप (रेल पहिए और ब्रेक पैड इत्यादि के विनिर्माण हेतु)	'बी' श्रेणी	
4.	ब्रिज वर्क (स्टील के गार्डर पुलों के विनिर्माण हेतु)	जालंधर कैंट 'बी' श्रेणी	1500
5.	डीजल आधुनिकीकरण वर्कशॉप (रेलवे इंजन के कलपुर्जों का विनिर्माण, ओवरहालिंग और रखरखाव हेतु)	पटियाला 'सी' श्रेणी	4000
6.	रेल कोच फैक्टरी कपूरथला (रेल डिब्बों का विनिर्माण)	कपूरथला 'सी' श्रेणी	7500
7.	लगभग संपूर्ण पंजाब राज्य रेल लाइन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।		

हरियाणा राज्य

क्र.सं.	रेलवे स्कंध	स्थान	स्थापित (1968) संख्या
1.	मंडलीय रेल प्रबंधक कार्यालय (प्रशासनिक/ नियंत्रण हेतु)	अंबाला छावनी 'सी' श्रेणी	8000
2.	रेलवे वर्कशॉप (मालगाड़ी इत्यादि की मरम्मत और ओवरहालिंग हेतु)	जगाधरी 'सी' श्रेणी'	4000
3.	रेलवे विद्युतीकरण कार्यालय (संपूर्ण रेलपथ पर इलैक्ट्रिक तारो के साथ रेलवे इंजनों को चलाने हेतु)	अंबाला सी' श्रेणी	1500

जम्मू और कश्मीर के कर्मचारी (जम्मू–बी–2 श्रेणी और श्रीनगर 'बी–1' श्रेणी)

1. जम्मू क्षेत्र में कोई रेल उद्योग नहीं है।
2. जम्मू क्षेत्र में कोई मंडल कार्यालय नहीं है।
3. जम्मू तवी में कोई उत्पादन इकाई नहीं है।
4. जम्मू क्षेत्र में कोई रेलवे वर्कशाप नहीं है।
5. जम्मू क्षेत्र में कोई यातायात लेखा कार्यालय नहीं है।
6. जम्मू क्षेत्र में कोई रेल कोच फैक्ट्री नहीं है।

मंडलीय रेलवे प्रबंधक कार्यालय : (रेलवे के क्षेत्राधिकार में विभिन्न राज्यों में स्थित प्रशासनिक/नियन्त्रण कार्यालय)

क्र. सं.	राज्य	डी आर एम कार्यालय का स्थान	मंडल से मंडल तक की दूरी किलोमीटर में
1.	पंजाब	फिरोजपुर	फिरोजपुर से अंबाला = 234 किलोमीटर
2.	हरियाणा	अंबाला	अंबाला से दिल्ली = 198 किलोमीटर अंबाला से मुरादाबाद = 174 किलोमीटर
3.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद	मुरादाबाद से लखनऊ = 326 किलोमीटर मुरादाबाद से अंबाला = 174 किलोमीटर
4.	दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली से अंबाला 198 किलोमीटर
5.	राजस्थान	जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा	टिप्पणी :– राजस्थान में पांच डी आर एम कार्यालय उपलब्ध कराए गए हैं।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्टतौर पर परिलक्षित होता है कि उपर्युक्त राज्यों में एक या एक से अधिक मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय प्रदान किए गए हैं लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य की पूरी तरह से अनदेखी की गई है जबकि फिरोजपुर से बारामूला के बीच की दूरी 820 किलोमीटर से अधिक है।

राज्य के विकास के लिए जम्मू और कश्मीर से रेल नेटवर्क के परिचालन हेतु विभिन्न संस्थापनाओं की मांग

जम्मू तवी में रेल प्रबंधक मंडल कार्यालय : इस समय तीन राज्यों अर्थात् पंजाब, हिमाचल एवं जम्मू और कश्मीर का रेलवे नेटवर्क मंडल रेल प्रबंधक, फिरोजपुर छावनी (पंजाब) के अंतर्गत आता है। मंडल कार्यालय का गठन ब्रिटिश शासन के दौरान अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व वर्ष 1926 में किया गया था। उस समय रेलवे नेटवर्क पंजाब में पठानकोट तक, हिमाचल के भाग तक ही सीमित तथा जम्मू और कश्मीर रेल संपर्क से नहीं जुड़ा था। अब जम्मू–उधमपुर और उधमपुर–श्रीनगर, बारामूला रेल संपर्क परियोजना के काजीगुण्ड–बारामूला खण्ड के खुलने से पूरा परिदृश्य बदल चुका है। जम्मू से बारामूला की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है जबकि जम्मू से नई दिल्ली की दूरी 600 किलोमीटर है और बीच में तीन डी आर एम कार्यालय अर्थात् एफ जेड आर, यू एम बी तथा दिल्ली मंडल पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त भौगोलिक रूप से लंबी दूरी पर होने के कारण फिरोजपुर मंडल के लिए कश्मीर क्षेत्र में परिचालन का प्रबंधन करना संभव नहीं होगा और इसलिए पंजाब के भाग अर्थात् जम्मू सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों, हिमाचल और संपूर्ण जम्मू और कश्मीर के साथ नया मंडल फिरोजपुर और बारामूला के बीच केन्द्र में स्थित होगा तथा डी आर एम कार्यालय खोले जाने के लिए कठुआ से उधमपुर के बीच का क्षेत्र सबसे वांछित और उचित क्षेत्र है। इससे रेलवे के काम–काज के बेहतर प्रबंधन में सहायता मिलेगी और इस देश के स्थानीय गरीब लोगों के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।

जम्मू से उधमपुर तक रेलगाड़ियों का विस्तार : रक्षा के साथ–साथ पर्यटन की दृष्टि से उधमपुर रेलवे स्टेशन सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। 13 अप्रैल, 2005 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय तथा माननीय रेल मंत्री महोदय श्री लालू प्रसाद जी द्वारा इस स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। माता वैष्णों देवी जी, शिवखोरी, पटनीटॉप, सुधमहादेव, मनसर तथा श्रीनगर के सभी पर्यटन स्थलों पर आने वाले अधिकांश पर्यटक अपनी आगे की यात्रा उधमपुर स्टेशन से आरंभ करने को वरीयता देते हैं क्योंकि उधमपुर से ये सभी तीर्थस्थल तथा पर्यटन स्थल जम्मू तवी की तुलना में निकट हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना की उधमपुर उत्तरी कमान का मुख्यालय यहां है तथा वायुसेना स्टेशन भी रेलवे स्टेशन के काफी निकट है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उधमपुर से केवल दो रेलगाड़ियां अर्थात उत्तर संपर्क क्रांति (2446) और जम्मू मेल (4034) ही परिचालित होती हैं जबकि बड़ी संख्या में पर्यटक, तीर्थयात्री तथा सैन्यकार्मिक यहां आते हैं और वे उधमपुर में रेलवे के बेहतर नेटवर्क से वंचित रहते हैं। यदि जम्मू तवी पर ठहराव वाली कुछ रेलगाड़ियों का उधमपुर तक विस्तार कर दिया जाए तो इससे न केवल इस क्षेत्र के विभिन्न तीर्थस्थलों पर आने वाले यात्रियों को लाभ होगा बल्कि पर्यटकों, सैन्य कार्मिकों के साथ–साथ स्थानीय लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। इससे रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी क्योंकि इन तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों को अपने–अपने गंतव्यों पर पहुंचने के लिए बसें लेनी होंगी। इससे उधमपुर के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

इसलिए, उधमपुर तक और अधिक रेलगाड़ियों का विस्तार विशेषकर निम्नलिखित रेलगाड़ियों के विस्तार की मांग की जा रही है :–

रेलगाड़ी सं.	से तक	विस्तार
2909 (मालवा एक्सप्रेस)	इंदौर से जम्मू तवी	उधमपुर तक
4609 (हिमकुंड एक्सप्रेस)	हरिद्वार से जम्मू तवी	उधमपुर तक
2587 (गोरखपुर एक्सप्रेस)	गोरखपुर से जम्मू तवी	उधमपुर तक
2331 (हिमाचल एक्सप्रेस)	हावड़ा से जम्मू तवी	उधमपुर तक
6317 (हिमसागर एक्सप्रेस)	तिरूवनंतपुरम से जम्मू तवी	उधमपुर तक

उधमपुर तक इन रेलगाड़ियों को चलाने से संपूर्ण भारत के कोने–कोने से आने वाले तीर्थयात्रियों, पर्यटकों तथा रक्षा कार्मिकों का उक्त गंतव्य पर पहुंचना आसान हो जाएगा तथा इससे उन लोगों को भी सहूलियत होगी जो अपने संबंधियों की अस्थियों को पवित्र गंगा में विसर्जित करने के लिए हरिद्वार आते हैं तथा कुम्भ और अमावस्या आदि के दौरान पवित्र स्नान करते हैं।

उधमपुर में माल गोदाम (गुड्स शेड) : उधमपुर यार्ड में माल गोदाम के लिए प्रावधान किया गया है तथा उधमपुर यार्ड के साथ ही सभी पटरियां बिछाई गई हैं। गुड्स यार्ड प्लेटफॉर्म का भी निर्माण किया

[चौधरी लाल सिंह]

गया। परन्तु आज की तारीख तक शेड का निर्माण नहीं किया गया है, जिसके कारण उधमपुर तक वस्तुओं को ले जाना संभव नहीं है। उधमपुर रेलवे स्टेशन के प्रारंभ से ही इस प्रयोजन हेतु किया गया निवेश व्यर्थ पड़ा है।

मुख्यालय मांग कोटा (एच ओ आर कोटा) : इस समय निम्नलिखित रेलगाड़ियों का एच ओ आर कोटा उधमपुर में है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :–

रेलगाड़ी सं.	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी	वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी	वातानुकूलित 3 टियर	स्लीपर
2446	कोई नहीं	2	4	6
4034	कोई नहीं	2	4	6

उक्त किसी भी रेलगाड़ी में उधमपुर से प्रथम कोटा नहीं है लेकिन उत्तरी कमान मुख्यालय, वायुसेना एवं अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आने–जाने से यह देखा गया है कि कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधमपुर से निम्नलिखित कोटा प्रदान किया जाए।

गाड़ी सं.	प्रथम वातानुकूलित	द्वितीय वातानुकूलित	टियर वातानुकूलित	शयनयान
2446	2	4	8	12
4036	2	8	12	20

जारी सवारी गाड़ी सुविधा : वर्तमान में जम्मू से उधमपुर तक वर्ष 2005 में जम्मू–उधमपुर रेल लिंक शुरू होने के बाद से ही दैनिक यात्रियों के लिए डीएमयू के दो रैक ही हैं। ये रेलगाड़ियां पांच दिन चलती हैं तथा शनिवार एवं रविवार को इस सेवा का आंशिक उपयोग होता है, जबकि दैनिक रूप से जाने वाले विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों, आसपास के क्षेत्र के लोगों, वैष्णों देवी के तीर्थ यात्रियों तथा आस–पास के पर्यटक स्थलों के पर्यटकों के कारण इस मार्ग पर यात्रियों की संख्या बहुत अधिक होती है। अतः इन दैनिक यात्रियों को यह सेवा पूरा सप्ताह न चलने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः यह अनुरोध है कि डी एम यू की इस सुविधा को सप्ताह में वर्तमान पांच दिनों के बदले पूरे सप्ताह प्रदान की जाए, ताकि इस मार्ग के दैनिक यात्रियों को यह सुविधा प्राप्त हो सके।

रेलवे भर्ती बोर्ड जम्मू-श्रीनगर का उचित उपयोग : उत्तरी क्षेत्र अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के स्थानीय योग्य उम्मीदवारों को रोजगार की दृष्टि से जम्मू एवं कश्मीर में रेलवे भर्ती बोर्ड स्थापित किया गया था, क्योंकि पहले इन प्रार्थियों को रेलवे के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद जाना पड़ता था। गत दशक में इस क्षेत्र के प्रार्थियों की उपेक्षा की गई है तथा रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उन्हें इस सुविधा से वंचित रखा गया जबकि इस बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र के लोगों को भर्ती करना था। अतः यह मांग की जाती है कि इस क्षेत्र के उम्मीदवारों पर उचित ध्यान दिया जाए।

उधमपुर–श्रीनगर–बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा–लोआल खण्ड से रेल पटरियों के विद्यमान समरेखन कार्य को जारी रखा जाना :–

कटरा–लोआल खण्ड के समरेखन को बदले जाने का प्रस्ताव है। तथापि विद्यमान समरेखन कार्य के लिए सर्विस सड़क, पुलों तथा सुरंगों पर बहुत सारी धनराशि खर्च की जा चुकी है। जनता की बहुत सारी धनराशि जो कि करोड़ों रुपये में है, इस प्रयोजनार्थ पहले ही खर्च की जा चुकी है। अतः विद्यमान समरेखन पर कार्य जारी रखा जाए तथा समरेखन में बदलाव किए जाने के प्रस्ताव को नजरअंदाज किया जाए। विद्यमान समरेखन कार्य को पूरा करने के लिए कुल 800–1000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। अतः समरेखन प्रस्ताव को बदलने का प्रस्ताव रद्द किया जाए तथा विद्यमान समरेखन पर कार्य जारी रखा जाए। इसके अतिरिक्त समरेखन में बदलाव एवं कार्य बंद होने के कारण असंतोष जैसी परिस्थितियां पहले ही इस क्षेत्र में बन चुकी हैं, क्योंकि स्थानीय जनता रोजगार से वंचित हो चुकी है एवं बहुत से छोटे–छोटे ठेकेदारों ने निर्माण कार्य–प्रयोजनार्थ बहुत अधिक धनराशि निवेश कर रखी है तथा इससे निठल्लेपन की स्थिति पैदा हो गई है। रोजगार के अवसर मिलने के कारण इस क्षेत्र के युवक मुख्यधारा में आ रहे हैं तथा आतंकवाद में तेजी से गिरावट आई है। इसके अलावा नए प्रस्तावित समरेखन में कोई स्थानीय जनसंख्या शामिल नहीं होती है, क्योंकि लगभग 70 किलोमीटर रेल लाइन में से लगभग 64 किलोमीटर तो सुरंगों में ही है।

कम्प्यूटरीकृत टिकट प्रणाली स्थापित किया जाना : भारतीय रेल का पठानकोट–जम्मू खण्ड वर्ष 1974 में शुरू हुआ था लेकिन इसके बावजूद भी पठानकोट से जम्मू के बीच के स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत अनारक्षित टिकट प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण छोटी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अनारक्षित टिकट लेने में असुविधा होती है। वर्तमान में निम्नलिखित स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत टिकट प्रणाली नहीं है :–

1. कठुआ
2. बुधि

3. छन अरोरिया

4. चक दयाला

5. हीरानगर

6. छगवाल

7. साम्बा

8. विजयपुर

9. बड़ी–ब्राहनणा

अतः यह अनुरोध है कि उक्त स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत टिकट प्रणाली स्थापित की जाए।

कठुआ में कंक्रीट स्लीपर संयंत्र की स्थापना किया जाना

औद्योगिक विकास का बढ़ावा देने के लिए माननीय रेल मंत्री ने 13 अप्रैल, 2005 को उधमपुर–जम्मू रेल संपर्क परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में यह घोषणा की थी कि कठुआ में एक स्लीपर संयंत्र स्थापित किया जाएगा जिससे इस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। किंतु आज तक इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। अतः यह अनुरोध है कि कठुआ में एक कंक्रीट स्लीपर संयंत्र स्थापित किया जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों से किए गए वायदे को पूरा किया जा सके।

कठुआ में पहिया और धुरी संयंत्र अथवा कोई अन्य रेलवे उत्पादन इकाई की स्थापना

इस क्षेत्र के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर एक पहिया और धुरी संयंत्र अथवा कोई अन्य रेलवे उत्पादन इकाई स्थापित की जाए ताकि पंजाब हिमाचल तथा जम्मू और कश्मीर के इस भाग के बेरोजगार लोगों की आकांक्षाएं पूरी हो सकें चूंकि कठुआ राज्य के बीचोंबीच स्थित है तथा उपर्युक्त संयंत्र/उत्पादन इकाई को शुरू करने का एक आदर्श स्थान है।

1. जम्मू के लिए शताब्दी

2. गंगवाल के लिए हिमकुंड और जम्मू मेल

इस क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मंत्री जी को लोगों की मांगों को पूरा करने तथा सहयोग देने के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि भविष्य में भी आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में राज्य के लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी। इस क्षेत्र के लोगों की ओर से मेरे द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित मांगों को पूरा किए जाने के लिए जनता सदैव आपकी आभारी रहेगी :–

1. आपने सप्ताह में तीन बार चलने वाली गाड़ी सं.–2446 (उत्तर संपर्क क्रांति) को नियमित रूप से पूरे सप्ताह चलाया है।

2. आपने गाड़ी सं.–4034 जम्मू मेल का उधमपुर तक विस्तार किया है।

3. आपके प्रयासों से इस क्षेत्र में कठुआ–बसौली रेल संपर्क का सर्वेक्षण कार्य आरंभ हो गया है।

4. आपके सहयोग से सभी मेल, सुपरफास्ट/राजधानी गाड़ियां कठुआ स्टेशन पर रूकती हैं।

5. आपके द्वारा जिन परिवारों की भूमि का अधिग्रहण रेलवे ने जम्मू–उधमपुर रेल संपर्क परियोजना के लिए किया है, उसके एक सदस्य को रोजगार देने का वादा पूरा किया जा रहा है। रेलवे में रोजगार दिए जाने के संबंध में किया गया वायदा पूरा किया जा रहा है। इस क्षेत्र के लोग काफी प्रसन्न हैं क्योंकि भूमि खोने वाले कुछ लोगों को रेलवे ने रोजगार दिया है।

6. आपने मनवल रेलव स्टेशन पर एक ब्लास्ट डिपो स्थापित करने का वादा भी पूरा किया है जिससे इस क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार सृजित हुए हैं।

मैं, इस क्षेत्र के लोगों की ओर से मेरे द्वारा की गई उपर्युक्त मांगों को पूरा करने के लिए पुनः आपका आभारी हूं।*

[हिन्दी]

***श्री हंसराज गं. अहीर** (चन्द्रपुर) : महोदय, रेल मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। रेलवे इस विकास की वाहिनी है, रेलवे के द्वारा विकास को गति मिलती है। इसलिए रेलवे का कार्य समन्यायी तथा सार्वजनिक होने की आवश्यकता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हर रेलवे बजट में बिहार को ही प्राथमिकता दी जा रही है। यह स्वस्थ परंपरा नहीं है, देश के संसाधनों का समान रूप से वितरण करना अपना संवैधानिक दायित्व बनता है। भेदभाव इस असंतोष का कारण बनता जा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि रेलवे को महाराष्ट्र, मुंबई से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है लेकिन रेल सुविधा को देखें तो यह उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। महाराष्ट्र में विदर्भ के जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्र अविकसित और पिछड़े रहे हैं। इन क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए रेल पटरी बिछाने की आवश्यकता पर मैं बल देना चाहता हूं। रेल मंत्री जी कहते हैं कि हम समाज के पिछड़े, दुर्बल

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हंसराज गं. अहीर]

व्यक्ति को न्याय देंगे, पर ऐसा होता नहीं दिखता। उनके कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने इन जनजातीय, दुर्गम क्षेत्र की उपेक्षा की है। इन क्षेत्रों में भी अन्याय होने से जनता में रोष तथा असंतोष फैला है।

रेल बजट 2008–09 में इस क्षेत्र के बल्लारशाह–आलापल्ली–सूरजागड रेलवे पटरी बिछाने के लिए सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई। हमें आशा थी कि इसका निर्माण सुनिश्चित करने के लिए इस बजट में वित्तीय सहायता के साथ निर्माण की घोषणा होगी, लेकिन रेल मंत्री जी ने इस जनजातीय क्षेत्र की जनता को निराश किया। इसी तरह वडसा–आरमोरी–गडचिरोली रेल पटरी बिछाने के लिए 2004 में सर्वेक्षण होने के बाद इसके निर्माण के लिए लगातार मांग हो रही लेकिन पहले 77 करोड़ की यह परियोजना अब 150 करोड़ रुपये की हो गई है। रेल मंत्री इसके निर्माण में राज्य सरकार से 50 प्रतिशत सहयोग भी चाहते हैं। एक तरफ रेल भारी मुनाफे में है, की घोषणा करने वाले रेल मंत्री जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्र की रेल परियोजना के लिए राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग की दरकार करते हैं। यह दोहरी मानसिकता के कारण हमारे यहां पर रेल का विस्तार नहीं हो रहा। राज्य सरकारें छठे वेतन आयोग के सिफारिशों के बोझ तले दबी हुई हैं। उनसे आर्थिक व्यय की अपेक्षा करना ही व्यर्थ है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से अपील करता हूं कि इस रेल परियोजना को पूरा करने के लिए रेल विभाग स्वयं 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दे। इसी तरह चन्द्रपुर जिले के मुख्यालय शहर में प्रस्तावित बाबूपेठ ओवर ब्रिज के निर्माण में विलंब हो रहा है। स्थानीय निगम तथा राज्य सरकार की उपेक्षा तथा वित्तीय सहायता की अपेक्षा से आर.ओ.बी. का कार्य रुका हुआ है। बाबूपेठ की जनता, जो कि करीब 60 हजार से अधिक है, को इसके कारण सुविधा से वंचित होना पड़ा है, को देखते इसका निर्माण रेल विभाग स्वयं करे। राज्य सरकार से सहयोग की अपेक्षा न रखे।

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के घुग्गुस जो कि औद्योगिक शहर है, से बल्लारशाह–घुग्गुस तथा अन्य औद्योगिक शहर गडचांदुर को आपस में पैसेंजर ट्रेन से जोड़ा जाना चाहिए। चन्द्रपुर शहर में चांदाफोर्ट यह आमान परिवर्तन नया स्टेशन है, इसे चंद्रपुर रेल स्टेशन से जोड़ने का कार्य तत्काल होना चाहिए। रेल मंत्री बजट संशोधन में इसके लिए वित्तीय सहायता के साथ इसके निर्माण की घोषणा करे।

माणिकगड रेल स्टेशन तथा मूल रेल स्टेशन पर संगणकीय टिकट प्रणाली (पी आर एस) व (थी टी एस) सुविधा उपलब्ध कराएं तथा भांदक रेल स्टेशन पर प्रस्तावित आर.ओ.बी. का विस्तार कर इसे शहर के लोगों तथा किसान भाईयों की आवाजाही हेतु रास्ता बनाएं। राजूरा शहर में रेल स्टेशन बनाना प्रस्तावित है। इस रेल स्टेशन के लिए प्रस्तावित स्थान का स्थानीय जनता तथा व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस विरोध का संज्ञान लेकर इसका अन्यत्र स्थानांतरण कराने के लिए तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रपुर शहर औद्योगिकरण के कारण पहले ही प्रदूषण झेल रहा है। शहर के मध्यवर्ती स्थित रेल स्टेशन पर मालधक्के से (गुड्स यार्ड) कोयला, लौह अयस्क तथा सीमेंट की लदान, उतराई से हो रहे प्रदूषण को देखते इसका करीब के ताडाली रेल स्टेशन पर स्थानांतरण करना चाहिए। इसके लिए मैं लगातार अनुरोध करता रहा हूं। बजट में संशोधन के माध्यम से मंत्री जी इसकी घोषणा करें। आमान परिवर्तित चांदाफोर्ट रेल स्टेशन का आधुनिकीकरण कर इस लाइन पर चलने वाली चेन्नई–कोरबा गाड़ी को प्रतिदिन चलाने तथा इसका कोलफाना तक विस्तार करे। चांदाफोर्ट पर दक्षिण से हावड़ा की ओर जाने वाली गाड़ियों का स्टापेज और इस मार्ग से अधिक गाड़ियां दें। बल्लारशाह के प्रमुख स्टेशन होने के कारण यहां गाड़ियों के बढ़ते आवागमन को देखते हुए यहां पीट लाइन का निर्माण तेज गति से किया जाना चाहिए तथा बल्लारशाह–गोंदिया नई ट्रेन शुरू करें और तेलंगाना एक्सप्रेस का बल्लारशाह तक विस्तार करे। मेरे क्षेत्र के वरोरा, भांदक, गाजरी तथा वणी रेल स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर वहां यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए विशेष निर्देश जारी करें और स्थानीय जनता के अनुरोध तथा मांग को देखते यहां पर ठहराव दें।

महोदय, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मांगों को आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने रखा। मैं आशा करता हूं कि रेल मंत्री इसका लोक महत्व ध्यान में रखकर मेरे जनजातीय तथा दुर्गम क्षेत्र के हेतु आवश्यक सुविधा के लिए मंजूरी तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ ही उनीसिकलसेल नामक बीमारी के मरीजों को रेल प्रवास में सहूलियत देने की मांग के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की) : महोदय, माननीय रेल मंत्री ने एक अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें एक बहुत ही प्रभावी कार्य निष्पादन का दावा किया गया है और कुछ किरायों में कटौती की घोषणा की है तथा अन्य लाभों की घोषणा की है जो कि संभवतः रेलवे द्वारा अर्जित 90,000 करोड़ रुपए की अधिशेष राशि को ध्यान में रखते हुए काफी कम नजर आते हैं।

केरल के मेरे सहकर्मियों द्वारा पहले ही अनेक मुद्दों का उल्लेख किया गया है और मैं भी माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसका यहां पर श्रीमती सुजाता ने

अभी उल्लेख किया था। केरल में, खराब हालत वाले, जीर्ण–शीर्ण और बेकार डिब्बे चलाए जा रहे हैं। संसद सदस्यों को मीडिया और आम लोगों की ओर से यह भर्त्सना सुनने को मिल रही है कि रेलवे द्वारा केवल केरल में ही इस प्रकार के खराब हालत वाले डिब्बे चलाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है।

वस्तुतः, यदि आप तुलना करें, तो संभवतः औसतन रेलवे को अन्य किसी राज्य की तुलना में केरल से अधिक आय प्राप्त हो रही है। यह उल्लेख किया गया है कि केरल जाने वाली सभी ट्रेनें असुरक्षित हो गई हैं। अभी–अभी श्रीमती सुजाता ने उल्लेख किया था कि एक डिब्बे को लूट लिया गया और अभी तक रेल प्राधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

महोदय, हम नीमोम में डिब्बों की मरम्मत और ओवरहालिंग करने वाली एक कार्यशाला की मांग करते आ रहे हैं। समस्या यह है कि तिरूवनन्तपुरम मध्य रेलवे स्टेशन पर लगभग 1600 डिब्बे लगते हैं और इन डिब्बों को वर्ष में एक बार ओवरहालिंग के लिए मुख्यतः चेन्नई ले जाया जाता है। औसतन लगभग 130 डिब्बों को प्रत्येक माह ओवरहॉलिंग के लिए ले जाया जाता है। चूंकि उक्त स्थानों पर पर्याप्त क्षमता उपलब्ध नहीं है, इसलिए कार्य पूरा होने में अत्यधिक विलंब हो जाता है। इसलिए नीमोम में एक कार्यशाला की स्थापना राज्य और रेलवे दोनों के लिए काफी किफायती और सुविधाजनक साबित होगी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस पर शीघ्रता से विचार करें।

मैं बुलेट ट्रेनें शुरू किए जाने और मालभाड़ा ढुलाई तथा यात्री आवाजाही दोनों के लिए तीव्र गति वाले गलियारे बनाए जाने के सुझाव का स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने चेन्नई–बंगलौर–कोयम्बटूर–एर्णाकुलम तीव्र गति गलियारे का उल्लेख किया है। वस्तुतः केरल राज्य ने मुंबई से कन्याकुमारी तक एक तीव्र गति वाले गलियारे का अनुरोध किया था, जो कि चार राज्यों, सभी दक्षिणी राज्यों को जोड़ेगा। यह पश्चिमी गलियारे और केरल राज्य के लिए भी अधिक लाभदायक होगा। केरल एक छोटा राज्य है, जहां घनी आबादी है। वहां सड़क का विकास किया जाना काफी मुश्किल है। इसलिए, तटीय क्षेत्र पर, जहां पहले ही रेल लाइनें मौजूद हैं, अत्यधिक भूमि उपलब्ध है, वहां हम अधिक भूमि अधिग्रहण किए बिना मुंबई–कन्याकुमारी तीव्र गति वाले गलियारे का निर्माण कर सकते हैं।

मैंने माननीय रेल मंत्री को लिखा था और माननीय वेलु जी ने यह कहते हुए उत्तर दिया था कि तीव्र गति वाली यात्री ट्रेनों और मालगाड़ी के एक्सल लोड में भारी अंतर के कारण उसी गलियारे में प्रचालनात्मक तौर पर तथा व्यावसायिक रूप से भी उनका प्रचालन उचित नहीं है। हम इससे सहमत हैं।

जहां तक एक संभावित क्षमता के रूप में तीव्र गति वाले रेल गलियारे का संबंध है, रेल मंत्री ने शुरूआती तौर पर पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन के लिए देश के दक्षिणी भाग में दो गलियारों का चयन किया है अर्थात् चेन्नई–बंगलौर–कोयम्बटूर–एर्णाकुलम और हैदराबाद–दोदनाकल–विजयवाड़ा–चेन्नई। मैं अनुरोध करता हूं कि व्यवहार्यता अध्ययन के लिए मुंबई–कन्याकुमारी गलियारे को भी शामिल किया जाए।

प्रायद्वीपीय रेलवे जोन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण जैसे लंबे समय से चल रहे मुद्दे मौजूद हैं। जहां तक दोहरीकरण का संबंध है, एर्णाकुलम–कोट्टायम–कायमकुलम और एर्णाकुलम–अलेप्पी–कायमकुलम खंडों पर दोहरीकरण कार्य पूरा होना शेष हैं। तिरूवनन्तपुरम–कन्याकुमारी दोहरीकरण कार्य पूरा किया जाना चाहिए और शोरानूर–मंगलौर दोहरीकरण कार्य भी पूरा किया जाना चाहिए। जहां तक केरल में रेलवे के विकास का संबंध है, ये दोहरीकरण कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें युद्ध स्तर पर पूरा किया जाना चाहिए।

जहां तक, विद्युतीकरण का संबंध है, तिरूवनंतपुरम कन्याकुमारी खंड और शोरानूर–मंगलौर खंड में भी विद्युतीकरण कार्य पूरे किए जाने चाहिएं, तभी पूर्ण क्षमता का उपयोग हो सकता है और पूर्ण लाभ हासिल किया जा सकता है।

इसी प्रकार, पालक्काड़ में एक डिब्बा कारखाना और अलेप्पी में वेगन कारखाना स्थापित किए जाने का वादा किया गया था और पिछले बजट में इसकी घोषणायें की गई थी, किंतु अभी तक कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए इन बिन्दुओं पर विचार किया जाए। वस्तुतः, उस नुकसान के एवज में एक डिब्बा कारखाना स्थापित का वादा किया गया था, जो पालक्काड़ मंडल के विभाजन के कारण केरल को सहना पड़ा था। अतः, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि केरल से किए गए वादों को पूरा करें और इन बिन्दुओं पर भी विचार करें।

मेरा एक अनुरोध और है मेरा संसदीय क्षेत्र, केरल का इदुक्की जिला, केरल का पहाड़ी भाग है, जिसे अभी रेलवे के नक्शे में छुआ तक नहीं गया है। अतः, मैंने अंगमलि–सबरी लाइन के लिए अनुरोध किया था, जिसे अभी शुरू किया जाना है – जहां तक कोट्टायम जिले में इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का संबंध है – कुछ समस्याएं अवश्य हैं – अंगमालि से तोडुपज्झा तक पहले चरण का कार्य शुरू किया जा

[श्री के. फ्रांसिस जार्ज]

सकता है और इसे पूरा किया जा सकता है तथा लाइन प्रचालन के लिए चालू की जा सकती है। इसे एर्णाकुलम से जोड़ा जा सकता है ताकि इन लाइनों पर उपनगरीय ट्रेनें शुरू की जा सकें और रेलवे इस संपूर्ण परियोजना के पूरा होने से पहले ही आय अर्जित करना आरंभ कर देगा।

केरल के इदुक्की जिले के ऊंचे पहाड़ी इलाकों के लिए मैंने रेल बजट से जुड़ी पिछली चर्चाओं में यह प्रस्ताव रखा था कि यदि डिंडीगुल–थेनी लाइन का कुमाली के निकट लोअर कैंप तक विस्तार कर दिया जाए तो केरल के ऊंचे पहाड़ी इलाकों को भी रेल के साथ जोड़ा सकता है। हालांकि माननीय वेलु जी ने पहल की थी और मुझे बताया गया है कि यह परियोजना योजना आयोग के समक्ष लंबित है। मैं लालू जी और वेलु जी से आग्रह करता हूं कि इस विशेष परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं।

* श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : माननीय सभापति महोदय रेल बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। महोदय मैं, श्री लालू प्रसाद यादव जी को लगातार छठी बार संसद में रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। माननीय रेल मंत्री जी ने यात्रियों तथा भारतीय रेलवे दोनों पर ही भार न डालते हुए एक लोक लुभावना बजट प्रस्तुत किया है। परंतु मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट ने सभी राज्यों के साथ न्याय नहीं किया है। मैं एक लोकोक्ति उद्धत करना चाहता हूं जिसका अर्थ है कि आपकी जो भी उपलब्धि हो, इसका कोई अर्थ नहीं है, यदि यह सभी राज्यों को समान रूप से नहीं दी गई है।

नई रेल लाइनें बिछाने और रेल सेवाएं आरंभ करने के संबंध में कर्नाटक के साथ अन्याय होता रहा है। रेल मंत्री ने कर्नाटक की अनदेखी की है। कर्नाटक साफ्टवेयर उद्योग में प्रथम स्थान पर है। सिलिकोन सिटी, बगलूरू संपूर्ण विश्व से लोगों को आकर्षित कर रही है। बंगलूरू को सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में जाना जाता है। हर रोज हजारों लोग बंगलूरू और मैसूर का दौरा करते हैं। पर्यटक, पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान जैसे कृष्णराज सागर, वृंदावन, टीपू महल तथा चामुण्डी पहाड़ियों आदि को देखने आते हैं। परंतु बंगलूरू और मैसूर के बीच कोई पर्याप्त रेल सुविधा मौजूद नहीं है। दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। मैसूर से बंगलूरू के बीच 145 कि.मी. की यात्रा करने में 3 घंटे लगते हैं।

कर्नाटक भारतीय रेल को अधिक राजस्व देता है। इसके विपरीत, रेलवे कर्नाटक में रेल सेवाओं की दिशा में अधिक योगदान नहीं दे रही है। श्री लालू प्रसाद जी, ने अपने स्वयं के राज्य बिहार तथा चेन्नई (तमिलनाडु) को अधिक प्राथमिकता दी है। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। यदि मैं रेल मंत्री होता तो, मैं भी ऐसा ही करता, परंतु उन्हें मेरे राज्य के लोगों की लम्बे समय से लंबित मांगों पर भी ध्यान देना चाहिए था। मैं तो केवल यह कहूंगा की वे सभी राज्यों पर समान रूप से ध्यान देने में असफल रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में भाषण दें। आपके पास केवल दो मिनट हैं।

श्री एम. शिवन्ना : मैंने सिर्फ दो मिनट ही लिए हैं।

सभापति महोदय : आप पहले ही तीन मिनट ले चुके हैं। आपके पास दो मिनट शेष है। आप केवल दो मिनट के लिए ही बोल सकते हैं।

श्री एम. शिवन्ना : जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का संबंध है। मैंने माननीय श्री लालू प्रसाद यादव को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर में मैसूर और चामराजनगर के बीच ब्रॉड गेज लाइन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था, परंतु वे उस उद्घाटन कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए। परंतु माननीय मंत्री श्री आर. वेलु जी आए थे और उन्होंने ब्रॉड गेज लाइन का उद्घाटन किया था। मैं उनका आभारी हूं। हम पिछले 75 वर्षों से चामराजनगर और मेट्टूपलायम के बीच रेल लाइन की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पर्याप्त निधियां प्रदान नहीं की गई हैं। संयुक्त सर्वेक्षण करने के लिए केवल एक करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं परंतु यह इस थोड़े से आबंटन से पूरा नहीं होगा।

हम कनकपुरा से होते हुए बंगलूरू से चामराजनगर के बीच एक अन्य रेलवे लाइन की मांग कर रहे हैं, जिसकी चर्चा इस वर्ष के रेल बजट में नहीं की गई है।

सभापति महोदय : श्री शिवन्ना, 40 और वक्ता हैं जो इस चर्चा में भाग लेंगे। कृपया सहयोग करें। आप अपने भाषण के शेष भाग को सभा पटल पर रख सकते हैं और यह पढ़ा हुआ माना जाएगा।

श्री एम. शिवन्ना : महोदय ठीक है। मैं अपने भाषण के शेष भाग को सभा पटल पर रख रहा हूं।

*महोदय, अनेक वर्षों से कर्नाटक रेलवे से 10 नई रेलपरियोजनाओं को संस्थापित करने का अनुरोध कर रहा है। राज्य ने इन परियोजना की लागत के 50% भाग को वहन करने की भी पेशकश की है। परंतु

मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

*मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के इस भाग के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर सभा पटल पर रखा गया।

बजट में एक भी रेल परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है। इस सौतेले व्यवहार के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज करने के लिए कर्नाटक के लोगों तथा कुछ कन्नड़ संगठनों ने रेल रोको तथा सड़क रोको धरने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है।

रेलवे द्वारा जिन तीन नई रेल गाड़ियों को आरंभ करने का प्रस्ताव किया जा रहा है, उनमें से केवल एक रेल मैसूर–यशवंतपुर एक्सप्रेस, का कर्नाटक के लोगों को फायदा पहुंचेगा। अन्य दो रेलगाड़ियों से कर्नाटक के लोगों को फायदा नहीं होगा। हम चाहते थे कि मुंबई–करवार सुपर फास्ट रेल, मंगलोर तक जाए ताकि अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

जहां तक बंगलूरू में महत्वाकांक्षी 'नम्मा मेट्रो' का संबंध है, 'नेधियों के अभाव में कछुए की रफ्तार से काम चल रहा है। इस वर्ष इस परियोजना के लिए 215.70 करोड़ रुपये की थोड़ी सी राशि ही आबंटित की गई है। इसलिए इस परियोजना के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपये आबंटित किए जाने चाहिएं।

मैं रेल मंत्री जी से कुछ अति महत्वपूर्ण रेल परियोजना को जल्द पूरा करने हेतु ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। ये निम्नवत हैं :–

(i) तिरूपति – मैसूर रेल सेवा को चामराजनगर तक बढ़ाया जाना चाहिए।

(ii) मैसूर तक जाने वाली सभी रेलगाड़ियों को चामराजनगर तक बढ़ाया जाना चाहिए।

(iii) मैसूर और नंजनगुड़ के बीच आरंभ की गई नई रेल सेवा को चामराजनगर तक बढ़ाया जाना चाहिए।

(iv) चेन्नई–बंगलूरू रेल लाइन का विद्युतीकरण तथा दोहरीकरण। केवल चेन्नई और जोलारपेट के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया है तथा दोहरीकरण किया गया है, परंतु जोलारपेट और बंगलूरू के बीच यह कार्य नहीं किया गया है। कर्नाटक के लोग रेलवे के इस सौतेले व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(v) मंगलौर और बंगलूरू के बीच एक एकल लाइन कार्य कर रही है। कूके, सुब्रह्मण्या, उदुप्पी तथा श्री कोलूरू मुकाम्बिक मंदिर जैसे तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के लिए अधिक संख्या में तीर्थ यात्री इस रेल गाड़ी में सफर कर रहे हैं। मौजूदा एकल रेलगाड़ी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मंगलौर–बंगलूरू खण्ड में एक और रेलगाड़ी चलाई जानी चाहिए।

(vi) बंगलूरू और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में केवल 4 दिन ही राजधानी एक्सप्रेस चलती है। इसे दैनिक आधार पर चलाया जाना चाहिए।

(vii) चूंकि मैसूर से बनारस के बीच कोई सीधी रेल सेवा नहीं है इसलिए रोजाना हजारों तीर्थ यात्री चेन्नई के रास्ते बनारस की यात्रा करते हैं। इस मार्ग पर नई रेलगाड़ी आरंभ की जानी चाहिए।

(viii) कुशलनगर – होल नसीरपुर – कोडागु रेल लाइन की अनदेखी की गई है।

(ix) मैसूर–तेलाचेरी–नांजनगुड–नीलाम्बुर रेल लाइन का सर्वेक्षण के लिए अनुमोदन दिया गया है, परंतु निधियां आबंटित नहीं की गई हैं।

(x) कर्नाटक सरकार ने 30 ओवर ब्रिज तथा अंडर ब्रिज के निर्माण की मांग की है, परंतु एक भी निर्माण कार्य को अनुमोदन नहीं दिया गया है।

मैं माननीय रेल मंत्री से लोगों की जायज मांगों पर विशेष ध्यान देने तथा हमारे लोगों के स्वप्नों को पूरा करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व) : सभापति महोदय, पिछले पांच साल से लालू जी ने जब भी रेल बजट पेश किया है, मैंने उसकी बहस में भाग लिया है। यह लालू जी का आखिरी रेल बजट है ...*(व्यवधान)* इस वर्ष का आखिरी बजट है, इलैक्शन के बाद क्या होगा, वह दूसरी बात है? मैं इस साल के रेल बजट में भाग लेते हुए उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब भी मैंने रेल बजट पर भाषण किया, मैंने बहुत से मुद्दे उठाये थे कि पूर्वोत्तर राज्यों को रेलवे लाइन से जोड़ा जाये। मेरे पास लालू जी का एक लैटर भी है कि मैंने किन–किन नेशनल प्रोजैक्ट्स के लिए इनीशिएटिव लिया और बहुत कोशिश की है। मैं उस पर कोई लम्बा भाषण नहीं करना चाहता, केवल कुछ बिंदुओं की तरफ उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सभापति जी, रांगिया से गुरकांगसेलेक को ब्रॉडगेज बनाने के लिए मंत्री जी का पत्र 2006 में मुझे मिला है, लेकिन आज तक उसका एक किलोमीटर हिस्सा भी नहीं बढ़ा है। वहां पांच नेशनल प्रोजैक्ट्स हैं। बोगीबिल ब्रिज के बारे में उन्हें खुद पता है। पानी के अंदर जो मेन पिलर उतारना चाहिए था, वह काम भी नहीं हुआ है और नेशनल प्रोजैक्ट्स के आधार पर उनके काम के लिए फंड्स रिलीज करने चाहिएं थे, लेकिन अभी तक नहीं किये गये हैं। मैंने इस सदन में कई बार कहा है कि बिना रेल लाइन के किसी प्रदेश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने हर रेल बजट पेश करने के दौरान मंत्री जी से दरख्वास्त की थी कि अरुणाचल प्रदेश को रेल लाइन से जोड़ना चाहिए।

[श्री तापिर गाव]

रेल लाइन से नहीं जोड़ने से प्रदेश को इकोनोमिक परेशानियां हो रही हैं, वह दुनिया को मालूम हैं। मैंने यह अर्ज किया था कि अगर अरुणाचल प्रदेश को आप रेल लाइन से नहीं जोड़ेंगे तो जैसे 1962 का वॉर हुआ, उस हालत में अगर चीन या पड़ोसी देशों के साथ कुछ हुआ तो उससे न केवल अरुणाचल को नुकसान होगा बल्कि पूरे देश का नुकसान होगा। इसलिए मैंने लालू जी को यह प्रस्ताव दिया था कि मुकांगसेलेक से लेकर मारगरिता–नामपोंग तक 2008 के रेल बजट में जो इनवैस्टीगेशन और सर्वे इन्कलूड किया था मगर आज 2009 तक इस काम में कोई प्रोग्रेस नहीं है। मैंने यह भी अर्ज किया था कि रुपई से परशुराम कुंड तक रेल लाइन बनायी जाये। यह ऐसा स्थान है जहां लाखों हिन्दुओं का 14 जनवरी को फैस्टिवल में आना होता है। लाखों लोग देश–विदेश से वहां आते हैं। माननीय रेल मंत्री जी ने भी कहा था कि वह भी परसुराम कुंड पर आयेंगे। आपने 2007 में सर्वे और इनवैस्टीगेशन के लिए बोला था लेकिन आपने 2009 के रेल बजट में इसका उल्लेख नहीं किया। यह सारे हिन्दुस्तान का एक पवित्र स्थान है। मैंने आपसे रिक्वैस्ट किया था कि – लुक ईस्ट पॉलिसी – गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एनीशिएटिव लिया है। इस पॉलिसी से पूर्वोत्तर राज्यों को पड़ोसी देशों के साथ यदि ट्रेड और कॉमर्स का रिलेशन्स रखना है तो ट्रांसपोर्ट एंड सर्फेस मिनिस्ट्री ने स्टीलवैल रोड के लिए कहा था। 1942 में जब सैंकड वर्ल्डवॉर हुआ, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था – स्टीलवैल रोड और म्यांमार और चाइना का कुनामिंग टाउन वाया सदिया तक उसकी कनेक्टिविटी है।

सरफेस एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इसे अभी ब्रॉड वे में बना रहा है इसलिए मैंने रेल मंत्री जी से यह दरख्वास्त की थी कि मार्गेरिता से नॉमपेन्ह तक रेलवे कनेक्टिविटी दी जाए।

सभापति महोदय : प्लीज, आप समाप्त कीजिए।

श्री तापिर गाव : सभापति महोदय, लालू जी ने रेल तो नहीं दिया, आप थोड़ा समय बढ़ा दीजिए, समय मत काटिए।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी ने आपसे लिखकर मांगा है, आप मंत्री जी को लिखकर दे दीजिए।

श्री तापिर गाव : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर देता हूं। मैंने यह रिक्वेस्ट की थी कि दौलत टू सदिया टू रोइंग, ये ऐसे स्थान हैं जहां 3000 से 4000 मेगावाट पन विद्युत से अधिक का हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है। लोहित नदी में जब तक यह ब्रिज और रेलवे लाइन नहीं होगी तब तक वह 22,000 मेगावाट पन विद्युत परियोजनाएं कैसे कामयाब होंगी? अरुणाचल प्रदेश में ऐसे पोटेंशियलिटीज हैं। इसलिए मैं रेलवे मिनिस्ट्री से यही दरख्वास्त करता हूं कि अरुणाचल प्रदेश को रेलवे में इकोनॉमिकल वायबिलिटी से मत देखिए, उसकी महत्ता नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर भी देखिये। महोदय, अरुणाचल प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश बनने वाला है।

सभापति महोदय : आपको तमिल में बोलना था तो आपको नोटिस देना चाहिए था। इसके लिए ट्रांसलेटर अरेंज करना पड़ता है।

[अनुवाद]

आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम) : बिलासपुर से त्रिवेन्द्रम के लिए वाया तिरूनेलवेली एक साप्ताहिक रेलगाड़ी है। फिर, सेंगोट्टाई से इरोड तक आपने एक दैनिक रेलगाड़ी की है। आपने तिरूचिरापल्ली से मदुरई एक्सप्रेस ट्रेन भी प्रतिदिन दी है। मुम्बई से त्रिवेन्द्रम के लिए वाया तिरूनेलवेली रेलगाड़ी दी है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूं।

सभापति महोदय : आप अपना शेष भाषण सभापटल पर रख सकते हैं।

श्री जे.एम. आरून रशीद : महोदय, यह क्या है? मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के विषय में बोलूंगा। मेरा निर्वाचन क्षेत्र, थेनी, एक पर्वतीय क्षेत्र है। वहां पर इलायची तथा कृषि उत्पादन होता है। ...*(व्यवधान)* मैंने माननीय मंत्री से कार्गो बुकिंग केन्द्र का अनुरोध किया है क्योंकि वहां बुकिंग केन्द्र नहीं है। उन्हें अपना कार्गो मदुरई रेलवे स्टेशन से कोयम्बटूर तक ले जाना पड़ता है। उन्हें 300 किमी की यात्रा करनी पड़ती है। अतएव, मेरा अनुरोध है कि इलायची उत्पादकों के लिए बोदी पर बुकिंग केन्द्र दिया जाना चाहिए

[हिन्दी]

सर, कन्याकुमारी टू चेन्नई, नई दिल्ली तक जाने के लिए बुलेट ट्रेन भी शुरू करिए। चेन्नई टू नागौर, तेलांगना के लिए गरीब रथ चालू करें।

[अनुवाद]

यह एक धार्मिक स्थल है जहां हिंदू मंदिर है, वेल्लोर में एक मुस्लिम दरगाह है तथा वेलांगानी में एक ईसाई गिरिजाघर है। इस रेलगाड़ी को सुबह में आना चाहिए तथा शाम में चेन्नई वापस जाना चाहिए। उसी प्रकार चेन्नई से रामेश्वरम तक एक बुलेट ट्रेन होनी चाहिए। राजधानी रेलगाड़ी 125 किमी की गति से चल रही है। दिल्ली तथा आगरा के बीच 150 किमी की गति से चल रही है। उसी प्रकार, उन्हें चेन्नई तथा रामेश्वरम के बीच एक रेलगाड़ी चलानी चाहिए, जहां

एक बड़ा हिन्दू तीर्थस्थल है। रेलगाड़ी सुबह में प्रतिदिन जानी चाहिए तथा शाम में वापस आनी चाहिए जैसे कि दिल्ली से अजमेर रेलगाड़ी जाती है। लोग वहां जाएंगे तथा दो–तीन घंटों के लिए पूजा करेंगे और उसके बाद शाम में वापस चेन्नई वापस आ सकते हैं तथा तब दिल्ली या अन्य स्थान पर लौट सकते हैं। उन्हें एक बुलेट ट्रेन चाहिए ...*(व्यवधान)* मेरा जन्मस्थान रामनाद है। अतएव, मैं अनुरोध करूंगा कि रेलगाड़ी शुरू की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

थेनी में एक बाई–पास है। थेनी में मुख्य सड़क पर एक रेल समपार है। चूंकि सुबह में उस पटरी पर रेलगाड़ी चलती है, लोग दूसरी तरफ नहीं जा सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, दो से तीन किमी लंबा यातायात जाम लगता है। मैं माननीय रेलमंत्री, जो बहुत उदार हैं, से इस समपार पर एक उपरि पुल का निर्माण करने का अनुरोध करता हूं।

मदुरई–बोडी के बीच एक परियोजना को मंजूरी मिली है लेकिन कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। महोदय, एक दूसरी योजना को वहां मंजूरी मिली है। राज्य सरकार ने पैसा नहीं दिया है। रेलवे के पास 90,000 करोड़ रुपये अतिरेक राशि है। अतएव, मैं माननीय मंत्री से इस परियोजना के लिए सम्पूर्ण धनराशि देने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : श्री आरुन रशीद, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जे.एम. आरुन रशीद : महोदय, डिंडिगुल–वठालागुंडु–पेरियाकुलम–कम्बम–चिन्नान्नुर–गुडालुर लाइन को अयप्पा मंदिर के वेसाहिल तक जाना चाहिए। इससे यात्री अयप्पा मंदिर तक आसानी से जा सकेंगे। पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस स्थान पर आते हैं तथा वे इसका उपयोग कर सकेंगे।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री जे.एम. आरुन रशीद : महोदय, जोलारपेट से चेन्नई के लिए सुबह में एक दैनिक ई. एम. यू. रेलगाड़ी की आवश्यकता है। बोडी से मदुरई के लिए वाया चेन्नई भी एक रेलगाड़ी की आवश्यकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से काफी लोग तिरूपति जाते हैं। इसलिए इस बोडी–मदुरई–तिरूपति रेलगाड़ी की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपना शेष भाषण समापटल पर रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरुन रशीद : इस मार्ग पर एक ई.एम.यू. रेलगाड़ी की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब बैठ जाएं।

श्री जे.एम. आरुन रशीद : महोदय, यह क्या है? आपने प्रत्येक व्यक्ति को समय दिया तथा मुझे समय नहीं दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं। आपने सात मिनट का समय पहले ही ले लिया है। आपको पांच मिनट बोलना था।

श्री जे.एम. आरुन रशीद : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

डिंडिगुल–कुमुली, अरियालूर–तंजावुर, तिरूनेलवेली–जोलारपेट तथा मोरापुर–धर्मपुरी लाइनों में सुधार करने की आवश्यकता है। 1,500 करोड़ रुपये की लागत वाली नीदामंगलम–पट्टुकोट्टाई हेतु एक परियोजना मंजूर की गई है लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं रेलमंत्री जी से रेलवे की तरफ से धनराशि देने का अनुरोध करता हूं ताकि कार्य पूरा हो सके ...*(व्यवधान)*

98 करोड़ रुपए की लागत वाली सेंट्रल–इगमोर लिंक परियोजना की काफी लंबे समय से मांग है। महोदय, यह आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। चेन्नई से वेल्लोर जाने वाले लोगों को पहले इगमोर आना पड़ता है ताकि वे वहां जा सके। चेन्नई–इगमोर सेंट्रल लिंक परियोजना है। यह केवल 98 करोड़ रुपयों की लागत वाली परियोजना है। यह काफी समय से लंबित है। इसे भी क्रियान्वित किया जा सकता है।

मेरा अनुरोध है कि सलेम डिवीजन में डिंडिगुल–करूर लाइन पर आपने काफी कार्य किया है। मैं अनुरोध करता हूं कि 227 किमी पर विद्युतीकरण कार्य जल्दी किया जाना चाहिए। मेरा निर्वाचन क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है तथा लोग रेलगाड़ी द्वारा न कि बस द्वारा यात्रा करते हैं क्योंकि बस किराया काफी ज्यादा है। अतएव, गरीब लोग केवल रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि बोडी–मदुरई–तिरूपति मार्ग पर वाया चेन्नई तुरंत एक रेलगाड़ी दी जानी चाहिए। यह या तो बुलेट ट्रेन हो या डी ई एम यू हो।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी सीट पर बैठ जाएं।

श्री जे.एम. आरुन रशीद : महोदय, क्या मैं अपना भाषण समापटल पर रख सकता हूं?

सभापति महोदय : हां, आप अपने शेष भाषण समापटल पर रख सकते हैं।

श्री जे.एम. आरुन रशीद : महोदय, मैं यह समझता हूं ...*(व्यवधान)* श्री लालू प्रसाद के नियंत्रण में रेलवे ने काफी प्रगति की है। सं.प्र.ग. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में गत पांच वर्षों में तथा उसके मार्गनिर्देशन में, हम काफी अच्छी प्रगति कर सके।

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब, मैं बोलने के लिए अगले सदस्य का नाम पुकार रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

****श्री पी.एस. गढ़वी** (कच्छ) : माननीय रेल मंत्री ने पहले की ही भांति गुजरात की जनता की लम्बे समय से चली आ रही मांगों को नजरअंदाज कर दिया है।

महोदय, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुम्बई से हटाकर अहमदाबाद करने की मांग गुजरात की जनता लम्बे समय से करती आ रही है क्योंकि पश्चिम रेलवे की सर्वाधिक लम्बी रेललाइन गुजरात में है परन्तु माननीय रेल मंत्री ने इस भाषण में इस मांग का कोई उल्लेख नहीं किया है।

महोदय, अहमदाबाद–मुम्बई रेलमार्ग पर यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाने के कारण इन दो स्टेशनों के बीच एक तीसरी रेललाइन बिछाए जाने की लम्बी मांग रही है परन्तु माननीय रेल मंत्री के भाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है।

महोदय, माननीय रेल मंत्री को यह पूरी तरह पता है कि गांधीधाम रेलवे स्टेशन पश्चिम रेलवे जोन में सर्वाधिक आय अर्जित करने वाला रेलवे स्टेशन है और इसके अलावा कांडला वृहत्त पत्तन परिसर का तीव्र औद्योगिक विकास हो रहा है। इसके बावजूद इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त ट्रेन सुविधाएं देने की मांग को इस बजट में नजरअंदाज किया गया है।

माननीय रेल मंत्री ने इस क्षेत्र की हमारी अनेक मांगों, जिन्हें संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है पर विचार नहीं किया है।

(क) मुम्बई से भुज तक के लिए एक अतिरिक्त एक्सप्रेस रेलगाड़ी। हालांकि, पश्चिम रेलवे इस रेलमार्ग पर करीब 275 सुपरफास्ट अतिरिक्त रेलगाड़ियां चला रहा है, फिर भी इस नई रेलगाड़ी को शुरू किए जाने की मांग पर विचार नहीं किया गया है।

(ख) विशाखापत्तनम प्रमुख पत्तन और चेन्नई प्रमुख पत्तन को कांडला पत्तन के साथ जोड़ने हेतु नई सीधी रेलगाड़ियों की मांग पर विचार नहीं किया गया है जबकि हम काफी लम्बे समय से और नियमित रूप से इसकी मांग कर रहे हैं।

(ग) हावड़ा–अहमदाबाद और पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सप्ताह में कम से कम दो से तीन दिनों के लिए भुज तक विस्तार करने की हमारी पुरानी मांग पर भी विचार नहीं किया गया है।

महोदय, यद्यपि माननीय मंत्री महोदय ने अपने पिछले रेल बजट भाषण में कामाख्या (गुवाहाटी) से भुज–गांधीधाम के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू करने की घोषणा की थी, परन्तु इसे अभी तक शुरू नहीं किया गया है और हमें यह पता नहीं है कि यह कब शुरू की जाएगी। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हमें इस बात से आश्वस्त करें कि इसे कब शुरू किया जाएगा।

महोदय, प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि गुजरात राज्य हमारे देश में 75% से अधिक नमक का उत्पादन करता है और विशेषकर मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गुजरात राज्य के कुल नमक उत्पादन का 70% से भी अधिक उत्पादन करता है। गुजरात के नमक उत्पादकों की लम्बे समय से यह मांग रही है, कि नमक ढुलाई पर युक्तिसंगत भाड़ा वसूला जाए। इसके लिए रेलवे प्राधिकारियों के पास अनेक ज्ञापन और प्रतिवेदन दिए गए हैं परंतु रेल मंत्री जी ने इन सभी मांगों पर विचार नहीं किया है और उन्होंने अपने भाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया है।

महोदय यह भी विदित है कि नमक काफी सस्ता सामान है और यह मानव उपभोग के लिए अति आवश्यक भी है। इसलिए इस सामान पर अधिकतम मालभाड़ा लिये जाने से निश्चित रूप से आम जनता के लिए नमक की दरें ऊंची होंगी। अतएव मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया नमक निर्माताओं के नमक के ढुलाई पर लगने वाले रेल मालभाड़े में कमी करने के उनके अनुरोध पर विचार करें।

महोदय, रेल से यात्रा करने वाले सभी लोगों की चिन्ता है कि रेलवे में सफाई और स्वच्छता का स्तर अच्छा होना चाहिए, परन्तु रेल यात्रा करते समय हमारे अनुभव बिल्कुल विपरीत रहे हैं। महोदय, यह सबको पता है कि रेलवे में और रेलवे प्लेटफार्मों पर विशेषकर हमारे देश के सुदूर क्षेत्रों में सफाई व स्वच्छता का स्तर नीचे गिर रहा है। इस संबंध में काफी संख्या में रेलयात्रियों और माननीय संसद सदस्यों द्वारा अनेक शिकायतें दर्ज करायी गयी हैं, परन्तु इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं माननीय रेल मंत्री जी इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दें और सफाई व स्वच्छता के सुधार को सुनिश्चित करें।

महोदय, आपको यह अवश्य ज्ञात होगा कि यद्यपि रेलवे नीति विकलांग लोगों को वेंडिंग स्टाल और एस.टी.डी. बूथों इत्यादि हेतु स्टाल मुहैया कराकर उन्हे रोजगार–स्व–रोजगार उपलब्ध कराना है तथा पश्चिम रेलवे के अनेक स्टेशनों पर विभिन्न विकलांग लोगों को ऐसे स्टॉल उपलब्ध कराए गए थे परन्तु हाल में रेल प्राधिकारियों द्वारा बिना किसी ठोस कारण इत्यादि के ऐसे विकलांग लोगों को बलपूर्वक हटाया जा रहा है। महोदय, इस संबंध में मुम्बई से विकलांग लोगों के एक

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।
**भाषण समापटल पर रखा गया।

सामाजिक संगठन ने माननीय रेल मंत्री को एक ज्ञापन दिया है जिसमें सभी प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की बेराजगारी/रोजगार और स्वरोजगार संबंधी विभिन्न समस्याओं के बारे में जिक्र है। इस ज्ञापन में उन्होंने विकलांगो के विकास के लिए बनाए गए समान अवसर अधिकार और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 और रेलवे नीति सं. 98 टी जी/10/पी.सी.ओ./पी/टी ए टी ए नई दिल्ली 20.01.1998 का हवाला दिया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विकलांग लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं पर विचार करने का अनुरोध करता हूं, जिन्हें बलपूर्वक रेलवे स्टेशनों से हटाया जा रहा है। इसके लिए मैंने भी 16 फरवरी, 2009 को माननीय रेल मंत्री को एक पत्र लिखा है जिस पर सहानुभूतिपूर्वक और माननीय आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, यह खेद का विषय है कि रेल राज्य मंत्री श्री नारनभाई रठवा ने 14 फरवरी, 2009 को अहमदाबाद में सम्पन्न हुए जन समारोह में कहा है कि रेल बजट में गुजरात के प्रति हुए अन्याय के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। (समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार)। महोदय, मैं आश्चर्यचकित हूं कि गुजरात राज्य की रेलवे संबंधी मांगों के संदर्भ में गुजरात के प्रति हुए अन्याय के लिए राज्य सरकार को कैसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। किसी विशेष राज्य अथवा क्षेत्र के प्रति न्याय अथवा अन्याय किए जाने के लिए मात्र और एकमात्र रेल प्राधिकारी जिम्मेवार है।

महोदय, यद्यपि माननीय रेल मंत्री द्वारा रेलवे प्रबंधन के बेहतरी के संबंध में लम्बे–चौड़े दावे किए गए हैं। सच यह है कि रेलवे का प्रचालन अनुपात 12% प्वाइंट नीचे गिरा है और रेलवे की आय सितंबर, 2008 से गिरनी शुरू हो गयी है तथा वर्तमान रेलवे बजट में जिन नई रेलगाड़ियों की घोषणा की गयी है, उन 43 रेलगाड़ियों में से अधिकांशतः पूर्व की ओर जाने वाली हैं।

सुरक्षा संबंधी विषय पर इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है, हालांकि सुरक्षा और संरक्षा पर सबसे पहले विचार किया जाना चाहिए था।

महोदय, इस रेल बजट में हम किसी बड़ी परियोजना का उल्लेख नहीं पाते हैं।

महोदय, माननीय रेल मंत्री ने इस रेल बजट में अपने किन्हीं पिछले वादों को पूरा करने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है क्योंकि वादे के अनुसार डबल डेकर पैसेंजर ट्रेनें अभी तक चलायी नहीं जा सकी हैं।

महोदय, हमें नहीं मालूम कि मिट्टी के प्यालों (कुल्हड़) और खादी कम्बलों का क्या हुआ, जैसा कि रेल मंत्री जी ने इन्हें उपलब्ध कराने का वादा किया था।

महोदय, तत्काल टिकट पाने हेतु अधिक पैसे का भुगतान करना रेलयात्रियों के लिए काफी दुःखद है तथा साथ ही गैर–तत्काल नियमित श्रेणियों में सीटों की संख्या घटा दी गयी है। ठीक इसी प्रकार, सामान्य श्रेणी के सभी डिब्बों में गद्दे के सीट लगाने के वादे को भी पूरा नहीं किया गया है।

महोदय, माननीय रेल मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि रेलगाड़ियों में परोसे जाने वाला खाना गुणवत्ता की दृष्टि से खराब है।

* **श्री पी. राजेन्द्रन** (क्विलोन) : मैं रेल बजट 2009–10 पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। इसके माध्यम से मैं केरल जैसे राज्यों के साथ रेल मंत्रालय के दृष्टिकोण के प्रति अपना विरोध दर्ज कराता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि केरल सरकार और केरल के संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में सम्मिलित अनुरोध के क्रियान्वयन पर विचार किया जाए, तथा माननीय मंत्री द्वारा दिए जा रहे उत्तरों के समय उनकी घोषणा की जाए।

इन मांगों में केरल को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस और सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के फेरों में वृद्धि करना, बंगलौर, मुम्बई, चेन्नई एवं कोलकाता, विजाग के लिए और रेलगाड़ियां जैसाकि विशाखापटनम में रहने वाले केरल के लोगों ने इच्छा व्यक्त की है, केरल में चल रहे दोहरीकरण, विद्युतीकरण एवं आमान परिवर्तन कार्य को पूरा करना और केरल जाने वाली रेलगाड़ियों में बेहतर सुविधाएं एवं सुरक्षोपाय तथा रेलवे स्टेशनों में सुधार सम्मिलित हैं। मैं राजधानी एक्सप्रेस को कोल्लम पर ठहराव देने के अपने पूर्व अनुरोध की याद दिलाता हूं।

माननीय मंत्री को लाभ के लिए बधाई देते हुए मेरा उनसे अनुरोध है कि केरल की आवश्यकताओं पर अत्यावश्यक रूप से विचार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री सीता राम यादव (सीतामढ़ी) : माननीय सभापति महोदय, आज मैं सदन में माननीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट 2009–10 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। रेल मंत्री जी के पांचवे ऐतिहासिक रेल बजट पर बोलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने लगातार पिछले पांच वर्षों में रेलवे का जो कायाकल्प किया है और साथ ही साथ किराए भी प्रतिवर्ष कम किए हैं, यह एक सराहनीय कार्य है। वैसे तो रेल बहुत बड़ा महकमा है और शायद यह भारत सरकार का सबसे बड़ा मंत्रालय है, जिसमें लगभग 14 लाख

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सीताराम यादव]

कर्मचारी कार्य करते हैं और इतने ही अवकाश प्राप्त कर्मचारी हैं। वैसे कोई भी कार्य बिना कर्मचारियों के सहयोग से आगे नहीं चल सकता है, किन्तु हमारे मंत्री जी की सूझबूझ, उदार नीति और विजन की बदौलत आज रेल मंत्रालय देश में ही नहीं अपितु दुनिया में शिखर पर है। जो विभाग पांच वर्ष पूर्व कंगाल हो गया था, उसने इन पांच वर्षों में लगभग 90,000 करोड़ रुपए का सरप्लस देने का काम किया।

महोदय, हमारे शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे थे कि नीतिश कुमार जी के बनाए मार्ग पर लालू प्रसाद जी आज इतने बढ़ गए हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि जिस समय नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो वे प्रत्येक वर्ष रेल किराया बढ़ाया करते थे। उसके बावजूद भी राकेश मोहन कमेटी ने रिपोर्ट दी कि रेलवे को प्राइवेट को सौंपा जाए। रेल मंत्री, माननीय लालू प्रसाद जी ने बराबर रेल में प्रतिवर्ष भाड़ा घटाने का काम किया और दुनियाभर की योजनाएं चलाने का काम किया। उसके बावजूद भी 90 हजार रुपए की आमदनी रेल मंत्रालय को दी। यह उनकी सूझबूझ है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस समय नीतीश कुमार थे, मैं सीतामढ़ी से आता हूं, उन्हें शायद मालूम होगा कि जगत–जननी मां जानकी जी का सीतामढ़ी में अवतरण हुआ था। यह वह धरती है, जहां देश ही नहीं, अपितु विदेश के लोग अक्सर पर्यटन के लिए आते हैं। 56 वर्षों में किसी रेल मंत्री ने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। 56 वर्षों में एक भी योजना सीतामढ़ी में नहीं चलाई गई। जब लालू जी मंत्री बने तो उनकी नजर सीतामढ़ी पर गई जो नेपाल बार्डर पर है, वहां एक ही नहीं, चार–चार रेल लाइनों की स्वीकृति दी और सीतामढ़ी से दरभंगा आमान परिवर्तन देश में ही नहीं, अपितु दुनिया में छः महीने में कराने का काम किया। आज सीतामढ़ी के लोग देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं। यह काम सिर्फ लालू जी ने किया।

महोदय, इतना ही नहीं, आज वहां गरीब रथ भी चल रहा है। कई ट्रेनें सीतामढ़ी से चलती हैं, जहां से सीतामढ़ी के लोग जाते हैं। नीतीश कुमार जी हों या अन्य कोई भी मंत्री रहे हों, किसी ने भी हमें इन 56 वर्षों में एक भी योजना देने का काम नहीं किया, सिर्फ लालू जी ने यह काम किया। आज रेलवे लाइन सीतामढ़ी से सोनबरसा, जयनगर, निर्मली तक जा रही है। नेपाल के बॉर्डर के किनारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इसे बनाया गया है और सीतामढ़ी से मोतीहारी, मुजफ्फरपुर आदि सब जगहों पर ट्रेनें देने का काम सिर्फ लालू जी ने किया, किसी अन्य ने नहीं किया। इसलिए सीतामढ़ी की तरफ से और उत्तर–बिहार के तमाम लोगों की ओर से हम लालू जी को हजारों–लाखों बार बधाई देते हैं। सीतामढ़ी के लोग पूरे देश में जाकर मजबूती से काम करते हैं। देश के विभिन्न कोनों में इसी तरह रेलवे का काम लालू जी ने किया है। सिर्फ सीतामढ़ी में ही नहीं, शाहनवाज हुसैन साहब भागलपुर के बारे में बोल रहे थे। लालू जी ने भागलपुर में कितनी ट्रेनें दीं, कई योजनाएं चलाई, उसकी चर्चा हुसैन जी ने नहीं की। पूरे देश को सभी जगहों से जोड़ने का काम सिर्फ लालू जी ने किया, किसी अन्य मंत्री ने नहीं किया। रेलवे एक ऐसा महकमा है, जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, गरीब को पहुंचाने का काम सिर्फ रेल विभाग करता है, कोई अन्य विभाग नहीं। लालू जी का गरीबों की तरफ ध्यान है और वे समझते हैं कि गरीबों के लिए रेल ही एक ऐसा सफर है, इसलिए उन्होंने रेल को आगे बढ़ाने का काम किया। आज गरीब से गरीब आदमी उत्तर से दक्षिण कम भाड़े में पहुंच जाता है और अपनी रोजी–रोटी कमा कर अपने घर आता है। इतना ही नहीं, लालू जी ने पचासों–लाखों गरीब परिवार के लोगों को नौकरी देने का काम भी किया, किसी अन्य ने यह काम नहीं किया।

महोदय, हमारे एक साथी बता रहे थे, इसके बावजूद भी वे बजट में पैसा मांग रहे हैं। रेलवे इतना बड़ा विभाग है, जितने भी विभाग हैं, उन सबमें रेलवे सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। अगर बजट में प्रॉवीजन नहीं किया गया है, तो जो करोड़ों आदमी रेलवे में सफर करते हैं, आम जनता की सुविधा और रेल के विकास के लिए अपनी आमदनी के अलावा बजट में पैसे का प्रॉवीजन तो करना ही चाहिए। इसलिए लालू प्रसाद जी ने जो अंतरिम रेल बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इससे अच्छा रेल बजट कोई और नहीं हो सकता।

महोदय, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि रेल में दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दुर्घटनाएं बढ़ी नहीं हैं। लालू प्रसाद जी के टाइम में दुर्घटनाएं कम हुई हैं। लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में गरीब लोगों को राहत मिलने का काम हुआ है। इसके बावजूद भी हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि सीतामढ़ी, बिहार प्रांत या उत्तर बिहार को रेलवे में उसका वाजिब हिस्सा मिलने का काम कभी नहीं हुआ। बहुत से साथी कहते हैं कि बिहार को बहुत दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार को उसके हिस्से के अनुपात के हिसाब से बहुत कम दिया गया है। पहले जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, तब उन्होंने बिहार को उसका हिस्सा नहीं दिया, लेकिन जब से लालू प्रसाद जी रेल मंत्री बने हैं, तब से बिहार को उसका हिस्सा मिलने का काम शुरू हुआ है।

सभापति महोदय : सीताराम यादव जी, अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री सीता राम यादव : सर हम कनक्लूड कर रहे हैं। हम मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि सीतामढ़ी से नरकटिया जो छोटी लाइन है, जिस पर काम चल रहा है, वह एक साल में पूरा होना है। मेरा निवेदन है कि उसे युद्धस्तर पर किया जाए, ताकि उत्तर बिहार के लोग

सीधे दरभंगा होते हुए दिल्ली तक पहुंच सकें। दूसरा काम सीतामढ़ी स्टेशन से पूर्व तथा पश्चिम आर.ओ.बी. की स्वीकृति दी जाए। जनकपुर रोड स्टेशन से सटे पूर्व एवं पश्चिम में आर.ओ.बी. पुल बनाया जाए। बागपट्टा में भी एक आर.ओ.बी. की स्वीकृति दी जाए। सीतामढ़ी से मुम्बई और चेन्नै के लिए नई एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाई जाएं। जनकपुर रोड से सुरसद तथा जनकपुर रोड से चोरौत के लिए नई रेलवे लाइन की स्वीकृति दी जाए। पश्चिम चम्पारण जिले के अन्तर्गत बाल्मीकिनगर रोड रेलवे स्टेशन से हरनाटांड होते हुए गौनाहा स्टेशन तक रेल लाइन निर्माण हेतु सर्वे का काम कराया जाए। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर के बीच झपहा से मीनापुर तनियानी चौक, शिवहर, पिपराही, पूरनैया ससोला होते हुए ढेग स्टेशन तक नए सर्वे के काम की स्वीकृति दी जाए। दानापुर मंडल के बाढ़ स्टेशन के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दो आर.ओ.बी. की स्वीकृति दी जाए। आरा से छपरा नई रेलवे लाइन का सर्वे कराया जाए। इसके अलावा घोघरडीहा से घोघेपुर नई रेलवे लाइन का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है। नई रेलवे लाइन बिछाने की स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाए। जय नगर से बिजलपुरा से वर्दीवास तक का सर्वे हो गया है। जय नगर–जनकपुर–बिजलपुरा–40 किलोमीटर आमान परिवर्तन स्वीकृत किया जाए। बिजलपुरा से वर्दीवास–30 किलोमीटर रेलवे लाइन स्वीकृत की जाए। नौहर से चूरू वाया तारानगर–80 किलोमीटर सर्वे कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की जाए। कोसीकलां से नन्दगांव और बरसाना तक का सर्वे कार्य स्वीकृत है। नई रेलवे लाइन हेतु आदेश दिए जाएं। सीतामढ़ी–भीट्ठामोर सुरसन–जयनगर–लखनियां–लौकहा–लौकही –188 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाए।

महोदय, मेरी उपर्युक्त मांगों के अलावा मंत्री महोदय को सब मालूम है कि कहां–कहां किस–किस प्रकार की जरूरत है। वह काम मंत्री महोदय अपने स्तर से कराएं। मंत्री जी जनता की सुविधा को देखते हुए कार्य करते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रेल बजट का समर्थन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री हितेन बर्मन (कूचबिहार) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गुवाहाटी से न्यू दिल्ली, गुवाहाटी से बेंगलौर और चेन्नै जो ट्रेन है, इस पर एक ही लाइन है, जो न्यू बोंगाईगांव से न्यू जलपाईगुड़ी है। यह लाइन अभी तक डबल लाइन नहीं हुई है। इस कारण गुवाहाटी से बोंगाईगांव रेल टाइम पर चल रही है। दिल्ली से बेंगलौर से न्यू जलपाईगुड़ी तक जो रेल चल रही है, वह ठीक टाइम पर चलती है, लेकिन मैन जलपाईगुड़ी से बोगाईगांव तक की रेल लाइन डबल नहीं होने के कारण लेट चल रही है। इस डबल लाइन का काम जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए। यह मेरी डिमांड है।

[अनुवाद]

मैनागन–जोगीकोपा रेलवे लाइन प्रमुख रेलवे लाइन है लेकिन इस पर कार्य की रफ्तार अत्यंत धीमी है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कार्य में तेजी लाई जाए और इस लाइन को 2009 के अंत से पहले पूरा किया जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दिनहाटा उपमंडल सबसे बड़ा उपमंडल है जहां के दो लाख से अधिक लोग अलीपुर से बाबूलहाट रेलवे लाइन पर निर्भर हैं लेकिन यहां पर केवल दो यात्री गाड़ियों की सेवा चालू है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उत्तर गंगा एक्सप्रेस की सेवा न्यू कूच बिहार और बामनहाट तक बढ़ाई जाए। इंटरसिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में से एक सिलीगुड़ी से अलीपुर तक की सेवा बामनहाट तक बढ़ाई जाए। यह मेरा मंत्री जी से निवेदन है।

कूच बिहार जिला में हल्दीघाटी से चंद्रबंदर तक एक नई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण पूरा हो गया है लेकिन कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कूच बिहार रेलवे स्टेशन एक विरासत स्टेशन है लेकिन रेल विभाग ने इसके विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं और धनराशि की स्वीकृति नहीं दी है। मैं माननीय मंत्री से इस विरासत स्टेशन, कूच बिहार का विकास करने का अनुरोध करता हूं।

बामनहाट स्टेशन प्रमुख दूरदराज क्षेत्र में स्थित है। यह बांग्लादेश सीमा के नजदीक स्थित सबसे अंतिम स्टेशन है। अब मैं स्टेशनों पर रेलवे सेवाओं की बेहतरी के लिए कुछ मांगें जिसमें प्लेटफॉर्म शेड, चारदीवारी, बुकिंग पटल सुविधा, स्टेशन लिंक रोड, रेलगाड़ियों पर आरक्षण सुविधाओं का विकास सम्मिलित हैं; रखना चाहता हूं। मैं मंत्री जी से बाबूलहाट रेलवे स्टेशन का अविलंब विकास करने का अनुरोध करता हूं।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा) : महोदय, केरल के तीन माननीय सदस्य पहले ही अपनी बात कह चुके हैं। मैं भी पहले ही कह चुकी हूं कि किस प्रकार रेल मंत्रालय द्वारा अंतरिम बजट में केरल राज्य की काफी उपेक्षा की गई है। हमें अपने माननीय मंत्री महोदय से यह सुनकर काफी गर्व हुआ है कि भारतीय रेल मुनाफे में चल रही है और अभी 90,000 करोड़ रुपए का नकद अधिशेष है। जब कभी भी कोई सरकारी क्षेत्र का प्रमुख उपक्रम मुनाफे में चल रहा हो तो वैसे प्रत्येक राज्य को लाभ मिलना चाहिए जिन्होंने परिवहन शुल्क तथा माल ढुलाई शुल्क के रूप में काफी योगदान किया है। केरल भारतीय रेल के राजस्व में काफी योगदान कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से केरल राज्य की उपेक्षा की गई है, उसे कहते हुए हमें काफी दुःख हो रहा है। मंत्रालय का ध्यान केरल में उन विकासात्मक कार्यों की ओर आकृष्ट किया जाना चाहिए, जिसके लिए हम विगत कई वर्षों से अनुरोध करते रहे हैं।

[श्रीमती पी. सतीदेवी]

केरल का भौगोलिक फैलाव पड़ोसी राज्य से बिल्कुल भिन्न है। अतः, एक पृथक जोन की मांग समय की आवश्यकता है। यह बजट इस संबंध में मौन है। अतः, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करती हूं कि काफी समय से लंबित केरल राज्य की इस मांग पर विचार किया जाए तथा हमारे राज्य के विकास के लिए एक पृथक कोष की स्थापना की जाए।

जब कभी भी हमने अपने राज्य में रेलवे सुविधाओं के विकास के लिए अनुरोध किया है, मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि चूंकि दोहरीकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ है, अतः नई रेलगाड़ियों का आबंटन संभव नहीं है।

रात्रि 9.00 बजे

दोहरीकरण कार्य के मात्र एक छोटे भाग का निर्माण नहीं हुआ है, अर्थात्, कुन्नुर से वलपट्टनम तक। कोझीकोड में भी केवल एक छोटे भाग को अभी पूरा किया जाना है। अतः, इसी अंतरिम बजट में दोहरीकरण कार्य को पूरा करने के लिए राशि का आबंटन किया जाना चाहिए ताकि और रेलगाड़ियों के लिए काफी समय से लंबित मांग को पूरा किया जा सके।

एक अन्य मामला शोरुवण्णूर से मंगलापुरम का विद्युतीकरण है। यह भी लंबित है। विद्युतीकरण की इस मांग को पूरा किया जाना है। यह नोट करना दुःखद है कि 43 नई रेलगाड़ियां दिए जाते समय केरल राज्य की उपेक्षा की गई है। मंगलोर तथा कोझीकोड के बीच इंटर–सिटी एक्सप्रेस की काफी समय से लंबित मांग काफी वाजिब है, जिससे मालाबार क्षेत्र के यात्रियों को लाभ मिलेगा।

केरल राज्य नई दिल्ली से त्रिवेन्द्रम के बीच राजधानी एक्सप्रेस के फेरे को बढ़ाकर सप्ताह में कम से कम चार दिन करने का अनुरोध कर रहा है। कुन्नूर से यशवंतपुर को जोड़ने वाली केवल एक रेलगाड़ी है। यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर, बंगलौर तक किया जाना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य श्री शिवन्ना ने मैसूर के महत्व के बारे में बोला है। मालाबार क्षेत्र के तेलीचेरी से मैसूर तक कोई रेलवे सम्पर्क नहीं है। अतः, यह काफी समय से लंबित मांग है, जिसे पिछले रेल बजट को प्रस्तुत किए जाते समय मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया है। सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। अब यह रेलवे बोर्ड के समक्ष है। अतः मंत्रालय को उस निर्माण कार्य की ओर काफी ध्यान देना चाहिए जो सर्वेक्षण में है।

पूरे देश के रेल यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। अतः, पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं के साथ आर.पी.एफ. का प्रावधान करके यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यथेष्ट कदम उठाए जाने हैं। वडगरा रेलवे स्टेशन में पहले से ही आर.पी.एफ. है, लेकिन चूंकि उनके लिए कोई परिवहन सुविधा नहीं है अतः वे रेलवे स्टेशन पहुंचने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें कालीकट से वडागरा आना पड़ता है। अतः, आर.पी.एफ. के लिए पर्याप्त अवसंरचना सुविधा प्रदान की जानी चाहिए तथा यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में केरल राज्य की शिकायत पर सही ढंग से विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आप अपने शेष भाषण को सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्रीमती पी. सतीदेवी : मैं अनुरोध करती हूं कि इन सभी मांगों पर विचार किया जाए।

महोदय, मैं अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रखती हूं।

*रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरिम रेल बजट में वास्तव में केरल राज्य की उपेक्षा की गई है। इसमें देश का संघीय ढांचा प्रतिबिम्बित नहीं हुआ है। केरल राज्य यात्री किराए तथा मालभाड़े के रूप में भारतीय रेल के राजस्व में काफी योगदान कर रहा है। महोदय, मंत्री महोदय यह हमेशा कहते हैं कि भारतीय रेल दिन प्रतिदिन अधिक लाभकारी होती जा रही है। अब यह कहा जा रहा है कि 90,000 करोड़ रुपए का नकद अधिशेष है। महोदय, मुनाफे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम का लाभ इस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए ताकि उन राज्यों में विकासात्मक कार्य को पूरा किया जा सके जो उस मुनाफे में काफी योगदान कर रहे हैं। लेकिन यह नोट करना काफी दुःखद है कि केरल राज्य पर विचार नहीं किया जा रहा है।

महोदय, राज्य की काफी समय से लंबित मांग है कि प्रायद्वीपीय रेलवे जोन का निर्माण किया जाए जिसका मुख्यालय केरल में हो। रेलवे के अनुसार जोन का निर्माण क्षेत्रीय आधार पर नहीं किया जाता है बल्कि कार्यभार, पहुंच, भौगोलिक विस्तार आदि के आधार पर किया जाता है। महोदय, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि केरल की आवश्यकताएं तथा इसका भौगोलिक विस्तार पड़ोसी राज्यों से बिल्कुल अलग है। अतः पृथक जोन की मांग समय की आवश्यकता है। यह बजट भी इस संबंध में मौन है। अतः, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि इस पर विचार करें तथा इसे कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाएं।

रेलवे के विकास के लिए रेलवे लाइनों के दोहरीकरण का कार्य पूरा किया जाना चाहिए। कुन्नूर से वलपट्टनम तथा कोझिकोड के एक छोटे भाग के दोहरीकरण का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उक्त कार्य के लिए पर्याप्त राशि का आबंटन किया जाना चाहिए। रेलवे

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

को एक अन्य मुद्दे का सामना करना पड़ रहा है, लाइनों वह है विद्युतीकरण। विद्युतीकरण से वंचित रहने वाला एक प्रमुख खंड शोरूवण्णूर और मंगलौर के बीच का भाग है। अतः, विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

अलपुझा एक अन्य मुद्दा है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। यह नोट किया जाना बहुत ही दुःखद है कि 43 नई रेलगाड़ियां प्रदान करते समय केरल की अनदेखी की गई। मंगलौर–कोझीकोड के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस की लंबे समय से चली आ रही मांग मालाबार क्षेत्र के यात्रियों के लाभ हेतु बहुत ही उचित मांग है। टी वी एम से मुंबई और टी वी एम – नई दिल्ली वाया कोंकण तथा टी वी एम बंगलौर वाया मंगलौर और कोयम्बटूर नई रेलगाड़ियां चलाने की मांग भी लंबे समय से की जा रही है।

केरल राज्य राजधानी एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाकर सप्ताह में चार बार करने का अनुरोध कर रहा है। कन्नूर को यशवंतपुर से जोड़ने वाली केवल एक ही रेलगाड़ी है। बंगलुरू शहर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या विशेषकर छात्रों और कामकाजी महिलाओं को देखते हुए इस रेलगाड़ी को दैनिक रेलगाड़ी बनाकर इसका विस्तार बंगलूरू शहर तक किया जा सकता है। केरल से चेन्नई जाने वाले यात्रियों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वर्तमान रेलगाड़ियों में सीटें मिलना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए रेलगाड़ी सं. 2685–चेन्नई मंगलौर सुपरफास्ट के फेरे बढाएं जाएं तथा इसे भी दैनिक रेलगाड़ी बनाया जाए।

महोदय, देशभर के यात्रियों की सुरक्षा के लिए बहुत सी समस्याएं खतरा बनी हुई हैं। इसलिए, पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ और अधिक आर.पी.एफ. प्रदान कर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाने होंगे।

मंत्रालय ने मैसूर और तेलीचेरी के बीच एक नई लाइन हेतु सर्वेक्षण की घोषणा की थी। सर्वेक्षण रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के पास है। अतः उक्त रिपोर्ट पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाए तथा उक्त रेल लाइन का कार्य आरंभ करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं तथा केरल के लोगों के पुराने सपने को साकार किया जाए।*

सभापति महोदय : दिया गया समय पहले ही समाप्त हो चुका है। मेरे पास 15 और ऐसे माननीय सदस्यों की सूची है, जो इस बारे में बोलना चाहते हैं। यदि सभा सहमत हो तो सभा का समय एक घंटा बढ़ाया जा सकता है।

यदि सभा सहमत हो तो, हम ऐसा कर सकते हैं, मैं केवल सभा की इच्छा जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : यदि माननीय सदस्य केवल 2–3 मिनट लें तो हम आज इसे समाप्त कर सकते हैं और माननीय मंत्री महोदय कल उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : मेरा आग्रह है कि आप लिखित रूप में दे दीजिए, तो ज्यादा आथेंटिक है, वह रिकार्ड में भी रहेगा, आपका प्वाइंट भी कवर हो जाएगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, माननीय रेल मंत्री जी ने आप लोगो से अनुरोध किया है और मैं आसन से यह रिक्वैस्ट करता हूं यदि आप दा–दो मिनट लेंगे, तो जल्दी हो जाएगा और जो रेस्ट आफ स्पीच है, उसे टेबल पर ले कर दीजिए। जो माननीय सदस्य ले करना चाहते हैं, वह अपनी पूरी स्पीच ले कर सकते हैं।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय लालू यादव जी ने जो अंतरिम बजट पेश किया है, उससे एक बात साबित हो जाती है कि एक बार अगर वाह–वाही लूटने का रोग किसी को लग जाए, तो देश हित भी नगण्य हो जाता है और समाज हित भी नगण्य हो जाता है और ऐसी स्थिति देश के लिए कभी भी ठीक नहीं होती। ऐसी ही स्थिति का सामना आज रेल विभाग को करना पड़ रहा है। पिछले लगभग पचास वर्षों में भारतीय रेल मानक संस्थान ने माल गाड़ियों में लदान के लिए एक निर्धारित क्षमता तय की हुई है। उनमें लगभग पचास सालों में इस स्थिति में हमारे पास जो पटरियां और वैगन उपलब्ध हैं, उन्हें नुकसान न पहुंचे, उसे ध्यान में रखते हुए लगभग 58 टन क्षमता तक उसे लाकर रखा। लेकिन दुर्भाग्य से आज हमें जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि रेलवे को लाभ में दिखाया जा सके, इसके लिए जहां इंजीनियरों को 58 टन तक लाने में वर्षों लग गए, वहां बिना किसी तकनीकी सुधार के मात्र चार वर्षों में माननीय लालू जी ने उसकी 68 टन तक की क्षमता बढ़ाकर रख दी। इससे आने वाले समय में हमारे सामने बड़ी खतरनाक स्थितियां आने वाली हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अधिक लदान के कारण जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, उससे वैगनों को नुकसान हो रहा है और पटरियों को भी नुकसान हो रहा है। वैगन एक और झुककर चल रहे हैं, उनके एक्सेल टूट रहे हैं, ये क्रैक होकर गिर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप सुझाव दे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राकेश सिंह : दूसरी और पटरियों के ऐलाइनमैंट भी गड़बड़ हो रहे हैं, पटरियां फैल गई हैं, उनमें जगह–जगह क्रैक हो रहे हैं। मैं रेल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज आपके जितने भी पीडब्ल्यूआई और गैंगमैन हैं, वे सारे इन क्रैक्स को वैल्डिंग करने में लगे हुए हैं, उनके रूटीन मेनटेनैंस के काम भी नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए यह जो स्थिति है, यह आने वाले समय में देश के रेल तंत्र को प्रगतिशील रेल तंत्र न बनाकर पतनशील रेल तंत्र की ओर लेकर जा रही है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हबीबगंज में जो डीरेलमैंट हुआ था, आपकी जानकारी में होगा कि वह केवल इसलिए हुआ क्योंकि वहां की पटरियों में क्षमता से अधिक लोड लगातार हो रहा था। ...*(व्यवधान)*

वहां का पूरा यार्ड नष्ट हो गया, पूरी लाइनें नष्ट हो गईं, सारे सिगनल तहस–नहस हो गए और मेरी जानकारी के मुताबिक वहां लगभग पांच दिनों तक पूरा ट्रैफिक बाधित रहा, हजारों यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल करवा दिए। अगर पूरे नुकसान को जोड़ा जाए, तो रेलवे को लगभग पचास से सौ करोड़ रुपये का नुकसान उससे हुआ है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपनी बाकी स्पीच ले कर दीजिए।

श्री राकेश सिंह : सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हमने सदन से राय ली है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सबको दो मिनट बोलने का समय दिया जाएगा और बाकी की स्पीच ले कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री राकेश सिंह : मैं थोड़ी सी बात बोलकर बाकी की स्पीच लिखित में दे दूंगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : दो मिनट बोलने के लिए सदन की सहमति है।

...*(व्यवधान)*

श्री राकेश सिंह : सभापति महोदय, एक किलोमीटर रेल लाइन को बिछाने में लगभग 13 करोड़ रुपये का खर्च आता है। एक वैगन 4 से 6 करोड़ रुपये का आता है। एक बोगी 25 से 30 लाख रुपये की आती है। पिछले एक साल में अधिक माल लदान क्षमता के कारण कितने अधिक वैगनों का नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी रेल मंत्रालय ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आपके क्षेत्र की कोई डिमांड है तो उसे रख दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राकेश सिंह : माननीय महोदय, क्या यह कोई विषय ही नहीं हुआ? मैं आपके सामने इतना महत्वपूर्ण विषय बताना चाहता हूं, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। जितना समय बाकी वक्ताओं ने लिया है, कम से कम उतना समय तो मुझे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री राकेश सिंह : ठीक है, मैं अपना लिखित भाषण दे दूंगा, लेकिन दो मिनट में अंतिम बात कहना चाहता हूं। रेल मंत्री जी, आपको ध्यान होगा कि आप जबलपुर आए थे। पूरे जबलपुर और महाकौशल की जनता ने आपका स्वागत किया था। आपने जबलपुर आने के बाद लोगों की जो कठिनाइयां देखी थीं, जो ब्रॉडगेज परियोजना जबलपुर से बालाघाट के बीच की है, आपने मंच से घोषणा की थी कि इस परियोजना को दो साल के भीतर पूरा कर देंगे। एक साल पूरा हो गया और हमें आने वाले पांच सालों में भी वह परियोजना पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात आपके सामने जबलपुर से मुम्बई की ट्रेन की रखी थी। आपने वहां आश्वस्त किया था कि रेल बजट में इसकी घोषणा कर देंगे।

हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि रेल बजट में आपने जबलपुर–मुम्बई के लिए गरीब रथ की घोषणा भी की। वह 20 तारीख से चालू होने वाली थी, लेकिन वह चालू नहीं हुई और उससे पहले ही आपने उस ट्रेन को जबलपुर के स्थान पर इलाहाबाद तक कर दिया। आम तौर पर कोई रेल मंत्री जब कहीं घोषणाएं करते हैं, तो उनका सम्मान भी करते हैं और उन घोषणाओं को पूरा भी करते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, आने वाले समय में हो सकता है कि आप उस ट्रेन को इलाहाबाद से पटना तक कर दें। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप हमें जबलपुर के लिए कोई और ट्रेन दे दें, लेकिन जबलपुर पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय है। वहां से मुम्बई के लिए हमने एक सीधी ट्रेन की मांग की थी। वह ट्रेन भी आपने हमसे छीन ली। जबलपुर की जनता, महाकौशल की जनता इसका कारण जानना चाहती है कि आखिर ऐसी परिस्थिति का निर्माण क्यों हुआ? ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : हम किसी की कोई ट्रेन नहीं छीनते।

श्री राकेश सिंह : आपने हमारी ट्रेन छीन ली। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका जो शेष भाषण है, उसे आप ले कर दीजिए।

श्री राकेश सिंह : लालू जी, मेरा आपसे आग्रह है कि जो आपकी घोषणा थी, उसे आप पूर्ववत रखें। ट्रेन जबलपुर से ही होकर मुम्बई के लिए जाये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अपना शेष भाषण ले कर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राकेश सिंह : माननीय महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। वैसे तो हमारी बहुत सारी मांगें थीं। जबलपुर से कोलकाता, जबलपुर से छपरा–सीवान होते हुए पटना, जबलपुर से देहरादून, जबलपुर से अमृतसर के लिए ट्रेन की मांग थी, लेकिन उनमें से कोई भी मांग अब मैं आपके सामने नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि देश की जनता को बहुत अधिक निराशा हुई है। मेरे क्षेत्र की जनता को भी आपसे बहुत अधिक निराशा हुई है। वैसे भी आप अब कोई नयी घोषणा नहीं कर सकते। सरकार भी जाने वाली है और हमें यह विश्वास है कि आने वाले समय में शायद आप लोग यहां नहीं रहेंगे। ...*(व्यवधान)* लेकिन आपने जो पूर्व में घोषणाएं की थीं, यदि उन पर ही आप अमल कर देंगे, तो कम से कम मेरे क्षेत्र की जनता आपकी आभारी होगी।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं अपना शेष भाषण सभा पटल पर रख दूंगा।

*अभी जो अंतरिम बजट लालू जी ने प्रस्तुत किया है उससे यह साबित हो गया है कि झूठी वाहवाही लूटने का रोग जब किसी को लग जाता है तो उसके सामने समाज हित और देश हित नगण्य हो जाता है और व्यक्तिगत हित सर्वोपरि हो जाता है और ऐसा व्यक्ति जब देश के किसी महत्वपूर्ण पद पद बैठा हो तो ऐसी स्थिति देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होती है।

यही स्थिति आज देश के रेल विभाग की हो रही है। गौरवशाली रेल विभाग को ग्रहण लगता जा रहा है। यदि अभी भी हम नहीं जागे तो देश में रेल का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा।

माननीय महोदय, मालगाड़ियों में लदान की एक निर्धारित क्षमता होती है। वर्षों तक रेल डिजाइन मानक संस्थान, लखनऊ से प्रयास कर बॉक्स–एन वैगन की क्षमता को 58 टन तक की क्षमता के लायक बनाया ताकि रेल पटरियों व वैगनों को नुकसान न हो। जहां यह करने में भारतीय रेल को 50 वर्ष लग गए, वहीं बिना किसी तकनीकी सुधार के रेलमंत्री लालू यादव जी ने पिछले 4 वर्षों में वैगनों में 68 टन माल लदान करने के तानाशाही फरमान जारी कर दिए ताकि दिए बिना किराया बढ़े रेल को लाभ में दिखाया जा सके। लेकिन महोदय लालू जी ने इस बात पर पर्दा डालने का प्रयास किया कि क्षमता से अधिक माल लदान करने पर भारतीय रेल को किन दुष्परिणामों का सामना करना पड़ेगा। जिन अधिकारियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया उन्हें धमकाकर चुप करा दिया गया।

माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि क्षमता से अधिक माल ढोने के कारण खतरनाक स्थितियां निर्मित हो रही हैं। एक ओर जहां वैगन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं एक तरफ झुककर चल रहे हैं। अधिक एक्सल लोड के कारण वैगनों के एक्सल कमजोर व क्रेक होकर गिर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पटरियों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पटरियों की वहन क्षमता भी तय है किन्तु अधिक भार के कारण पटरियां फैल रही हैं और जगह–जगह से कमजोर होती जा रही हैं। फ्रैक्चर बढ़ते जा रहे हैं। आज सारे के सारे पी.डब्ल्यू.आई. और गैंगमैन पटरियों के फ्रैक्चर की वेल्डिंग करने में लगे हैं लेकिन पटरियों का एलाइनमेंट बिगड़ता जा रहा है। इन सबसे बार–बार डिरेलमेंट की स्थितियां बन रही हैं।

माननीय महोदय, मैं रेलमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले दिनों भोपाल के हबीबगंज में हुए डिरेलमेंट ने रेलवे को करोड़ो रुपए का नुकसान नहीं पहुंचाया है जिसमें 45 घंटों से ज्यादा समय तक यातायात बंद रहा था। सारी गाड़ियां मार्ग बदलकर निकाली गयी। हजारों यात्रियों ने यात्रा रद्द की। हबीबगंज का पूरा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर तहस–नहस हो गया। पांचों लाइनें खत्म हो गई सारे क्रास ओवर तहस–नहस हो गए। सारे सिगनल नष्ट हो गए। यदि इस डिरेलमेंट के कारण रेलवे के सभी नुकसान को जोड़ लिया जाए तो लगभग 50 से 100 करोड़ रुपए का नुकसान रेलवे को हुआ है। यह तो एक उदाहरण मात्र है। महोदय, वास्तव में एक किलोमीटर लाइन बिछाने पर लगभग 13 करोड़ रुपए खर्च आता है। एक बोगी 25 से 30 लाख रुपए की होती है। देश में अधिक लदान के कारण जो बोगियां खराब हुई हैं या लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं वे सब जोड़ने पर रेलवे की आंतरिक स्थिति सामने आ जाएगी। एक इंजन 4 से 6 करोड़ रुपए का आता है। पिछले एक साल में अधिक लदान के कारण 103 इंजन खराब हुए हैं इन सब पर विचार करने पर यह सामने आता है कि भारतीय रेल किस दिशा में जा रही है।

माननीय महोदय, देश में रेल के लगभग सभी पुलों पर अधिक क्षमता की ढुलाई के कारण विपरीत असर पड़ रहा है। पुल कमजोर होते जा रहे हैं और यदि यह सही नहीं है तो रेल मंत्री जी बतायें कि क्यों 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां पुलों पर 30 से 45 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं।

... भाषण का यह भाग सभा–पटल पर रखा गया।

[श्री राकेश सिंह]

माननीय महोदय, वाहवाही लूटने के चक्कर में देश को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं जिनकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा या अधिक है। लालू जी देश को बताएं कि आज भी देश में बड़ी संख्या में बिना फाटक के रेल क्रासिंग हैं, पुल हैं, सुरंग हैं और खराब होती पटरियां हैं। इन पर लालू जी आपकी बुलेट ट्रेन कैसे चलेगी। यह चल सकती थी यदि लालू जी ने एनडीए सरकार के समय पर नीतिश जी की योजनाओं पर ध्यान दिया होता। उस समय पूरे देश में तीसरी लाइन बिछाने की योजना बनायी गयी थी, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

लालू जी ने एक और मजाक देश की जनता के साथ किया है। सवारी गाड़ियों में 9 बर्थ बढ़ाकर जिन गाड़ियों में ये बर्थ बढ़ाई गई हैं उनके यात्री इस बर्थ को लालू बर्थ कहते हैं और आतंकित रहते हैं कि उन्हें इस बर्थ में यात्रा न करनी पड़े। मैं चुनौती देना चाहता हूं लालू जी को कि वे इस बर्थ में यात्रा करके दिखायें और फिर बतायें कि रेल की यात्रा को आपने कितना सुविधाजनक बनाया है।

महोदय, देश में अभी तक यही परंपरा है कि यदि कोई मंत्री कहीं कोई घोषणा करता है तो उसे झुठलाता नहीं है, किंतु लालू जी तो अपनी ही घोषणाओं को झुठला रहे हैं।

पिछले वर्ष लालू जी जबलपुर आए थे। जबलपुर वासियों की मांग पर घोषणा करके आए थे कि जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज को दो वर्षों में पूरा कर दिया जाएगा किंतु देश की अत्यंत महत्वपूर्ण यह योजना आगामी 5 वर्षों में भी पूरी होती दिखायी नहीं देती।

पिछले समय में जबलपुर में बड़े आंदोलन हुए थे। जबलपुर से मुम्बई सीधी ट्रेन के लिए पिछले बजट में लालू जी ने इसकी घोषणा भी कर दी थी। अभी 20 फरवरी को इसका शुभारंभ होना था परन्तु अभी यह ट्रेन चल भी नहीं पायी और इस अंतरिम बजट में इस गरीब रथ को जबलपुर के स्थान पर इलाहाबाद से चलाने की घोषणा हो गयी। शायद कुछ दिनों बाद इसे इलाहाबाद के स्थान पर पटना से शुरू कर दिया जायेगा। क्या रेल मंत्री जी कारण बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? क्यों जबलपुर सहित पूरे महाकौशल की जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया गया।

महोदय, परम्परा यह है कि प्रत्येक रेल बजट पर चर्चा के समय सांसद अपनी मांगें सदन में रखते हैं। पिछले वर्षों से लगातार मैं अपनी मांगें रखता आ रहा हूं, किंतु इस बार यही कहूंगा कि यू.पी.ए. सरकार और लालू यादव जी आपसे अब देश की जनता को कोई उम्मीद नहीं बची है। अब जनता आपके जाने का इंतजार कर रही है।

अब कोई नई घोषणाएं तो आप कर नहीं सकते, किंतु यदि जबलपुर के संबंध में अपनी पूर्व की घोषणाओं पर ही आप अमल कर दें तो मेरे क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी।*

श्री लालू प्रसाद : महोदय, हर बात का जवाब उत्तर में नहीं दिया जा सकता। लेकिन राकेश जी को जानकारी रखनी चाहिए और केवल अंदाजे पर नहीं बोलना चाहिए कि करोड़ों रुपये वैगन का दाम यानी चार करोड़ रुपये वैगन का दाम है। वैगन का दाम अधिकतम 20 लाख रुपये होता है।

श्री राकेश सिंह : मैंने वैगन का दाम 25 से 30 लाख रुपये बोला है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आप अपनी बात फिर करैक्ट करिए। मैं जहां भी गाड़ी घोषित करता हूं कि वहां मैं किसी पार्टी के साथ भेदभाव नहीं करता। आप पहले यह करैक्ट कर लीजिए। आपको एलर्ट रहना चाहिए। जब हम लोगों को चुनाव में जाना है तब आपको याद पड़ रहा है कि हम यह कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* हम कोई गाड़ी नहीं छीनते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राकेश सिंह : आपने हमारी गाड़ी छीन ली है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : यह गलत बात है। आप कब तक हमारे ऊपर इल्जाम लगायेंगे कि हम गाड़ी छीन लेते हैं। जो घोषित गाड़ी होगी, उस घोषणा के एक साल के अंदर उस गाड़ी को चलाना है। अगर घोषणा होगी, तो वह गाड़ी चलेगी। इलाहाबाद जाने वाली अलग गाड़ी है। हम इस बात को दिखायेंगे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है इसलिए अब कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चौधरी बिजेन्द्र सिंह के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

चौधरी बिजेन्द्र सिंह (अलीगढ़) : सभापति महोदय, मैं आपके आदेश का अच्छे सा अनुपालन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने रेल बजट की लेखानुदान पर मुझे बोलने का मौका दिया है। माननीय लालू जी की तारीफ जितनी करें, उतनी ही कम है। इस सदन में ही नहीं, देश और दुनिया में आज इस बात की चर्चा है कि पांच साल तक लगातार रेल बजट पेश करते हुए आज तक रेल के किराये–भाड़े में वृद्धि नहीं हुई। लोग इससे आश्चर्यचकित हुए कि लालू जी किस तरीके का रेल बजट बनाकर तैयार करते हैं। इसमें वाकई ही रिसर्च

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करनी होगी। यहां तो छोड़िये, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी में भी माननीय लालू जी पर रिसर्च की जा रही है। मैं लालू जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र की मांग सिर्फ दो मिनट में कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय लालू जी 22.10.2008 को मेरे बहुत निवेदन करने के बाद अलीगढ़ गये थे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से लालू जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 22.10.2008 को लालू जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक विजिट हमारे अलीगढ़ में की थी। अलीगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है और उसका एक महत्व है। देश और दुनिया में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के माध्यम से जाना जाता है। बहुत से राष्ट्रों के लड़के वहां पढ़ते हैं। बिहार के दर्सो–हजारों लड़के हमारे यहां पर छात्र हैं। हमने जनहित में कुछ मांगें पब्लिक मीटिंग में की थी। माननीय लालू जी ने उस पर घोषणा भी की थी।

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ हिन्दू–मुस्लिम तवज्जो और तालीम का शहर है। यह दिल्ली से मात्र 130 किलोमीटर दूर है। अलीगढ़ पर यात्रियों के भार को कम करने के लिए आप बहुत सारी योजनाओं से ट्रैफिक को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपसे मांग की थी कि कासगंज से खोजिया रेल लाइन का सर्वे कार्य आपने प्रारंभ करा दिया है। हमारी उम्मीद थी कि इस रेल बजट में उसको समाहित किया जाएगा। आज न सही लेकिन निकट भविष्य में हमारे सर्वे के मुताबिक इस रेल लाइन को जनहित में बजट में शामिल करने का कष्ट करें। कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज अलीगढ़ करने के बारे में हमने मांग की थी। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का स्टॉपेज वहां करने की आपने घोषणा की थी। राजधानी एक्सप्रेस के लिए आपने इंकार किया था, लेकिन जब वहां की जनता ने यह कहा कि जब चार राजधानी ट्रेन्स कंटीन्युअस वहां से निकलती हैं तो लास्ट वाली राजधानी ट्रेन जो पटना से आती है, वहां के लिए बहुत डिमांड हो रही थी। आपने उसके लिए घोषणा की थी, पेपरों में भी यह बात आई थी। हमारी मांगें तो केवल वहीं हैं, जिनमें कोई ज्यादा बजट पर भार नहीं आए। अलीगढ़ से बरेली रेल लाइन है, देश की आजादी के इतने साल बाद भी उस लाइन पर एकमात्र ट्रेन चलती है। पूरे देश में आज तक ट्रेन्स की संख्या बढ़ाई गयी लेकिन इस लाइन पर केवल ट्रेन, वह भी पैसेंजर ट्रेन है। उसका हमने सोनामई में स्टॉपेज की मांग की थी। हमें आशा है कि आप इसे कराने की कृपा करेंगे। दिल्ली अलीगढ़ लाइन पर चुअलपुर पैसेंजर का एक हॉल्ट बनाने की डिमाण्ड की गयी थी। हमारे जनपद के जनप्रतिनिधियों ने जब यह मांग की थी, तो आपने कहा भी था कि ये तमाम जायज मांगें हैं, इनको हम हर संभव पूरा करेंगे। आपने जो कहा था, उसको मैं याद दिला रहा हूं। आपके बारे में यह कहा जाता है कि आप जो कहते हैं, वह करते हैं। आप मुझे प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अलीगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है।

सभापति महोदय : ठीक है, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

चौधरी विजेन्द्र सिंह : आपका विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। रेल विभाग ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। रेल विभाग को 90 हजार करोड़ रुपए का लाभ देकर आपने वाकई सिद्ध कर दिया है कि इससे ज्यादा प्राफिट में कोई विभाग नहीं है। आपने आरओबी बनवाया है, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, आपकी तारीफ कर रहा हूं। आपने बहुत कुछ दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने माइनॉरिटी के लोगों के सामने वहां पर कहा था। अलीगढ़ माइनॉरिटी के मामले में देश और दुनिया के सामने तालीम और तवज्जो का सभागार है, रिसर्च सेन्टर है। अजमेर शरीफ हिन्दू और मुसलमान, दोनों का धार्मिक स्थल है। सिजदा करने के लिए हजारों लोग वहां जाते हैं। वहां के लिए एक ट्रेन चलाने के लिए आपने वादा किया था और यह घोषणा की थी कि उस ऐतिहासिक स्थल के लिए हम जरूर ऐसा करेंगे।

सभापति महोदय : ठीक है, आप अपनी बात कंक्लूड कीजिए। आपके लिए समय समाप्त हो गया है।

चौधरी विजेन्द्र सिंह : मेरी बहुत जायज डिमांड्स हैं, आप इन पर ध्यान दीजिए। विक्रमशिला ट्रेन के लिए हमने स्टॉपेज के लिए निवेदन किया है। विक्रमशिला, लिच्छवी, पटना राजधानी एक्सप्रेस, सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस गाड़ियों का वहां स्टॉपेज किया जाए।

सभापति महोदय : आप अपनी स्पीच सदन के पटल पर रख दीजिए।

चौधरी विजेन्द्र सिंह : इसी के साथ मैं आपको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने पांच साल में विकास के बहुत से कार्य किए हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपकी यह मेहनत निश्चित रूप से आपको दोबारा सत्ता में लाएगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के.सी. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, हमें इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि देश के सबसे बड़े उद्यम के रूप में रेलवे ने 90,000 करोड़ रुपये का भारी मुनाफा कमाया है। इसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, परंतु साथ ही मैं वह सब नहीं दोहरा रहा हूं जो केरल के अन्य सदस्यों ने कहा है।

[श्री सी. के. चन्द्रप्पन]

जिस प्रकार की उपेक्षा हमने सही है उससे केरल बेहद आहत है। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अतएव, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया उस ज्ञापन पर विचार करें जो हमने दिया है। श्री वायालार रवि, श्री करूणाकरन और श्री कुरियन ने अलग अलग दलों के बावजूद इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह केरल की आवाज है और हम बेहद आहत होने की भावना से जूझ रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं मंत्री जी को केरल की भावनाओं पर ध्यान देने के लिए इस अवसर पर जरूर बताऊंगा।

अब, इसके अतिरिक्त मैं आपसे दो एक छोटी–छोटी बातों का भी उल्लेख करना चाहूंगा। चूंकि भारतीय रेलवे ने भारी लाभ कमाया है अतएव संभवतः यह आई आर सी टी सी के लिए सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में कुछ निवेश करने का सही समय है। केरल के सबरीमाला और गुरूवयूर जैसे तीर्थस्थल देश के सबसे बड़े तीर्थस्थलों में से हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इन दो क्षेत्रों के लिए दो आई आर सी टी सी परियोजनाओं पर विचार करें। भूमि उपलब्ध है और अन्य सुविधाएं मुहैया करवा दी जाएंगी।

त्रिचूर–कोल्लनगोडे रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य भी पूरा हो चुका है। मौजूदा प्राक्कलन जो कि सरकार के पास है वह सही नहीं है क्योंकि यह उन पुरानी वास्तविकताओं पर आधारित है कि यह लाइन लाभकारी नहीं होगी। चूंकि दो बड़े कंटेनर पोर्ट भी बन रहे हैं और केरल में अन्य औद्योगिक विकास भी हो रहे हैं अतः मेरा मानना है कि यह रेल लाइन लाभकारी होगी। यह पोल्लाचि और पलक्कड लाइन को जोड़ती हुई एर्नाकुलम और कोझिकोड के बीच बाईपास का काम करेगी श्री वेलु इस बात को समझेंगे कि यह एक नई रेल लाइन होगी और यह केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भाग के बीच लिंक का भी काम करेगी। अतएव, मैं आशा करता हूं कि इसे नई लाइन के रूप में स्वीकृति दी जाएगी।

जब रेलवे भारी लाभ कमा रही है तो यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाया जाना चाहिए। हमारे कई साथियों ने रेलवे में सुरक्षा के अभाव का जिक्र किया है। अतएव, अच्छे रेलवे प्रबंधन के एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में लिया जाना चाहिए और इसकी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद, विशेषकर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में दिया जाने वाला आहार स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण और सस्ता होना चाहिए ...*(व्यवधान)*

केरल में बड़ी संख्या में रेल उपरिपुल निर्माणाधीन हैं परंतु उनमें से अधिकांश अधूरे पड़े हुए हैं। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए ताकि इन पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया जा सके ...*(व्यवधान)*

मेरा अंतिम बिन्दु यह है कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र त्रिचूर में सैकेण्ड एंट्री का उद्घाटन किया गया है। परंतु प्रस्तावित सुविधाएं या तो अधूरी पड़ी हैं या अभी प्रारंभ ही नहीं हुई हैं। अतएव, मैं समझता हूं कि यह कहने के लिए इस अवसर का उपयोग किया जाना चाहिए कि इस कार्य में तेजी लाने के लिए कुछ न कुछ जरूर किया जाना चाहिए ताकि यह सैकेण्ड एंट्री लोगों के लिए वरदान साबित हो सके।

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रेल बजट का समर्थन करता हूं। गहरी चिंता के साथ बजट का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बजट में बुंदेल–कटवाल रेल लाइन के जिराट से कटवा तक दोहरीकरण करने की विस्तार योजना का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया जबकि यह लगभग 100 वर्ष पुरानी सिंगल रेल लाइन है।

वर्ष 2008–09 के पिछले रेल बजट में माननीय मंत्री ने लंबे वाद–विवाद और चर्चा के उत्तर में इस सभा को बताया था कि जिराट से कटवा तक दोहरीकरण करने के कार्य को बजट में शामिल किया जाना था परंतु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त यह बेहद निराशाजनक है कि वह इस अंतरिम बजट में भी शामिल नहीं है।

इस रेलवे में समुद्रगढ़ और कालीनार स्टेशनों को बचाने के लिए गंगा नदी के किनारे भूमि का कटाव रोकने के लिए काम चल रहा है। भूमि के कटाव को पूरी तरह से रोकने के लिए और अधिक धन आबंटित किए जाने की आवश्यकता है।

इसी रेलवे में अम्बिका–कालनगर स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत यात्री टिकट जारी करने की स्वीकृति लगभग एक साल पहले ही मिल चुकी थी परंतु वहां कंप्यूटर अभी तक नहीं लगाए गए हैं।

बर्द्धमान–कटवा रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य अभी प्रारंभ किया जाना है। पश्चिम बंगाल सरकार कार्य प्रारंभ करने के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि पहले ही से आबंटित कर चुकी है। कटवा रेलवे स्टेशन पर 30.8.2007 को एक उद्घाटन समारोह में माननीय मंत्री ने घोषणा की थी कि बर्द्धमान–कटवा रेल लाइन का आमान परिवर्तन दो वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा परंतु यह कार्य अभी तक प्रारंभ भी नहीं किया गया है।

अंत में, लोगों विशेषकर तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए नई प्रस्तावित रेलगाड़ी पुरी–कटवा एक्सप्रेस का विस्तार नबाहीपथाम स्टेशन तक किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, इन्हीं कुछेक शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) : सभापति महोदय, मैं आपको और अपनी पार्टी को अंतरिम रेल बजट पर, जो 2009–10 के लिए माननीय रेल मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने के लिए आपको बधाई देता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री जी को तीन बार बधाई देता हूं। एक तो जो इन्होंने काम किये हैं, उनके लिए और जो इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, उसके लिए चुनाव से पहले कर दीजिए, उसके लिए बधाई देता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : हमने जो मांग की थी उसका क्या हुआ?

श्री निखिल कुमार चौधरी : वह तो कंफिडेंशियल है। आपका और हमारा कंफिडेंशियल खुलना नहीं चाहिए। माननीय रेल मंत्री जी, आपने जो अंतरिम रेल बजट पेश किया, उसमें जहां जिसके लिए कुछ दिया है, उसकी सराहना होनी चाहिए और मैं उसकी सराहना करता हूं। आपने पांच दिन के लिए जो राजधानी 24–24 और 24–23 चलती थी, उसको 6 दिन के लिए कर दिया। लेकिन यह जानकर दुःख हुआ कि जो स्पेशल राजधानी जो बृहस्पतिवार और रविवार, दो दिन चलती थी, उसको विदड्रा कर लिया। विदड्रा करने के लिए कष्ट है, उसको कांटिन्यू कीजिए, यह हमारी मांग है। एक दिन बढ़ाया है, उसके लिए धन्यवाद है।

दूसरे, आपने सीमांचल एक्सप्रेस को जुगवनी से नई दिल्ली के लिए चालू किया, वह सप्ताह में एक दिन चलती थी, उसे आपने पांच दिन किया है, उसके लिए बधाई। आपने रांची से वाया मालदा जो न्यू बुगाईगांव तक चलती थी, उसे आपने बढ़ाकर गुवाहाटी तक कर दिया। हमने आपसे कहा था कि आपका कोई खर्चा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, शार्टेस्ट रूट है, बिहार के 15 स्टेशनों से होकर वह गाड़ी गुजरती है, कहीं उसका ठहराव नहीं है बारसोई एक बड़ा स्टेशन है, मैंने आपसे कहा था कि मालदा–कुमेदपुर होते हुए आप इसे कटिहार के रास्ते ले जाएं, तो कटिहार और अररिया के लोगों को एक ट्रेन मिल जाएगी। रांची के लिए कोई ट्रेन उधर के लोगों के लिए नहीं है। इसलिए केवल उसका रास्ता बदल दीजिए, वह ट्रेन जब उधर रूकती नहीं है तो आप उसे इस ओर होकर के ले जा सकते हैं। नई ट्रैक कटिहार से बारसोई तक बन गयी है।

मेरा आग्रह है कि जिन ट्रेनों का आपने विस्तार कर दिया, कैपिटल एक्सप्रेस का विस्तार न्यूजलपाईगुड़ी तक हुआ था उसे आपने कामख्या–गुवाहाटी तक कर दिया। स्थिति यह है कि पैसेंजर्स बढ़ गये हैं और बोगी न बढ़े, तो बड़ा कष्ट का कारण है। हम आपसे मांग करते हैं कि उसमें थर्ड एसी का कोच बढ़ाया जाए और एक जनरल कोच उसमें बढ़ाया जाए। साथ ही हाटेबाजारे नीतीश जी के जमाने में बरौनी जाती थी, उसे आप सहरसा ले गये, एक अच्छा काम किया है। हाटेबाजारे कटिहार होकर जाती है, कोलकाता के लिए एक ट्रेन है। हाटेबाजार को सहरसा तक तो बढ़ा दिया, लेकिन शयनयान का जनरल कोच को घटा दिया। मेरा आग्रह है कि 2 शयनयान तत्काल उसमें चुनाव से पहले जोड़े जाएं और एक थर्ड एसी भी आप उसमें जोड़ दीजिए।

सभापति महोदय : आपके पास एक मिनट का समय और है, आपकी कोई मांग है तो जल्दी बोलिए।

श्री निखिल कुमार चौधरी : सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के लोगों को कह कर आया हूं और अपनी पत्नी को भी कह कर आया हूं। वह सात बजे से मुझे फोन कर रही थी कि आपका भाषण आया नहीं है। अब जरा पत्नी भी सुन ले और क्षेत्र के लोग भी सुन लें।

श्री लालू प्रसाद : आपकी धर्मपत्नी अगर अब टीवी देख रही होंगी, तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। वह आपको खोज रही होंगी कि इतनी देर तक आप कहां थे। आपने उन्हें कहा होगा कि रेल बजट पर चर्चा में हिस्सा लेना है। आप पर आपकी पत्नी शक क्यों कर रही हैं?

श्री निखिल कुमार चौधरी : महोदय, उनकी प्रेरणा से ही मैं यहां बोल रहा हूं। मेरा कहना था कि आपकी कई गाड़ियां बरौनी में खड़ी रहती हैं। वैशाली एक्सप्रेस खड़ी रहती है, नई दिल्ली–लखनऊ एक्सप्रेस खड़ी रहती है और 16–16 घंटे खड़ी रहती हैं। कटिहार में करोड़ों रुपयों की लागत से पीट लाइन बनी हुई है, उसका शत–प्रतिशत लाभ मिलना चाहिए। उसका केवल 30 प्रतिशत उपयोग हो रहा है। मेरी मांग है कि उस ट्रेन को अगर आप कटिहार तक बढ़ा देंगे, तो कटिहार का बहुत लाभ होगा। कई ट्रेनें हैं, जो बंगाल से चलती हैं, लेकिन बिहार में रूकती ही नहीं हैं। उस ट्रेनों को ठहराव की मैंने मांग की है। एक मांग के बारे में मुझे लगता है कि चुनाव से पहले मंत्री जी करेंगे भी नहीं और कई लोगों ने तथा पप्पू यादव जी ने भी कहा कि आपने बड़ी लाइन का प्रस्ताव कटिहार से तेजनारायणपुर बलवाभटी तक दिया है। उस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मनिहारी से साहिबगंज तक कर दें, तो बहुत अच्छा होगा।

महोदय, शेष भाषण मैं सभापटल पर रखता हूं।

*मैं 2009–2010 के रेल बजट पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं निखिल कुमार चौधरी भाजपा सांसद कटिहार, लोक सभा क्षेत्र से आता हूं। रेल बजट माननीय रेल मंत्री के द्वारा दिनांक 13.2. 2009 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। माननीय रेलमंत्री के द्वारा

... भाषण का यह भाग सभा–पटल पर रखा गया।

[श्री निखिल कुमार चौधरी]

लगातार पांचवीं बार लोक सभा में बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं उन्हे धन्यवाद देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पांच वर्षों में देश में रेल के चौमुखी विकास का दावा किया गया है। खजाने के लाभ को 20 हजार करोड़ से इस बार 25 हजार करोड़ तक ले जाना वाकई देश के लिए खुशखबरी है। आपके माध्यम से माननीय रेलमंत्री से मेरा आग्रह है कि बजट में नई ट्रेन जहां बिहार को तेरह की संख्या में दी गयी है दूसरी तरफ कई ट्रेनों का विस्तार भी किया गया, सहरसा से गरीब रथ ट्रेन को चलाया जा रहा है अपितु कटिहार डिविजन से गरीब रथ ट्रेन को नहीं चलाया गया जो खेद का विषय है। व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक दृष्टिकोण से कटिहार रेल मंडल का अपने आप में एक अलग स्थान है। आपने नई गाड़ी के रूप में राधिकापुर से दिल्ली के लिए एक ट्रेन दी है, लेकिन ट्रेन के वाया का जिक्र नहीं किया गया है। मैं आग्रह करता हूं कि राधिकापुर से नई दिल्ली के लिए जो नई ट्रेन दी गयी है उसको वाया कटिहार सोनैली, सालमारी होकर चलाया जाए साथ ही साथ सालमारी एवं सोनैली में इसका ठहराव दिया जाए। जिसका जिक्र मैंने वर्षों पूर्व रायगंज में माननीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण विभाग, श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी द्वारा उद्घाटन के समय किया था। महोदय, कटिहार रेल मंडल सामरिक दृष्टिकोण से और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण रेल मंडल है। बजट में कटिहार मंडल को सचमुच में अहमियत मिलनी चाहिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्षों से कटिहार रेल मंडल के साथ पक्षतापूर्ण निर्णय अनवरत लिया जा रहा है। कटिहार से खुलने वाली हाटे–बाजारे एक्सप्रेस को सहरसा तक विस्तारित किया गया एवं बाद में दो शयनयान डिब्बों को कम कर दिया गया जो कदापि उचित नहीं हैं। यात्रियों को बर्थ नहीं मिल पा रहा है ऊपर से शयनयान कोच एवं एक वातानुकूलित थ्री टायर कोच जोड़ा जाए। कैपिटल एक्सप्रेस का कामाख्या तक विस्तार किया गया। इसमें भी शयनयान की संख्या वातानुकूलित कोचों की संख्या को नहीं बढ़ाया गया। महानंदा एक्सप्रेस को अलीपुरद्वार तक किया गया। किंतु इसमें भी शयनयान और वातानुकूलित कोचों की संख्या को नहीं बढ़ाया गया। माननीय रेल मंत्री जी को मैंने लगभग दो वर्ष पूर्व उक्त ट्रेन में शयनयान और वातानुकूलित कोचों की संख्या बढ़ाने हेतु पत्र प्रेषित किया था किंतु उक्त विषयों में समुचित कार्यवाही नहीं की गयी। महोदय, मैं कटिहार रेल मंडल के और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके सामने रखना चाहता हूं। अलीपुरद्वार–रांची एक्सप्रेस (5761–5762) जो वाया मालदह होकर चलती है। यदि उक्त गाड़ी को बारसोई से कटिहार लाया जाए एवं पुनः कटिहार से कुमैदपुर के रास्ते मालदह ले जाया जाये तो काफी कम समय एवं बहुत ही कम व्यय के साथ कटिहार–पूर्णियां–अररिया के यात्रियों को झारखंड के लिए एक गाड़ी मिल जायेगी एवं रेल के राजस्व में वृद्धि होगी जो राष्ट्रहित एवं जन कल्याणकारी होगा। ज्ञातव्य हो कि कटिहार से झारखंड जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। महोदय, कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिनका ठहराव ऐसे स्टेशनों पर नहीं हैं जहां से राजस्व की प्राप्ति तो होगी ही एवं यात्रियों को गंतव्य तक जाने में सहूलियत भी होगी। कंचनजंघा एक्सप्रेस 5657/5658 का ठहराव आजमनगर में किया जाना चाहिए। न्यू जलपाईगुडी से सियालदह सुपर फास्ट एक्सप्रेस 2503–04 का बिहार राज्य में कहीं ठहराव नहीं है इसलिए आग्रह है कि बारसोई और आजमनगर में इसको ठहराव दिया जाए! इसके अलावा 5933–34, 5635–33, 5651–52, 5653–54, 5635–36, 2515–16, 2508–09 का ठहराव बारसोई रेलवे जंक्शन पर किया जाए। महोदय, मैं आपको एक वर्ष पूर्व के बजट का स्मरण दिलाना चाहता हूं जिसमें जोगबनी–कलकत्ता एक्सप्रेस को नई गाड़ी के रूप में लिया गया था। मेरा आग्रह है कि उक्त गाड़ी को तत्काल कलकत्ता से कटिहार के बीच चलाया जाए। मैं कटिहार के उन यात्रियों के बारे में बताना चाहता हूं जो कि नेत्र रोग हृदय रोग आदि के इलाज हेतु दक्षिण भारत क्षेत्र की यात्रा करते हैं। वर्तमान समय में मुजफ्फरपुर–यशवंतपुर एक्सप्रेस जो साप्ताहिक ट्रेन है कटिहार जंक्शन से होकर गुजरती है। कटिहार से शयनयान सीटों की संख्या इतनी कम रहती है कि मरीजों को स्थान नहीं मिल पाता है। मेरा आग्रह है कि मुजफ्फरपुर–यशवंतपुर एक्सप्रेस में शयनयान सीटों की संख्या में वृद्धि की जाए साथ ही फेरे को भी बढ़ा कर सप्ताह में तीन दिन किया जाए।

महोदय, बरौनी जंक्शन में कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियां अनावश्यक रूप से घंटों दर घंटों खड़ी रहती हैं जो राष्ट्र हित एवं रेल हित में नहीं है। वैशाली एक्सप्रेस बरौनी जंक्शन में 16 घंटे 15 मिनट खड़ी रह जाती है। बरौनी–लखनऊ एक्सप्रेस 5203–04 बरौनी में 12 घंटे खड़ी रहती है। बरौनी–जम्मूतवी एक्सप्रेस 5097–98 बरौनी में 23 घंटा 15 मिनट खड़ी रहती है। क्यों नहीं उक्त गाड़ियों का विस्तार कटिहार जंक्शन तक किया जाए। कटिहार जंक्शन के विषय में एक और बात उद्धृत करना चाहता हूं कि कटिहार में रेल लाइन का मात्र 30 प्रतिशत ही उपयोग हो पाता है। यदि इन गाड़ियों का विस्तार कटिहार तक किया जाए तो रेल पीट लाइन का सौ फीसदी उपयोग हो जाएगा जो कि रेल अपने औचित्य को जहां पूर्ण करेगा वहीं दूसरी तरफ कटिहार से अन्य गंतव्य स्थानों में जाने में यात्रियों को सुविधा होगी। यह रेलहित, राष्ट्रहित एवं जनहित में होगा। कटिहार–मनिहारी–बलुआघाट्टी तक के मीटर गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है एवं इस लाइन का विस्तार वाया अहमदाबाद भोलका रोड़ तक किया जाए। तत्कालीन रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान के समय में इसके लिए सर्वे भी कराया गया था।

मनिहारी एवं साहेबगंज के बीच सड़क सह रेलपुल की मांग बिहार एवं झारखंड की जनता पुराने समय से करती आ रही है। इस रेल पुल के निर्माण से झारखंड का बिहार एवं पूर्वोत्तर राज्यों से सीधा सम्बन्ध हो जाएगा।

- कटिहार से जय नगर वाया दरभंगा एक्सप्रेस गाड़ी जो पूर्व में चलती थी इसका परिचालन पुनः प्रारंभ किया जाए।
- दालकोला–तेलता के बीच हजियार हाल्ट का निर्माण होना चाहिए।
- सोनेली–झौआ के बीच विशनपुर हाल्ट पर सभी यात्री ट्रेन का ठहराव दिया जाए।
- ट्रेन ठहराव – 4083/84 महानन्दा एक्सप्रेस एवं 5610/5609 अवध–आसाम ट्रेन का ठहराव तेलता एवं सुधानी में दिया जाए।
- २ःिलापुर–सियालदाह एक्सप्रेस 3145/3146 का ठहराव आजमनगर रोड़ स्टेशन पर दिया जाए।
- कटिहार में गौशाला रेलवे गेट एवं संतोषी चौक रेलगेट पर आवेरब्रिज का निर्माण कराया जाए।
- नई डी.एम.यू. ट्रेन का परिचालन पटना एवं कटिहार से सुबह 6 बजे करना जनहित में लाभप्रद होगा। कटिहार में रेलवे की 111 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। उक्त जमीन में रेलवे कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन बनाने का प्रस्ताव है जबकि आवासीय भवन बड़े पैमाने पर कटिहार में उपलब्ध है। रेल मंत्री से आग्रह है कि इस भूमि पर डीजल रेल इंजन के रख–रखाव एवं मरम्मती हेतु वर्कशाप लगाया जाए या रेलवे स्लीपर का भी कारखाना लगाना उचित होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।*

श्री लालू प्रसाद : सभापति जी, भगवान ने इनके मुंह से बुलवा दिया कि ये दोबारा हमसे फिर मांग करेंगे, इसका मतलब यूपीए की सरकार फिर सत्तारूढ़ होगी।

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा (कनकपुरा) : महोदय, मैं यहां से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहती हूं।

[अनुवाद]

महोदय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व में, हमारे यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के कुशल मार्गदर्शन में यूपीए सरकार को बधाई देते हुए, मैं श्री लालू प्रसाद जी को, जो भारत के जाने–माने तथा भारत के अत्यधिक सफल रेल मंत्री हैं, जो राष्ट्रीय नेताओं में से एक हैं, यूपीए में भागीदार तथा आरजेडी के नेता हैं, को उनकी असाधारण उपलब्धि तथा प्रगति के लिए बधाई देती हूं जहां भारत और रेलवे, रेलवे और लाभ तथा रेलवे और प्रगति समानार्थी शब्द हैं और ये अविश्वसनीय शब्द हैं!

[हिन्दी]

यह सब कुछ हुआ है, इसे जादू नहीं कहते हैं, यह रिएलिटी है, इसलिए मैं भारत के गांव के लोगों की तरफ से लालू प्रसाद जी को रेल की प्रगति के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं!

[अनुवाद]

हार्वर्ड विश्व विद्यालय ने श्री लालू प्रसाद जैसे विशिष्ट नेता को व्याख्यान देने तथा आर्थिक स्थायित्व का निर्धारण करने की पद्धति जानने के लिए आमंत्रित किया। जब संपूर्ण विश्व आर्थिक मंदी से कांप रहा है, ग्रामीण पृष्ठभूमि गरीब पृष्ठभूमि से एक व्यक्ति को आर्थिक स्थायित्व का हल निकालने के लिए व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। उन्होंने विदेश में भारतीय झंडे का सम्मान बढ़ाया। उन्हें भाषण देने के लिए एम आई टी में आमंत्रित किया गया। इससे पता चलता है कि आज किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय नेता विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। मैं उन्हें उनके अथक परिश्रम तथा सफलता के लिए बधाई देती हूं।

[हिन्दी]

भारतीय रेल की प्रगति के पीछे सिर्फ लालू जी का दिमाग ही नहीं है, बल्कि इनका दिल भी है। दिल के साथ–साथ गरीब लोगों के लिए प्यार है। इसी कारण रेलवे की प्रगति हुई है। इस प्रगति के कारण और गरीब लोगों को जो फायदा हुआ है, उसके कारण मुझे उम्मीद है कि लाखों–करोड़ों लोगों की सेवा करने के लिए हम फिर सत्ता में आएंगे।

बिहार के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। मैं साउथ इंडियन हूं और कर्नाटक से बिलांग करती हूं। मेरे और बिहार के बीच में एक रिश्ता है, जहां महावीर जी ने श्रवणबेल गोला में धर्म नीति और सौहार्द की बात कही थी। 10 वर्ष पहले मैं राजनीति में नहीं थी, मैं मीडिया में थी। मुझे लालू जी का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। मैंने उनसे पूछा कि बिहार इतना सुंदर राज्य है, ऐतिहासिक राज्य है।

बिहार में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। आप सौहार्द की बात कहते हैं, यह ऐतिहासिक युद्धभूमि है, न्याय भूमि है, धर्म भूमि है फिर भी बिहार क्यों पीछे है? तब लालू जी ने उत्तर दिया कि बिहार पीछे इसलिए है क्योंकि लोग जब सत्ता में आए तब उन्होंने बिहार को टार्गेट किया। एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ भगवान ने प्राकृतिक आपदा दी है जैसे गंगा और कोसी में वर्षा के कारण बाढ़ आती है, के कारण बिहार पीछे रह गया। मैं लालू जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि एक इंडियन होने

[श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा]

के नाते बिहार को जो न्याय मिलना चाहिए था, वह दिया ताकि असमानता दूर हो सके। गरीब–अमीर, शहर और गांव के बीच की असमानता खत्म होनी चाहिए। इसलिए जो न्याय मिल रहा है वह सही है, मैं इसका समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

भारतीय रेलवे ने उसी संगठन से 90,000 करोड़ रुपये का नकदी अधिशेष सृजित किया जिसे 2001–02 में लाभांश देने को मजबूर किया गया था

[हिन्दी]

इन्होंने कहा इंडिया शाइनिंग, हमने कहा फील गुड फैक्टर और कुछ लोगों को मौका मिला। लेकिन आपने क्यों नहीं प्रगति की जिस तरह से लालू प्रसाद जी कर रहे हैं?

[अनुवाद]

लालू जी के कार्यकाल में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जैसे 'डेडीकेटिड फ्रेट कारीडोर' को संस्वीकृत किया गया है। पूर्वी 'डेडीकेटिड फ्रेट कोरीडोर' कोलकाता के रास्ते दनकुनी से लुधियाना तक जाता है तथा 'पश्चिमी फ्रेट कारीडोर' दिल्ली होते हुए दादरी से मुंबई तक जाता है!

[हिन्दी]

क्या इस देश में जो सुविधा है वह अमीर लोगों के लिए है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके पास पैसे नहीं हैं उनको भी यह सुविधा मिलनी चाहिए इसलिए लालू जी ने इंट्रोड्यूज किया और आज हम नुकसान होने के बाद भी केयर नहीं करते हैं क्योंकि वे भी इंडियन हैं। लालू जी ने 14 गरीब रथ दिए,

[अनुवाद]

केवल 585 रुपये में लोग गरीब रथ में यात्रा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

24 रेलवे स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। हमें पहली बार मौका मिला और जैसा हमने यूएस और मैक्सिको में देखा उसी तरह लालू जी ने इस दिशा में कदम उठाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं। मेरे भाई लाल सिंह जी, उधमपुर, कश्मीर के बारे में बहुत बात करते हैं, हर बात पर कहते हैं हम पांच साल से लड़ाई कर रहे हैं।

[अनुवाद]

उधमपुर से जम्मू तथा अनंतनाग से बारामुला के बीच नई रेल लाइनों का निर्माण किया गया है। यह लाइन देश की एकता तथा अखण्डता को सुदृढ़ करेगी।

[हिन्दी]

मैं राजनीति शास्त्र की छात्रा रह चुकी हूं और मुझे पता है जब तक कॉम्युनिकेशन नहीं होता, जब तक सुविधा नहीं मिलती तब तक मजबूती नहीं आती।

[अनुवाद]

अब देश के किसी भी भाग से यात्री 139 नम्बर डायल कर सकते हैं तथा रेलवे के बारे में जो भी सूचना वे चाहें, प्राप्त कर सकते हैं। मूल्यवृद्धि के इस दौर में, कोई भी व्यक्ति किराये को कम नहीं कर सकता है, जो हमारी सरकार ने किया है। यह दर्शाता है कि गरीबों की मदद करने के बावजूद हम इस देश को अत्यंत कार्यकुशल ढंग से चला सकते हैं।

[हिन्दी]

हम हमेशा गरीबों के साथ रहें।

महोदय, मैं कर्नाटक के बारे में डिमांड्स को सदन के पटल पर रखती हूं। लालू जी, कर्नाटक के लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

शेष भाषण मैं सभा पटल पर रख रही हूं।

[अनुवाद]

***(क) सर्वेक्षण**

नई लाइनें : इस बजट में कर्नाटक के लिए किसी भी नई लाइन का उल्लेख नहीं किया गया है।

आमान परिवर्तन : कर्नाटक के लिए इस बजट में किसी आमान परिवर्तन का उल्लेख नहीं है।

दोहरीकरण : होस्पेट-वास्कोगोहल्ली

(ख) यात्री सेवाएं

नई रेलगाड़ियां

1. मुंबई – कारवार सुपरफास्ट (सप्ताह में तीन बार)
2. काचीगुड़ा के रास्ते निज़ामुद्दीन – बंगलुरु राजधानी एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार)
3. मैसूर – यशवंतपुर एक्सप्रेस (दैनिक)

रेलगाड़ियों के मार्ग में विस्तार

1. जोधपुर–बंगलौर एक्सप्रेस का कोयम्बटूर तक विस्तार

.... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रख दिया गया।

रेलगाड़ियों की बारम्बारता में वृद्धि

1. कर्नाटक में रेलगाड़ियों की बारम्बारता में कोई वृद्धि नहीं की गई है।

रेल बजट 2008 की विशेषताएं

नई रेलगाड़ियां

(क) मछलीपट्टम – बंगलौर (सप्ताह में तीन बार)

(ख) यशवंतपुर – जोधपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक)

(ग) मैसूर – नंजनगुड टाउन एक्सप्रेस (दैनिक) (आमान परिवर्तन उपरांत)

रेलगाड़ियों का विस्तार

(क) 2677/2678 बंगलौर–कोयम्बटूर एक्सप्रेस को एर्णाकुलम तक

(ख) 2691/2692 चेन्नई–बंगलौर एक्सप्रेस को श्री सप्तसाई प्रशांति निलायम तक

(ग) 571/572 बंगलुरु–सेलम यात्री रेलगाड़ी को नागोर तक (आमान परिवर्तन उपरांत)

(घ) 356/357 धारवाड़ – गदग यात्री गाड़ी को बीजापुर तक

बारम्बारता में वृद्धि

(क) 6513/6514 बगलकोट – यशवंतपुर बसाबा एक्सप्रेस को सप्ताह में तीन बार से रोजाना

(ख) 2431/2432 निजामुद्दीन–त्रिवेन्द्रम (मंगलौर होते हुए) (सप्ताह में तीन बार)

नई लाइनें

(क) हरापनहल्ली – हरिहर

आमान परिवर्तन

(क) आनंदुरम – शोमोगा का तालगुप्पा – तालगुप्पा

दोहरीकरण

(क) कुड्डापाह – बंगलुरु

दक्षिण-पश्चिमी रेल

नई लाइनें (निर्माण)

कोट्टूर–हरिहर (वाया हरपनहल्ली 65 किमी)	124.12	76.58	30.00	17.54
कदूर–चिकमगलूर–सक्लेशपुर (93 किमी)	274.29	66.04	10.00	198.25
हसन–बंगलौर वाया श्रवणबेलगोला (166 किमी)	412.91	241.83	55.00	116.00
हुबली–बंकोला (167 किमी)	997.62	75.79	10.00	911.79
बंगलौर–सत्यमंगलम (260 किमी)	901.62	1.29	1.00	899.33
रायदुर्ग–तुमकुर वाया कलायनदुर्ग (213 किमी)	857.311		15.00	842.30

आमान-परिवर्तन

शोलापुर (होटली) गदग (300 किमी)	329.51	281.2	15.00	43.30
मैसूर चामराजनगर मेत्तूयलायम के विस्तार के साथ (148 किमी)	608.58	129.21	20.00	459.36
अरिसिकेरे–हसन–मंगलौर (236 किमी)	252.45	235.77	छपस	16.58
कोलार–चिकबलपुर (96.5 किमी)	99.42	20.00	70.00	9.42
बंगलौर–हुबली–शिमोंगा–तलगोप्पा	679.43	530.83	82.00	66.50

दोहरीकरण

अरिसिकेरे–विरुर पैच डब्लिंग (44.28 किमी)	98.21	1.0	50.00	47.21
रामानगरम–मैसूर केनगेरी–मैसूर का विद्युतीकरण (91.5 किमी)	313.18	5.15	50.00	258.03
व्हाइटफील्ड–बंगारपेट–कोप्पम (81.21 किमी)	225.05	145.5	25.00	74.66
बंगलौर–कैंगेरी–पैच डब्लिंग	24.40	22.34	5.00	2.01
कैंगेरी–रामनगरम (32.43 किमी)	116.75	40.91	5.00	70.84
यशवंतपुर–तुम्कर (64 किमी)	109.56	100.53	8.00	1.03
बंगलौर–व्हाइटफील्ड–बंगलौर सिटी के.आर.पुरम (20.08 किमी)	85.00	11.00	1.00	84.99
धारवाड़–कुम्बारगनवी (26.68 किमी)	96.76	20.07	50.00	26.69
हुबली–हेबसूर (17.17 किमी)	600.00	20.01	40.00	539.99
कुन्कुनाडी–मंगलौर	70.00	2.00	2.00	66.00*

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे रेल बजट 2009–10 के संबंध में बोलने का मौका दिया। मैं दो–तीन बातें कहना चाहता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि जब मेरे संसदीय क्षेत्र मे लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में बाढ़ के कारण रेल पटरी कट कर गिर गई थी और हमने चिट्ठी लिखी तब तत्कालीन मरम्मत करा दी गई। इसके साथ जो 18 ट्रेनें रुकी हुई थीं वे चालू हो गई हैं जिससे लोगों को आराम मिला है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और क्षेत्र की जनता की तरफ से बधाई देता हूं।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता का निवेदन है कि लखनऊ से सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली, नार्थ–ईस्ट रेलवे एनईआर के रेल खंड को ब्रॉड गेज करने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने वर्ष 2007 में एक बार सदन में आश्वासन भी दिया था। जनता बहुत डिमांड कर रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे ब्रॉड गेज किया जाए क्योंकि इसके कारण इस इलाके का आर्थिक विकास रुका हुआ है। यहां दो दर्जन से ज्यादा चीनी मिले हैं। यहां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ी स्टील प्लांट बनाने का मन बना लिया है और इसकी फाउंडेशन रख दी गई है।

वह हर तरीके से इकोनोमिक लाइन है और बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी वहां है। कृपा करके इसे कराने की मेहरबानी करें।

हमारे यहां दुधवा नेशनल पार्क है, लखनऊ से दुधवा के लिए डीएमयू की बहुत मांग की जा रही है, ताकि सभी तरफ से जो पर्यटक वहां आते हैं, वे वहां आसानी से पहुंच सकें। लखीमपुर को अपने मॉडल स्टेशन बनाया है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन हमारी आपसे विनती है कि मेरे जनपद के लखीमपुर, गोला और पलिया बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन हैं। यदि इन पर रेलयात्री निवास का निर्माण करा देंगे तो जनता को बहुत सुविधा हो जाएगी। लखीमपुर जो मुख्यालय है, उसमें चारों तरफ से बाई पास बन रहा है। वहां एक रेलवे क्रासिंग 122सी को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, जिससे कि वहां ट्रेफिक सुविधाजनक रूप से चल सके।

मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे यहां एनईआर का जो ब्रॉड गेज है, इसे शीघ्र कराने की मेहरबानी करें।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। वर्ष 2009–10 के इंटेरिम रेलवे बजट पर मैं बोलना चाहती हूं। मैं रेल मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं कि उन्होंने इस बार भी रेल का किराया नहीं बढ़ाया, बल्कि कुछ–कुछ सैक्टर में कम किया, इसके लिए मैं उन्हें अभिनंदन देना चाहती हूं।

महोदय, भारतवर्ष में हम सभी लोग जानते हैं कि अभी भी बहुत सारी जगहें रेलों से नहीं जुड़ी हैं। उन्हें रेलों से जोड़ना चाहिए। यह पहली मांग मैं लालू जी के सामने रखती हूं।

अब मैं अपने क्षेत्र की एक–दो बातें आपके सामने रखना चाहती हूं कि हमारे यहां एक पीरडोबा स्टेशन है, जहां से बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं। वहां से स्टूडेन्ट्स लोग ज्यादा जाते हैं, क्योंकि उसके पास ही मेदिनीपुर युनिवर्सिटी है। वहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। वहां के लोगों की बहुत दिनों से मांग है कि पीरडोबा स्टेशन में रुपोशी बांगला या पुरुलिया एक्सप्रेस में एक कम से कम एक ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। इसके अलावा जो भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को आपने चार दिन किया है, इसका बांकुरा रेलवे स्टेशन पर स्टापेज होना चाहिए। इसके अलावा जो पटना–कोचीन ट्रेन है, उसे दो दिन रखा गया है, यदि उसे चार दिन कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। चूंकि वहां से बहुत सारे पेशन्ट्स जाते हैं। इसके अलावा जो अंगुली प्रोजेक्ट चल रही है, बिदिया प्रोजेक्ट चल रही है, जो टूटीपुल टू छापना रेलवे और मोशाग्राम का जो काम चल रहा है और जो टूटीपुल की लाइन है, इन प्रोजेक्ट्स के लिए आप ज्यादा से ज्यादा फंड दीजिए, क्योंकि वहां के लोग बहुत बेचैन हैं, वहां बहुत सारे लोगों ने अभी तक रेल नहीं देखी है। लगभग 1 करोड़ 35 लाख लोग रेलवे में ट्रेवल करते हैं। मैं समझती हूं कि उन लोगों के लिए सुविधा होनी चाहिए। इसी तरह की बातें अन्य माननीय सदस्यों ने भी यहां रखी हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैंने आपके सामने जो प्वाइंट्स रखे हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि आप उन पर गौर करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं।

श्री डी.बी. पाटिल (नांदेड़) : सभापति महोदय, आपने मुझे इंटेरिम रेल बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपनी कुछ मांगों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सच तो यह है कि महाराष्ट्र के लिए माननीय रेल मंत्री जी ने कुछ नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है कि लालू जी का गुस्सा राज ठाकरे पर निकला और उसकी वजह से हमारे महाराष्ट्र को कुछ पैसा नहीं मिला। लेकिन लालूजी आपकी जितनी भी तारीफ की जाए, कम है। कई बार मैं आपसे मिला भी हूं। मैं लोक सभा के नांदेड़ क्षेत्र से चुनकर आया हूं। कई सालों से हमारी दो–तीन मांगें चली आ रही हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारा नांदेड़ रेल डिवीजन साउथ सैन्ट्रल रेलवे है, जिसे हमने सैंट्रल रेलवे से जोड़ना है। इसके बारे में कई एजिटेशंस हुए हैं, कई बार रास्ता रोको आंदोलन

हुए हैं। इसके अलावा आपने जो कपूर कमीशन बैठाया था, उसकी रिपोर्ट भी फेवर में है। इसलिए आपसे विनती है कि महाराष्ट्र की लाखों, करोड़ों जनता इसकी प्रतीक्षा में हैं। हमारे नांदेड़ क्षेत्र में गुरुता गद्दी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें माननीय पंत प्रधान जी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी, महामहिम राष्ट्रपति जी और आप भी आये थे। एक बड़ी आस लेकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की तरफ से मैं आपसे विनती करता हूं कि यदि सैन्ट्रल रेलवे से इसे जोड़ दें तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी।

बोधन–देगलूर–उदगीर एक छोटे से हिस्से को रेल लाइन सैंक्शन करने के लिए हम लोग 30 सालों से पीछे पड़े हुए हैं लेकिन आज तक इस खंड का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। हमने एम.पी. मीटिंग में इस बात को उठाया। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप महाराष्ट्र के लिए और खासकर नान्देड के लिए यह कार्य करेंगे तो सिक्ख समुदाय कभी नहीं भूलेगा।

नान्देड–देगलूर–बीदर को 170 किलोमीटर की नई रेल लाइन से जोड़ना है। यदि यह लाइन जुड़ती है तो बंगलौर–दिल्ली के लिए कॉरिडोर हो सकता है। इसका भी सर्वेक्षण होना चाहिए। यह एक बड़ी परियोजना है, जिस पर बड़ी ताकत लगाने वाले हैं।

सभापति जी, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग है कि मेरी इन तीन मांगों को पूरा किया जाए। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में कुछ न कुछ नान्देड के लोगों के लिए कहेंगे।

महोदय, शेष भाषण मैं सभा पटल पर रख रहा हूं।

*आदरणीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का इन मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस रेल बजट में महाराष्ट्र को कुछ नहीं मिला है।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र नांदेड जो कि एक पवित्र शहर है सिख धर्म के दसवें गुरू श्री गुरू गोविंदसिंह जी महाराज का यह समाधि स्थल है और 2008 में यहां गुरूता गद्दी कार्यक्रम हुआ है।

रेल की बात करें तो आपके सहयोग से नांदेड रेलवे स्टेशन एक आधुनिक स्टेशन के रूप में उभरा है।

परंतु इस बजट में नांदेड को अनदेखा किया गया है हमारी निम्नलिखित मांगें मंजूर करें ताकि सिख समाज को सुविधा हो और नांदेड शहर एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरे, और इन मांगों को पूरा होने से पूरे मराठवाडा के विकास में रेलवे का योगदान होगा।

1 कपूर कमीशन के सुझावों को तत्काल लागू करें और कपूर कमिशन के सुझावों के अनुसार नांदेड रेलवे डिवीजन को साउथ सेंट्रल रेलवे से निकालकर सेंट्रल रेलवे में जोड़ा जाए।

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

2 नांदेड देगलूर बिदर एवं बोधन देगलूर उदगीर रेल मार्ग की मांग बहुत पुरानी है और इस मार्ग के लिए बहुत बार धरना आंदोलन हुए एवं सदन में तारांकित प्रश्न उपस्थित हो चुके हैं साथ में मेरे इस बारे में अनेक निवेदन आपके पास हुए हैं इस मांग के लिए नागरिक बहुत ही आक्रामक हैं और दिल्ली से दक्षिण भारत को जोड़ने से यह मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रेल मार्ग दिल्ली बंगलौर कॉरीडोर बनने की क्षमता रखता है।

साथ में

1 काचीगुडा से अजमेर के लिए नांदेड मार्ग से नई रेल चालू करें।

2 नांदेड से अहमदाबाद के लिए नई रेल हफ्ते में एक बार चालू करें।

3 नांदेड नागपुर रात्रि के लिए रेल चालू करें।

4 विशाखापट्टनम निझामाबाद रेल नांदेड तक विस्तारित करें।

5 नांदेड पूणे एक्सप्रेस रेल जो हफ्ते में दो बार है उसे नियमित करें।

6 नांदेड नागपुर के बीच एक पैसेंजर रेल चालू करें।

7 नांदेड पटना रेल नियमित करें जो हफ्ते में एक बार है।*

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंतरिम रेल बजट की चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

कांग्रेस पार्टी की तरफ से तथा मेरी नेता मैडम सोनिया गांधीजी की तरफ से, मैं हमारे माननीय रेल मंत्रियों, श्री लालू, श्री वेलू तथा श्री राठवा को लोकलुभावन अंतरिम रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता रहा हूं।

2001 के दौरान, भारतीय रेलवे के पास पुरानी पड़ गई परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए धनराशि नहीं थी तथा 2800 करोड़ रुपयों के लाभांश की अदायगी को टालना पड़ा। आज इसके पास 90,000 करोड़ रुपयों का संचित भंडार है तथा 4700 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है यहां तक कि 'फार्चून 500 कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण जुटाने में कठिनाई का अनुभव कर रही हैं लेकिन भारतीय रेल वित्त निगम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 4 प्रतिशत ब्याज पर 100 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण जुटाया है। अब, पूरे विश्व में, अमेरिका सहित अधिकांश देश वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं तथा कई निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं तथा उनके वेतन की अदायगी कर रही हैं।

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस. के. खारवेनथन]

वर्तमान परिस्थिति में, भारतीय रेल ने 13,500 करोड़ रुपये आबंटित करके सफलतापूर्वक छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित किया। इसके माध्यम से 14 लाख कर्मचारी तथा 11 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए। गत चार वर्षों में, भारतीय रेल ने 70,000 करोड़ रुपये निवेश किए तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 2.3 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है। माननीय रेल मंत्री ने 45 नई रेलगाड़ियों की घोषणा की; 14 रेलगाड़ियां की बारंबरता बढ़ाई गई; तथा 14 रेलगाड़ियों का विस्तार किया गया। लेकिन 43 नई रेलगाड़ियों में से दो रेलगाड़ियां तमिलनाडु को दी गईं। मालढुलाई लदान 2004–05 में 602 मिलियन टन से बढ़कर 2008–09 में 850 मिलियन टन हो गया। 2004–05 के दौरान यात्रियों की संख्या 5377 मिलियन थी तथा अब उनकी संख्या बढ़कर 7036 मिलियन हो गई। भारतीय रेल ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। 2002–03 के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या 351 थी; 2003–04 के दौरान यह 323 थी; 2004–05 के दौरान यह घटकर 234 हो गई। 2005–06 के दौरान यह 234 थी; तथा 2006–07 के दौरान यह घटकर 195 हो गई तथा 2007–08 के दौरान यह संख्या 194 थी।

सभापति महोदय : श्री खारवेनथन, आप अपने भाषण का शेष अंश सभापटल पर रख सकते हैं।

श्री एस.के. खारवेनथन : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

2007–08 के दौरान, यह संख्या 138 थी; तथा 2008–09 के दौरान इसकी संख्या 117 है। यह माननीय लालूजी की महान उपलब्धि है। मैं लालू जी तथा उनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं।

मैं अपने भाषण का शेष अंश सभापटल पर रख रहा हूं।

सभापति महोदय : आप इसे रख सकते हैं।

श्री एस.के. खारवेनथन : महोदय, मैं अपने भाषण का शेष अंश सभापटल पर रखता हूं।

* महोदय, वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु अंतरिम रेल बजट पर चर्चा में मुझे भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस पार्टी की ओर से तथा हमारी नेता मैडम सोनिया जी की ओर से मैं लोकप्रिय अंतरिम रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए हमारे माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद, श्री वेलू और श्री राठवा को बधाई देता हूं।

वर्ष 2001 के दौरान, भारतीय रेलवे के पास पुरानी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए धनराशि नहीं थी और उसे 2809 करोड़ रुपये के लाभांश में भुगतान को स्थगित करना पड़ा था। आज इसके पास 90,000 करोड़ रुपए का भंडार है और इसने हाल ही में 7,700 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है। "फॉर्चूनेट 500 कंपनियों" को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ऋण लेने में कठिनाई हो रही है परन्तु भारतीय रेल वित्त निगम ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से 4% की दर पर 100 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण उठाया है। आजकल अमरीका सहित अधिकांश देश वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और कई निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं तथा उनके वेतन के भुगतान में विलंब कर रही हैं।

वर्तमान स्थिति में भारतीय रेलवे ने 13,500 करोड़ रुपये का आबंटन कर छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है और इसके माध्यम से 14 लाख कर्मचारी तथा 11 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हुए हैं। पिछले 4 वर्षों में भारतीय रेलवे ने 70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसकी 2.3 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना है। माननीय रेल मंत्री ने 45 नई रेलगाड़ियों की घोषणा की है, 14 रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाए गए और 14 रेलगाड़ियों का विस्तार किया गया है, परन्तु 43 नई रेलगाड़ियों में से 2 रेलगाड़ियां तमिलनाडु को दी गई हैं। वर्ष 2004–05 में माल ढुलाई 602 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2008–09 में 850 मिलियन टन हो गई है। वर्ष 2004–05 के दौरान यात्रियों की संख्या 5,377 मिलियन थी जो बढ़कर 7,056 मिलियन हो गई है। भारतीय रेलवे ने दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। वर्ष 2002–03 के दौरान 351 दुर्घटनाएं घटी थी, वर्ष 2003–04 में यह संख्या 323 थी, वर्ष 2004–05 के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या घटकर 234 हो गई और वर्ष 2005–06 में यह संख्या 195 रही जबकि वर्ष 2006–07 के दौरान यह घटकर 194 हो गई और 2007–08 के दौरान यह संख्या 138 रही और वर्ष 2008–09 के दौरान यह संख्या 117 रही, माननीय लालू जी की यह महान उपलब्धि है, मैं उन्हें और उनकी टीम को बधाई देता हूं।

इस अवसर पर मैं इरोड़–पलानी वाया धारापुरम को जोड़ने वाली नई रेल लाइन को स्वीकृति देने के लिए माननीय रेल मंत्री महोदय लालू जी और माननीय वेलू जी का धन्यवाद करता हूं। वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु रेल बजट पर चर्चा के दौरान मैंने उपरोक्त नई रेल लाइन को स्वीकृति देने का मुद्दा उठाया था। वर्ष 2005–06 के बजट में इसकी घोषणा की गई और आरंभिक नए सर्वेक्षण हेतु धनराशि आबंटित की गई। दक्षिण रेलवे ने अपना सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और इसने 30.11.2006 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जोकि सकारात्मक रिपोर्ट है। रिपोर्ट तथा इस योजना की स्वीकृति देने का मुद्दा मैं कई बार संसद में उठा चुका हूं, परन्तु दुर्भाग्यवश रेलवे बोर्ड और योजना आयोग ने इस रिपोर्ट को अव्यवहार्य बताकर इसे अस्वीकृत कर दिया है। मैं यह मुद्दा लोगों

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

के बीच ले गया और 4 फरवरी, 2008 से 10 फरवरी, 2008 के बीच मैंने इरोड़ से पलानी तक पदयात्रा की जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। तत्पश्चात् अंततः वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु रेल बजट के माध्यम से उपरोक्त परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई। स्थान के अंतिम सर्वेक्षण हेतु 78 लाख रुपये भी आबंटित किए गए थे तथा सर्वेक्षण चल रहा है। रेल मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को बिना किसी और विलंब के यथाशीघ्र पूरा किया जाए।

इसी प्रकार से मैंने डिंडीगुल से कोयम्बटूर की छोटी लाइन के आमान परिवर्तन का मुद्दा उठाया था। अब यहां कार्य चल रहा है। माननीय रेल मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह आवश्यक धनराशि आबंटित करें तथा कार्य को यथाशीघ्र पूरा करें।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र पलानी में ओड्डानचतरम एक महत्वपूर्ण शहर है। गांधीनगर के वार्ड सं. 567 डिंडीगुल–कोयम्बटूर रेल लाइन के दक्षिण में स्थित है। लगभग 5000 लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं। इस देश में कई शैक्षणिक संस्थान भी हैं। एन एच–209 रेल लाइन के उत्तर में स्थित है। लोगों को रेल लाइन पार करके एन एच 209 से गांधी नगर जाना पड़ता है इसलिए लोग दक्षिण रेलवे से लेकर अंडर ब्रिज बनाने का आग्रह कर रहे हैं। यह मांग काफी लंबे से की जा रही है। इसलिए रेल मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह ओड्डाचतरम से गांधी नगर तक आर यू बी को स्वीकृति दें।

केन्द्र में संप्रग सरकार के सत्ता संभालने के बाद हमारे माननीय रेल मंत्री ने तमिलनाडु में पांच महत्वपूर्ण नई रेल लाइन बिछाए जाने की भी घोषणा की थी। ये निम्नवत् हैं:–

	अनुमानित लागत
(i) डिंडिगुल–कुमुली (134 किलोमीटर)	504.90 करोड़
(ii) उरियालूर–तंजावुर (50 किलोमीटर)	279.41 करोड़
(iii) नीदामंगलम–पाट्टुकोट्टराई (55 किलोमीटर)	275.54 करोड़
(iv) धर्मपुरी–मोराप्पुर (36 किलोमीटर)	146.42 करोड़
(v) तिरूवल्लमल्लाई–जोल्लारपेट (83 किलोमीटर)	356.77 करोड़

उक्त पांच लाइनों की अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपये है। प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आधार पर रेलवे बोर्ड ने सभी पांचों परियोजनाओं को अनुमोदन दे दिया है लेकिन योजना आयोग ने राज्य तथा केंद्र को 50:50 के आधार पर संयुक्त उद्यम करने का निर्देश दिया है।

योजना आयोग के अनुसार तमिलनाडु सरकार को 750 करोड़ रुपये देने होंगे। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए धनराशि उपलब्ध कराने से मना कर दिया है क्योंकि लाइनें शुरू होने के बाद केवल रेलवे बोर्ड को आय होगी तथा राज्य सरकार को इसमें से कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। ये पांचों लाइनें पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ेंगी। डिंडीगुल–कुमिली से दो राज्य तमिलनाडु तथा केरल जुड़ेंगे। इस मार्ग से बड़ी संख्या में श्रृद्धालु सबरीमाला जाते हैं। इसी प्रकार से तिरूवन्नामल्लाई दक्षिण भारत में भगवान शिव का प्रसिद्ध मन्दिर है। वर्ष भर बड़ी संख्या में श्रृद्धालु तिरूवन्नामल्लाई जाते रहते हैं। अतः इस मार्ग से रेलवे को भी और अधिक आय होगी।

अतः मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु के 50% हिस्सेदारी की प्रतीक्षा किए बिना, उसे 1500 करोड़ रुपये आबंटित करने होंगे तथा प्राथमिकता के आधार पर इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करना होगा।

विलुपुरम–डिंडीगुल के दोहरीकरण की परियोजना काफी समय से लंबित है। इस कार्य की घोषणा 2008–09 के बजट में भी की गई थी किन्तु प्रारम्भिक कार्य भी शुरू नहीं हुआ है। यह तमिलनाडु की सबसे महत्वपूर्ण लाइनों में से एक है। इस कार्य को यथा शीघ्र शुरू करना होगा। दूसरी लाइन माइलादुतुरई–विलुपुरम के चालू आमान परिवर्तन का कार्य पूरा होने के लिए कई वर्षों से लंबित है। इसे शीघ्र ही पूरा करना होगा। त्रिची–मदुरई के विद्युतीकरण का कार्य शुरू हो गया है लेकिन यह कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है और इसमें तेजी लानी होगी। मदुरई–कन्याकुमारी, मदुरई तुतिकोरिन लाइनों का विद्युतीकरण करने की घोषणा की गई थी लेकिन यह कार्य अभी भी शुरू नहीं हुआ है।

मेरा माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि इन कार्यों को शीघ्र शुरू करवाएं तथा बिना विलम्ब किए पूरा करवाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए अंतरिम रेल बजट 2009–10 का समर्थन करता हूं।*

[हिन्दी]

श्री शिशपाल चन्द (श्रीगंगानगर) : सभापति जी, जैसा सभी लोग बता रहे हैं कि माननीय रेल मंत्री जी ने यात्री भाड़े, माल भाड़े में कोई बढ़ोत्तरी न करके केवल रेल की आमदनी बढ़ाने का काम किया है। मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने रेल किरायों में तो 2 प्रतिशत की कमी की है लेकिन ऐसी 210 ट्रेनों को जो मेल–एक्सप्रेस हैं, उन्हें सुपरफास्ट बनाकर उनमें प्रति व्यक्ति 15 रुपए प्रति टिकट पर बढ़ाए हैं, उसका इस बजट में जिक्र नहीं किया गया है। इस प्रकार यह बढ़ोत्तरी पहले कर दी गई और बाद में रेल किरायों में 2 प्रतिशत की कमी की गई है।

[श्री निहाल चन्द]

सभापति महोदय, इसमें कमी करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रति व्यक्ति, प्रति टिकट के पीछे जो बढोत्तरी की है, यह बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ज्यादा कुछ लम्बी–चौड़ी बात न करके, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एनडीए सरकार ने श्री गंगानगर से लेकर स्वरूपनगर तक मीटरगेज लाइन को ब्रॉडगेज किया था और उसके लिए 115 करोड़ रुपया स्वीकृत किया था। 70 करोड़ रुपए एनडीए सरकार के समय जारी हुए थे और बाकी 45 करोड़ रुपया अभी तक जारी नहीं हुआ है। यह सीमावर्ती लाइन है और यह लाइन सेना व किसानों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर आप बाकी का 45 करोड़ रुपया जारी कर दें, तो सीमा पर सिर्फ एक लाइन मीटरगेज बची है, वह भी ब्रॉडगेज हो जाएगी। इसके अलावा पिछले बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने श्री गंगानगर से लेकर जयपुर तक के मीटरगेज के टुकड़े को आपने बजट में रखा था। अगर उसकी स्वीकृति मिल जाए तो यह सीमा पर सबसे बड़ा काम होगा। श्री गंगानगर, राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और यह बिल्कुल सीमा पर है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको प्राथमिकता के आधार पर कम्प्लीट कराया जाए क्योंकि श्री गंगानगर का नाम इस बजट में कहीं भी नहीं है। इसके अलावा श्री गंगानगर से लेकर जयपुर तक की मीटरगेज लाइन को भी कम्प्लीट कराया जाए। श्री गंगानगर से अमृतसर वाया भटिंडा को सीधे रेल सेवा से जोड़ा जाए।

सभापति महोदय, लालकिला एक्सप्रेस नई दिल्ली तक है, उसको श्री गंगानगर तक बढ़ाया जाए। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ जंक्शन सबसे पुराना जंक्शन है, वहां पर लोको शैड को वर्ष 1994 में आपने बंद कर दिया था। वहां पर डीजल शैड स्थापित किया जाए। महोदय, हनुमानगढ़, रावतसर, पल्लू सरदार शहरों का सर्वे वर्ष 1999 में हुआ था और उस रेल लाइन को भी बजट में रखा जाए। गंगा, यमुना, सरस्वती एक्सप्रेस जो नई दिल्ली तक है, उसको श्री गंगानगर तक बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय, श्री गंगानगर कृषि प्रधान क्षेत्र है और किसानों की उपज का सही मूल्य उन्हें नहीं मिल रहा है क्योंकि यह रेल सेवा से नहीं जुड़ा हुआ है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर मात्र एक ट्रेन दाराबा एक्सप्रेस श्री गंगानगर से दिल्ली के लिए चलती है और उसमें भी थर्ड एसी चल रहा है। महोदय, उसमें एक कोच और लगाया जाए और इंटरसिटी श्री गंगानगर से...

सभापति महोदय : हमने एलाऊ कर दिया है। आप अपना लिखित भाषण टेबल पर रख दीजिए। यह सब बातें आपके रिकार्ड में आ जाएंगी।

श्री निहाल चन्द : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। महोदय, तत्कालीन रेल मंत्री जी ने श्री गंगानगर को मॉडल स्टेशन घोषित किया था।

सभापति महोदय : निहाल चन्द जी आप समय का ध्यान रखिए। आप रेस्ट ऑफ द स्पीच को ले कर दीजिए। आप सदन के पटल पर स्पीच को ले कर दीजिए। आप स्पीच को टेबल पर रख सकते हैं।

* आपने रेल बजट पर बोलने का मौका दिया आपको धन्यवाद। महोदय, रेल मंत्री ने ऐसा बजट रखा है जैसे पूरे देश के रेल मंत्री नहीं बिहार के रेल मंत्री हों। बजट में नई ट्रेनें एवं फेरों में वृद्धि की है, रेल का समूचा पैसा बिहार को दिया है।

महोदय, 2006–07 से 2007–08 में यात्री आमदनी का 26073 करोड़ का मुनाफा यानी 15.2 प्रतिशत की वृद्धि (इनकम) हुई।

माल वृद्धि में 5,352.28 करोड़ यानी 13.03 प्रतिशत की इनकम में वृद्धि हुई।

महोदय, बजट में तो यात्री किराया 2 प्रतिशत की कमी की परंतु दिसम्बर 08 में 210 ट्रेन मेल या एक्सप्रेस को सुपरफास्ट कर प्रति व्यक्ति से प्रति टिकट 15 रुपया ज्यादा किराये में बढ़ोत्तरी कर वसूल रेल कर रही है। जिससे 114 करोड़ का मुनाफा अलग से हो रहा है। बजट में रेल दोहरीकरण एवं रेल फेरों में तो वृद्धि की परंतु उत्तर रेलवे जोन में ट्रेन नहीं मिली न ही राजस्थान को कुछ भी मिला। इसके अलावा बजट में यात्रियों की सुविधा एवं उनका भोजन, बुनियादी ढांचा एवं सुरक्षा के बारे में बजट में जिक्र तक नहीं किया इसको भी प्रमुखता के आधार पर लेना चाहिएं।

एनडीए की सरकार ने रेल दोहरीकरण किया था। वर्तमान केन्द्र सरकार उसको पूरा नहीं कर रही है। श्री गंगानगर–स्वरूपनगर मीटरगेज को ब्रॉडगेज किया था तथा उसको 70 करोड़ रु. जारी होने के बाद 45 करोड़ रुपया बाकी जारी कर इस रेल का कार्य पूरा करना था। केन्द्र सरकार अब तक नहीं कर पायीं। अतः इस कार्य को तुरंत एवं जल्दी पूरा करावें। यह लाइन सीमावर्ती लाइन है। सुरक्षा एवं सेना की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

महोदय, राजस्थान को इस रेल बजट से कुछ नहीं मिला। मेरे लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर का नाम बजट में कहीं पर छपा भी नहीं। महोदय, मेरा क्षेत्र सीमा पर है। नागरिकों की सुविधा के लिए जिला मुख्यालय पर ओवरब्रिज स्वीकृत होना चाहिए जो नहीं हुआ।

मैं अपने मेरे क्षेत्र के लिए कुछ रेल मंत्री जी से मांग कर रहा हूं:–

1. श्रीगंगानगर से जयपुर मीटरगेज लाइन जो बजट 2007–2008 में शामिल किया था उसको स्वीकृति देकर कार्य चालू करवाया जाए।

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

2. श्रीगंगानगर से अमृतसर वाया भटिंडा को सीधा रेल सेवा से जोड़ा जाए।

3. लालकिला एक्सप्रेस श्रीगंगानगर तक बढ़ायी जाए।

4. नई दिल्ली से श्रीगंगानगर को एक और ट्रेन दी जाए।

5. हनुमानगढ़ लोको शैड स्टेशन था 1994 में जिसको बंद कर दिया गया। हनुमानगढ़ मध्य एवं बड़ा स्टेशन है। यहां पर डीजल शैड स्थापित किया जाए।

6. हनुमानगढ़, रावतसर, पल्लू सरदार शहर का सर्वे 1999 में हो चुका है। इस लाइन को स्वीकृति प्रदान की जाए।

7. गंगा, यमुना, सरस्वती एक्सप्रेस जो नई दिल्ली तक है इसको गंगानगर तक बढ़ाया जाए।

8. हनुमानगढ़ को सीधी रेल सेवा से दिल्ली तक जोड़ा जाए या अनूपगढ़ से सीधी लाइन को हनुमानगढ़ भटिंडा तक जोड़ा जाए। किसान एक्सप्रेस भटिंडा तक को हनुमानगढ़ तक बढ़ाया जाए।

महोदय, सीमावर्ती क्षेत्रों का बजट में ध्यान रखकर समस्या का समाधान किया जाए। हमारा इलाका कृषि पर निर्भर है। रेल का आवागमन होने पर किसान की जीन्सों का मूल्य भी बढ़ेगा, किसान एवं प्रत्येक नागरिक लाभान्वित होगा। महोदय, श्री गंगानगर 'ए' क्लास मॉडल रेलवे स्टेशन है। सुविधाओं से वंचित है। मॉडल स्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। स्टेशन पर कोई एक भी स्टाल नहीं है। आदर्श स्टेशन घोषित होने के बारे में रेलवे स्टेशन (रेल बोर्ड) नहीं लगा जबकि तत्कालीन रेल मंत्री ने स्वयं श्रीगंगानगर में जाकर घोषणा भी की थी। कृपया रेल सेवा बोर्ड की स्थापना भी तुरन्त होनी चाहिए।

महोदय, देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा श्रीगंगानगर रेल की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। सेना की दृष्टि एवं किसान कृषि जिला एवं सुपर विद्युत प्लांट सूरतगढ़ को देखते हुए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। महोदय, रेल की प्रत्येक अनुशंसा दर्ज कर सुविधा दिलाने का कष्ट करें।*

श्री सुभाष महरिया (सीकर) : सभापति महोदय, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को रेल बजट के तहत राजस्थान की तरफ और राजस्थान में भी शेखावटी की तरफ जो ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं दिया गया। मैं तो यह सोच रहा था कि राजस्थान वीरों की धरती है और हमारे रेल मंत्री जी भी वीर हैं। वीर रेल मंत्री जी, वीरों की धरती को थोड़ा सा भूल गए हैं। इसलिए अब रेल बजट में मैं अपनी ओर से निवेदन करना चाहूंगा कि इसका ख्याल करें। पूरे देश में सबसे ज्यादा सैनिक राजस्थान के धार्मिक पर्यटन स्थलों के लिए, हमारा शेखावटी का अंचल पाकिस्तान के ओशालासदी बाबा के नाम से पहचाना जाता है। वहां पर ब्रॉडगेज की लाइन जयपुर से सीकर और सीकर से लोहारू, जयपुर से सीकर और सीकर से चोरू हनुमानगढ़ तक की जो लाइन है उसके लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। दो साल पहले सर्वे का काम शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक उस सर्वे के काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। अभी गत वर्ष आमान परिवर्तन के लिए जो घोषणा हुई थी, उस आमान परिवर्तन के ऊपर रेवाड़ी, फुलेरा वाया रिंगस जो रेल चालू होनी चाहिए थी, वह इंतजार कर रही है और आपको समय नहीं है। आप समय दीजिए, हम स्वागत के लिए तैयार हैं ताकि वह रेल चालू हो सके।

सभापति महोदय, इसके साथ ही फ्रेड कॉरीडोर की जो घोषणा हुई, उसमें दादरी से लेकर रेवाड़ी और रेवाड़ी से फुलेरा, अहमदाबाद, मुंबई तक के लिए हमारा इलाका राजस्थान माइंस और मिनरल्स के लिए उसमें रहेगा। फ्रेड कॉरिडोर के लिए जो पश्चिमी पैच है इसका काम जल्दी शुरू होना चाहिए।

इस काम को दो साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन वह आज तक अधूरा पड़ा है। इस फ्रैट कोरिडोर के बनने से रेलवे भी आबाद हो जाएगा। मेरा निवेदन है कि आप इस ओर विशेष ध्यान दें।

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील (लातूर) : सभापति महोदय, मैं अंतरिम रेल बजट पर भाषण करने के लिए खड़ी हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। रेल मंत्री द्वारा हमारे यहां के लिए किसी नई परियोजना की घोषणा नहीं की गई है। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूं। ब्राडगेज का काम हमारे यहां चालीस साल में नहीं हुआ था, वह आपके कार्यकाल में हो गया, मैं इसके लिए रेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। जब से आपने इस ब्राडगेज लाइन का उद्घाटन किया है, तब से यह लाइन मुनाफे में जा रही है। इसलिए मैं आपसे मांग करती हूं कि यहां की ट्रेनों में एक्स्ट्रा डिब्बे लगाए जाएं।

इसके अलावा लातूर से तिरूपति तक ट्रेन की मांग करती हूं। हमारे यहां से लोग दुर्गापुर दर्शन करने के लिए जाते हैं, मेरी मांग है कि वहां के लिए भी एक ट्रेन चलाई जाए। हमारे यहां के मुस्लिम भाई अजमेर शरीफ जाते हैं, वहां के लिए भी ट्रेन चलाई जाए। मेरी मांग है कि लातूर से जयपुर के लिए ट्रेन की भी मांग करती हूं। आपने सभी राज्यों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आप महाराष्ट्र से क्यों खफा हैं, इसका मुझे पता नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप पूरे देश के लिए रेल मंत्री हैं महाराष्ट्र रेलवे को सबसे ज्यादा रेवेन्यू

[श्रीमती रूपाताई डी. पाटील]

देता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अभी भी काफी कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि महाराष्ट्र और लातूर के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैं कोई भाषण नहीं कर रही हूं, अपनी मांगे रख रही हूं। आपने जो कुछ किया है, मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूं। मुझे यहां चुनकर भेजने वाले लोगों ने मुझसे कहा कि लालू जी के मंत्री रहते हुए ही लातूर एक्सप्रेस शुरू हुई है। उन्हें आशा है कि आगे भी नई गाड़ियां शुरू होंगी। परई–लातूर–नीलांगार–वाड़ी का एक सर्वे हुआ था। यह कम खर्चीला मार्ग है। इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। महाराष्ट्र में डिब्बे बनाने का एक कारखाना है, जिसके लिए मैंने सौ करोड़ रुपए की मांग की थी। आपके सौ करोड़ रुपए दे देने से हमारे यहां के लोगों की बेरोजगारी दूर होगी। आप नई जगह कारखाना न खोलें और महाराष्ट्र से दुर्भावना न रखते हुए, वहीं इसे जारी रखेंगे तो हम आपके आभारी होंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

*महोदय, रेल मंत्री द्वारा पेश किए रेल बजट (अंतरिम) पर भाषण देने का मौका मिला, इसलिए मैं धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहती हूं कि रेल मंत्री द्वारा हमेशा की तरह घोषणाओं का पिटारा खोला है। महज घोषणाओं के आधार पर लोकप्रिय होने की धुन उन पर सवार हो रही है।

रेल मंत्री द्वारा हमारे यहां के लिए कोई नई परियोजना की घोषणा नहीं की गई, इसका मुझे खेद है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरने वाली लातूर एक्सप्रेस से स्थानीय लोग बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं। यह ट्रेन राज्य की राजधानी मुंबई जाती है, इसलिए इसमें भारी भीड़ को देखते हुए इसके डिब्बों की संख्या बढ़ाने तथा लातूर में इसका यात्री कोटा भी बढ़ाने की आवश्यकता है। रेलवे के राजस्व में इजाफा करने वाली इस ट्रेन के डिब्बे बढ़ाने की घोषणा मंत्री जी अपने जवाब में करें। इसी तरह लातूर यह जिला मुख्यालय का रेल स्टेशन होने के बावजूद यहां यात्री सुविधा का अभाव है। लातूर के शैक्षिक तथा अन्य महत्व को देखते हुए रेल स्टेशन को मॉडल रेल स्टेशन का दर्जा देकर यहां पर संगणकीय टिकट आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) तथा अन्य यात्री सुविधा का अत्याधुनिकीकरण सहायता की भी घोषणा करें।

लातूर यह दक्षिणी राज्य कर्नाटक से लगा हुआ है। यहां के लोग तिरूपति आने–जाने लेकिन उन्हें सीधे जाने–आने की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए लातूर से तिरूपति के लिए एक नई ट्रेन शुरू करने की घोषणा करें। इसी तरह मराठवाड़ा तथा महाराष्ट्र के लोग तुलजापुर के भवानी का दर्शन करने बड़ी संख्या में जाते हैं। लातूर से भाविकों के लिए ट्रेन की कोई सुविधा नहीं होने से उनको हो रही परेशानी का संज्ञान लेकर लातूर–तुलजापुर नई ट्रेन तत्काल शुरू करने की भी आवश्यकता है। हमारे यहां पर परली–लातूर–निलंगा–उमरगा–वाडी–गुलबर्गा अंतर्राज्यीय रेल मार्ग निर्माण के लिए कुछ वर्षों पहले सर्वेक्षण किया गया था। लेकिन इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए इसके निर्माण की आज बहुत आवश्यकता है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इसके वास्तविक निर्माण के लिए पूर्ण सर्वेक्षण कराकर प्रत्यक्ष निर्माण के लिए वित्तीय आबंटन किया जाए।

महाराष्ट्र में रेल के डिब्बे निर्माण संयत्र चिंकहिल में स्थित है। ब्रिटिश काल से यह इकाई शुरू है। नैरोगेज से ब्रॉडगेज परिवर्तन की साक्षी इस इकाई को आज बंद करने का षडयंत्र रचा जा रहा है। हमने इसे कायम शुरू करने के लिए इसके अत्याधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय से 100 करोड़ रुपए आबंटित करने की मांग की थी। लेकिन दुर्भाग्य से रेल मंत्रालय ने इसे माना नहीं, मैं आपसे पुनः आग्रह करती हूं कि इस रेल मरम्मत इकाई को शुरू करने के लिए तत्काल वित्तीय सहायता जारी करें।

लातूर यह दक्षिण रेलवे में आता है। इसके काम को लेकर हमें सुदूर हैदराबाद मंडल कार्यालय में जाना पड़ता है। यह समय की हानि का कार्य है। अगर यह मध्य रेल मंडल से जोड़ा गया तो प्रादेशिक संलग्नता के साथ सभी दृष्टि से सुविधाजनक होगा। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से मांग करती हूं कि लातूर क्षेत्र को दक्षिण रेल मंडल से मध्य रेल मंडल में शामिल करने के लिए कार्रवाई करें।

रेल मंत्री द्वारा हरदम रेल के मुनाफे की चर्चा की जाती है। अगर रेल मुनाफे में है तो यात्री सुविधा के लिए अनुरोध के बाद भी खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है। आज भी पैसेंजर ट्रेनों के यात्री के साथ अन्य यात्री नरकीय वातावरण में यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। उन्हें बुनियादी यात्री सुविधा उपलब्ध कराने में रेल मंत्री क्यों नहीं कार्रवाई करते, यह सवाल है। रेल में यात्रा करते समय लंबी दूरी के यात्रियों को हरदम परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात में सोते समय अगर गंतव्य स्थान पर उतरना है तो तकलीफ होती है। लालू जी द्वारा ट्रेनों में डिसप्ले बोर्ड लगाकर गंतव्य स्थान, स्टेशनों की जानकारी देने की सुविधा उपलब्ध कराने का वायदा किया गया था, लेकिन खेद से कहना पड़ रहा है कि उनकी अन्य घोषणाओं की तरह यह भी आज तक पूरी नहीं हुई है। यात्री सुविधा की दृष्टि से यह आवश्यक है। अतः देर से सही रेल मंत्री इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें। लातूर से जयपुर अजमेर ट्रेन कराएं।*

श्री महेश कनोडीया (पाटन) : सभापति महोदय, आपने रेल बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं रेल मंत्री

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

जी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रेल बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रेल मंत्री जी यात्रियों को सुविधा देने की बात तो करते हैं, लेकिन भारी सब्सिडी की वजह से सस्ते पैकेज वाली ट्रेनें नहीं चलाई गईं। इस चुनावी वर्ष में कुछ स्थानों से देशाटन के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अभी हाल में एक ट्रेन मुम्बई से दक्षिण भारत के लिए चलाई गई है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इसी तरह की एक ट्रेन मेरे संसदीय क्षेत्र पाटन से भी चलाई जाए ताकि इसका लाभ मेरे क्षेत्र के लोगों को भी मिल जाए।

महोदय, मेरे कहने पर आपने पाटन–मेहसाणा नई ब्रॉडगेज लाइन शुरू की, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। वहां गाड़ियां भी चलाईं।

रात्रि 10.00 बजे

वहां पहले चार–चार गाड़ियां चलती थीं, अब वहां एक ही गाड़ी चल रही है। वहां ये सब ट्रेनें चलनी चाहिए। मेरे गुजरात, पाटन, मेहसाणा, अहमदाबाद में ट्रेनें चलाई जाएं।

महोदय, अंत में मैं एक शेर सुनाऊंगा – "लालू जी आपने बजट में बातें बुलंद कर दीं, पाटन में बनाया ब्रॉडगेज गाड़ियां बंद कर दीं।" आप वहां गाड़ियां चलाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

*माननीय महोदय, आपने रेलवे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय रेल मंत्री जी यात्रियों को सुविधा देने की बातें तो करते हैं लेकिन भारी सब्सिडी की वजह से साल भर सस्ते पैकेज वाली गाड़ियां नहीं चलाई। इस चुनावी वर्ष में वाहवाही लूटने के लिए कुछ कुछ स्थानों से देशाटन के लिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अभी हाल ही में ऐसी एक ट्रेन दक्षिण भारत के भ्रमण के लिए मुंबई से चलाई गई है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि देशाटन के लिए वैसी ही एक ट्रेन मेरे संसदीय क्षेत्र पाटन से भी चलाई जाए ताकि इसका लाभ मेरे क्षेत्र के लोगों को भी मिल सके। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार मेरे कहने पर पाटन–मेहसाणा नई ब्रॉडगेज लाइन शुरू की है और पाटन–मेहसाना के बीच एक ट्रेन चालू हुई है लेकिन पाटन–अहमदाबाद के बीच दिन में चार बार ट्रेन चालू थी तो इस ब्रॉडगेज लाइन पर भी दिन में चार बार अहमदाबाद–पाटन के बीच ट्रेनें चलाई जाएं।

महोदय, अंत में मैं एक शायरी गा कर सुनाऊंगा।

लालू जी आपने बजट में बातें बुलंद कर दी

पाटन में बनाया ब्रॉडगेज और गाड़ियां बंद कर दी*

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, रेल मंत्री जी यहां गाड़ियां चलाएं, ऐसी उम्मीद करता हूं।*

सभापति महोदय : मोहन रावले जी, आपको दो मिनट बोलने का समय दिया जाता है। आप लास्ट वक्ता होंगे। हाउस का सेंस हो तो सदन का दो–तीन मिनट का समय और बढ़ाया जाए। आप लोगों की सहमति हो जाए तो मोहन रावले जी को बोलने के लिए हम दो–तीन मिनट का समय दे देते हैं।

सभी माननीय सदस्य : ठीक है।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण–मध्य) : सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुंबई शहर से, देशभर में जो एक करोड़ पच्चीस लाख लोग उपनगरीय रेलवे से यात्रा करते हैं, उनमें से 70 लाख लोग मुंबई से यात्रा करते हैं। सर, आपने मुंबई के लिए क्या किया? फेज़–वन में 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था और फेज़–टू में 5,300 करोड़ की योजना बनाई थी, उसका पैसा कहां है? यह पैसा देने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं। हमारे यहां ये 300 गाड़ियां फेज–वन की वजह से चल सकती थीं, जो नहीं चल रही हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, हार्बर रेल लाइन आदि सभी प्लेटफार्मों पर बहुत गंदगी होती है। इतनी गंदी गाड़ियां होती हैं, वहां आप नई गाड़ियां दीजिए। 12 डिब्बे की जो गाड़ी होती है, वहां प्लेटफार्म पर शेड की सुविधा भी नहीं है, वहां एक्सेटेंडेड प्लेटफार्म, शेड की सुविधा के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। हमारे क्षेत्र से तेलगू के जो भाई हैं, सिकंदराबाद से मुंबई, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और नांदेड के बीच चलने वाली तपोवन एक्सप्रेस को निजामाबाद तक बढ़ाया जाए ताकि करीमनगर और निजामाबाद जिले के लोगों को आगे जाने की सुविधा मिल सके। आपने कोंकण रेलवे में जमीन ली। आपने जिनकी जमीन ली, उनके परिवार के लोगों को सर्विस देनी अनिवार्य था। जिन्हें अभी तक सर्विस नहीं मिली, उन्हें सर्विस मिलनी चाहिए। कोंकण रेलवे में 800–900 एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में ...*(व्यवधान)* सर, मुझे दो–तीन मिनट और बोलने का समय दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

सभापति महोदय : आपका क्या प्वाइंट ऑफ आर्डर है?

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है, आपने कहा था कि एक घंटा सदन चलेगा। आपने हाउस में सब की सहमति ली थी और अब दस बज गए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने ध्यान नहीं दिया। माननीय राम कृपाल यादव जी, आप पुराने सदस्य हैं। मैंने हाउस का सेंस ले लिया है, जब तक रावले जी की स्पीच होगी तब तक के लिए सेंस ली जा चुकी है। आप आसन की तरफ भी ध्यान रखिए। माननीय सदस्यों का हम पूरा ध्यान रखते हैं, यह न्याय का तराजू है। यहां किस समय क्या रूलिंग होगा, इस पर माननीय सदस्यों को ध्यान में रखना चाहिए।

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में 26 नवम्बर को जो हमला हुआ, उसमें बहुत से लोग मारे गए। पुलिस के लिए 25 लाख रुपए सरकार ने दिए, यह आपने अच्छा काम किया। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि जो भी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में 26 नवम्बर को हमले में मारे गए, उनके परिवार में से एक व्यक्ति को आप रेलवे में नौकरी दीजिए। आपको उन्हें कम से कम दस लाख रुपए देने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आप आतंकवादी घटना की चर्चा कर रहे हैं।

श्री मोहन रावले : जी हां सर।

श्री लालू प्रसाद : जितने भी टेरेरिस्ट घटना में हमारे रेलवे स्टेशन के केम्पस में लोग मारे गए। ...*(व्यवधान)*

सर, 26 जनवरी, 2008 को मुम्बई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हमला हुआ, उसमें जो लोग मारे गए, उन सबको भी मुआवजा मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)* यदि आप आतंकवादियों के हमले में मारे गए लोगों की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टैररिस्ट घटना में जितने भी हमारे रेलवे के लोग कैम्पस में और अन्य जगहों पर मारे गए, उन सबको 10 लाख रुपए देने की घोषणा संभवतः हमने की थी और एक जॉब देने की बात कही थी। इसकी हमने पहले ही घोषणा की हुई है। अब तो आप खुश हैं?

श्री मोहन रावले : थैंक यू थैंक यू सर। जी हां, मैं खुश हूं।

सभापति महोदय : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मोहन रावले : रेलवे में खो–खो की टीम सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी की वजह से अस्तित्व में आई। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन इसे आप कोंकण रेलवे में भी खो–खो की टीम बनाइए। महिला और पुरुषों की अलग–अलग टीम बनाइए। जैसे वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे में कबड्डी की टीम है, वैसे ही कोंकण रेलवे में भी कबड्डी की टीम बनाइए।

सर, मेरी मांग है कि जब रिक्रूटमेंट होती है, तो लोकल एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज से कैंडीडेट्स को कॉल करना चाहिए। यह बात आपके रेलवे के पैनल में लिखी हुई है। महाराष्ट्र में मराठी लोगों को वरीयता मिलनी चाहिए।

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, जो भी माननीय सदस्य कहना चाहते हैं, उसे लिखित में देने का अनुरोध किया जाए।

सभापति महोदय : माननीय रावले जी, आप जो भी बात कहना चाहते हैं, उसे माननीय मंत्री जी को लिखित में भेज दीजिए। चूंकि आपका समय समाप्त हो चुका है, इसलिए अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। यदि कुछ बातें अभी भी बोलने के लिए रह गई हैं, तो कृपया अपने भाषण का शेष हिस्सा टेबल पर ले कर दीजिए। वह आपके भाषण का पार्ट समझा जाएगा।

श्री मोहन रावले : सर, मुम्बई के लोगों की जो इस समय सुरक्षा है, उसमें वहां के लोगों का विश्वास नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : सभापति महोदय, माननीय सदस्य मोहन रावले जी ने अभी तक रेल बजट का न सपोर्ट किया है और न विरोध। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य पहले इसे सपोर्ट करें।

श्री मोहन रावले : मंत्री जी, मुम्बई को पैसा दीजिए, तब मैं इस बजट को सपोर्ट करूंगा। आप मुम्बई की फेज–वन रेल हेतु 4500 करोड़ रुपए और फेज–टू हेतु 4300 करोड़ रुपए दीजिए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्थित पुलिस को 9 एम.एम. राइफलें देनी चाहिए, बुलैट प्रूफ जैकेट्स देनी चाहिए और बुलैट प्रूफ कार भी देनी चाहिए। मेरे पास और भी बहुत सी बातें कहने के लिए हैं।

सभापति महोदय : रावले जी, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। अब आपकी कोई भी बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

श्री मोहन रावले : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। मुझे एक मिनट और अपनी बात कहने के लिए दे दीजिए।

सभापति महोदय : नहीं। अब आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया बैठिए। जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, उसे आप टेबल पर रख दीजिए।

...*(व्यवधान)*

**श्री मोहन रावले* : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से आये तेलुगु भाषाई लोग भारी संख्या में रहते हैं। तेलुगु भाषाई लोगों के कई संगठनों जैसे कि गोपाल नगर रिहायशी संघ, तेलुगु मुन्नुरू कापु सेवा संघम आदि ने मुझे अभ्यावेदन किये हैं कि उन्हें अपने सगे संबंधियों से मिलने वापस अपने शहरों में जाने के लिए बहुत कम रेल सेवाएं उपलब्ध हैं।

..... भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

इस समय उन्हें केवल तीन रेल गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध है। पहली ट्रेन अजन्ता एक्सप्रेस है जो सिकन्दराबाद–मनमाड़ के बीच चलती है, दूसरी तपोवन एक्सप्रेस है जो मुम्बई सी एस टी से नांदेड तक है और तीसरी देवागिरी रेलवे एक्सप्रेस है जो गुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से सिकन्दराबाद के बीच चलती है।

इन तीन गाड़ियों में से केवल एक गाड़ी अर्थात् देवागिरी एक्सप्रेस मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से निजामाबाद जाती है जिसके फलस्वरूप करीमनगर और निजामाबाद के लोगों को अपने घरों में जाने के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी बहुत कम हैं तथा महंगी हैं।

इन हालात में उन्होंने निवेदन किया है कि सिकन्दराबाद से मुम्बई सी एस टी (छत्रपति शिवाजी टर्मिनल) के बीच चलने वाली अजन्ता एक्सप्रेस और मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और नांदेड के बीच चलने वाली तपोवन एक्सप्रेस ट्रेन को निजामाबाद तक बढ़ाया है ताकि करीमनगर और निजामाबाद जिलों के लोगों को आने जाने की सुविधा मिल सके।

रेलवे की जगह पर झुग्गी झोंपड़ियां बसी हुई हैं और महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया है कि यदि ये झुग्गियां 1995 से पहले बनी हैं तो उन्हें तोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके बारे में रेलवे अधिकारियों और पुलिस के साथ काफी बहस होती है। यदि उन्हें वहां से हटाया जाता है तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन्हें मुफ्त घर प्रदान करने चाहिए और इस समस्या का समाधान ऐमीकेबली किया जाना चाहिए।

वेस्टर्न रेलवे, सैन्ट्रल रेलवे और हार्बर रेलवे पर चलने वाली गाड़ियां विशेषकर हार्बर रेलवे पर चलने वाली गाड़ियों के डिब्बे बहुत पुराने तथा जर्जर हालत में हैं। उनके अंदर सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। स्टेशनों पर गंदगी फैली रहती है। पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। टायलेट बहुत गंदे होते हैं। रेलवे को इस ओर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और वहां बेहतर रेल सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर 26.11.08 को जो हमला हुआ था, उसमें बहुत यात्री मारे गए थे। मैं आपसे विनती करता हूं कि उनको रेल मंत्रालय की ओर से कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनके परिवार में से एक व्यक्ति को उसकी काबलियत के मुताबिक रेलवे में नौकरी दी जानी चाहिए।

श्री शशांक शिन्दे जो पुलिस ऑफिसर था, उसकी फायरिंग से दोनो आतंकवादी टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ चले गए, नहीं तो बहुत बड़ा नरसंहार होता। शशांक शिन्दे इस हमले में शहीद हुए। उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किये जाने की सिफारिश रेल मंत्रालय द्वारा की जानी चाहिए।

महाराष्ट्र में हर स्टेशन पर घोषणा पहले मराठी में ही होनी चाहिए। बाद में हिन्दी या अंग्रेजी में हो। प्लेटफार्मों पर भीख मांगने वालों तथा अन्य फेरी वालों को हटाया जाना चाहिए। मुम्बई में प्रतिदिन 25 लोग रेल हादसों में घायल होते हैं। समय पर ट्रीटमेंट न मिलने पर उनमें से कुछ की मृत्यु हो जाती है। अतः घायलों के उचित ट्रीटमेंट के लिए हर स्टेशन पर डाक्टर या एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए।

स्टेशनों पर अपंग लोगों को स्टाल दिए जाने चाहिए तथा उनके डिब्बे भी बड़े होने चाहिए। पूरे प्लेटफार्म पर शेड की व्यवस्था की जानी चाहिए।

स्टेशनों पर टिकट लेने की लम्बी लम्बी कतारें होती हैं। अतः लोगों की सुविधा के लिए टिकट खिड़की की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से खिड़की होनी चाहिए।

हार्बर लाइन पर विशेषकर कॉटन ग्रीन स्टेशन पर प्लेटफार्म और लेकल के बीच गैप है जिसके कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अतः वहां पर प्लेटफार्म को ऊंचा किया जाना चाहिए।

हार्बर लाइन पर 12 डिब्बों वाली गाड़ियां चलाई जानी चाहिए। महिला डिब्बों में पुलिस तैनात की जानी चाहिए।

डाकयार्ड स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाना चाहिए। हार्बर लाइन में पनवेल तक हर स्टेशन पर अप और डाउन दोनों ओर फुट ओवर ब्रिज होनी चाहिए।

मझगांव, ताडवाडी, वाडीबन्दर, शिवदास, चापसी मार्ग को जोड़ने वाला प्रवासी मार्ग सैंडहास्ट रोड स्टेशन पर हैकोक स्टेशन के बीच फुट ओवर ब्रिज बनाया जाना चाहिए।

बहुत से रेलवे स्टेशनों पर कूपन वेलिडिटी मशीनें बंद रहती हैं जिसके कूपन पंच करने में परेशानी होती है। अतः इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और उन मशीनों को चालू हालत में रखा जाना चाहिए।

मुम्बई में 26.11.2008 को आतंकवादियों ने रेलवे और रेलवे स्टेशन पर जो हमला किया उससे लोगों में काफी घबराहट फैली हुई है। लोगों में असुरक्षा की भावना है। लोगों की सुरक्षा के लिए तथा रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं, इस बारे में बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

कोंकण रेल लाइन को दोहरा किये जाने की आवश्यकता है। मुम्बई में उपनगरीय लाइनों पर डबल डेकर गाड़ियां चलाई जानी चाहिए।

[श्री मोहन रावले]

कोंकण रेलवे में खो–खो खेल के लिए पुरुष और महिला टीमें बनाई जानी चाहिए। और वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे मंत्री खो–खो खेलें पुरुषों और महिला की टीमें बनाई जानी चाहिए। कोंकण रेलवे में पुरुषों और महिलाओं की कबड्डी खेल की टीमें बनाई जानी चाहिए।

कोंकण रेलवे के लिए जो जमीन ली गई है तो जो भूमिपुत्रों को प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को रेलवे में रोजगार देने का वायदा किया था। अभी भी अनेकों परिवार हैं जिनके किसी भी व्यक्ति को रेलवे में रोजगार नहीं मिला। कोंकण में रहने वाले और मुम्बई, ठाणे, रायगढ़, रत्नगिरी, सिन्धु दुर्ग इनके लिए भी कोई एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है। अतः इन क्षेत्रों के लिए एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जाएं।

जब यह हमला हुआ था तो स्टेशन पर सी सी टीवी कैमरा चल नहीं रहे थे। इसके लिए सर्विलैंस सिस्टम होना चाहिए। इनके पास 9 एम एम के राईफल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ कार दी जानी चाहिए। रेलवे पुलिस को विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ और इन्दौर में जैसे आर्मी और बी एस एफ वालों को ट्रेनिंग दी जाती है वैसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए।

उपनगरीय रेलों के भाड़े में कोई कटौती नहीं की गई है जिसके कारण उपनगरीय गाड़ियों से यात्रा करने वाले लोगों में भारी असंतोष है। अतः इन उपनगरीय गाड़ियों के भाड़े में भी उचित कटौती की जानी चाहिए।

यदि रेलवे 90,000 करोड़ रुपए के लाभ में चल रही है तो हमें एम यू टी पी फेज 1 और 2 के लिए पूरा पैसा दिया जाना चाहिए। यदि रेलवे 90,000 करोड़ के फायदे में चल रही है और लोगों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो इस फायदे का क्या मतलब है।

[अनुवाद]

मैं कुछ निम्नलिखित वास्तविक और यथार्थ मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा:–

(1) सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के विभिन्न पदों पर नियुक्ति संबंधी मामले लंबित हैं और इस संबंध में (संसद) राज्य विधानसभा द्वारा पारित भारतीय संविधान के विभिन्न कानूनों में अंतर्विष्ट उपबंधों की अनुपालना नहीं की जा रही है। जैसा कि रेलवे में नियुक्ति की वर्तमान स्थिति के परिणामों से लगता है कि वहां मनमानेपन और पक्षपात के तत्व अब भी विद्यमान हैं।

(2) इस विषय पर कुछ उपबंध/कानून का उल्लेख इस प्रकार है:

अनुच्छेद : 344(3)/खण्ड 2 के अंतर्गत अपनी सिफारिश करते हुए आयोग भारत की औद्योगिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का ध्यान रखना चाहिए था। साथ ही सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में भी ध्यान रखना चाहिए था। अहिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों के उचित दावों और हितों का भी ध्यान रखना चाहिए था।

(3) उपर्युक्त उपबंध के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना संख्या 2/8/60/ओ एलदिनांक 27 अप्रैल, 1960 की जारी की गई थी। उस के पैरा 7(ख) को यहां दिया जा रहा है:

"7(ख) समिति की राय में प्रशासनिक एजेंसियों और केन्द्र सरकार के विभागों में कर्मचारी संरचना के पुनरावलोकन और क्षेत्रीय आधार पर विकेन्द्रीकरण और नियुक्ति प्रक्रिया तथा अर्हताओं को यथोचित ढंग से संशोधित किया जाना चाहिए।"

यह देखा गया है कि उपर्युक्त उपबंधों का कार्यान्वयन पिछले 45 वर्षों से भी अधिक समय से नहीं किया गया है जिसके कारण वर्तमान में हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई।

(4) भारतीय रेल स्थापना मैनयुअॅल खण्ड–I (संशोधित संस्करण–1989) के पृष्ठ संख्या 6, 7, 38, 166, 194 को पढ़ने पर यह देखा जा सकता है कि रेलवे में उपलब्ध रिक्तियों को स्थानीय रोजगार कार्यालय में अधिसूचित करने का प्रावधान है। इस संबंध में पृष्ठ संख्या 194 पर (iv) का उल्लेख इस प्रकार है: "... और नियुक्ति यूनिट और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मान्यताप्राप्त संघ के अंतर्गत रोजगार कार्यालयों को जारी किया जाए जिससे इसका पर्याप्त प्रचार हो सके ताकि उद्देश्य अधिक से अधिक स्थानीय निवासी इसकी ओर आकृष्ट हो सकें।"

इस निर्देश को भी लागू नहीं किया गया और स्वेच्छाचारिता और पक्षपात हावी हो गया! उपर्युक्त पैरा के अंतर्गत लागू नहीं किए गए उपबंधों की समग्र समीक्षा उच्च प्राथमिकता के साथ की जानी चाहिए।

(5) श्रम पर राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट:–

पैरा 7.39 के अंतर्गत (भूमिपुत्र) : यह रिकार्ड में है कि रेगे समिति ने इस प्रश्न का संदर्भ बिहार श्रम जांच समिति के उस टिप्पणी के संबंध में दिया था जहां भूमि पुत्रों को न्यायपूर्ण अधिकार दिए जाने की टिप्पणी थी। इस प्रकार यह स्थापित हो गया कि 'भूमि पुत्र' की संकल्पना बिहार राज्य द्वारा शुरू की गई और अब वे उस बारे में अपनाये जाने के किसी अन्य मानक के हिंसा से तैयारी नहीं कर सकते। माननीय उच्चतम न्यायालय ने (1996 (8) स्केल 676) में यह कहते हुए व्यवस्था दी कि "अधिशायन प्राधिकारी/संस्थापन के लिए यह अनिवार्य है कि वह रोजगार कार्यालय को सूचित करे" यह दिनांक 18 मई, 1998 के डी.ओ.पी.टी.ओ के संदर्भ में प्रासंगिक है। यह उल्लेखनीय है कि इस विशिष्ट दिशानिर्देश के बावजूद रिक्तियों को मुंबई रोजगार कार्यालय में अधिसूचित नहीं किया जा रहा है। आम जनता द्वारा प्रयुक्त मनीऑर्डर और इसी तरह के दूसरे फार्मों को विभिन्न भाषाओं मुद्रित करने

संबंधी भी है। क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना को दर्शाने के लिए भी "(भारतीय रेल वाणिज्यिक मैन्युअल खण्ड–1) समय–सारणी, किराया सूची आदि का क्षेत्रीय भाषाओं जो कि मराठी है का प्रदर्शन आमतौर पर सरकारी कार्यालयों में और विशेषकर रेलवे में नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में ब्यौरेवार आंकड़ा निम्नवत दिया जा रहा है:–

रेलवे भर्ती बोर्ड मुंबई द्वारा आयोजित परीक्षाएं:

सहायक स्टेशन मास्टर : रोजगार सूचना संख्या 2/98 06.06.1999 और 12.11.1999 को लिखित परीक्षा ली गई; कुल उत्तीर्ण 364 में से गैर मराठी 343 और मराठी 21

ट्रैफिक एप्रेन्टिस :- रोजगार सूचना संख्या 2/99 24.09.2000 और 21.11.2000 को लिखित परीक्षा ली गई 40 गैर मराठी

गुड्स गार्ड :- रोजगार सूचना संख्या 2/2001

30.03.2001 को लिखित परीक्षा ली गई : 99 उत्तीर्ण, 96 गैर मराठी; केवल 3 मराठी

सहायक ड्राईवर : रोजगार सूचना संख्या 1/2001

लिखित परीक्षा और साइको परीक्षा : 24.3.2002 और 26.3.2002

375 उत्तीर्ण : 366 गैर मराठी और केवल 9 मराठी

एप्रेन्टिस रसायन सहायक : लिखित परीक्षा 2001

2 रिक्तियां : सभी 2 गैर–मराठी होंगे

इ.सी.आर.सी. पूछताछ सह आरक्षण लिपिक : पैनल 11.10.2000

39 उत्तीर्ण : 32 गैर मराठी केवल 7 मराठी

विद्युत स्टेशन मास्टर (इ.एस.एम.) ग्रेड-II : पैनल 29.11.2000; 47 उत्तीर्ण : 30 गैर मराठी, केवल 9 मराठी

विद्युत स्टेशन मास्टर (इ.एस.एम.)

105 उत्तीर्ण : 90 गैर मराठी, केवल 15 मराठी

ई.एस.एम. ग्रेड–II दिनांक 30.1.2000

74 उत्तीर्ण; 63 गैर मराठी, केवल 11 मराठी

स्टाफ नर्स : सुशी–I दिनांक 16.12.1998

65 उत्तीर्ण : 55 गैर मराठी, केवल 10 मराठी

स्टाफ नर्स : सुशी–II दिनांक 07.03.2001

27 उत्तीर्ण : 21 गैर मराठी, केवल 6 मराठी

स्टाफ नर्स : सुशी–III दिनांक 25.08.2002

29 उत्तीर्ण : 25 गैर मराठी, केवल 4 मराठी

आर. आर. बी. अधिसूचना 1016 मुंबई

सहायक लोको पायलट - रोजगार संख्या 1505 दिनांक १६ फरवरी, 2007 कुल सीट 1016

दिनांक 16 फरवरी, 2007 कुल सीट 1016

इस संबंध में मुख्य मुद्दा यह प्रतीत होता है कि मुंबई रेलवे भर्ती बोर्ड में अभ्यार्थी शामिल हुए जिसमें से केवल 76 उत्तीर्ण हुए और उसमें मराठी केवल 15 थे।

मध्य रेलवे के मुम्बई सर्कल की भर्ती मुम्बई की बजाये इलाहाबाद रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी। शेष पद रेलवे भर्ती बोर्ड इलाहाबाद से भरे गए थे। रेलवे ने 1016 व्यक्तियों का स्थानांतरण महाराष्ट्र में कर दिया और उपरोक्त तथ्य ये दर्शाते हैं कि कानून सम्मत प्रक्रिया का कोई आदर नहीं किया गया और महाराष्ट्रवासियों के प्रति दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि दूसरी प्रतिस्पर्धी परीक्षा अच्छे नम्बरों से पास करने वाले मराठी व्यक्ति रेलवे की परीक्षा पास करने में सक्षम नहीं हैं? यह साफ–साफ दर्शाता है कि रेल मंत्रालय का रवैया विभाजन का है और रेल मंत्रालय स्वस्थ लोकतंत्र और देश की अखण्डता को बनाए रखने की बजाए राजनीति से प्रेरित विचारधारा का अनुसरण कर रहा है। इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए और इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

सहायक लोको पायलट : रोजगार सं. 1/2007

कुल पद 578 (मई, 2008 में परीक्षा परिणाम घोषित) में से 345 मुम्बई मंडल, 77 भुसावल, 56 नागपुर, 87 सोलापुर, 22 पुणे के पद हैं जिनमें कुल 15–20 मराठी हैं।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्थापित होता है कि ये नियुक्तियां संसद द्वारा बनाए जा रहे संवैधानिक उपबंध कानूनों पर विचार किए बिना की जा रही हैं और इस प्रकार से उमादेवी (3) (2009) 4. एसएससी–1 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में बिहार के 90/95% व्यक्तियों की नियुक्ति को "गैर कानूनी/अनियमित" करार दिया है और इन नियुक्तियों का प्रारंभ ही से निष्प्रभावी घोषित किया गया है तथा रेलवे मुम्बई आयकर विभाग तथा भारतीय स्टेट बैंक में हुई इस प्रकार की नियुक्तियां रद्द की जानी चाहिए। उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब और गोवा राज्यों में भी रेलवे में बिहारियों की नियुक्ति के विरुद्ध व्यापक रोष है।

भाषायी राज्यों के बनने के बाद यह सरकार का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय भाषा को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाएं बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी और महाराष्ट्र में मराठी, अतएव मराठी और महाराष्ट्र के लोगों को जीवन के सभी क्षेत्रों में सबसे ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। यदि आप गंभीरता से ऐसा महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय भावना को मुखर करना ही इसका वास्तविक आशय है तो उपरोक्त संवैधानिक उपबंध को तुरंत कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

[श्री मोहन रावले]

यह भी कहा गया है कि 2005 से कई पत्रों के माध्यम से इस प्रकार के मामले आपके संज्ञान में लाए गए हैं और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से संबंधित सचिवों/कैबिनेट सचिवों का ध्यान भी आकर्षित किया गया है। यहां यह उद्धृत किया गया कि यदि पहले ही समुचित विचार और तुरंत कार्रवाई की जाती तो मौजूदा स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती।

अतएव, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चूंकि आप सुशिक्षित और विद्वान हैं अतएव इस मामले के तथ्यों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें तथा शीघ्रातिशीघ्र समुचित कार्रवाई करें।*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप शेष भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। मैं अब आपको और ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों इस अंतरिम रेल बजट पर चर्चा समाप्त हो गई है। माननीय रेल मंत्री वाद–विवाद पर उत्तर कल देंगे।

सभा कल 19 फरवरी, 2009 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 10.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 19 फरवरी, 2009/30 माघ, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री हेमलाल मुर्मू	41
	डा. धीरेंद्र अग्रवाल	
2.	श्री रायापति सांबासिवा राव	42
	श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	
3.	श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	43
	श्रीमती करूणा शुक्ला	
4.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	44
5.	श्री महावीर भगोरा	45
	श्री तथागत सत्पथी	
6.	श्री एस.के. खारवेनथन	46
	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	
7.	श्री टेकलाल महतो	47
	श्री हंसराज गं. अहीर	
8.	श्री गुरुदास दासगुप्त	48
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	
9.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	49
10.	श्री चंद्रकांत खैरे	50
	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	
11	श्री रामदास आठवले	50
12.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	51
	डा. चिन्ता मोहन	
13.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	52
14.	श्री नन्द कुमार साय	53
15.	श्री सुग्रीव सिंह	54
16.	डा. के.एस. मनोज	55
	श्री के.जे.एस.पी रेड्डी	
17.	श्री के.एस. राव	57
18.	श्री निखिल कुमार	58
	श्री विजय कृष्ण	
19.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	59
20.	श्री रमेश दूबे	60
	श्री वाडिगा रामकृष्णा	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न की संख्या
1	2	3
1.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	259
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	225, 241, 255
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	210, 247, 271, 278
4.	अनंत कुमार, श्री	181, 198, 238
5.	अंगडि, श्री सुरेश	165, 213
6.	आठवले, श्री रामदास	215, 256, 269, 276
7.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	230
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	205, 245, 265, 280
9.	भगोरा, श्री महावीर	250
10.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	158, 208, 260
11.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	152, 172, 251
12.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	184, 230
13.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	151, 224
14.	चक्रवर्ती, श्री अजय	178, 253
15.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	216, 224
16.	चौधरी, श्री पंकज	227
17.	चौधरी, श्री अधीर	253
18.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	216, 224
19.	देवरा, श्री मिलिन्द	162
20.	देवेगौड़ा, श्री एच.डी.	268
21.	धनराजू, डा. के.	185
22.	दूबे, श्री रमेश	160, 211, 248, 273
23.	दुबे, श्री चन्द्र शेखर	199
24.	गढ़वी, श्री पी.एस.	193, 268
25.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	173, 202, 216, 239, 249

1	2	3
26.	गांधी, श्रीमती मेनका	194
27.	गंगवार, श्री संतोष	191, 232, 234
28.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	171
29.	हुसैन, श्री अनवर	172, 219, 251, 267
30.	जटिया, डा. सत्यनारायण	179
31.	जयाप्रदा, श्रीमती	186
32.	जिन्दल, श्री नवीन	203, 242
33.	करूणाकरन, श्री पी.	183, 229
34.	कस्वां, श्री राम सिंह	232
35.	खैरे, श्री चंद्रकांत	204, 244, 255, 268
36.	खारवेनथन, श्री एस.के.	206, 246, 266, 275
37.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	182, 232
38.	कृष्ण, श्री विजय	237, 263, 274, 282
39.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	166
40.	माडम, श्री विक्रममाई अर्जनमाई	200, 201, 232, 240, 264
41.	महरिया, श्री सुभाष	182
42.	महतो, श्री नरहरि	180
43.	महतो, श्री टेक लाल	223, 254
44.	मंडल, श्री सनत कुमार	168
45.	माने, श्रीमती निवेदिता	173, 202, 216, 239, 249
46.	मनोज, डा. के.एस.	148, 243, 272, 279
47.	मसूद, श्री रशीद	214
48.	मैन्या, डा. टोकचोम	175, 222, 253
49.	मिश्रा, डा. राजेश	171
50.	मंडल, श्री अबु अयीश	188

1	2	3
51.	नायक, श्री अनन्त	166
52.	निखिल कुमार, श्री	212, 261
53.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	185, 189, 249
54.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	149, 216, 249
55.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	157, 230
56.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	195
57.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	190, 228, 223, 262
58.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	272
59.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	149
60.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	153
61.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	220
62.	राजगोपाल, श्री एल.	154, 221, 252
63.	रामदास, प्रो. एम.	164, 250
64.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	159, 236
65.	राणा, श्री काशीराम	200
66.	राव, श्री ई. दयाकर	177
67.	राव, श्री के.एस.	232
68.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	218, 250
69.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	231, 259
70.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	268
71.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	255
72.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	150, 220
73.	रिजीजू, श्री कीरेन	149, 216, 249
74.	साय, श्री नन्द कुमार	228, 241, 258
75.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	197
76.	सेनथिल, डा. आर.	196
77.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	167

1	2	3
78.	शर्मा, श्री मदन लाल	164, 250
79.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	225, 241, 255
80.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	209, 257, 270, 277
81.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	156
82.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	187
83.	सिंह, श्री मोहन	189, 192, 235
84.	सिंह, श्री सुग्रीव	228, 241, 258
85.	सिंह, श्री सूरज	174, 181
86.	सिंह, श्री उदय	161, 186
87.	सोलंकी, श्री भरतसिंह माधवसिंह	182
88.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	163, 227, 249
89.	सुब्बारायण, श्री के.	170, 217
90.	सुमन, श्री रामजीलाल	174
91.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	155, 207
92.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	176
93.	तुम्मर, श्री वी.के.	195
94.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	226, 281
95.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	225, 241, 255
96.	यास्खी, श्री मधु गौड़	173, 216, 239, 241, 249
97.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	169, 227

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	
परमाणु ऊर्जा	
कोयला	43, 47, 55
उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास	
पर्यावरण और वन	41, 51, 57, 59
विदेश	
वित्त	52, 53, 56, 60
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	46, 48, 49, 54, 58
सूचना और प्रसारण	42
प्रवासी भारतीय कार्य	
पंचायती राज	44
संसदीय कार्य	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	
योजना	
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	45, 50
अंतरिक्ष	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	
युवक कार्यक्रम और खेल	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	
परमाणु ऊर्जा	179, 210
कोयला	158, 197, 199, 223, 244, 254
उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास	219
पर्यावरण और वन	153, 156, 164, 194, 209, 215, 230, 246, 247, 250, 257, 258, 265
विदेश	157, 163, 187, 189, 190, 193, 196, 200, 203, 213, 214, 216, 222, 224, 227, 228, 249, 253, 271
वित्त	154, 155, 160, 166, 170, 171, 173, 174, 175, 181, 182, 183, 185, 192, 205, 208, 211, 217, 220, 225, 229, 232, 234, 235, 237, 239, 240, 252, 256, 259, 260, 264, 266, 269, 278, 280
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	148, 150, 151, 161, 167, 176, 180, 184, 186, 201, 202, 212, 218, 241, 243, 248, 261, 263, 270, 274, 275, 277, 281, 282
सूचना और प्रसारण	152, 159, 172, 188, 204, 236, 245, 251, 273
प्रवासी भारतीय कार्य	168, 169, 177, 206, 231
पचायती राज	165
संसदीय कार्य	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	195, 221, 238
योजना	226, 276
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	149, 162, 178, 191, 198, 207, 255, 267, 268, 272, 279
अतरिक्ष	233, 242, 262
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	
युवक कार्यक्रम और खेल	

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल सस्करण भारतीय ससद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2009 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।